सप्तम माला, खंड 22, अंक 14 गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1981/19 अग्रहायण, 1903 (शक)

24

12

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

with Corrigenda

(सातवां सत्र)

(खंड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक—सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण
गुरुवार, 10 दिसम्बर 1981/19 अग्रहायण, 1903 (शक)
का शुद्धिपत्र

पृष्ठ (11) पंक्ति 3 में "असम के पश्चात् 1981-82" पढ़िए ।

पृष्ठ (111) पंक्ति 12 में सदस्य का नाम "श्री अडुआर्डो फैलीरो" पढ़िए ।

पृष्ठ 50, नीचे से पंक्ति दस में "अन्य" के स्थान पर "अन्यों" पढ़िए ।

विषय-सूची

अंक 14 गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1981/19 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 268, 269, 271, 273, 274 और 277	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—383
तारांकित प्रश्न संख्या : 245 से 253 और 255 से 267, 270, 272, 278 से 287 और 170	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2777 से 2810, 2812 से 2832, 2834 से 2836, 2838 से 2853, 2855 से 2875, 2877 से 2918, 2920 से 2935, 2937 से 2939, 2941 से 2952, 2954 से 2958, 2960 से 2984, 2986 से 2998, 3000 से 3240 और 3242 से 3250	
सभापटल पर रखे गए पत्र	383—386
राज्य सभा से संदेश	386
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में	387
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बत्तीसवां प्रतिवेदन	387
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नवां प्रतिवेदन	387
अहमदाबाद में 6 दिसम्बर, 1981 को हुए अग्निकांड, जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, के बारे में वक्तव्य श्री योगेन्द्र मकवाना	387—388
भास्कर-2 छोड़े जाने तथा उसका उपयोग आरम्भ होने के बारे में वक्तव्य श्री सी० पी० एन० सिंह	388—390
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82—विवरण प्रस्तुत किया गया	390

---

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

81 -

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1979-80—विवरण प्रस्तुत किया गया 390

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 19 1-82—विवरण प्रस्तुत किया गया 390

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1981-82—विवरण प्रस्तुत किया गया 391

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1979-80—विवरण प्रस्तुत किया गया 391

नियम 377 के अधीन मामले 391—397

(एक) हिमाचल प्रदेश के भीतरी भागों में औद्योगीकरण

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी 391

(दो) उड़ीसा में बांसपानी-बारहिल क्षेत्र में खानों के मुहानों और रेल-हेडों पर लौह-अयस्क के जमा हुए भण्डार की निकासी

श्री लक्ष्मण मलिक 392

(तीन) मैसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा का राष्ट्रीयकरण

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 393

(चार) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा-विवाद

श्री बापूसाहिब परुलेकर 393

(पांच) पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

श्री हरिकेश बहादुर 394

(छः) समाचार-पत्र उद्योग में इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करने का प्रस्ताव

श्री इन्द्रजीत गुप्त 394

(सात) ग्वालियर के पटाखे बनाने वाले कारखाने में गत सप्ताह हुए विस्फोट की जांच

श्री एन० के० शेजवलकर 395

(आठ) केरल में इलायची की फसल को बचाने के लिए एक रसायन "बे 5072-70%" का आयात करने की आवश्यकता

श्री कुमबुम एन० नटराजन 395

(नौ) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय करने की मांग

श्री रामविलास पासवान 396

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव 397—489

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 397

श्री माधवराव सिंधिया 405

श्री चन्द्रजीत यादव 410

श्री एडुआर्डो फैलीरी फैलीरो 417

श्री राम जेठमलानी 422

श्री जैनुल बशर 431

श्री इन्द्रजीत गुप्त 435

श्री पी० नामग्याल 444

श्री जयपाल सिंह कश्यप 447

श्री रामसिंह यादव 450

श्री रतन सिंह राजदा 454

प्रो० नारायण चन्द पराशर 462

श्री गिरधारी लाल डोगरा 467

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर 470

श्री अजीत सिंह दाभी 473

श्री पी० वी० नरसिंह राव 477

कार्य मंत्रणा समिति 489

तेईसवां प्रतिवेदन

विषय-सूची

अंक 14 गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1981/19 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : **268, 269, 271, 273, 274 और 277**	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—383
तारांकित प्रश्न संख्या : **245 से 253 और 255 से 267, 270, 272, 278 से 287 और 170**	
अतारांकित प्रश्न संख्या : **2777 से 2810, 2812 से 2832, 2834 से 2836, 2838 से 2853, 2855 से 2875, 2877 से 2918, 2920 से 2935, 2937 से 2939, 2941 से 2952, 2954 से 2958, 2960 से 2984, 2986 से 2998, 3000 से 3240 और 3242 से 3250**	
सभापटल पर रखे गए पत्र	383—386
राज्य सभा से संदेश	386
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में	387
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बत्तीसवां प्रतिवेदन	387
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नवां प्रतिवेदन	387
अहमदाबाद में 6 दिसम्बर, 1981 को हुए अग्निकांड, जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, के बारे में वक्तव्य	387—388
श्री योगेन्द्र मकवाना	
भास्कर-2 छोड़े जाने तथा उसका उपयोग आरम्भ होने के बारे में वक्तव्य	388—390
श्री सी० पी० एन० सिंह	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82—विवरण प्रस्तुत **किया गया**	390

---

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1979-80—विवरण प्रस्तुत किया गया 390

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 19 1-82—विवरण प्रस्तुत किया गया 390

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1981-82—विवरण प्रस्तुत किया गया 391

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1979-80—विवरण प्रस्तुत किया गया 391

नियम 377 के अधीन मामले 391—397

(एक) हिमाचल प्रदेश के भीतरी भागों में औद्योगीकरण

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी 391

(दो) उड़ीसा में बांसपानी-बारहिल क्षेत्र में खानों के मुहानों और रेल-हेडों पर लौह-अयस्क के जमा हुए भण्डार की निकासी

श्री लक्ष्मण मलिक 392

(तीन) मैसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा का राष्ट्रीयकरण

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 393

(चार) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा-विवाद

श्री बापूसाहिब परुलेकर 393

(पांच) पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

श्री हरिकेश बहादुर 394

(छः) समाचार-पत्र उद्योग में इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करने का प्रस्ताव

श्री इन्द्रजीत गुप्त 394

(सात) ग्वालियर के पटाखे बनाने वाले कारखाने में गत सप्ताह हुए विस्फोट की जांच

श्री एन० के० शेजवलकर 395

(आठ) केरल में इलायची की फसल को बचाने के लिए एक रसायन "बे 5072-70%" का आयात करने की आवश्यकता

श्री कुमबुम एन० नटराजन 395

(नौ) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय करने की मांग

श्री रामविलास पासवान 396

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव 397—489

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 397

श्री माधवराव सिंधिया 405

श्री चन्द्रजीत यादव 410

श्री एडुआर्डो फैलीरी 417

श्री राम जेठमलानी 422

श्री जैनुल बशर 431

श्री इन्द्रजीत गुप्त 435

श्री पी० नामग्याल 444

श्री जयपाल सिंह कश्यप 447

श्री रामसिंह यादव 450

श्री रतन सिंह राजदा 454

प्रो० नारायण चन्द पराशर 462

श्री गिरधारी लाल डोगरा 467

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर 470

श्री अजीत सिंह दाभी 473

श्री पी० वी० नरसिंह राव 477

कार्य मंत्रणा समिति 489

तेईसवां प्रतिवेदन

लोक-सभा

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1981/19 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री गवित मानिकराव होदलया (नान्दूरबार)

अध्यक्ष महोदय : श्री कोसलराम···वह उपस्थित नहीं हैं । श्री रामावतार शास्त्री ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं नियम 388 के अन्तर्गत कहना चाहता हूं—मैं जिस इलाके से सम्बन्ध रखता हूं, उस इलाके के दीनबन्धु चौधरी छोटूराम के बारे में कहना चाहता हूं—उनका डाक-टिकट जारी न होना बहुत गलत बात है···

अध्यक्ष महोदय : यह क्वेश्चन-आवर है । इस तरीके से न उठायें ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि जिसकी वजह से विघटनकारी शक्तियां बनती हैं । राष्ट्रपति जी वहां उदघाटन करने जा रहे हैं । चौधरी छोटूराम···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । आप रोज इसको क्वेश्चन-आवर से पहले मत कीजिये, मैं आपकी बात को समझता हूं और मेरे ख्याल में सारा सदन इस बात को समझता है । प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार, कई बार ही क्या हमेशा ही कहा है कि जो विभूति किसी भी जगह भारत में होती है उसका सादर सम्मान किया जाता है और करना चाहिये ।

श्री रामविलास पासवान : विभूति का कहां होता है ।

अध्यक्ष महोदय : होता है । जहां तक चौधरी छोटूराम जी की बात है—वह दीनबन्धु थे, सेकुलरिज़्म के बिलकुल पक्के जीवित प्रमाण थे । दलित वर्ग को उन्होंने जितना उठाया है उसको मैं समझता हूं और सब समझते है । इसलिये मेरा ख्याल है सारी बात निबटाई जा सकती है और आसानी से निबटाई जा सकती है, इसके लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं···

(व्यवधान)

इस तरीके से चलने वाली बात नहीं है। अगर चौधरी छोटूराम के नाम इस तरह से चलायेंगे तो चलने वाली बात नहीं है।…

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : इनको शर्म आनी चाहिए जो चौ० छोटूराम के बारे में ऐसी बात कहते हैं। आप चुप रहिये। आप लोगों के जजबात को भड़का रहे हैं। आप नहीं जानते कि चौ० छोटूराम का क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या दिल्ली और क्या आपके उत्तर प्रदेश में कितना सम्मान है। इस तरह से आप विघटन का कार्य कर रहे है।…(व्यवधान)…

अध्यक्ष महोदय : वे सबके हैं, किसी एक सेक्शन के नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप यह बताइए कि इस तरीके से अगर किसी एक राष्ट्रीय आदमी के बारे में चर्चा हो, तो इस तरह की गैर-जिम्मेदारी की बात होती है। जब भी चौ० छोटूराम का जिक्र चलता है…

अध्यक्ष महोदय : गैर जिम्मेदारी तो रही नहीं। राष्ट्रपति जी जा रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : उनके नाम का टिकट क्यों जारी नहीं हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत सारे लोगों के बाकी हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : 25 तारीख से पहले डाक टिकट जारी नहीं होता है, तो आप कहिये कि यह जारी होगा।…(व्यवधान)…

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : चौ० छोटूराम की जब बात होती है…

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। इसमें सबकी सहानुभूति आपके साथ है। सारे सदन की सहानुभूति आपके साथ है और कोई आदमी इसमें आपसे मतभेद नहीं रखता है।

क्वेश्चन नं० 267, श्री टी० कोशलराम।

नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामावतार शास्त्री।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल समितियों के सदस्यों को स्थायी रेल कार्ड तथा चैक पासों का जारी किया जाना।

268. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेल समितियों के सदस्यों को स्थायी रेल कार्ड पास जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों तथा इनके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यक्तियों को स्थायी पास जारी करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे में चैक पास जारी करने की भी व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो चैक पासों के जारी किये जाने के मानदण्ड क्या हैं तथा पिछले छ: महीनों के दौरान किन-किन व्यक्तियों को ऐसे चैक पास जारी किए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण)

(क) समिति के सदस्यों को एक वर्ष तक की अवधि के लिए मानदेय पास जारी किये गये हैं ।

(ख) समितियों और उनके सदस्यों के नामों की एक सूची संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3066/81]

(ग) रेलवे के कार्य संचालन स सम्बद्ध समितियों का सदस्य होने तथा रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये जाने के नाते ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मानार्थ पास निम्नलिखित मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन पर जारी किये जाते हैं—

(1) वे संस्थान और संगठन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शिक्षा कार्य में लगे हों और जिनका कार्य अखिल भारतीय स्तर का हो ।

(2) वे संगठन जो अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और उपेक्षित वर्ग, महिलाओं, अंधे और विकलांग व्यक्तियों आदि के कल्याण कार्य में लगे हों ।

(3) वे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो राष्ट्रीय महत्व के ऐसे काम में लगे हों जिसके लिए उन्हें बार-बार यात्रा करना अपेक्षित है ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं जिन्हें 1 जून 1981 से 30 नवम्बर, 1981 तक मानार्थ चैक पास जारी किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०/टी० 3066/81]

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, यह बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : आप आदमी दिलचस्प हैं, शास्त्री जी ।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री जी ने बड़ी दिलचस्पी के साथ पासों का बटवारा किया है। अध्यक्ष जी, इन्होंने रेलवे से सम्बन्धित 7 समितियों के सदस्यों को पास दिये हैं। तो इसके सम्बन्ध में मुझे यह पूछना है कि इन कमेटियों की बैठक साल में कितनी बार होती है ? पूरे एक साल में एक-दो बार बैठकें होती होंगीं लेकिन उनको पूरे एक साल के लिए पास दिया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पूरे साल के लिए पास देकर रेलवे के कोष को क्षति पहुंचाने का क्या औचित्य है ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य शास्त्री जी ने जो कमेटियों का नाम लिया है···

श्री रामावतार शास्त्री : जो मैंने पूछा है, उसका ही जवाब दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन : आप जरा सब्र कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। इन कमेटीज के कुछ कर्त्तव्य हैं, उन कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए मेम्बर जो हैं, वे पूरी रेलवेज में घूमते हैं। लोग उनसे मिलते हैं; पैसेन्जर्स की ग्रिवान्सेज क्या हैं, डिफेक्टस क्या हैं, इन सारी चीजों को ये देखते हैं। कमेटीज की मीटिंग रोज तो हो नहीं सकती। साल में दो बार, तीन बार मीटिंग होती है मगर कमेटीज के जो मेम्बर हैं, उनको जाना पड़ता है। ये वालंट्री आर्गेनाइजेशन्स हैं और जब उनको समय मिलता है, तब वे जाते है।

अध्यक्ष महोदय : कहीं घर ही न बना लें गाड़ी में शास्त्री जी की मंशा यह है।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर कमेटी के सदस्य घूमते नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हमने बन्द कर दिये थे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जानता हूं। आप इजाजत दें तो मैं नाम पढ़ दूं कि कौन कमेटी किसकी है, इससे आप अन्दाजा लगा लेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप नाम पढ़िये।

श्री रामावतार शास्त्री :

1. राष्ट्रीय खानपान परामर्श परिषद	21 मेम्बर	✓
2. कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति	29 मेम्बर	✓
3. यात्री सुविधा समिति	26 मेम्बर	✓
4. स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति	31 मेम्बर	✓
5. रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति	31 मेम्बर	✓

रेलवे हिन्दी शब्दावली समिति 11 मेम्बर और रेलवे हिन्दी पुस्तक चयन समिति 7 मम्बर। कुल 156 मेम्बर।

यह जाहिर है कि इन समितियों का रोजाना का काम नहीं है। आपने मेरे प्रश्न का ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि इनकी साल में कितनी बैठकें हुईं ? क्या इन समितियों के मेम्बरो के रोजाना घूमने की जरूरत है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदल : वे तो ज्ञानार्जन करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : इन लोगों को पास देकर, रेलवे की राशि को बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया है ?

श्री केदार पांडे : नेशनल लेवल पर सात कमेटियां हैं। उनकी बैठकें भी होती हैं। वे सब जगह जाकर पता भी लगाते हैं कि उनके जुरीडिक्शन में कहां क्या कमी है, कहां क्या खराबी है और उसको कैसे दूर करें। ये जो कमेटियां बनी हैं इसके टोटल मेम्बर 156 हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास पास दिये गये हैं। यह इतना बड़ा देश है, यहां डेमोक्रेसी है। यहां सोशल वर्कर्स लोग हैं जो सोशल काम करने वाले हैं इसलिए इन 156 आदमियों को पास दिये गये हैं। इन कमेटियों की बैठकें भी होती हैं। किसीकी बैठक जल्दी होती है किसी में देर भी होती है। लेकिन यह एक ऐसा काम है जिसमें शिकायत की कोई बात नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने कुछ मानार्थ चेक पास इशु किये हैं जिनके मानदण्ड की भी चर्चा आपने की है। आपने प्रथम श्रेणी के 149 और द्वितीय श्रेणी के 31। चेक पास इशु किये हैं। एक एक के पास 14 आदमियों तक के हैं। कुल मिला लिया जाए तो एक हजार से कम व्यक्तियों को चेक पास इशु नही हुए होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये चेक पास इशु करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये चेक पास कितने दिनों के लिए इशु किये जाते हैं ? कितनी जर्नी के लिए अर्थात् कितने समय की जर्नी के लिए इशु किये जाते हैं। आपने जो मानदण्ड रखा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या इन 460 लोगों की, जिनको कि ये चेक पास दिये गये हैं, जांच करवायेंगे जिससे कि यह पता चल सके कि सचमुच में मानदण्ड के मुताबिक सही लोगों को पास दिये गये हैं, गलत लोगों को नहीं दिये गये हैं ?

श्री मलिकार्जुन : चेक पास एक सिंगल जर्नी के वास्ते है जिसका मेक्सिमम पीरियड तीन महीने तक है। वह तीन महीने तक वेलिड रहता है। इसमें मिनिस्टर का डिस्क्रिशन होता है। कुल लोग ऐसे होते हैं जो कि हेल्पलेस हो जाते हैं और उन्हें अपने जन्म स्थान जाना होता है। उनको चेक पास मिनिस्टर की डिस्क्रिशन से इशु होते हैं। यह परमिट नहीं है। यह एक सिंगल जर्नी के लिए होता है। अगर किसी को पटना जाने के लिए यह इशु किया गया है तो वह पटना जाने के बाद इन्वेलिड हो जाता है। वह एक जर्नी का पास होता है। उनका मेक्सिमम पीरियड तीन महीने तक रहता है। अगर किसी को दिया भी है तो वह तीन महीने से बढ़कर वेलिड नहीं रहता है। कभी-कभी रिटर्न जर्नी का भी हो सकता है। किसी को दिया होगा। इसमें इस बात की ऐसी जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टीगेशन कराकर फिर सरकार का पैसा बर्बाद कर दें।

श्री रामावतार शास्त्री : आप अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह आपका विचार है।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सौ-डेढ़ सौ कंप्लीमेंट्री पास इशु किए हैं, अगर ये राष्ट्र-हित में हैं तो मैं इसको इतना बड़ा गुनाह नहीं समझता। पास इशु करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें बताया गया है कि एजूकेशन एक्टीविलीज के लिए जो

संस्थाएं काम कए रही हैं, उनको भी आप पास देते हैं। "आल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन" जिसकी सदस्य संख्या करीब 17-18 लाख है और इस संख्या को पिछले 7-8 वर्ष से रेलवे पास दिए जाते थे।

श्री केदार पांडे : संगठन है कोई ?

श्री डी० पी० यादव : जी हां संगठन है। इनको पास देने के बारे में क्या पुनर्विचार किया जाएगा ?

श्री केदार पांडे : एक बार हम लोगों ने काफी पासेस इशु कर दिए तो इस प्रकार की र्‌यूमर फैली कि इतने पासेस फर्स्ट क्लास के मिल गए हैं तो हमने सब कैंसिल कर दिए और अभी तक केवल 3 पासेस दिए हैं। अब आप कहते हैं कि और दीजिए तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। देते हैं तो मुसीबत है, नहीं देते हैं तो आप कहते हैं कि एजूकेशन संगठन है। फिर भी हम विचार करेंगे। अगर यह ऐसा संगठन है जिसकी देश में प्रेस्टिज है तो जरूर पास दिए जाएंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या यह सच है कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाले कंसेशन पास बंद कर दिए गए हैं। इसका क्या कारण है। क्या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस पर पुनविचार किया जाएगा ?

राव **श्री माधवशव सिंधिया :** स्पोर्ट्स मैन को कंसेशन मिलना चाहिए।

श्री केदार पांडे : आप लोगों ने प्वांइट-आउट किया है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम लोग मुख्य मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। जो पासेस इशू किए गए हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इसमें एक जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। मैं नाम पढ़कर सुना सकता हूं। यह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक चीज है। जिन लोगों को पास इशु किए गए हैं, उनमें कुछ स्मगलर टाइप के लोग भी हैं। जो क्राइटेरिया यहां दिया गया है, उसका कहीं पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में श्री मधु दण्डवते जी ने एक आदेश जारी किया था कि "जिस व्यक्ति को किसी कमेटी में नियुक्त किया जाएगा, उसको उतने ही पीरियड तक पास इशू किया जाएगा, जितने पीरियड में उसको कमेटी की बैठकों में जाना-आना हो।'' परमानेंट पास नहीं दिया जाता था। उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है।

इसके अलावा इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि "वे संगठन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीड़ित और उपेक्षित वर्ग, अंधे, विगलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे हैं, उन लोगों को पास दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोगों को पास दिए गए हैं।

श्री केदार पांडे : अब सारी चीज तो याद नहीं है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जाति अथवा वर्ग अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य बात के आधार पर पास जारी नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार के सभी संगठनों को जब कभी आवश्यक समझा जाता है, पास जारी किये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आप एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाइए, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को रखिए। यह कोई साधारण बात नहीं है। देश का करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष अपव्यय होता है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : जो लोग टिकट लेकर आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती और ये पास वाले बैठे रहते हैं।

श्री केदार पाण्डे : 156 आदमियों को पास दिये हैं। कमेटी के जो मेंबर्स हैं, अगर आप उनके बारे में कहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : हम दोनों के बारे में कहते हैं।

श्री केदार पाण्डे : मैं आपकी बात को चैलेंज करता कि इस तरह की चीज नहीं है कि मजहब के आधार पर पास दिए गए हैं। कमेटीज के मेंम्बर हैं, इसलिए दिए हैं। उसके बारे में आप हमको डिमारेलाइज नहीं कर सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैंने प्रश्न पूछा था कि एक ही जाति के लोगों को क्यों दिये गये हैं और शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोग हैं उनको क्यों नहीं दिए गए हैं।

श्री केदार पाण्डे : मैं आपकी बात को चैलेंज करता हूं कि एक ही जाति के लोगों को दिए गए हैं। यह गलत बात है।

श्री रामविलास पासवान : मैं चैलेंज करता हूं यह बात गलत है। मैं पढ़कर सुना देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इनसे बात करके फिर बताइये।

श्री रामविलास पासवान : क्या गलत है इसका फैसला कौन करेगा, कौन गलत है इसका फसला कौन करेगा, हाउस करेगा या आप करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बात करके करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मैं इनको चैलेंज करता हूं। यदि एक जाति के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री केदार पांडे : आपने किसी हरिजन, आदिवासी का नाम सजैस्ट किया है ?

श्री रामविलास पासवान : मैं क्यों करूंगा ? आपको करना चाहिए यह काम।

श्री केदार पांडे : और जातियों के लोग हैं। सब तरह के हैं। बहुत से नाम हैं।

श्री सी०के० जाफर शरीफ : जाति के आधार पर पास जारी नहीं किए जाते हैं।

श्री रामविलास पासवान : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हाफ एन आवर डिसक्शन ले लें।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं इस संबन्ध में एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर आधे घन्टे की चर्चा की स्वीकृति दे दी है।

श्री सतीश अग्रवाल : इसलिए, हमें प्रश्न नहीं करने चाहिए। चूंकि आप इसे विषय पर आधे घन्टे की चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। (व्यवधान)

श्री के० लाकप्पा : महोदय, विभिन्न समितियों के प्रतिनिधियों को पास जारी किये जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं जानता हूं कि विरोधी दल इसे राजनीतिक मसला बनाकर लाभ उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह भाई भतीजावाद का मामला है। आधे घन्टे में कैसे तय होगा ? मैंने लिस्ट देखी नहीं है लेकिन मुझे बताया गया है कि उसमें 31 पांडे हैं।

श्री रामविलास पासवान : 305 में 101 पांडे हैं।

श्री के० लाकप्पा : महोदय, आपने पूरक प्रश्न करने के लिए मेरा नाम लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दें और आप भी उसमें भाग लें।

श्री के० लाकप्पा : पूरक प्रश्न के लिए आपने मेरा नाम लिया है। इसी बीच आप दूसरी ओर के सदस्य की आधे घन्टे की चर्चा पर सहमत हो गए हैं। क्योंकि आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति देने के साथ-साथ आपने मेरा नाम पुकारा है। मुझे अपने पूरक प्रश्न करने की अनुमति दी जाए। अब, माननीय रेल मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि क्या वे यह देखेंगे कि वे समितियां जिनके लिए रेलवे रियायत दी जाती है, को प्रसाशन में अधिकारियों की वजह से होने वाले विलम्ब का पर्यवेक्षण करने और उन्हें दूर करने के अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया जाय जिस से कि समितियां अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

मंदार हिल-वैद्यनाथ धाम देवधर लाइन

*269. **श्री समीनुद्दीन** : क्या रेल मंत्री बिहार में रेल लाइन के बारे में 7 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7284 के उत्तर के संबंध में जिसमें यह कहा गया था कि 11 करोड़ रुपयों की लागत की मंदार हिल वैद्यनाथ धाम 55 किलोमीटर लम्बी लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि इसे वैद्यनाथ धाम देवधर तक बढ़ा दिया जाये तो इस लाइन से भागलपुर और संथाल परगना से कलकत्ता और जमशेदपुर जाने वाले यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त उत्तर के पश्चात इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष में इस संबंध में कार्यवाही करने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) मंदार हिल और वैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच बड़े-बड़े आमान की एक रेल लाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षक किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की इस समय जांच की जा रही है ।

(ग) इसकी वित्तीय अर्थ-क्षमता और नयी लाइनों के लिए रेलों की योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी दृष्टि से सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद ही इस परियोजना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया जायेगा । इसके लिए योजना आयोग की स्वीकृति भी अपेक्षित है ।

श्री समीनुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त, 1980 को सवाल नम्बर 7281 के जवाब में यह कहा गया था कि इसका सर्वे कमप्लीट हो चुका है और इस पर 11 करोड़ रु० की लागत आयेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सारा काम पूरा हो गया है तो आइन्दा माली साल बजट में इस लाइन को लिया जायेगा कि नहीं ? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह लाइन भागलपुर को सन्थाल परगना से मिलाती है और एक तीरथगाह है मन्दार हिल का भगवान मधुसूदन का और जैन मन्दिर है । यह लाइन वैजनाथ धाम जाती है और सन्थाल परगना के बीचोंबीच एक भी रेलने लाइन नहीं है । यदि इस 55 मील लम्बी लाइन को बढ़ा दिया जाता है तो इससे भागलपुर कनैक्ट हो जायेगा । सन्थाल परगना से और सन्थाल परगना के लोगों को जमशेदपुर और कलकत्ता आदि स्थानों को जाने के लिए सहूलियत होगी । इसलिए सरकार बताये कि आइन्दा माली बजट में इस लाइन को लिया जायेगा कि नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, मैं बता चुका हूं कि इस लाइन का सर्वे हुआ है और रिपोर्ट ऐग्जामिन की जा रही है । रिपोर्ट ऐग्जामिन होने के बाद प्लानिंग कमीशन को यह मामला जायेगा जब प्लानिंग कमीशन उसको स्वीकृति दे देगा तो जरूर हम इसको लेंगे ।

श्रीमती ऊषा वर्मा : मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि लखनऊ से बरेली छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने के बारे में मैंने सुझाव दिया था उसके बारे में क्या हो रहा है ?

रेल दुर्घटनाओं की संख्या

*271. **श्री अजित बाग** :

श्री कमलनाथ :

क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू कैलेंडर वर्ष में नवम्बर, 1981 तक (महीने-वार) कुल कितनी रेल दुर्घटनायें हुई और उनमें अन्तग्रस्त यात्री गाड़ियों तथा मालगाड़ियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गत 10 महीनों के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मारे गये तथा घायल हुए लोगों की संख्या गत तीन वर्षों में इस तरह मारे गये तथा घायल हुए लोगों की संख्या के बराबर है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सुरक्षा संबंधी नियमों को कड़ा बनाकर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम ने उठाये हैं ?

रेल और शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1-1-81 से 30-11-81 की अवधि के दौरान भारतीय सरकारी रेलों पर जो गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं उनकी महीनेवार स्थिति निम्नलिखित है :

महीना	सवारी गाड़ी दुर्घटनाएं	माल गाड़ी दुर्घटनाएं	कुल
जनवरी	23	66	89
फरवरी	12	60	72
मार्च	26	56	82
अप्रैल	35	59	94
मई	28	66	94
जून	42	54	96
जुलाई	26	92	118
अगस्त	32	76	108
सितम्बर	28	80	108
अक्तूबर	27	56	83
नवम्बर	27	58	85
जोड़	306	723	1029

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :

(1) रेल कर्मचारियों की गलती	495
(2) रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती	88
(3) उपस्कर की खराबी :	
यांत्रिक	155
रेलपथ	32
(4) तोड़-फोड़	13
(5) दुर्घटनात्मक	35
(6) कारण का पता नहीं चल पाया	16
(7) कारण जिनकी जांच की जा रही है	195
कुल योग	1029

(ग) और (घ) 1.1.81 से 30.11.81 की अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में 538 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 1161 व्यक्ति घायल हुए। इसके पूर्ववर्ती तीन कलेंडर वर्षों अर्थात् 1978, 1979 और 1980 के दौरान 626 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2326 व्यक्ति घायल हुए। गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या अधिकतर आकस्मिक होती है। जनवरी से नवम्बर, 1981 तक की अवधि में मरने वाले 538 व्यक्तियों और घायल होने वाले 1161 व्यक्तियों में से केवल 7 दुर्घटनाओं में ही 433 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 461 व्यक्ति घायल हुए। गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या न्यूनतम करने के लिए लकड़ी के खोल वाले सवारी डिब्बों के स्थान पर इस्पात के खोल वाले डिब्बे प्रतिस्थापित करने एंटी-टेलीस्कोपिक डिजाइनों आदि को लागू करने जैसे विभिन्न उपाय अपनाये जा रहे हैं।

(ङ) चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं के लिए अकेला सबसे बड़ा कारण है, रेलों पर संरक्षा संगठन एक पुनर्नवीकृत अभियान में लग गये हैं जिसके अनुसार वे गाडियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति और अधिक जागरुकता तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव तरीके न अपनायें जिनसे दुर्घटना होने की सम्भावना हो। गाड़ियों के परीक्षण और सवारी एवं माल डिपुओं में मौके पर जांचों में गहनता लायी गयी है। रेलपथ के समुचित अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्व पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों और रेल पटरियों, धुरा-काउंटरों, रेल-पथ-परिपथन आदि की पराश्रव्य विधि द्वारा जांच करने के लिए दोषों का पता लगाने वाले यन्त्रों जैसे परिष्कृत यन्त्रों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

डीजल और बिजली रेल इंजनों में फ्लैशर बत्तियां लगायी गयी हैं। किसी गाड़ी की दुर्घटना होने पर इन फ्लैशर बत्तियों को जला दिया जाता है ताकि दूसरी ओर से आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए चालक को चेतावनी दी जा सके। इससे पटरी से उतरी गाड़ी से दूसरी आने वाली गाड़ी की टक्कर के अवसर समाप्त हो जाते हैं। श्वास विश्लेषक जांच भी शुरू कर दी गयी है ताकि यह देखा जा सके कि कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर तो नहीं आते।

यह देखने के लिए कि चल स्टाक और रेलपथ के अनुरक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाता है। रेलवे बोर्ड की ओर से एक विशेष संरक्षा दल रेलों पर घूम रहा है जो इस बात की जांच करता है कि रोजमर्रा के कार्यों में संरक्षा के नियमों का पालन किया जाता है। रेलों पर भी इसी प्रकार के दलों का गठन किया गया है ताकि अधिक गहराई से निरीक्षण किया जा सके और वे महाप्रबन्धकों को सूचित कर सकें जिससे तत्काल निवारक कार्रवाई की जा सके।

श्री अजित बाग : अधिकांश रेल दुर्घटनाओं और हताहतों के लिए कर्मचारियों और मानवीय चूक को उत्तरदायी ठहराया गया है, परन्तु यह सच नहीं है। बारह हजार किलोमीटर रेल पटड़ी खराब है और रेल डिब्बे, बोगियां, स्लीपर आदि भी खराब हालत में हैं। इसलिए, यह तथ्य कि मानवीय चूक इसके लिए जिम्मेदार है, सही नहीं है। ब्रेक-पावर प्रमाणपत्र की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई है। मेरा विशिष्ट प्रश्न है : क्या यह सच है कि गाड़ी के 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद दिया जाने वाला नया ब्रेक पावर प्रमाणपत्र की पहले की प्रणाली जनवरी, 1981 से समाप्त कर दी गई है और गाड़ियों को ब्रेक पावर की नई जांच किए बिना ही 3000 कि० मीटर तक चलने दिया जाता है ? आगे, क्या इस प्रकार के अनुदेश जारी करने से पूर्व घापु में हुई कमजोरी के अंशों का मूल्यांकन किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा किसने किया और क्या सरकार विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को सदन में पेश कर सकती है ? क्या यह स्वयं रेलवे प्रशासन द्वारा बनाए गएं सुरक्षा नियमों को क्रियान्वित करने गें प्रशासन की असफलता सिद्ध नहीं करती है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह सच है कि 1029 दुर्घटनाएं जो हुई हैं उनमें 495 दुर्घटनाओं में प्रमुख तत्व मानवीय चूक तथा कुछ यांत्रिक खराबी थी और माननीय सदस्य की यह धारणा कि ब्रेक-पावर की उचित जांच नहीं की जा रही है बिल्कुल गलत है। ब्रेक पावर की अनिवार्य रूप से जांच की जाती है और ये दुर्घटनाएं कुछ अन्य खराबियों के कारण भी हुई हैं। सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि डिब्बे इंजन आदि का अनुरक्षण करना इसका प्रमुख कर्त्तव्य है और यह देख रही है कि इस प्रकार की खराबियां न हो। जहां तक मानवीय चूक का सम्बन्ध है, मैंने आपको बताया है कि यह सबसे बड़ा तत्व है।

श्री अजित बाग : महोदय, मेरा प्रश्न है : क्या यह सच है कि गाड़ी के 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद दिये जाने वाला नया ब्रेक पावर प्रमाण पत्र की पहले की प्रणाली जनवरी 1981 से समाप्त कर दी गई है और गाड़ियों को ब्रेक पावर की नई जांच किए बिना ही 3000 कि० मीटर तक चलने दिया जाता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य को मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं । यदि वे केवल 450 कि० मीटर के पीछे न पड़े तो ब्रेक पावर की जांच अवश्य ही की जानी चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं है कि 5000 कि० मीटर के पश्चात इनकी जांच न की जाए । परन्तु मुद्दा यह है…

श्री अजित बाग : क्या यह सच है या नहीं, उन्हें यह कहने दें, फिर वे स्पष्टीकरण दें ।

श्री मल्लिकार्जुन : ब्रेक-पावर की असफलता के कारण दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं जैसी कि कल्पना की जा रही है । जब तक ब्रेक-पावर ठीक नहीं होती है, हम डिब्बे इन्जन को यार्ड से बाहर नहीं जाने देते ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हम इस प्वाइंट में रुचि नहीं रखते । हम प्रश्न में रुचि रखते हैं । उन्हें 'हां' या 'नहीं' कहना चाहिए ।

श्री मल्लिकार्जुन : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि 'नहीं' से भी सन्तोष मिला है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं बिल्कुल सन्तुष्ट हूं क्योंकि यह 'नहीं' उनकी बिल्कुल अज्ञानता का द्योतक है ।

श्री अजित बाग : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है : कितने मामलों में अथवा सेक्शनों में स्टेशन मास्टर, स्विचमेन, ड्राइवर, गार्ड जैसे प्रचालन कर्मचारियों को इन्टेनसिव घोषित किया गया है जैसा कि 35 से भी अधिक वर्ष पूर्व न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष के संचार में निदेश दिया गया था ? और क्या यह सच है कि एक दुर्घटना में, इंजन ड्राइवर 24 घन्टों से भी अधिक से ड्यूटी पर था ? और वह मानवीय चूक, जैसा कि रेल प्राधिकरण द्वारा संज्ञा दी गई है, मानवीय क्षमता से अधिक इस प्रकार की अधिक ड्यूटी लेने का परिणाम है । और कई सेक्शनों में रेलवे बोर्ड ड्राईवरों के स्थान पर फायरमेनों को गाड़ियां चलाने के लिए आदेश दे रहा है क्योंकि ड्राइवरों की कमी है और जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह बिलकुल गलत है । हम ड्राईवर को 24 घन्टे तक इंजन चलाने की कभी भी अनुमति नहीं देंगे । उसे 12 घण्टे के उचित आराम के बाद ही वापिस ड्यूटी पर लिया जाता है । यह धारणा गलत है कि ड्राइवरों को अधिक समय के लिए ड्यूटी पर रखा जा रहा है जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं ।

श्री कमलनाथ : महोदय, मैं नहीं जानता कि सभा पटल पर जो वक्तव्य रखा गया है उसे आपने देखा है या नहीं । इस वक्तव्य में एक वाक्य यह भी है कि रेल दुर्घटनाएं अधिकतर दुर्भाग्य के कारण होती हैं । इसका अर्थ यह है कि गाड़ी में यात्रा करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य बताने वाले के साथ परामर्श करना चाहिए । जिस प्रकार से यह बातें की जा रही हैं, उसका अर्थ यह है कि दुर्घटनाएं जो नहीं होती हैं वे भी आकस्मिक होती हैं ।

पसले के प्रश्न में पासों के घोटाले के बारे में मेरा विचार है जिनके पास नहीं है वह भाग्यशाली है। मैं नहीं जानता कि जिनके पास, पास हैं उनमें से कितने हताहत हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी आकस्मिक है ?

श्री कमलनाथ : इस पर जिन मुद्दों की व्याख्या की गई हैं वे वास्तव में अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि वर्ष के शुरू से ही जबकि दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाता है इन कदमों पर ठीक ही विचार किया गया है। स्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि उपायों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई भी कमी का रुख नहीं आया है। यदि हम जनवरी से नवम्बर तक के आंकड़ों को देखें, तीन महीनों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या में कमी के अतिरिक्त, बाद के महीनों में अभी भी यह 83 अथवा 85 हैं। इस वर्ष अर्थात ग्यारह महीनों के दौरान, गत तीन वर्षों की तुलना में अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

मैं अपने प्रश्न की व्याख्या कर रहा हूं। मेरा प्वाइन्ट यह है कि इन उपायों को वास्तव में प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इन कदमों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं—क्योंकि ऐसा लगता है कि इन कदमों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

मैं चाहता हूँ कि इन कदमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

श्री माल्लिकार्जुन : क्रियान्वयन के लिए, अभी हाल ही में हमने उप-निदेशकों की एक समिति गठित की है जो सभी रेलों का सर्वेक्षण करेगी और देखेगी कि बोर्ड के निदेशों का किस तरह से पालन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप देखें कि उनमें आपसी तालमेल हो, यदि यह उनमें नहीं है।

श्री कमलनाथ : मुझे एक दूसरा प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय। अब श्री जटिया। श्री सिंधिया, कृपया श्री जटिया को बोलने दें और उसके पश्चात मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान पटना में हुई रेल-दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में चार संसद सदस्य, जिनमें मैं स्वयं भी था, और पार्लियामेंट का स्टाफ यात्रा कर रहे थे। हमें एक बेकार सा डिब्बा दिया गया था। जो पंजाब मेल में लगाया गया। जिस पटरी पर पंजाब मेल अपनी तेज गति से जा रहा था उसी पर एक इन्जिन खड़ा था जिससे टक्कर कर यह दुर्घटना हुई। सौभाग्य से और आपकी सद्भावना से हम बच गए, लेकिन पार्लियामेंट के स्टाफ के लोगों को काफी चोटें आईं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय मेनटेनेंस की कास्ट कम करके गाड़ी में खराब डिब्बे, आउट-आफ-डेट कोचस, जिन्हें नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहते हैं। और क्या वह मेनटेनेंस की कास्ट को कम करके इस प्रकार से लोगों की जिन्दगी को खतरे में डालना पसन्द करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडे एफिशेंसी और डिसिप्लिन को मजबूत करें।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : जब एक्सिडेंट हुआ, तो मैं वहां था, और मैंने माननीय सदस्य से मुलाकात की। लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों से मेरी मुलाकात हुई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय किस डिब्बे में थे ?

श्री केदार पांडे : मैं मेनटेनेंस की बात कहना चाहता हूं। मेनटेनेंस की हालत यह है कि ब्राडगेज में पहले से 25 परसेंट मेनटेनेंस इम्प्रूव्ह किया गया है और मीटरगेज में 50 परसेंट। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सम्बन्ध है, हम पुराने ट्रेक के रीन्युअल और रिप्लेसमेंट में लगे हुए हैं और सिक्स्थ फाइव-यीअर प्लान में रीन्युअल एण्ड रिप्लेसमेंट आफ दि रोलिंग स्टाक के बारे में 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गत वर्ष हमने इसमें करीब 77 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इस साल 110 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 1982-83 में 130 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है। ओवर हालिंग और रिपेयरिंग में भी पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। बहुत दिनों से, छः सात वर्षों से रोलिंग स्टाक को मेनटेनेंस नहीं होता था। इधर हमने शुरू किया है। मैंने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया है।

श्री सत्यनाराण जटिया : पटना की दुर्घटना के क्या कारण थे ? उसके बारे में कहना चाहता हूं कि 25 हजार टोटल कोचेज हमारे पास हिन्दुस्तान में हैं और उसमें साढ़े सात हजार कोचेज ओवर-एजेड हैं। यही स्टाक हमको मिला और इस स्टाक को इम्प्रूव करके सारे हिन्दुस्तान में··· (व्यवधान)··· कृपया मेरी बात सुनें।

हाउस को मैं चाहता हूं कान्फिडेंस में लेकर जो बातें हैं वह आपसे साफ-साफ कहूं, 25 हजार कोचेज का टोटल स्टाक है जिसमें साढ़े सात हजार कोचेज ओवर-एजेड हैं और उससे सारे देश में हम 11 हजार गाड़ियां चला रहे हैं। जो भी स्टाक है उसी से मैनेज कर रहे हैं।··· (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : पटना के बारे में बताइए।

श्री केदार पांडेय : पटना के अन्दर जो कोच के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे तो दूसरा कोई कोच अवेलेबल वहां नहीं था इसलिए वह दिया गया। बाकी ओल्ड कोचेज को हम रिप्लेस कर रहे हैं। हर साल बारह सौ कोच बढ़ाकर कर रहे हैं। यह हालत है और इसी हालत में हमें इस काम को करना है। आप मेरी कठिनाइयों को समझें।

श्री माधवराव सिंधिया : दुर्घटनाओं के कारणों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण से यह साफ देखा जा सकता है कि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा अकेला कारण मानवीय चूक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या रेलवे ने हाल ही में अनुसंधान निदेशालय में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के मनो-तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण की व्यवस्था शुरू की है, और यदि हां, तो इस गतिविधि में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

दूसरा, रेलवे के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कई समितियां गठित की गई हैं। इनमें से सबसे नयी समिति श्री बी० डी० पांडे की अध्यक्षता में बनी रेल सुधार समिति है। मैं यह जानना चाहूंगा कि रेल सुधार समिति के अन्तर्गत किन क्षेत्र को लाए जाने का विचार है और इसके विचारणीय विषय क्या होंगे, ये क्षेत्र क्या है जो इसके अन्तर्गत आएंगे और इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की सम्भावना है।

तीसरे, आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं ? राष्ट्र के भविष्य निर्धारण में हम एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं और हमारी सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इन रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए मुझे रेल मंत्रालय से यह अनुरोध करना है कि वे हमें इसकी बजाय विमान के पास जारी करे जिसका खर्चा वे उठाएं जिससे कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आपका सुझाव इस बात का संकेत देता है कि मुझे गाड़ी से यात्रा नहीं करनी चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता के लिए आर० डी० एस० ओ० द्वारा संचालित मनो-तकनीकी परीक्षण आवश्यक हैं। प्रत्येक मनुष्य में चाहे वह क, ख अथवा ग कोई भी हो, कुछ आवश्यक विभिन्न अंग होते हैं, उदाहरणार्थ एक ड्राईवर अथवा एक प्वाइन्ट मैंने, उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए यह परीक्षण किया जा रहा है और यह लागू है। अधिकांश कर्मचारी, जो प्रचलन कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, का मनो-तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्रियों सहित ?

श्री मल्लिकार्जुन : हम तीनों आर० डी० एस० ओ० में गए। हम उस विशिष्ट प्वाइंट तक गए जहां यह मनो-तकनीकी परीक्षण किया जाता है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : हमारा परीक्षण यहां किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप परीक्षण में उत्तीर्ण रहे ?

श्री मल्लिकार्जुन : रेल सुधार समिति के पास काफी विस्तृत विचारणीय विषय हैं। विशेषकर जोन और डिवीजनों के निर्माण में और प्रचलन और रखरखाव के कर्मचारियों के मामले, उनका कल्याण और अन्य कई मामले जो कि सम्पूर्ण रेल प्रणाली को कवर करते हैं के बारे में रेलवे से सम्बन्धित सभी पहलू। **(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया : विमान पासों के बारे में क्या हुआ है ? **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : विमान यात्रा सदैव सुरक्षित रहती है। **(व्यवधान)**

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष महोदय, पटना में जो एक्सीडेन्ट हुआ, उसी डिब्बे में मैं भी ट्रैवल कर रही थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मुबारकबाद देता हूं ।

श्रीमती संयोगिता राणे : माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक एक माननीय सदस्य बोलें ।

श्रीमती संयोगिता राणे : मन्त्री जी ने कहा है कि उनके पास डिब्बा नहीं था (व्यवधान) मन्त्री जी वहीं पर थे और सुबह मिलने के लिए आये थे तो सी० एस० ओ० उनके साथ था । मैंने कहा था कि आपने इतना खराब डिब्बा दे दिया कि दस मिनट के अन्दर ही एक्सीडेन्ट हो गया जबकि बाकी ट्रेन इनटैक्ट रही । उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आपको ए सी टू टीयर दे रहे थे लेकिन मि० गुप्ता का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने रेफ्यूज कर दिया । गुप्ता को रेफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी और जब मैंने मि० गुप्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी नहीं कहा था । जबकि मन्त्री जी यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डिब्बा नहीं था लेकिन सी० एस० ओ० ने कहा था कि ए सी टू टीयर डिब्बा उनके पास था ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मुझे दूसरी जानकारी नहीं है । हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री केदार पांडे : इसके बारे में हम जांच करेंगे लेकिन एक बात है कि उस वक्त जो डिब्बा गया वह गया किधर ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी डिब्बे में थे क्या ?

श्री केदार पांडे : मैंने जाकर डिब्बा देखा था वह चलने लायक था, इतना पुराना नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि केवल जांच ही न करें बल्कि जो फैसले हों उनको लागू करने में एफीशिएन्सी हो और कुछ डिसिप्लिन को लागू करें । जब लागू करने की बात आती है तो कोई ताकत उनको रोक नहीं सकेगी ।

सहारनपुर शाहदरा ब्राड गेज सैक्शन

273. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के निर्माण कार्यक्रमों में यह निश्चय किया गया था कि सहारनपुर-शाहदरा ब्राड गेज सैक्शन को दिल्ली जंक्शन तक बढ़ाया जायेगा और शाहदरा-सहारनपुर गाड़ियां 15 अगस्त, 1981 से दिल्ली जंक्शन से चलने लगेंगी;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली शाहदरा सैक्शन का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया गया है और यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल, संसदीय कार्य एवं शिक्षा व समाज कल्याण उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली शाहदरा और दिल्ली मेन स्टेशनों के बीच पहले से ही दोहरी लाइन है। 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम में इस आशय का कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि 15.8.81 से दिल्ली जंक्शन से सहारनपुर के लिए थ्रू गाड़ियां चलायी जायेगीं।

(ख) और (ग) दिल्ली-शाहदरा में जंक्शन संबंधी प्रबंध तथा दिल्ली मेन में टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। धन की तगी के कारण ये कार्य पूरे नहीं हुए हैं।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-शाहादरा सेक्शन के निर्माण के सिलसिले में जो जवाब आया है कि वर्क प्रोग्रेस में है, फंड्स के कांस्ट्रेन्ट की वजह से काम पूरा नहीं हुआ हैं, मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि प्रोग्रेस कितनी हुई है और इसके कंप्लीशन में कितना समय लगेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : शाहदरा में टर्मिनल फैसिलिटीज के लिए 1.67 करोड़ का एलोकेशन है और दिल्ली मेन पर टर्मिनल फैसिलिटीज के लिए 1.55 करोड़ का एलोकेशन है। टर्मिनल फैसिलिटीज के निर्माण का काम काफी प्रोग्रेस में है और जल्दी से जल्दी पूण हो जायेगा।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाइटेन्ड क्वैश्चन किया था कि काम कबतक पूर्ण हो जायेगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 1982 में।

इरानियन इस्लामिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों का पुणें के एक अंग्रेजी दैनिक के कार्यालय में अचानक पहुंच जाना

274. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इरानियन इस्लामिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य पुंणे के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के कार्यालय में अचानक पहुंच गये थे और माग की कि उस पत्र द्वारा प्रकाशित किये गये एक समाचार का खण्डन प्रकाशित किया जाये;

(ख) क्या भारतीय प्रेस परिषद् ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कूटनायिक माध्यमों से इन ईरानी छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) इरानियन स्टूडेंट्स इस्लामिक एसोसिएशन यूनियन के कुछ विद्यार्थियों ने 21 सितम्बर, 1981 को महाराष्ट्र हेराल्ड के पुणे कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। उक्त पत्र के सम्पादक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया ने 5 नवम्बर, 1981 को इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और यह सुझाव दिया कि मामल को राजनयिक माध्यमों से उठाया जाए। सरकार 5 नवम्बर, 1981 से पहले ही अपनी ओर से कार्रवाही कर चुकी थी।

श्री संतोष मोहन देव : प्रेस की स्वतन्त्रता एक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत धारणा है और कोई भी दल, चाहे दूसरा कोई भी स्वरूप हो, इस मामले की निन्दा करेगा । मंत्री महोदय इसने चुस्त थे कि उन्होंने प्रेस परिषद द्वारा ध्यान आकर्षित करने से पूर्व ही इस पर कार्यवाही की । परन्तु खेद है कि, यद्यपि एक महीना और दस दिन बीत चुके हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा है कि इस पर ईरान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत द्वारा ईरान सरकार के पास यह मामला उठाए जाने पर ईरान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी ? क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि इस देश में ईरान समुदाय के कितने विद्यार्थी हैं, उनमें से कितने अशंकालिक हैं और कितने पूर्ण-कालिक ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ विद्यार्थी वास्तव में विद्यार्थी नहीं हैं,परन्तु विद्यार्थी बनाकर इस देश में इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस मामले को राजनीतिक मार्ग से उठाया गया था । निस्संदेह, हमने किसी प्रतिक्रिया की आशा नहीं की थी; हमने अपने अनुरोध के अनुपालन की आशा की थी । जहां तक हमें मालूम है, इस अनुरोध का अनुपालन किया जा रहा है । इस मामले के बाद इस प्रकार का और कोई मामला नहीं हुआ ।

जहां तक संख्या का सम्बन्ध है, हमारे देश में 15,000 से 20,000 तक ईरानी छात्र है, जो कि अधिकाशंत: बंगलौर, हैदराबाद, पूना, भोपाल, दिल्ली, चण्डीगढ़ और लुधियाना में हैं । यह संख्या बहुत बड़ी है । मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इनमें से कुछ छात्र वास्तव में छात्र नहीं है । मैं नहीं सोचता कि हमारे देश में विद्यार्थियों के बीच में किसी अन्य को किसी अन्य कार्य के लिए भेजा गया हैं । वे विद्यार्थी है और केवल विद्यार्थी । कुछ अन्यों की अपेक्षा अधिक परिश्रमी है ।.परन्तु, जहां तक मैं जानता हूं, वे सभी विद्यार्थी हैं ।

श्री संतोष मोहन देव : मंत्री जी के कूटनीतिक उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए…?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उत्तर का सम्बन्ध है उन्हें कूटनीतिक होना ही चाहिए ।

श्री संतोष मोहन देव : देश का कानून भारतीयों और विदेशियों के लिए एक ही है । यह प्रश्न प्रेस और विदेशियों से सम्बधित है । इसलिए, इसका अन्तरदायित्व गृह मंत्री पर स्थानांतरित किए बिना, क्या वे बतायेंगे कि दोषी छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं उस से अधिक ब्योरा देने की स्थिति में नहीं हूं जो कि इस समय मेरे पास है और जो जानकारी मेरे मंत्रालय का दी गई थी । 18 सितम्बर को 35 छात्र गिरफ्तार किये गये थे और इसके बाद 25 छात्र और हिरासत में लिए गये । किन्तु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया ।

श्री ए० टी० पाटिल : क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून या अपने देश के कानून के अधीन नियमों के अनुसार विदेशी राष्ट्रिकों को राजनीतिक उद्देश्य से कोई भी संगठन बनाने की अनुमति नहीं है ?

यदि हां तो भारत-भूमि पर विदेशियों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि मैंने बताया है इस मामले को राजनीतिक तरीकों से लिया गया है । उनसे कह दिया गया है कि वे अपने छात्रों को यह सलाह दें कि वे इस देश में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न करें और न ही ऐसी समस्या में अन्तर्गस्त हों ।

श्री रतन सिंह राजदा : विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशी राजदूतावासों के लिए चरित्र सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त और संहिताएं होनी हैं । इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि ईरानी दूतावास की दीवारों पर कुछ नारे लिखे हैं: जैसे "ओ, विश्व के पददलित लोगो, उठो और एक हो जाओ ताकि अत्याचारी भगाया जा सके, चूंकि धरती अल्लाह की है और उसके उत्तराधिकारी बहादुर हैं—अयातुल्ला खुमैनी" जब तक आप अमरीका का विरोध करते हैं, तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे—अयातुल्ला खुमैनी" । ये नारे स्वयं राजदूतावास द्वारा लिखे गये हैं । यह एक अन्य मित्र देश के विरुद्ध प्रचार है । दिल्ली में इसके अतिरिक्त किसी अन्य राजदूतावास ने ऐसा व्यवहार नहीं किया है । यह एक गम्भीर मामला है । 'अमरीका मुर्दाबाद' जैसे नारे भी वहां लिखे हैं । चूंकि, ये गतिविधियां राजधानी में ही की जा रही हैं, इसलिए मै जानना चाहता हूं कि क्या ईरानी राजदूतावासा का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और उनसे कह दिया गया है कि वे अपना व्यवहार ठीक से करें ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह प्रश्न छात्रों से और पुणे की एक विशिष्ट घटना से सम्बन्धित है । मैं उस मामले के बारे में अधिक नहीं जानता जो अब माननीय सदस्य ने उठाया है। मैं इस बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा । अब मैं इस से अधिक कुछ नहीं कर सकता ।

श्री रतन सिंह राजदा : मेरे पास इसके फोटोग्राफ हैं । मैं उन्हें मंत्री महोदय को दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें मन्त्री को दे दीजियेगा ।

डा० कर्ण सिंह : भारत सदा ही ज्ञान का एक बड़ा केन्द्र रहा है । हजारों वर्षों से यहां विदेशों से छात्र अध्ययन हेतु आते रहे हैं । यह तो अच्छी बात है कि वे छात्र विदेशों से आये हुए हैं। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि स्वयं ईरान से 15,000 से 20,000 छात्र तक यहां आये हुये हैं । यदि अन्य देश के छात्रों को भी सम्मिलित किया जाये तो विदेशी छत्रों की संख्या कई लाख में पहुंचेगी । मेरे विचार से कोई घटना होने पर उसके बारे में राजनीतक तरीके से बातचीत करना मात्र ही प्रर्याप्त नहीं है । क्या मन्त्री महोदय विदेशी छात्रों की समस्या पर समग्र रूप से विचार करेंगे ? हम उनका स्वागत करते हैं । वे हमारे अथिति हैं । परन्तु जब तक वे हमारे देश में है तब तक उन्हें एक विशिष्ट प्रकार से व्यवहार करना चाहिए । यह अशोभनीय है कि विदेशी छात्र हमारे समाचार पत्रों पर आक्रमण करें । मेरे विचार से यह विदेशी छात्रों से अपेक्षित उचित व्यवहार से बाहर की बात है । क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करेंगे और देशों और उनके राजदूतावासों को सूचित करेंगे और जो छात्र उनका उल्लंघन करें, उन्हें देश से निकालने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस देश में विदेशी छात्रों की कुल संख्या लगभग 50.000 है। उनमें से सभी का व्यवहार प्रतिकूल नहीं पाया गया है। ऐसी अन्य कोई घटना नहीं है। जहां तक मुझे पता है यह अपनी किस्म की पहली घटना है।

डा० कर्ण सिंह : कुछ घटनाएं पहले भी हुई हैं। शिक्षा मन्त्रालय में ऐसी घटनाओं का रिकार्ड उपलब्ध है। माननीय मन्त्री वहां से देख सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपकी बात सच हो सकती है। वास्तव में हम इस प्रकार के नियम नहीं बना सकते। नियम सर्वविदित हैं। विदेशी छात्रों से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है वह सबको पता है। आज की स्थिति यह है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक तरीके से इन मामलों को लेते हैं। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक हम कुछ कर सकते हैं।

डा० कर्ण सिंह : क्या आप इन्हीं मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राजदूतावासों को पुनः नहीं बता सकते ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां, ऐसा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

†277. **प्रो० रूपचन्द पाल** :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संबंधी प्रलेख को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० रूपचन्द पाल : माननीय मंत्री का उत्तर यह है कि कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अन्तिम रूप से नहीं बनाई गई है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार ऐसी नीति कब तक घोषित करेगी ?

श्री निहार रंजन लास्कर : उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है जैसे ही इसे मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा, मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या सरकार हाथी समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किये जाने की घोषणा करेगी ? हाथी समिति ने सिफारिश की थी कि प्रो० फाइलेटिक्स और थ्योरेटिक्स की उपलब्धता को खाद्य और आवास के समान ही उच्च प्राथमिकता दी जाये । उसकी एक प्रमुख सिफारिश यह भी है कि उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य फर्मों का राष्ट्रीयकरण किया जाये जो देश को लूट रही हैं । क्या सरकार हाथी समिति की इन मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करेगी ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मोटे रूप से मैं यह कह सकता हूं कि स्वास्थ्य नीति के इस प्रारूप में स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में रोग निवारक, स्वास्थ्यवर्धक और पुनर्वास सम्बन्धी पहलुओं पर बल दिया गया है और देश के दूरस्थ तथा लक्षित क्षेत्रों में लोगों को परिवार कल्याण-सवाओं सहित स्वास्थ्य-चिकित्सा सेवाएं बड़े पैमाने पर प्रदान करने पर भी बल दिया गया है । इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी वर्गों के लोगों के लिए पर्याप्त पोषाहार, जल सप्लाई अच्छी प्रकार की सफाई-व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की ये कुछ मुख्य बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट वितरण में परिवर्तन

245. **श्री नारायण चौबे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट उत्पादकों को सीमेंट के वितरण का काम सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सीमेंट की वितरण नीति में परिवर्तन करने पर विचार करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशेष घटक योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को नियतन

*246. **श्री भाऊसाहिब थोरट :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए महाराष्ट्र राज्य की 1981-82 के वार्षिक बजट में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई;

(ख) क्या यह महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर की गई है;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों में से धर्म परिवर्तित नवबुद्धों का भाग कितना है;

(घ) विशेष घटक योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की बकाया राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस वर्ष में उक्त बकाया राशि का उपयोग करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) महाराष्ट्र राज्य के वार्षिक बजट 1981-82 के प्रावधान में से विशेष घटक योजना के अन्तर्गत योजनाओ के लिए 4201.08 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार और अन्य संबंधित सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य योजनाओं के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में सम्बद्ध योजनाओं तथा कार्यक्रमों से उनके लिए पर्याप्त परिव्यय की मात्रा निर्धारित करके अपनी विशेष घटक योजनाओं का आकार कर करें । महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि उन्होंने अपनी विशेष योजना तदनुसार और राज्य के पास धनराशि की उपलब्धता के अनुसार बनाई है ।

(ग) अनुसूचित जातियों में धर्म परिवर्तित नवबुद्ध अनुसूचित जातियों के बराबर विशेष-घटक योजना के लाभों के पात्र हैं । नवबद्धों का हिस्सा अलग से तैयार नहीं किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) : 1980-81 के दौरान विशेष घटक योजना पर किये गये वास्तविक व्यय की प्रगति के बारे में योजना आयोग में होने वाले वार्शिक विशेष घटक योजना (1980-81) के विचार-विमर्श के दौरान विचार किया जाना है । विशेष घटक योजना (1982-83) पर वार्षिक व्यय राज्य सरकार द्वारा 1982-83 के विशेष घटक योजना दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाना है । 1982-83 के विशेष घटक योजना दस्तावेज के राज्य सरकार से शीघ्र प्राप्त होने की आशा है । विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार बजट आवंटन वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाते हैं ।

अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने हेतु मार्गदर्शी निर्देश

*247. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लघु क्षेत्र के उद्यमियों के हितों की रक्षा के उपाय के रूप में लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए आरक्षित की गई मदों के लिए अनेक बड़े उपक्रमों द्वारा बनाई गई अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा 29 अगस्त, 1980 को घोषित अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने की सुविधा लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुओं के मामले में उपलब्ध नहीं है। अतः इस संदर्भ में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बच्चों में अन्धापन

*248. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग अध्ययन दल ने बच्चों में अन्धापन के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी (राज्यवार) ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने अन्धापन रोकने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई धनराशि भी मंजूर की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के अनुमोदक से अंधेपन और दृष्टि दोष को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक कार्यक्रम वर्ष 1976-77 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को कुछ नए संघटकों को जोड़ते हुए छठी योजना में और बढ़ाया गया है।

(घ) इस स्कीम के लिए 1976-80 की अवधि में 4.80 करोड़ रु० की राशि का उपयोग किया गया। छठी योजना के लिए इस कार्यक्रम के लिए 22 करोड़ रु० का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से 18 करोड़ रु० राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत दिए जाने है और शेष राशि को केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत स्कीमों के लिए निर्धारित किया जाना है।

(ङ) इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य संघटक निम्नलिखित हैं—

(1) डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान संस्थान का कार्मिकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए नेत्र विज्ञान संबंधी शिखर संस्थान के रूप में और अंधेपन को रोकने के लिए सरकार को नीतियों के बारे में सलाह देने के लिए विकास किया जाना है ।

(2) जनशक्ति के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और आखों की देखभाल के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में छः क्षेत्रीय संस्थान बनाए जाएंगे ।

(3) नेत्र चिकित्सकों और नेत्र चिकित्सा सहायकों के प्रशिक्षण तथा आंखों की बीमारियों और आंखों की देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों सहित 60 मेडिकल कालेजों के नेत्र विज्ञान विभागों का विकास किया जाएगा ।

(4) लोगों को नेत्र विज्ञान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपकरणों सहित 400 जिला अस्पतालों में नेत्र चिकित्सकों और नेत्र चिकित्सा सहायकों की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आवश्यक उपस्कर और प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सा सहायकों की व्यवस्था करके देश के 3,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आंख स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के योग्य बनाया जाएगा ।

(6) विशेषकर मोतियाबिन्द की बीमारी से पीड़ित हजारों व्यक्तियों को फिर से नजर बहाल बनाने के लिए मोतियाबिन्द के आपरेशनों का आयोजन करने के लिए देश के सुदूर निनी और अगम्य क्षेत्रों में आंखों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए शिविरों का संचालन करने के लिए 80 चल इकाइयां स्थापित की जाएंगी ।

(7) स्वैच्छिक संगठनों को भी आंखों के शिविरों के संचालन के लिए अनुमोदित स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

इसके अतिरिक्त अंधेपन और दृष्टिदोष को नियंत्रित करने से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा परिवार कल्याण विभाग के बजट के अंतर्गत एम० सी० एच० कार्यक्रम में बच्चों को विटामिन "ए" को तरल रूप में देकर उन्हें विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अंधेपन से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है ।

टूथपेस्ट का उत्पादन करने वाले लघु उद्योग तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा

*249. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के टूथपेस्ट उत्पादकों ने देश में टूथपेस्ट की एक प्रमुख उत्पादन कर्त्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा अपना उत्पानन बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयास के विरुद्ध सरकार से अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) आल इंडिया टूथपेस्ट एण्ड टूथ पाउडर मैन्यु फैक्चरर्स एसोसिएशन बंबई एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि मे० कोलगेट पालमोलिन (इंडिया) लि०, बम्बई ने टूथपेस्ट और टूथ पाउडर बनाने की अपनी अधिष्टापित क्षमता में वृद्धि कर ली है। अभ्यावेदन आवश्यक जांच पड़ताल के लिए तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेज दिया गया है। सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि उद्योग बिकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 13 (1) (घ) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए उक्त अधिनियम, की धारा 24 (1) के अन्तर्गत उसके खिलाफ दण्डनीय कार्रवाई क्यों न आरंभ की जाए।

नवीकरणीय ऊर्जा के निरूपण-एकक

*250. **श्री कमल नाथ** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से प्रत्येक जिले में तुरन्त ही नवीकरणीय ऊर्जा के निरूपण एकक स्थापित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) मध्य प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे एकक स्थापित किये जाने हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी कार्यक्रम तथा समूचे तौर पर निर्धारित लक्ष्यों की मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

(ख) चालू वर्ष के अंत तक देशव्यापी आधार पर ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किये जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन यूनिटों का लक्ष्य इस प्रकार है—

(1)	सौर प्रकाश वोल्टीय पम्पसैट	50
(2)	सौर जल तापीय प्रणाली	10
(3)	सौर फसल शुष्कक और इमारती लकड़ी के भट्टे	10
(4)	सौर विलवणीकरण संयंत्र	2
(5)	सौर शीत संग्रहागार	1
(6)	पवन चक्कियां	300
(7)	सामुदायिक जैव गैस संयंत्र	30

कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना के अधीन चालू वर्ष के दौरान 35,000 पारिवारिक आकार के जैव गैस संयंत्र स्थापित किये जाने हैं।

अतिरिक्त प्रदर्शन यूनिटों पर कार्य इस वर्ष के दौरान आरम्भ किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदर्शन यूनिट कई राज्य सरकार के संगठनों और अनेक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा भी स्थापित किये जा रहे हैं।

(ग) आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में जिन प्रदर्शन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं—

(1) ट्रैक्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्टेशन बुदनी में सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैट (पहले से ही चालू किया जा चुका है)।

(2) भोपाल स्थित सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैट (पहले से ही चालू किया जा चुका है)।

(3) सिरौन स्थित रूरल इलैक्ट्रिक को-आपरेटिव में सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैट (प्रतिष्ठापित किया जा रहा है)।

(4) शापुरा में सामुदायिक जैव गैस संयंत्र (निर्माणाधीन)।

(5) आषटा में डेरी कम्प्लैक्स में सौर जल तापन परियोजना (डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है)।

राज्य सरकार से सौर, पवन और जैव गैस प्रदर्शन यूनिटों की राज्य और राज्य स्तर के संगठनों द्वारा प्रतिष्ठापना कार्य को हाथ में लेने के लिए और स्थानों का अभिनिर्धारण किया जा रहा है। सी० ए० एस० ई० के परामर्श से कार्यक्रमों और लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के लिए व्यापक उपागम में बड़े पैमाने पर और देशव्यापी आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर बल दिया जा रहा है ताकि ऐसी प्रौद्योगिकियों का क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन किया जा सके जो कि पहले से ही ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी हैं जिससे क्षेत्रीय अनुप्रयोग और वाणिज्यीकरण किया जा सकता है। इस समागम के अनुसार, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने पिछले वर्ष के दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शन नवीकरणीय ऊर्जा एककों की प्रतिष्ठापना को मुख्य प्रोत्साहन दिया है। समग्र लक्ष्य यह है कि देश के प्रत्येक जिले को छठी योजना के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों पर आधारित कम से कम एक प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट प्रदान किया जाये।

चालू वर्ष के दौरान जिन कुछ मुख्य प्रतिष्ठापनों को पूरा किया गया है उनमें कपड़ा मिलों, बेकरी, आसवन शाला, डेरी परिसर, कुष्ठ रोग हस्पताल और औद्योगिक कैन्टीन में बृहद् सौर जल तापक प्रणालियां लगाना शामिल है। तम्बाकू के उपसाधन और शोषण के लिए एक शुष्कक

प्रतिष्ठापना की गई है और एक ओर वृहद अनाज शुष्कक पूरा होने को है। एक वृहद सौर शीत संग्रहागार का निर्माण किया जा रहा है और एक गांव की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सौर शक्ति संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। सौर विलवणीकरण संयंत्र कई स्थानों पर प्रतिष्ठापित किये जा रहे हैं। जल पम्पन, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों की प्रतिष्ठापना के कार्य का अत्यधिक विस्तार किया गया है। इस वर्ष के दौरान कई स्थानों पर बड़े सामुदायिक जैव गैस संयंत्रों पर कार्य आरम्भ किया गया है; अब तक उनमें से दो पूरे किये जा चुके हैं। और कुछ अन्य पूरे होने को हैं। कुछ बिचौले और बड़े नगरों में बड़े मल गैस सयंत्रों के निर्माण कार्य को भी हाथ में लिया गया है। जल पम्पन पवन चक्की के लिए एक मुख्य प्रदर्शन कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर वास्तविक क्षत्रीय परिस्थितियों में 30 पवन चक्कियां प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं। $\frac{1}{2}$-1$\frac{1}{2}$ टन की क्षमता परास में बैटरी चालित गाड़ियों के आदि प्ररूपों को सविरचना की गई है; और उनका इस समय कार्य निष्पादन परीक्षण किया जा रहा है। अनेक आदि प्ररूपों की सविरचना की जा रही है नवीकरणीय ऊर्जाओं पर आधारित एकीकृत ऊर्जा परियोजनाओं को कुछ चुने हुए स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि एक गांव की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सक। राज्य सरकारों के परामर्श से और स्थानों का अभिनिर्धारण किया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष के मुकाबले में तीन गुना वृद्धि हुई है।

आन्ध्र प्रदेश में न्यूक्लियस संयंत्र शुरू करने के लिए सहायता

*251. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि न्यूक्लियस संयंत्र शुरू करने हेतु अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण

*252. **श्री एन० ई० होरो**
श्री हरिनाथ मिश्र

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस बात का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है कि क्या रोजगार कार्यालय बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों कुशल तथा अकुशल दोनों ही को अपना काम आरम्भ कराने में सहायक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नियुक्त दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत, प्रत्येक जिले में एक एक जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषद गठित की जा रही है। इस परिषद् में लोगों के प्रतिनिधि और सम्बन्धित विभागों, ऋण संस्थानों, स्वैच्छिक अभिकरणों और शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि होंगे। आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्व-रोजगार परियोजनाओं के क्षेत्र के सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्यांकन के आधार पर यह परिषद प्रत्येक जिले में अन्य बातों के साथ साथ, स्व-रोजगारी के लिए उपलब्ध व्यवहार्य निवेश अवसरों का पत्रा-धान तैयार करवाएगी। इस प्रकार की नीति रोजगार कार्यालयों से एक नयी भूमिका निभाने की मांग करती है जिसके अन्तर्गत उन्हें नौकरी चाहने वालों को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिए उनमें उपयुक्त रूप से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

सभी राज्यो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे 31 दिसम्बर, 1981 तक जिला जन जाति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित करें। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, मिजोरम और दिल्ली में जिला परिषदें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं।

"गन रनिंग फ्राम यू० पी० टू० नागालेंड"

*253. **श्री नवलकिशोर शर्मा :**

श्री बी० वी० देसाई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 अक्तूबर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "गन रनिंग फ्राम यू० पी० टू नागालेंड" (बन्दूकों का उत्तर प्रदेश से नागालेंड जाना) शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या नागा विद्रोहियों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले स्रोतों का पता लग गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बारे में असफलता के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) असम मेल से यात्रा कर रहे नागालैंड के दो युवकों को 19 अक्तूबर, 1981 को मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेजों के बिना 12 बोर तथा 22 राइफल के कुछ कारतूस थे और शस्त्र अधिनियम के अधीन उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था।

(ग) और (घ) जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि इस घटना और भूमिगत नागाओं की गतिविधियों के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। ये कारतूस भारतीय आर्डोनिस फैक्ट्रियों में बने थे और इनका प्रयोग सामान्यतः शिकार खेलने के लिए किया जाता था। मामला विचारणाधीन है।

पश्चिम बंगाल को मांस चर्बी की सप्लाई

225. **श्री सुधीर गिरि :** क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांस चर्बी के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) केन्द्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल को कितनी मांस चर्बी आवंटित की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल को वास्तव में कितनी मांस चर्बी दी गयी ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विभिन्न राज्यों ने जिनमें पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है अपने राज्य के लाण्डरी साबुन उद्योग की तेल और वसा या भेड की चर्बी की कुल वार्षिक आवश्यकता को नहीं आंका है।

(ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा विगत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को भेड़ की चर्बी का किया गया आवंटन निम्नलिखित है :

जनवरी 1979 से मार्च 1980	4027 मी० टन ✓
अप्रैल 1980 से मार्च 1981	3222 मी० टन ✓
अप्रैल 1981 से मार्च 1982	3222 मी० टन ✓

(ग) राज्य का निगम द्वारा दिया गया	2387 मी० टन ✓
राज्य द्वारा लिया गया	1826 मी० टन ✓
व्ययगत	561 मी० टन ✓
अभी दिया जाना है	1640 मी० टन ✓

1980-81 } कलकत्ता में भंडारण की समस्या के कारण राज्य सरकार निगम द्वारा
1981-82 } वास्तव में मालका कुछ भी संभरण नहीं किया जा सका।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पर्वतीय मण्डलों के लिए स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना

*256. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा 23 सितम्बर, 1981 को पारित उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में तीन पर्वतीय उप-मंडलों के लिए सांवैधानिक स्वायत्त प्राधिकरण स्थापित किये जाने का सुझाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान में उचित संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 सितम्बर, 1981 को विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार को भेजी है जिसे सदन के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3061/81**]

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव पत्र, जिसके साथ प्रस्ताव भेजा गया है, की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा 'एव्रो' एच० एस० 748 विमानों का उत्पादन बन्द

*257. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दिनों 'एव्रो' एच० एस० 748 विमानों का उत्पादन हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में हो रहा था और वे भारतीय वायुसेना में उपयोग में लाए जा रहे थे लेकिन अब उनका उत्पादन बन्द कर दिया गया है और भारतीय वायुसेना ने उन सबका इस्तेमाल बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व के अन्य देशों में इसी प्रकार के विमानों का उत्पादन हो रहा है और वे विमान समुद्र में खोज करने, निगरानी, आदि के कार्य में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्याहै ;

(ङ) क्या सरकार विदेशों से उनमें से कुछ विमान खरीदने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो भारतीय विशेषज्ञ 'एव्रो' एच० एस० 748 विमान को उपयोगी क्यों नहीं बना सके जबकि अन्य देशों के विशेषज्ञों ने बनाया है; और

(छ) क्या ऐसे ठोस कदम उठाए जायेंगे जिनसे हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड सही ढंग से अपनी भूमिका पुन: निभानी शुरू कर दे ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस समय एव्रो एच० एस०-748 का हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में उत्पादन हो रहा है और भारतीय वायु सेना में उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है। यह बात सही नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इन विमानों का इस्तेमाल बन्द कर दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार एच० एस०-748 विमान का उत्पादन केवल यू० के० में हो रहा है। निर्माताओं ने इसका विकास समुद्री टोह लेने, पनडुब्बी रोधी युद्ध कार्य आदि के लिए तट-रक्षकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप किया है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। समुद्र में खोज आदि के लिए एच० एस०-748 को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इसमें कुछ संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(छ) इस पहलू पर सरकार निरन्तर ध्यान रखती है।

"इनफ्लेशन हैज हिट प्लान रिसोर्सेज" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

*258. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री रामविलास पासवान :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 5 नवंबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इनफ्लेशन हैज हिट प्लान रिसोर्सेज" (मुद्रा-स्फीति से योजना के संसाधन प्रभावित) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना मन्त्री ने यह भी कहा था कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में गैर-योजना व्यय में वृद्धि तथा लगातार ओवर ड्राफ्ट किये जाने जैसी कुछ बाधाएं ध्यान में आई हैं; और

(ग) मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण करने और राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट किये जाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

(विवरण)

(क) और (ख) : जी, हां।

(ग) मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा ये महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं—(1) बैंक की दर को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करके कठोर मुद्रा सम्बन्धी नीति; नकद आरक्षित निधि दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करना तथा और बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना, यह वृद्धि नवंबर, 1981 से आरंभ करके प्रावस्थाबद्ध रूप में प्राप्त की जाएगी; सांविधिक नकदी अनुपात को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना; धान, चावल और अन्य खाद्यान्नों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में बैंक ऋण की उपांत राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करना; (2) देशीय पूर्ति को बढ़ाने के लिए खाद्यान्न, खाने के तेल और चीनी का आयात करना; (3) औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधार संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना; (4) आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए अध्यादेश जारी करना; और (5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना। राज्य सरकारों से योजना व्यय को उपलब्ध संसोधनों के भीतर बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करने और वर्ष 1981-82 को घाटे के बिना बन्द करने के लिए कहा गया है।

राज्य के अधिविकर्ष को विनियमित करने से सम्बन्धित स्कीम के अनुसार, राज्यों से अपने व्यय की गति को प्राप्तियों के अन्तर्वाह के अनुसार समायोजित करने और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों में 7 कार्य-दिवसों से अधिक समय के लिए अधिविकर्ष न होने देने के लिए आशा की जाती है। अधिविकर्ष या तो राज्यों के बजट में संरचनात्मक असंतुलन के कारण या राज्यों की नकद प्राप्ति में अस्थायी विचलनों या विषमताओं के कारण होता है। इस समय कुछ ऐसे राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है जिनकी 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए अपने संसाधनों में अन्तर है ताकि चालू वर्ष में रिजर्व बैंक से कोई अधिविकर्ष न होने देने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें।

अपराधियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम

*259. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अपराधियों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं जिनसे वे देश के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में समाज में रचनात्मक कार्य कर सकें; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने अपराधियों का सुधार करके उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) "जेलें" राज्य का विषय है और इसलिए जेलों का प्रशासन और वहां बन्दी व्यक्तियों का भरण-पोषण तथा देखभाल करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार अपराधियों के सुधार तथा पुनर्वास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जेल प्रशासन सुधारने में राज्यों को सहायता करने के लिए उनको सलाह तथा सहायता देती है। किए गए कुछ उपाय हैं—बंदियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है, प्रौढ़ शिक्षा तथा सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन गतिविधियां और मजदूरों के रूप में पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ कार्य केन्द्र खोलना । सातवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार जेल प्रशासन में सुधार के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ।

(ख) भारत सरकार इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती ।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को हुई हानि

***260. श्री माधव राव सिंधिया :** क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को इसके द्वारा निर्मित स्कूटरों में किए गए सुधारों के बावजूद, वर्ष प्रतिवर्ष हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे 1980-81 और पहले के दो वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई;

(ग) निरन्तर हानि होते रहने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रतिष्ठान को सक्षम और लाभकर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई और की जा रही है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) स्कूटर्स इण्डिया लि० को जो हानियां हुई हैं उनका विस्तृत व्योरा निम्न प्रकार है :—

	(लाख रु० में)
1978-79	474.54
1979-80	445.42
1980-81	490.02

(ग) हानियों का मुख्य कारण उत्पादन की कम मात्रा तथा भारी ब्याज का बोझ है ।

(घ) बाजार रुख के अनुसार ये उत्पादों के लिए विवधीकरण, निर्माण की विभिन्न मदों का उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त निवेश की लिए धन जुटाने तथ बढ़ी हुई उत्पादकता तथा उत्पादन की उच्चतर मात्रा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है ।

भारी इन्जीनियरिंग निगम के विविधिकरण कार्यक्रम

***261. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इन्जीनियरिंग निगम द्वारा उत्पाद विविधिकरण के किन-किन नए कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है या आरम्भ किए जाने वाले हैं;

(ख) क्या भारी इन्जीनियरिंग निगम इस वर्ष निर्यात बाजार में प्रवेश कर चुका है अथवा उसका ऐसा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और उन देशों को कितना निर्यात किए जाने की संभावना है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारी इन्जीनियरी निगम ने वाकिंग ड्रेगलाइन्स और ओवरबर्डन ड्रिलों का निर्माण हाल ही में प्रारम्भ किया है और 10 एम^3 शावली, रोल ग्राइन्डिग वर्टिकल टर्निग और बोरिंग मशीनों मशीनों और प्लेनी-मिलिंग मशीनों का निर्माण करने की इसकी योजना है।

(ख) यह कम्पनी पहले से ही निर्यात बाजार में है।

(ग) भारी इन्जीनियरी निगम अपने उत्पादों का क्यूबा, तुर्की, बुल्गारिया यू०एस०एस०आर०, मिश्र और बंगलादेश को निर्यात कर रहा है। इस समय, लम्बित क्रया देशों पर 49 करोड़ रु० के निर्यात क्रयादेश निष्पादित लिये जाने बाकी हैं। परन्तु उनके भावी निर्यात कारोबार के बारे में पहले से बताना सम्भव नही है क्योंकि यह विदेशों से प्राप्त पूछताछों और उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भारी इन्जीनियरी निगम की क्षमता पर निर्भर करेगा।

ईधन के रूप में वायु का प्रयोग

*262. **श्री ओस्कर फर्नाण्डीस** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिले में एक इन्जीनियर ने सिद्ध किया कि वाहनों को चलाने के लिए ईधन के रूप में 'वायु' का प्रयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस प्रोद्योगिकी को पूर्ण बनाने के लिए इन्जीनियर को क्या प्रोत्साहन देने का है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) के बारे में सूचना मिली है कि कर्नाटक के एक इन्जीनियर ने एक ईंधन रहित इलैक्ट्रो एयर एन्जिन का विकास किया है जिसे 12 वोल्ट बैटरियों से चलने वाले सम्पीड़क द्वारा प्रदान की गयी सम्पीड़ित वायु से प्रचलित किया जा सकता है। इन बैटरियों को पंसे से लगे डायनमो द्वारा सीधे चालू किया जा सकता है, जो वाहन् के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है और जो कि वाहन के आगे की दिशा में चलने से घूमता है।

दावे को संभ्यव्यता और व्यवहार्यता की जांच की जा रही है और आगे के विकास के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था के प्रश्न पर, इस जांच के पूरा होने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में प्रमुख सरकारी उपक्रमों के विस्तार के लिए औद्योगिक नीति

***263. श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री नीरेन्द्र घोष :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने उनके साथ 26 अगस्त, 1981 को नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योग मंत्रालय के अधीन प्रमुख सरकारी उपक्रमों के भावी विस्तार और औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा की थी;

(ख) क्या उन्हें उपरोक्त विषय के बारे में उनका 10 सितम्बर, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा उस पत्र पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने ऐसा महसूस किया, बिना औचित्य के, प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा के कारण पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को हाल के वर्षों में धक्का लगा है। तथ्यों के अन्यथा होने के कारण उनको उपयुक्त उत्तर भेजा जा रहा है।

वैज्ञानिकों द्वारा त्यागपत्र

***264. श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के चार वैज्ञानिकों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं;

(ख) ऐसे वैज्ञानिकों के नाम आदि का विवरण क्या है और उनके त्यागपत्र देने के क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के "टाइम्स आफ अण्डिया" के बम्बई संस्करण में "वैज्ञानिकों ने कुण्ठित होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नौकरियां छोड़ीं" (टाईटिस्ट्स क्विट डी०एस०टी० जोब्स इन फस्ट्रेशन) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, दो वैज्ञानिक पर्यावरण विभाग से तथा दो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित थे।

(ख) वैज्ञानिकों के बारे में उनके विवरण तथा उनके त्यागपत्र और उनके कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि उत्तर के भाग (ख) के सन्दर्भ में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में स्पष्ट किया गया है, वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत कारणों के त्यागपत्र दिए। सरकार की ओर से किसी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है।

(विवरण)

क्र०सं०	नाम	पद और विभाग	इस्तीफे के कारण
1.	श्री ए० के० कालरा	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया।
2.	श्री बी० के० बन्सल	प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विभाग	उन्होंने इसलिए त्यागपत्र दिया क्योंकि वे मानव आवासों के क्षेत्र में कार्य के लिए समर्पित अपनी परामर्श-सेवा आरम्भ करना चाहते थे। उनके विचार में मानव आवास अधिक महत्वपूर्ण है।
3.	डा०एम०एल०नरुला	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० में पद ग्रहण करने के कारण त्यागपत्र दिया।
4.	श्री टी० मैथ्यू	पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग	क्योंकि वे पर्यावरण से संबंधित अपनी परामर्श संस्था की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया।

रोहिणी उपग्रह की उपलब्धियां

*265. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1981 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया 38 किलोग्राम वजन का रोहिणी उपग्रह अन्तरिक्ष में कितने दिन रहा और उसकी क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) इस उपग्रह को छोड़े जाने का उद्देश्य क्या था और उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई; और

(ग) इसको बनाने में कितना खर्च आया और कितना समय लगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) उपग्रहण कक्षा में कुल नौ दिनों तक रहा। प्रमोचन का मूलभूत उद्देश्य, प्रचालनात्मक उड़ानों के लिये, एस०एल०वी-3 राकेट के पूर्ण कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना था। रोहिणी उपग्रह (आर०एस०डी-1), एक नव विकसित लैंडमार्क प्रणाली, उपग्रह अप्रचक्रण प्रणाली तथा एक स्वचालित सूक्ष्म संसाधित्र आधारित नियंत्रण प्रणाली को ले गया था, जिन्हें भावी सुदूर संवेदन परीक्षणों के लिए इस प्रकार के नीतभारों का विकास करने में अनुभव प्राप्त करने के लिये, उपग्रह में रखकर पहली बार उड़ाया गया था। नौ दिनों के कुल कक्षीय जीवन के दौरान नीतभारों तथा अन्य उप प्रणालियों ने सामान्य रूप में कार्य किया। कुल मिलाकर सम्पूर्ण मिशन को सन्तोषप्रद समझा गया है।

(ग) रोहिणी उपग्रह (आर०एस०डी०-1) को बनाने में लगभग 35 लाख रू० का खर्च आया तथा इसके निर्माण में 12 माह का समय लगा।

श्रम कानूनों में संशोधन

*266. **श्री वासुदेव आचार्य :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों में संशोधन करने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन करने का निर्णय किया गया है :

(1) बागान श्रम अधिनियम, 1951।

(2) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

(4) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926।

(5) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), अधिनियम, 1946।

(6) लोह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976।

(7) लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण, उपकर अधिनियम, 1976।

(ख) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा ने पारित कर दिया है और लोक सभा में इस पर विचार होना है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर संशोधन विधेयक को लोक सभा ने पहले ही पास कर दिया है और इस पर राज्य सभा में विचार किया जाना है।

अन्य मामलों में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

बम्बई पत्तन पर तटीय व्यापार के लिए पृथक गोदी

267. **श्री के० टी० कोमलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटीय व्यापार नौकाओं तथा विदेशी जहाजों दोनों को ही बम्बई पत्तन की गोदियों पर अपना माल उतारना और चढ़ाना होता है तथा तटीय व्यापार के लिए पृथक गोदी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निर्यात और आयात दोनों में विलम्ब होता है तथा तटीय व्यापार में भी विलम्ब होता है;

(ग) यदि हां, तो प्रिंसेस गोदी का जो पहले केवल तटीय व्यापार के लिए उपयोग में लाई जाती थी, अब आयात और निर्यात माल के लिए भी उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। बम्बई पत्तन की गोदियों में विदेशगामी और तटीय, सभी प्रकार के जहाज आ सकते हैं। लेकिन, इस पत्तन पर तटीय व्यापार के लिए कभी अलग से कोई गोदी नहीं निश्चित की थी।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं होते।

बाल अंधता निवारण सम्बन्धी विचार गोष्ठी

*270. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में डा० ए० वी० बालिगा फाऊंडेशन द्वारा हाल में "बाल अन्धता निवारण" पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें भी की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों तथा सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) ये सिफारिशें उन चार मुख्य बातों से निपटने के बारे में हैं जिन्हें सेमिनार ने बच्चों में दृष्टि विकार तथा हीनता का कारण बतलाया है । ये बातें हैं—संक्रमण, कुपोषण; चोट, दृष्टि विकार का पता लगाने और उसे शुरू में ही ठीक करने में विलम्ब । सुझाये गये इन उपायों में से अनेक उपाय सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शामिल है, पहले ही कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

मानसिक रोगों में वृद्धि

*272. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में मानसिक रोगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मानसिक रोगों से ग्रस्त बड़ी संख्या में लोगों के उपचार के लिये वर्तमान अस्पताल तथा चिकित्सा सुविधायें पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि देश में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं परन्तु स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में वृद्धि के कारण अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं में मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्ति इलाज के लिए प्राय: आने लगे हैं ।

(ग) और (घ) मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करने के लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आधुनिक मार्ग अपना रहे हैं, उसमें रोगियों को मानसिक रोग अस्पतालों में दाखिल करने की अपेक्षा बाह्य रोगी विभागों और जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सा यूनिटों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाता है । अस्पतालों में भर्ती करने से ऐसे लोगों को समाज में पुन: प्रतिष्ठित करने की समस्या बढ़ जाती है । इसी तरीके के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य की योजना बनाते समय मुख्यतः यही सोचा जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को प्रशिक्षण देकर, बाह्य रोगी विभागों में सुविधाएं बढ़ाकर तथा जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सा यूनिटों की क्षमता बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर ही मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ कर दी जाएं ।

एर्नाकुलम-एलप्पी परियोजना

*278. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम-एलेप्पी रेलवे परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि अनुमोदित कर दी गई है;

(ख) परियोजना की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ग) काम के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(घ) उपरोक्त लाईन को कायनकुलम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित परियोजना की स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है।

(ख) 13.5%।

(ग) 1984, बशर्ते कि धन और सामान उपलब्ध होता रहे।

(घ) फिलहाल इस लाइन को कायनकुलम से मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छात्रों के लिये प्रवेश के फार्मों से जाति और धर्म के कालमों को हटाना

*279. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि प्रवेश, परीक्षा आदि के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त फार्मों में धर्म और जाति के कालम अभी भी शामिल किये जाते हैं और छात्रों को उन फार्मों में अपना धर्म और जाति भरनी पड़ती है;

(ख) क्या धर्म और जाति दर्शाने वाले कालमों को शामिल करना धर्म-निरपेक्षता, जो भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत है, के विपरीत नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी शिक्षण संस्थाओं को अनुदेश देने का है कि वे अपने द्वारा प्रयुक्त विभिन्न फार्मों से भविष्य में ऐसे कालम निकाल दें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 6 लाख से भी अधिक शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो देश के सभी विभिन्न भागों में पूर्व-प्राथमिक स्कूलों से लेकर उत्तर-स्नातक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के रूप में हैं। इनमें से अधिकांश संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इसके अलावा सम्बन्धित शैक्षिक प्राधिकारी ही प्रवेश के लिए ऐसे आवेदन-पत्रों के फार्म तैयार करने तथा उनके

द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं । इन मामलों से सम्बन्धित सूचना इस मंत्रालय द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है और तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रवेश तथा शैक्षिक संस्थाओं आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए आवेदन-पत्रों के फार्मों में जाति या धर्म के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

रानीगंज-बांकुरा लाइन तथा दामोदर नदी पर रेल व सड़क पुल

*280. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री सुधीर कुमार गिरि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा मन्त्री, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा संसद सदस्यों ने रानीगंज और बांकुरा के बीच वाया मेझिया नई रेल लाइन का निर्माण करने तथा दामोदर नदी पर रेल व सड़क पुल के निर्माण के लिए उनसे अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या विस्तृत कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दामोदर नदी पर एक बड़े पुल सहित मेझिया के रास्ते बांकुड़ा से रानीगंज तक एक नयी रेल लाइन बिछाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध और लागत पर एक सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण पूरा हो गया था और इसकी रिपोर्ट 1977 में राज्य सरकार को भेज दी गयी थी ।

इसके बाद, कुछ संसद सदस्यों, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रालय ने इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय को पत्र लिखे थे । ऊर्जा मंत्रालय ने कोलाघाट ताप बिजली घर के लिए प्रस्तावित लाइन पर कोयले के संचलन के बारे में भी कुछ संकेत दिये थे। इस पृष्ठभूमि में, दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन से कहा गया है कि इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए पहले किये गये सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन करें और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दें ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गैर-सरकारी बस परिवहन

*281. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गैर-सरकारी बस परिवहन आरम्भ करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी बस मालिकों के साथ की गई व्यवस्था का पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी आपरेटरी द्वारा कितनी बसें चलाई जा रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपने परिवहन विभाग द्वारा चलायी जाने वाली बसों के परिचालन में वृद्धि करने के लिए अण्डमान निकोबार प्रशासन ने द्वीप समूह में प्राइवेट बस-सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया है जिससे कि यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(ख) और (ग) दक्षिण और मध्य अण्डमान में छह रूटों पर बस चलाने के लिए प्राइवेट बस मालिकों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र मंगाए हैं। अब तक जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट देने के लिए विचार कर रहा है।

कोचीन शिपयार्ड

*282. **श्री बापूसाहिल परुलेकर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि लगभग गत दस वर्षों में कोचीन शिपयार्ड द्वारा केवल दो जहाज 'रानी पद्मिनी' और 'रत्नदीप' ही तैयार करके समुद्र में उतारे गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसी समय आरम्भ किए गए कोरिया के शिपयार्ड ने गत नौ-वर्षों में 200 जहाज समुद्र में उतारे हैं; और

(ग) कोचीन शिपयार्ड का कार्य निष्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कोचीन शिपयार्ड का निर्माण औपचारिक रीति से अप्रैल, 1972 में शुरू हुआ था और यहां जहाज निर्माण की मशीन अक्टूबर 1979 तक पूरी तरह चालू हो गयी थी। तब से अब तक दो जहाजों का निर्माण किया जा चुका है और उन्हें पानी में उतारा जा चुका है, पहला, 1980 में और दूसरा 1981 में।

(ख) पता चला है कि दक्षिण कोरिया में ह्युंडई शिपयार्ड लगभग 5.6 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० के लगभग 185 जलयान 1973 से जब यह शुरू हुआ था, 1980 तक बना चुका है। इन शिपयार्ड में 3 निर्माण-गोदियां और एक स्लिप-वे है। कोचीन शिपयार्ड के पास एक निर्माण गोदी है और इसकी क्षमता दो जहाज बनाने की है; जिनमें से प्रत्येक 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० का होता है।

(ग) शिपयार्ड अपनी कार्य-परिणाम में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू कर चुका है जैसे प्रणालियों, योजना बनाने, उत्पादन की अभिकल्पना, सामग्री समन्वय उन्नत साज सज्जा आदि में सुधार। प्रत्येक जहाज के निर्माण में लगने वाले समय में भी कमी की जा रही है जिससे

निर्धारित क्षमता प्राप्त की जा सके । उत्पादन और उत्पादनशीलता में और अधिक उत्पादन लाने के लिए परामर्श-प्रबन्ध की भी व्यवस्था की जा रही है ।

राष्ट्रीय बालकोष के संसाधन और उसकी आस्तियां

***283. श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बालकोष के संसाधन और वर्तमान आस्तियाँ क्या हैं और राष्ट्रीय बाल कोष के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) 1. वर्ष 1977 में इसके बनाये जाने से लेकर अब तक बच्चों के कल्याण और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल निधि की स्थापना पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत मार्च, 1979 में की गई ।

2. राष्ट्रीय बाल निधि के स्रोत और वर्तमान आस्तियां 82 लाख रुपए से थोड़ा-सा अधिक है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

(क) कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय विन्यास, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा पंचवर्षीय डाकघर अवधि जमा योजना में निवेश	50.00 लाख रुपए
(ख) भारतीय स्टेट बैंक, नई रेल भवन, नई दिल्ली में तीनवर्षीय सावधि जमा योजना में निवेश	18.00 लाख रुपए
(ग) बैंक खातों में उपलब्ध नकद शेष राशि	14.4 लाख रुपए
	82.47 लाख रुपए

3. राष्ट्रीय बाल निधि के स्रोतों को बढ़ाने के लिए उठाये/उठाए जा रहे निम्नलिखित है :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, व्यावसायिक/व्यापारिक घरानों से दान लेना ।

(ख) विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रस्ताव करना ।

(ग) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र यूनिटों पर दान-बक्सों का प्रतिष्ठापन ।

(घ) विद्यालयों सहित आम जनता से एकत्रित करना।

(ड.) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के विशेष संदर्भ में मीटिंग कार्डों की छपाई और बिक्री।

(च) विश्व बाल वर्ष की सीलों को बिक्री 31 दिसम्बर, 1981 तक जारी रखना।

4. राष्ट्रीय बाल निधि में दान की गई राशि पर फिलहाल दानकर्ता को आय कर में 5% की छूट प्राप्त है।

5. अभी तक किसी भी स्वयंसेवी संगठन को राष्ट्रीय बाल निधि से वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। हालांकि, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय बाल निधि में से वित्तीय सहायता देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

स्तन पिलाने की घटती हुई प्रवृत्ति

*284. **श्री राम सिंह यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और वह भी विशेषकर शहरी विशिष्ट वर्ग में स्तन पिलाने की प्रवृत्ति घट रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे मामलों का पता लगा है जिनसे ज्ञात हुआ है कि देश में निर्मित और बेचे गए शिशु आहार के तत्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार शिशु आहार के रासायनिक विश्लेषण की अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मेघालय, मणिपुर और सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने शिशु आहारों समेत खाद्य पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। केन्द्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली, पांडिचेरी तथा गोआ, दमण और दीव ने प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार ने एक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी है।

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल

*285. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मन्त्री बेरोजगार स्नातकों के लिए बुक स्टालों के सम्बन्ध में दिनांक 10 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3692 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, ए० एच० व्हीलर और एम० गुलाब सिंह एण्ड सन्स बड़े तथा मध्यम रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में बुक स्टाल लिए हुए हैं तथा अधिकतम पांच बुक स्टालें रखने की नीति उन पर लागू नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने बेरोजगार स्नातकों की सहायता करने के लिए वर्ष 1973 से 1981 की अवधि के दौरान उपर्युक्त दो ठेकेदारों के बुक-स्टालों की संख्या में कमी नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों के तीन प्रमुख बुक स्टाल ठेकेदारों अर्थात् मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मेसर्स हिग्गिन बोथम्स (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स गुलाब सिंह एंड संस (प्रा०) लिमिटेड को बुक स्टाल के ठेके, स्थापित और प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं को ये ठेके, ठेके आवंटित करने की पुरानी नीति के अन्तर्गत आवंटित किये गये थे। 840 स्टेशनों, जहां बुक स्टाल सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, में से इन तीन ठेकेदारों के पास क्रमशः 268, 48 और 17 स्टेशनों पर ठेके मौजूद हैं। 1964 के बाद से उनके ठेकों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि 10-9-81 के अतारांकित प्र० स० 3692 और 30-4-81 के अतारांकित प्रश्न सं० 9330 के उत्तर में भी बताया गया था कि बुक स्टाल प्राप्त करने की कोई निर्धारित सीमा नही है, सिवाय इस बात के कि बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों/एसोसिएशनों तथा बुक स्टालों के वास्तविक कर्मचारियों/वेंडरों की सहकारी समितियों से इतर हैं और जिनके पास पहले से ही 5 या अधिक बुक स्टाल मौजूद हैं, को अतिरिक्त बुक स्टाल आवंटित करने के लिए, क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेल मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) 1973 में, भविष्य में बेरोजगार स्नातकों के पक्ष में किये जाने वाले सभी आरक्षणों की नयी नीति के अनुपालन किये जाने के अनुसरण में बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टाल आवंटित किये जाने के लिये मंत्रालय के सुझाव पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी और मैसर्स गुलाब सिंह एंड संस ने क्रमशः 25 और 1 स्टेशनों पर अपने बुक स्टाल वापस कर दिये हैं।

इण्ड-रेल टिकटें

*286. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा 240 डालर मूल्य के जारी किये जाने वाले इण्ड-रेल टिकट उन सभी यात्राओं के लिए मान्य नहीं होते जो इसमें दर्शायी जाती है;

(ख) क्या इण्ड-रेल टिकटधारियों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोको रनिंग मेकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन (पूर्वी रेलवे) के प्राप्त संकल्प

*287. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, पूर्वी रेलवे के 12वें वार्षिक आम सम्मेलन में पास किया गया संकल्प प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प में किन-किन मुद्दों को उठाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संकल्प के किसी मुद्दे को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

ये मुद्दे बिलकुल सामान्य प्रकृति के हैं, जैसे तथाकथित उत्पीड़न, मूल्य वृद्धि, भर्ती/ पैनल बनाना आदि, कुछ श्रम संगठनों के प्रति रेल प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया, प्रशासन द्वारा श्रमिकों में फूट डालने के प्रयास करना, मध्यवर्ती ग्रेड में सीधी भर्ती करना, रिक्तियों आदि को न भरना; आदि

(ग) से (ङ) संकल्प में उठाये गये कुछ मुद्दों, जैसे अन्य संगठनों आदि के साथ एसोसिएशन की एकता, आदि के बारे में इस मंत्रालय की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

तथाकथित उत्पीड़न, मध्यवर्ती ग्रेडों में सीधी भर्ती, रिक्तियों का न भरा जाना, आदि अन्य सामान्य मांगों के बारे में संगठित श्रमिकों के साथ बार-बार विचार-विमर्श किया जाता है और वर्तमान नियमों तथा सरकार की नीति के अनुसार यथोचित निर्णय किया जाता है।

दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

*170. **श्री सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नैमित्तिक महिला कर्मचारियों को नौकरी में स्थाई रूप से खपाये जाने के संबंध में दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। विजयवाडा मडल के महिला नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में यूनियन की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) रेल प्रशासन ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि श्रेणी-4 की रिक्तियां भर्ती समय नैमित्तिक महिला श्रमिकों को भी उपयुक्त पदों पर समाहित करने के बारे में विचार किया जाये।

बिहार में हरिजनों पर अत्याचार

2777. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के जिला गिरीडिह में कश्मीर गांव के हरिजनों पर अत्याचार की शिकायतें उनको की गई थीं, जहां पिछले तीन महीनों के भीतर एक हरिजन युवक, श्री कैलाश राजौर को हत्या की गई थी और महिलाओं और बच्चों सहित अनेक हरिजन जख्मी हुए थे।

(ख) क्या यह भी सच है कि आज तक अत्याचारों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और हरिजनों के साथ न्याय भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा) (ग) शिकायतें बिहार सरकार को उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं।

नारी निकेतन, दिल्ली से छह युवतियों का गायब हो जाना

2778. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारी निकेतन, दिल्ली से 6 युवतियां 22 अक्तूबर, 1981 को भाग गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक उनका पता नहीं चल सका है अथवा उनको ढूंढ लिया गया है;

(ग) नारी निकेतन से उनके भागने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि नारी निकेतन के कार्यकरण में अनेक अनियमिततायें हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) 21/22 अक्तूबर, 1981 की रात्रि को 10 लड़कियां नारी निकेतन, दिल्ली से भाग गई थीं। उसमें से पांच लड़कियां मिल गई हैं और वापस नारी निकेतन भेज दी गई हैं। शेष लड़कियों का अभी पता लगाना है। इनके भागने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

कुछ अनियमितताएं ध्यान में आई हैं, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने एक जांच पैनल नियुक्त किया था। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पैनल ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है।

आदिवासी क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों में समाज कल्याण गतिविधियों हेतु मार्गदर्शी निदेश

2779. **श्री गिरिधर गोमांगो** : गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों में समाज कल्याण गतितिधियों के बारे में राज्यों को क्या मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं; और

(ख) राज्यों ने राज्यकीय एवं केन्द्रीय समाज कल्याण उपायों को कायान्वित करने के लिए आदिवासी तथा हरिजन बस्तियों में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छठी योजना (1980, 85) के संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकाश के लिए कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

जनजाति क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, पोषण, आहार और मकान-स्थल आते हैं, रियायती मानदंडों को अपनाकर कार्यान्वित किया जाता है । जनजाति क्षेत्रों के लिए रिआयती मानदंड ऐसे हैं कि 1.6 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए,. 20,000 जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3,000 को जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र, प्रत्येक खेड़े के लिए पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके अलावा आफ सीजन बेरोजगारी कम करने के कार्यक्रम बनाए जाएं ।

जहां तक अनुसुचित जातियों का संबंध है, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए । शुष्क शोचालयों को पानी वाली शोचालयों में बरतने के कार्यक्रम के साथ-साथ उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाय और उन्हें वैकल्पिक व्यवसायों में पुर्नस्थापित किया जाए । हरिजन बस्तियों में शैक्षिक और स्वस्थ्य संस्थानं, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए ।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कुछ राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के पानी की आपूर्ति करने के कार्यक्रम के लिए पहले ही मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं ।

भारत में संस्थाओं को प्राप्त विदेशी धन

2780. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री विभिन्न संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता के बारे में 18 सितम्बर, 1981 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 4826 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या विदेशी अंशदान (विनियम) नियम, 1976 के नियम 8 (2) के अधीन विदेश अंशदान प्राप्तकर्ताओं ने 1978, 1979 और 1980 वर्षों के लिए वार्षिक विवरणियां दायर कर दी हैं और क्या इस बीच उनका कम्प्यूटरकीरण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में से प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक राशि प्राप्त करने वाली शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी; और

(घ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम 1976 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त विवरणियों को संगणिकृत किया जा रहा है। वर्ष 1977 की विवरणियों को संगणिकृत किया जा चुका है। वर्ष 1978, 1979 और 1980 की विवरणियों प्राप्त हो गई हैं और उन्हें संगणिकृत किया जा रहा है। चूंकि कार्य बहुत अधिक है और इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति देना संभव नहीं है, अतः इसमें कुछ समय लगने की संभावना है।

त्रिवलोन जिले के चौरा स्थान से लुप्त हुआ व्यक्ति

2781. **श्री बी० के० नायर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, चौरा, जिला त्रिवलोन में सुपरवाइजर के रूप में काम करने वाला सरासन नामक व्यक्ति पिछली जनवरी के मध्य से अपने घर के निकट से लुप्त हो गया था और तब से उसका कोई पता नहीं चला है;

(ख) क्या उसकी वृद्धा माता तथा अनेक अन्य व्यक्तियों ने मामले की जांच के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार प्राधिकारियों को अपीलें की हैं;

(ग) क्या केरल पुलिस द्वारा चलाई गई जांच को पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि इस बारे में शक की बात है तो क्या सरकार का विचार रहस्य का पता लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए नई जांच कराने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां, श्रीमान्। बताया जाता है कि श्री सरासन 5 जनवरी, 198 से गुम है ?

१८५। (ख) सरासन की माता श्रीमती जानकी और अन्य से याचिकाएं प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) चौरा पुलिस द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई थी। 27 जनवरी, 1981 को केरल पुलिस की अपराध शाखा सी० आई० डी० ने जांच शुरू की। मामले की अभी जांच की जा रही है। अपराध शाखा सी० आई० डी०, त्रिवेन्द्रम के पुलिस अधीक्षक की देखरेख में जांच पड़ताल का कार्य एक पुलिस उप-अधीक्षक को सौंपा गया है।

स्टेनोग्राफरों के लिये पदोन्नति के अवसर

2782. **श्री गीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने/बनाये जाने को देखते हुए स्टेनोग्राफरों के कितने पद बनाये गए हैं और क्या वे पद अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने की तारीखों से बनाए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा के बीच सामानता प्राप्त कर लिए जाने की बात कैसे की जाती है जबकि सिविल सेवा की अनुभाग अधिकारी परीक्षा की तरह ए० सी० एस० ओ० परीक्षा क्यों आयोजित नहीं की गई है; और

(ग) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवारों तथा परीक्षार्थियों के बीच 50:50 का अनुपात अब तक हुई सभी परीक्षाओं में बनाये रखा गया था, तथा रिक्तियां अधिसूचित करने संबंधी अन्तराल क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अभी तक 35 पद। निम्नलिखित कारणों से ये पद पिछली तारीखों से मंजूर किए गए:

(1) पदों का निर्धारण करने के बाद सेना अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने का काम क्रमिक आधार पर किया जा रहा है;

(2) उपयुक्त ग्रेड के स्टेनोग्राफरों के पद मंजूर करने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(ख) उच्च ग्रेड और निम्न ग्रेड स्टेनोग्राफरों के अनुपात के मामले में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा के बीच सामानता ला दी गई है। जहां तक ए० सी० एस० ओ० के पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का संबंध है, इस बारे में दोनों सेवाओं के बीच कोई समानता नहीं है।

(ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड 'बी' के रिक्त पद, सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति और परीक्षा द्वारा भरे जा चुके हैं।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास योजना

2783. **श्री केयूर भूषण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां तो इस योजना के अधीन कितने मकानों का निर्माण किया जाना है और इससे कितने परिवारों को लाभ प्राप्त होगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पुलिस आवास योजना ो 1975-76 से योजनागत स्कीम समझा जाना है और वार्षिक योजनाओं के अधीन धन उपलब्ध कया जाता है। इस समय पुलिस के पास विभिन्न श्रेणियों के 5387 आवासीय क्वाटर उपलब्ध हैं और अन्य 548 क्वाटर चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाएंगे।

इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस की एक एम्पलाइज कोपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी लि० 19 सितम्बर, 1979 को पंजीकृत की गई थी। सोसायटी के कांस्टेबल से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तक के सभी पदों के 1000 सदस्य हैं और इसको भिन्न भिन्न आकारों के 1000 फ्लैट बनाने की योजना है जिससे 1000 परिवारों को लाभ होगा।

रंगीन टी० वी० सेटों तथा ट्यूबों का उत्पादन का लाइसेंस

2784. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन भारतीय एवं बहु-राष्ट्रीय फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने रंगीन टी० वी० सैटों तथा ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस की मांग की है;

(ख) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या इसके लिये विदेशी जानकारी तथा तकनीकी जानकारी की भी आवश्यकता होगी, यदि हां, तो किस सीमा तक और किन देशों पर विचार किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी०एन० सिंह) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेटों के निर्माण के लिए भारतीय अथवा बहुराष्ट्रिक फर्मों के कोई भी आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। किन्तु, अब पंजाब सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एकक, मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिस लिमिटेड (पी० डी० डी० एल०) से रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रारम्भिक आवेदन-पत्र पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) जहां तक रंगीन दूरदर्शन सैटों का संबध है ये प्रश्न ही नहीं उठते। तकनीकी जानकारी के निश्चित स्रोत क्या हैं तथा/अथवा संयंत्र स्थापित करने और निर्माण प्रारम्भ करने की समय-सीमा क्या है, इस संबंध में मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिस लिमिटेड पूरे विवरण अभी तक सरकार के विचारार्थ पेश नहीं किए गए हैं।

ड्राई बैटरी सैलों का निर्माण

2785. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ड्राई बैटरी सैलों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) भारत में ड्राई बैटरी सैलों का निर्माण करने वाली विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने अपने व्यापार का विस्तार करने तथा भारत में ड्राई बैटरी सैलों के नए एकक की स्थापना के लिए आवेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और नए लाइसेंस मंजूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) नए एककों की स्थापना वे कहां पर करना चाहते हैं; और

(च) तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (नारायण दत्त तिवारी) : (क) (1) यूनियन कारबाईड इण्डिया लिमिटेड,

2. इस्ट्रेला बैटरीस लिमिटेड,

3. जीप इंडिस्ट्रयल सिंडिकेट लिमिटेड,

4. तोशीबा आनंद बेटरीस लिमिटेड,

5. पंजाब आनंद बैटरीस लिमिटेड,

6. लखनपाल नेशनल लिमिटेड,

7. इण्डो नेशनल लिमिटेड,

8. जे० के० बैटरीस लिमिटेड,

उपरिलिखित के अतिरिक्त दो कम्पनियां मैंसर्स फालटन शुगर वर्क्स लिमिटेड और जैसन इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड गाजियाबाद बन्द रही।

(ख) मैसर्स यूनियन कारबाईड इण्डिया लिमिटेड।

(ग) और (घ) जी हां, मैसर्स यूनियन कारबाईड लिमिटेड ने पहले ड्राई बैटरी के उत्पादन विस्तार के लिए आवेदन किया था। कम्पनी को दिनांक 17.3.1981 को प्रतिवर्ष 120 लाख ड्राई बैटरी सेल उत्पादन की क्षमता का आशय पत्र स्वीकार किया गया।

(ङ) प्रस्तावित नये एकक की स्थापना जम्मू तथा कश्मीर राज्य की श्रीनगर घाटी में की जायेगी।

(च) 1. कम्पनी को मद्रास फैक्टरी में निर्मित 600 लाख नग ड्राई बैटरी सेल बनाने के लिए प्रतिवर्ष देने होंगें।

2. पूंजीगत माल का आयात सरकार के समाधान से ही निर्धारित होगा।

3. विदेशी सहयोग की आवश्यकता और विदेशी सहयोग की शर्तें यदि कोई हुई तो उसका निर्धारण सरकार के समाधान से होगा।

4. हवा, भूमि तथा पानी को प्रदूषण से बचाने के लिये पर्याप्त उपाय किये जायेंगे। प्रदूषण रोकने के जो उपाय किये जायेंगे वे जम्मू और कश्मीर राज्य के जल-मल निस्सारण स्तर के अनुरूप होंगे।

अपने मूल राज्यों से बाहर काम कर रहे मजदूरों की मूल आवश्यकताएं देना

2786. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने मूल राज्यों से बाहर काम कर रहे मजदूरों को मकान, खाद्यान्न, कपड़ा, चिकित्सा सुविधाएं, आदि जैसी मूल आवश्यकताएं देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अपने मूल राज्यों से बाहर काम कर रहे मजदूरों को मकान, खाद्यान्न, रुपया, चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसी मूल आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बनाया गया और इसे 2-10-1080 से लागू किया गया। इस अधिनियम को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने अधिकार-क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्रीय औद्योगिक संबध तंत्र द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में पदों की स्वीकृति दी गई है।

जहां तक राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का संबंध है, कुछ राज्य सरकारों ने अपने नियम बनाए हैं, जबकि अन्य राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में ये नियम बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन नियमों को शीघ्र अन्तिम रूप दें।

असम में बोरदोलै तापीय बिजली घर की स्थापना के लिये योजना आयोग की अनुमति

2787. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने आसाम में बोरदोलै तापीय बिजली घर की स्थापना के लिये अपनी मंजूरी दे दी थी; यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ख) परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा और इसे कब तक चालू किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री सी० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। असम में बोरदोलै तापीय परियोजना को योजना आयोग ने दि० 31-10-1981 को 45.64 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से अनुमोदित कर दिया है और उसमें वर्ष 1981-82 में ही काम शुरू कर देने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। असम सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे वर्ष 1986 में बिजली उत्पादन करने वाली इकाईयों को चालू करने के उद्देश्य से तत्काल एक समन्वित निर्माण-कार्य कार्यक्रम तैयार कर लें।

छठी पंचवर्षीय योजना के व्यय को कम करना

2788. आचार्य भगवान देव :

श्री मूलचन्द डागा :

श्री भीकूराम जैन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के व्यय को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और व्यय में कितनी कमी की जाएगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दरियागंज, दिल्ली में शराब, जुऐ तथा सट्टेबाजी के केन्द्र

2789. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी के दरियागंज क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में चलाये जा रहे शराब, जुए तथा सट्टेबाजी के केन्द्रों के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) ऐसे केन्द्रों का पता नहीं लगा है। परन्तु चालू वर्ष (30 नवम्बर तक) के दौरान दरियागंज थाने के अधिकार क्षेत्र में और चांदनी महल और जामा मस्जिद थानों के आसपास के क्षेत्रों में जुआ अधिनियम, सट्टा गैम्बलिंग और आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

	थाना दरियागंज	थाना चांदनी महल	थाना जामा मस्जिद
जुआ अधिनियम के अधीन व्यक्तियों गिरफ्तार किये गये की संख्या	112	84	282
सट्टा खेलने के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	2	39	10
आबकारी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	59	72	285

ऐसी गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं और इन गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाती है।

जमाते-इस्लामी की गतिविधियां

2790. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाते-इस्लामी की गतिविधियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) उनको वित्तीय सहायता कहां से मिलती है; और

(ग) क्या विदेशी शक्तियों का उनके साथ कोई सम्पर्क है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जमात-ए-इस्लामी हिन्द, जिसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चन्दों के माध्यम से धन प्राप्त होता है, की गतिविधियो का उद्देश्य जहां तक संभव हो, इस्लाम के संदेश का प्रसार और इस्लामी शरिहा अपनाना है। इस संगठन के भारत में तथा भारत के बाहर अन्य इस्लामी संगठनों के साथ सम्पर्क है। सरकार जमात-ए-इस्लामी हिन्द समेत सभी संगठनों की गतिविधियों पर स्पष्टत: निरन्तर नजर रखती है और यदि कानून का कोई उल्लंघन ध्यान में आता है, तो उपयुक्त कारंवाई करती है।

अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) स्थित मशीन टूल्स प्रोटो-टाईप फैक्टरी के कैन्टीन के लेखों का निपटान

2791. **श्री चतुर्भुज :**

श्री आर० के० महालगी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) स्थित मशीन टूल्स' प्रोटो-टाईप फैक्टरी द्वारा मजदूरों के लाभ के लिये एक कैन्टीन चलाई जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कैन्टीन के लेखों की 1975 से लेखा परीक्षा नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कैन्टीन को आयुध कारखाना निधि से नकदी के रूप में राज सहायता दी जा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कैन्टीन को भारी हानियां हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो लेखा परीक्षा न की गई अवधि के सम्बन्ध में लाभ/हानि के आंकड़े क्या हैं; और

(च) प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1979-80 और 1980-81 की अवधि के लेखों की लेखा परीक्षा हो चुकी है। इससे पहले के वर्षों के लेखों की लेखा-परीक्षा शुरू कर दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) 1978-79 और 1979-80 के वर्षों में कैन्टीन को कुछ हानि हुई।

(ङ) वर्ष	शुद्ध लाभ (+)/हानि (—) रुपए
1974-75 (अगस्त 1974 से)	(+) 6,603 ✓
1975-76	(+) 947 ✓
1976-77	(+) 93 ✓
1977-78	(—) 8,147 ✓
1978-79	(—) 1,895 ✓

(च) एक जांच बोर्ड की नियुक्ति की गई थी और इस सम्बन्ध में सुधार लाने के बारे में दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किया गया है।

केरल में नारियल जटा उद्योग की संकटग्रस्त स्थिति

2792. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल जटा उद्योग की संकटग्रस्त स्थिति की जानकारी है जो कि नष्ट हो जाने की स्थिति में है जिसके कारण राज्य में लगभग 2 लाख श्रमिकों के रोजगार को खतरा है; ओग

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) केरल में कयर धागे एवं उत्पादों का स्टाक जमा हो जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी/अल्प रोजगार के सम्बन्ध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने देश और विदेश में कयर एवं कयर उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इस दिशा में किये गये कुछ उपाय ये हैं :

(1) देश के अन्दर इन्हें लाने ले जाने में सुधार के लिए माल डिब्बों के मिलाने का सुनिश्चय कर लिया गया है।

(2) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कयर अधिक सामान का खरीदने का अनुरोध किया गया है। उनसे प्रतिष्ठानों और उनके अधीन कार्यालयों को इसी प्रकार के अनुदेश देने का अनुरोध किया गया है।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों और सरकार के अधीन से सहायता प्राप्त संस्थानों की साज-सज्जा में कयर का अधिकतम प्रयोग करें।

(4) उन देशों, विशेषकर ऐसे देशों से जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय करार किए हैं, अपना व्यापार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) विदेशों में कयर उत्पादों के लिए प्रभावी प्रचार सहित, कयर धागे और कयर उत्पादों के निर्यात और घरेलू बाजार में विस्तार हेतु कदम उठाये गये हैं। कयर बोर्ड इसके लिये विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए अमेरिका और कबाड़ा को रंगीन प्रचार सामग्री भेज रहा है।

(6) इसका निर्यात बढ़ाने के लिए कयर धागे की अंजेगों किस्म की न्यूनतम कीमत को कम रखकर उसका समंजन किया गया है।

आयुक्त दिल्ली नगर निगम को लिखे गये शिकायतों सम्बन्धी पत्र

2793. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से सम्पत्ति कर निर्धारण तथा जल प्रभारों की वसूली के बारे में जनता द्वारा अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में आयुक्त, दिल्ली नगर निगम तथा उनके अधीन अधिकारियों को पत्र लिखे जाने पर उनके जनता के प्रति निरुत्साह और उदासीनता दिखाई जाती है;

(ख) क्या आयुक्त तथा मुख्य इंजीनियर (जल) को उनके नाम पर भेजे गये पत्रों पर कार्रवाई करने की तो बात अलग उनकी पावती भी स्वीकार नहीं की जाती है;

(ग) इन अधिकारियों को प्राप्त ऐसे पत्रों की संख्या कितनी है जिनकी पिछले तीन महीनों में पावती भी स्वीकार नहीं की गई; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है कि अधिकारियों को प्राप्त एसी सभी शिकायतों को दिल्ली नगर निगम द्वारा जांच करना जरूरी हो और नियम के रूप में ऐसे पत्रों को पावती स्वीकार की जाये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार आयुक्त और मुख्य अभियन्ता (जल) सहित अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्रों पर उचित कार्रवाई की जाती है। महत्वपूण पत्रों को पावती भेजी जाती है। जिन पत्रों को पावती भेजी जाती है उन्हें और अन्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को भेजा जाता है। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पक्षों पर की गई कार्रवाई पर विभिन्न स्तरों से मुख्यालय को कोई पुनर्निवेश नहीं है, विशेष रूप से चूंकि इन पत्रों की संख्या बहुत बड़ी होती है। निगम ने आगे बताया है कि मूल्यांकन और सम्पत्ति कर एकत्र करने का कार्य अर्धन्यायिक स्वरूप का है और ऐसे मामलों के साथ नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया से निपटा जाता है, चाहे अन्तिम आदेशों को पास करने से पहले करदाता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाता हो।

जनता की कठिनाइयों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए कार्य दिवस को 12 बजे दोपहर से 1 दोपहर तक आयुक्त, उप आयुक्त, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त और विभागीय प्रमुख उपलब्ध होते हैं बशर्ते कि जनसेवा की अनिवार्यता न हो। जनता की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तरों पर अलग एकक हैं। उप-आयुक्त भी जनता की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए सप्ताह में एक बार क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(घ) भाग (क) से (ग) तक के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी महिला सम्मेलन

2794. **श्री मनमोहन टुडू :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य स्तर पर आदिवासी महिला सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में ऐसी गोष्ठियां अथवा सम्मेलन आयोजित करने के लिये कोई प्रकोष्ठ बनाया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिये उठाये गये विभिन्न कल्याणकारी कदमों के बारे में आदिवासी महिलाओं को जानकारी देने के लिये ऐसे प्रकोष्ठ की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) एकीकृत जनजातीय विकास की जनजातीय उपयोजना संकल्पना में महिलाओं सहित लोगों के सभी वर्गों की विकासात्मक समस्याओं को शामिल किया जाता है। इसलिये, विद्यमान कार्यक्रमों और कार्यान्वियन एजेन्सियों के अतिरिक्त कोई विशेष कार्यक्रम आवश्यक नहीं समझे जाते। फिर भी, जनजातीय महिलाओं के लिये जनजातीय क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रही स्वयंसेवी एजेन्सियों को उत्साहित किया जाता है।

एकीकृत अनुसूचित जाति परियोजनायें

2795. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में कुछ समेकित अनुसूचित जाति परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी समेकित अनुसूचित जाति परियोजनायें चल रही हैं;

(ग) क्या उक्त समेकित अनुसूचित जाति परियोजनायें उड़ीसा में स्थापित की गई हैं।

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा को समेकित अनुसूचित जाति परियोजना के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) अब तक इस योजना के अन्तर्गत लिये गये जिलों का ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने विशेष संघटक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं सम्बद्ध राज्य योजनाओं के अंग हैं। विशेष मंघटक योजना को धारणा यह है कि विकास के सामान्य क्षेत्रों के अधीन राज्य योजनाओं से परियोजनाओं का पता लगाना है जो अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए होंगी, इसमें प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सम्बद्ध कार्यक्रमों से निधियों को आवत की मात्रा और उन कार्यक्रमों का लक्ष लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या विनिर्दिष्ट करना है। उड़ीसा सरकार ने भी विशेष संघटक योजनाएं बनाई हैं। 1981-82 के लिये राज्य योजना में विशेष संघटक योजना स्कीम के लिए परिव्यय 28.11 करोड़ रुपये थे। योजना दस्तावेज का आगे संशोधन होने पर परिव्यय भिन्न हो सकता है।

भारत सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में विशेष संघटक योजनाओं के लिये अतिरिक्त सहायता देती है। उड़ीसा को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1981-82 के लिये 427.90 लाख रुपए का अस्थाई आवंटन किया गया है और इसमें से 215.60 लाख रुपये दे दिये गए हैं।

राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति परिवारों की आय में वृद्धि के लिये विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत समेकित और व्यापक रूप से संयुक्त परिवार अभिमुख कार्यक्रम शुरू करने के लिये अनुरोध किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों के अतिरिक्त न तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य सरकार द्वारा कोई विनिर्दिष्ट समंकित अनुसूचित जाति परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रधान मन्त्री की हत्या का षड़यंत्र

2796. **श्री के० मालन्ना :**

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी

श्री बीरभद्र सिंह :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार (रांची) में प्रधान मंत्री के चुनाव दौरे के दौरान, जिसे खराब मौसम के कारण स्थागित कर दिया गया था, भारत की प्रधान मंत्री की हत्या किये जाने के कथित षड़यंत्र में बिहार के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाल कल्याण कार्यक्रम

2797. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूनिसेफ" के सहायक महासचिव ने विभिन्न "बाल कल्याण कार्यक्रमों" के बारे में विचार विमर्श करने के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) "यूनिसेफ" द्वारा भारत में शुरू की गई बाल कल्याण परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात-निधि के अवैतनिक सहायक महासचिव और विशेष दूत महामहिम प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज अल साउद केन्द्रीय योजना मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निमंत्रण पर दि० 13 नवंबर, 1981 से 5 दिन के लिए भारत आए थे। अपने दौरे के समय प्रिंस तलाल ने केन्द्रीय मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ बाल कल्याण कार्यक्रमों समेत आपसी हित के अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातनिधि द्वारा भारत में सीधे कोई बाल कल्याण परियोजना नहीं चलाई जाती है। उसके द्वारा समाज कल्याण, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, शहरी विकास और क्षेत्र विकास के अन्तर्गत अनेक स्कीमों को सहायता दी जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों को संशोधित पेंशन

2798. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 से पूर्व पेंशन पर जाने वाले भूतपूर्व सेवा कार्मिकों संशोधित पेंशन दिये जाने के बारे में सरकार को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के भूतपूर्व सैनिकों का दिनांक 30 सितम्बर, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1968 से पहले सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों ने यह मांग की है कि उन्हें भी पेंशन संबंधी वही सुविधाएं दी जाएं जो 1970 के बाद सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को मिलती हैं।

भूतपूर्व सैनिकों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों के अनुसार ही दिए जाते हैं। यह स्थिति अभ्यावेदकों को बता दी गई थी। फिर भी इस संबंध में विचार किया जा रहा है कि इस असमानता को किस सीमा तक और किस प्रकार कम किया जा सकता है।

सोवियत संघ में प्रशिक्षण के लिये भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों का चयन

2799. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में प्रशिक्षण हेतु किसी भारतीय अन्तरिक्ष यात्री का चयन कर लिया गया है और उसे सोवियत संघ भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन हैं और इस समय उनका प्रशिक्षण किस अवस्था पर है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के पृथक रोजगार केन्द्र

2800. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पर्याप्त निगरानी के अभाव में भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिये आरक्षित पदों पर भर्ती पाने में कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सरकारी सेवाओं तथा निजी क्षेत्र-दोनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व सैनिको को उनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये कुछ पृथक रोजगार केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन रोजगार केन्द्रों की स्थापना विभिन्न राज्यों में की जायेगी; और

(ङ) विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित रोजगार केन्द्रों की कुल संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को फिर से रोजगार प्राप्त करने में कुछ कारणों से कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे संबंधित कार्य के लिए उनमें शैक्षिक तथा तकनीकी शिक्षा का अभाव, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रोजगार के लिए अपने राज्य/जिले से बाहर न जाना, नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले वेतन को स्वीकार न करना क्योंकि ये वेतन अक्सर सेना में उनके वेतन से कम होते हैं । अब सेना कार्मिकों को सेवा निवृत्ति से पूर्व इस तरह का प्रशिक्षण देने पर अधिक बल दिया जा रहा है जिससे उनमें सरकारी सेवाओं तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए हुनर पैदा किया जा सके ।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों में बीड़ी मजदूर की मजूरी

2801. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या बीड़ी मजदूरों की मजूरी में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी की वर्तमान न्यूनतम दरें दी गई हैं।

(ख) और (ग) कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी दरों में वृद्धि की मांग की गई थी। चूंकि राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन बीड़ी उद्योग के बारे में संबंधित सरकारें हैं, इन अभिवेदनों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	1000 बीड़ियों को लपेटने के लिये मजदूरी-दरें	तारीख, जब से संशोधित की गई	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.00 रु० से 5.85 तक	7.5.79	—
2.	असम	5.00 रु०	1 8.77	—
३.	बिहार	8.00 रु०	24.9.81	—
4.	गुजरात	7.20 रु० से 7.45 रु० तक क्षेत्रों और बीड़ियों की किस्म के अनुसार	15.7.८1	
5.	कर्नाटक	7.40 रु0	1.1.82	

1	2	3	4	5
6.	केरल	2.30 रु० और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5 प्वांइट की प्रत्येक वृद्धि के लिए 2 पैसे। (क्षेत्रों के अनुसार 17.6.1980 को कुल मजदूरी 6.44 रु० से लेकर 7.26 रु० के बीच है)	15.12.69	
7.	मध्य प्रदेश	6.00 रु०	27.12.79	कुछ शर्तों के अधीन गारंटीशुदा न्यूनतम मजदूरी 4.00 रु० प्रतिदिन।
8.	महाराष्ट्र	6.00 रु० से 8.00 रु० तक क्षेत्रों के अनुसार	6.3.1979	कुछ शर्तों के अधीन गारंटीशुदा न्यूनतम मजदूरी 4.00 रु० प्रतिदिन।
9.	उड़ीसा	4.50 रु०	1.1.78	मजदूरी-दरों के संशोधन के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।
10.	राजस्थान	5.50 रु० (सादा बीड़ी) 6.80 रु० (स्पेशल बीड़ी)	1.1.80	—
11.	तमिलनाडु	5.50 रु० (जर्दा बीड़ी) 5.25 रु० (सादा बीड़ी)	1.1.79	
12.	त्रिपुरा	5.00 रु०	15.4.79	
13.	उत्तर प्रदेश	6.00 रु० से 6.20 रु० तक क्षेत्रों के अनुसार	14.8.80	
14.	पश्चिम बंगाल	क्षेत्रों के अनुसार मजदूरी दरें 6.42 रु० से लेकर 13.50 रु० के बीच हैं। (कलकत्ता, हावड़ा, 24 परगना के लिये महंगाई भत्ते की परिवर्ती दर 2.5 पैसे और अन्य जिलों के लिए यह दर 2 पैसे है)।		

जेलों में बाल-अपचारी

2802. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे बाल अपचारी तथा उपेक्षित बच्चों की अनुमानित संख्या क्या है जो किसी अपराध के दोषी नहीं है किन्तु विभिन्न जेलों में रह रहे हैं; और

(ख) देश में ऐसे बच्चों की देखभाल तथा उनके सुधार के लिए कितने विद्यालयों की स्थापना की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना ; (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए-इस्लामी की सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों पर रोक

2803. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए- इस्लामी की सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना: (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को साम्प्रदयिक तनाव को कम करने और साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के हित में पार्कों, स्कूल भवनों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों में साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा शाखाएं/कवायदें करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए सलाह दी है।

कर्नाटक में ई० एस० आई० हस्पतालों का खोला जाना

2804. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में कुछ ई० एस० आई० अस्पतालों के खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : जी, हां ।

(ख) बंगलोर (इंदिरानगर), देवनगीर हुबली और बेलगाम ।

(ग) इंदिरानगर, बंगलौर में 300 पलंगों वाले ई० एस० आई० अस्पताल के निर्माण से संबंधित लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। देवनगीर और हुबली में एक एक 50 पलंगों वाले ई० एस० आई० अस्पताल के निर्माण के अनुमानों को मंजूर किया गया है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। बेलगाम में 50 पलंगों वाले ई० एस० आई० अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि की खरीद से संबंधित मामले पर कर्नाटक सरकार के साथ कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय क्षेत्र में पकड़ी गई विदेशी मत्स्य नौकायें

2805. **श्री सुबोध सेन :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान भारत की समुद्री सीमा में कुल कितनी विदेशी मत्स्य नौकायें पकड़ी गई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : 1980 और 1981 के दौरान नौसेना और तटरक्षक संगठन के पोतों ने पकड़ने वाले कुल 10 (दस) विदेशी ट्रालर्स भारतीय समुद्री सीमा के अन्दर पकड़े।

छठी योजना अवधि के दौरान कागज संयंत्रों की स्थापना

2806. **श्री अनादिचरण दास :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान कुल कितने कागज संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसी कागज़ निर्माता यूनिटों अथवा निगमों के नाम क्या हैं, जो उपर्युक्त अवधि के दौरान इन कागज संयंत्रों की स्थापना करने जा रहे हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां छठी योजना अवधि के दौरान इन कागज संयंत्रों की स्थापना की संभावना है;

(घ) प्रत्येक कागज संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा में ऐसे किसी कागज संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके स्थान के बारे में ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) छठी योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित कागज संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितनी योजनाएं वास्तविक रूप से फलीभूत होंगी और कितनी छठी योजनावधि में स्थापित हो जायेंगी।

(ड़) और (च) उड़ीसा के कोरापुट जिले में कागज का उत्पादन करने के लिए 21,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाला एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु मैसर्स सेवा पेपर्स लिमिटेड को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। योजना का कार्यान्वयन करने के लिए फर्म ने

प्रभावी कदम उठा लिया है। उड़ीसा में कागज के उत्पादन के लिए एककों की स्थापना हेतु विभिन्न पार्टियों को भी आशय पत्र/पंजीकरण की स्वीकृति दे दी गई है किन्तु स्थापित की जाने वाली योजनाओं के भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी अभी समय पूर्व होगा।

विवरण

छठी योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित कागज परियोजनाएं

क्र० सं०	एकक का नाम	राज्य जिसमें स्थित है	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
	(क) केन्द्रीय योजनायें		
1.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड	नागालैंड	84.00
2.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड-केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट	केरल	152.00
3.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड-नोगोंग पेपर प्रोजेक्ट	आसाम	230.00
4.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड-काकर पेपर प्रोजेक्ट	आसाम	230.00
	(ख) राज्य योजनाएं		
5.	मैसर्स पेपर मिल्स लिमिटेड, न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर प्रोजेक्ट	कर्नाटक	150.00
6.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर लिमिटेड-न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर प्रोजेक्ट	तमिलनाडु	180.00

कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) की समस्यायें

2807. **श्री एस० मुरूगेयन :**

श्री आर० के० महालगी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के बारे में कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के चेयरमैन द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 1981 के दिए गए ज्ञापन में उल्लिखित समस्याओं को चुन लिया गया है;

(ख) उपर्युक्त समस्याओं को संबंधित अधिकारियों की जानकारी में कब लाया गया;

(ग) इन समस्याओं को किन प्राधिकारियों के साथ उठाया गया।

(घ) क्या उपर्युक्त अधिकारियों ने पर्याप्त तथा आवश्यक कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या उपर्युक्त एसोसिएशन को तदनुसार सूचित किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) दि कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने कच्चा लोहा इस्पात, कोयला, सीमेंट और विद्युत आदि प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया था। इस मामले से शीघ्र ही क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक, बम्बई, उद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग निगम को अवगत करा दिया गया था।

(घ) से (छ) क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक ने सूचित किया है कि सीमेंट की कठिनाई को दूर कर दिया गया है। सरकार महाराष्ट्र के लघु उद्योगों सहित लघु उद्योगों को लोहा इस्पात सामग्री एवं कोयला व कोक की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है।

ढलवां लोहे के पाइप का निर्माण करने वाले उद्योगों की स्थापना किया जाना

2808. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढलवां लोहे के पाइप का निर्माण करने वाले उद्योगों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त ढलवां लोहे के पाइप उद्योगों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि ढलवां लोहे के कुछ पाइप उद्योग रुग्ण हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन रुग्ण यूनिटों के नाम तथा संख्या क्या है;

(ङ) ये रुग्ण यूनिटें कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(च) इन रुग्ण यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 9 एकक।

(ख) स्थापना स्थलों का राज्यवार ब्योरा निम्नलिखित है :

राज्य	एककों की संख्या
पं० बंगाल	3
बिहार	1
तमिलनाडु	1
आन्ध्र प्रदेश	1
कर्नाटक	1
उत्तर प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	1

(ग) से (ङ) निम्नलिखित एकक बन्द कर दिये गये हैं :

(1) मैं० गे० डे० आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, डा० घ० गिरिडीह, जिला हजारी बाग, बिहार।

(2) मैं० आन्ध्र फाउण्ड्री एंड मशीन कं० लि०, मोला अली, हैदराबाद-5000401.

(3) मैं० शक्ति पाइप्स लि०, 31 पोइस गार्डन, मद्रास-600086

(च) कोई नहीं। एकक बन्द हो गये हैं।

बाह्य अन्तरिक्ष में एक शिप भेजने की प्रौद्योगिकी

2809. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य अन्तरिक्ष में एक शिप भेजने की प्रौद्योगिकी का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती और स्थानान्तरण

2810. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनानी और स्थानान्तरण संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या यह कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है; और

(ग) दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति आयुक्त की तरह जहां मात्र 13 महीने की अवधि में 6 आयुक्तों का स्थानान्तरण किया जा चुका है, बार-बार स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों को निर्धारित सेवावधि तक के लिए धारित करते हैं जिसकी समाप्ति पर वे सामान्यतया अपने अपने राज्य-संवर्गों को प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। परन्तु, उनकी सेवावधि को सरकारी कार्य की अत्यावश्यकताओं तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोक-हित में घटाया बढ़ाया जा सकता है।

(ग) कुछ तबादले प्रशासनिक कारणों से तथा लोक-हित में करने पड़े थे।

दिल्ली छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों का गिराया जाना

2812. **श्री शिबु सोरन :** क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी में दुकानों को उपकिरायेदारी पर दिये जाने के बारे में दिनांक 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 185, 256 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के गिराये जाने के लिए सैकड़ों नोटिस जारी किए गए थे, तथापि कुछ ही लोगों के मामले में तथा अनधिकृत निर्माण के गिराये जाने के लिए हाल ही में एक तिथि निर्धारित की गई है तथा इस मामले में पुलिस की सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुछ ही लोगों के मामलों के चुने जाने के क्या कारण हैं जबकि ऐसे भी अनेक लोग हैं जिन्होंने इन लोगों से पूर्व अथवा बाद में अनधिकृत निर्माण किए हैं, जिन्हें अब निर्माण के गिराये जाने हेतु आदेश दिए जाने की धमकी दी जा रही है; और

(ग) इन लोगों के नाम क्या हैं, अधिकारियों द्वारा जिनके निर्माणों के गिराये जाने की तिथि निर्धारित की गई है और अन्य लोगों की अवहेलना किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों में छावनी अधिनियम 1924 की धारा 185 के अन्तर्गत 41 नोटिस और धारा 256 के अन्तर्गत 23 नोटिस जारी किए गए थे। इस संबंध में यह कहना है कि नौ मामलों में अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए हाल ही में तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं और इसके लिए छावनी कार्यपालक अधिकारी ने पुलिस सहायता मांगी है।

(ख) जिन मामलों में अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं उनसे पहले कोई अनधिकृत निर्माण नहीं हुआ है। जिन लोगों ने उपर्युक्त नौ मामलों के बाद अनधिकृत निर्माण किए हैं उन्हें नोटिस जारी करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। किसी भी मामले की अवहेलना किए बिना प्रत्येक अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध छावनी बोर्ड/छावनी कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

उन व्यक्तियों की सूची जिनके मामलों में अनधिकृत निर्माण गिराने के लिए तारीखें निर्धारित की गई हैं

1. श्री लखीराम, 1/166, सदर बाजार।
2. श्री मनोहरलाल, 1/178, सदर बाजार।
3. श्री रतनलाल सूद, 1/65, सदर बाजार।
4. श्री हरनाम सिंह, 1/159, सदर बाजार।
5. श्री स्वर्ण सिंह, तांगा स्टैंड।
6. श्रीमती सरली, 5/73, ग्राम ओल्ड नांगल।
7. श्री राम सिंह, 5/23, ग्राम ओल्ड नांगल।
8. श्री प्रभुराम 53/60, 60 स्लम क्वाटर।
9. श्रीमती डी० वी० कपूर, 3/78 श्यामसिंह स्ट्रीट, शास्त्री बाजार।

भारत में बंगला देश शरणार्थी

2813. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के राष्ट्रपति श्री जिया-उर रहमान की हत्या के बाद बंगलादेश से कितने शरणार्थी भारत आये; और

(ख) उन्हें वापस भेजने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) मार्च, 1971 के पश्चात् उन सभी व्यक्तियों को जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना बंगलादेश से सीमा पार करके भारत में आये, उनको अवैध प्रवेशक समझा जाता है और उनको वापस बंगलादेश भेजने के लिये कार्यवाही की जाती है। अनधिकृत प्रवेश को प्रभावशाली रूप से रोकने के लिये कड़ी सतर्कता बरती जा रही है और भारत बंगलादेश सीमा पर सुरक्षा प्रबंध सुदृढ़ कर दिये गये हैं। 17,000 से अधिक बंगलादेश के आदिवासी जिन्होंने 27 जून, 1981 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश किया था, को बंगलादेश वापस भेज दिया गया है।

लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए आरक्षित मदें

2814. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें केवल लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा बनाये जाने के लिए आरक्षित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मदों का आरक्षण निरर्थक बनकर रह गया है तथा एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाली अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अब किसी न किसी कारण से अपना किसी भी हद तक विस्तार करने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो लघु क्षेत्र के उद्योगों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 843 वस्तुओं को केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन किए जाने के लिए ही आरक्षित किया गया है। इन वस्तुओं का ब्यौरा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 26.4.1978, 12.5.1980, 19.2.1981 और 3.8.1981 में प्रकाशित अधिसूचनाओं में दिया गया है।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां आरक्षित वस्तुओं के क्षेत्र में किसी सीमा तक वृद्धि कर सकती है। संगठित क्षेत्र के किसी भी एकक को (यदि वस्तु के आरक्षण संबंधी अधिसूचना के जारी होने से पूर्व यह एकक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु का उत्पादन कर रहा था। आरक्षण किये जाने की तारीख को हो रहे उत्पादन से अधिक उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जाती।

अनुसूचित जाति को प्रमाण पत्रों में शब्द हरिजन का उपयोग

2815. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि देश के कुछ राज्यों में जिलाधीशों द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय व्यक्ति को जाति के नाम के साथ-साथ अब शब्द "हरिजन" लिखा जा रहा है जबकि शब्द "हरिजन" को कोई जाति नहीं माना जाता है;

(ख) यह प्रक्रिया कब से शुरू की गई है; और

(ग) जाति के नाम के साथ शब्द "हरिजन" का उपयोग सरकार ने किन कारणों से किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय व्यक्ति को जाति के नाम के साथ "हरिजन" शब्द लिखा जाए।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा वरिष्ठ स्तर तथा सुपरवाइजरी स्तर के लिये वर्कशाप

2816. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान वरिष्ठ स्तर तथा सुपरवाइजरी स्तर पर कितनी वर्कशापों का आयोजन किया था और उपरोक्त वर्षों के दौरान कितने राज्यीय तथा केन्द्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया; और

(ख) प्रशिक्षणदाताओं के रूप में भाग लेने वाले कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों ने वर्ष-वार कितनी राशि का मानद भत्ता प्राप्त किया ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने, राज्य सरकारों, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग और राष्ट्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से वरिष्ठ और पर्यवेक्षक स्तर के कार्मिकों के लिए निम्नलिखित रूप में 10 कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया :

वर्ष	कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले/प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों की संख्या
1979	3	96
1980	3	85
1981	4	98

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अधिकारियों ने, निमंत्रित करने वाली संस्थाओं के अनुरोध पर, अतिथि वक्ताओं के रूप में निम्नलिखित मानदेय प्राप्त किया :

वर्ष	प्राप्त मानदेय
1979	शून्य
1980	7200 रु०
1981	1425 रु०

पाकिस्तान की परमाणु विस्फोट क्षमता

2817. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री मुन्दर शर्मा :

श्री बापूसाहिब परुलेकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान समृद्ध यूरेनियम तथा परमाणु ईंधन के रीप्रोसैसिंग की क्षमतायें प्राप्त करने के लिये सतत प्रयत्नशील है जिससे वह परमाणु विस्फोट कर सकेगा;

(ख) क्या इस बात के कुछ संकेत हैं कि पाकिस्तान इस वर्ष के अन्त से पूर्व परमाणु विस्फोट परीक्षण करना चाहता है; और

(ग) यदि हां, तो उप-महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा के हित में पाकिस्तान को परमाणु की दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिये राजनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उनका आणविक कार्यक्रम युद्ध सम्बन्धी कार्यों के लिए नहीं है। आशा की जाती है कि पाकिस्तान सरकार अपने आश्वासनों पर दृढ़ रहेगी। सरकार उन सभी घटनाओं पर निरन्तर कड़ी नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और रक्षा सम्बन्धी तैयारियों को अद्यतन बनाने के लिए समुचित उपाय करती है।

'बजाज' तथा 'प्रिया' स्कूटरों की मांग

2818. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बजाज' तथा 'प्रिया' स्कूटरों की देश में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1981 तक इनके लिये पंजीकृत लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) अक्तूबर, 1981 तक राज्यवार कितने स्कूटर वितरित किये गये हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	31-10-81 तक पब्लिक/ सामान्य बुकिंग के अधीन बुक किए गए कुल आर्डर	31 अक्तूबर, 1981 तक किया गया कुल वितरण
(क) बजाज सुपर स्कूटर—		
आन्ध्र प्रदेश	21817	8880
आसाम	34358	648
बिहार	37767	15501
चंडीगढ़	34066	5039

राज्य	31-10-81 तक पब्लिक/सामान्य बुकिंग के अधीन बुक किए गए कुल आर्डर	31 अक्तूबर, 1981 तक किया गया कुल वितरण
दिल्ली प्रशासन	194675	81111
गोआ	15637	414
गुजरात	114151	30235
हरियाणा	131783	8316
हिमाचल प्रदेश	13048	1861
जम्मू और कश्मीर	3810	1487
कर्नाटक	33552	14305
केरल	6002	1140
मध्य प्रदेश	71540	28005
महाराष्ट्र	126969	51238
मणिपुर	2543	411
मेघालय	2203	257
नागालैंड	1873	339
उड़ीसा	18974	8170
पंजाब	17036	4521
राजस्थान	40487	9598
तमिलनाडु	29074	11326
उत्तर प्रदेश	55079	17060
पश्चिम बंगाल	49241	20182
योग	1025685	320044

राज्य	31-10-82 तक पब्लिक/ सामान्य बुकिंग के अधीन बुक किए गए कुल आर्डर	31 अक्तूबर 1981 तक किया गया कुल वितरण
(ख) बजाज चेतक स्कूटर		
आन्ध्र प्रदेश	18337	9544
आसाम	365	167
बिहार	3003	1571
चंडीगढ़	9799	5849
दिल्ली प्रशासन	59033	25251
गोआ	2828	1441
गुजरात	26398	14343
हरियाणा	7727	3502
हिमाचल प्रदेश	1260	592
जम्मू और कश्मीर	1163	606
कर्नाटक	10697	5529
केरल	5666	2392
मध्य प्रदेश	9797	5605
महाराष्ट्र	22081	13246
मणिपुर	30	15
मेघालय	72	37
नागालैंड	90	31
उड़ीसा	1604	735
पंजाब	42433	22580
राजस्थान	7669	3003
तमिलनाडु	10546	5323
उत्तर प्रदेश	15054	8781
प० बंगाल	2488	1218
योग	258135	131341

राज्य	31-10-81 तक पब्लिक/ सामान्य बुकिंग के अधीन बुक किए गए कुल आर्डर	31 अक्तूबर, 1981 तक किया गया कुल वितरण
(ग) प्रिया स्कूटर		
आन्ध्र प्रदेश	98053	6018
आसाम	—	—
बिहार	20283	2837
चंडीगढ़	36006	5355
दिल्ली प्रशासन	107678	13402
गोवा	11015	1823
गुजरात	160226	12652
हरियाणा	94049	6361
हिमाचल प्रदेश	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—
कर्नाटक	10924	1909
केरल	5339	251
मध्य प्रदेश	64[illegible]01	5987
महाराष्ट्र	121088	15151
मणिपुर	—	—
मेघालय	—	—
नागालैंड	—	—
उड़ीसा	—	—
पंजाब	48869	8322
राजस्थान	23019	4039
तमिलनाडु	27076	2165
उत्तर प्रदेश	129901	10141
पश्चिम बंगाल	13283	2281
योग	971110	98694

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक के लिये चयन सूची

2819. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक के लिये वर्ष 1981 की चयन सूची 1 जुलाई, 1981 से जारी होनी थी;

(ख) यदि हां, तो उसे अभी तक जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सूची सम्भवतः किस तारीख तक जारी कर दी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान। नियमों में इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसके शीघ्र जारी किए जाने की आशा है।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सम्वर्ग "ग" के संवर्ग "ख" में तथा सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति के लिये चयन सूचियां

2820. **श्री बनवारी लाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों को संवर्ग "ग" से संवर्ग "ख" में पदोन्नत करने तथा सहायकों को अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत करने के लिये, 27 नवम्बर, 1972 के परिपत्र डी० पी० एण्ड ए० आर० संख्या 27/2/77 इस्टेब्लिशमेंट (एस० सी० टी०) के शर्तों के अनुसार, वर्ष 1972 से प्रतिवर्ष अलग-अलग चयन सूचियां जारी की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 से अब तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में संवर्ग "ख" में और सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के पद पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने अधिकारी पदोन्नत किये गये;

(ग) सामान्य उम्मीदवार कितने आरक्षित पदों पर काम कर रहे हैं और 1 जुलाई, 1981 को उपरोक्त श्रेणियों में मन्जूरशुदा कर्मचारी संख्या कितनी थी; और

(घ) उपरोक्त दो श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिये और आगे क्या कदम उठाये गए हैं, और 1 जुलाई, 1982 से प्रभावी होने वाली नई सूची सम्भवत: किस तारीख को घोषित की जायेगी ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए अलग चयन सूची तैयार करने की व्यवस्था नहीं है। इसमें जो व्यवस्था है वह यह है कि मुख्य सूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता के क्रम में अलग सूची तैयार की जानी चाहिए और यह कि ऐस अधिकारियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों दोनों की प्रवर सूचियों को मिलाकर एक संयुक्त प्रवर सूची बनाई जानी चाहिए जिसमें सभी अधिकारियों के नाम उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएं और इसके बाद इस सम्मिलित सूची का पदोन्नतियां करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ग से ग्रेड ख में तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक से अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नतियां करते समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन आदेशों का पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) से (घ) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी के स्तर तक) विकेन्द्रीकृत है, इसलिए अपेक्षित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में फिलेटिड उद्योगों का आवंटन

2821. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला औद्योगिक क्षेत्र के निकट दिल्ली के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये 44.69 से 46 वर्ग मीटर तक के कितने फ्लेटिड कारखाने आवंटित किये गये हैं;

(ख) इनके लिये अनु० जातियों/जनजातियों के कितने लोगों ने आवेदन किया था और इनमें से कितने लोग अर्हता प्राप्त इंजीनियर थे तथा पहले का अनुभव भी रखते थे और कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया अथवा उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया;

(ग) अनु० जातियों/जनजातियों के ऐसे कितने लोगों के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया अथवा उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये जिनके पास कोई तकनीकी अर्हता नहीं थी और न ही कोई पूर्व अनुभव था;

(घ) ओखला में अनु० जातियों/जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षित कितने फ्लेटिड कारखाने अभी तक रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) उनके आवंटन सम्बन्धी नीति क्या है विशेषत: जबकि अनु० जातियों/जनजातियों के अर्हता प्राप्त इंजीनियर के आवेदनों पर आवंटन हेतु विचार नहीं किया गया?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) ओखला औद्योगिक क्षेत्र में दो आकारों के अर्थात 44.69 वर्ग मीटर और 46 वर्ग मीटर के 294 फ्लेटिड कारखानों को दिल्ली के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त आवेदनों को आवंटन के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदनों से 40 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 5 आवेदन इंजीनियरी उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्रधारी थे। इनमें से 4 आवेदनों पर आवंटन के लिए विचार किया गया था जबकि एक मामला स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 33 आवेदकों के पास किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता नहीं थी। इनमें से 23 आवेदकों को आवंटन के प्रयोजन के लिए लाटरी निकालने हेतु पात्र समझा गया था।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आवेदनों के लिए आरक्षित कोई भी फ्लेटिड कारखाना खाली नहीं है।

(ङ) फ्लेटिड कारखानों की आवंटन सम्बन्धी नीति में यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि इन कारखानों में से 15 प्रतिशत कारखाने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त और पात्र आवेदकों के आवंटन के लिए आरक्षित किए जाएंगे, इसके साथ ही इस नीति में इस परन्तुक की व्यवस्था की गई कि यदि ऐसे आवेदक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो शेष कारखानों का, जिनका आवंटन नहीं किया जा सका है, आरक्षित नहीं समझा जायेगा और उनका आवंटन लाटरी निकालकर सामान्य वर्ग के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

तमिलनाडु में अखबारी कागज/कागज मिल के लिये विदेशी सहयोग

2822. **श्री ईरा मोहन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में अखबारी कागज/कागज के लिये विदेशी सहयोग सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या वह प्रौद्योगिकी विशेष विश्व में कहीं अन्यत्र सफल हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि इस बारे में कोई तकनीकी परामर्श करार हुआ है तो उसका ब्योरा क्या है?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दि तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि० को तमिलनाडु में खोई पर आधारित अखबारी कागज और कागज परियोजना की स्थापना करने हेतु प्रदान की जाने वाली विभिन्न तकनीकी सेवाओं के बारे में मैसर्स बेलोइट वालम्सले लि०, यू० के० और मैसर्स रीड इण्टरनेशनल कन्सलटेंट लि०, यू० के० के साथ तकनीकी सहयोग करार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(ख) और (ग) विदेशी सहयोगकर्त्ता ईरान, दक्षिण अफ्रीका तथा मैक्सिको में खोई पर आधारित इसी प्रकार की परियोजनाओं में सहयोग कर रहे हैं तथा उन्होंने खोई से लुगदी बनाने की जानकारी का भी विकास कर लिया है।

(घ) विदेशी सहयोगकर्त्ताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में प्रयोगशाला, पाइलट (प्रमुख) संयंत्र और अर्ध-वाणिज्यिक परीक्षण, मूल इंजीनियरी, भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण, परियोजना अनुसूची की मोनीटरिंग तथा व्यापक इंजीनियरी का परिवीक्षण निष्पादन, आरम्भ करना व शुरू करने आदि कार्य सम्मिलित हैं। इन संसाधनों को देय फीस की राशि 56.39 लाख अमरीकी डालर होगी।

दिल्ली श्रद्धानन्द मार्किट क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा पैदल पथ पर कब्जा

2823. **श्री काजी सलीम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नया बाजार, श्रद्धानन्द मार्केट तथा खारी बावली क्षेत्र में ट्रकों, कारों, बैलगाड़ियों तथा साइकल रिक्शाओं के खड़े रहने के कारण यातायात रुका रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नया बाज़ार, श्रद्धानन्द मार्केट तथा खारी बावली में अनेक दुकानदारों ने पैदल-पथ तथा सड़कों तक पर कब्जा कर रखा है और उस स्थान का उपयोग वे अपने गोदामों की तरह करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथा विशेषतः इस मामले में उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस क्षेत्र में यातायात रुका रहता था लेकिन उठाए गए विभिन्न कदमों से स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) दुकानदारों को पैदल पथ पर माल रखने या माल प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) मिली भगत के कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आए हैं जिनमें पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का औचित्य सिद्ध होता हो। स्थिति को सुधारने के लिए किए गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) दुकानदारों को अपनी वस्तुएं दुकान के अन्दर रखने के लिए कहा गया है।

(2) गलत स्थानों पर खड़े किए गए वाहनों को उठाया और हटाया जाता है।

(3) इस क्षेत्र में कुछ घंटों के लिए भारी परिवहन वाहन चलाना निषिद्ध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाता है।

(4) इस क्षेत्र में यातायात पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गयी है।

ऊंचे-ऊंचे भवनों द्वारा अग्निरोधक नियमों की उपेक्षा

2824. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊंचे-ऊंचे भवनों में अग्निरोधक नियमों तथा विनियमनों का पालन नहीं किया जा रहा है जिनके फलस्वरूप देश भर में अनेक बड़े-बड़े अग्निकांड हुए हैं; जिनमें उच्चतम न्यायालय की घटना 27 जून, 1981 की है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित 16 अगस्त, 1981 के "सण्डे मैगजीन" में "मस्ट आवर सिटिज बर्न" क्या हमारे नगरों को जलना ही होगा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषतया आग बुझाने वालों के लिए मास्को, भीतरी अग्नि शमक सुविधाओं की कमी. लाइसेंसित परिसरों के बाहर मिट्टी के तेल के ड्रम रखने पर रोक, सरकारी कार्यालयों में से पुराने रिकार्डों को रोक देने, भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों में दंडनीय धारा का प्रावधान करने और अधिक हाईड्रालिक प्लेटफार्मों का अर्जन; अग्नि-शमक यंत्रों को चालू हालत में रखने और आग बुझाने के और अधिक केन्द्र खोलने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की भर्ती

2725. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) के तत्कालीन महानिदेशक ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा उन अन्य वर्गों के लोगों का प्रतिशत बढ़ाने की नीति बनाई थी जिनका इस बल में बहुत प्रतिनिधित्व है;

(ख) क्या इस नीति के अनुसार वर्ष 1980 में भर्ती के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था;

(क) क्या वर्तमान महानिदेशक ने उक्त परिपत्र को वापस ले लिया है जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कम-प्रतिनिधित्व वाले अन्य वर्गों की संख्या इस बल में और घट गई है; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) बल की अतिरिक्त बटालियनों का गठन करने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल मे भर्ती की अग्रिम योजना बनाने के विचार से केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के सभी पुलिस महानिरीक्षकों की तारीख 11 जुलाई 1980 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इससे पहले जारी किए गए सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में 24 सितम्बर, 1980 को संशोधित अनुदेश जारी किए गए थे। संशोधित अनुदेशों में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के पुलिस महानिरीक्षकों को इस प्रकार से भर्ती करने के लिए कहा गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का कोटा सामान्य उम्मीदवारों को न दिया जाए और बल की संरचना में देश का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सके।

24 सितम्बर, 1980 के अनुदेशों के बाद, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा करने के लिए अगस्त, 1981 को भी अनुदेश जारी किए गए थे।

"प्रोटेस्ट आन एड-हाक सीमेंट परमिट्स" शीर्षक समाचार

2826. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "प्रोटेस्ट आन एड-हाक परमिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) आयुक्त, खाद्य तथा पूर्ति, दिल्ली के यहां 5 बोरी तक; 5 से 20 बोरी तक, 20 से 50 बोरी तक तथा 50 और इससे अधिक बोरी सीमेंट के परमिट जारी करने के लिए 24 सितम्बर, 1981 को कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ग) सबसे पुराने आवेदन पत्रों की तिथियां क्या हैं तथा विभाग में उनके प्राप्त होने की तिथि क्या है तथा उन्हें परमिट जारी न किए जाने के क्या कारण हैं और उन्होंने किस प्रयोजन के लिए सीमेंट हेतु आवेदन किया है;

(घ) ऐसे आवेदन पत्रों का ब्योरा क्या है जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान आयुक्त, खाद्य एवं पूर्ति, दिल्ली तथा खाद्य एवं पूर्ति सर्किल सं० 39 द्वारा सीमेंट के परमिट दिये गये हैं तथा सिफारिश करने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों का ब्योरा क्या है और सीमेंट किस कार्य हेतु मांगा गया था; और

(ङ) क्या इस आशय की कोई जांच की जाती है कि सीमेंट का उपयोग उसी काम के लिए किया गया, जिसके लिए आवेदन किया गया था, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने जानकारी दी है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 44 सर्किल (क्षेत्रीय) कार्यालयों में मरम्मत हेतु सीमेंट परमिट जारी करने के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की 24-9-81 को स्थिति निम्न प्रकार थी :—

पांच बोरी तक 5	13385
5 से 20 बोरी तक	22170
20 से 50 बोरी तक	9802
50 नोरी से अधिक	1594

(ग) सबसे लम्बे समय के आवेदनपत्र मार्च, 1981 के हैं तथा ये मरम्मत के लिए सीमेंट की आवश्यकता के बारे में हैं। संघशासित क्षेत्र दिल्ली सहित देश में सीमेंट की आम कमी होने के कारण सीमेंट की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है।

(घ) जनवरी, 1981 से नवम्बर, 1981 की अवधि में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुख्यालय से अनुमानित: 35,000 परमिट जारी किए गए थे/उक्त अवधि में सर्किल कार्यालय i० 39 से 4912 परमिट जारी किए गए जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

5 बोरी तक	2899
5 बोरी से 20 बोरी तक	1986
20 से 50 बोरी तक	27
कुल	4912 ✓

आवेदन पत्रों के बारे, में जिनकी संख्या हजारों में है, पूछी गई सभी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अधिक मेहनत और प्रयासों की जरूरत होगी। इसके परिणाम निहित श्रम के अनुकुल नहीं होंगे।

(ङ) जिस उद्देश्य के लिए परमिट प्राप्त किए गए हैं, उसके लिए सीमेंट के उपयोग की जांच पड़ताल करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा समय-समय पर अचानक जांच की जाती है।

केन्द्र में लोकपाल की नियुक्ति

2827. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय के रूप में केन्द्र में लोकपाल की नियुक्ति का अधिकार पाने का एक विधान बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) लोकपाल विधेयक, 1977, जिसमें केन्द्र में लोकपाल नियुक्त करने की व्यवस्था थी, छटी लोक सभा के भंग होने पर समाप्त हो गया था। इस सम्बन्ध में संसद में नया विधान प्रस्तुत करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर की लाइसेंसशुदा क्षमता

2828. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री हन्नानमोल्लाह :

क्या उद्योग मन्त्री मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के बारे में दिनांक 21 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3053 और दिनांक 2 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2600 और 2599 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशक ने हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उसकी 91,000 टन प्रति वर्ष की लाइसेन्सशुदा क्षमता के विपरीत वर्ष 1972 के दौरान 1,17,308 टन साबुन का उत्पादन किये जाने की सूचना दी थी;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई सूचना पर उपयुक्त कम्पनी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या 91,000 टन प्रति वर्ष की दी गई लाइसेन्सशुदा क्षमता के सम्बन्ध में यह वक्तव्य कि हिन्दुस्तान लीवर द्वारा सांबुन के उत्पादन के संबंध में कोई लाइसेन्सशुदा क्षमता निर्धारित नहीं की गई है, पूर्णत: भ्रामक है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा वक्तव्य दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) लोकसभा में 21 अगस्त, 1974 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3053 के भाग (क) और (ख) के दिए गए उत्तर को सही करने वाला विवरण जो 8-12-1981 को सभापटल पर पर रखा गया है, संलग्न है।

विवरण

लोक सभा में 21 अगस्त, 974 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3053 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया था कि 91,000 मी० टन प्रतिवर्ष की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता पर हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा 1972 में 1,17,308 मी० टन साबुन का उत्पादन किया गया था। उत्तर दिए जाने की तिथि की सही स्थिति यह थी कि "साबुन" का उत्पादन करने के लिए कम्पनी के पास उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अन्तर्गत 1954 में जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र थे तथा तत्कालीन प्रचलित नीति के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्रों में क्षमता सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं था। अत: उत्तर में वास्तविक त्रुटि हो गई उसमें पार्टी की लाइसेन्सशुदा क्षमता 91,000 मी० टन प्रतिवर्ष बताई गई थी। जिसके लिए खेद है। इस गलती का 18-11-1981 को ही पता चल सका है।

अतः 21 अगस्त, 1974 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3053 के भाग (क) और (ख) के उत्तर के दूसरे वाक्य में से 91,000 मी० टन वार्षिक लाइसेन्स क्षमता शब्दों को हटा दिया जाए।

"गवर्नमेंट पालीसीज कर्ब आउटपुट" शीर्षक समाचार

2829. **श्री भीकूराम जैन :** क्या उद्योग मंत्री दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेंट पालिसीज कर्ब आउट पुट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार तथा दिनांक 30 अक्तूबर, 1981 के "ईस्टर्न इकानामिस्ट" में "प्राइवेट सेक्टर इन दी एटीज" शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में श्री ए० बी० बिड़ला द्वारा वर्तमान औद्योगिकी नीति की बताई गई कमियों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च उत्पादन में विभिन्न बाधाओं को दूर करने तथा इन उपकरणों को बदलती आर्थिक अवस्थाओं तथा विकासशील स्थिति से और संबद्ध करने की दृष्टि से क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में संस्थागत व्यवस्था तथा नीतियों, दोनों का विस्तृत अध्ययन कराने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जुलाई, 1980 को घोषित औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार सरकार द्वारा किए गए विभिन्न अभ्युपायों के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में दृढ़ता से वृद्धि हो रही है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्रित किए गए अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 1981-82 के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त, 1981) में वृद्धि दर विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 10.4 प्रतिशत रही है, किन्तु, अर्थव्यवस्था की बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जहां कहीं आवश्यक होता है वहां नीतियों और प्रक्रियाओं की लगातार संवीक्षा की जाती है और परिवर्तन किये जाते हैं ताकि औद्योगिक वृद्धि में वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखा जा सके।

"200 एयरमैन क्लेश विध विलेजर्स" शीर्षक समाचार

2830. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में "200 एयरमैन क्लेश विध विलेजर्स" (200 वायुसैनिक द्वारा ग्रामीणों से झड़प) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) कुछ वायु सेना कार्मिकों और सिविलियनों के बीच हुए संघर्ष की इस घटना से सरकार चिन्तित है।

(ग) इस समय जांच अदालत उन परिस्थितियों की जांच कर रहा है, जिनसे यह घटना घटी है। इस घटना के बारे में सिविल पुलिस में भी मामले दर्ज किये हैं।

बिजली उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत सोवियत संघ कार्यक्रम

2831. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और सोवियत ने बिजली उपकरणों तथा उनके भारत में ही उत्पादन के बारे में एक पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई करार हुआ है; और

(घ) इससे देश के इंजीनियरी उद्योग को क्या लाभ होगा ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दुबई से निकाले गये भारतीयों की संख्या

2832. **श्री बी० एस० विजय राघवन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दुबई से ऐसे कितने भारतीय निकाले गए जिनके बीजा रद्द कर दिए गये थे, क्योंकि उन्होंने वे नौकरियां कर ली थीं जिनके लिए वीजा में अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) क्या सरकार एजेंटों द्वारा ग्रुप वीजा जारी किए जाने की प्रक्रिया को नियमित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वीजा रद्द करने के मामले में यू० ए० ई० श्रम प्राधिकरणों द्वारा भारतीय मिशनों से परामर्श नहीं किया जाता है ?

(ख) जी, नहीं। वीजा जारी करने का विनियम विदेशी सरकारों का काम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भारतीय व्यक्तियों की भर्ती

2834. **श्री कृपासिंधु भोई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाड़ी के देशों में काम करने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम में भारतीय व्यक्तियों की भर्ती को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी देशों में काम करने के लिए भारतीय व्यक्तियों की भर्ती के लिए वैकल्पिक माध्यम क्या होगा; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की भर्ती के लिए ब्योरेवार प्रक्रिया क्या होगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें महिला रोजगार घट रहा है

2835. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में उन क्षेत्रों और सैक्टरों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये गये थे जिनमें महिला कर्मचारी कम हैं अथवा कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके लिए रोजगार के और अवसर बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम के अधीन, महिलाओं को अधिक रोजगार सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की गई है । वैसी ही सांविधिक समितियां 22 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में भी स्थापित की गई हैं । इन समितियों की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता और रियायती वित्तपोषण का लाभ

2836. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मंत्री राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम सहित जिलों को प्राप्त केन्द्रीय निवेश राजसहायता और रियायती वित्तपोषण के लाभ के बारे में ब्योरा दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : संलग्न अनुबंध 1 और 2 में ब्योरा दिया गया है ।

[ग्रंथालय के रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3052/81]

राज्यों में बंधुआ श्रमिक

2838. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन :**
श्री कुंवर राम :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 अक्तूबर, 1981 तक (राज्यवार) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने तथा उनके पुनर्वास के लिए कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारे इस माननीय समस्या के सुलझाने में कोई रुचि नहीं ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) इस मामले पर श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया और यह स्वीकार किया गया कि बंधित श्रमिकों का पता लगाने के प्रयास जारी रहने चाहिए तथा इन प्रयासों को तेज किया जाना चाहिये । श्रम मन्त्री जी ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अलग से अनुरोध किया है कि वे सम्पूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दें, ताकि पद्धति के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित किया जा सके । उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे योजनाएं तैयार करें, जो मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों के अधिक स्थायी आधार पर पुनर्वास को सुनिश्चित करेगी, ताकि वे दोबारा बंधित श्रमिक न बन जाएं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य	30-10-81 को बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
		पता लगाए गए और मुक्त कराये गये	राज्य सरकारों की चल रही योजनाओं के अधीन पुनर्वासित किए गए और जो केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आती हैं, जिनके लिए धनराशि दी गई है ।
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13399	9654
2.	बिहार	4928	4013
3.	गुजरात	42	42
4.	कर्नाटक	62699	55444

1	2	3	4
5.	केरल	1162	308
6.	मध्य प्रदेश	1531	58
7.	उड़ीसा	7096	854
8.	राजस्थान	6000	6000
9:	तमिलनाडु	27874	27670
10.	उत्तर प्रदेश	8435	14969
	योग	133166	109012

रायबरेली अथवा अलमोड़ा में इलेक्ट्रोनिक स्विच बनाने वाला एकक

2839. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रायबरेली अथवा अलमोड़ा में इलेक्ट्रोनिक स्विच बनाने वाला यूनिट स्थापित करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही को गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक अनुकूल कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां। सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक स्विच कारखाना स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) तथा (ग) यह अनुरोध प्रथम इलेक्ट्रोनिक स्विचन कारखाने के लिए उचित स्थान के चयन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए स्थापित स्थान-चयन-समिति के पास यह प्रस्ताव विचारार्थ भेज दिया गया है ।

सामाजिक भेदभाव के लिए चल न्यायालय

2840. **श्री के० बी० चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक भेदभाव के शिकार हुए व्यक्तियों को घटनास्थल पर तथा शीघ्र न्याय दिलाने के लिए चल न्यायालय व्यवस्था आरंभ की है; और

(ख) कमजोर वर्गों पर अत्याचारों को कम करने में उससे कितनी सहायता मिली है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों के प्रति किए गए अपराधों के अभियुक्तों को शीघ्रता से और कठोर दंड दिलवाने की दृष्टि से भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ विशेष न्यायालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पांच विशेष मोबाइल न्यायालय स्थापित किए हैं जबकि राजस्थान सरकार ने तीन विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सिवल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन अपराधों के विचारण के लिए चार विशेष न्यायालय गठित किए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार दो और विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने ऐसे ही विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मोबाइल न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया है। कुछ अन्य राज्य सरकारें ऐसे न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं।

सरकार को आशा है कि उपाय के परिणाम यथा समय अनुभव होंगे।

सीमेंट की दोहरी मूल्य प्रणाली

2841. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्रीमती संयोगिता राणे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट की दोहरी मूल्य प्रणाली आरंभ करने का है जैसा कि चीनी के मामले में है;

(ख) क्या सरकार ने सीमेंट की चोरबाजारी को रोकने के प्रश्न पर विचार किया है जो कि 80 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बिक रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता पर कुछ मात्रा में सीमेंट बिल्कुल कंट्रोल से सप्लाई करने का प्रबन्ध करने का है; और

(घ) तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार द्वारा सीमेंट के प्रवृत्त मूल्यों के प्रश्न की सावधिक समीक्षा की जाती है। इस प्रश्न की जांच करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। सरकार इस मामले पर समिति की सिफारिशों पर विचार कर लेने के बाद ही निर्णय लेगी।

(ख) और (ग) सीमेंट एक कानूनी रूप से नियन्त्रित वस्तु है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है जो राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम होती है। राज्य सरकारों को भी सीमेंट की सार्वजनिक बिक्री पर नियंत्रण लगाने और समान वितरण के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता पर बल देने की सलाह दी गई है। सुझाई गई योजना की खास-खास बातें सीमेंट स्टाकिस्टों

को कानूनी ढंग से लाइसेंस देना, राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट विक्रेताओं की शीघ्र नियुक्ति करना जिसके परिणामस्वरूप स्टाकिस्टों को निर्माताओं से असम्बद्ध करना, परमिट-प्रणाली लागू करना और योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करना है। तदनुसार 17 राज्यों और 3 संघशासित प्रदेशों ने सीमेंट के सार्वजनिक वितरण के लिए अपनी-अपनी योजना लागू कर दी हैं।

वार्षिक योजना 1981-82 में कटौती

2842. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों के 1981-82 की वार्षिक योजनाओं में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी वार्षिक योजनाओं में कटौती किए जाने की संभावना है अथवा कटौती कर दी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा यह कार्यवाही किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे वार्षिक योजना के परिव्ययों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर बनाए रखें जिससे कि विशेषरूप से कीमतों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष के लिए सहारा न लेना पड़े। इस समय कुछ ऐसे राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है जिनकी 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए अपने संसधानों में अन्तर है ताकि चालू वर्ष को बिना किसी घाटे के समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें।

श्री कश्यप द्वारा महिलाओं का ठगा जाना

2843. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 25 अक्तूबर, 1981 और 13 नवम्बर, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में प्रकाशित इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि पी० एल० कश्यप नामक एक व्यक्ति ने कई महिलाओं को ठग लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली पुलिस तभी कार्यवाही कर सकती है जब उसके पास शिकायत दर्ज की जाती है। इससे पहले वर्ष 1976 में दिल्ली पुलिस ने उस पर दो मामलों में मुकदमा चलाया था।

संकटग्रस्त यूनिटों को तत्कालीन मालिकों को वापस देने संबंधी सरकारी निर्णय

2844. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संटकग्रस्त यूनिटों को उनके तत्कालीन मालिकों को सौंपने का निर्णय किया है क्योंकि उनको सक्षम करने का अन्य कोई विकल्प नहीं हैं; और

(ख) संकटग्रस्त यूनिटों को सक्षम बनाये जाने के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार अन्य क्या उपायों की योजना बना रही है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने रुग्ण उद्योगों संबंधी संशोधित नीति 6 अक्तूबर, 1981 को घोषित की थी। नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

1. केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मन्त्रालयों पर उनके प्रभार के अन्तर्गत आने वाली औद्योगिक रुग्णता को रोकने एवं उपचारात्मक कार्यवाही करने की विशेष जिम्मेदारी होगी। उन्हें रुग्णता की मानीटरिंग करने तथा रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवित करने और पुनस्थापित में प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। उपयुक्त मामलों में वे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जिनमें रुग्णता बड़े पैमाने पर व्याप्त है, स्थायी समितियों का गठन करेंगे।

2. वित्तीय संस्थान मानीटरिंग प्रणाली को मजबूत बनायेंगे ताकि प्रारंभिक रुग्णता को दूर करने के लिए समय के अन्दर सुधारात्मक कार्यवाही करना संभव हो सके। वे सहायता प्राप्त एककों तथा ऐसे एककों के बोर्डों में उनके द्वारा नामित किए गए निदेशकों से समय-समय पर विवरणियां प्राप्त करेंगे।

3 वित्तीय संस्थान और बैंक रुग्णता अथवा उनके द्वारा किए गए निदान संबंधी अध्ययन के आधार पर प्रारंभिक रुग्णता वाले एककों के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। बढ़ती हुई रुग्णता के मामलों में वित्तीय संस्थान उस मामले में प्रबंध संबंधी उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर भी विचार करेंगे, जहां वे एक एकक स्वस्थ्य होने के में आश्वस्त हों।

4 जहां वित्तीय संस्थान और बैंक को रोकने अथवा एक रुग्ण एकक की पुनस्थापना का सुनिश्चय करने में असमर्थ हैं, वहां वे सामान्य बैंकिंग पद्धति के अनुसार एकक पर बकाया अपनी धनराशि के लिए कार्यवाही करेंगे। किन्तु, ऐसा करने से पूर्व वे केन्द्रीय सरकार को इस मामले की सूचना देंगे जो यह निर्णय करेगी कि क्या एकक का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अथवा प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सहित कोई अन्य विकल्प उपक्रम को पुनर्जीवित कर सकता है।

5. जहां कहीं उपक्रम के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया जाता है, इसके प्रबंध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत छह महीने की अवधि के लिए सरकार द्वारा अभिग्रहीत कर लिया जाता है ताकि सरकार राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

6 औद्योगिक उपक्रम जो वर्तमान में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन हैं उनके साथ उपयुक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। यह निश्चय किया जायेगा कि उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया जाये अथवा वैकल्पिक उपाय से हल निकल

सकता है। यदि कोई विकल्प संभव नहीं समझा जाता है तो सरकार उसके अनधिसूचित करने पर विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में बेंक और वित्तीय संस्थान उपक्रम द्वारा देय राशि के लिए सामान्य बेंक पद्धति के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

धान की भूसी से सीमेंट उत्पादन में प्रगति

2845. **श्री राजेश पाइलट** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान की भूसी से सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में गत 6 महीनों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस नई तकनीक से सीमेंट के उत्पादन के लिए छोटे और माइक्रो संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने सूचित किया है कि निम्नलिखित पार्टियों द्वारा चावल की भूसी का उपयोग करके चावल की भूसी की राख से चिकनाई की सीमेंट बनाने वाले एकक स्थापित किए गए हैं :

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता
(1) मैं० इण्डम सीमेंट	नीलोखेड़ी जिला करनाल	4 मी० टन प्रतिदिन
(2) मैसर्स श्री सतसई इंडस्ट्रीज	गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश)	4 मी० टन प्रतिदिन
(3) मैसर्स पी० टी० आर० इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	मद्रास	10 मी० टन प्रतिदिन

सीमेंट अनुसंधान ने जानकारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों के साथ करार किया है तथा इनके संयंत्र अगले कुछ महीनों में स्थापित हो जाने की आशा है :

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता
(1) मैसर्स मालवा राइस मिल्स	फरीदकोट, पंजाब	2 मी० टन प्रतिदिन
(-) मैसर्स अकल सीमेंट मैन्युफैक्चर्स	मोंगा, पंजाब	2 मी० टन प्रतिदिन
(3) मैसर्स हिन्दुस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स	लुधियाना, पंजाब	2 मी० टन प्रतिदिन
(4) मैसर्स जेमकी इन्टरप्राइजेज	करनाल, हरियाणा	2 मी० टन प्रतिदिन

निम्नलिखित पार्टियों के संबंध में सीमेंट अनुसंधान संस्थान करारों को अन्तिम रूप दे रहा है :—

(1) मैसर्स इंडस सीमेंट	करनाल
(2) मैसर्स डकन सीमेंट इंडीस्ट्रीज	हैदराबाद में
(3) मैसर्स इकनामिक सीमेंट कम्पनी	बम्बई में
(4) मैसर्स रीसीम सीमेंट फैक्ट्री	नागपुर में

(ख) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना अनेक प्रोत्साहन देकर उन्हें बढ़ावा देने संबंधी सरकार की नीति 4 जनवरी, 1979 और 3 जुलाई, 1981 के सरकारी प्रेस टिप्पणी में दी गई है, जिसकी एक-एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल टी० 3063/81]

राज्यों में बाल सुधार गृह

2846. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में चलाये जा रहे बाल सुधार गृहों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार बाल सुधार गृहों की वर्तमान स्थिति में सुधार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा और ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में किसी राज्य में "बाल सुधार गृहों" के नाम से कोई संस्थाएं नहीं चल रही है । परन्तु अपराधी और उपेक्षित बच्चों के रिमान्ड/प्रेक्षण गृहों और उनकी नजरबंदी, प्रशिक्षण शिक्षा, सुधार पुनर्वास के लिए प्रमाणित/अनुमोदित/विशेष स्कूल जैसी संस्थाएं राज्यों में सम्बद्ध राज्य के बाल अधिनियम के अधीन और संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय बाल अधिनियम, 1960 के अधीन स्थापित की गई हैं । नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा के अतिरिक्त सभी राज्यों में बाल अधिनियम लागू हैं, बिहार में हाल ही तक एक अध्यादेश था और बताया गया है कि अधिनियम के प्रस्ताव अब अन्तिम चरण में है । बाल अधिनियमों के अधीन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है ।

(ग) और (घ) भारत हरकार सम्बद्ध बाल अधिनियमों के उपबंधों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ कर्रवाई कर रही है ।

बिहार में पुलिस और नकस्लवादियों के बीच झड़प

2847. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री बी० डी० सिंह :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री एन० ई० होरो :
श्री जगपाल सिंह :
श्री श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री त्रिलोक चन्द :
श्री सूर्यनारायण सिंह :
श्री रशीद मसूद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत: एक वर्ष के दौरान बिहार में पुरुष और नक्सलवादियों के बीच कथित झड़पों के कारण कितने पुरुष और महिलाएं मारी गई तथा उनमें से शिक्षित और अशिक्षित का अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं और अन्य पत्रकारों के उन वक्तव्यों का अध्ययन किया है जिनमें कहा गया है कि नक्सलवादियों के साथ झड़पों के नाम पर निहित स्वार्थों द्वारा समाज के शोषित और दु:खी वर्ग की सही मांगों को दबाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन घटनाओं की स्वयं अथवा बिहार सरकार के द्वारा न्यायिक जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस विषय पर कुछ प्रेस समाचार सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) से (ङ) विधि व व्यवस्था राज्य का विषय है, इस मामले पर विचार करना राज्य सरकार का काम है।

भारत पाकिस्तान औद्योगिक सहयोग

2848. **श्री डी० एम० पुत्त गौडा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने तीसरे देश में, विशेषकर पश्चिम एशिया में परियोजनाओं के लिए भारत पाक औद्योगिक सहयोग के लिए इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) फैडरेशन आफ पाकिस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में फैडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के साथ विचार-विमर्श के किया था विचार-विमर्श दौरान, तीसरे देश की परियोजनाओं में भारत-पाक औद्योगिक सहयोग की संभावना का भी उल्लेख किया गया था । किन्तु, इस बारे में पाकिस्तानी शिष्टमंडल से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमि का तमिलनाडु सरकार को हस्तान्तरण

2849. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि उस भूमि को, जिस पर हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग काजानगर स्लम तिरूचीरापल्ली, तमिलनाडू में 15 वर्ष से ज्यादा समय से रह रहे हैं, तमिलनाडू राज्य सरकार को हस्तान्तिरित कर दी जाएगी, रक्षा अधिकारियों ने इन स्लम निवासियों को इस भूमि को खाली करने के नोटिस जारी कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त भूमि को राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने, जिससे कि वहां रह रहे गरीब हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को विस्थापित न किया जा सके, क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) तिरूचिरापल्ली में रक्षा भूमि को राज्य सरकार की भूमि के बदले में देने के प्रस्ताव का अभी तक निर्णय नहीं हो सका है क्योंकि एक रक्षा प्रतिष्ठान के लिए इस भूमि के एक भाग को उपयोग में लाने के बारे में अभी तक कोई निणय नहीं किया जा सका है । फिर भी, राज्य सरकार को अपेक्षित भूमि क्षेत्र शीघ्र हस्तांतरित किये जाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । बेदखली कार्रवाइयां स्थगित करने के बारे में स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों को भी आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

केरल में नारियल जटा उद्योग में केन्द्र का निवेश

2850. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में नारियल जटा उद्योग में केन्द्रीय सरकार ने कितनी पूंजी लगाई है जिससे देश को लगभग 200 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिली है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : कयर उद्योग में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के विकास परक प्रयासों को विभिन्न प्रकार से जैसे श्रमिकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास, विपणन निर्यात संवर्धन आदि से पूरा सहयोग देता है । इस उद्देश्य के लिये छठी योजना में केन्द्रीय परिव्यय 15 करोड़ रुपये है । इस परिव्यय का राज्यवार से वितरण नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना में कटौती

2851. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने यह अभ्यावेदन दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य की विकास योजनाओं में कोई कटौती नहीं करने देगी;

(ख) क्या केन्द्रीय योजना मंत्री ने यह कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो पश्चिमी बंगाल राज्य की वार्षिक योजनाओं में कटौती की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो राज्य परियोजनाओं के विकास पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा उस राज्य की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) इस बारे में कोई सरकारी पत्र अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को योजनागत व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर बनाए रखने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है ।

(ग) इस समय यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि चालू वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना को कम करने के लिए अभी एक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के कर्मचारियों को अनुग्रह अदायगी

2852. **श्री मोहम्मद इस्माईल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रावतभाटा संयंत्र के कर्मचारियों को, जिन्होंने संयंत्र की यूनिट-एक को पुन: चालू करने का सराहनीय कार्य किया है, अनुग्रह राशि की अदायगी की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को उक्त अनुग्रह राशि की अदायगी की तिथि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : जी, हां ।

(ख) भुगतान की मंजूरी 11 जून, 1979 को दी गई थी ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

त्रिपुरा में सोर ऊर्जा संबंधी प्रयोग किया जाना

2853. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में खोवाई में सौर ऊर्जा संबंधी प्रयोग के संबंध में बड़ी सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या पूरे राज्य में इस प्रयोग को करने के बारे में कोई योजना है और यदि हां; तो उसका ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए त्रिपुरा में किये जा रहे कुछ उपयोगी प्रयोगों की सरकार को जानकारी है। सौर-युक्तियों का बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग उनकी तकनीकी और आर्थिक संभाव्यता पर आश्रित होता है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का आयोग, त्रिपुरा में एक सौर शुष्कक और छः प्रकाश वोल्टीय पम्पों की प्रतिष्ठापना में सहायता दे रहा है। यह शुष्कक 500 कि० ग्रा० तक रोकड़ फसल को सुखाने में सक्षम होगा। सौर पम्पों को पीने के पानी की आपूर्ति अथवा सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार और उत्तर-पूर्वी परिषद् के साथ, जो सौर और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपभोग के लिए अतिरिक्त एककों की स्थापना कर कार्यक्रम का विकास कर रहे हैं, परामर्श किया जा रहा है।

खाड़ी के देशों के भर्ती एजेंटों द्वारा श्रमिकों का शोषण

2855. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाडी के देशों के भर्ती एजेंट बड़े पैमाने पर श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारत मे खाड़ी के देशों को जाने वाले श्रमिकों के उत्प्रवास को नियमित करने के लिए एक "ओवरसीज मैनपावर कारपोरेशन" बनाने का है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्प्रवास कानून में उपयुक्त संशोधन करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे कब तक किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भर्ती करने वाले भारतीय एजेंटों और विदेशी नियोजकों के विरुद्ध समय-समय पर शोषण की शिकायतें प्राप्त होती है।

(ख) श्रम मंत्रालय में एक छोटा सैल गठित करने का प्रस्ताव है जो विदेशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार को बढ़ावा देने और विदेशी नियोजकों से मांगों को प्राप्त करने की एजेंसी का कार्य करेगा तथा राज्य/सरकारी क्षेत्र के माध्यम से उन पर कार्यवाही करेगा।

(ग) एक नए उत्प्रवास विधेयक का प्रस्ताव, जो वर्तमान उत्प्रवास अधिनियम, 1922 का स्थान लेगा, विचार-विमर्श के अन्तिम चरणों में हैं और इसे शीघ्र ही संसद में पेश किये जाने की संभावना है। यह नया कानून उपयुक्त लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा भर्ती करने वाले एजेंटों के कार्य-कलापों को विनियमित करेगा, ताकि नौकरी चाहने वालों के शोषण को रोका जा सके।

बर्न स्टैन्डर्ड का विस्तार और आधुनिकीकरण

2856. **श्री अजित बाग** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टेण्डर्ड का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यूनिट-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बर्न स्टैंडर्ड कं० लि० (बी० एस० सी० एल०) को विभिन्न यूनिटों समेत इसके विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण, नवीनीकरण, बदलने तथा पुन: स्थापित करने की लागत को पूरा करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना हेतु 2127 लाख रुपये परिव्यय की सहमति है। विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

	(लाख रुपये में)
कास्ट स्टील केसनब सोगोज का निर्माण	35
वैगन बनाने की क्षमता का आधुनिकीकरण	92
नवीनीकरण तथा बदलना	1100
रिफ्रैन्टरोज व इंजीनियरी वर्क्स तथा बस्ती का आधुनिकरण	900
योग	2127

प्रत्येक यूनिट के लिए योजना कोष का आवंटन साल-दर-साल के आधार पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना में प्रगति

2857. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है; और

(ख) क्या सरकार छठी योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित वित्त (आंतरिक और बाह्य) को इकट्ठे मिलाने (पूल) करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1979-80 में 4.5 प्रतिशत की कमी के मुकाबले, छठी योजना (1980-85) के पहले वर्ष 1980-81 में सकल देशीय उत्पादन की संवृद्धि दर में लगभग 7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो विद्युत, परिवहन और कोयले जैसे अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में निष्पादन में सुधार करने के लिए की गई संकेन्द्रित और समन्वित कार्रवाई के कारण हुई है और इस प्रकार आधार संरचनात्मक बाध्यकारिताओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, वर्ष 1981-82 में अर्थ-व्यवस्था में 4 प्रतिशत की दर से संवृद्धि होने की संभावना है।

इसी प्रकार, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1980-81 के लिए परिकल्पित 15,109 करोड़ रु० का योजना परिव्यय पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गया और वर्ष 1981-82 के लिए योजना परिव्यय 17,417 करोड़ रु० रखा गया है जिससे वर्ष 1980-81 की योजना के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है; इसके भी पूरी तरह कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा की गई नीति संबंधी दृढ़ कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में काफी कमी आई है जो सराहनीय सुधार है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस मामले की सतत समीक्षा की जाती है।

त्रिपुरा में इलेक्ट्रोनिक घड़ी कारखाना स्थापित करना

2858. **श्री अजय विश्वास :**

डा० सरदीश राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई इलैक्ट्रोनिक घड़ी कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) त्रिपुरा में इलेक्ट्रानिकी घड़ियों का संयोजन करने वाला एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट

2859. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या गृह मंत्री अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अल्पसंख्यकों सम्बन्धी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में दिये गये निष्कर्षों और सिफारिशों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या समिति ने कोई अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों की सामान्य रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों की अभी सरकार जांच कर रही है।

(ग) समिति ने अभी तक कोई अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गृह निर्माण के लिए भविष्य निधि ऋण नियमों में छूट

2860. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण प्रयोजन के लिए भविष्य निधि ऋण नियमों में छूट देने के बारे में अक्तूबर, 1981 में जारी की गई दो अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) नियमों में ऐसी छूट मिलने के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत कर्मचारी दिल्ली में मकान खरीदने की स्थिति में हो सकते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के संगत उपबन्धों में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएं हाल ही में जारी की गई, जो मकानों की खरीद के प्रयोजन हेतु अग्रिम राशि से सम्बन्धित है। इन्हें पहले ही संसद के दोनों सदनों की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि उन कर्मचारियों की प्रतिशतता का अनुमान लगाना मुश्किल है जो विशेष रूप से नियमों में छूट के परिणामस्वरूप मकान खरीदने की स्थिति में हैं।

प्रादेशिक सेना की घटती हुई संख्या

2861. **श्री उत्तम राठौर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना की संख्या पूर्व विचारित संख्या से कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार प्रादेशिक सेना रखने के महत्व में विश्वास रखती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रादेशिक सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सन 1948 में भारतीय प्रादेशिक सेना का गठन करते समय इसके लिए मूल रूप में जो प्राधिकृत संख्या निर्धारित की गई थी, सरकार को उसमें कमी करनी पड़ी। प्रादेशिक सेना की प्राधिकृत संख्या में यह कमी सरकार की उदासीनता के कारण नहीं हुई है अपितु इसके कई अन्य कारण हैं जैसे कि लाभप्रद रोजगार में लगे नागरिकों द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वेच्छा से प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए आगे न आना तथा कतिपय अन्य कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं।

2. सरकार प्रादेशिक सेना को पर्याप्त महत्व देती है, जिसकी वजह से लाभप्रद रोजगार में लगा हुआ कोई भी नागरिक अपने खाली समय में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों में अपना अधिकांश योगदान दे सकता है। इस सम्बन्ध में प्रादेशिक सेना की गतिविधियों को सुदृढ़ करने सहित, इससे सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए सरकार ने प्रादेशिक सेना की गतिविधियों में रूचि रखने वाले सदस्यों की एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति पहले ही स्थापित कर दी है।

मृत्यु दण्ड समाप्त करने के बारे में संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव

2862. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मृत्यु दण्ड समाप्त करने के बारे में 1981 के दौरान केन्द्रीय सरकार को कितने प्रस्ताव हुए हैं; और

(ख) उन संस्थानों/संगठनों/यूनिटों के नाम क्या हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव प्रायोजित किये हैं और केन्द्र सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को मृत्यु दण्ड समाप्त करने के लिए अमनेस्टी इंटरनेशनल से और इसकी ओर से तथा इसकी शाखाओं से 77 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं।

इस प्रश्न की, कि मृत्युदण्ड को रखा जाए अथवा नहीं, विधि आयोग द्वारा जांच की गई थी। भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में आम जनता के विचार आमन्त्रित किए थे जिसमें हत्या के कुछ गम्भीर मामलों के लिए धारा 302 से मृत्युदंड को रखने के सम्बन्ध में उपबन्ध शामिल थे। जैसा कि संयुक्त समिति ने सूचित किया था, विधेयक नवम्बर, 1978 में राज्य सभा द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया था, किन्तु छठी लोकसभा के भंग होने पर यह रद्द हो गया। संसद विधेयक में धारा 302 में प्रावधान था कि हत्या के लिए सामान्य

दण्ड आजीवन कारावास होगा और केवल कुछ गम्भीर परिस्थितियों में, जिनको वहां विनिर्दिष्ट किया गया है, न्यायालय स्वनिर्णय से मृत्यु दंड दे सकता है। रद्द विधेयक के उपबन्ध सरकार के पुन: विचाराधीन है।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा गृह कर लगाया जाना

2863. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले घरों पर शिक्षा उपकर आदि अन्य उपकरों के अलावा 30 प्रतिशत गृह कर लगाने के क्या कारण हैं जबकि नई दिल्ली नगर पालिका अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले घरों पर केवल $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत गृह कर ही लगा रही है; और

(ख) क्या नई दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले घरों के बीच ऐसे द्वेषजनक भेदभाव रखे बिना दिल्ली में गृह कर की दरों में एक रूपता लाने के लिए कोई कदम उठाये जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका क्रमश: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगरपालिका के लिए यथा लागू पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911 के उपबन्ध के अनुसार मकान कर लगा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों में समान दरों पर कर लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सम्बन्ध सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्याशियों का चयन करना

2864. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में देश के शहरी क्षेत्र, जहां कुल जन संख्या का केवल 20 प्रतिशत भाग रहता है, और जहां से ऐसे अधिकांश पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों, जहां देश की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग रहता है, के प्रत्याशियों के चयन की प्रतिशतता नाम मात्र है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के असन्तुलन के लिये जिम्मेदार मूल कारणों की जांच कराने पर विचार करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पिछड़ेपन तथा वहां नियुक्ति से पूर्व शिक्षण सुविधाओं की पूर्णतया कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसे सामान्य प्रत्याशियों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के अलावा), विशेषरूप से ग्रामीण तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के प्रत्याशियों, जिनकी वार्षिक आय 8000 रुपये प्रति वर्ष से कम है के लिये परिक्षाओं तथा साक्षात्कारों में उसी प्रकार की मुफ्त शिक्षण सुविधाये, विशेष रियायतें, आरक्षण तथा छूट जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों दी जा रही है, देने के लिये संविधान की धारा 16(4) और 335 में संशोधन करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सुपरिभाषित मानदण्डों के अभाव में, ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों के उम्मीदवारों में अन्तर दिखलाना सम्भव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16(2) में भी यह व्यादेश है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

पटना में नक्सलवादी सरकार

2865. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटना जिले में नक्सलवादी "सरकार" बनाए जाने की सूचना तथा फरमानों के जारी किए जाने से अवगत है जिसमें भूमि के मालिकों का आह्वान किया गया है कि वे बिहार सरकार को करों की अदायगी न करें और उसे "किसान सभा यूनिट" के पास जमा करा दें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पटना जिले में नक्सलवादियों के विषय में समाचार के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों में समानान्तर सरकार की सूचना निराधार है। राज्य सरकार को उग्रवादियों द्वारा कुछ भूमि मालिकों से धन ऐंठने और आपराधिक रूप से भयभीत करने के खतरों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए निवारक उपाय कर रही है। चूंकि उक्त क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से भी पिछड़े हुए है, अतः राज्य सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए उपाय शुरू किए हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखती है और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन और सहायता देती है।

श्रमिक कर्मचारियों द्वारा प्रबंध में हिस्सा लेना

2866. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री बी० वी० देसाई :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिक कर्मचारियों द्वारा प्रबंध में हिस्सा लेने के लिए सरकार द्वारा विगत वर्ष 1980 तथा 1981 में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या 21 सदस्यों की समिति जिसने श्रमिक कर्मचारियों द्वारा प्रबंध में हिस्सा लेने संबंधी श्न की जांच की है, की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है, यदि हां, तो कब;

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने मे सरकार कितना समय लेगी; और

(घ) क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने कई बैठकों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, कर्मचारी संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों पर दबाव डाला कि वे इस योजना को सफल बनाएं ।

(ख) जी, हां । 21 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मार्च, 1979 में प्राप्त हुई थी ।

(ग) इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सिफारिश प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता को कानूनी समर्थन प्रदान करने के बारे में है । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

(घ) रिपोर्ट की प्रतियां संदर्भ के लिए संसद की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं ।

छतरपुर जिले में बन्दूक बनाने के एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

2867. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा मध्य प्रदेश सरकार छतरपुर जिले में बंदूक बनाने के एक कारखाने की स्थापना करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इस कारखाने की कहां और कब स्थापना हो जाने की आशा है; और

(ग) इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यावसायिक जोखिमों का सर्वेक्षण

2838. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों तथा व्यावसायों के अनेक व्यावसायिक जोखिमों का सर्वेक्षण करने के लिए सरकार की कोई केन्द्रीय एजेंसी है; और

(ख) कामगारों तथा कर्मचारियों की विभिन्न व्यावसायिक जोखिमों से रक्षा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहा कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, महानिदेशालय कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाले विभिन्न कारखानों और उद्योगों में औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक बीमारियों, औद्योगिक स्वास्थ्य में अनुसंधान करता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद तथा औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ जैसी अन्य एजेन्सियां हैं, जो अन्य व्यवसायों में नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण भी करती हैं। अध्ययनों और निष्कर्षों पर आधाति सिफारिशें कार्यान्वियन के लिए प्रबन्धतन्त्र को भेजी गई हैं। ये सिफारिशें संवातनों की व्यवस्था करके कार्य दशाओं में सुधार, कार्य तरीकों तथा संक्रिया डिजाइनों में सुधार, सुरक्षा यंत्रों के प्रयोग, संबंधित कार्मिकों की शिक्षा के बारे में हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, जो केन्द्रीय कानून है और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपबंध विहित हैं। राज्य सरकारों ने कतिपय संक्रियाओं को खतरनाक संक्रिया अधिसूचित भी किया है और अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं कि वे ऐसी संक्रियाओं में महिलाओं, युवकों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाए और कुछ सामग्रियों के प्रयोग को प्रतिसिद्ध करने या उन पर प्रतिबन्ध लगाने में या उन प्रक्रियाओं में श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करें, जिन्हें कारखाना निरीक्षकों के निदेशानुसार खतरनाक समझा जाता है, जिसमें विशेष सतर्कताओं एवं सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है और संबंधित श्रमिकों की समय-समय पर चिकित्सीय जांच पड़ताल करना अपेक्षित है।

हरिजनों, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की हत्या

2869. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978, 1979, 1980 तथा 1981 के प्रत्येक वर्ष में अब तक मारे गये हरिजनों, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त हत्याओं से संबंधित उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें अभियोगी कार्यवाही शुरू की गई है; निलम्बित पड़े मामलों की संख्या क्या है; खारिज किये गये मामलों की संख्या क्या है और उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें दोषी व्यक्तियों का पता नहीं लगाया जा सका है;

(ग) उपर्युक्त वर्षों में पुलिस द्वारा मारे गये हरिजनों, जनजातियों तथा पिजड़े वर्गों के व्यक्तियों की अलग-अलग कुल संख्या क्या है और उन पुलिस कार्मिकों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक दण्ड दिया जा चुका है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी हत्याओं को रोकने संबंधी कानून में संशोधन करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपोलो टायर्स, पेरमब्रा, केरल में तालाबन्दी

2870. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबंध ने 19 जुलाई, 1981 को अपोलो टायर्स लि०, पेरमब्रा, केरल में तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तालाबन्दी के क्या कारण थे;

(ग) क्या प्रबंध ने तालाबन्दी न करने के प्रयास किये थे; यदि हां, तो इस संबंध में किए गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है; यदि हां, तो कब और कैसे; और

(ङ) यदि नहीं, तो तालाबन्दी समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रबन्धतंत्र ने श्रमिकों द्वारा कामबन्दी और विध्वंसक कार्यवाहियों के फलस्वरूप तालाबन्दी घोषित कर दी, हालांकि नये मजदूरी करार के बारे में बातचीत चल रही थी।

(ग) राज्य क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने मध्यस्थता की तथा समझौता करवाया, जो यूनियन नेताओं को स्वीकार्य था, लेकिन यह श्रमिकों को स्वीकार्य नहीं था, जो इन निर्णयों को लागू करने के लिए सहमत नहीं थे।

(घ) तालाबन्दी चल रही है।

(ङ) भारत सरकार इस प्रयास के लिए राज्य सरकार के साथ सम्पर्क रखे हुए है कि इस विवाद में यथा शीघ्र समझौता हो जाए और तालाबन्दी उठा ली जाए।

बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा तापीय बिजलीघर का निर्माण

2871. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर में 'भेल' द्वारा किए जा रहे थरमल पावर स्टेशन के निर्माण कार्य में हुई प्रगति की कभी संवीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उसे निर्धारित समय तक पूरा करने के लिए सभी प्रबन्ध कर लिए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) स्थल पर कार्य-निष्पादित करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ और बिहार राज्य बिजली बोर्ड के प्राधिकारियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठकों में निर्माण कार्य की प्रगति निरन्तर समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकारण भी दिल्ली में तथा स्थल पर समीक्षा बैठकों में काम की प्रगति की समीक्षा करता है।

(ग) परियोजना समयावधि के अन्दर पावर स्टेशन को पूरा करने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बी० एच० ई० एल० ने स्थल पर एक महाप्रबन्धक तैनात कर दिया है जो इस परियोजना के परे कार्य-निष्पादन की देखभाल कर रहा है। परियोजना की शीघ्रता से पूरा करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों जो उपकरणों और ममान की सप्लाई और स्थल कार्यों में भाग ले रही है, के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं। बी० एच० ई० एल० के वारिष्ठ अधिकारी भी परियोजना की समय-अवधि बनाए रखने के लिए जहां कहीं भी अपेक्षित हो अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पावर स्टेशन स्थल पर जाते हैं।

सैनिक स्कूलों में एसोसिएशन बनाने संबंधी सोसायटी नियमावली

2872. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में सोसायटी नियमावली की एक धारा के अन्तर्गत 18 सैनिक स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं;

(ख) क्या गुजरात उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार सैनिक स्कूल सोसायटी एक सरकारी संस्थान है जिसका तात्पर्य है कि इस सोसायटी द्वारा सैनिक स्कूलों के प्रबंध पर सैनिक नियम लागू नहीं किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सैनिक स्कूलों में एसोसिएशनों पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी उपर्युक्त नियम में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। फिर भी, सरकार द्वारा शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की एसोसियेशनों को मान्यता नहीं दी जाती है।

(ख) सम्भवतः यह गुजरात उच्च न्यायालय के 1 मार्च, 1981 के उस निर्णय के सन्दर्भ में कहा गया है जिसमें सैनिक स्कूल कुंजपुरा से एक कर्मचारी को सैनिक स्कूल, बालाचण्डी स्थानान्तरित करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। उस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने सैनिक स्कूल सोसायटी को राज्य की एक एजेंसी के समकक्ष माना है। इसके अलावा भी सैनिक नियम, सैनिक स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन सैनिक स्कूलों का प्रबन्ध सैनिक स्कूल सोसायटी करती है जो पंजीकरण अधिनियम 18 के अधीन पंजीकृत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि श्रमिक विधेयक, 1980

2873. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के शीतकालीन अधिवेशन में कृषि श्रमिक विधेयक 1980 जिसे स्थायी श्रम समिति ने मंजूर किया था; को अधिनियम में बदला जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान को समर्थन देने के प्रस्ताव पर 4-5 अगस्त, 1981 को हुए राज्य श्रम मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में विचार किया गया था । इस सम्मेलन ने सम्पूर्ण मामलों का गहन अध्ययन करने के लिए एक कर्मचारी दल गठित करने का निर्णय किया । कार्यकारी दल को गठन किया गया । कार्यकारी दल की पहली बैठक में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनके विचारों के लिए भेजा गया है ।

वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान हड़ताल, तालाबन्दी और जनदिवसों की हानि

2874. **श्री मुकुन्द मण्डल :**

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 1981 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों में हड़तालों, तालाबन्दियों के कारण कितने जनदिवसों की वर्ष-वार और श्रेणी वार हानि हुई;

(ख) इनमें से कितनी हड़तालें या तालाबन्दियों सक्षम अधिकारियों द्वारा अवैध (वर्षवार और श्रेणीवार) घोषित की गई; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विवरण संलग्न है जिसमें 1979-1981 के दौरान (वर्ष-वार) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या तथा इनके कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या दी गई है । कामबन्दियों और जबरी छुट्टी के कारण प्रभावित हुए यूनिटों की संख्या क्रमश 1979 में 277 और 1433, 1980 में 340 और 1451 तथा 1981 (जनवरी-अक्तूबर) में 247 और 800 था । यह सूचना अनंतिम है । काम बन्दियों और जबरी छुट्टी या नष्ट हुए श्रम दिनों के सम्बन्ध में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन यह निर्णय लेने के लिए प्राधिकार श्रम न्यायालय और अधिकरण के पास है कि क्या हड़ताल या तालाबन्दी गैरकानूनी है या नहीं, कामबन्दी और जबरी छुट्टी की बंधता से सम्बन्धित मामता, जिसे औद्योगिक विवाद के रूप में उठाया गया है, उपयुक्त सरकारों द्वारा उनको भेजा जा सकता है। गैर-कानूनी पायी गई हड़तालों, तालाबन्दियों कामबन्दियों तथा जबरी छुट्टी तथा इनके बारे में सम्बन्धित सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

1979-1981 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या तथा इनके कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या।

वर्ष	हड़तालों की संख्या		तालाबंदियों की संख्या		हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)		तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	1,056	1,652	15	325	7,133	28,671	523	7,527
1980 (अ)	955	1,546	13	342	3,633	8,385	501	9,406
1981 (अअ) (जनवरी-सितम्बर)	515	759	5	196	6,534	4,230	55	6,272

(अ) = अनंतिम।

(अअ) = अनंतिम तथा 31-10-81 तक श्रम ब्यूरो, शिमला में प्राप्त विवरणियों पर आधारित।

लैदर टैनरी (चर्म शोधनालय) कानपुर

2875. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर का एक मुख्य उद्योग, चर्म शोधनालय चर्म शोधन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे माल अकेसिया और हरोह के बीजों के उपलब्ध न होने के कारण संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो कानपुर के चर्म शोधन उद्योग को बचाने की दृष्टि से उपर्युक्त मदों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कानपुर की चर्म-शोधनालय के लिए अकेसिया और हरोह बीजों के उपलब्ध न होने के बारे में केन्द्र सरकार को कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सिविल सेवा की अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

2877. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा, गृह मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अनुभाग अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) उपर्युक्त अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कमी को पूरा करने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अनुमानत: संदर्भ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड से है । चूंकि उक्त सेवा के उस ग्रेड तक का प्रबन्ध विकेन्द्रीकृत है, इसलिए इस ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विद्यमान आदेशों द्वारा उनके हितों की पर्याप्त रूप में देखभाल रखी जाती है और इनसे कोई विचलन व्यवहार्य नहीं समझा जाता है ।

गैर-विकास खर्च के अनुपात में वृद्धि

2878. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के गैर-विकास सम्बन्धी खर्चों के अनुपात में वृद्धि होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राज्यों में कुल व्यय से विकासेतर व्यय के अनुपात में पिछले चार वर्षों में घट-बढ़ की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

राज्यों में कुल व्यय से विकासेतर व्यय का अनुपात

(करोड़ रु०)

	राजस्व लेखा		पूंजीगत लेखा		कुल		कालम (5) से कालम (6) का अनुपात
	कुल व्यय	विकासेतर व्यय	कुल व्यय	विकासेतर व्यय	कुल व्यय	विकासेतर व्यय	
	1	2	3	4	5	6	7
1. 1977-78 (वास्तविक)	8381.46	2[illegible]46.07	3162.14	61.18	11543.60	3007.25	2605
2. 1978-79 (वास्तविक)	9872.49	3303.24	3815.82	(—)17.77	13688.31	3285.47	24.00
3. 1979-80 (वास्तविक)	11511.66	3802.00	4537.72	59.67	16049.38	3861.67	24.06
4. 1980-81 (परिशोधित अनुमान)	14239.91	4744.04	5048.30	104.11	19288.21	4848.15	25.14
5. 1981-82 (परिशोधित अनुमान)	14958.86	5066.84	4999.85	17.35	19958.71	5184.19	25.97

टिप्पणी : (1) आंकड़ों में संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं।

(2) विभागीय वाणिज्यिक उद्यमों के सम्बन्ध में राजस्व लेखा पर व्यय कार्यकारी व्ययों और ब्याज प्रभारों का निवल है।

औद्योगिक संबंधों में समस्याएं

2879. **श्री हीरालाल आर० परमार : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय श्रम संगठन की स्थायी श्रम समिति को पुर्नजिवित करने का है;

(ख) औद्योगिक संबंधों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई अन्य योजनाएं शुरू करना चाहती हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के संशोधनों पर विचार कर रही है, ताकि श्रम विवादों में शीघ्र निर्णय किए जा सकें, शीघ्र न्याय दिया जा सके, आदि । संराधन और न्याय-निर्णयन मशीनरी को सुदृढ़ किया गया है । औद्योगिक संबंध स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक मानीटरिंग रूम स्थापित किया गया है, ताकि अनौपचारिक और औपचारिक मध्यस्थता, सुलह कार्यवाही और न्याय-निर्णयन के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें, जिससे औद्योगिक शांति को बनाए रखा और प्रोत्साहित किया जा सके ।

भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों की खराब हालत

2880. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में बहुत अधिक औद्योगिक सहकारी समितियों की हालत खराब है;

(ख) क्या इसके कारणों का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) सरकार ऐसी समितियों की पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(क) इस मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के लिए उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री की अध्यक्षता में औद्योगिक सहकारिता पर एक स्थायी समिति गठित की है :—

1. औद्योगिक सहकारिता के विकास हेतु अखिल भारतीय बोर्डों/निदेशालयों के कार्य-कलाप में सामंजस्य स्थापित करना;

2. औद्योगिक सहकारिता की कार्यप्रणाली पर विशेष अध्ययनों का आयोजन करना, तथा इस अभियान की तेज प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाना;

3. ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक सहकारिता के प्रसार के लिए अभ्युपाय सुझाना;

4. औद्योगिक सहकारिता कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर अखिल भारतीय संगठनों, राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना; और

5. सामान्य रूप में देश भर में औद्योगिक सहकारिता अभियान के आयोजन एवं विकासात्मक कार्यकलाप पर नजर रखना।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पर पुनर्विचार

2881. **श्री सूरज भान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बार-बार कहा है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पर पुनर्विचार करने तथा इस सम्बन्ध में पुनरीक्षित नियमों को उचित ढंग से लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट शीघ्र भेजें;

(ख) प्राप्त उत्तरों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) जिन राज्यों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है उनके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का ब्योरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3064/81]

(ग) उन राज्यों को अनुस्मारक भेजा गया है, जिनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में राज्य श्रम मंत्रियों को पुन: लिख रही हैं।

पश्चिमी कमांड शिमला के मुख्यालय में आग

2882. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला स्थित पश्चिमी कमांड के मुख्यालय में जून 1981 में विनाशकारी आग लगी थी जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपए की हानि हुई, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उक्त आग के लिए कोई व्यक्ति दोषी पाया गया था; और

(ख) संपत्ति और भवनों आदि को कुल कितने रुपये की हानि हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जून 1981 में पश्चिमी थलसेना कमान मुख्यालय, शिमला में आग लगने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर भी 11 अप्रैल 1981 को इस भवन में आग लग गई थी जिसके फलस्वरूप लगभग 9.90 लाख

रुपये की सम्पत्ति/भवन का नुकसान हुआ। इसके कारणों की जाँच करने के लिए एक जांच अदालत बिठाई गई थी। जिन कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त सावधानियों को बरतने में दोषी पाया गया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

सी० ओ० डी० दिल्ली में महंगे सैनिक अतिरिक्त पुर्जों की चोरी

2883. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री रामविलास पासवान :

श्री रशीद मसूद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का डिपो में विभिन्न "सेक्योरिटी केजिज" से महंगे सैनिक फालतू पुर्जों की बड़े पैमाने पर चोरियों में हाथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस डिपो से सैनिक सामान के फालतू पुर्जों की चोरी में केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली का कोई वरिष्ठ अफसर शामिल नहीं पाया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक रक्षा संगठन के कर्मचारियों को राज्यों में राहत कार्यों पर लगाना

2884. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री त्रिलोक चन्द :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक रक्षा संगठन (जिसमें होम गार्ड के कर्मचारी न हों) के कर्मचारियों को राज्यों में बाढ़ों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के दौरान राहत कार्यों पर लगाया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

नौसैनिक अकादमी के लिए स्थान

2885. **श्री ई० के० ईम्बीचीबावा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसैनिक अकादमी के स्थान के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित अकादमी के लिए कन्नानूर जिले में नये उपयुक्त स्थान अजोमाला के बारे में केरल सरकार की पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) नौसैनिक अकादमी के लिए एक नया स्थान चुनने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते समय, अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों के साथ-साथ, कन्नानूर जिले के अजीमाला में एक नये स्थान पर अकादमी खोलने के बारे में केरल सरकार के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

आदिवासियों के उत्थान केलिये पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीन वार्षिक योजनाओं में दी गई राशि

2886. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना तथा तीन वार्षिक योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि दी गई और आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रत्येक योजना में कुल राशि में से निर्धारित राशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) कुल दी गई राशि में से प्रत्येक योजना में आदिवासियों के लिए निर्धारित राशि की प्रतिशतता का ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) विभिन्न योजनाओं में परिव्ययों का विवरण संलग्न है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहली योजना से लेकर चौथी योजना तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किया गया कुल व्यय अलग से उपलब्ध नहीं है क्योंकि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विकास के सामान्य क्षेत्रकों में किए गए निवेश के प्रबोधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, "पिछड़े वर्गों" के विशेष क्षेत्रक के अंतर्गत चौथी योजना की अवधि तक के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं और संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पांचवीं योजना में जनजातीय उपयोजनाओं की शुरुआत होने से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्रकों के योगदान का पता लगाया जा सकता है। संलग्न विवरण में दिए गए आंकड़ों में जनजातीय बहुलता वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा मिजोरम द्वारा किए परिव्यय शामिल नहीं हैं।

विवरण

विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए वित्तीय परिव्यय (व्यय)

(करोड़ रु०)

क्र० संख्या	योजना	सरकारी क्षेत्रक में कुल योजना प्रावधान	अनुसूचित जातियों के लिए परिव्यय	कालम 3 से कालम 4 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	पहली योजना	2,378	19,93*	0.84
2.	दूसरी योजना	4,500	42.92*	0.95
3.	तीसरी योजना	7,500	50.53*	0.67
4.	वार्षिक योजनाएं 1966-69	6,605	32.32*	0.49
5.	चौथी योजना	15,902	79.85*	0.50
6.	पांचवीं योजना	39,322	1110.00	2.82
7.	छठी योजना	97,500	3820.00**	3.92

*यह व्यय 'पिछड़े वर्गों' के केवल विशेष क्षेत्रक से संबंधित है। इसमें अन्य क्षेत्रकों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए होने वाला व्यय शामिल नहीं है।

**इसमें 470 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्य योजनाओं से 3350 करोड़ रु० की अनुमानित प्राप्ति शामिल है।

भारतीय भर्ती एजेंटों के विरुद्ध संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भेजी गई शिकायतें

2387. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब अमीरात में हमारे दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास ने कुछ भारतीय भर्ती एजेंटों के विरुद्ध भारतीय श्रमिकों से शोषण के बारे में प्राप्त शिकायतें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन भर्ती एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) संयुक्त अरब अमीरत में भारतीव मिसन घोषणा के बारे में शिकायतें भेजते रहते हैं, जब कभी उन्हें ये शिकायतें भारतीय भर्ती एजेंटों के विरुद्ध भारतीय श्रमिकों द्वारा प्राप्त होती है। सामान्यतः ये शिकायतें संयुक्त अरब अमीरात में उनके पहुंचने के पश्चात मजदूरी में कमी, मजदूरी की अनियमित अदायगी/मजदुरी का भुगनान न किया जाना, और अपर्याप्त रहन-सहन की सुविधाओं से संबंधित होती है। सरकार इन शिकायतों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाही कर रही है।

रेलवे द्वारा मद्रास के लिए "रैपिड ट्रांजिट सिस्टम"

2888. **डा० ए० कलानिधि** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के लिए "रैपिड ट्रांजिट सिस्टम" से संबंधित कार्य आरम्भ करने के लिए मंत्रालय को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है, तो यह कब तक दी जाएगी; और

(ग) क्या उसे छठी योजना में सम्मिलित किया जायेगा ताकि 1987 तक इसे पूरा किया जा सके ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) रेल मंत्रालय को छठी पंचवर्षीय योजना में मद्रास पुलिन (बीच) से लुज तक मद्रास के लिए द्रुत परिवहन व्यवस्था करने की परियोजना सहित कुछ नई स्कीमें शुरू करने के लिए धनराशि के अतिरिक्त आवंटन की साध्यता की जांच की जा रही है।

(ग) यदि रेलवे को अतिरिक्त धनराशि आवंटन करना संभव पाया गया तो इस प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों के साथ छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की जांच करने के लिये गठित समिति

2889. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की जांच करने के लिये गठित समिति ने बताया है कि उपर्युक्त कानूनों और उनके प्रवर्तन के संदर्भ में बहुत बड़ा अन्तराल है;

(ख) क्या उक्त समिति ने बताया है कि कुछ कानून, जो प्रवृत्त हैं, विशेषकर भूमि के उपयोग तथा पर्यावरण संबंध में प्रवृत्त है उससे ऐसा लगता है कि वे सामाजिक उद्देश्य को परस्पर विफल कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जहां ऐसे साधक एक से अधिक राज्यों के बीच विभाजित हैं वहां एक राज्य में बने कानून का पड़ोसी राज्य पर पर्यावरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(घ) क्या इनमें से बहुत से पर्यावरण संबंधी कानूनों के निगरानी तंत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर कमियां हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों के राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) जी, हां।

(ङ) समिति की सिफारशों पर ही सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया है जो 1 नवम्बर, 1980 से कार्य कर रहा है। प्रभावी पर्यावरणीय संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कानूनी और प्रशासनिक उपायों के पुनरीक्षण हेतु समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

उद्योगों की स्थापना के लिये अनुसूचित जति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अनुदान

2890. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्यगों की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अनुदान देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक श्रेणी को कितने प्रतिशत अनुदान दिया गया है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों/जिलों पर लागू केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों सहित औद्योगिक एकक स्थापित करने वाले सभी उद्यमी राज सहायता पाने के पात्र हैं। अनुसूचित जातियों के लिए लागू की गई राज्य स्तरीय विशेष उपकरण योजना औद्योगीकरण की कुछ योजनाएं उपलब्ध करा सकती है।

(ख) चूंकि योजना राज्य सरकारों को जो पहले ही राज सहायता मंजूर करती हैं प्रतिपूर्ति देने के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्योगपतियों और उद्यमियों को दी गई राजसहायता के विवरण केन्द्र सरकार द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

टायरों और ट्यूबों के मूल्य में वृद्धि

2891. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री जगपाल सिंह :

श्री सी० चिन्नास्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं ने गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के टायरों तथा लाइट ट्रक टायर, हैवी ट्रक टायर, टैक्सी टायर और पशुचालित वाहनों के टायरों के मूल्यों में 14 बार वृद्धि की थी जब कि इस अवधि से 11 वर्ष पूर्व एक बार मूल्य बढ़ाया गया था;

(ख) यदि हां, तो हर बार हर श्रेणी के लिये कितनी राशि की वृद्धि की गई जैसा कि खुले बाजार में बेचे गये हैं;

(ग) यह मामला औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को किन किन तारीखों को सौंपा गया और उसके द्वारा हर बार की गई सिफारिशों का पृथक ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के स्पष्ट रूप से विरुद्ध होने के बावजूद सितम्बर में पुन: टायरों के मूल्य लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ाये गये; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के टायरों के प्रत्येक उत्पादक के पास टायरों के अपने अलग आकार और किस्में होती हैं। वे अपनी इच्छा से कभी भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। टायर और ट्यूबों के 1977-81 की अवधि के थोक मूल्य सूचकांकों पर आधारित एक विवरण संलग्न है। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक उत्पादक द्वारा एक विशेष किस्म के टायर के मूल्य में 1977 से 1981 के दौरान लगभग 14 बार वृद्धि की गई है। वर्ष 1966 से 1977 की अवधि में इस प्रकार की गई मूल्य वृद्धियों की संख्या 4 से 6 के बीच भिन्न-भिन्न है।

(ग) मई, 1978 में इस प्रश्न को औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को भेजा गया था। ब्यूरो की रिपोर्ट लोक सभा में 26-4-1978 को हुई आधा घंटा की चर्चा के दौरान दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए लोक सभा को भेज दी गयी थी। संक्षिप्त रिपोर्ट के पैरा 2.3 और 2.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) टायरों/ट्यूबों के मूल्यों पर कोई औपचारिक/अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है। सितम्बर, 1981 में की गई मूल्य वृद्धि 5 से 8 प्रतिशत तक के बीच भिन्न-भिन्न है।

(ङ) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से उत्पादकों के इन दावों की कि लागत संबंधी कारकों से मूल्य वृद्धि करना अनिवार्य हो गया है, जांच करने और उपयुक्त अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में सरकार को सलाह देने हेतु पुन: अनुरोध किया गया है।

विवरण

कार टायर स्टैंडर्ड रेयन वी० जी० डब्ल्यू०	1-1-77	28-10-78	13-10-79	6.12-80	8-8-81	12-9-81
1	2	3	4	5	6	7
1. 6.70-156 प्लाई रेटिंग सी 49	266.60	331.28	400.00	515.00	575.00	625.00
2. 5.90-15	195.30	279.22	345.00	402.00	445.00	480.00
3. 5.20-14	168.95	241.36	295.00	338.00	380.00	410.00
4. 5.60-13	186.00	235.05	280.00	402.00	445.00	485.00
ट्रक टायर						
5. 8.20-2012 पी० आर० डब्ल्यू० 105 रेयन	1018.35	1304.59	1440.00	16 0.00	1975.00	2040.00
6. 9.00-2012 पी० आर० एम० डब्ल्यू० 105 एम० के० आई०	1205.90	1558.57	1740.00	2000.00	2300.00	2360.00
मोटर साईकिल टायर						
7. 3.25-194 प्लाई	97.50	122.46	151.00	170.00	184.00	200.00
स्कूटर टायर						
8. 3-50-104 प्लाई	66.25	80.80	96.00	103.00	114.00	125.00
ट्रैक्टर टायर						
9. 12.2.28 (11.28) 094 प्लाई रियर	828.75	998.00	11 5.00	1 00.00	1460.00	1460.00
10. 12.4.36 (11.36) 6 प्लाई रियर	1045.00	1232.00	1430.00	1600.00	1717.00	1770.00
11. 12.00 24/25 16 प्लाई नाइलोन	2780.70	4065.85	5285.00	6060.00	6485.00	6485.00
12. 18.00 24/25 12 प्लाई नाइलोन	7026.15	9805.74	14780.00	16147.00	16147.00	16147.00

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंशदाओं के ऋण के लिए आवेदन-पत्र

2892. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंशदाताओं से पैरा 68(बी) के अन्तर्गत मकानों के निर्माण, मरम्मत आदि के लिए ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का भविष्य निधि आयुक्तों के पास भेजा जाता है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि ऋण पर वास्तव में मकान खरीदें जायें/मरम्मत करवाई जाए और यदि मकान न खरीदे जायें/मरम्मत न करवाई जाये तो राशि वापस ले ली जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हां।

(क) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना में मकान के उद्देश्य हेतु लिए गए अग्रिम धन के दुरुप्रयोग के विरूद्ध संरक्षण की व्यवस्था है। इस योजना के अनुसार, यदि पैराग्राफ 64-ख के अधीन मंजूर किए गए अग्रिम धन का उस उद्देश्य के अलावा, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था, प्रयोग किया जाता है, तो देय राशि को प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से दांडिक ब्याज के साथ वसूल करने के लिए कदम उठाए जाएगें। इसके अतिरिक्त, इस पैराग्राफ के अन्तर्गत अंशदाता को उक्त अग्रिम धन की मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर या दांडित ब्याज के साथ उक्त अग्रिम धन की राशि पूरी वसूल होने तक, जो भी बाद में हो, और अग्रिम धन मंजूर नहीं किया जाएगा।

औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करना

2893. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों तथा अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक पिछड़ेपन को अभी तक दूर नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कार्य को गति प्रदान करने तथा पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये नये प्रोत्साहन और रियायतें देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। सरकार छठी योजना में क्षेत्रीय विकास की असमानतायें कम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक आयोजना प्रारम्भिक दायित्व, संबंधित राज्य सरकार का होता है फिर भी, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन, राजसहायता, रियायती वित्त आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन पहले से ही प्रदान करती है। इसके अलावा, उन्होंने केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम भी आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 21 राज्य सरकारों/संघ

शासित प्रदेशों ने कार्यक्रम चालू करने के लिए 60 जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने का सम्बन्ध है, सरकार पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों की राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से योजना आयोग में जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

2894. **श्री उमाकान्त मिश्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के प्रत्येक खंड में बड़े और मध्यम उद्योग स्थापित करने का है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य की छठी योजना में बड़े और मझोले उद्योगों के लिए 180.02 करोड़ रु० और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 125.23 करोड़ रु० का परिव्यय किये जाने के प्रावधान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र की दो परियोजनाओं अर्थात् भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लि० नैनी तथा आई० टी० आई० एकक, नैनो को भी छठी योजनावधि में विस्तार किया जाना है। कालागढ़ मे एक फालतू पुर्जो के एकक, जगदीशपुर में इन्सुलेटेड एकक झांसी में एक डीजल एकक तथा धोराबल में घड़ियों के पुर्जे बनाने के एकक, की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने छठी योजनावधि में निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना करने/उनका विस्तार करने की भी योजना बनाई है :—

1. यू० पी० आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़।
2. चीनी मिल० बराबंकी।
3. चीनी मिल, पिपराइच।
4. काजर-हाट सीमेंट योजना, मिर्जापुर।

(ग) जी, नहीं मूल प्रकार की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश हेतु स्थान के बारे में निर्णय करते समय तकनीकी-आर्थिक बातों के अधीन अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान दिया जाता है।

कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स को पुन. चालू करना

2895. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमार धुबी इन्जीनिरिंग वर्क्स लि०, धनबाद को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने जांच-प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के क्या निष्कर्ष हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि मामला भारत सरकार और बिहार सरकार के विचाराधीन है अत: इस अवस्था में समिति का निष्कर्ष बताना समयपूर्व होगा।

ग्लास शैलों का निर्माण

2896. **श्री के० लकप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनके विभाग ने काले तथा सफेद सैटों के लिए ग्लास शैलों के निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ग्लास शैलों के निर्माण के बाद काले तथा सफेद सभी सैटों को रंगीन सैटों में बदला जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार को कितना व्यय वहन करना होगा;

(घ) क्या यह 1982 के एशियाई खेलों से पहले तैयार हो जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पुन: बनाया जाना/उसमें कटौती

2897. **श्री अशोक गहलोत** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि राज्य की प्रस्तावित छठी पंचवर्षीय योजना पहले ही छोटी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान गत अनेक वर्षों से बाढ़ तथा अकाल जैसी गंभीर देवी आपदाओं से लगातार प्रभावित रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में कटौती किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं; पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों और परिव्ययों के सामान्य अनुमान होते हैं। वार्षिक योजना ही पंचवर्षीय योजना के आधारस्वरूप के भीतर कार्यान्वित की जाती है। परिवर्तनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना में समायोजनों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, हां ; सरकार को राजस्थान में समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक विपत्तियों के बारे में मालूम है।

(घ) (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लाइसेंस प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

2898. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुमति देने की प्रक्रिया को विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले एककों के लिये, युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले एककों सहित सभी एककों को लाइसेंस स्वीकृत करने की प्रणाली को सुप्रवाही बना दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के एककों के लिए कोई विशेषप्रणाली नहीं बनाई गई है। किन्तु, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डी० जी० आई० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

2899. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० जी० आई० संगठन द्वारा स्थायी रूप से 'सेकंडेड' सेवा अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में डी० जी० आई० के बाहर प्रतिनियुक्त किया गया है;

(ख) ऐसे कितने अधिकारियों को आर्मामेंट और इलेक्ट्रोनिक्स और वेहीकल्स विभागों में ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के पदों पर डी० जी० आई० संगठन के बाहर प्रतिनियुक्त किया गया;

(ग) क्या डी० जी० आई० संगठन इन प्रतियुक्त सेवा अधिकारियों का मूल विभाग है;

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये ऐसे अनुरोध को डी० जी० आई० कैसे स्वीकार कर रहा है; और

(ङ) क्या डी० जी० आई० के इन सेवा अधिकारियों को रक्षा मन्त्रालय के संगठन नियमों जो भारतीय थल सेना के सभी सेवा अधिकारियों पर लागू हैं. के अनुसार संगठन के बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जी नहीं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी, हां ।

विवरण

इस समय डी० जी० डाई० संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए स्थायी सेकेंडेड सेवा अफसरों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

डिवीजन डिसिप्लिन	ब्रिगेडियर	कर्नल	लेफ्टिनेंट कर्नल	मेजर	योग
इलैक्ट्रानिक्स	1	3	2	—	6
व्हीकल	—	—	2	1	3
आर्मामेंट	—	1	2	—	3
योग	1	4	6	1	12

हिंसक घटनाओं की वृद्धि में आग्नेय अस्त्रों की भूमिका

2900. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिंसक घटनाओं, जघन्य अपराधों और हत्याओं में आग्नेय अस्त्रों की भूमिका को समझती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनको आम आदमी से वापस लेने और उनके वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस समस्या पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार ने हाल में शस्त्रों तथा गोला-बारूद से सम्बन्धित विद्यमान कानून का गहन पुनरीक्षण किया है और संसद में एक व्यापक विधेयक (शस्त्र संशोधन विधेयक) पुर:स्थापित किया है जिसमें मुख्यत: यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि अग्नेयस्त्र समाज-विरोधी तत्वों के हाथ में न जाये और अग्नेयस्त्रों के लिये लाइसेंस जारी करने तथा इन शस्त्रों की बिक्री एवं हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जाये और शस्त्र अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कठोर दण्ड हो ।

रूग्ण एककों का सर्वेक्षण

2901. **श्री जयनारायण रौत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा रूग्ण एककों में रूग्णता के कारणों और यह किस सीमा तक है इसका कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) रूग्णता की सीमा का अनुमान लगाने तथा रूग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा एक नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है। मार्च, 1981 के अन्त तक राज्य के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत एककों में से 7600 चुने हुए एककों का पता लगाने का प्रस्ताव है।

प्रौद्योगिकी समर्थन वाले उद्योगों का सुधार करना

2902. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग विकास संगठनों में प्रौद्योगिकी समर्थन वाली संस्थाओं का सुधार करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों को उनकी संवर्धनात्मक, संस्थाओं की योजनाओं में सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां। सरकार छठी योजनावधि में लघु उद्योग विकास संगठन में अनेक लघु उद्योग सेवा संस्थानों में शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्रों की स्थापना करके प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों को फिर से चलाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) राज्य के निगम पूरी तरह राज्य सरकार को नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

देश में जनसंख्या में वृद्धि और इसका प्रभाव

2903. **श्री रशीद मसूद** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में जनसंख्या में वृद्धि की प्रतिशतता क्या है और जनसंख्या की वृद्धि में वर्तमान दर को देखते हुए सन् 200 तक जनसंख्या में प्रतिशित वृद्धि क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनसंख्या में वृद्धि के साथ देश में बेरोजगारी में तुलनात्मक प्रत्याशित वृद्धि क्या है; और

(ग) देश में बेरोजगारी में प्रत्याशित वृद्धि से छठी योजना की रोजगार प्रधान योजनाओं पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1981 की जनगणना के अनंतिम परिणामों के आधार पर पिछले पांच वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 2.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। 1981 की जनगणना के परिणामों के आधार पर सन् 2001 तक जनसंख्या के अधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1981 की जनगणना का आयु संबंधी वर्गीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए श्रमिकों की संख्या और बेरोजगारी पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि 1981 की जनगणना के परिणामों के आधार पर जनसंख्या में वृद्धि से छठी योजना में बेरोजगारी के अनुमानों में काफी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

(ग) योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि योजना के शुरू में दीर्घावधि बेरोजगारी 120.2 लाख होगी और उक्त योजना की अवधि में श्रमिकों की संख्या में 342.4 लाख की वृद्धि होगी। योजना में कुल मिलाकर 5.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। योजना की अवधि में रोजगार में पूर्णकालिक आधार पर (मानक श्रम-वर्ष में) 340 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदि जैसे रोजगार सृजन के विशिष्ट कार्यक्रम आ जाते हैं। यह मानते हुए कि सभी नए रोजगार प्राप्त पूर्णकालिक आधार पर नहीं हो सकते, बेरोजगार व्यक्तियों को अधिक संख्या में रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारों की पहले से चली आ रही मौजूदा संख्या में कमी होगी।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कर्मचारियों की कुल संख्या

2904. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ख) प्रत्येक वेतन वर्ग में आरक्षित रिक्त पदों की प्रतिशतता क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कर्मचारियों की कुल संख्या 14,120 है इनमें से 2567 कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से हैं।

(ख) आरक्षण ग्रुप-वार किया जाता है न कि वेतन ग्रुप वार। आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार है:—

वर्ग "क" और "ख"	अनु० जाति	अनु० जनजाति
(1) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती	15%	7½%
(2) उपरोक्त (1) के अतिरिक्त अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती	16/⅔%	7½%
वर्ग "ग" और "घ"	13%	5%

बिहार में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग

2905. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री बिहार में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या के बारे में 2 सितम्बर, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मातृ-भाषा के रूप में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं की नवीनतम, जिलाधार, स्थिति क्या है; और

(ख) भिन्न संस्थाओं में स्नातकोत्तर कक्षाओं तक पढ़ाई जाने वाली और राज्य सेवा की परीक्षाओं के लिए माध्यम के रूप में स्वीकार की गई भारत की कौनसी भाषाएं साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकार की गई है जिन्हें आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है और उसके क्या कारण हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981 की जनगणना की विवरणियों का चरणों में सारणीकरण किया जा रहा है। बिहार में मातृ भाषा के रूप में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं की जिलावार स्थिति के संबंध में आंकड़े इस सारणीकरण के बाद ही उपलब्ध होंगे, जिसमें कुछ समय लगेगा।

(ख) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली छावनी में घरेलू बिजली पावर के कनेक्शन देना

2906. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में मंजूर किए गए बिजली के कनेक्शनों के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड से अनापति प्रमाण-पत्र पर आग्रह करते हुए सदर बाजार, दिल्ली छावनी में एम० ई० एस० द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसकी आवश्यकता न होने के बारे में छावनी बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिसके परिणामस्वरूप निवासियों को उन मामलों में भी, जहां संयुक्त हिन्दू परिवार के अलग होने पर मीटर उप-विभाजित हाना था, परेशानी और असुविधायें हो रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सदर बाजार, दिल्ली छावनी के आवेदनकर्त्ताओं को घरेलू बिजली के कनेक्शन देने का कारण यह है कि सदर बाजार क्षेत्र में स्थापित मौजूदा ट्रांसफार्मरों में पहले ही लोड अधिक है अत: 1978 से किसी भी आवेदनकर्त्ता को नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। छावनी बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वे नये कनेक्शन देने से संबंधित, आवेदनकर्त्ताओं के केवल पूर्ववृत और अन्य ब्योरों को सत्यापित कर सकते हैं।

(ख) संयुक्त परिवार में बंटवारा हो जाने के कारण यदि मकान का भी बंटवारा हो जाता है, तो मकान में पहले से लगे हुए मीटर का उपयोग, केवल एक ही परिवार कर सकता है और अन्य परिवारों को नये कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा जिसे मौजूदा प्रावधानों के तहत नई स्वीकृति समझा जायेगा।

बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए आवेदन पत्र

2907. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बड़े और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) इन उद्योगों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में इनके निपटान के लिए मंत्रालय द्वारा कितना समय लिया गया है; और

(ग) इनमें से कितने आवेदन-पत्र अभी तक लंबित हैं और आवश्यक लाइसेंस देने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में वर्ष 1978, 1979, और 1980 के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है—

1978 = 1370

1979 = 1492

1980 = 1912

स्वीकृत आवेदनों और जिन आवेदनों पर आशय पत्र-/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाते हैं, उनका ब्योरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूज लैटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। अनिर्णीत पड़े आवेदनों का ब्योरा सरकार द्वारा उन पर कोई निर्णय लिए जाने तक प्रकाशित नहीं किया जाता। सरकार आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने का निरन्तर प्रयास करती है।

उपर्युक्त आवेदनों में से 123 आवेदन विचार-विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में अनिर्णीत पड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांशतः आवेदन वनास्पति के उत्पादन के बारे में है। चूंकि मामला अभी न्यायनिर्णयाधीन है, अतः इन आवेदनों को निपटाया नहीं जा सका।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में प्रारूपकारों के वेतनमान

2908. **श्री केशवराव पारधी :**

श्री हीरालाल आर० परमार :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में प्रारूपकारों के वेतनमान के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वरिष्ठ प्रारूपकारों के दर्जा बढ़ाये गये पद सिलेक्शन ग्रेड के हैं जो 11 वर्ष की सेवा वाले व्यक्तियों को दिये गए हैं;

(ख) क्या वरिष्ठ प्रारूपकारों के दर्जा बढ़ाए गए पदों के वेतनमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर प्रारूपकारों के वेतनमान के समान हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1973 से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अर्हता प्राप्त अनुरेखकों (ट्रेसरों), जूनियर प्रारूपकारों और वरिष्ठ प्रारूपकारों के वेतनमान देते हुए और तीसरे वेतन आयोग के अनुरूप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका में लागू किए गए वेतनमानों का तुलनात्मक चार्ट क्या है; और

(घ) सर्व प्रथम तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन और इसके बाद 1 फरवरी, 1981 से लागू और नवम्बर, 1981 में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सामान्य कार्मिक नीति को कार्यान्वित करके इन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में विस्फोट

2909. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जर्नादन पुजारी :

श्री बी० बी० देसाई :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 के दौरान विभिन्न विस्फोटों के कारण पंजाब के बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए थे;

(ग) क्या विदेशों में निर्मित किसी विस्फोट सामग्री का भी पता लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन सभी विस्फोटों के बारे में सरकार को कोई समाचार मिले हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) असम, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान की सरकारों और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उक्त अवधि में उनके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुछ विस्फोट हुए थे । किन्तु जांच पड़ताल के दौरान विदेश में बने किसी विस्फोटक का पता नहीं लगा । आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम सरकारों और अंडेमान तथा निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, दादर तथा नगर हवेली, गोवा, दमण तथा दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिच्चेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सम्बन्धित अवधि के दौरान किसी विस्फोट की सूचना नहीं भेजी है। अन्य राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा शुरू किये गये स्थापना, निर्माण और चालू किये जाने वाले निर्माण-कार्य

2910. **श्री नारायण चौबे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विद्युत परियोजना और सेवा डिवीजन विभिन्न सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से स्थापना, निर्माण और चालू किये जाने वाले निर्माण कार्यों को शुरू करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने निर्माण कार्य चल रहे हैं और इन निर्माण कार्यों में कितनी राशि सम्बद्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विद्युत् परियोजना और सेवा डिवीजन अपने निर्माण कार्यों को विभिन्न उप-ठेकेदारों को उप ठेके पर देता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे उप-ठेके पर देना सरकारी क्षेत्र निर्माण और परामर्श दात्री कम्पनी, 1975 का प्रभारी उपयोग के बारे में प्रतिवेदन का प्रत्यक्ष उल्लंघन है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। यह डिवीजन टर्न— की आधार पर बिजली घरों की स्थापना और चालू करने का काम भी करता है।

(ख) इस समय बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित उपकरणों को लगाने का काम 24 तापीय घरों, 3 जल-विद्युत घरों और 6 औद्योगिक परियोजना स्थलों पर चल रहा है। इन कार्यों का ठेका-मूल्य 187.00 करोड़ रु० है।

(ग) निर्माण कार्य का आमतौर पर विभिन्न अभिकरणों को उप-ठेका दिया जाता है, जिनके पास इंजीनियरी योग्यता और वित्तीय संसाधन हैं। बिजली घर उपकरणों की स्थापना और चालू करने के दौरान बी० एच० ई० एल० के इंजीनियरों और दक्षता प्राप्त कर्मचारियों के माध्यम से चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञ सहायता प्रदान की जाती है। बी० एच० ई० एल० के स्थापनदल के पास उपलब्ध निर्माण उपकरणों को परियोजना की स्थापना के दौरान उपयोग में लाया जाता है।

(घ) उप-ठेके देते समय सरकारी क्षेत्र निर्माण और परामर्शदायी कम्पनियों कारगर उपयोग सम्बन्धी रिपोर्ट, 1975 की विषय-वस्तुओं का ध्यान में रखा जाता है।

हावड़ा में हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के लिये निरन्तर वित्तीय सहायता का आश्वासन

2911. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने उनसे आग्रह किया है कि वे केन्द्र हावड़ा में हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को जारी रखने और बन्द होने से बचाने के लिये निरन्तर वित्तीय सहायता का आश्वासन दे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने उद्योग मंत्री के सामने हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता के भविष्य का मामला उठाया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम जो केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्था है, द्वारा 1973 से इस कम्पनी की सहायता की गई हैं, और 8.5 करोड़ रु० से अधिक की वित्तीय सहायता के बावजूद कम्पनी को निरन्तर हानियां हो रही हैं।

"बसु गवर्नमेंट रिजेंट्स पूअर सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट" शीर्षक समाचार

2912. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 1981 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली में 'बसु गवर्नमेंट रिजेंट्स पुअर सेन्ट्रल इंवेस्टमेंट' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत किये गये नोट की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक **विवरण** सभापटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

1. यह समाचार पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्य और उद्योग, सरकारी उद्यम तथा बन्द और अकार्यशील उद्योग विभागों के प्रभारी मन्त्री जी द्वारा योजना मन्त्री जी को मार्च, 1981 में भेजे गए पत्र पर आधारित प्रतीत होता है। इस पत्र में पश्चिम बंगाल के मन्त्री जी ने रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय परियोजनाओं पर और अधिक निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया था। कुछ विशिष्ट परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल में अवस्थित करने के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है।

2. योजना मंत्री जी ने अपने उत्तर में पश्चिम बंगाल में पहले से स्थापित की गई केन्द्रीय परियोजनाओं में किए गए पर्याप्त निवेश की ओर तथा उन अन्त क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं और तकनीकी-आर्थिक विचारों के सामान्य सिद्धांतों की ओर ध्यान दिलाया है जो केन्द्रीय परियोजनाओं की अवस्थिति के चयन कों सामान्य रूप से सीमित करते हैं। इन सीमाओं या परिमापकों के भीतर योजना मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया है कि जिन केन्द्रीय परियोजनाओं के बारे में अभी निर्णय होना है उन्हें पश्चिम बंगाल में अवस्थित करने के पश्चिम बंगाल के दावों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

ओखला में दिल्ली लघु औद्योगिक विकास निगम के शेडों का नियमित किया जाना

2913. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली लघु औद्योगिक विकास निगम के कुछ शेड, जो कुछ वस्त्र निर्माताओं के कब्जे में थे, लेकिन जिनका आवंटन अभी तक नियमित नहीं किया गया था, अब उन्हें नियमित आधार पर आबंटित किये गये हैं अथवा ऐसा किये जाने की प्रक्रिया में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सौदों का ब्यौरा क्या है और इसके आलाटी कौन हैं और इसकी शर्तें क्या हैं जिससे ऐसा नियमन किया जा रहा है;

(ग) इन पार्टियों द्वारा इनके कब्जे के समय इन शेडों का मूल्य क्या था;

(घ) इस समय इनका प्रचलित मूल्य क्या है और क्या इन्हें नियमित करते समय वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखा गया है और इसके लिये नई नीलामी न करने अथवा टेंडर न मंगाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसा नियमन किस प्राधिकारी के स्तर पर किया गया है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमेंट सप्लाई की नई पद्धति सबंधी नीति

2914. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 10 नवम्बर, 1981 को मद्रास में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि महानगरों में सीमेंट वर्तमान अत्याधिक कमी को दूर करने के लिए सीमेंट सप्लाई की नई पद्धति शुरू की जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट की नई नीति घोषित की गई है; यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या सीमेंट निर्माताओं ने सीमेंट के मूल्य में और वृद्धि करने के लिये सरकार पर पुन: दबाव डाला है; यदि हां, तो उन्होंने प्रतिटन के लिए कितने मूल्य की मांग की है; और

(घ) समूचे रूप से जनता के हित में न करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार वास्तविक उपभोक्ताओं को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रतिपूर्ति लाइसेंसों और विदेशी मुद्रा भेजकर भुगतान करने पर सीमेंट के आयात की अनुमति देने और और आयातित कीमत पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। आशा है कि इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर बड़े शहरों में सीमेंट की कमी कम हो जाएगी।

(ग) तथा (घ) सीमेंट उत्पादकों को कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु सरकार ने 3 मई 1981 से सीमेंट के संधारण मूल्य में रु० 34.74 प्रति मी० टन की वृद्धि कर दी है। उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि यह वृद्धि अपर्याप्त है और इससे बढ़ी हुई कीमत पूर्णरूपेण पूरी नहीं हो पातीं। मामले पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हंगरी के सहयोग से उद्योग की स्थापना

2915. **आचार्य भगवान देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिजली के उपकरणों का उत्पादन करने के लिए हंगरी के सहयोग से एक उच्च विद्युत-उपकरण उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह उद्योग कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है और इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में सौर ऊर्जा की उपलब्धता

2916. **आचार्य भगवान देव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों का यह मत है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने वहां पर सौर ऊर्जा के साधनों का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसी कोई योजना बनाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) राजस्थान उन क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है, जहां देश में सौर विकिरण की प्राप्ति का स्तर सबसे अधिक है।

(ख) और (ग) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपभोग के राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, राजस्थान में सौर उपकरणों के विकास और प्रदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों को लिया गया है। तिजारा गांव में एक सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प को प्रतिष्ठापित किया जा चुका है और एक दूसरा ऐसा पम्प केशवानन्द राजपूत गांव में प्रतिष्ठापनाधीन है। भरतपुर और देवगढ़ में सौर जल तापन प्रणालियों की प्रतिष्ठापना की जा रही है जबकि भनेरी गांव में सौर आसवन संयंत्र की प्रतिष्ठापना की जा रही है। सादुरसहर में एक पेकज जल उपचार संयंत्र की प्रतिष्ठापना करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम को और अधिक विस्तृत बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

डाकुओं की समस्या के बारे में मुख्य मन्त्रियों की बैठक

2917. **आचार्य भगवान देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डाकुओं की समस्या पर विचार करने के लिए इन तीन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या निर्णय किए गए हैं; और

(ग) इन निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स एकी वायर्स एण्ड केबल्स एवरसाइन इलेक्ट्रिकता वर्क्स, दिल्ली में श्रमिकों की कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की राशि

2918. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एको वायर्स एण्ड केब्रल्स एवरशाइन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, कीर्तिनगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली में दैनिक मंजूरी और मासिक मजूरी पर कुल कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इस फर्म द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि जमा कराई गई थी और बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर, गुजरात की ओर कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधी की बकाया धन राशि

2920. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर, गुजरात में मासिक और दैनिक मंजूरी के आधार पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी ने भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी-कितनी धनराशि जमा कराई है और कम्पनी की ओर कितनी धनराशि बकाया है तथा उसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान में मासिक मजदूरी के आधार पर 4152 कर्मचारी और दैनिक मजदूरी के आधार पर 815 कर्मचारी नियोजित हैं।

(ख) इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(क) के अधीन छूट प्राप्त है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपन न्यासी बोर्ड के 113.25 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है और कोई राशि बकाया नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हरिजनों पर अत्याचार

2921. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 महीनों के दौरान विभिन्न राज्य में, राज्यवार हरिजनों पर अत्याचार की कितनी-कितनी घटनाएं हुई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमेन्ट की मांग और उन्हें की गई सप्लाई

2922. **श्री ए० के० राय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमेंट की कितनी-कितनी मात्रा के लिए अनुरोध किया था और इस अवधि में उन्हें वास्तवित रूप में कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई, तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यारा क्या है;

(ख) बिहार के धनबाद जिले की मांग क्या थी, जहां केन्द्रीय सरकार के अधिकांश उद्योगों का विस्तार हो रहा था और वहां उस अवधि में कितना सीमेंट सप्लाई किया गया;

(ग) क्या वर्ष 1981 में सीमेंट का यथोचित वितरण करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था, यदि हां, तो समिति की बैठक किन-किन तारीखों को हुई थी और उक्त जिले में सीमेंट के वितरण का क्या तरीका अपनाया गया, तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि धनबाद में सीमेंट के वितरण और प्रयोग में धांधली हो रही है और धनबाद से दो मील दूर "नलिनी इन्डस्ट्रीज" में हाल ही में 4000 कट्टे सीमेंट जमी हुई पाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश अपनी सीमेंट की मांग नियमित आधार पर नहीं भेजते हैं। बिहार और बंगाल की राज्य सरकारों ने हाल ही में यह सूचित किया है कि उनकी सीमेंट की तिमाही मांग क्रमश: 6 लाख और 5 लाख मी० टन होगी। 1980 और 1981 के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल को किया गया सीमेंट आवंटन तथा प्रेषण निम्नलिखित है।

राज्य का नाम	वर्ष	वितरण (टनों में)	प्रेषण
बिहार	1980	9,14,600	8,19,600
	1981	10,31,800	7,40,200 (अक्टूबर, 1981 तक
पश्चिम बंगाल	1980	11,95,600	10,51,400
	1981	13,10,500	8,69,900 (अक्टूबर, 1981 तक)

(ख) से (ङ) सीमेंट वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को प्रत्येक तिमाही में पिछली खपत तथा समग्र उपलब्धता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का आवंटन किया जाता है। सिंचाई और बिजली परियोजना तथा लघु एककों की प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद राज्य सरकारें अन्य उपभोक्ताओं को सीमेंट का आवंटन करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इस तरह के उप आवंटनों का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार नहीं रखती है। देश में सीमेंट की आम कमी होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। सीमेंट कानूनी रूप से नियंत्रित वस्तु है। राज्य सरकारों तथा सघ शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार सौंपे गए हैं जोकि इस तरह की शिकायतों का निपटारा करने के लिए पूर्ण सक्षम है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद के समक्ष विचाराधीन मामले

2923. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 नवम्बर, 1981 को धनबाद के औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास कितने मामले विचाराधीन थे और कितने समय से विचाराधीन थे तथा तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में सबसे पुराने मामले कौन-कौन से हैं और वे किन-किन पक्षों से संबंधित हैं;

(ग) गत चार वर्षों में न्यायालयों के निपटान में औसत कितना समय लिया;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार समय पर न्याय दिलाने के लिए मुकदमेबाजी की अवधि को कम करने हेतु किसी योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विवरण संलग्न हैं जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3065/81]

(ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय, धनबाद संख्या-1 में केन्द्रीय जायरामडीह कोलिबरी तथा उनके कर्मकारों से संबंधित मामला सबसे पुराना मामला है।

(ग) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय, धनबाद द्वारा मामले के निपटान के लिए लिया गया औसत समय 2 से 3 वर्ष है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रत्येक अधिकरण हेतु प्रतिमास 6 मामलों को निपटाने के लिए मानक निर्धारित किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके भीतर पंचाट दिए जाने अपेक्षित हैं। सरकार मामलों के शीघ्र निपटान के तरीकों पर विचार कर रही है। अधिक न्यायालय कायम करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त, धनबाद द्वारा समझौता रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना

2924. **श्री ए० के० राय :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 नवम्बर, 1981 तक गत चार वर्षों में वर्षवार धनबाद और आसनसोल के क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के) ने मंत्रालय को कितने मामलों में ऐसी रिपोर्टें भेजी हैं जिनमें समझौता वार्ता सफल नहीं रहीं;

(ख) न्यायाधिकरणों को कितने मामले भेजे गए, कितने मामलों को भेजने योग्य नहीं समझा गया और कितने मामले मंत्रालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हैं तथा इनसे प्रभावित यूनियनें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने और विशेष रूप से "सीटू" से संबंधित यूनियनों के बारे में निर्णय लेने में काफी विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सुलह रिपोर्टों की विफलता के बारे में निर्णय यूनियनों, जो श्रमिकों की किसी केन्द्रीय संगठन से सम्बद्ध हो या अन्यथा, के प्रति भेदभाव के बिना यथासम्भव शीघ्र लिए जाते हैं।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में सुलह विफलता रिपोर्टों (एफ० ओ० सी०) की संख्या, जो धनबाद और आसनसोल क्षेत्रों के सुलह अधिकारियों द्वारा भेजी गईं।

क्षेत्र	2-11-1977 से 1-11-1978 तक	2-11-1978 से 1-11- 979 तक	2-11-1979 से 1-11-1980 तक	2-11-1980 से 1-11-1981 तक	कुल
धनबाद	254	275	306	464	1299
आसनसोल	88	81	102	119	390

	उल्लिखित सुलह विफलता रिपोर्टों की संख्या में से, उन मामलों की संख्या			
क्षेत्र	जिन्हें 1-11-1981 तक न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया	जिनमें 1-11-1981 तक न्याय-निर्णय अस्वीकार किया गया	1-11-1981 को लंबित पड़े	यूनियनों के नाम जो लंबित पड़े विवादों में अन्तर्ग्रस्त हैं
धनबाद	424	703	172	विवरण 'क' में दिए गए हैं।
आसनसोल	185	156	49	

विवरण 'क'

यूनियनों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया इम्पलाईज एसोसिएशन।
2. सिन्डीकेट बैंक स्टाफ यूनियन।
3. इलाहाबाद बैंक इम्पलाईज यूनियन।
4. यूनाइटिड कमर्शियल बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन।
5. विहार प्रोविंशल सैंट्रन्ल बैंक आफ इंडिया इम्पलाईज एसोसिएशन।
6. देना बैंक इम्पलाईज यूनियन।
7. विहार स्टेट बैंक आफ बड़ौदा इम्पलाईज एसोसिएशन।
8. आन्ध्रा बैंक इम्पलाईज यूनियन।
9. इंडियन बैंक इम्पलाईज यूनियन।
10. ओरिन्टल बैंक आफ कामर्स इम्पलाईज एसोसिएशन।
11. आल इंडिया रेलवे इम्पलाईज कनफैडरेशन।
12. डेहरी रोहतास लाईट रेलवे श्रमिक संघ।
13. राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ।
14. बिहार कोलियरी कामगार यूनियन।
15. कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया।
16. कोलियरी कर्मचारी संघ।
17. बिहार कोल माईनर्स यूनियन।
18. यूनाईटिड कोल वर्कर्स यूनियन।
19. कोलफील्ड लेबर यूनियन।
20. कोयला मजदूर यूनियन।

21. कोयला इस्पात मजदूर पंचायत ।
22. जनता मजदूर संघ ।
23. कोल वाशरी श्रमिक संघ ।
24. कोयला मजदूर कांग्रेस ।
25. खान मजदूर कांग्रेस ।
26. छोटानागपुर मजदूर यूनियन ।
27. चसनाला माईन मजदूर यूनियन ।
28. शडयूल्ड कास्ट एण्ड शडयूल्ड ट्राईब ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
29. कोलियरी स्टाफ एसोसिएशन ।
30. पालामाउ खान मजदूर संघ ।
31. बिहार माइका मजदूर संगठन ।
32. यूनाईटिड मिनरल वर्कर्स यूनियन ।
33. बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन ।
34. बौला क्वेरीज मजदूर संघ ।
35. अभ्रक मजदूर पंचायत ।
36. रोहतास मजदूर पंचायत ।
37. फूड कारपोरेशन आफ इंडिया वर्करर्स यूनियन ।
38. कोलियरी मजदूर सभा ।
39. कोलियरी मजदूर कांग्रेस ।
40. कोलियरी मजदूर यूनियन ।
41. मोटर ट्रांसपोर्ट कामगार यूनियन ।
42. कोल माईन्स आफिस कर्मचारी संघ ।
43. कोल माईन्स अथारिटी लि० इम्पलाईज यूनियन ।
44. कोयला प्रतिष्ठान कर्मचारी यूनियन ।
45. नेशनल कोल आर्गनाईजेशन (गवर्नमैंट आफ इंडिया) इम्पलाईज एसोसिएशन ।
46. भारत कोकिंग कोल इम्पलाईज यूनियन ।
47. खान श्रमिक कांग्रेस ।
48. वेस्ट बंगाल खान मजदूर संघ ।
49. बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक इम्पलाईज यूनियन ।
50. बैंक आफ बड़ौदा इम्पलाईज एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल ।
51. बैंक आफ बड़ौदा इम्पलाईज यूनियन ।

राज्यों में मंजूर न की गई सिंचाई परियोजनायें

2925. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों को मंजूर न की गई सिंचाई परियोजनानों के बारे में सावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनकी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार ने किसी विशेष राज्य को अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विशिष्ट रूप से सावधान नहीं किया है। तथापि योजना आयोग ने सभी राज्यों को हाल ही में भेजे गए एक परिपत्र में इस बात के लिए फिर से जोर दिया है कि किसी भी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित रूप में जांच किए जाने के बाद उसके लिए योजना आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना उस पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से नियन्त्रण हटाना

2926. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने सरकार से वितरण पर नियन्त्रण हटाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सीमेंट निर्माता संघ ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि सीमेंट उद्योगपर नियंत्रण जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग को सौंप दिया जाये।

(ख) सरकार सीमेंट के मूल्य निर्धारण तथा वितरण से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में इसलिए विचार नही कर सकती क्योंकि समाज के कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें इससे हानि पहुंच सकती है और जो देश के सदूरवर्ती भागों में रहते हैं। यदि सीमेंट की विद्यमान कमी को देखते हुए सीमेंट के वितरण तथा मूल्य से नियन्त्रण हटा लिया जाता है तो उन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सुन्की में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना

2927. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में कोरपुट जिले के सुंकी क्षेत्र में चूना पत्थर के निक्षेप की किस्म और मात्रा के बारे में क्या अनुमान लगाया है और मंत्रालय को सूचित किया है तथा कोरापुट जिले में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट क्या है;

(ख) उड़ीसा सरकार उनके मंत्रालय से फैक्ट्री की स्थापना के बारे में कब से अनुरोध कर रही है और यदि हाल में कोई अनुरोध किया गया है, तो कब;

(ग) परियोजना-रिपोर्ट को स्वीकृत देने हेतु उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या उस जिले में चूना-पत्थर के सुन्की निक्षेप का उपयोग करके सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना करने के लिये किसी गैर-सरकारी, सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र के संबंद्ध उद्योग ने आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से यह मालूम हुआ है कि खान निदेशक ने कोरापुट जिले के सुन्की क्षेत्र में चूना-पत्थर के पर्याप्त निक्षेपों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की है और वहां एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया है तथा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड नामक राज्य सरकार का एक निगम बड़े आकार का एक संयंत्र स्थापित करने का इच्छुक है बशर्ते कि ये भंडार पर्याप्त सिद्ध हों। इस मंत्रालय की जांच की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(घ) इस क्षेत्र में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए वर्ष 1981 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन 3 आवेदन पत्र जिनमें से स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन से 20 लाख मी० टन की क्षमता वाला एक संयंत्र और क्रमशः 66,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 आवेदन-पत्र और एक निजी पार्टी से 66,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आवेदन-प्राप्त हुआ था।

(ङ) इन आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में उद्योगों का निर्माण-कार्य

2928. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गैर-सरकारी उद्यमियों ने आशय-पत्र प्राप्त करने के बाद उद्योगों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में उद्योगों के काम को शीघ्र शुरू कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत आशय पत्रों को प्रारम्भ में एक वर्ष की वैध अवधि के लिए जारी किया जाता है जिसे आशय पत्र में लगाई गई शर्तों को पूरा करने पर आशय पत्र धारणा

कर्ता द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इन आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन कर दिया जाता है जिसकी प्रारम्भिक वैधता अवधि दो वर्षों के लिए होती है जिसके अन्दर उद्यमियों से उत्पादन आरम्भ कर देने की आशा की जाती है। कुछ ऐसे मामलों में औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता की अवधि भी बढ़ा दी जाती है जिनमें पार्टियां प्रारम्भिक वैधता की अवधि के भीतर अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी क़दम नहीं उठा सकती हैं। इस प्रकार, मशीनों की स्थापना और सिविल निर्माण कार्यों के निर्माण पर उद्यमियों द्वारा आशय पत्रों के औद्योगिक लाइसेंसों में बदल दिये जाने के बाद ही ध्यान दिया जाता है।

(ख) यह मामला राज्य की नीति और कार्यक्रमों से संबंधित

आदिवासी-क्षेत्रों में औद्योगिक समूह

2929. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिये यह निर्णय किया है कि औद्योगिक समूहों में प्रेरित जोनों का परियोजना के एक अंग के रूप में विकास किया जाना चाहिए और परियोजना पर स्वीकृति देने से पूर्व इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के आधार पर केन्द्रीय सरकार और राज्यों द्वारा अब तक कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और उन्हें स्थापित किया जा रहा है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय और सम्बन्धित मंत्रालयों ने विद्यमान और नये दोनों प्रकार के औद्योगिक और खनन समूहों से प्रेरित जोनों की विस्तृत योजना तैयार कर ली हैं; और

(घ) यदि योजना, अब तक तैयार नहीं की गई है, तो इस विकास की क्षति से आदिवासी क्षेत्रों और लोगों को जो नुकसान होगा उससे उन्हें कैसे बचाया जाएगा ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) औद्योगिक विकास के उद्देश्यों के लिए आदिवासी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र माना गया है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो रियायतें उपलब्ध करायी जाती हैं वे आदिवासी क्षेत्रों पर भी लागू होती हैं। आदिवासी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए अलग ही नीति तैयार की जा रही है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. रियायती वित्त,
2. मूल/मार्जिन धनराशि योजना,
3. केन्द्रीय निवेश राजसहायता,
4. आयकर में राहत,

5. लघु एककों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद,

6. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श,

7. ब्याज राजसहायता,

8. कच्ची सामग्री आयात करने के लिये विशेष सुविधाएं;

9. परिवहन राज सहायता,

10. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम.

11. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम,

12. जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना ।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। राज्य सरकारों को पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

अतः पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना में दो पहलू होंगे । पहले पहलू आनुसंगीकरण की पूर्व निर्धारित योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास की प्रक्रिया को मूलरूप से समेकित करना है तथा दूसरा पहलू वर्तमान सभी सामाजिक उपयोगी साधनों के साथ सम्पूर्ण बस्ती क्षेत्र के विकास करने से सम्बन्धित है। ताकि कारखानों और गन्दी बस्तियों की बजाय इससे एक बसे हुए स्थल का विकास किया जा सके । नई योजना जो तैयार की जा रही है उसके अवस्थापना विकास हेतु सहायता को शामल करके सन्तुलित समेकित विकास के वास्ते चयनात्मक ढंग से व्यवस्था है ।

आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति-भत्ता

2930. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी जिलों/क्षेत्रों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों द्वारा क्षतिपूर्ति भत्ते आदि जैसे क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं, ऐसे क्षतिपूर्ति भत्ते के भुगतान की राज्यवार और मंत्रालय-वार क्या-क्या दर हैं;

(ख) क्षतिपूर्ति भत्ता और विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान करने के लिए राज्यों और मंत्रालयों ने क्या-क्या मानक और मानदंड अपनाये हुए हैं;

(ग) क्या राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों ने अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया है; और

(घ) यदि पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं किया है तो उसके क्या कारण हैं तथा शेष आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सम्बन्धित राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) समापटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता देने के लिए वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये हैं :

(1) जो व्यक्ति आदिवासी या समग्र जनजाति विकास परियोजना क्षेत्रों में तैनात नहीं है, उन्हें यह भत्ता न दिया जाय।

(2) भत्ता प्राथमिक रूप से स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के लिए है।

(3) यह भत्ता आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को ग्राह्य है, चाहे वे विकासात्मक या प्रशासनिक विभागों में कार्य कर रहे हों और चाहे वे समय जनजाति विकास परियोजना के कर्मचारियों से सीधे संबंधित हो या नहीं।

(4) वित्त आयोग द्वारा किए गए उपबन्धों के प्रति केन्द्र की देयता सीमित है।

(ग) और (घ) आदिवासी क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता देने का प्रश्न सातवें वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय के अधीन भी विचाराधीन रहा है। उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति के परिणामस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में निर्णय किये गये हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश : अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत राज्य कर्मचारी मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर तथा अधिक से अधिक 150 रुपये प्रतिमाह खराब जलवायु भत्ते अथवा यदि कोई अन्य विशेष वेतन खराब जलवायु भत्ता ग्राह्य नहीं है तो उसी दर पर विशेष भत्ते के पात्र हैं। एजेन्सी क्षेत्रों में जनजातीय विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारी किराया मुक्त क्वार्टरों के भी पात्र हैं और जहां पर किराया मुक्त क्वार्टर उपलब्ध नहीं है तो उन्हें मकान किराया भत्ते से संबंधित सामान्य आदेशों के अन्तर्गत ग्राह्य किसी मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर और अधिक से अधिक 150 रुपये प्रतिमाह की दर अतिरिक्त मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

असम : राज्य के छठे अनुसूचित क्षेत्र में अर्थात् उत्तरी कछार पहाड़ी जिला तथा कर्बी आंगलोंगा में मूल के वेतन के 10 प्रतिशत की दर से और अधिक से अधिक 150 रुपये की दर से पहाड़ी भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो जिला मुख्यालय से 16 कि० मी० की परिधि के भीतर कार्य करते हैं। जो 16 कि० मी० की परिधि के बाहर कार्य कर रहे हैं उन्हें मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से और अधिक से अधिक 150 रुपये प्रतिमाह पहाड़ी भत्ता दिया जाता है।

बिहार : 500 रु० तक वेतन लेने वाले दुर्गम जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में नियुक्त किए गए कर्मचारियो को 30 रुपये प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता दिया जाता है। दुर्गम जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में 500 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 20 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता दिया जाता है। सुगम जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में 500 रुपये से कम लेने वाले कर्मचारियों को 20 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश : जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत राज्य सरकार कर्मचारियों को दिसम्बर से मार्च तक वर्ष में चार महीनों के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 40 रुपये प्रतिमाह की दर से अथवा अधिक से अधिक 160 रुपये प्रति कर्मचारी की दर से शीतकालीन भत्ता दिया जाता है।

केरल : अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत राज्य सरकार कर्मचारियों को स्वीकृत प्रतिपूरक भत्ता निम्न प्रकार है :—

वेतनमान (रुपये)	प्रतिपूरक भत्ता
280-400	75 रुपये प्रतिमाह
290-425	
300-450	
330-515	100 रुपये प्रतिमाह
340-535	
370-600	
4[illegible]0-785	125 रुपये प्रतिमाह
520-900	
600-1100	150 रुपये प्रतिमाह
700-1270	

मणिपुर : मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों में तैनात मणिपुर सरकार के सभी कर्मचारी निम्नलिखित दरों पर पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता लेते हैं :

वेतनमान (रुपये)	प्रतिपूरक भत्ता
700 तक	75 रुपये प्रतिमाह
301-400	100 रुपये प्रतिमाह
401-1000	125 रुपये प्रतिमाह
1000 से ऊपर	175 रुपये प्रतिमाह

महाराष्ट्र : अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कोई प्रतिपूरक भत्ता नहीं दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त परियोजना अधिकारियों को 250 रुपये मासिक विशेष वेतन और किराया क्वार्टर दिये जाते हैं।

उड़ीसा : जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त तथा शिनाख्त की गई बस्तियों में तैनात स्थानान्तरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत विशेष प्रतिपूरक भत्ता दिया गया है।

उत्तर प्रदेश : पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के सीमावर्ती जिलों में तैनात किये गये राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम से कम 40 रुपए और अधिक से अधिक 300 रुपये की सीमा तक विशेष वेतन दिया जाता है। जो सरकारी कर्मचारियों के पद तथा नियुक्ति के स्थान पर निर्भर करता है। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, तथा टिहरी गढ़वाल में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को पहाड़ी विकास भत्ता वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर कम से कम 25 रुपए तथा अधिक से अधिक 100 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं।

पश्चिमी बंगाल : सम्पूर्ण राज्य में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन के 15 प्रतिशत की दर से अधिक से अधिक 275 रुपए प्रतिमाह प्रतिपूरक भत्ता और कुछ अन्य शर्तों को भी पूरा करने पर दिया जाता है। मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को ग्राह्य है जो 1470 रुपये तक वेतन पा रहे हैं ओर जो सिलीगुड़ी सबडिविजन को छोड़कर जिला दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में सेवारत हैं। जिला दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र कुर्सेओग, कालीपोंग तथा दार्जिलिंग सब-डिविजनों में नियुक्त कर्मचारी 300 रुपए की वार्षिक दर से शीतकालीन भत्ते के पात्र हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह : 1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के सभी कर्मचारियों को मूल वेतन के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से अधिकतम 150 रुपए प्रतिपूरक भत्ता ग्राह्य है।

2. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते का अदायगी को राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये उन भत्तों के साथ आवश्यक रूप से संबंधित नहीं किया जाता है। वित्त मन्त्रालय ने विशिष्ट जनजातीय तालुकों/पोकेट्स में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को वेतन का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम से कम 20 रुपए और अधिक से अधिक 50 रुपए की अनुमति दी है बशर्ते कि कुछ शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के समान हों। आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को निम्नलिखित दर से प्रतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया गया है :—

	भत्ते की दर
330 रुपये से कम	वेतन का 5 प्रतिशत
330 से 900 रुपए	वेतन का 4.5 प्रतिशत कम से कम 16.75 रुपए
900 रुपए से अधिक	940.50 तक सीमान्त समायोजन

3. रेल मंत्रालय ने भी आन्ध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त अपने कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता दिया है।

4. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्यों तथा संघ शासित राज्यों, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के दूर-दराज के क्षेत्रों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार

के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा स्वीकृत विभिन्न दरों पर विशेष प्रतिपूरक भत्ता दिया जाता है। बिहार के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते के देने के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया कि बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता देने में अधिक न्यायोचितता नहीं है।

देश में कम्प्यूटर-उद्योग का विस्तार

2931. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कम्प्यूटर उद्योग के विस्तार के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या देश में ऐसे उद्योगों के विस्तार की समस्याओं और संभावनाओं की जांच करने के लिए किन्ही समन्वय समितियों के गठन का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावित समन्वय समितियों में किन-किन मंत्रालयों/विभागों अथवा अन्य संस्थाओं से कर्मचारी लिये जायेंगे अथवा प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्त किए जायेंगे; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मिनी कम्प्यूटर/माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों की औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति (जो 14 नवम्बर, 1979 को घोषित की गई थी) के क्रियान्वयन के लिए 25 अक्तूवर, 1979 से एक अतमंत्रालयी/विभागीय स्थायी समिति कार्य कर रही है। इस समिति के अध्यक्ष इलेक्ट्रोनिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, तथा समिति में तकनीकी विकास महानिदेशालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), योजना आयोग तथा आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) यह स्थायी समिति कम्प्यूटर उद्योग के मिनी-माइक्रो कम्प्यूटर अंश की सम्पूर्ण आयोजना तथा संवर्द्धन का कार्य देखती है। इसके कार्य कलापों में निम्नलिखित शामिल हैं, न केवल किस्मों की दृष्टि से अपितु संख्या की दृष्टि से भी देश में मिनी-कम्प्यूटरों और माइक्रो-प्रोसेसरों पर आधारित प्रणालियों की मांग को संमीक्षा करना; पेरिफरल्स (उपान्त-उपस्करों) के अधिकाधिक मानकीकृत रेंज उपलब्ध कराना, इस बात को उद्योग की जानकारी में लाना, ऐसी प्रणालियों के विनिर्माण के लिए उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त करना, केन्द्रीय प्रोसेसर में निहित इलेक्ट्रोनिकी पेरफरल्स (उपान्त-उपस्करों) के मानकीकृत रेंजों और उनके लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर (यंत्रेतर सामग्रियों) सहित मिनी-कम्प्यूटर/माइक्रो-कम्प्यूटर प्रणालियों के उत्पादन के लिए प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विनिर्माण के लिए योजना-बद्ध तरीके से कार्यक्रम की संमीक्षा करना। इसका उद्देश्य यह है कि प्रणालियों में लगने वाली अवयवों में से स्वदेश में बने अवयवों को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाए, पेरिफरल्स (उपान्त-उपस्करों) के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तथा इस बात का

सुनिश्चय किया जाए कि मिनी-माइक्रो कम्प्यूटरों में विनिर्मातागण अपनी प्रणालियों के रख-रखाव के लिए संतोषजनक व्यवस्था जुटाएं। पिछली दो वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिकी विभाग और समिति द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने (1 दिसम्बर, 81 की स्थिति के अनुसार) ऐसी प्रणालियों के लिए 86 औद्योगिक अनुमोदन जारी किए हैं; जिनमें से बड़े क्षेत्र को 28 तथा लघु उद्योग क्षेत्र की 58 औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए गए हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान इनमें से 6 एककों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया था तथा इनका कुल 12.3 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार था। कम्प्यूटर पेरिफरल्स (उपान्त-उपस्कारों) का निर्माण करने के लिए 10 से अधिक एककों को भी औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हैं और वर्ष 1981 के दौरान इनमें से कम से कम 2 एककों द्वारा उत्पादन शुरू कर देने की आशा है।

मिनी-माइको कम्प्यूटरों के अलावा, इलेक्ट्रोनिक विभाग ने वर्ष 1971 से इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटरों के विनिर्माण कार्यक्रमों को सुदृढ़ तथा सतत् सहयोग दिया है। इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने वर्ष 1971-81 के दशक में इलेक्ट्रनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान तथा विकास-कार्यों के सहायतार्थ कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ रुपए के अनुदान तथा ऋण प्रदान किए हैं। इन प्रयासों के कारण तथा साथ ही इसके अपने स्वयं के प्रयासों के फलस्वरूप आज इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड देशी डिजायन तथा तकनीकी जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक, व्यवसायिक तथा वास्तविक-समय अनुप्रयोगों के लिए टी० डी० सी०312 तथा टी० डी० सी०-316 किस्म के कम्प्यूटरों का विनिर्माण कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपए मूल्य की 50-टी० डी० सी० 312 और 69 टी० डी० सी० 316 किस्म की मशीनों का विनिर्माण किया है तथा उनकी आपूर्ति की है। वर्ष 1981-82 के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अपनी मध्यम आकार की टी० डी० सी०-332 किस्म की प्रणाली का उत्पादन भी शुरू करने जा रहा है।

इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने देश में निर्मित टी० डी० सी०-316 कम्प्यूटर के आधार पर अत्यधिक जटिल एवं सूक्ष्म, वास्तविक-समय/ऑन-लाइन कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के विकास तथा विनिर्माण का कार्य भी हाथ में लिया है। इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण राष्ट्र की वायु-सुरक्षा प्रणाली के लिए स्थिर तथा सचल आंकड़ा संचालक प्रणालियां (डेटा हैण्डलिंग सिस्टम्स) तथा वायु सेना, थल सेना और विदेश संचार सेवा के लिए स्वचालित संदेश स्विचन प्रणालियां हैं। इलेक्ट्रोनिकी विभाग से अनुसंधान तथा विकास के लिए प्राप्त 6 करोड़ रुपए के अनुदान की सहायता से इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (टाटा मौलिक अनुसंधान के सहयोग से) सुरक्षा आंकडा संचालन प्रणालियां विकसित की थीं। इस समय इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अगले 4-5 वर्षों के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए मूल्य के वायु सुरक्षा आंकडा संचालन-प्रणालियों के विनिर्माण के लिए आर्डर/आशय-पत्र हैं।

इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के मध्यम आकार के कम्प्यूटरों के विनिर्माण कार्यक्रम में पूरक सहायता देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने वर्ष 1978 में मेसर्स इंटर-

नेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मैन्यूफैक्चर को आई० सी० एल०-2904 (ग्रेड ब्रिटेन) के सहयोग से वर्ष 1978-83 की अवधि में आई० सी० एल०-2904, अनुक्रम के 100 कम्प्यूटर्स का विनिर्माण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। उन्होंने वर्ष 1979 में व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन करना शुरू कर दिया और सितम्बर, 1980 तक 6 कम्प्यूटर प्रणालियों का उत्पादन भी किया है। उन्होंने अक्तूबर, 1980 से सितम्बर, 1981 के दौरान 18 और प्रणालियों का उत्पादन करने की योजना बनाई है।

"स्टेट्स ओपोज रूल्स ऑन बोंडिड लेबर" शीर्षक से समाचार

2932. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बंधुआ मजदूर संबंधी नियमों का राज्यों द्वारा विरोध" (स्टेट्स ओपोज रूल्स आन बोन्डिड लेबर) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने जनजातियों से संबद्ध और ठेका श्रमिकों, जो सामान्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के होते हैं, की दुर्दशा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बंधुआ और प्रवासी श्रमिकों को मुख्य रूप से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा उनका क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से 1978 में बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था। यह अनुमान था कि पता लगाए गए बंधुओं श्रमिकों में से 60 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति और 18.3 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जनजाति से संबंधित है ।

(घ) बंधुआ और प्रवासी श्रमिकों को, जो गरीब श्रमिकों में से सबसे अधिक गरीब हैं, सामाजिक और आर्थिक घोषणा के जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1970 के कार्यान्वयन का काम राज्य सरकारों का है। नुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वासित किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा पूर्ति) अधिनियम, 1979 को 2-10-1980 से लागू किया गया। केन्द्रीय नियम पहले से ही तैयार किए जा चुके हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने नियम बनाए हैं। अन्य राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे नियमों को बनाने में शीघ्रता करें ताकि कारगर प्रवर्तन मशीनरी की व्यवस्था की जा सके।

मिनी सीमेंट संयंत्रों हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए राज्यों द्वारा की गई सिफारिशें

2933. श्री मोहनलाल पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये राज्यों ने राज्यवार कितने-कितने आवेदनों के संबंध में अपनी-अपनी सिफारिशे भेजी थीं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार, स्वीकृति आवेदनों का ब्योरा क्या है;

(ग) दिनांक 31 अक्टूबर 1981 तक स्थापित किये गये मिनी सीमेंट संयंत्रों और उनके उत्पादन का ब्योरा क्या है;

(घ) वर्ष 1981-82 के प्रथन 6 महीनों के दौरान इन संयंत्रों, में कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) सीमेंट की कमी की पूर्ति करने में संयंत्र कहां तक सहायक हुए हैं।

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 1978 से प्राप्त आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्योरा देने वाला एक **विवरण संलग्न है।**

(ग) और (घ) औद्योनिक लाइसेंस के लिये स्वीकृत किसी भी मिनी सीमेंट संयंत्र ने उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, पर तकनोकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत निम्नलिखित संयंत्रों में उत्पादन हो रहा है।

संयंत्र का नाम	स्थापना स्थल	उत्पादन (मी० टनों में)	
		1980-81	1981-82 (अप्रैल-सितम्बर)
जे एंड के मिनरल लि०	वुयान	6655	5485
कच्छ सीमेंट लि०	मुज	2394	1210
वेदा सीमेंट इण्ड०	मल्लपुरा (चित्रदुर्ग)	—	इन संयंत्रों ने हाल ही में उत्पादन प्रारंभ किया है, उत्पादन परिणाम अभी प्राप्त जहां हुए हैं।
लोकपुर सीमेंट लि०	कोकापुर (मुधाल)	—	

(ङ) मांग और संभरण के वर्तमान अन्तर को देखते हुए जो 72.20 लाख मी. टन अनुमानित है, मिनी सीमेंट संयंत्रों से प्राप्त उत्पादत अभी नगण्य है। (डसीला)

विवरण

मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु 1978 से प्राप्त आवेदनों का राज्यवार ब्योरा देने वाला विवरण

क्रमांक	आवेदक का नाम	सरकार का निर्णय	टिप्पणी
1	2	3	4
	आन्ध्र-प्रदेश		
1.	श्री वेल्लूरी केशव राव	अस्वीकृत	
2.	श्री नागेश्वर राव	अस्वीकृत	
3.	श्री के. एच. वी. रेड्डी	अस्वीकृत	
4.	श्री मण्डलपुर कोटेश्वर राव	अस्वीकृत	
5.	श्री के. रामचन्द्रा राजू	स्वीकृत	
6.	डक्कन सीमेंट लिमिटेड	स्वीकृत	
7.	श्री वी. वेंकटस्वामी	स्वीकृत	
8.	काकाटिया सीमेंट लिमिटेड	स्वीकृत	
9.	श्री के. आई. विद्यासागर	स्वीकृत	
10.	श्री ए. बी. वी. राव	स्वीकृत	
11.	सोमेस्वर सीमेंट लिमिटेड	स्वीकृत	
12.	कारोमंडल सीमेंट	स्वीकृत	
13.	श्री रघवेन्द्र सीमेंट	अस्वीकृत	
14.	श्री एस. एन. किलारु	स्वीकृत	
15.	तेलंगना सीमेंट्स	अस्वीकृत	
16.	श्री एम. जी. कृष्णा	अस्वीकृत	
17.	श्री वसीरेड्डी मंजुश्री	अस्वीकृत	
18.	श्री सूर्यनारायण	अस्वीकृत	
19.	श्री वोसा तुकाराम	अस्वीकृत	
20.	श्री वी. विजयलक्ष्मी	अस्वीकृत	

1	2	3	4
21.	श्री एस. रामाचन्द्रा राव	अस्वीकृत	
22.	श्री बी. एम. दयाशंकर	स्वीकृत	
23.	श्री सी. पी. के. मूर्ति	निलम्बित	
गुजरात			
24.	श्री आर. एम. खटाऊ	स्वीकृत	
25.	डा० एस. एन. गांधी	स्वीकृत	
26.	ज्युपिटर सीमेंट इण्ड०	स्वीकृत	
27.	अमीरगढ सीमेंट्स	स्वीकृत	
28.	श्री. बी. एन. पटेल	स्वीकृत	
29.	कामदार सीमेंट्स	अस्वीकृत	
30.	सत्रुंज्य सीमेंट	अस्वीकृत	
31.	श्री नायक सीमेंट	अस्वीकृत	
32.	श्री नारायण भाई ईश्वर भाई	अस्वीकृत	
33.	श्री एम. जी. मरेडिया	अस्वीकृत	
34.	श्री अम्बिका सीमेंट	अस्वीकृत	
35.	श्री मयूर एन. अमीन	स्वीकृत	
36.	पलस्वा सीमेंट एण्ड केमी०	अस्वीकृत	
37.	मे० कम्बाइण्ड सीमेंट	निलम्बित	
38.	श्री वेकमेंस (प्रा) लिमिटेड	निलम्बित	
39.	श्री निरंजन.शाह	निलम्वित	
40.	श्री ओ. पी. एस. एस. अग्रवाल	निलम्बित	
41.	श्री यू. बी. लुथरिया	निलम्बित	
42.	श्री युवराज दिग्विजय सिन्हा	निलम्बित	
हरियाणा			
43.	हरयाणा स्टेट आई. डी. सी.	स्वीकृत	
हिमाचल प्रदेश			
44.	श्री कृष्णा कश्यप	स्वीकृत	
45.	एग्रिमो प्रोजेक्ट	स्वीकृत	रद्द कर दिया गया

1	2	3	4
46.	श्री बिनोद कुमार	स्वीकृत	
47.	श्री अकर ओफसोर	अस्वीकृत	
48.	श्रीमती गुनुवाला राजगढ़िया	अस्वीकृत	
49.	श्री आर. सी. जैन	अस्वीकृत	
	जम्मू एवं कश्मीर		
50.	श्री बी. डी. अग्रवाल एण्ड सन्स	अस्वीकृत	
	कर्नाटक		
51.	डक्कन अल्काली लिमिटेड	स्वीकृत	
52.	श्री टी. एम. जोसेफ	अस्वीकृत	
53.	रतना केमिकल्स	स्वीकृत	
54.	साऊथ इण्डिया सीमेंट लिमिटेड	स्वीकृत	
55.	कर्नाटक मिनरल्स	स्वीकृत	
56.	पालिका सीमेंट्स	अस्वीकृत	
57.	कर्नाटक मिनरल्स	स्वीकृत	
58.	श्री क्वालिटी सीमेंट	अस्कीकृत	
59.	बसवेशवर सीमेंट	अस्वीकृत	
60.	एमकरे फार्मस	अस्वीकृत	
61.	डा. एम. जहीरउद्दीन	अस्वीकृत	
62.	श्री जी. करीसीदप्पा	निलम्बित	
63.	सिद्धार्थ यिल्डिग्स	निलम्बित	
	मध्य प्रदेश		
64.	श्री पी. के. कसलीवाल	अस्वीकृत	
65.	श्री आर. के. के. पारेख	अस्वीकृत	
66.	श्री राणा हनुमान सिंह	स्वीकृत	
67.	श्री पी. के. कसलीवाल	स्वीकृत	
68.	रेवा कोलफिल्ड्स	स्वीकृत	रद्द कर दिया गया
69.	दार्जलिंग डूअर्स	स्वीकृत	

1	2	3	4
70.	श्री एस. के. खेतान	स्वीकृत	
71.	श्री पी. के. मोहता	अस्वीकृत	
72.	यूनिवर्सल कन्टेनर्स	स्वीकृत	
73.	एम. पी. स्टेट आई. डी. सी.	निलम्बित	
74.	सुविकसित इन्वेस्टमेंट्स	निलम्बित	
75.	सिद्धा कारपोरेशन	निलम्बित	
76.	भारत फूड इण्डिया लिमिटेड	निलम्बित	
महाराष्ट्र			
77.	डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ विढेरवा	अस्वीकृत	
78.	एन. के. पोरवाल एण्ड एस. एन. पोरवाल	स्वीकृत	
79.	प्रभु स्टील लिमिटेड	अस्वीकृत	
80.	हरिगंगा सीमेंट लिमिटेड	स्वीकृत	
81.	अग्रिमा प्रोजेक्ट	स्वीकृत	
82.	श्री के. एम. गोयंका	अस्वीकृत	
83.	महेश एग्री० इम्पलीमेंट्स	अस्वीकृत	
84.	मोरारजी गोकुलदास	अस्वीकृत	
85.	विधरबा सीमेंट्स	अस्वीकृत	
86.	श्री एस. के. मोदी	अस्वीकृत	
87.	श्री के. एम. गोयंका	अस्वीकृत	
88.	डा० मेका पापा राव	निलम्बित	
89.	श्री बादल मित्तल	निलम्बित	
90.	श्री एस. बी. लुथरिया	निलम्बित	
उड़ीसा			
91.	आई. डी. सी. आफ उड़ीसा	अस्वीकृत	
92.	आई. डी. सी. आफ उड़ीसा	स्वीकृत	
93.	श्री महेश्वर मिश्रा	अस्वीकृत	
94.	श्री जे. अप्पा राव	निलिम्बित	
95.	सी. पी. के मूर्ति	निलम्बित	
96.	आई. डी. सी. आफ उड़ीसा	निलम्बित	

1	2	3	4
बिहार			
97.	श्री के. एम. मोदी	अस्वीकृत	
राजस्थान			
98.	जयन्तीलाल लालचन्द शाह	अस्वीकृत	
99.	एम. एम. राज पुरोहित	अस्वीकृत	
100.	श्री एम. एल. राजगढ़िया	अस्वीकृत	
101.	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन	स्वीकृत	
102.	—वही—	स्वीकृत	
103.	—वही—	स्वीकृत	
104.	—वही—	स्वीकृत	
105.	—वही—	स्वीकृत	
106.	श्री रतन कुमार जजी	अस्वीकृत	
107.	श्री एम. एस. राज पुरोहित	स्वीकृत	
108.	श्री एस. के. जैन	अस्वीकृत	
109.	श्री जयंतीलाल चन्द शाह	अस्वीकृत	
110.	डा. वी. के. चटर्जी	अस्वीकृत	
111.	श्री एस. एम. अग्रवाल	अस्वीकृत	
112.	बन्सवाडा सन्टैक्स	अस्वीकृत	
तमिलनाडु			
113.	श्री एन. एस. मनी	अस्वीकृत	
उत्तर प्रदेश			
114.	ए. आर. सी. सीमेंट्स लिमिटेड	स्वीकृत	
115.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम	स्वीकृत	
116.	यू. पी. स्टेट सीमेंट कारपोरेशन	स्वीकृत	
117.	राठी सीमेंट्स लिमिटेट	अस्वीकृत	
118.	श्री शिवदास शास्त्री	निलम्बित	
119.	श्री जे. सी. कपूर	निलम्बित	
120.	श्री एस. पी. कनोडिया	निलम्बित	

बाल श्रम समस्या

2934. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बाल श्रम प्रथा अब भी जारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाल श्रमिक समस्या के उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो बाल श्रम समस्या के उन्मूलन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त आई० एल० ओ० अभिसमय संख्या 138 और सिफारिश संख्या 146 में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया है जो बाल श्रम पद्धति को क्रमिक रूप से समाप्त करने के उपायों की सिफारिश करेगा। बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पंजाब में सीमेन्ट की कमी

2935. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सीमेंट की भारी कमी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक प्रयोग के लिये पंजाब को उसकी मांग की तुलना में सीमेंट की कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ग) सरकार का पंजाब को और अधिक सीमेंट उपलब्ध कराने के लिये जिसके न होने के कारण राज्य के औद्योगिक विकास पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पंजाब सहित देशभर में सीमेंट की सामान्य कमी है।

(ख) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश सीमेंट की मांग नियमित रूप से नहीं भेजते हैं। पंजाब राज्य सरकार ने हाल में ही यह सूचित किया है कि उसकी सीमेंट की तिमाही मांग 4,75,000 टन होगी। पंजाब राज्य को 1981 के दौरान पहली तीन तिमाहियों में 5,14,000 टन सीमेंट जिसमें सार्वजनिक बिक्री वर्ग का 1,45,000 टन सीमेंट भी शामिल है, प्रेषित किया गया था।

(ग) सरकार देश में सीमेंट की वर्तमान क्षमता का समुचित उपयोग करके नई क्षमता की मंजूरी देकर तथा आयात द्वारा इसकी उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु हर सम्भव प्रयत्न कर रही

है। पंजाब राज्य सहित अन्य राज्यों के आवंटन में वृद्धि करना, सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार होने के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

सौर ऊर्जा केन्द्र के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

2937. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में सौर ऊर्जा केन्द्र के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की थी; और

(ख) क्या ऊर्जा केन्द्र के प्रस्ताव से सम्बंधित विभिन्न बातों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिली, इलैक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) लगभग 3.35 करोड़ रुपये की मुद्रा की कीमत के घटकों तथा 3.23 करोड़ की लागत से ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का आयोग एक सौर तापीय ऊर्जा के (एस० टी० ई० सी०) की स्थापना कर रहा है। यह केन्द्र सौर तापीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को, आदि प्रारुप (प्रोटोटाइप) विकास और संविरचना, परीक्षण और मानकीकरण प्रणाली, इंजीनियरी और प्रदर्शन के माध्यम से संवर्द्धन करेगा, ताकि सौर ऊर्जा के उपयोग, मुख्यतया विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोग को त्वरित किया जाए। यह केन्द्र गुड़गांव, हरियाणा में स्थित होगा और इसके लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है।

इस परियोजना को पूरी तरह से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा के संघटक के बारे में, कुछ चुने हुए निवेशों की व्यवस्था की छानबीन के लिए सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) से चर्चा की जा रही है।

कर्नाटक में उद्योगों के लिए जारी किये गये लाइसेंन्स और प्रदान की गई राजसहायता

2938. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान कर्नाटक राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों के लिये कितने आशय-पत्र जारी किये गये थे;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) वर्ष 1980 में कर्नाटक में विभिन्न उद्योगों के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गए थे; और

(ङ) लघु उद्योगों के विकास के लिये अक्तूबर, 1981 तक कितनी केन्द्रीय निवेश राजसहायता प्रदान की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य में वर्ष 1980-81 (अक्तूबर, 81 तक) के दौरान उद्योगों की स्थापना हेतु निम्नलिखित संख्या में आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए ।

किस्म	आशय-पत्र 1080-81 (अक्तूबर, 81 तक)		औद्योगिक लाइसेंस 1980-81 (अक्तूबर, 81 तक)	
नये उपक्रम	40	23	12	1
नई वस्तुएं	17	10	16	7
पर्याप्त विस्तार	16	9	10	7
कार्य चालू रखना	—	—	2	2
	योग : 73	42	40	17

(ङ) कर्नाटक राज्य के छंटे हुए अक्तूबर, 1981 तक जिलों को बड़े मध्यम तथा लघु उद्योग एककों को इस योजना के आरम्भ से, केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अन्तर्गत 76,140,417 रुपये की प्रतिपूर्ति की गई ।

कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास

29'9. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में वहां सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये बड़े अथवा मध्यम उद्योगों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कर्नाटक राज्य के "जिले अर्थात बेलगांव, वीदर, बीजापुर, डारवाड़, गुलवर्गा, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिण करनारा व तुमकुर अखिल भारत सावधिक ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त के लिये चुने गये हैं एंव जो रेखांकित हैं वे ओर 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिये छांटे गये हैं । राज्य सरकारों द्वारा दिये गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देती है जैसे, रियायती वित्त, निवेश राज सहायता, कर संबंधी रियायतें लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद आदि । केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के प्रारंभ से अर्थात् 1.10.1970 से 31.3.1981 तक राज्य सरकार को 6900 लाख रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है जो उन्होंने चुने हुए पात्र जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये दी थी ।

(ख) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में बड़े और मंझौले उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंसों की तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत योजनाओं की संख्या नीचे दर्शायी गई है :

वर्ष	जारी किये गए लाइसेंसों की संख्या कुल संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र में	त० वि० महानिदेशालय के पास पंजीकृत योजनाएं
1977	9	1	उपलब्ध नहीं
1978	7	—	19(10)
1979	10	3	68 (26)
1980	14	2	68 (31)
1981 (अक्तूबर,. 81)	4	—	उपलब्ध नहीं

कोष्ठकों में दर्शायी गई संख्याएं पिछड़े क्षेत्रों में पंजीकृत योजनाओं की हैं ।

सीमेंट उद्योग द्वारा सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि किया जाना

2941. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग से सीमेंट की विद्यमान 280 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में चालू दशक के मध्य तक उसे 460 मी० टन तक बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सीमेंट निगम ने सीमेंट उद्योग के लियें एक दस-वर्षीय भावी योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी है और निगम 20 वर्षीय योजना तैयार कर रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्री ने भारतीय सीमेंट निगम से सीमेंट की कम से कम एक तिहाई मांग को पूरा करने के लिये अनुरोध किया था जो अब चालू वर्ष के अन्त तक 1000 लाख मी० टन हो गई है; और

(ग) यदि हां तो भारतीय सीमेंट निगम मंत्रालय द्वारा जाहिर की गई मांग को किस हद तक पूरा करने के लिये सहमत हो गया है और उनके द्वारा इसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । सीमेंट उद्योग के संबंध में योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी-दल 1980-85 में अनुमान लगाया है कि वर्तमान 282.20 लाख मी० टन की विद्यमान वार्षिक क्षमता के मुकाबले वर्ष 1984-85 तक 469.80 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता स्थापित हो जाने की संभावना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1981-82 के अन्त तक की सीमेंट की अनुमानित मांग 302·20 लाख मी० टन तथा शताब्दी के अन्त तक इसके 1000 लाख मी० टन हो जाने की संभावना है। उद्योग मंत्री ने सीमेंट कारपोरेशन से अनुरोध किया है कि उत्पादन में निरंतर वृद्धि करते हुए उद्योग के कुल उत्पादन का कम से कम एक तिहाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाए।

(घ) सीमेंट कारपोरेशन देश में अधिष्ठापित क्षमता को कम से कम एक तिहाई भाग का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहता है। चुनौती पूरा करने के लिए वह पूर्णरूपेण तैयार है।

मिजो जिरलाई पाल (एम० जेड० पी०)

2942. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो जिरलाई पाल (एम० जैड० पी०) जो एक विद्यार्थी संगठन है, ने अपने आपको एक लड़ाकू विच्छेदी दल में बदल लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का मिजोरम के लिये इस नये खतरे से निपटने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मिजो छात्रों का एक प्रतिनिधि संगठन मिजो जिरलाई पाल (एम० जैड० पी०) कुछ आन्दोलनात्मक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

नेपा (नेशनल न्यूज प्रिन्ट पेपर मिल्स) द्वारा अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि किया जाना

2943. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स (नेपा) ने इस वर्ष तीसरी बार तथा पिछले 15 महीनों में छठी बार अपने अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि की; और

(ख) यदि हाँ, तो अखबारी कागज के मूल्य में इस नवीनतम वृद्धि के क्या कारण हैं।

उधोग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख निविष्टियों जैसे कच्चे माल बिजली तथा रसायनों आदि की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण नेपा अखबारी कागज के बिक्री मूल्य में संशोधन करना पड़ता था।

राष्ट्रीयकृत रुग्ण औद्योगिक एककों में कुप्रबन्ध

2944. **श्री समर मुखर्जी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समग्र देश में उन राष्ट्रीयकृत तथा अधिग्रहीत औद्योगिक एककों की संख्या क्या है जिनकी स्थिति कुप्रबन्ध के कारण बद से बदतर होती जा रही है; और

(ख) इन मामलों की संख्या क्या है जिनमें उन प्रबन्ध प्राधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए गये हैं जो इसके लिये प्रथमत: जिम्मेदार हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 7 राष्ट्रीयकृत औद्योगिक एककों तथा 13 औद्योगिक एककों में जिनका प्रबन्ध इन वर्षों के दौरान सरकारी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उद्योग के उपबन्धों विकास तथा विनियमन अधिनियम 1951 के अन्तर्गत किया जा रहा है, तीन वर्षों से प्रगामीरूप से हानि हो रही है, हानियां विभिन्न कारणों से हुई हैं जिनमें पुरानी तथा गत प्रयोग मशीनें, कामगरों की अधिक संख्या, निवेशी की कमी, औद्योगिक संबंध बाजार की परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं। पुनरूज्जीवित या पुनर्वास करने हेतु के दृष्टिकोण से प्रत्येक एकक की उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जांच की गई या की जा रही है।

असम में हथियारों तथा साहित्य का पकड़ा जाना

2945. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा असम में अगस्त-सितम्बर, 1981 में मारे गये छापों के दौरान पकड़े गये हथियार तथा साहित्य किस किस्म के हैं;

(ख) क्या इसमें कुछ धर्म-प्रचारक संस्थाओं के माध्यम से किसी बाहरी देश का हाथ है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) असम सरकार के अनुसार, इस अवधि के दौरान राज्य पुलिस द्वारा मारे गए छापों में निम्नलिखित प्रकार के हथियार और गोलाबारूद पकड़े गये थे :

"एक पिस्तोल, बम, हथगोले, जिलेहिन, छड़िया, डिटोनेटर्स जैसे विस्फोटक पदार्थ आदि की बड़ी मात्रा।"

इसी अवधि के दौरान मारे गये छापों में असम में तेल उत्पादन संस्थानों और रेलने लाइनों का एक कच्चा नक्शा भी पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त बंगकोक पोस्ट के तारीख 4 जनवरी, 1981 के संस्करण में छपे "असम-जहां पर दक्षिण पूर्वी ऐशिया समाप्त होता है" नामक शीर्ष लेख की एक साईक्लोस्टाईल्ड प्रतिलिपि भी पकड़ी गई है।

(ख) और (ग) हालांकि असम की घटनाओं में कुछ विदेशी तत्वों द्वारा अनुचित रुचि लेने के संकेत हैं लेकिन इस संबंध में कोई पक्के सबूत नहीं हैं। सरकार स्थिति से पूर्णत: अवगत है और उसने आवश्यक एहतियाती उपाय किए हैं।

विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाएं (विदेशी मशीनरी)

2946. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में, कार्यरत विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं की संख्या क्या है, ये संस्थाएं कहां-कहां स्थिति हैं और उनकी गतिवधियां विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र, पंजाब तथा महाराष्ट्र में क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

भारत में 31.12.1980 तक 2540 विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं को पंजीकृत किया गया था । इसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों और महाराष्ट्र के दो शहरों नागपुर और पूना के आंकड़े शामिल नहीं हैं । पूर्वी क्षेत्र, पंजाब और महाराष्ट्र में इन धर्म प्रचारक संस्थाओं के ब्योरे इस प्रकार हैं:—

क्रम सं०	राज्य	विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं की संख्या
1.	असम	17
2.	मेघालय	91
3.	मिजोरम	शून्य
4.	नागालैंड	1
5.	मणिपुर	शून्य
6.	त्रिपुरा	शून्य
7.	अरुणालच प्रदेश	शून्य
8.	पश्चिम बंगाल	284
9.	उड़ीसा	56
10.	पंजाब	14
11.	महाराष्ट्र (पूना और नागपुर शहरों के अतिरिक्त)	305

ये धर्म प्रचारक अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, प्रशासकों, डाक्टरों, नर्सों, पुरोहितों आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं (ईसाई मिशनरियों) की गतिविधियां

2947. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में उन कतिपय ईसाई धर्म-प्रचारक संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में जानकारी है जो विभिन्न समुदाओं के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है और इस प्रकार देश की एकता के लिए खतरा पैदा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश की अखण्डता के प्रतिकूल ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं की कोई विशिष्ट गतिविधियां सरकार के ध्यान में नहीं हैं। फिर भी ऐसे व्यक्तियों और दलों, जिनके प्रतिकूल गतिविधियों में ग्रस्त होने की संभावना है, पर निगरानी रखी जाती है।

इस्पात की चमकीली छड़ें (ब्राइट स्टील बार्स) बनाने वाले एककों का बन्द होना

2948. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि समग्र देश में इस्पात की चमकीली छड़ें बनाने वाले अनेक एकक आधारीक कच्चे माल की कमी के कारण बन्द हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप-पत्र

2949. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र "सन्डे" के 27 जुलाई, 1981 के अंक में "अन्तुले सिंह" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह के विरुद्ध विपक्षी नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने एक आरोप पत्र पेश किया बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आरोप पत्र में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) 27 सितम्बर, 1981 की साप्ताहिक पत्रिका "संडे" में "मिस्टर अन्तुले सिंह" शीर्षक से प्रकाशित लेख सरकार की जानकारी में आया है।

(ख) श्री सुन्दरलाल पटवा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में दिए गए आरोपों को निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, टिप्पणियों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजा गया था, जो कुछ दिनों पहले प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

"समुद्रतटीय गार्ड" संगठन का बनाया जाना

2950. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब से कुछ वर्ष पूर्व संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत "समुद्रतटीय गार्ड" संगठन बनाया गया था;

(ख) क्या उसके लिए स्वीकृत अधिकारियों के पदों सहित विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं और भर्ती कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इनकी भर्ती कब तक हो जाने की आशा है तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत के उन अन्य संगठनों की संख्या क्या है जहां नियमित पदाधिकार नियुक्त नहीं किए गए हैं और सेवानिवृत्त अधिकारी पदों पर बने हुए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तट रक्षक अधिनियम (1978 की संख्या 30) के अधीन गठित तटरक्षक संगठन की औपचारिक स्थापना 19 अगस्त, 1978 को की गई थी।

(ख) और (ग) तट रक्षक संगठनों में कुछ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती नियम पहले ही लागू कर दिए गए हैं जबकि शेष श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर भारत सरकार अनेक मंत्रालयों और विभागों से परामर्श करके उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। तट रक्षक संगठन के लिए स्वीकृत विभिन्न पदों पर काम करने वाले वर्तमान कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार के उपयुक्त संवर्गों/रक्षा सेवाओं से लिया गया है और जब कभी इन भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो ये नियम इन सभी श्रेणियों पर लागू हो जाएंगे। रक्षा संगठन के अधीन उन संगठनों का पता लगाया जा रहा है जिनमें सेवानिवृत्त अफसरों को फिर से रोजगार पर लगाया गया है और यह सूचना बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में अवधि से अधिक रुके पाकिस्तानियों को स्वदेश भेजना

2951. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि उन पाकिस्तानियों की संख्या लगभग पचास हजार है जो गत तीन वर्षों के दौरान भारत आए लेकिन वापस नहीं गए; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह के पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पाकिस्तान स्थित हमारे दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि वर्ष 1979-80 के दौरान और जून, 1981 तक लगभग 45,000 पाकिस्तानी भारत में आकर वापस नहीं गए। तथापि ये सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से देश में नहीं रह रहे थे। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है और उनमें से अधिकांश राष्ट्रिक 3 महीने का प्रारंभिक वीसा प्राप्त करते हैं जिसे सहानुभूति और अन्य अप्रतिरोध्य आधारों पर बढ़ाया जाता है। अवैध रूप से देश में रहते हुए पाये जाने वाले पात्र राष्ट्रिकों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है जिनमें जहां आवश्यक हो अभियोजन और निष्कासन भी सम्मिलित है।

कश्मीर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

2952. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों के दौरान पाकिस्तानियों ने भारी संख्या में जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया है;

(ख) क्या हमने पाकिस्तान से उसके अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए सम्पर्क किया है;

(ग) घुसपैठियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संम्बन्ध में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अवैध आप्रवासजन को रोका जाना

2954. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर तैनात उत्प्रवासी अधिकारियों को, इन हवाई अड्डों पर समुचित जांच करने और अवैध रूप से देश में बाहर से आने की गतिविधि को रोकने के लिये आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान इन हवाई अड्डों पर की गई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप अवैध रूप से देश में बाहर से आए कितने लोगों को विमान से उतारा गया; और

(ग) वे लोग किन-किन देशों संबंधित थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वैध यात्रा कागजातों के बिना भारत के बाहर से किसी भी स्थान से आने वाले व्यक्तियों को इन हवाई अड्डो पर उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है, यदि उन्हें पारपत्र (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के अधीन छूट नहीं दी गई हो । आप्रवासन अधिकारियों द्वारा इन उपबन्धों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) विभिन्न हवाई अड्डों पर होने वाले आकस्मिक प्रकृति के व्यक्तिगत मामलों के विषय में, जिनमें भारत में उतरने देने की अनुमति अस्वीकृत की गई हो, सूचना संकलित नहीं की जाती है । तथापि अक्तूबर-नवम्बर 1981 के दौरान अनियमित कागजातों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले लगभग 80 अफगान राष्ट्रिकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

2955. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो 1980 से अब तक इस तरह के कितने संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां, इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में, महिलाओं के लिए तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान—नई दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में एक-एक स्थापित किए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष (1982-83) से शुरू होने वाले दूसरे चरण में अन्य स्थानों पर कुछ और संस्थान स्थापित करने की योजना है।

पालम हवाई अड्डे पर रोके गए अफगान नागरिकों की संख्या

2956. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उन अफगान नागरिकों को, जिनके पास वैध वीसा और अन्य यात्रा प्रमाण पत्र थे, स्वीकार करने से मना कर देने से पालम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात भारतीय आप्रवासी अधिकारियों के लिये एक समस्या पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो पालम हवाई अड्डे पर रोके गए इस तरह के अफगान नागरिकों की संख्या कितनी है और सरकार का विचार इस समस्या को किस तरह हल करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पांच अफगान राष्ट्रिक, जो नवम्बर, 1981 के पहले सप्ताह में अपने अफगान पारपत्रों पर पृष्ठांकित पाकिस्तानी वीसा लेकर दिल्ली से पाकिस्तान गये थे, लाहौर हवाई अड्डे में प्रवेश करने से रोक दिये गये थे और उन्हें एयर लाइन्स द्वारा भारत वापस लाना पड़ा। बाद में उन्हें पुन: भारत में प्रवेश करने दिया गया, किन्तु अनुदेश दिये गये कि वे यथासंभव शीघ्र भारत छोड़ने का प्रबंध करें। इस समय किसी अफगान राष्ट्रिक को दिल्ली हवाई अड्डे पर नहीं रोका हुआ है।

उत्पादन के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत में परिवर्तन

2957. **श्री वी० बी० देसाई :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार उत्पादन के संबंध में विदेशी सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रमुख रूप से निर्यातोन्मुख औद्योगिक एककों को आसानी से विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए परिवर्तन को आवश्यक समझा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह अनुभव करती है कि नवीनतम तकनीकी जानकारी को लागू करना निर्यात एककों के लिए आवश्यक है जिससे उनके द्वारा निर्मित उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बन सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किन परिवर्तनों पर विचार किए जाने की संभावना है और ये परिवर्तन कब तक लागू किए जाएंगे ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सरकार की नीति जटिल प्रकार के और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापन उत्पादनों के लिए अथवा उपभोक्ताओं की बदलती हुई अधिमानताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारत में वर्तमान प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हेतु देशी उद्योग को इसके समर्थ बनाने के लिए तथा/अथवा निर्यात बाजार में स्पर्धा करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति देने की रही है। जून-जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में यह माना गया है कि जहां वृहत्तर उत्पादन आधार द्वारा भारतीय उद्योगों को विदेशों में प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ेगी वहां सरकार भी उन्नत प्रौद्योगिकी के चुनने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वर्तमान नीति में कोई भी परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

प्रति-व्यक्ति आय

2958. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्ष 1980-81 के लिए देश में प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1979-80 की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कितनी थी; और

(ग) उस अवधि के दौरान जीवन-यापन खर्च में हुई वृद्धि को अलग करने के बाद वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

2960. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देते समय केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के बारे में ब्योरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के बारे में ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना (1980-85) के लिए राज्यों को आवंटित 15,350 करोड़ रु० की कुल केन्द्रीय सहायता में से 3,245 करोड़ रु० विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालेंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों तथा उत्तर-पूर्वी परिषद की योजनाओं के लिए 1355 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1450 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। शेष 9,300 करोड़ रु० की राशि में से 7,700 करोड़ रु० की राशि आशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार शेष राज्यों को निम्नलिखित रूप में आवंटित की गई है :

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत।

(2) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 20 प्रतिशत—केवल उन राज्यों के लिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

(3) कर प्रयत्न के आधार पर 10 प्रतिशत।

(4) राज्यों की विशेष समस्याओं के आधार पर 10 प्रतिशत।

विशेष श्रेणी से इतर राज्यों को आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर 1600 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1980-81 में 5.5 करोड़ रु० की अतिरिक्त योजना सहायता के लिए अनुरोध किया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय से भी वर्ष 1979-80 में 72.14 करोड़ रु० और 1980-81 में 56.68 करोड़ रु० की सूखा राहत सहायता के लिए अनुरोध किया था।

श्रमिक कानूनों में संशोधन

2961. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री मूलचन्द डागा :

श्री चित्त बसु :

श्री एच० एन० नंजे गौडा :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ठेका श्रमिक, बंधक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानूनों में संशोधन करने के लिए एक सैल बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने बीड़ी सिगार श्रमिक संबंधी कानूनों का मूल्यांकन करने के लिए एकत्रिपक्षीय स्थायी समिति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त समिति अपना कार्य कब तक पूरा करेगी ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) श्रम मंत्रालय ने श्रम कल्याण महानिदेशक की अध्यक्षताधीन एक कार्यकारी दल गठित किया है जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र सरकारों के सचिव और मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) शामिल है। यह ठेका श्रमिक तथा अन्तरराज्यिक उत्प्रवासी श्रमिक अधिनियमों में संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच करेगा। कार्यकारी दल ने दो बैठकें की हैं और इसकी अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होनी हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे समिति के विचारार्थ बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए विभिन्न प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां भेजें।

विवरण

1. बीड़ी और सिगार श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए नियुक्त समिति का गठन।

अध्यक्ष

अपर सचिव, श्रम मंत्रालय।

सदस्य

1. महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम मंत्रालय।

2. श्रम सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।

3. श्रम सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।

4. श्रम सचिव, बिहार सरकार, पटना।

5. श्री मधुसूदन बी० कुशा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग फेडरेशन, 12, के० दुभाष मार्ग (रामपार्ट रो०) फोर्ट, बम्बई-400023।

6. श्री बी० एस० सेठी, सेक्रेटरी, अखिल भारतीय नियोजक संगठन, फेडरेशन हाऊस, नई दिल्ली-110001।

7. श्री डी० बी० सारदा, भारतीय नियोजन महासंघ, आर्मी और नेवी बिल्डिंग 148, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-400023।

8. श्री अजीज सेट, विधायक, संख्या-7, कार्लेस्टन रोड, कुके टाऊन, बंगलौर-56000।

9. श्री एन० बी० कुमभोर, अध्यक्ष, नागपुर बीड़ी मजदूर संघ, मार्फत श्री एस० एम० रामटेका, जय भारत बीड़ी सोसाइटी, पन्चापोली, नागपुर-4 ।

10. श्री एन० सी० दत्ता, मंत्री, एटक, 24 कैनिंग लेन्स, नई दिल्ली-110001 ।

11. श्री एन० एम० अदयन्यया, इन्टक, के० एस० आर० एम० ट्रस्ट्र बिल्डिंग, लाईट हाऊस, हिल रोड, बंगलौर ।

12. श्री रामप्रसाद पारीख, महामंत्री, अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर महासंघ, वरीराबाद, नाडेड (महाराष्ट्र) ।

13. श्री जी० कान्नान, उपाध्यक्ष, सीटू, ट्रेड यूनियन हाऊस, कन्नोनोर (केरल) ।

2. समिति बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 की पुनरीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो, अधिनियम में संशोधन के लिए सुझाव देगी ।

3. कल्याण आयुक्त (मुख्यालय), श्रम मंत्रालय समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

भिलाई में स्लैग-सीमेंट संयंत्र की स्थापना

2962. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भिलाई में एक स्लैग-सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) क्या भिलाई में उपलब्ध कच्चा माल, श्रमिक और आधारभूत ढांचा स्लैग-सीमेंट संयंत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) इस बारे में राज्य सरकार से कोई आवेदन/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

2963. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करते समय राज्यों के पिछड़ेपन पर विचार करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता के साथ-साथ अपनाए गए मानदण्ड का ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों की छठी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन में पिछड़ेपन को निम्नलिखित रूप में अधिमान्यता दी गई है :

1. आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत विशेष श्रेणी के आठ राज्यों, अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, नागालेंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3245 करोड़ रु० निर्धारित कर दिए गए हैं।

2. आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के विभाज्य समुच्चय (7700 करोड़ रु०) के 10 प्रतिशत भाग की बजाए 20 प्रतिशत भाग उन छः पिछड़े राज्यों को आवंटित किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

3. 1600 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता राज्यों को आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर आवंटित की गई है जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में होती है।

4. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की विकास योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है; इन क्षेत्रों में से अधिकांश पिछड़े राज्यों में हैं।

कर्नाटक राज्य को 1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजनाओं के लिए क्रमशः 103.54 करोड़ रु० और 108.92 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

गुजरात राज्य की सीमेंट की आवश्यकता और आवंटन

2964. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-सितम्बर, 1981 से शुरू होने वाले दो तिमाही के दौरान गुजरात राज्य को कितना सीमेंट आवंटित किया गया तथा उसने कितने सीमेंट की मांग की थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सीमेंट कारखानों द्वारा उसे वस्तुतः कितनी मात्रा में सीमेंट भेजा गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की रनबाव सीमेंट फैक्ट्री में वैगनों की कमी के कारण सीमेंट का भंडार इकट्ठा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो आवंटन की समाप्ति से बचने के लिए सीमेंट कारखानों से अधिकृत व्यापारियों को तेजी से सीमेंट भेजे जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सीमेंट का अधिकतम उत्पादन कब तक होने की सम्भावना है और देश इसमें कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र अपनी सीमेंट की मांग नियमित रूप से भेजते हैं। गुजरात की राज्य सरकार ने हाल ही में बताया है कि उसकी सीमेंट की प्रति तिमाही आवश्यकता 7,00,000 मी० टन

होगी। 1981 की दो तिमाहियों में गुजरात राज्य के लिए किया गया सीमेंट आवंटन और प्रेषण निम्नलिखित है।

तिमाही	आवंटन	प्रेषण
अप्रैल-जून, 1981	3,51,500	3,82,500
जुलाई-सितम्बर, 1981	3,81,500	3,79,100

(ग) अप्रैल से सितम्बर, 1981 की अवधि में कारखानों द्वारा 8076 माल-डिब्बों की मांग की गई थी, 5908 माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये थे और कारखानों द्वारा 5840 माल डिब्बे लादे गये थे। मई और जून में श्रमिक संकट तथा भंडार कम होने के कारण जुलाई और अगस्त के दौरान बाढ़ एवं रास्तों में टूट-फूट होने के कारण पूर्ति कम होने के फलस्वरूप माल डिब्बों की मांग काफी कम हो गई थी।

(घ) रेलवे अधिक से अधिक मांग पूरी कर रही है और अक्टूबर, 1981 में 99 प्रतिशत कोटा लाया ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त सीमेंट प्रेषण को तीव्र करने के लिए सड़क द्वारा सीमेंट लाने ले जाने सम्बन्धी भाड़ा प्रतिपूर्ति के विद्यमान नियमों को उदार बना दिया गया है।

(ङ) कार्यरत एकको की क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमताएं आदि मन्जूर करके सरकार सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसी आशा है कि नई क्षमताओं के कार्यान्वित हो जाने और विद्यमान क्षमताओं के बेहतर उपयोग से सीमेंट की उपलब्धता स्थिति छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अच्छी हो जायेगी।

सीमेंट के निर्माण में धान की भूसी का उपयोग

2965. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का उत्पादन करने के लिए धान की भूसी का उपयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने पता किया है कि विभिन्न राज्यों में, राज्यवार धान की कितनी भूसी उपलब्ध होती है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध धान की भूसी में से कितनी भूसी का सीमेंट निर्माण के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) क्या धान की शेष भूसी इस तरह के और अधिक कारखाने स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जहां तक विभिन्न राज्यों में धान भूसी के उत्पादन और आन्ध्र प्रदेश में धान भूसी से सीमेंट उत्पादन का सम्बन्ध है कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चावल भूसी विनाई

राख एककों वाले सक्षम जिलों का राज्यवार उल्लेख विवरण के रूप में संलग्न है। 4 मी०टन प्रतिदिन चावल भूसी चिनाई राख एकक की क्षमता वाला एक एकक आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर में मैसर्स श्री सत्य साई इण्डस्ट्रीज द्वारा स्थापित किया गया है। धान भूसी की उपलब्धता होने पर अनेक और चावल भूसी चिनाई राख सीमेंट स्थापित किए जा सकते हैं।

विवरण

सक्षम जिले

1. आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर
	अरावली
2. आसाम	शिवसागर
	कामरूप
3. बिहार	गया
	पुरनिया
	रांची
4. हरियाणा	अम्बाला
	कुरुक्षेत्र
	करनाल
5. जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग
	बारमूला
6. कर्नाटक	सिमोगा
	मैसूर
	उत्तर खण्ड
	दक्षिण खण्ड
7. केरल	इरनाकलम
	कोटीयाम
8. मध्य प्रदेश	सतना
	शाहादिल
	बिलासपुर
	दुर्ग
	रानीपुर
9. उड़ीसा	राउरकेला
	सम्मलपुर

10. तमिलनाडु	विलयूपूरम
	वरद्धाचालम
	मायाराम
	त्रिमूर
	त्रिचुलापल्ली
	मदुरई
	मानामादुरइ
11. उत्तर प्रदेश	देहरादून
	सहारनपुर
	आजमगढ़
12. वैस्ट बंगाल	पुरलिया

लघु उद्योगों के लिए सीमेंट के कोटा का आरक्षण

2966. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1981 के बाद लघु उद्योगों को सीमेंट का दस प्रतिशत कोटा *आवंटित* किए जाने के बारे में सीमेंट के आरक्षण से सम्बन्धित केन्द्र के निर्देशों का किन-किन राज्यों ने कार्यान्वयन नहीं किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अलावा, राज्यों ने सीमेंट के कोटा आरक्षण के बारे में कोई अन्य निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सीमेंट के समुचित वितरण के लिए कोई नया मानदंड निर्धारित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उड़ीसा, तमिलनाडु राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी ने इस आधार पर निदेशों को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है कि इन क्षेत्रों में लघु औद्योगिक क्षेत्र की सीमेंट की मांग में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) सीमेंट की वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी पिछली खपत और सीमेंट की समग्र उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक तिमाही में इकट्ठा आवंटन किया जाता है। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं एवं लघु एककों की प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद राज्य सरकार अपनी इच्छा से अन्य उपभोक्ताओं का सीमेंट का उप-आवंटन करने के लिए स्वतन्त्र होती है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने जनसंख्या, क्षेत्र, योजना परिव्यय आदि के आधार पर सीमेंट का आवंटन करने का सुझाव दिया है। राज्यों को सीमेंट का आवंटन उनकी पिछली खपत के आधार पर तथा सीमेंट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। किन्तु संसद और संसद के बाहर व्यक्त की गई राय को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने अब सीमेंट के आवंटन के लिए जनसख्या और न्यूनतम आवश्यकताओं वाले कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं गन्दी बस्तियों में रहने वालों की आवास योजनाओं तथा हरिजनों, आदि-

वासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं से सम्बन्धित योजनाओं पर अधिक महत्व देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार 1 अक्तूबर, 1981 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए विभिन्न राज्यों को मूल आवंटनों से अधिक तदर्थ आवंटन किए गए हैं।

"प्लान टू एलीमिनेट सीमेंट सार्टेज" शीर्षक के समाचार

2967. **श्री भीखूराम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री 11 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्लान टू एलीमिनेट सीमेंट सार्टेज (सीमेंट की कमी को दूर करने की योजना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार, उन स्थानों पर जहां सीमेंट की कमी है, वहां भारी मात्रा में सीमेंट उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां तो इस तरह की योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह योजना दिल्ली के लिए कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार वास्तविक उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा प्रदान करने पर राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सीमेंट आयात करने के लिए अनुमति देने और प्रतिपूर्ति लाइसेंस देने तथा आयातित मूल्यों पर सीमेंट उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कारपोरेटिंग आफिस को स्थापित किया जाना

2968. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कारपोरेटिंग आफिस को हैदराबाद में स्थापित किये जाने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"एम० पी० एम० न्यूजप्रिंट अहेड आफ नेपा" शीर्षक समाचार

2969. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में "एम० पी० एम० न्यूजप्रिंट अहेड आफ नेपा" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मैसूर पेपर मिल्स संयंत्र के पास नवीनतम टेकनालाजी है और वह बांस, यूक्लिपट्स तथा कर्नाटक में उपलब्ध अन्य सख्त लकड़ी के उपयोग के किये जाने पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी होगी तथा यह नेपा मिलों में निर्मित कागज की गुणवता की तुलना किस प्रकार करेगा; और

(घ) इन मिलों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनकी गुणवर्ता के सुधार करने के लिए नेपा मिलों के कार्यकरण में सुधार करने और उन्हें आधुनिकतम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मैसूर पेपर मिल्स की अखबारी कागज प्रायोजना की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 75,000 मी० टन है। वर्तमान में उत्पादन आयातित लुगदी पर आधारित है क्योंकि अभी कागज मशीन ही चालू हुई हैं। जब देशी वनों के साधन स्रोतों के आधार लुगदी बनाने का काम वाणिज्यिक आधार पर शुरू हो जाता है तब ही नेपा के अखबारी कागज के गुण प्रकार से तुलना करना उचित होगा।

(घ) नेपा मिल के उत्पादन के क्षमता उपयोग और क्वालिटी में सुधार करने के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसमें कैप्टिव पावर जनित्रण, सुधार और लुगदी प्रणाली के संशोधन करने तथा कागज मशीन के पुनर्नवीकरण की व्यवस्था होगी।

यांत्रिक घड़ियों के उत्पादन को बन्द करना

2970. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यांत्रिक घड़ियों की उत्पादन क्षमता बन्द करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) विभिन्न विकासपरक पहलुओं की जिसमें घड़ी उद्योग के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है तो वर्तमान में समीक्षा की जा रही है।

"सीमेन्ट प्रायोरिटी कमेटी" का गठन

2971. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीमेंट की सप्लाई के सुनिश्चित करने के लिए "सीमेंट प्रायोरिटी कमेटी" नाम से एक समिति का गठन किया है जो विभिन्न प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए सीमेंट का आवंटन करने के लिए शीर्ष संस्था होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खनन उपकरणों के निर्माण में तकनीकी सहयोग

2972. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन उपकरणों के निर्माण के लिए अनेक तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में जिन देशों के साथ समझौता हुआ है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) इन विदेशी सहयोगों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्मित की जाने वाली वस्तु	सहयोग का स्वरूप	सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तें		
					रायल्टी	एकमुश्त	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मे० जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	मे० गुल्लिक डोबसन लिमिटेड, यू० के०	सेल्फ एडवांसिग पावर्ड एवं सपोर्ट	तकनीकी	4%	25,000 पौंड	5 वर्ष
2.	मे० माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर	1. मे० डावरी माइनिंग इक्विप प० लि० यू० के०	वही	वही	4%	25,000 पौंड	5 वर्ष
		2. मे० एण्डरसन स्ट्राथक्लेडी लि०, यू० के०	ड्रम शियरर	वही	4%	40,000 पौंड	5 वर्ष
		3. मे० पी० एच० बी०, एफ० आर० जी०	वर्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम	वही	4%	प्रत्येक मामले के आधार पर निश्चित किया जायेगा	5 वर्ष
		4. मे० डोस्की, यू० के०	रोड हेडर (ट्यूनलिंग मशीनें)	वही	4%	39,500 पौंड	5 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मे० हैवी इंजी० कारपोरेशन, रांची	1. मे० जी० एच० एच० स्टेकंरेड, एफ० आर० जी०	वर्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम	वही	5%	2,50,000 डी० एम०	5 वर्ष
		2. मे० सीमांग ट्रांसप्लान, जी० एम० बी० एच०: एफ० आर० जी०	वर्टिकल ट्रांसपोट सिस्टम आदि,	वही	4%	कुछ नहीं	5 वर्ष
		3. मे० रेनसप्स एण्ड रेपियर, यू० के०	वार्किंग ड्रैगलाइन्स	वही	4%	4,10,000 पौंड	7 वर्ष
		4-मेसर्स वी०/ओ० प्रोमास एक्सपोर्ट, रूस	4-6/5 एम० 3 एक्सकवेटर्स	वही	एच० ई० सी० और वी०/ओ० प्रोमास एक्सपोर्ट, रूस के बीच प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप वी०/ओ० प्रत्येक मामले के आधार पर तत्काल भुगतान पर डिजाइनों और ड्राइंगों की सप्लाई करेगा। कोई रायल्टी शामिल नहीं है।		
		5. वही	2.0 मिमी ओवर बर्डन ड्रिलें	वही			
4.	मे० भारत वेस्टफालिया (प्रा०) लि०, रांची	मे० गेवरकशाफ्ट आइजनहट, वेस्टफालिया, प० जर्मनी	आर्मर्ड, चेन कन्वेयर	तकनीकी और वित्तीय	4%	3,00,000 डी० एम० सहयागीद द्वारा निवेश 17.5 लाख रु०	5 वर्ष
5.	मे० जारडाइन हैन्डरसन लि०, कलकत्ता	मे० काबमिन लि० यू० के०	कोयला काटने की मशीनें	तकनीकी	2%	कुछ नहीं	5 वर्ष
6.	श्री भक्ति भूषण श्रीवास्तव, कलकत्ता	मे० मशीनन फैब्रिक गेहार्फ, जी० एम० बी० एच०	मोनो रेल ट्रांसपोर्ट कार और चेयरलिफ्ट सिस्टम		4%	80,000 डी० एम०	5 वर्ष

एच० एम० टी० द्वारा घड़ियों का उत्पादन

2973. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने कुल कितनी घड़ियों का उत्पादन किया;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में घड़ियों की वास्तविक मांग कितनी थी; और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स घड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1980-81 में 35.13 लाख एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन हुआ था ।

(ख) मंत्रालय द्वारा 1977 में गठित किए गए घड़ी उद्योग संबंधी कृतिक बल ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि 1981-82 तक 8 से 8.5 मिलियन कलाई घड़ियों की मांग होगी । एच० एम० टी० लिमिटेड के अलावा, संगठित और लघु क्षेत्र में कई अन्य एकक हैं जो देश में कलाई घड़ियों का निर्माण कर रहे हैं । सरकार ने 17.65 मिलियन यांत्रिक कलाई घड़ियों की कुल क्षमता के लिए संगठित तथा लघु दोनों ही क्षेत्रों में कलाई घड़ियों के निर्माण के लिए कई योजनाओं को पहले ही स्वीकृत किया है । इसके अलावा, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक घड़ियों के निर्माण हेतु 3.2 मिलियन नग की क्षमता को भी हाल ही में स्वीकृत किया गया है ।

(ग) एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन 1975-76 में 6.28 लाख से तेजी से बढ़कर 1980-81 में 35.13 लाख तक पहुंच गया है ।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को एक फैक्ट्री की स्थापना हेतु स्थान देने का प्रस्ताव

2974. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड की उन्नत वायुवेधन प्रणाली उपकरणों (एडवान्सड एयरबोर्न मिसाइल्स इक्विपमैंट) का निर्माण करने के लिए एक फैक्ट्री लगाने की योजना है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना के लिए तीन स्थानों का प्रस्ताव किया है; और

(ग) स्थान निश्चित करने के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लेते समय कुछ अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ-साथ उनके अनुरोध पर भी विचार किया जायेगा ।

इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग फैक्ट्रियों की स्थापना

2975. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग फैक्ट्रियां लगाने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी फैक्ट्रियां लगायी जायेंगी; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सरकार से उपर्युक्त फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री आन्ध्र प्रदेश में लगाने के बारे में अनुरोध किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। सरकार ने इलेक्ट्रोनिक स्विचन प्रणालियों के विनिर्माण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में दो संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इनमें से एक स्थानीय एक्सचेंज के लिए और दूसरा ट्रंक एक्सचेंज के लिए होगा। एक और इलेक्ट्रोनिक स्विचन प्रणाली संयंत्र के लिए पेश्तर कार्यवाही करने का भी विचार है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक निजी शाखा एक्सचेंजों (ई० पी० ए० बी० एक्स०) के विनिर्माण के लिए तीन राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) जी हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र-प्रदेश के मेढ़क जिले में पाटनचेरू-संगारेड्डी क्षेत्र में प्रथम इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली (ई० एस० एस०) कारखाना स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

कृत कार्यवाही विषयक नोट वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल करना

2976. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों में साल भर में होने वाली मुख्य-मुख्य बातें शामिल होती हैं और उनसे बाहर कुछ नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो आने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों में कुल कार्यवाही क्यों नहीं दर्शाई जाती;

(ग) क्या वर्ष 1982 के शुरू में पेश किये जाने वाले 1981 के वार्षिक प्रतिवेदन में 1980 के वार्षिक प्रतिवेदन में कृत कार्यवाही को जोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) मंत्रालयों साथ ही उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ उनके वर्तमान और भावी मुख्य-मुख्य क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला जाता है तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि

सम्बन्धित मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में वर्ष के दौरान हुए सभी मुख्य कार्यों को शामिल किया जाए।

वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की जाने वाली सूचना की प्रकृति मंत्रालयों में संसदीय कार्य करने की नियमपुस्तिका के अनुबन्ध 2 में दी गई है और इस अनुबन्ध की एक प्रति विवरण रूप में संलग्न है। वार्षिक रिपोर्टों की विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सबसे बाद के अनुदेश 25 नवम्बर, 1981 को जारी किए गए थे।

केन्द्रीय सरकार के लोक उद्यमों के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में "लोक उद्यम सर्वेक्षण" नामक एक समेकित रिपोर्ट प्रत्येक बजट सूत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाती है। संसद में पिछली रिपोर्ट वर्ष 1979-80 की प्रस्तुत की गई थी। लोक उद्यम सर्वेक्षण में लोक उद्यमों के वित्तीय क्रियाकलापों के अलावा क्षमता उपयोग, सामग्री प्रबन्ध, रोजगार और वेतन नीतियों, सहायक उद्योगों के विकास, प्रबन्ध विकास क्रियाकलापों मूल्य निर्धारण नीतियों, नगर-क्षेत्रों के प्रबन्ध जैसे विभिन्न अन्य मामलों पर चर्चा की जाती है।

विवरण

(1) विभाग की संरचना और कार्य	(क) कार्यों का स्थूल परिचय। (यदि अधिक विस्तृत सूची देना आवश्यक समझा जाए, तो यह परिशिष्ट के एक अंग के रूप में दी जा सकती है)
	(ख) सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, यदि कोई हो, जिनके द्वारा विभाग के कार्य सम्पन्न होते हैं : (1) विभाग (2) सम्बद्ध कार्यालय (3) अधीनस्थ कार्यालय, जो सीधे ही विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं, का कार्य में पारस्परिक योगदान।
	(ग) संगठन और कर्मचारियों की संख्या :

	(1) विभाग में (2) इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में।	
(2) कार्य निष्पादन	विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के (उपरोक्त (ख) के अनुसार) कार्यकलाप (वर्तमान और प्रायोजित) तथा उपलब्धियां, जिन्हें निम्न प्रकार से विभाजित किए जाए :	
	(क) पिछले वर्ष से चालू कार्यक्रम : (ख) नए कार्यक्रम	प्रत्येक के समक्ष कुल मिलाकर और सम्बन्धित वर्ष, दोनों के सम्बन्ध में वास्तविक निष्पादन तथा वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति दिखाई जाए और जहां आवश्यक हो, चार्टों और ग्राफों से निरूपण करते हुए उनको अधिक बोधगम्य बनाया जाय।
(3) विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	प्रत्येक के कार्यकलाप का मूल्यांकन जिसमें इसके लाभप्रद होने अथवा न होने और विस्तार, विशाखन, दुर्घटनाएं, हड़तालें और तालाबन्दी तथा इसी प्रकार की अन्य मुख्य घटनाएं शामिल हैं।	
(4) स्वायत्तशासी निकाय और संस्थान	प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय/संस्थान के लक्ष्य के संदर्भ में प्रत्येक के कार्यकलाओं का मूल्यांकन।	
(5) महत्वपूर्ण समितियां और आयोग	(क) चली आ रही समितियां/आयोग—वर्ष के दौरान उनका कार्य और वर्तमान स्थिति।	

	(ख) नई समितियां/आयोग उनका संघटन, विचारार्थ विषय, की गई प्रगति इत्यादि; (ग) जिन नई समितियों/आयोगों की स्थापना का विचार है, उनके प्रयोजनों, सदस्यता आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त ब्योरा ।	
(6) सम्मेलन	(क) भारत में आयोजित; (ख) अन्तर्राष्ट्रीय ।	भाग लेने वालों का स्तर, चर्चित विषय, कार्यान्वयन, की गई कार्रवाई आदि । विदेशों में आयोजित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सम्बन्ध में उनमें भाग लेने की लागत में विदेशी मुद्रा का उल्लेख किया जाए ।
(7) अन्य देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ करार	उनका स्वरूप और प्राप्त होने वाली/दी जाने वाली वित्तीय और तकनीकी, दोनों प्रकार की सहायता की मात्रा, यदि कोई हो तो ।	
(8) निकाले गए प्रकाशनों की सूची	जहां आवश्यक हो, प्रत्येक का संक्षिप्त उद्देश्य ।	(मंत्रालय के समस्त प्रकाशन जो कि नियत-कालिक आधार पर यथा 3 वर्ष में एक बार, किसी परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए जाने के लिए सामायिक रहें ।)
(9) प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन	(क) प्रशासन में दक्षता और बचत लाने के लिए वर्ष में लागू किए गए उपाय; (ख) कार्य मापन, संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक अध्ययनों के क्षेत्र में आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक के कार्य का मूल्यांकन ।	

(10) राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	इस विषय में जारी किए गए सरकारी आदेशों के सन्दर्भ में की गई प्रगति।

शीर्षक समाचार "स्माल यूनिट्स लोंगवेट फार रजिस्ट्रेशन"

2977. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "स्माल यूनिट्स लोंग वेट फार रजिस्ट्रेशन" (पंजीकरण के लिए लघु इकाइयों की लम्बी प्रतीक्षा) शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है और कितने आवेदन पत्र, कब से निर्णय के लिए लम्बित हैं और उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नमूने के कुछ मामलों का अध्ययन करने के बाद दिया गया समाचार कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद दिए गए या दिए जाने वाले आवेदनों की तिथि के दो माह के अन्दर आमतौर पर स्थायी पंजीयन प्रदान किया जाता है, में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आरम्भ में आमतौर पर आवेदन देने के 7 दिन के अन्दर अनन्तिम पंजीयन जारी किया जाता है इससे आवेदक को अन्य औपचारिकताएं पूरी करने और स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन करने का समय मिल जाता है। अनन्तिम पंजीयन को अवधि में एकक सामान्य तौर पर काम कर सकता है और अनन्तिम पंजीयन की सामान्य तौर पर करीब एक वर्ष में स्थायी पंजीयन में बदल दिया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों के रुग्ण उद्योगों की संख्या

2978. **श्री आस्कर फर्नाडीस :**

श्री मूलचन्द डागा :

श्री ई० बालानन्दन :

क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में रुग्ण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) 1 जनवरी, 1980 से ऐसे कितने उद्योगों को चालू किया गया है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 24,656 रुग्ण एककों का पता लगाया गया था। 1 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक ऋण की सीमा वाले एककों के बारे में उपलब्ध जानकारी का अलग-अलग उद्योगवार विवरण निम्न प्रकार है :

उद्योग	एककों की संख्या
1. इंजीनियरी और विद्युत	91
2. लोहा और इस्पात	44
3. वस्त्र	94
4. पटसन	36
5. रसायन	25
6. सीमेंट	3
7. रबर	11
8. चीनी	45
9. विविध	62
योग :	409

(ख) बैंक और वित्तीय संस्थान पुनः स्थापना संबंधी कार्यक्रम तैयार करते हैं जो उन रुग्ण एककों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तैयार किया हुआ होता है कार्य करने की दृष्टि से जीव्यक्षम पाये जाते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से पुनः स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम में ब्याज की दरों में छूट ब्याज के लिए धन देना वसूली की पुनः तालिका बनाना, ब्याज पर दंड में छूट देना तथा आवश्यकता पर आधारित और अधिक सहायता की मन्जूरी देने जैसी अनेक रियायतें सम्मिलित हैं।

सरकार रुग्ण उद्योगों को पुनः चलाने की दृष्टि से रुग्ण उद्योगों को एककों के साथ मिलाने पर भी करों में छूट देती है। इस रियायत को शीघ्र लागू करने के लिए वर्ष 1977 में आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 72क जोड़ी गई थी।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी से दिसम्बर, 1980 के दौरान 2,870 एकक जीव्यक्षम हो गये थे और बैंकों द्वारा उनके नाम रुग्ण एककों की सूची से हटा दिये गये थे।

उद्योग निरीक्षणालय की कार्य पद्धति पर पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति

2979. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लघु उद्योगों के एसोसिएशनों के संघ ने सरकार का ध्यान उद्योग

निरीक्षणालय की कार्य पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की मांग की तरफ आकृष्ट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यद्यपि कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है किन्तु भारतीय लघु उद्योग संस्था के महासंघ के वार्षिक सम्मेलन में बहुत से निरीक्षकों द्वारा लघु एकक का दौरा करने के लिए पहुंच जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई थी। उद्योग मन्त्री जिन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित किया था यह स्पष्ट कर दिया था कि यह निरीक्षण विभिन्न प्रकार की कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार किया जाना था। किन्तु यदि इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई समस्या सरकार की जानकारी में लाई जाती है तो उसकी जांच की जायेगी।

इण्डो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दुर्गापुर को कच्चा माल सप्लाई न किया जाना

2980. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री अजित कुमार साहा :

श्री नीरेन घोष :

श्री रेणुपद दास :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि इण्डो-अमेरिमन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दुर्गापुर को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी ला बोर्ड द्वारा मंजूरी न दिये जाने के कारण उचित ढंग से फैक्ट्री चलाने के लिए मुख्य कच्चा माल नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनसे कम्पनी को तुरन्त तांबे का का थोक आवंटन करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कम्पनी को "राहत उपक्रम" घोषित किया था;

(ग) यदि हां, तो कच्चे माल के आवंटन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इण्डो-अमेरिकन लिमिटेड को कच्चे माल की सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उधोग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) मैसर्स इण्डो अमरीकन इलैक्ट्रिकस ने तांबा दिये जाने के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय से आधार पर संपर्क किया था कि प्रबंध में थापर की भागीदारी हो जाने से प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने भी कम्पनी को यह बताते हुए कि चूंकि कम्पनी एक

सहायता प्राप्त उपक्रम घोषित हो चुकी है इसलिए उसे तांबा दिये जाने के लिए कहा था। थापर द्वारा कम्पनी में भागीदारी से तकनीकी विकास महानिदेशालय ने प्रबन्ध के एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यावहार अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने या न होने सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद 29-9-81 को तीन महीने के लिये प्रतिमास 50 मी॰ टन तांबा दिये जाने की सिफारिश की थी।

औधोगिक विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन

2981. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या उधोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े क्षेत्रों द्वारा लेन देन में सामयिक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए औधोगिक विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

उधोग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) यह स्पष्ट नहीं होता है कि "बड़े क्षेत्रों द्वारा लेनदेन में सामयिक भुगतान व साफ व्यवहार" से माननीय सदस्य का क्या आशय है। उधोग (विकास और विनियमन) अधिनियम में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। किन्तु, परिवर्तनों की प्रकृति अथवा विचार के स्तर को बताना समयपूर्व होगा।

समाचार शीर्षक "गवरमेंट मूव टू इनकरेज इरवेस्टमेंट इन पुअर ऐरियाज"

2982. **श्री हरिनाथ मिश्रा :**

श्री जेनुल बशर :

क्या उधोग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "गवरमेंट मूव टू इनकरेज इन इनवेस्टमेंट इन पुअर ऐरियाज" शीर्षक सामाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य बातों के साथ यह कहा था कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाये गये कार्यकारी दल ने 103 पिछड़े जिलों में से 10 जिलों में प्राथमिक मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है और कुछ अन्य क्षेत्रों में कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछड़े जिलों के बारे में निर्णय किये जाने के क्या मानक हैं, 103 पिछड़े जिलों और जिन 10 पिछड़े जिलों में कार्यवाही शुरू हो गई है उनके राज्यवार नाम क्या हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों के इन पिछड़े जिलों में कब तक काम शुरू हो जायेगा और क्या इनमें से प्रत्येक जिले का सामाजिक और औधोगिक आधार ढांचे का सर्वांग्रीण विकास करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र या शहरीकरण किया जायेगा ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) ; (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जुलाई, 1980 के औधोगिक नीति विवरण के अंग के रूप में उद्योग मंत्री ने 15 नवम्बर, 1980 के अपने पत्र में सभी राज्य सरकारी/संघ शासित प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों को कम से कम दो औधोगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों का पता लगाने के लिए लिखा था । 22 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के कहने पर केन्द्रीस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित औधोगिक विकास के लिए अब तक 60 जिलों का पता लगाया गया है । 54 के लिए 24 कृतिक दलों का जिनमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी सम्मलित हैं इन जिलों में गहन औधोगिक विकास के लिए परियोजना संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु गठन किया गया है । 10 जिलों/क्षेत्रों अर्थात पंजाब के अमृतसर में गोईन्दवाल सहित उड़ीसा के पुरी में चांडक, हिमाचल प्रदेश में सीलन सिरमूर और कांगड़ा, आन्ध्र प्रदेश में मेढक महाराष्ट्र में रत्नांगरी और चन्द्रपुर के बारे में अब तक कृतिक बलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उनकी जांच का कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से क्रिया जा रहा है । प्रोयोजना की रूपरेखा और सहायक विमवक्षमता न्यूनतम आवस्थापना आवश्यकताए, जिनमें औधोगिक गृहों की आवश्यकता भी सम्मिलत है, के अलावा जहां कहीं कृतिक दलों ने पता लगाया है ऐसे प्रस्तावों पर कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यवाही की जायेगी ।

बेरोजगारी की समस्या

2983. **श्री हरिनाथ मिश्रा :**

श्री जैनुल बशर :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (1) देश में समाज के विभिन्न वर्गों में बेरोजगारी की समस्या की नवीनतम स्थिति क्या है ।

(1) देश में पूर्ण रूप से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या;

(2) देश में एक साल में उसे 6 महीनों तक के अल्पकालिक रोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या;

(3) मेट्रीक्लुशन और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या;

(4) ऐसे बेरोजगारों की कुल संख्या जो स्नातक या स्नातकोत्तर तक पढ़े हैं;

(5) कुल वैज्ञानिक और तकनीकी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (1) दीर्घावधि बेरोजगारों (सामान्य स्थिति के आधार पर) की संख्या के छठी योजना की अवधि के आरम्भ में 120.20 लाख होने का अनुमान लगाया गया है ।

(2) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(3) शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिक पास और ऊपर के व्यक्तियों) की संख्या के छठी योजना की अवधि के आरम्भ मे 34.70 लाख होने का अनुमान लगाया गया है ।

(4) 34.70 लाख शिक्षित बेरोजगारों में से 10.10 लाख ग्रेजुएट और ऊपर के व्यक्ति थे (जिनमें इंजीनियरी में डिप्लोमा धारक भी शामिल हैं ।)

(5) बेरोगजार वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों की संख्या के छठी योजना की अवधि के आरम्भ में लगभग 2.9 लाख होने का अनुमान है ।

आणविक संयंत्र के उपकरण बनाने के लिए देशी जानकारी

2984. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में देश में आणविक संयंत्र लगाने के लिए देश में कई सालों में आणविक संयंत्र के उपकरण और संयंत्र की मशीनें बनाने के लिए देशी जानकारी का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में भविष्य में लगाये जाने वाले आणविक संयंत्र की आवश्यकताओं का आकलन किया है इसके कितने उपकरण देश के उद्योगों को बनाने के लिए दिए जायेंगे; और

(ग) क्या इससे निर्माण की अवधि में पर्याप्त कमी आ जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी पर्यावरण तथा विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) जरूरी नहीं है कि ऐसा हो । स्वदेशीकरण का आशय मुख्य रूप से यह है कि और ज्यादा आत्मनिर्भर बना जाए ।

आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में सी० सी० आई० सीमेंट प्लांट लगाना

2986. **श्री० जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के सीमेंट प्लांट पर सन्तोषजनक ढंग से काम हो रहा है, यदि हां, तो यहां पर उत्पादन शुरू होने की लक्ष्य तिथि क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल रेलवे इस सीमेंट प्लांट के सीमेंट की यातायात की सुविधा के लिए वानी से चेलका के बीच बरास्ता पीप्पलकोटी एक नई रेलवे लाइन बना रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लाइन पर निकटतम रेलवे स्टेशनी पीप्पलकोटी सीमेंट प्लांट से 10 कि० मी० दूर है; और

(घ) यदि हां, तो पीप्पलकोटी स्टेशन और सीमेंट प्लांट के बीच रेलवे लाइन पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद में सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया के सीमेन्ट संयंत्र का स्थापना-कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। उत्पादन शुरू करने की लक्ष्य तिथि अक्तूबर 1982 है।

(ख) इस समय वानी से पीम्पलकुटी तक रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) निर्माणाधीन आदिलाबाद सीमेन्ट संयंत्र और प्रस्तावित पीप्पलकुटी स्थित रेलवे स्टेशन के बीच सड़क से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। पीप्पलकुटी और आदिलाबाद के बीच नई लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में विचाराधीन बन्दियों का पुलिस हिरासत से भाग जाना

2987. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :**

श्री ए० रामगोपाल रेड्डी :

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री जयपाल सिंह :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1970-80, 1980-81 और 1981-82 में 30 नवम्बर, 1681 तक पुलिस हिरासत से कितने विचाराधीन बंदी भागे हैं और व पुलिस हिरासत से किन परिस्थितियों में बच निकले;

(ख) क्या हाल ही में कुछ विचाराधीन कैदी तिहाड़ जेल से भागे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली पुलिस के रिकार्ड के अनुसार भागे हुए व्यक्तियों की संख्याः इस प्रकार है :

वर्ष	भागे हुए व्यक्तियों की संख्या
1979-80	13
1980-81	20
1981-82 30.11.81 तक	21

उनमें से कुछ जेल से बाहर ले जाते समय पुलिसय कर्मचारियों की असावधानी के कारण भागे। दिल्ली प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि बंदियों को हथकड़ियां न लगाने के कारण से भी वे भागे हैं।

(ख) और (ग) 27.5.1981 को केवल एक विचाराधीन बंदी तिहाड़ जेल से भागा था। यह घटना उस समय घटी जब विचाराधीन बंदी मुख्य जेल अस्पताल से कैम्प जेल में स्थानान्तरण के लिए मुख्य द्वार पर था। उस दिन शाम को अन्य बन्दियों को मुख्य द्वार पर मुक्त किया जा रहा था और विचाराधीन बन्दी भ्रम उत्पन्न करके भागने में सफल हो गया।

(घ) बन्दियों के भागने में उत्तरदायी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय/कानूनी कार्रवाई की जाती है।

जेल तथा पुलिस प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे खतरनाक या कुख्यात अपराधियों का पता लगाने के लिए विचाराधीन तथा सिद्ध दोष लोगों की यथोचित जांच करें ताकि उनको ले जाने के लिए पर्याप्त गार्ड लगाए जाएं। नियमित जांच आदि के लिए नगर के अस्पतालों में बन्दियों की अनावश्यक आवाजाई कम करने के लिए विशेषज्ञों को जेल में ही जाने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

हवा, ज्वार भाटा और सौर ऊर्जा के प्रयोग संबंधी कार्य में प्रगति

2989. **श्री राजेश पाईलट :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हवा, ज्वार भाटा और सौर ऊर्जा के प्रयोग संबंधी कार्य में पिछले एक वर्ष में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार ने इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० नए० सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

1. सरकार द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नवीन और नवीकरणीय स्रोतों को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सरकार का नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के अन्तर्गत और ऊर्जा, जीव भार, पवन ऊर्जा आदि जैसे नव ऊर्जा स्रोतों के उपयोगीकरण से सम्बन्धित अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां आती हैं। इस व्यापक आधार वाले एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, उपभोक्ता और विस्तार अभिकरणों द्वारा भाग लिए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस क्षेत्र में पहले ही काफी विशेष योग्यता का विकास किया जा चुका है और विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों (तंत्रों) और उत्पादन का विकास किया गया है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की धाराओं पर एक ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है ताकि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में सु-समन्वित उपागम की व्यवस्था की जा सके।

2. पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने इस कार्यक्रम में और अधिक उपक्रम किए हैं और विकास और क्षेत्रीय प्रतिष्ठापन की गति को उल्लेखनीय रूप से तीव्रता प्रदान की है।

3. सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आते हैं यथा जल और स्थान तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन, फसल शुष्कन, विलवणीकरण, पम्पन, विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन आदि। प्रदर्शन जल तापन प्रणालियां, एक होटल, बेकरी, अस्पताल, कपड़ा मिल, डेयरी आदि में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय इन्हें विभिन्न स्थानों में जिनमें एक आशवनशाला और एक इलेक्ट्रानिकी फैक्टरी भी शामिल है, में भी प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। प्रदर्शन रोकड़ फसल शुष्कक विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय तम्बाकू को सुखाने के लिए शुष्ककों प्लाइबुड की वेनियर शुष्कन, अनाज शुष्कन और रोकड़ फसलों के शुष्कन के लिए शुष्ककों की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जा रहा है। एक सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र (एस० टी० ई० सी०) की स्थापना को हाथ में लिया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर आदि प्रारूपों के विकास, जानकारी और उत्पादों के मूल्यांकन, प्रदर्शन वाणिज्यीकरण को हाथ में लिया जा सके।

4. सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, सरकार द्वारा सिलिकान सौर सैलों में उत्पादन के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान किया जा रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है। संविरचना के पैमाने को बढ़ाने और सौर सैलों की प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों और कुशलताओं में सुधार लाने के लिए अधिक बल दे रहा है और साथ ही कम लागत की सौर ग्रेड सिलिकान सामिग्री के विकास और स्वदेश में ही उत्पादन पर अधिक बल दे रहा है। एक पूर्व वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र (एन० ए० एस० पी० ई० डी०) परियोजना को आरंभ किया गया है ताकि 1985 तक एक मैगावाट स्तर तक सिलिकान प्रकाश वोल्टीय सैलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और उनका व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शन किए जा सकें। सूक्ष्म सिंचाई और पेय जल की आपूर्ति के लिए कई स्थानों पर प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय पम्पों की प्रतिष्ठापना की गई है। प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों के उपयोग का सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था से संबंधित परियोजनाओं में, गांवों में, सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन में, जहाजरानी के लिए रेडियो बीकन यत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों संचार उपकरण में प्रदर्शन किया जा रहा है।

5. जीव भार उत्पादन, रूपान्तरण और उपयोगीकरण के क्षेत्र में अधिक बल सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों के प्रतिष्ठापन और प्रदर्शन और निवेश के रूप में गोबर के अतिरिक्त जल कुमुदिनी, कचरा, वनस्पति अपशिष्टों और कृषि अवशेष जैसे अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/सामग्रियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन सामुदायिक संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और वे खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिये गैस के अतिरिक्त प्रेरक शक्ति और बिजली प्रदान करेंगे और साथ ही कार्बनिक खाद भी। देश में दो जैव भार अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

6. विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियों के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम को आरंभ किया गया है ताकि इनके बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने के लिए अनुभव प्राप्त किया

जा सके । देश में विभिन्न स्थानों पर पाल टापप पवन चक्कियों और और पवन चक्कियों के आदि प्ररूपों की प्रतिष्ठापना की जा रही है । एक पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जा रही है ताकि वे पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए और इस क्षेत्र में कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र बिन्दुओं के रूप में कार्य कर सकें । एन० ए० एल०, बंगलोर में एक और पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जा रही है । एक ऊर्ध्वाधर अक्षीय पवन जनित्र का विकास किया जा चुका है । जिसका मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जा रहा है ।

7. ज्वारीय ऊर्जा को काम में लाने के सबंध में, 1975 में किए गए एक अध्ययन के आधार पर ज्वारीय शक्ति के ववकास के लिए संवभ क्षेत्रों के रूप में कुछ स्थलों का अभिनिर्धारण किया गया है । ज्वारीय शक्ति विकास के लिए कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी और सुन्दर वन क्षेत्र को संभावित क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था । दिसम्बर, 1980 में सरकार ने ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा उत्पादन करने की संभाव्यता को स्थापित करने के लिए कच्छ की खाड़ी में अन्वेषणों एवं अध्ययनों को अपने हाथ में लेने के लिए भी एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । संभाव्यता के पूर्ण रूप से स्थापित किए जाने के बाद ही ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक परियोजना को हाथ में लिया जा सकता है ।

8. ऊर्जा संरणक्ष, ऊर्जा भण्डारन के बारे में और भू तापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लघु जल प्रौद्योगिकियों आदि जैसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं को इसमें शामिल करके इस कार्यक्रम का विस्तारभी किया जा रहा है । रुड़की विश्वविद्यालय में एक लघु जल प्रौद्योगिकीय केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

9. छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार पहले से ही विकास की गई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दे रही है । जिससे कि देश में नवीकरणीय ऊर्जाओं का व्यापकतर उपयोग किया जा सके । प्रस्ताव है कि योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की जाये जो कि नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों पर आधारित हो ।

10. वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों को आरंभ किया जा रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के तीव्र वाणिज्यीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके । जिन प्रोत्साहनों की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है उनमें व्यापार या व्यवसाय में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण व उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र पर अधिक मूल्यह्रास छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोक्ताओं को जैजैव गैस संयंत्रों, और कुकरों, जल पम्पन युक्तियों आदि पर रियायतें शामिल हैं । वित्तीय संस्थाओं ने संस्थागत उधार को उन्हीं शर्तों पर मानना स्वीकार कर लिया है जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए दिए गए उधारों पर लागू होती है, जिससे कि विनिर्माताओं और उपयोक्ता दोनों के लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था की जा सकेगी । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बिक्री कर, चुंगी आदि जैसे उपकर में उन्मुक्ति प्रदान करें । अनेक राज्यों ने पहले से ही इन छूटों की घोषणा की हुई है ।

11. नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सम्बद्ध सभी मामलों पर परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति मौजूद है और विशेषज्ञों, उपयोक्ताओं और उद्योगों के प्रतिनिधियों की अन्य समितियां और पेनल हैं जो कि विशिष्ठ क्षेत्रों में सहायता करते हैं।

बिना बत्ती का स्टोव

29८9. **श्री कमल नाथ :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने 60 प्रतिशत तापीय कुशलता और प्रति लिटर मिट्टी के तेल से अधिक देर तक जलने वाला एक बिना बत्ती का स्टोव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) वाणिज्यिक आधार पर ये स्टोव बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) जी हां। संस्थान ने दावा किया है कि स्टोव हवा भरने से दबाव वाला नहीं होता और इसे जलाने के दौरान इससे कोई गन्ध नहीं आती है। संस्थान में की गयी जांच से यह संकेत मिलता है कि इस स्टोव की सामान्य कुकिंग दर पर 60 प्रतिशत की तापीय कुशलता होती है जो कि मौजूदा बत्ती वाले स्टोवों की अपेक्षा बढ़िया है और इसकी प्रैशर-स्टोवों की कुशलता के साथ अच्छी प्रकार से तुलना की जा सकती है। विनिर्माण की जानकारी एक लघु पैमाने की फर्म को दे दी गयी है। संस्थान में, आगे का इंजीनियरी विकास कार्य चल रहा है।

चीनी उद्योग के लिए तृतीय वेतन बोर्ड

2990. **श्री कमल नाथ :** क्या **श्रम मंत्री** चीनी उद्योग के लिए तृतीय वेतन बोर्ड गठित करने के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग द्वारा टी० वी० सेट, रेडियो और टेप रिकार्डर का उत्पादन

2991. **श्री कमल नाथ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यदि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को टी० वी० सेट, रेडियो और टेप रिकार्डर का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की अनुमति दे दी जाए, तो क्या इन वस्तुओं के मूल्य में काफी कमी की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिक्स उद्योग ने 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत वस्तुओं के पुर्जों का आयात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इलेक्ट्रानिक उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की जा रही है।

अनुभवी प्रशासकों की कमी

2992. **श्री कमल नाथ :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुभवी प्रशासकों की कमी महसूस कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रशासनिक कुशलता बिगड़ रही है और शीघ्र तथा रचनात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने में बाधा पड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इस अभाव को दूर करना तथा सुयोग्य व्यक्तियों को सेवा में आकर्षित करना चाहती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को अच्छी परिलब्धियां तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वरिष्ठ अधिकारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वेतन आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई महंगाई भत्ता भुगतान करने की सिफारिश नहीं की थी। फिर भी, मूल्यों में वृद्धि के कारण इनकी तनख्वाहों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, मार्च 1979 में सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी तदर्थ महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया था। इससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की परिलब्धियों में सुधार हुआ है। पहली जनवरी, 1982 से केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना भी लागू हो जाएगी। इस योजना में सेवा के दौरान कुल बीमा सुरक्षा राशि तथा सेवा निवृत्ति के समय नकद राशि की व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

	कुल बीमा सुरक्षा राशि रु०	35 वर्ष की सेवा के बाद नकद राशि रु०
समूह "घ"	10,000	23,460
समूह "ग"	20,000	46,920
समूह "ख"	40,000	93,840
समूह "क"	80,000	1,87,680

नकद धनराशि की प्रसुविधा सेवा अवधि के समानुपात में दी जाएगी।

"अनामलीज इन हाउस टैक्स क्रिटीसाइज्ड" शीर्षक समाचार

2993. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में "अनामलीज इन हाऊस टेक्स क्रिटीसाइज्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) "वास्तव में प्राप्त" या "प्राप्त करने योग्य" की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने के बजाय सम्पत्ति कर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन कराने और इस प्रकार दिल्ली नगर निगम के निरीक्षकों और मूल्यांकन करने वाले कर्मचारियों द्वारा अपनाए जाने वालों हथकण्डों के अलावा मकान मालिकों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने क्या कदम उठाएं हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार ने तारीख 11 नवम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार देखा है। सरकार इस बात से भी अवगत है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका क्रमशः दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 और पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम 1911, जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है, के उपबन्धों के अनुसार गृह कर लगा रही है। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों में समान दर से कर लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, सम्पत्ति का कर योग्य मूल्य, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 की धारा 6 या धारा 9 के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित होने वाले मानक किराये के आधार पर किया जाता है। हालांकि मानक किराये के निर्धारण के सिद्धान्त और प्रक्रिया जैसा कि धारा 6 और धारा 9 में दिए गए हैं अलग-अलग मामलों अथवा अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-2 हो सकते हैं। निगम ने आगे बताया है कि सम्पत्ति का मूल्यांकन अर्ध न्यायिक कार्य है और इस पर लिए गये निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

सरकार से मंजूरशुदा घड़ियों के पुर्जे बनाने वाली यूनिटें

2994. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र में घड़ियों के पुर्जे बनाने वाली कितनी यूनिटें सरकार से मंजूरशुदा हैं;

(ख) वास्तव में कितनी यूनिटें अस्तित्व में हैं और बाकी यूनिटें चालू न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई ऐसे मामले हैं, जिनमें आयात लाइसेंस को दूसरे व्यक्तियों को देकर दुरुपयोग किया गया है और सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) चालू यूनिटों को किन कठिनाइयों का सामना, यदि कोई कठिनाई है, करना पड़ रहा है और सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) किसी भी लघु एकक को पूरी तरह से केवल घड़ियों के पुर्जे बनाने के लिए ही स्वीकृत नहीं दी गई है। 96 एककों को पुर्जे जोड़कर घड़ियां बनाने तथा प्रावस्थाबद्ध से कुछ पुर्जे बनाने के लिए अनुमति दी गई है।

(ख) 79 एकक उत्पादन कर रहे हैं, जबकि अन्य एकक स्थापना की जाने की प्रक्रिया में है।

(ग) अभी तक कोई भी उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(घ) लघु एककों द्वारा जब भी कोई कठिनाई बताई जाती है तो उसे दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

छोटा नागपुर (बिहार) क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करना

2995. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के अनुरोध पर छोटा नागपुर (बिहार) जो खनिज पदार्थों के लिए समृद्धिशाली है, के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा राज्य सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपराधों में दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

2996 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन विनियमन में यह बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन मंजूर करने के लिए उसका आचरण अच्छा होना जरूरी है परन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायालय द्वारा अपराधों में दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी, जैसाकि गृह मंत्रालय के दिनांक 7 अक्तूबर, 1956 के एक पत्र में कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सही स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972, का नियम 8 (पहले केन्द्रीय सेवा विनियम का अनुच्छेद 35) एक सांविधिक नियम है और इसमें यह उल्लेख है कि "पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसे जारी रखने के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त होगी" और "यदि पेंशन भोगी गम्भीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध पाया जाता है अथवा घोर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो नियोक्ता प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, पेंशन अथवा पेंशन के किसी भाग को हमेशा के लिए अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है अथवा वापस ले सकता है।" नियम में जहां कहीं आवश्यकता हो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श तथा क्रियाविधि भी निर्धारित है जिसका पालन किया जाना चाहिए। इसमें पेंशनभोगी को स्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने तथा अपील का अधिकार दिया जाना भी शामिल है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 7 अक्तूबर, 1959 का पत्र सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया एक पत्र है जिसमें उनका ध्यान उक्त नियम की ओर दिलाया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि वे सभी अभियोजन अधिकारियों को अनुदेश जारी करें कि किसी फौजदारी अपराध में सरकारी कर्मचारी की दोषसिद्धि के मामले की तत्काल सूचना दिया जाना सुनिश्चित हो सके। स्वयं इस पत्र में कोई नियम निर्धारित नहीं है और नियमों तथा इस पत्र में कोई परस्पर विरोध नहीं है।

वाच-ज्वैल का उत्पादन तथा सप्लाई

2997. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाच-ज्वैलों की मांग बढ़ रही है;

(ख) देश में इस समय वाच-ज्वैलों का वास्तविक उत्पादन तथा सप्लाई क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि घड़ियों की बढ़ती मांग और वाच-ज्वैलों की सप्लाई का अन्तर बढ़ रहा है;

(घ) यांत्रिक घड़ियों के लिए इस समय वाच ज्वैलों का आयात कितना है; और

(ङ) देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981 (सितम्बर, 1981 तक) के दौरान 190 लाख घड़ी के ज्वैलों का उत्पादन किया गया

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि घड़ी के ज्वैलों का अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है अतः घड़ी के ज्वैलों के लिए आयात संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। 1981-82 की आयात नीति के अनुसार घड़ी के ज्वैलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(ङ) अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दे दी गई है।

डाकुओं और नक्सलवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़

2998. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक राज्यवार, पृथक-पृथक पुलिस की डाकुओं और नक्सलवादियों से हुई मुठभेड़ में कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) क्या इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके संबंध मुठभेड़ से पहले कोई रिपोर्ट या मामला दर्ज नहीं था और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन मुठभेड़ों में मरे व्यक्तियों का जाति-वार और धर्म-वार ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कानून व्यवस्था

3000. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में जब से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वहां कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, क्या वहां कुछ राजनीतिक हत्यायें भी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधि और व्यवस्था की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप में सुधार

हुआ है। फिर भी केरल सरकार के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां सात राजनैतिक हत्याएं हुई हैं।

असम से बाहर चले गए विदेशी

3001. **श्री आर० पी० दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में कितने विदेशी असम से बाहर चले गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : असम सरकार के अनुसार 1979 और 1980 के दौरान 8,456 घुसपेठियों को असम से उनके मूल देश को वापस भेजा गया। 1981 के प्रथम नौ महीनों में 878 ऐसे घुसपेठियों को असम से वापस भेजा गया है।

भारत बंगलादेश सीमा पर दीवार

3002. **श्री आर० पी० दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत-बंगलादेश सीमा पर दीवार बनाने की असम आन्दोलनकारियों के नेताओं की मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गई; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सीमा पार से असम विदेशियों के अवैध प्रवेश को प्रभावकारी ढंग से रोकने लिए, "नो मैन्स लैंड" और भारत-बंगलादेश सीमा के असम क्षेत्र के साथ सीमा-दीवार का निर्माण करने सहित विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों की एक समिति सीमा पर सकर्तता कड़ी करने के लिए इनके साथ अन्य उपायों की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में "इन्टक" का प्रस्ताव

3003. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इन्टक" के हाल के इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि वह रुग्ण उद्योगों को उनके मूल स्वामियों को सौंपे जाने का विरोध करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) यद्यपि उल्लिखित संकल्प की ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से नहीं दिलाया गया है, फिर भी अधिग्रहीत एककों की रद्द की गई अधिसूचना के बारे में सरकार की नीति इस प्रकार है :

सरकार केवल उन्हीं अधिग्रहीत एककों की अधिसूचना रद्द करने पर विचार करेगी जिन्हें पुन: चालू नहीं किया जा सकता और उपलब्ध विकल्पों द्वारा जो जीव्यक्षम नहीं किये जा सकते। उद्योग (प्रगति तथा विप्रमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन ऐसे एककों की निरंतर

व्यवस्था करते रहने पर लोक हित में विचार नहीं किया जाएगा। किसी एकक की अधिसूचना रद्द की जाने के बाद बेंक और वित्तीय संस्थान उनके साथ सामान्य बेंक कार्य पद्धति के अनुसार व्यवहार करेंगे।

दिल्ली छावनी में दुकानों को आगे किराये पर देना

3004. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि सदर बाजार में छावनी बोर्ड की दुकानों को उनके आवंटनधारियों द्वारा आगे किराये पर दे दिया गया है तथा इनका उपयोग लाइसेंस अथवा वगैर लाइसेंस के किसी और ही व्यापारिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसका आवंटन नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इनका कब से दुरुपयोग हो रहा है; और

(ग) इस पर कार्यवाही किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) बहुत कम मामलों में आवंटनधारियों ने अनधिकृत रूप से अपनी दुकानें आगे किराये पर दे रखी हैं। छावनी बोर्ड दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारंवाई कर रहा है।

छावनी बोर्ड की दुकानों का आवंटन बिना अनुबन्ध के सामान्य व्यापारिक प्रयोजन के लिए किया गया है। फिर भी कतिपय विशेष व्यापारों के लिए छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसे व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो छावनी बोर्ड द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाता है।

चण्डीगढ़ में बरामद बम

3005. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पेट्रियट दिनांक 7 अक्तूबर, 1981 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चण्डीगढ़ नगर पुलिस ने कांग्रेस-आई के मुख्यालय के द्वार के पास से बम जैसी 2 वस्तुयें बरामद की थी;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि सन्त भिंडरवाले को छोड़े जाने की मांग करने वाले इश्तहारों पर विस्फोटक रखे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 6 अक्तूबर, 1981 को पंजाबी और अंग्रेजी में हाथ से लिखे "खालिस्तान जिन्दाबाद" और "सन्त भिन्डरवाले को रिहा करो" दो नारों वाले इश्तहारों सहित धागे से लिपटी हुई गेंद-जैसी दो वस्तुएं कांग्रेस भवन गेट, चण्डीगढ़ के सामने पड़ी हुई मिली थीं।

पटना में उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों से बरामद गोला-बारूद

3006. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा पटना जिले के पांच विकास खंडों में उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों पर मारे गए छापों में भारी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजधानी में सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रम

3007. **श्री भीकूराम जैन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, इसके सर्वांगीण विकास और जन-सुविधाओं के लिए स्थानीय निकायों की गतिविधियों को समन्वित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इस समय उप-राज्यपाल के स्तर पर समन्वय है और कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का मूल्यांकन

3008. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्री हरिहर सोरन :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के एक मूल्यांकन के अनुसार तीन प्रमुख कार्यक्रमों—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ने कोई प्रगति नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हिमालय के लिए विदेशी पर्वतारोहण अभियान

3009. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सीजन (चालू वर्ष 1981) में भारत में हिमालय की चोटियों पर चढ़ने के लिए स्वीकृति प्रदान किए गए विदेशी पर्वतारोहण अभियानों की संख्या कितनी है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष 1981 के दौरान भारत में हिमालय की चोटियों पर चढ़ने के लिए स्वीकृति प्रदान किए गए विदेशी पर्वतारोहण अभियानों की संख्या का विवरण

जापानी अभियान	19
पश्चिम जर्मन अभियान	12
ब्रिटिश अभियान	11
पोलिश अभियान	3
ओस्ट्रियन अभियान	5
अमेरिकन अभियान	2
फ्रेंच अभियान	2
स्पेनिश अभियान	2
डच अभियान	1
इटालियन अभियान	5
स्विस अभियान	1
चैकोस्लोवाकिया अभियान	1
ताईवानी अभियान	1
भारत-न्यूजीलैंड अभियान	1
भारत-ब्रिटिश अभियान	1
भारत-फ्रेंच अभियान	1
भारत-इटली अभियान	1
जोड़	69

ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों में डबलरोटी बनाने के एककों की स्थापना

3010. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के अर्धनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में डबलरोटी बनाने के लिये स्वचालित और अर्ध स्वचालित लघु एककों को विकसित करने के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये गए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के दिये जाने वाले प्रोत्साहन जिनमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को दिये जाने वाले विशेष प्रोत्साहन भी सम्मिलित हैं. छोटे पैमाने पर डबलरोटी बनाने वाले एककों के लिए भी उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति की सिफारिशें

3011. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में प्रस्तुत किये गये राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं और उठाए जायेंगे और वे कौन-सी सिफारिशें है जिन्हें सरकार कार्यान्वित करने से इंकार करती है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपार्ट (1980) लोक सभा के पटल पर दि० 12-8-1980 को रखी गई थी और इसकी प्रतियां सदस्यों को भी अलग से भेजी गई थीं । इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में इष्टतम अन्तर-प्रायिक सम्मिश्र का निर्धारण, परिवहन कीमत-निर्धारण और राजसहायता, परिवहन क्षेत्रक में समन्वय के लिए व्यवस्था तथा विशिष्ट साधनों के लिए अतिरिक्त सिफारिशें शामिल हैं ।

(ख) इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में रिफ्रेक्टरी यूनिटों का इस्पात मन्त्रालय को अन्तरण

3012. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसी कि 'फजल समिति' द्वारा सिफारिश की गई थी पश्चिम बंगाल और बिहार स्थित रिफ्रेक्टरी यूनिटों का इस्पात मंत्रालय को अन्तरण करने के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ताकि इन एककों को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके और इनका आधुनिकीकरण किया जा सके; और

(ख) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) बर्न स्टैंडर्ड कं० की रिफ्रेक्टरी यूनिटों का भारत रिफ्रेक्ट्रीज के साथ विलय करने से संबंधित समिति की सिफारिश पर इस्पात विभाग के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

गहरे समुद्र में विदेशी मत्स्य जहाजों द्वारा चोरी-छिपे मछली पकड़े जाने को रोकने के लिए तट-आरक्षी

3013. **श्री के० ए० राजन :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समुद्री सीमा में, गहरे समुद्र में विदेशी मत्स्य जहाजों द्वारा चोरी-छिपे मछली पकड़े जाने को रोकने के लिए तैनात तट-आरक्षी (कोस्ट गार्ड) के पास अपना कार्य करने के लिए पूरा साज-सामान उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय समुद्री सीमा में, गहरे समुद्र में विदेशी मत्स्य पोतों द्वारा चोरी-छिपे मछली पकड़ने की वारदातों को अधिक कारगर ढंग से रोकने के लिए तट रक्षक संगठन को सुदृढ़ किया जा रहा है। तट रक्षक संगठन को सुदृढ़ करने के प्रस्तावों में गश्ती पोत, हेलीकोप्टर और समुद्र में निगरानी रखने वाले विमान उपलब्ध करना शामिल है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि

3014. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहाययता की राशि सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस निर्धारित राशि का मूल्य इसके निर्धारण के पश्चात् बहुत घट गया है;

(ग) यदि हां, तो जिस वर्ष यह सीमा निर्धारित की गई थी उसमें विद्यमान मूल्य के संदर्भ में इस निर्धारित राशि का वर्तमान मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सीमा को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में मैट्रिकोत्तर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरें इससे पहले 1974-75 में युक्त-युक्ति की गई थी। चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अपेक्षित अधिक खर्च की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की दरें 1-1-1978 से आगे और संशोधित की गई थी। इस संशोधन का एक विवरण "क" संलग्न है।

रहन सहन की बढ़ती हुई लागत और अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन दरों को दुबारा संशोधित किया गया है । छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक की आय सीमा को भी बढ़ाया गया है । ये दोनों संशोधन 1-7-1981 से लागू हैं । संशोधन का एक विवरण "ख" है । पुरानी दरें दोनों परिशिष्टों में कोष्ठकों में दिखाई गई हैं ।

उपर्युक्त छात्रवृत्ति की धनराशि के अतिरिक्त संस्थान के प्रमुख की सिफारिश पर छात्र को अधिकतम 100 रुपये प्रति माह की दर से अध्ययन दौरे का खर्च और थीसिस को टाईप करने मुद्रित करने के प्रभार के रूप में भी अधिकतम 100 रुपया दिए जाते हैं । नेत्रहीन छात्रों को प्रथम वर्ष में रीडर खर्च के लिए 25 रुपए प्रतिमाह और द्वितीय और उसके बाद के वर्षों के लिए 35 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त धनराशि दी जाती है ।

विवरण "क"

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां-छात्रवासी-मेडिकल और इंजीनियरिंग डिगरी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि :

(1-1-1978 से)

अध्ययन के पाठ्यक्रम	का वर्ष	रखरखाव भत्ते की दर छात्रावासी लड़के	 छात्रावासी लड़कियां	 बाहर रहने वाले छात्र लड़के	 बाहर रहने वाले छात्र लड़कियां (रु० प्रतिमास)
1	2	3	4	5	6
मेडीकल और इंजीनियरिंग डिगरी पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	185 (125)	195 (135)	75	85
	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	185 (125)	200 (140)	75	90

विवरण "ख"

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संशोधित दरें और माता/पिता अभिभावक/संरक्षकों की आय सीमा नीचे दी गई है :

(वर्तमान दरें कोष्ठकों में दिखाई गई है)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

	दिन में स्कूल जाने वाले		छात्रावासों में रहने वाले	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
	(रुपये)		(रुपये)	
ग्रुप-क				
1. मेडीकल और इंजीनियरिंग				
प्रथम वर्ष	100(75)	110(85)	185(185)	195(195)
द्वितीय वर्ष	100(75)	115(90)	185(185)	200(200)
2. बी० वी० एस० सी०				
बी० एस० सी० (कृषि)				
प्रथम वर्ष	100(75)	110(85)	185(125)	195(135)
द्वितीय वर्ष और आगे	100(75)	115(90)	185(125)	200(140)
ग्रुप-ख				
इंजीनियरिंग मेडीकल तकनीकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और विज्ञान में निष्णांत पाठ्यक्रम				
प्रथम वर्ष	100(68)	110(70)	125(90)	135(100)
द्वितीय वर्ष और आगे	105(65)	120(80)	130(95)	145(110)
ग्रुप-ग				
इंजीनियरिंग, मेडीसन तकनीकी आदि में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम और कला और वाणिज्य में निष्णांत पाठ्यक्रम				
प्रथम वर्ष	150(50)	110(60)	125(80)	135(90)
द्वितीय वर्ष और आगे	105(55)	115(70)	130(85)	145(100)
ग्रुप-घ स्नातक स्तर तक				
सामान्य पाठ्यक्रम (दूसरे वर्ष से आगे)	70(45)	85(60)	115(75)	130(90)
ग्रुप-डी				
10+2 प्रणाली में 11वीं और 12वीं कक्षाएं, इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर तक **सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष**				
प्रथम वर्ष (11वीं कक्षा)	50(40)	60(50)	7 (70)	85(80)
द्वितीय वर्ष (12 वीं कक्षा)	55(45)	70(60)	80(75)	95(90)
सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष				

2. नेत्रहीन छात्रों को रीडर व्यय के रूप में प्रथम वर्ष में 25 रु० प्रतिमास और द्वितीय वर्ष में और उसके बाद के वर्षों में 35 रु० प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त राशि दी जाती है।

3. इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि बी० एस० सी० (कृषि) और बी० वी० एस० सी० पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाकर मेडीकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लागू दरों के समान किया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि 10+2 प्रणाली में 11वीं और 12वीं कक्षाओं, इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों और स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष का वर्गीकरण ग्रुप "ड" के रूप में किया जाय।

4. छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा के संशोधन के संबंध में, पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए वर्तमान आय सीमा, सभी स्रोतों से 500 रु० प्रतिमाह तक है। यदि किसी छात्र के माता पिता की आय 500 रु० प्रतिमाह से अधिक हो लेकिन 750 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है तो ग्रुप "क" पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत पूरी छात्रवृत्ति और ग्रुप "ख" और "ग" और "घ" पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत आधी छात्रवृत्ति स्वीकार्य है। इन सीमाओं को क्रमशः 500 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रु० प्रतिमाह और 750 रु० प्रतिमाह से बढाकर 1000 रु० प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया है जो नये ग्रुप "ड" के लिए भी लागू होगा।

5. ऊपर उल्लिखित संशोधित छात्रवृत्ति की दरें और संशोधित अधिकतम आय सीमा 1 जुलाई, 1981 से लागू होगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा "ओवर ड्राफ्ट" किया जाना

3015. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपने ओवर ड्राफ्ट का शीघ्र भुगतान नहीं किया तो राज्य को वर्ष 1981-82 की अपनी योजना में भारी कटौती करनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो योजना मंत्री द्वारा दी इस चेतावनी पर महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बम्बई में 24 अक्तूबर, 1981 को हुए विचार-विमर्श में राज्य के मुख्य मंत्री को राज्य की 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों में अनुमानित अन्तर को पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी गई थी ताकि योजना में कटौती न हो।

(ख) राज्य सरकार ने 1981-82 की वार्षिक योजना के संसाधनों में अन्तर को कम करने के लिए तब से विशिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और यदि इन्हें कार्यान्वित कर दिया जाए तो राज्य सरकार के वर्ष 1981-82 को बिना किसी घाटे के समाप्त करने और रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष न लेने की संभावना है।

ग्रामीण उत्थान में सहायता देने के लिए सर्वेक्षण

3016. **श्री एम० बी चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष किए जाने वाले जोतों पशुओं, ऋण तथा निवेश के बारे में 37 राउंड सर्वेक्षण का अभिप्राय कृषि संबधी सुधारों की रूपरेखा तैयार करना और ग्रामीण निर्धनों की दशा सुधारने का है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामोत्थान के लिए उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जायेगा और इसका ब्यौरा सरकार को कब तक भेज दिया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) कृषि संबंधी सुधारों तथा ग्रामोत्थान के बारे में परियोजनाओं/नीतियों की रूपरेखा तैयार करते समय जोत, पशुधन तथा ऋण एवं निवेश विषयक सर्वेक्षण के परिणामों के उपयोग किए जाने की आशा है।

(ख) जोत, पशुधन तथा ऋण एवं निवेश विषयक सर्वेक्षण दिनांक 1-1-1982 से आरंभ होगा तथा दिनांक 31-12-1982 तक पूरा किया जायेगा। सर्वेक्षण के मूल परिणाम सरकार के पास वर्ष 1984 के मध्य तक उपलब्ध होने की संभावना है।

नई खान परियोजनाओं में प्रदूषण निरोधक उपाय

3017. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार नई खान परियोजनाओं में प्रदूषण रोकने तथा विद्यमान खानों में प्रदूषण के प्रभाव का कम से कम करने के कड़े उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन उपायों को कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) पर्यावरण विभाग ने खनन गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यावरणीय समस्याओं का परीक्षण करने के लिए तथा उन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु अगस्त, 1979 में खनन एवं पर्यावरण से सम्बद्ध एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस दल ने जनवरी, 1981 में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश की थीं जिसमें खानों में प्रदूषण कम करने तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल है। इस दल की रिपोर्ट तथा सिफारिशों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही हेतु खान विभाग को भेज दिया गया है।

पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण दृष्टिकोण से नई खनन परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक पर्यावरण मूल्यांकन समिति का भी गठन किया है। इस समिति द्वारा इन परियोजनाओं का अब परीक्षण किया जा रहा है जो नई खनन परियोजनाओं के लिए उचित प्रदूषण विरोधी उपायों का सुझाव देगी।

जमालपुर रिटायर्ड रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन

3018. **श्री मतिलाल हसदा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मन्त्री महोदय द्वारा 27.3.81 को जमालपुर के दौरे के समय रिटायर्ड रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन, पूर्व रेलवे जमालपुर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सेवा-निवृत्त रेलवे कर्मचारी एसोसियेशन, पूर्व रेल, जमालपुर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। पेंशन आदि से सम्बन्धित मांगें इस तरह की हैं जिन पर रेल मन्त्रालय एकपक्षीय कारंवाई नहीं कर सकता क्योंकि उससे कन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगी प्रभावित होते हैं। अन्य मांगें, जैसे सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी के कम से कम एक आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने के प्रश्न पर पहले कई बार विचार किया गया है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

कोक वैगनों को पुन: तोलना

3019. **श्री एस० मुरुगंय्यन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोक वैगनों को पुन: तौलने के अनुरोध को न स्वीकार करने सम्बन्धी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कोल्हापुर स्टेशन (महाराष्ट्र) के व्यापारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) उपरोक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतें स्वीकार की गई और पुन: तोलने के आदेश दिये गये;

(ग) पुनः तोलने के आदेश देश सम्बन्धी मार्गदर्शी निदेश क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के विभिन्न संगठनों ने पुन: तोलने की शिकायतों के बारे में कोल्हापुर रेल अधिकारियों तथा हुबली रेलवे अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायतें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोक माल डिब्बों को पुन: तोलने के अनुरोध को स्वीकार न किये जाने की शिकायतों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष		प्राप्त शिकायतों की संख्या
1979		11
1980		19
1981 (अक्तूबर, 81 तक)		22
	जोड़	52

52 शिकायतों में से 13 शिकायतें व्यापारियों और 39 शिकायतें कोल्हापुर के उद्योगपतियों की ओर से थीं।

(ख) 36 मामलों में दुबारा तोलने की अनुमति दी गयी।

(ग) यदि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रहता है कि माल डिब्बों के साथ छेड़छाड़ की गयी है, तो प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर माल डिब्बों को दुबारा तोलवाने के बारे में विचार किया जाता है।

(घ) पुनः तोलने की शिकायतों के बारे में कोल्हापुर रेल अधिकारियों तथा हुबली रेल अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायतों की जानकारी रेल प्रशासन को नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी उपयोजना के कार्यक्रम

3020. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी उप-योजना तथा विशेष कम्पोनेंट योजना के लिये कार्यक्रम यथा योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिये कितनी राशि रखी है तथा राज्यों को राज्यवार बांटी है;

(ग) अदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में तथा अनुसूचित जातियों के लिये प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा हेतु उनके मंत्रालयों ने यदि कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) उनके मंत्रालय के किस विभाग तथा प्रभागों ने अदिवासी संस्कृति भाषा आदि के लिये यदि कोई कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा निधियां दी, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। 1981-82 के लिये निर्धारित किये गये परिव्ययों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3067/81]

राज्यों को अनुदान क्योंकि संपूर्ण कार्यक्रम के लिये मुक्त किये जाते हैं और क्योंकि आदिवासी उपयोजना अथवा विशेष घटक योजना के लिये कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, अतः आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के लिये अलग-अलग मुक्त किये गये अनुदानों की राज्यवार सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास से सम्बन्धित कार्यदलों की वे सिफारिशें, जो शिक्षा से सम्बन्धित थीं, राज्यों को भेज दी गयी थीं ताकि अपनी योजनायें बनाने में वे इनमें से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

(घ) इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा निश्चित किये गये कार्यक्रमों और इन कार्यक्रमों के लिये निर्धारित परिव्यय संलग्न विवरण में दे दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3067/81]

फिलिपीन्स के साथ आर्थिक सम्बन्ध

3021. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अक्तूबर को फिलिपीन्स तथा भारत के बीच एक उच्चस्तरीय विचार विमर्श में एक तीन-सूत्री कार्यवाही योजना तैयार की गयी थी जिससे कि दोनों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों में एक नई सफलता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह कार्यवाही योजना भारत के लिये किस हद तक लाभकारी होगी; और

(घ) भारत में तुरन्त ही किन योजनाओं के लिये सहायता दी जायेगी और दोनों देशों के बीच इस करार को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) 8-9 अक्तूबर, 1981 को प्रधान मंत्री की फिलिपीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच, जिनका नतृत्व प्रधान मंत्री और फिलिपीन के राष्ट्रपति ने किया, अन्य बातों के अलावा दोनों देशों के आर्थिक और औद्योगिक सम्बन्धों में विविधता लाने और उन्हें अधिक सुदृढ़ करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

इस सम्बन्ध में फिलिपीन को रेल वैगन और सहायक सामग्री सप्लाई करने तथा फिलिपीन के वस्त्र-उद्योग के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम सहभागिता के बदले में फिलिपीन से नारियल का

तेल आयात करने की संभावना पर विचार किया गया। फिलिपीन ने कुदेसखा से लौह अयस्क गोले और वहां के डेयरी विकास कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि फिलिपीन में दोनों पक्ष मिलकर काजू का बागान लगाएं और उसकी पैदावार भारत खरीद ले। हमने सीमेंट, ताम्र सांद्र और फास्फैटिक उर्वरक आयात करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। दोनों पक्षों ने 1979 में हस्ताक्षरित व्यापार करार के अनुसार एक संयुक्त व्यापार समिति का भी स्वागत किया।

धनबाद जिले के कुमार धुबी क्षेत्र में होकर गुजरने वाली जी० टी० रोड़

3022. **श्री ए० के० राय** : क्या नोवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार के धनबाद जिले के कुमार धुबी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली जी० टी० रोड की हालत बहुत खराब है और उसकी मरम्मत नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि जी० टी० रोड पर बिहार से बंगाल को जोड़ने वाला बांस का पुल क्षत-विक्षत दशा में हैं और इसके फलस्वरूप किसी भी समय भीषण दुर्घटना हो सकती है;

(ग) क्या यह सच है कि धनबाद स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एकक सर्वथा निष्क्रिय है तथा इस मामले में उदासी का रवैया अपना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (घ) बिहार के धनबाद जिले में कुमार धुबी क्षेत्र होते हुए मौजूदा जी० टी० रोड का भाग बरकर नदी पर मौज़दा पुराने पुल के विकल्प में निर्माण किए गये पुल के पहुंच मार्ग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुन:रेखन किए जाने से पृष्ठ भूमि में आ गया है। यह पुल हाल ही में यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस भाग की सड़क के अनुरक्षण का धनबाद स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिल्ली स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना पर पुल

302?. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या नोवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के सामने यमुना नदी पर एक बड़ा पुल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य किस तारीख को तथा किस महीने शुरू करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस के पास यमुना नदी पर आठ लेन का एक पुल बनाने का प्रस्ताव है जिस पर पश्चिम की ओर के पहुंच मार्ग पर इन लेनों के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी।

(ग) और (घ) तकनीकी और वित्तीय मंजूरी मिलने पर ही वास्तविक निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी का एक वातानुकूलित डिब्बा जोड़ना

3024. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद को कराड़ जिला सतारा (महाराष्ट्र) के निवासियों की ओर से, महालक्ष्मी एक्सप्रेस में, दूसरी श्रेणी के रेल यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, तीन टियर का एक दूसरी श्रेणी का शयनागार जोड़ने के बजाय प्रथम श्रेणी का एक वातानुकूलित डिब्बा जोड़ने के बारे में 28 अगस्त, 1981 का एक अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त ज्ञापन में किए गये अनुरोध पर गहराई से विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि उपरोक्त अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया तो उसके क्या कारण हैं और क्या रेल अधिकारी अपने उक्त निर्णय पर पुनः विचार करेंगे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 303/304 महालक्ष्मी एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने की बराबर मांग की जाती रही है। लेकिन बम्बई वी टी में प्लेटफार्म की कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका। स्थान बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विकल्प यह है कि पहले दर्जे के दो सवारी डिब्बों की जगह एक वातानुकूल 2-टियर शयनयान और दूसरे दर्जे का एक 3-टियर शयनयान लगाया जाय। तदनुसार 15-8-81 से पहले दर्जे के 2 सवारी डिब्बे की जगह एक वातानुकूल 2-टियर शयनयान और दूसरे दर्जे का एक 3-टियर शयनयान लगा दिया गया जिसके फलस्वरूप दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अतिरिक्त 75 शायिकाओं की व्यवस्था हो गई है।

राजधानी में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि

3025. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधारी में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते । फिर भी, स्थानीय निकाय राजधानी में मलेरिया पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

1. लार्वारोधी कार्य को तेज करना ।

2. टिका मशीन से हर पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के बाद धुआं देना ।

3. रोगियों का पता लगाने के कार्य में सुधार करना तथा विशेषतया बाहर से आये मजदूरों का उपचार करने के लिए तुरन्त कदम उठाना ।

4. मच्छर पैदा करने वाले स्रोतों को कम करने के उपायों में सुधार लाना ।

प्राथमिक स्कूलों के लिये भवन

3026. **श्री रामलाल राही :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने प्राथमिक स्कूल हैं और चालू पांचवीं योजनावधि में कितने ऐसे स्कूल खोले जायेंगे; और

(ख) ऐसे प्राथमिक स्कूल कितने हैं जिनके अपने कोई भवन नहीं हैं और इन स्कूलों के लिए भवन बनाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण (30 सितम्बर, 1978) के अनुसार 1978-79 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 4,74,636 थी । छठी योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रस्तावों के अनुसार, 1980-8: के दौरान, खोले जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या लगभग 38,000 होगी ।

(ख) चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1,90,357 प्राथमिक स्कूल, कच्चे, छप्पर वाली झोपड़ियों, तम्बुओं तथा खुले मैदानों में भी स्थित हैं । केवल पहले वाले स्कूलों को स्थायी इमारतें प्रदान करने की न्यूनतम लागत लगभग 1,371 करोड़ रुपये होगी । समग्र वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए, स्कूल भवनों पर इतना निवेश केवल चरणों में ही किया जा सकता है ।

वैगनों की वसूली के लिये पुनरीक्षित प्रक्रिया

3027. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेलवे द्वारा वैगनों की खरीद के लिए आदेश दिये जाने की पुनरीक्षित प्रक्रिया तैयार की है जिससे रेलवे वैगन निर्माताओं को वर्तमान एक वर्ष की बजाय तीन वर्ष के लिए क्रयादेश दे सकेगा; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग से इस आशय का निर्देश मिला है कि रेलें माल डिब्बा निर्माताओं को माल डिब्बों के आर्डर तीन वर्ष के लिए एडवांस में देने के सम्बन्ध में कार्रवाई करें।

बयाना में लोको शेड

3028. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में दिल्ली-कोटा सैक्शन पर बयाना में लोको शेड को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बयाना लोको शेड का कोई अन्य उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य लाइन की गाड़ियों का डीजलीकरण कर दिये जाने के परिणामस्वरूप बयाना शेड 1 नवम्बर, 1980 से बंद कर दिया गया था। इसमें गंगापुर सिटी में भाप इन्जनों को सम्हालने की क्षमता फालतू हो गयी जिसके फलस्वरूप बाकी बचे भाप इन्जनों का युक्तियुक्तकरण आवश्यक हो गया। इस युक्तियुक्तकरण के परिणामस्वरूप बयाना शेड का कार्यभार गंगापुर सिटी शेड को सौंप दिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) बयाना लोको शेड में उपलब्ध सुविधाओं का अब बाक्स माल डिब्बों की छोटी-मोटी ओवरहाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रेलों के कार्यसंचालन के हित में इस प्रकार की ओवरहाल में तत्काल वृद्धि करना आपेक्षित था।

कोढ़-चिकित्सा केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने तथा उनके रख-रखाव के लिए राज्यों की निधियों का नियतन

3029. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान कोढ़-चिकित्सा केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने तथा उनके रख-रखाव के लिये विभिन्न राज्यों को कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है और उक्त परियोजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में उड़ीसा के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया;

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में वर्ष 1980-81 के दौरान कोढ़-चिकित्सा केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए किए प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के उन कोढ़-चिकित्सा केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनका दर्जा चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़ा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 399.42 लाख रुपये तथा 348.86 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी। किये गए खर्च तथा वास्तविक प्रगति का ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ख) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उड़ीसा राज्य को आवंटित किया गया धन इस प्रकार है :

1979-80	18.20 लाख रुपये
1980-81	11.55 लाख रुपये

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है :

(1) शहरी कुष्ठ केन्द्र का दर्जा बढ़ाना	1
(2) कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा बढ़ाना	1
(3) जिला कुष्ठ अधिकारी यूनिट का दर्जा बढ़ाना	1

विवरण

(क) बजट अनुमान तथा खर्च (लाखों में)

50 प्रतिशत केन्द्रीय खर्च

बजट अनुमान	खर्च	बजट अनुमान	खर्च
399.42 (उड़ीसा के लिये)	191.00	348.86	250.83
18.20	11.88	11.55	13.56

(ख) वास्तविक उपलब्धियां :

	किस वर्ष के दौरान (लाखों में)			
	1979-80		1980-81	
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य
1. उन रोगियों की संख्या जिनका पता लगाकर इलाज शुरु किया जाना है।	5.44	2.97	3.86	1.73
2. उन रोगियों की संख्या जिनके रोग की रोक-थाम करके/जिन्हें रोग रहित करके या अन्यथा अस्पताल से छुट्टी दी जानी है।	2.47	1.36	2.47	0.97

राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे वे कुष्ठ संस्थान जो राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता पाने के पात्र हैं :

(1) कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	8
(2) पुराने यूनिटों का दर्जा बढ़ाना	12
(3) सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र	100
(4) गैर-चिकित्सा सुपरवाइजर	15
(5) शहरी कुष्ठ केन्द्र	5
(6) रीकन्सट्रक्टिव सर्जरी यूनिट	2
(7) अस्थायी रूप से अस्पताल में भरत करने के वार्ड	3

रात के समय कलकत्ता पत्तन में आने वाले मालवाहक जहाजों के चलने-फिरने पर प्रतिबन्ध

3030. **श्री एम० एल० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली नदी पर स्थित कलकत्ता पत्तन में रात को आने वाले मालवाहक जहाजों के चलने-फिरने की अवधि, पहले की तुलना में प्रतिबंधित कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पिछले दिनों की तुलना में रात में हुगली नदी होकर कलकत्ता पत्तन आने वाले मालवाही जहाजों के यातायात की व्यवस्था में न तो कोई परिवर्तन किया गया है और न ही इस बारे में कोई नियंत्रण ही लगाया गया है। विगत दिनों में भी रात में हुगली प्वाइंट से गार्डन रीच तक जहाजों को नहीं आने दिया जाता था। यह व्यवस्था अभी भी प्रचलित है। इसका कारण यह है कि रात में मार्गाधिकार कलकत्ता पत्तन से बाहर जाने वाले जहाजों का है, गार्डन रीच से हुगली प्वाइंट तक का भाग संकरा है और इसलिए बाहर से आने वाले जहाजों को रात में इस भाग में नहीं आने दिया जाता है जिससे कि रास्ता साफ रहे।

त्रि-भाषा सूत्र में संस्कृत का समावेश

3031. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र लागू करने समय विभिन्न राज्यों में अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने तीसरी भाषा के रूप में स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य मानकर संस्कृत को शामिल किया है; और

(ग) हिन्दीभाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं को पढ़ाने की सुविधायें देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3068/81]

(ग) हिन्दीभाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते मानदंड के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होने के कारण, राज्य सरकारें स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपनी नीति तैयार करती है।

वर्ष 1981-82 के दौरान संतति-निग्रह के लिये नये तरीके

3032. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में संतति-निग्रह के कौन-कौन से नये तरीके अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1981-82 के दौरान संतति-निग्रह के कुछ नए तरीके अपनाए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित डाक्टरी को क्या परीक्षण देने का विचार है; और

(घ) परिवार नियोजन के लिए ऐसे नए तकनीकों को अपनाने के संबंध में सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1981-82 में संतान नियंत्रण का कोई नया तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) फिलहाल कोई विचार नहीं हैं ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशों में कार्यरत भारतीय डाक्टर

3033. **श्री ई० के० इम्बीची बावा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में इस समय कुल कितने भारतीय डाक्टर काम कर रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने डाक्टर अपनी ड्यूटी से लम्बी छुट्टी पर रहे हैं/इस समय हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विदेश स्थित हमारे दूतावासों/उच्चायोगों से मिली सूचना से यह पता चलता है कि उनके पास विभिन्न बाहरी देशों में काम कर रहे भारतीय डाक्टरों को ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनके बताये अनुसार लगभग 13,000 भारतीय डाक्टर पिछले 10 वर्षों में विदेश गये बताये गए हैं ।

(ख) विदेश में काम करने वाले डाक्टरों में वे डाक्टर भी शामिल हैं जो सरकारी सेवा में नहीं आते । इसलिए ये आंकड़े देना सम्मव नहीं है । वैसे केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत डाक्टरों के लिए विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होती है जिसे अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

रनिंग स्टाफ के कार्य घंटे

3034. **श्री सुबोध सेन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल इण्डिया गार्डन काऊंसिल उत्तर-सीमांत रेलवे, अलीपुरद्वार ने, रेलवे बोर्ड द्वारा कतिपय अवधि को निकालकर, "साइनिंग आन एंड आफ" की एकतरफा परिभाषा दिये जाने और इस प्रकार बोर्ड द्वारा रनिंग स्टाफ के वास्तविक कार्य घंटों में वृद्धि करने के निर्णय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिकूल शर्तों को एकतरफा ढंग से लागू करने के उक्त आदेशों को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) रेलों की परिचालनिक आवश्यकताओं के संदर्भ में और अन्य संगत कारणों को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा राहत का दावा करने के प्रयोजन के लिए रनिंग कर्मचारियों पर लागू होने वाले 10 घंटा नियम के संबंध में 3 अप्रैल, 1981 को रेल प्रशासनों को, एक निर्देश जारी किया गया था। लेकिन, समयोपरि के भुगतान के संबंध में ये अनुदेश लागू नहीं होते जिसके लिए ड्यूटी पर आने के समय से लेकर ड्यूटी से जाने के समय तक की कुल ड्यूटी को ध्यान में रखा जाता है। रेलों को ये अनुदेश भी जारी किये गये कि वे, 'पहले आये सो पहले जाये' के सिद्धांत के आधार पर रनिंग कर्मचारियों की बुकिंग की कर्मीदल नियंत्रण प्रणाली को फिर से इस प्रकार लागू करें ताकि ऐसे कर्मचारियों का सर्वोत्तम और उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके—विशेष रूप से उनकी उचित बुकिंग, उन्हें नियतकालिक आराम देने और समयोपरि पर अत्यधिक काम कराने से बचने के मामले में।

इन निर्देशों में कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

बर्दमान-बंडेलसंक्शन के लिए दोहरी लाइन

3035. **श्री सुशील भट्टाचार्य**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यातायात की सुविधा के लिए बर्दवान तथा बडेल संक्शन के बीच एक और लाइन बिछाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) बर्दवान-बंडेल पहले से ही एक दोहरी लाइन खंड है और इन दो स्थानों के बीच दूसरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण

3036. **श्री भीखाभाई**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि चेतक एक्सप्रेस गाड़ी को एक समान दूरी तय करने में अन्य गाड़ियों की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि गाड़ी में कोयले से चलने वाला इंजन लगा हुआ है;

(ग) क्या सरकार गाड़ी के साथ डीजल इंजन जोड़ने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 15/16 चेतक एक्सप्रेस, जो कि भाप इंजन द्वारा चलायी जाती है, की औसत गति मीटर लाइन की सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति के अनुरूप ही है।

(ग) और (घ) 15/16 चेतक एक्सप्रेस की डीजलीकरण करने के सम्बन्ध में विचार किया गया है। लेकिन इससे इसकी गति तब तक नहीं बढ़ सकेगी जब तक कि इसके अनेकानेक मध्यवर्ती स्टेशनों के ठहराव समाप्त न कर दिये जायें ।

अण्डमान और लक्षद्वीप नौवहन सेवा

3037. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अण्डमान और लक्षद्वीप द्वीप समूहों के बीच चल रहे विभिन्न पोतों की संख्या तथा ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अण्डमान और लक्षद्वीप नौवहन सेवाएं सरकार बहुत घाटे पर चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1980-81 के दौरान कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अण्डमान और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में चलने वाले विभिन्न जहाजों की संख्या और उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1980-81 में इन जहाजों के परिचालन में हुई हानि और तत्संबंधी कारण सभापटल पर रख दिये जाएंगे ।

विवरण

अण्डमान और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में चलने वाले विभिन्न जहाजों की संख्या और उनका ब्योरा

1. मुख्य-भूमि-अण्डमान द्वीप

(क) यात्री व माल जहाज

जहाज का नाम	यात्री क्षमता	माल क्षमता
एम० वी० अंडमान	618	1200 एम० टी०
टी० एस० एम० नानकावरी	960	1550 एम० टी०
एम० वी० हर्षवर्धन	749	1500 एम० टी०

जहाज का नाम	यात्री क्षमता	माल क्षमता
(ख) माल जहाज		
एम० वी० शोम्पेन		3500 एम० टी०
एम० वी० दिगलीपुर		5600 एम० टी०
2. अन्तर-द्वीपीय-अंडमान		
(ग) यात्री व माल जहाज		
एम० वी० ओंगे	204	65 एम० टी०
एस० एस० चोलुंगा	190	70 एम० टी०
टी० एस० एस० येरेवा	209	65 एम० टी०
एम० वी० त्रिवेनी	150	50 एम० टी०
एम० वी० यमुना	85	35 एम० टी०
एम० वी० लिटल अंडमान	150	35 एम० टी०
एम० वी समदर	75	10 एम० टी०
एम० वी० चीतल	75	10 एम० टी०
एम० वी० चिनकराव	75	10 एम० टी०
(घ) यात्री जहाज		
एम० वी० गोमती	200	
एम० वी० नर्मदा	200	
एम० वी० गंगा	150	
एम० वी० मेगापोडी	50	
एम० वी० मयूर	50	
एम० वी० सीगुल	50	
एम० एल० चकूर	50	
(ङ) माल जहाज		
एम० वी० टेरेसा		40 एम० टी०
एम० वी० कान्दुल		40 एम० टी०
एम० एल० 5		25 एम० टी०
3. मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह		
(च) यात्री व माल जहाज		
एम० वी० अमीनद्वीप	242	800 टन
एम० वी० लक्षद्वीप	49	41 टन

सेवानिवृत्ति होने पर कर्मचारियों की देयताओं के निपटान हेतु समय-सीमा

3038. **श्री मनत कुमार मंडल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा उत्तर रेलवे प्रशासन के कोई ऐसे प्रशासकीय आदेश हैं जिनके अनुसार तृतीय श्रेणी रेल कर्मचारियों की देयताओं अर्थात् (1) उत्पादन; (2) पेन्शन; (3) एस० आर० भविष्य निधि; और (4) अर्जित छुट्टी के एवज में नकद अदायगी को देयताओं का निपटान निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में कार्मिक अधिकारी जान-बूझकर और सोद्देश्य पूर्ण रूप से उक्त अदायगियां करने में विलम्ब करते हैं और एक अथवा दूसरे कारण से कर्मचारी कोपरेशन करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे मुरादाबाद मंडल अधिकारियों को आदेश देंगे कि ऐसे सभी मामलों पर सहानुभूति से विचार किया जाये और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को किसी परेशानी से बचाने के लिये कम से कम समय के भीतर अदायगी की जाये और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुसार, अधिवार्षिता पर सभी मामलों में पेंशन सम्बन्धी लाभ उस महीने की पहली तारीख से, जिस महीने में अधिवर्षिता पड़ती है, शुरू किये जाते हैं। कर्मचारी द्वारा किसी स्थायी रेल कर्मचारी से निर्धारित फार्म में अमानत—इकरारनामा प्रस्तुत किये जाने के मामले में वर्तमान नियमों में सेवानिवृत्ति पर उपदान का तत्काल भुगतान कर दिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार जैसे ही कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, वैसे ही राजकीय रेलवे भविष्य निधि नियमों के अनुसार भुगतान भी देय हो जाता है। उस समयावधि, जिसके भीतर अर्जित छुट्टी (एल० ए० पी०) के बदले नकद राशि का भुगतान किया जाना होता है, के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुदेश विद्यमान नहीं है। लेकिन अधिवर्षिता पर रेल कर्मचारी के सेवा निवृत्त हो जाने पर यह देय हो जाती है। इस सम्बन्ध में उत्तर रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है। (अनुबन्ध "क")

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी० 3069/81]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांव में बाल भवन सुविधायें

3039. **श्रीमती संयोगिता राणे :**
श्री हीरालाल आर० परमार :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ गांवों में रहने वाले बच्चों को चित्रकारिता, गुड़िया बनाना, क्राफ्ट कार्य आदि सिखाने के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या गांवों में यह गतिविधियां "बाल भवन समिति (भारत)" द्वारा आयोजित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चित्रकला, गुड़िया बनाना, दस्तकारी आदि जैसे कार्यकलाप सामाजिक रूप से उपयोगी निर्माण कार्य तथा ललित कलाओं के अन्तर्गत शुरू किए जा सकते हैं, जो स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली में अनिवार्य विषय हैं।

(ख) और (ग) हालांकि, बालभवन सोसाइटी (भारत) सुविज्ञता तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था के जरिए देश के विभिन्न भागों के बाल भवनों की सहायता करने के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करती हैं, फिर भी, कुल मिलाकर, इसके कार्य व्याप दिल्ली तक ही सीमित है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। दूरवर्ती गांवों में इन सुविधाओं का विस्तार वित्तीय अभाव के कारण सम्भव नहीं हो पाया है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों/स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रायोजित ऐसे कई बाल भवन अथवा इनसे मिलती जुलती संस्थाएं हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज अध्यापकों के बकाया की अदायगी

3040. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेज अध्यापकों की चयन ग्रेड के कारण बकाया अदायगियां रिलीज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं जहां उक्त बकाया राशियां रिलीज कर दी गई हैं और उन कालेजों के नाम क्या हैं जिनमें अभी तक वे राशियां रिलीज नहीं की गई हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में बकाया राशियां किन तारीखों को रिलीज की गई और अन्य कालेजों के मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी अदायगियां कब तक रिलीज कर दी जायेंगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रवरण ग्रेडों की बकाया धनराशि की अदायगी के लिए अभी तक 33 महाविद्यालयों को अनुदान मुक्त किए जा चुके है।

(ख) और (ग) महाविद्यालयों के नाम और वे तारीखें, जब उन्हें अनुदान मुक्त किये गये थे, संलग्न विवरण-1 में दर्शायी गई हैं। उन महाविद्यालयों के नाम जिन्हें इस प्रयोजन के लिए

अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है और देरी के कारण संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। दिल्ली के बाकी महाविद्यालयों में प्रवरण ग्रेड के शिक्षक नहीं हैं।

(घ) सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण भेज दिए जाने पर अनुदान मुक्त किए जाएंगे।

विवरण-1

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	संस्वीकृति की तारीख
1	2	3
1.	आत्माराम सनातन धर्म कालेज	31-8-1981
2.	रामजस कालेज	3-12.1981
3.	रामलाल आनन्द कालेज (दिवा)	3-12-1981
4.	स्वामी श्रद्धानन्द कालेज	3-12-1981
5.	जाकिर हुसैन कालेज (दिवा)	3-12-1981
6.	हंसराज कालेज	28-11-1981
7.	जाकिर हुसैन कालेज (सायंकालीन)	21-11-1981
8.	इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज	21-8-1981
9.	एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज (दिवा)	27-8-1981
10.	दौलत राम कालेज	21-8-1981
11.	पी० जी० डी० ए० वी० कालेज (सायंकालीन)	30-11-1981
12.	श्रीराम कालेज आफ कामर्स	28-11-1981
13.	जानकी देवी महाविद्यालय	28-11-1981
14.	किरोड़ीमल कालेज	3-12-1981
15.	शिवाजी कालेज	3-12-1981
16.	भिरांडा हाऊस	21-8-1981
17.	मोतीलाल नेहरू कालेज (दिवा)	14-8-1981
18.	देशबन्धु कालेज (सायंकालीन)	2-12-1981
19.	भगत सिंह कालेज (दिवा)	3-12-1981
20.	हिन्दू कालेज	3-12-1981
21.	लेडी इर्विन कालेज	3-12-1981
22.	श्यामलाल कालेज (दिवा)	3-12-1981
23.	देशबन्धु कालेज (दिवा)	3-12-1981
24.	कमला नेहरू कालेज	3-12-1981
25.	श्री वेंकटेश्वर कालेज	5-12-1981
26.	दयाल सिंह कालेज (दिवा)	5-12-1981

1	2	3
27.	माता सुन्दरी कालेज	5-12-1981
28.	श्री अरविन्द कालेज	5-12-1981
29.	गार्गी कालेज	5-12-1981
30.	एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज (सायंकालीन)	5-12-1981
31.	इन्सटीट्यूट आफ होम इकोनामिक्स	5-12-1981
32.	लेडी श्रीराम कालेज	5-12-1981
33.	लक्ष्मीबाई कालेज	5-12-1981

विवरण-2

क्र० सं०	कालेज का नाम	अनुदान स्वीकृत न करने के कारण
1.	जेंसस ऐंड मैरी कालेज	महाविद्यालय द्वारा मांगी गई राशि बहुत अधिक है। गणना ठीक तरीके से नहीं की गई है। कालेज को विश्वविद्यालय के माध्यम से विस्तृत ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है।
2.	कालिन्दी कालेज	—वही—
3.	एस० पी० मुखर्जी कालेज	—वही—
4.	मोतीलाल नेहरू कालेज (सायंकालीन)	—वही—
5.	श्यामलाल (सायंकालीन) कालेज	—वही—
6.	पी० जी० डी० ए० वी० कालेज (दिवा)	महाविद्यालय ने उन शिक्षकों के नाम नहीं बताए हैं जिनको प्रवरण ग्रेड में रखा गया है। धनराशि के ना तो विस्तृत ब्यौरे निर्धारित प्रपत्र में दिये गये हैं। इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को पहले से ही सुचित कर दिया गया है।
7.	सेंट स्टीफन कालेज	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभी तक कोई दावा नहीं पेश किया गया है।
8.	दयाल सिंह कालेज (सायंकालीन)	
9.	मैत्रेयी कालेज	
10.	सत्यवती सह-शिक्षा कालेज (दिवा)	
11.	राजधानी कालेज	
12.	भगत सिंह कालेज (सायंकालीन)	

नहरुआ रोग का उन्मूलन करने के लिये सरकार द्वारा गठित कृतिक बल (टास्कफोर्स)

3041. **श्री माधवराय सिंधिया :**

डा० बसन्त कुमार पंडित :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने मध्य प्रदेश राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैले हुए नहरुआ (गुनिया वार्म) रोग का 1983 तक उन्मूलन करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां 1985 तक।

(ख) टास्क फोर्स ने इस रोग के उन्मूलन के लिये निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं :

1. स्थानिकमारी वाले गांवों/खंडों/जिलों का सही-सही सीमा निर्धारण करना।

2. पीने के पानी के संक्रमित स्रोतों का पता लगाना।

3. मौजूदा जल स्रोतों में परिवर्तन करके अथवा नये वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था करके साफ पानी उपलब्ध कराना।

4. कार्मिकों को जिवी-कृमि उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण देना तथा लोगों को बिना साफ किए पानी को छान तथा उबालकर पीने की शिक्षा देना।

इन सिफारिशों का कार्यान्वियन विभिन्न स्टेजों पर हो रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे के सत्हा जगत रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ियों का टकराना

3042. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री एन० ई० होरो :

श्री धर्मवीर सिंहा :

श्री निहाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परिस्थितियों का ब्योरा क्या है जिनके अन्तर्गत उत्तर-पूर्व रेलवे के समस्तीपुर बरौनी सेक्शन पर सत्हा ज़गत रेलवे स्टेशन पर 12 नवम्बर, 1981 के दो यात्री गाड़ियों में टक्कर हो गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि दोनों गाड़ियों के ड्राईवरों ने अपनी गाड़ियों छोड़ दी थीं और भाग गये थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है;

(घ) हताहत होने वालों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कितना मुआवजा अदा किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) सरकार का यात्रियों के जान और माल की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 12-11-81 को लगभग 4.20 बजे जब 45 डाउन समस्तीपुर-दानापुरा एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के साथ जगत स्टेशन की लाइन नं० 1 पर खड़ी थी, सवारी गाड़ी नं० 329 अपने उसी लाइन से स्टेशन में प्रवेश किया और 45 डाउन एक्सप्रेस के साथ आ टकरायी।

(ख) और (ग) 329 अप सवारी गाड़ी के चालक और फायरमैन ने दुर्घटना के बाद अपनी गाड़ी छोड दी, लेकिन वे जांच-पड़ताल में अपना साक्ष्य देने के लिए आये। उन दोनों को निलम्बित कर दिया गया है।

(घ) इस दुर्घटना में 7 व्यक्ति मारे गये, 14 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए और 27 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

(ङ) रेल संरक्षा आयुक्त, गोरखपुर ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके द्वारा अनन्तिम रूप से पता लगाये गये तथ्यों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(च) चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं के लिए अकेला सबसे बड़ा कारण है, रेलों पर संरक्षा संगठन एक पुनर्नवीकृत अभियान में लग गये हैं जिसके अनुसार वे गाड़ियों के चालन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति और अधिक जागरुकता तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव तरीके न अपनाएं जिनसे दुर्घटना होने की संभावना हो। गाड़ियों के परीक्षण और सवारी एवं माल डिपुओं में मौके पर जांचों में गहनता लायी गयी है। रेलपथ के समुचित अनुरक्षण की और अधिक ध्यान दिखा जा रहा है। मानवीय तत्व पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों और रेल पटरियों, धुरा-कांउन्टरों, रेलपथ-परिपथन आदि की पराश्रव्य विधि द्वारा जांच करने के लिए दोषों का पता लगाने वाले यंत्रों जैसे परिष्कृत यंत्रों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

डीजल और बिजली रेल इंजनों में फ्लैशर बत्तियां लगायी गयी हैं। किसी गाड़ी की दुर्घटना होने पर इन फ्लैशर बत्तियों को जला दिया जाता है ताकि दूसरी ओर से आने वाली गड़ियों को रोकने के लिए चालक को चेतावनी दी जा सके। इससे पटरी से उतरी गाड़ी से दूसरी आने वाली गाड़ी की टक्कर के अवसर समाप्त हो जाते हैं। श्वास विश्लेषक जांच भी शुरू कर दी गयी है ताकि यह देखा जा सके कि कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर तो नहीं आते।

यह देखने के लिए कि चल-स्टाक और रेलपथ के अनुरक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाता है। रेलवे बोर्ड की ओर से एक विशेष संरक्षा दल रेलों पर घूम रहा है जो इस बात की जांच करता है कि रोजमर्रा के कार्यों में संरक्षा के नियमों का पालन किया जाता है। रेलों पर भी इसी प्रकार के दलों का गठन किया गया है ताकि अधिक गहराई से निरीक्षण किया जा सके और वे महाप्रबंधकों को सूचित कर सकें जिससे तत्काल निवारक कार्रवाई की जा सके।

इराक में भारतीयों का युद्ध बीमा

3043. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक में भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या युद्ध में जखमी होने अथवा मारे जाने की स्थिति में उनको इराक सरकार से कोई मुआवजा मिलता है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों के "युद्ध बीमा" का प्रश्न इराक सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय करीब 35,000 भारतीय नागरिक इराक में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) युद्ध की जोखिम के बीमा के सवाल को हाल ही में भारत-इराक संयुक्त आयोग की बैठक में सरकार ने उठाया था। इराकी पक्ष ने बताया था कि विदेशी कामगारों का (30,000 डालर प्रति व्यक्ति) और विदेशी विशेषज्ञों का (60,000 डालर प्रति व्यक्ति) तक का युद्ध जोखिम बीमा करवाया जाएगा।

सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय सैक्शन पर विद्युतीकरण

3044. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पूर्वी रेलवे के सीतारामपुर-पटना मुगलसराय सैक्शन के विद्युतीकरण को कम प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1981-82 में इस खंड को एक अनुमोदित कार्य के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन चूंकि अन्य उच्च घनत्व वाले ट्रंक मार्गों के विद्युतीकरण के काम को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी गयी है, इसलिए छठी योजना में इसे पूरा करना संभव न हो सकेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाड 1982 देखने आने वाले लोगों के लिए स्टेडियम के निकट चिकित्सा सुविधायें

3045. **श्री निहाल सिह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड-82 देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए स्टेडियम के निकट तत्काल चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर किये जाने वाले व्यय का अनुमान क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। स्टेडियम के बाह्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए लगभग 3.5 लाख रुपये तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं से सम्बन्धित अन्य प्रबन्धों पर लगभग 40.22 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है।

कालेज तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3046. **श्री मनमोहन टडू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों कालिज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमान 1973 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1981-82 के दौरान उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह मार्गदर्शी निर्देश देने का है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अधीन काम करने वाले अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान एक ही रखे जायें; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर, 1974 में राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिए कुछ परिशोधित वेतनमानों पर विचार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए भेजा था, इन परिशोधित वेतनमानों को 1-1-1973 अथवा इसके बाद की तारीख से लागू करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की भी पेशकश की गई थी। अधिकांश राज्यों ने इन परिशोधित वेतनमानों को 1973 और 1977 के बीच विभिन्न तारीखों से लागू कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को अपनाने से विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्राध्यापकों के वेतनमानों में लगभग व्यावहारिक एकरूपता आई है। तथापि, जम्मू और काश्मीर और कर्नाटक सरकारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को केवल विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए ही अपनाया है, जबकि केरल सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को अपनाने का निर्णय चूंकि पूर्णतया राज्य सरकारों के विवेक पर है, अतः मन्त्रालय का इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई नई मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

पुणे/नासिक तक के लिए स्थान का आरक्षण

3047. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, मध्य रेलवे, बम्बई वी० टी० को कल्याण के यात्रियों के लिए पुणे/नासिक तक स्थान के आरक्षण के लिए दिनांक 11 मई, 1981 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) इस ज्ञापन में उसके समर्थन में क्या विशेष सुझाव तथा तर्क दिए गये हैं;

(ग) रेलवे अधिकारियों ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। लेकिन श्री महालगी, संसद सदस्य के पत्र के साथ संलग्न मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, मध्य रेलवे को सम्बोधित श्री शरद वासुदेव मौने के दिनांक 11-5-1981 के पत्र की एक प्रतिलिपि 5-11-81 को प्राप्त हुई थी।

(ख) से (घ) ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया था कि 307 डाउन बम्बई-पुणे डेकन एक्सप्रेस/3: 9 डाउन बम्बई-पुणे-सिंहगढ़ एक्सप्रेस और 201 डाउन बम्बई-मनमाड-पंचवटी एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे का एक-एक सवारी डिब्बा केवल उन यात्रियों के इस्तेमाल के लिए रख छोड़ा गया जो कल्याण में इन गाड़ियों में चढ़ते हैं। कल्याण एक उपनगरीय स्टेशन है और इन गाड़ियों से सफर करने के इच्छुक यात्री आसानी से स्थान का आरक्षण बम्बई वी० टी० में करा सकते हैं।

विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली नगर निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा रियायत

3048. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में विकलांग यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा रियायत देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने विकलांग यात्रियों को यह कहने के लिए कोई उपबंध किया है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय वे अपना विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाएं; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाए जाने के उपबंध को वापस लेने के लिए क्या प्रयास किए हैं क्योंकि उनको आसानी से पहचाना जा सकता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विकलांगों को नि:शुल्क यात्रा करने की व्यवस्था की गई है जो हर मामले में समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रमाणीकृत किए जाने पर निर्भर करती है। नेत्रहीन व्यक्ति के साथ उसकी सहायता के लिए चलने वाले व्यक्ति को किराये में 50% की रियायत दी जाती है।

लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में बाधा

3049. **श्री जैनुल बशर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नेशनल हैराल्ड दिनांक 7 नवम्बर, 1981 में "ट्रैफिक जाम्स एट नेशनल हाईवे" (राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में बाधा) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार में उल्लिखित लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और यह राज्य की सड़क है। यह समाचार राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

वर्दवान और आसनसोल के बीच के स्टेशनों पर फेरी वालों की समस्यायें

3050. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्दमान और आसनसोल के बीच के स्टेशनों पर फेरी वालों की

समस्याओं का पता है जिनको रेलवे कर्मचारियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ परेशान किया जाता है और जुर्माना किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो फेरी वालों को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में अनधिकृत रूप से फेरी लगाना मना है । गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर अनधिकृत फेरी वालों के उत्पादन की रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है । स्टेशन परिसरों में फेरीवालों के प्रवेश को रोकने तथा स्टेशनों और गाड़ियों से उन्हें हटाने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों, रे० सु० द० और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से नियमित रूप से जांच की जाती है । उनके खिलाफ रेल अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है । जहां तक लाइसेंसशुदा वेंडरों का सम्बन्ध है, उन्हें परेशान किये जाने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में पर्यटकों के गैस्ट-हाऊसों का प्रयोग

3051. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शराब पीने के बाद हुए लड़ाई-झगड़े की जांच रिपोर्टों से इन शिकायतों की पुष्टि हुई है कि दिल्ली-हरियाणा सीमा पर वेश्यावृत्ति बढ़ रही है और इसके आसपास के क्षेत्र का वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार को देहली-हरियाणा बार्डर पर वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए कोई विशेष रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई है ।

"पैलेस आफ व्हील्स"

3052. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पैलेस आफ व्हील्स" नामक नई गाड़ी चलाने का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां. तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) उक्त गाड़ी कब से चलने लगेगी;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी कई गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें कितना समय लगेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क(से (ङ) रेल मन्त्रालय द्वारा 26 जनवरी, 1982 से, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की साझेदारी में 124 पर्यटकों की क्षमता वाली सैलूनों से युक्त एक विशेष पर्यटक गाड़ी चलायी जा रही है। यह गाड़ी दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली के बीच सात दिन के एक निश्चित यात्राक्रम के अनुसार चलेगी। दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली के बीच इसका दो दिन का अल्पकालिक यात्राक्रम भी होगा। यह गाड़ी मुख्यत: विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करेगी। इस गाड़ी के चलाने से जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, चरणबद्ध आधार पर अन्य राज्यों के लिए इसी तरह की परियोजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

विदेश मंत्री का मलेशिया का दौरा

3053. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 9 अक्तूबर, 1981 को मलेशिया का दौरा किया था और मलेशियाई नेताओं से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) कुआलालम्पुर में मेरी जो बातचीत हुई उससे यह प्रकट हुआ कि अधिकांश द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत और मलेशिया के बीच व्यापक मतैक्य है, इस बातचीत में दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ के आर्थिक और औद्योगिक सहयोग की आवश्यकता और उसकी परिधि बढ़ाने पर बल दिया गया।

गूटी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल

3054. **श्री के० ए० राजन् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूटी रेलवे स्टेशन पर स्थित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में सातवीं कक्षा से आगे कक्षाएं आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो स्कूल का दर्जा बढ़ाने हेतु श्रमिकों की मांग के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्लाण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सातवे दर्जे को मिलाकर अपर प्राइमरी स्कूल में गूटी के रेलवे प्राइमरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) का अपग्रेड करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय रेल प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

दक्षिण रेलवे पर बनियमबाड़ी रेल दुर्घटना

3055. **श्री ए० नीलालोहियादासन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में वनियमबाड़ी रेल दुर्घटना कब हुई थी;

(ख) दुर्घटना के कारण कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को कोई सहायता दी है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने व्यक्ति घायल हुए और क्या सरकार ने उन्हें कोई मुआवजा दिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दुर्घटना के बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह दुर्घटना 11-2-81 को केतांडपट्टी और वाणियमवाडि स्टेशनों के बीच हुई थी।

(ख) से (घ) इस दुर्घटना में 24 व्यक्ति मारे गये, 20 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं और 46 को मामूली चोटें आयीं।

घायल व्यक्तियों को और मृतकों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह-राशि के रूप में 85,500 रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, 34 घायल व्यक्तियों को तथा 4 मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में अभी तक 3,42,323 रुपये की राशि भी दी गई है।

(ङ) और (च) जी हां। रेल संरक्षा आयुक्त, बंगलूर के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी। दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मुकदमा चला रही है।

माल यातायात का लक्ष्य

3056. **आचार्य भगवान देव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेलगाड़ियों से माल यातायात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) चालू वर्ष में माल यातायात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा कितने माल की ढुलाई की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, अप्रैल से अक्तूबर, 1981 तक के दौरान ढोया गया प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात 176.9 लाख टन अधिक है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान 2150 लाख टन प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । आशा है कि लक्ष्य से अधिक ढुलाई की जायेगी ।

एम० सी० सी० क्रिकेट टीम द्वारा आश्वासन

3057. **श्री सुन्दर शर्मा :**

श्री जैनुल बशर :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान यह आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेलेंगे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि इंग्लैंड के टेस्ट एण्ड काउन्टी क्रिकेट बोर्ड ने सूचित किया है कि वे दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि दौरों की अनुमति नहीं देते हैं, कि वे रंगभेद का विशिष्ट रूप से विरोध करते हैं और कि उनका उद्देश्य विश्वभर में बहु-जातीय क्रिकेट को प्रोत्साहित करना है । टेस्ट एण्ड काउन्टी क्रिकेट बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभी क्रिकेट खिलाड़ियों को यह विशिष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि यदि उनमें से कोई दक्षिण अफ्रीका में कोई अन्तराष्ट्रीय या प्रतिनिधिक मैच खेलेगा तो वह इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपात्र हो जाएगा और कि यह नियम आजकल लागू है तथा आगे भी लागू रहेगा ।

दिल्ली में सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण

3058. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डेय :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सीनियर-सैकेण्डरी स्कूलों में गत 4-5 वर्षों से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने छात्रों को भिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) अन्य स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की यह योजना आरम्भ करने तथा उसके लिये नियमित अध्यापक नियुक्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य- विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । दिल्ली के स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र, 1977-78 से शुरू किया गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों की व्यवसाय-वार संख्या नीचे दी गई है :

व्यवसाय	कक्षा XI	कक्षा XII
1. आशुलिपि	121	93
2. टंकण	167	108
3. लेखा-परीक्षा तथा एकाउण्टेन्सी	227	141
4. कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय पद्धति	96	57
5. पोशाक डिजाइन तथा बनाना	38	17
6. वस्त्र तथा डिजाइन	27	26
7. ओप्थालमिक्र तकनीकी	16	15
8. स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौन्दर्य वृद्धि	15	10

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अन्शकालिक शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

(घ) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अधीन 17 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना 1977-78 में शुरू की गई थी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला कम होता जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप इन पाठ्यक्रमों वाले स्कूलों की संख्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में कम करके 13 कर दी गई है। दाखिला कम होने के कारणों का मूल्यांकन करने और दाखिला में सुधार लाने के तरीकों की जांच करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा व्यापक समीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन तदर्थ आधार पर कार्यरत डाक्टर तथा उनका नियमित किया जाना

3059. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कुल कितने डाक्टर तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने डाक्टर अलग-अलग पांच वर्षों और 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत डाक्टरों की तदर्थ नियुक्ति को नियमित करने के बारे में सरकार की क्या नीति हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे डाक्टरों की कुल संख्या 131 है।

(ख) 79 डाक्टर पांच वर्षों से अधिक समय से तथा 12 डाक्टर दस वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। शेष डाक्टर पांच वर्षों से कम समय से काम कर रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमित चिकित्सा अधिकारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के काडर में शामिल किया जाता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नियमावली के अन्तर्गत तदर्थ डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में तब तक शामिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है जब तक वे संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं कर लिये जाते। डाक्टरों को उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के वक्त ही यह बता दिया गया था कि उनकी तदर्थ नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियमित आधार पर शामिल होने या इसका दावा करने के कोई अधिकार नहीं मिल जायेगा।

विद्यालयों में कार्यरत श्रेणी 3 के कर्मचारियों की दक्षता रोक के बाकी पड़े मामले

3060. **श्री शिबू सोरन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के वैस्ट जोन के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्य कर रहे तीसरे श्रेणी के कर्मचारियों की दक्षता रोक के बड़ी संख्या में मामलों का बहुत समय से निपटान नहीं किया गया विशेषकर जबकि सभी आवयकतायें पूरी हो गई हैं तथा सभी औपचारिकतायें पूरी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके मामले 1 जनवरी, 1980 से आज तक अनिर्णीत पड़ें हैं;

(ग) उनके मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं क्योंकि इससे उन कर्मचारियों के मनोबल और कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) क्या इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो उन मामलों को कब तक निपटाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 25.8.1981 की स्थिति के अनुसार ऐसे 1053 मामले अनिर्णीत पड़े हुए थे। इनमें से 839 मामले 30.11.1981 तक निपटा दिये गये हैं।

(ख) कुल 214 मामले अनिर्णीत पड़ हुए हैं। 130 मामले 1.1.1980 से अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

(ग) वार्षिक चरित्र पंजियां तथा सतर्कता रिपोर्ट न होने के कारण मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

(घ) दक्षता रोध के मामलों को निपटाने को अधिकार जिला उप-निदेशकों को सौंप दिये गए हैं। आशा है कि अनिर्णीत मामलों को शीघ्र ही निपटा दिया जायेगा।

मयूर विहार के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सेवा

3061. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्तियों ने दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धों का ध्यान मयूर विहार के लिये अपर्याप्त बस सेवा की ओर दिलाया है जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण के बड़ी संख्या में फ्लैट हैं;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में बस सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) बस सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन औन परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिलोकपुरी और मन्दिर मार्ग के बीच रूट नं० 327 पर एक और सर्विस 21.9.81 से शुरू की गयी थी। इसके अलावा, पटपरगंज दिल्ली परिवहन डिपो और इन्कम टैक्स आफिस के बीच चलने वाली सर्विस को आगे बढ़ा दिया गया था जिससे मयूर विहार और कनाट सर्कस (स्टेट्समैन) के यात्रियों की आवश्यकता पूरी की जा सके। आफिस जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिये मयूर विहार से सेंट्रल सेक्रेटरियट तक पूर्वाह्न में दो स्पेशल ट्रिप शुरू किये गये हैं, पहला 8.45 बजे और दूसरा 9.15 बजे।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

मयूर विहार और त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3062. **श्री ईरा अनबरासु :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के दौरान प्रीत विहार में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का विचार था;

(ख) क्या स्थानीय लोगों के विरोध के कारण विद्यालय नहीं खोला गया;

(ग) क्या मयूर विहार और त्रिलोकपुरी में तथा उसके आसपास लगभग 20,000 डी० डी० ए० मकान होंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों के हित में, जिनमें से अधिकांश केन्द्रीय सरकार के और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी हैं, मयूर विहार-त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली के पास केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। तथापि, स्कूल नजदीक ही किसी अन्य स्थान पर शुरू किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मयूर विहार और त्रिलोकपुरी की कालोनियों में, जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी, लगभग 15,000 मकान होंगे।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली/नई दिल्ली से चलने वाली तीव्रगति की रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

3063. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और हावड़ा के लिये राजधानी एक्सप्रेस, कालका मेल, के० के० एक्सप्रेस, डिलक्स जैसी तीव्रगामी रेलगाड़ियां गत एक वर्ष के दौरान कितनी बार दिल्ली/नई दिल्ली से देर से चलीं;

(ख) हावड़ा के लिए 82 ए० सी० एक्सप्रेस दिनांक 6 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली से देर से क्यों चली; और

(ग) इन तीव्रगामी रेलगाड़ियों की समय की पाबन्दी रखने के लिए सरकार का क्या विशेष प्रयत्न करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बम्बई और हावड़ा के लिए राजधानी एक्सप्रेस, कालका मेल, के० के० एक्सप्रेस, वातानुकूल एक्सप्रेस गत एक वर्ष के दौरान जितने दिन देर से चली, उसकी संख्या नीचे दी गयी है—

गाड़ी संख्या और विवरण	जितने दिन देर से चली
152 नयी दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस	10
102 नयी दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस	16
126 नयी दिल्ली-बेंगलूर/तिरुवनन्तपुरम के० के० एक्सप्रेस	21
104 नयी दिल्ली-हावड़ा वातानुकूल एक्सप्रेस	26
12 नयी दिल्ली-हावड़ा कालका मेल	40
2 डाउन दिल्ली-हावड़ा कालका मेल	57
26 नयी दिल्ली-बम्बई वातानुकूल एक्सप्रेस	134

(ख) 82 वातानुकूल एक्सप्रेस 6.11.81 को नयी दिल्ली से 45 मिनट देर से छूटी थी जिसका कारण यह था कि इलाहाबाद मंडल में पटरियों में दरार पड़ने के कारण हावड़ा से उसका सम्पर्क रेक देरी से पहुँचा था।

(ग) सवारी गाड़ियों की समय पाबन्दी पर सभी स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है और गाड़ियों के चालने में सुधार लाने के लिए विभिन्न परिहार्य कारणों, जैसे दुर्घटनाओं, चल स्टाक में खराबी, आदि को दूर करके जोरदार प्रयास किया जा रहा है। समय पाबन्दी में गिरावट आने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उनके विरुद्ध ठोस और शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप काटने की घटनाओं और बदमाशों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाये रखा जा रहा है।

विदेश सेवा निरीक्षणालय का उत्तरदायित्व

3064. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति के आठवें प्रतिवेदन (1980-81) के पैरा 1.8 से 1.11 के अनुसार विदेश सेवा निरीक्षणालय के कृत्य तथा उत्तरदायित्व को पुन: परिभाषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। प्राक्ललन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विदेश सेवा निरीक्षणालय का एक मुख्य उद्देश्य मिशनों के कार्य का राजनैतिक, आर्थिक, कोंसली और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समग्र मूल्यांकन करना और यह देखना है कि सार्वजनिक सम्बन्धों में उन्हें कहां तक सफलता मिली है। मूल्यांकन करते समय यह निरीक्षणालय मिशन के प्रत्येक अधिकारी के कार्य को देखेगा।

(ख) जिन मिशनों का निरीक्षण किया जा रहा है उन्हें विदेश सेवा निरीक्षणालय के नये व्यापक उद्देश्यों के बारे में सूचित किया जा रहा है। निरीक्षक की संदर्भ की संशोधित शर्तों के अनुसार अपना अध्ययन करना होता है और कार्यान्वियन के लिए सरकार से उपयुक्त सिफारिश करनी होती है।

लेकिन मौके पर जाकर निरीक्षण किये बिना भत्ते और वेतनमान आदि नियत करने के वैकल्पिक तरीके तैयार करने के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। लेकिन वित्तीय कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र सूचकांक पर आधारित पद्धति अपनाना अभी तक संभव नहीं हो सका है जिससे कि इनमें स्वत: वृद्धि होती रहे। इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि कोई उपयुक्त और व्यवहार्य पद्धति विकसित की जा सके।

संसद सदस्यों के लिये रिटाइरिंग रूम तथा विश्राम गृहों का शुल्क

3065. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के रिटाइरिंग रूम तथा विश्राम गृहों में रेलवे अधिकारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता अथवा मामूली शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि यह सुविधा संसद सदस्यों को उपलब्ध नहीं है जबकि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी विश्राम गृहों को संसद सदस्यों को उन्ही शर्तों पर उपलब्ध कराया जाता है जिन पर वे उनके अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार रेलवे रिटाइरिंग रूम तथा विश्राम गृहों को भी निःशुल्क अथवा मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, जब वे अपने मुख्यालय से दूर ड्यूटी पर होते हैं ।

(ख) जी हां, उस समय जब उनका दौरा रेलवे के कार्य से संबंधित नहीं होता है ।

(ग) जी नहीं ।

माल डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य

3066. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में माल डिब्बों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) मांग की तुलना में कितनी कमी रही;

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति क्यों नहीं हुई; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में गत पांच वर्षों के दौरान माल डिब्बों के उत्पादन में आयी गिरावट के साथ-साथ माल डिब्बों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(आंकड़े चोपहियों के हिसाब से)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन	गिरावट
1976-77	9,200	11,981	+ 2781
1977-78	13,000	12,166	— 834
1978-79	12,475	12,022	— 453
1979-80	13,000	10,827	— 2173
1980-81	13,000	12,064	— 936

(ग) उत्पादन में गिरावट आने का मुख्य कारण कुछ यूनिटों में बिजली की कटौती और श्रमिक अशान्ति है।

(घ) राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और बिजली/श्रमिकों की समस्या को दुरुस्त करें और परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान उत्पादन का रुख आशाजनक रहा है। अप्रैल से सितम्बर, 1981 की अवधि में वास्तविक उत्पादन चौपहियों के हिसाब से 8288 माल डिब्बे रहा जब कि गत वर्ष इसी अवधि में चोपहियों के हिसाब से 5327 माल डिब्बों का उत्पादन हुआ था यानि 55.58 प्रतिशत उत्पादन अधिक हुआ।

दिल्ली के कालेजों के शासी निकाय

3067. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सरकारी कालेजों के नाम क्या हैं जिनके शासी निकायों का गठन प्रशासन द्वारा गत अथवा चालू महीने में किया गया है;

(ख) शासी निकायों के सदस्यों के कालेज-वार नाम क्या हैं तथा उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) कुल सदस्यों में शिक्षाविदों की संख्या कितनी है; और

(घ) शेष सदस्यों को किस आधार पर नामजद किया गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित 15 कालेजों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3070/81]

(ख) इन कालेजों के शासी निकायों के सदस्यों के नाम, जिनका हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन किया गया था, उनके ब्योरों सहित, संलग्न विवरण में प्रत्येक कालेज के नाम के सामने दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार इन मनोनीत व्यक्तियों में से 5% का दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त प्रोफेसरों, सेवानिवृत्त जजों, एडवोकेट, पत्रकारों और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्रियों में से तैयार किए गए एक पैनल में से चयन करना होता है। शेष 50% व्यक्तियों के नाम दिल्ली प्रशासन द्वारा इस पैनल के बाहर से अपने विवेक पर सुझाए जाते हैं।

मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि० इलाहाबाद

3068. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रेलवे साइकिल स्टेण्ड कर्मचारी श्रम सम्विदा सहकारी समिति लि०,

इलाहाबाद के कार्यकरण को, जिसके पास इलाहाबाद में माल चढ़ाने-उतारने का ठेका है, डिवीजनल रेलवे मैनेजर, इलाहाबाद द्वारा नितान्त असन्तोषजनक घोषित किया गया था;

(ख) क्या उस समिति को करार की क्लाज 30 के अधीन 18 दिसम्बर, 1980 को समाप्ति नोटिस दे दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो जुर्माना करके, कारण बताओ नोटिस देकर और अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के द्वारा 5 जून, 1979 से 4 जून, 1981 तक की ठेका अवधि के दौरान महीनेवार अलग-अलग विलम्ब शुल्क वसूल करने के लिए दिये गये दण्डों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस समिति को सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा किस तिथि को पंजीकृत किया गया था तथा रेलवे द्वारा उस समिति की सत्यता की किस तिथि की जांच की गई थी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद का काम सन्तोषजनक नहीं समझा गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) इस समिति का पंजीकरण 19-5-78 को हुआ था और इसकी सदाशयिता का सत्यापन 30-10-78 को हुआ था ।

विवरण

(1) 18-8-1980 को 100 रु० का एक दण्ड ।

(2) अपने कार्य में सुधार लाने के लिए 15-11-80 को चेतावनी ।

(3) 500 रु० का दण्ड लगाने के लिए 23-5-81 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । समिति ने इसका उत्तर नहीं दिया और 5-7-81 से अपना कार्य बन्द कर दिया ।

(4) 5-6-79 से 4-6-81 तक लगाया गया महीने-वार विलम्ब शुल्क इस प्रकार है :

महीना	लगाया गया विलम्ब शुल्क रु०
1	2
जून 79	330.50
जुलाई 79	87.00
	638.00
अगस्त 79	486.50

1	2
सितम्बर 79	81.00
	128.00
अक्तूबर 79	202.00
नवम्बर 79	302.50
	277.00
दिसम्बर 79	82.00
	165.50
जनवरी 80	420.00
फरवरी 80	389.00
मार्च 80	387.50
	545.00
अप्रैल 80	285.00
मई 80	1237.00
	479.50
जून 80	2640.00
	479.50
जुलाई 80	1253.25
अगस्त 80	2329.75
सितम्बर 80	598.00
अक्तूबर 80	1514.50
नवम्बर 80	536.00
दिसम्बर 80	210.00
जनवरी 81	—
फरवरी 81	—
मार्च 81	217.00
अप्रैल 81	808.00
मई 81	3781.00
जून 81	5181.50

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा परामर्श कार्य

3069. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को किन नियमों के अन्तर्गत बाह्य संगठनों को परामर्श देने की अनुमति दी जाती है तथा इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने अध्यापक वास्तव में इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज ने इन नियमों का पालन करने से इन्कार कर दिया है तथा यह अपने अध्यापकों को परामर्श करने की अनुमति नहीं दे रहा है; और

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले में विश्वविद्यालय के कालेज में अपने नियमों को लागू कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों को परामर्श कार्य करने की अनुमति है। ऐसी अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में यह व्यवस्था है कि अध्यापकों के सामान्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये और अध्यापक अपने पारिश्रमिक में से 400 रुपए तक अपने पास रख सकता है। उन मामलों में जहां पारिश्रमिक 400 रुपए से अधिक हो तो अधिक राशि का एक तिहाई विश्वविद्यालय में जमा किया जाना चाहिये। इस समय केवल एक विश्वविद्यालय अध्यापक ही इस सुविधा का लाभ उठा रहा है।

(ख) विश्वविद्यालय के पास ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्राचार पाठ्यक्रम कालेज, दिल्ली द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति का वापस दिया जाना

3070. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा स्कूल ने उन छात्रों को पुस्तकालय की प्रतिभूत राशि नहीं लौटाई है जिन्होंने 1979 में बी० ए० की परीक्षा पास कर ली थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उन्हें स्कूल किस तिथि तक यह राशि लौटा देगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार

छात्रों को पुस्तकालय जमानत की वापसी स्वमेव नहीं होती बल्कि उनके द्वारा कुछ औपचारिकताओं को जैसे कि सदस्यता कार्डों, रीडर्स कार्डों की वापसी और बकाया शुल्क की अदायदी, यदि कोई हो, पूरा करने के बाद होती है। इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद राशि वापस कर दी जाती है।

कानपुर में पार्सल "हैण्डलिंग" ठेका

3071. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में आने वाले सभी पार्सलों को हैण्डिल करने के लिये (छांटने के लिये) "नैगोसियेशन कमेटी" ने 1 अगस्त, 1981 से प्रतिदिन एक सौ इकतालिस श्रमिकों की संख्या उपयुक्त बताई तथा इसकी सिफारिश की थी;

(ख) क्या उपर्युक्त संख्या के अतिरिक्त विश्राम दिलाने वाले श्रमिकों के रूप में 235 श्रमिकों की और मन्जूरी दी थी;

(ग) यदि हां, तो कानपुर में "पार्सल हैण्डलिंग" ठेके के आवंटन का निर्णय करने के लिये रेलवे द्वारा नियुक्त की गई टेंडर कमेटी ने यह निष्कर्ष किस प्रकार निकाला कि कानपुर में केवल 130 श्रमिकों द्वारा ही कार्य सम्भाला जा सकता है; और

(घ) क्या इलाहाबाद में कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तुलना में कार्य बहुत अधिक हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अनुमानत: 23.5 व्यक्तियों को रेस्ट गिवर के रूप में आवश्यकता थी।

(ग) कानपुर में पार्सल सम्हलाई ठेके के लिए गठित निविदा समिति ने सम्बद्ध कारकों के बारे में विचार किया है, जिनमें पिछले अवसरों पर रेल विभाग और ठेकेदार काम पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या, अग्रता आदि शामिल हैं।

(घ) जी नहीं।

महाप्रबन्धक तथा चीफ पब्लिक रिलेशन आफिसर के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या

3072. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की सभी नौ जोनों के महाप्रबन्धकों तथा चीफ पब्लिक रिलेशन आफिसरों का ब्यौरा क्या है; तथा उनके सरकारी पते क्या हैं; और

(ख) उन अधिकारियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का संख्या कितनी है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति को समुदायों का सदस्य नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	महाप्रबन्धकों का ब्योरा	मुख्य जनसम्पर्क अधिकारियों का ब्योरा
1	2	3
1.	श्री टी० एन० रामचन्द्रन, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के एक अधिकारी महाप्रबन्धक, मध्य रेलवे, बम्बई वी० टी०	श्री एच० के० बाखरू, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मध्य रेलवे, बम्बई वी० टी०
2.	श्री आर० 'ी० सिंह, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी। महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे, 17 ताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता।	श्री बी० दास गुप्ता, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी। मुख्य संपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे 14-16 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता-1
3.	श्री दिलराज सिंह, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के एक अधिकारी उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस नयी दिल्ली में महाप्रबन्धक का कार्यभार देख रहे हैं।	श्री एन० एन० वासुदेव, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर रेलने, स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली।
4.	श्री सी० के० स्वामीनाथन, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।	श्री जी० एन० श्रीवास्तव, जनसम्पर्क अधिकारी, इस रेलवे में कोई मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी नहीं है। महाप्रबन्धक का कार्यालय, गोरखपुर।
5.	श्री के० टी० वी० राघवन, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के एक अधिकारी महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पांडु, गुवाहाटी।	श्री एस० के० दास, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पांडु, गुवाहाटी।

1	2	3
6.	श्री वर्गीस अनवर, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के एक अधिकारी । महाप्रबन्क, दक्षिण रेलवे, मद्रास ।	श्री एन० राजन कुट्टी, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी । मुख्य जनपम्पर्क अधिकारी, दक्षिण रेलवे मद्रास ।
7.	श्री शमशेर सिंह, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के एक अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे सिकन्दराबाद में महाप्रबन्धक के पद का कार्यभार देख रहे हैं ।	श्री एम० एम० फारुकी, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी । मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद ।
8.	श्री पी० ए० पै, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी । महाप्रबन्धक, दक्षिण-पूर्व रेलवे, गार्डनरीच, कलकत्ता ।	श्री एस० के० गुप्ता, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी । मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, दक्षिण-पूर्व रेलवे, गार्डनरीच, कलकत्ता ।
9.	श्री के० पी० रामलिंगम, भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा के एक अधिकारी । पश्चिमी रेलवे, चर्चगेट बम्बई में महाप्रबन्धक का कार्यभार देख रहे हैं ।	श्री बी० एन० जेतनी, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी । मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, बम्बई ।

रूट संख्या 230 पर अनियमित बस सेवा

3073. **श्री काजी सलीम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूट संख्या 230 पर बस सेवा अनियमित होने के कारण लाहौरी गेट, श्रद्धानन्द मार्ग आदि के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर आधे घंटे की सेवा के साथ नियमित सेवा आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) यह सर्विस अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टेशन और सेंट्रल सेक्रेटरिएट के बीच श्रद्धानन्द मार्ग होती हुई चलती है जहां घनी आबादी है। इसलिए इस रास्ते सर्विस में कोई और वृद्धि करना संभव नहीं है।

के० के० एक्सप्रेस का देर से पहुंचना

3074. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को के० के० एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लगातार विलम्ब से पहुँचने के रोग का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दुर्घटनाओं, चल स्टाक और सिगनल तथा दूर संचार उपस्करों में खराबी के कारण 125/126 के० के० एक्सप्रेस की समय पाबन्दी सन्तोषजनक नहीं रही है।

उसकी समय पाबन्दी में सुधार लाने की दृष्टि से सभी स्तरों पर इस गाड़ी के चालन पर निगरानी रखी जा रही है और इसके लिए विभिन्न परिहार्य कारणों जैसे दुर्घटनाओं, चल स्टाक में खराबी आदि को दूर करके जोरदार प्रयास किया जा रहा है। समय पाबन्दी में गिरावट आने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उनके विरुद्ध ठोस और शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में गबन

3075. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा इसके घटक एककों में धनराशि का गबन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कितनी राशि का गबन हुआ है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निम्नलिखित घटक एककों के बारे में धनराशि के गबन का पता चला है:

(1) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर।

(2) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर, और

(3) क्षेत्र सलाहकार कार्यालय, हैदराबाद।

इस विषय में ब्योरे निम्न प्रकार से हैं :

(1) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर

वर्ष 1978-79 से 1980-81 के दौरान 33,545.85 रु० की धनराशि का गबन अंतिम रूप से सिद्ध हो चुका है। 9,101.70 रु० की धनराशि का और गबन संदेहपूर्ण है क्योंकि किए गए भुगतान की स्पष्ट रसीदें कालेज के रिकार्डों में तत्काल न मिल सकीं।

इसके अलावा, 44,597.51 रु० की धनराशि का कालेज के खंजाची द्वारा दुरुपयोग किया गया था। यह धनराशि उसके द्वारा परिषद् को लौटा दी गई है। पुलिस में संबंधित खंजाची के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी और वह पकड़ा गया था और जमानत पर रिहा हो गया है। उसे निलंम्बित कर दिया गया है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(2) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर

छात्र परिषद् की ओर से कालेज प्राधिकारियों द्वारा रखे गए गैर-परिषद् से संबंधित 4,070 रु० की धनराशि के गबन का पता लगा है। गबन से संबंधित कागजात प्राथमिक स्तर पर सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को भेज दिए गए हैं।

(3) क्षेत्र-सलाहकार कार्यालय, हैदराबाद

विशेष प्रयोजन से संबंधित सामान की खरीद के लिए क्षेत्र सलाहकार द्वारा दिए गए खाली चैक का प्रयोग करते हुए क्षेत्र सलाहकरा कार्यालय के खंजाची द्वारा 20,000 रु० का गबन किया गया था। इसके पश्चात् संबंधित खजांची ने आत्महत्या कर ली। ड्यूटी से लापरवाही के लिए क्षेत्र सलाहकार को चार्जशीट दी गई है तथा एक जांच अधिकारी नियुक्ति कर दी गई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

जीवन रक्षक औषधियों के फार्मूलेशनों का वापस लिया जाना

3076. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के लिए निर्धारित जीवन रक्षक औषधियों के अनेक फार्मूलेशनों को शीघ्र ही वापस लिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह श्री वी० सी० सानी अध्यक्षता वाली उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक है जो उसने सरकार को अक्तूबर, 1981 में प्रस्तुत अपने हाल के अन्तरिम प्रतिवेदन में की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उप-समिति ने औषध कम्पनियों की 34 श्रेणियों की जांच की थी और यह महसूस किया कि उनमें से 23 के वितरण में कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो उप-समिति ने क्या अन्य सिफारिशें की है और सभी सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) औषधि परामर्शदात्री समिति ने, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को भारत भर में समान रूप में लागू करने के उद्देश्य से किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार. राज्य सरकारों और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड को सलाह देने के लिए इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक समिति है, 8 और 9 नवम्बर, 1979 की हुई अपनी बैठक में वी० सी० सानी, तत्काल आयुक्त, खाद्य और औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई की अध्यक्षता में एक उप-समिति नियुक्त की थी। इस उप-समिति को देश में बेचे जा रहे फार्मूलशनों के चिकित्सीय दृष्टि से युक्तिसंगत होने के बारे में जांच-पड़ताल करनी थी और जिन वर्गों के फार्मूलेशन युक्तिसंगत नहीं पाये जायें उनके बारे में सिफारिशें करनी थीं। इस उप-समिति ने फार्मूलेशनों की जांच-पड़ताल करने में विशेषज्ञों की मदद की। इस उप-समिति ने 34 वर्गों के निर्धारित खुराक वाले योगों की जांच की और प्रारम्भ में यह सिफारिश की कि इन योगों के 23 वर्गों के बेचे जाने का चिकित्सीय दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। इस उप-समिति की बम्बई में तीन बैठकें हुईं और उन्होंने देश में बेचे जा रहे असंगत और हानिकारक योगों की छटनी करने के बारे में सितम्बर, 1981 में औषधि नियंत्रक (भारत) को अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन अन्तिम सिफारिशों में औषधि योगों के 32 वर्गों को लिया गया था। इस उप-समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रशान्तक युक्त सभी योगों विशेष रूप से डायजीबाम की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। यह पुनरीक्षा औषधि परामर्शदात्री समिति की स्थायी समिति द्वारा की जाएगी। इस उप-समिति की सिफारिशों पर 19 अक्तूबर, 1981 को नई दिल्ली में हुई औषधि परामर्शदात्री समिति की विशेष बैठक में विचार किया गया। औषधि परामर्शदात्री समिति की ये सिफारिशें औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए एक तकनीकी सांविधिक निकाय है, के समक्ष रखी जाएंगी। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की यह बैठक 26 दिसम्बर, 1981 को होने वाली है।

'पैलेस ग्रान व्हील्स' नामक गाड़ी को प्रयोग के आधार पर चलाना

3077. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर-सोजत लाइन और बाद में जयपुर-दिल्ली लाइन पर परीक्षण करने से पहले ही अधिकारियों ने पर्यटन विभाग से परामर्श किये बिना 'पैलेस आन व्हील्स' गाड़ी को कुछ ही दिन प्रयोग के लिये उचित घोषित कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महज गाड़ी की तकनीकी क्रिया की जांच करने के लिए गाड़ी को चलाकर परीक्षण किया गया था। गाड़ी चलाकर परीक्षण करने के दौरान राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को भी, जयपुर में गाड़ी के निरीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गयी थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन द्वारा अध्यापकों के पदों का निर्धारण

3078. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री एस० बी० सिदलाल :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1 मई, 1981 से आरम्भ होने वाले वर्ष 1981-82 के लिये अक्तूबर, 1981 तक अध्यापकों के पद-निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप नियुक्तियां नहीं की जा सकीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1981-82 के लिए पद-निर्धारण के प्रस्ताव 31-8-1981 के विद्यमान दाखिला आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्ताव, जिला अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग को भेज दिए गये थे और उसके बाद वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई थी। इस प्रक्रिया में लगभग तीन महीने का समय लगा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के पद निर्धारण को नवम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह तक अन्तिम रूप दे दिया गया था।

बोतस्वाना के राष्ट्रपति की यात्रा

3079. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोतस्वाना के राष्ट्रपति ने इस वर्ष सितम्बर के दौरान भारत की यात्रा की थी और भारतीय नेताओं के साथ वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। बोतस्वाना के राष्ट्रपति डा० क्वेत के० जे० माजिरे ने 19 से 28 सितम्बर, 1981 तक भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय और द्वीपक्षीय मामलों पर भारतीय नेताओं से बातचीत की। यात्रा के अन्त में लघु उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग के सम्बन्ध में एक समझौता-ज्ञापन पर तथा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के एक करार पर हस्ताक्षर किए गये थे।

(ग) उक्त करारों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे के सम्पर्क में हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन विकास

3080. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए परिवहन विकास परियोजनायें निर्धारित कर ली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में रेल तथा सड़क परिवहन के विस्तार का ब्योरा क्या है :

(ग) इस क्षेत्र में जिस नए रेल सम्पर्क की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है उसका ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इस क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए और अधिक पुलों का निर्माण करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। रेल और सड़क परिवहन में विस्तार का ब्योरा नीचे लिखे के अनुसार है।

(1) **राष्ट्रीय राजमार्ग**—

(क) छटी योजना में पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लगभग 45 करोड़ रु० और 1-9-80 तक नये घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च के लिए 40 करोड़ रु० रखे गए हैं। इन सड़कों पर सुधार कार्य में सुदृढ़ या बगैर सुदृढ़ किए 141 कि० मी० तक के एक लेन वाले यान मार्ग को दो लेनों के यान मार्ग में चौड़ा करना, 198 कि०मी० तक मौजूदा दो लेन वाले यान मार्ग को सुदृढ़ करना, भारी यातायात वाले भाग में मोटर गाड़ियों के यातायात के योग्य सुधार करना, कमजोर और पुराने पुलों का पुन र्निर्माण और गुवाहाटी, दीपपुर (रा० राजमार्ग सं० 36) सड़क के 150 कि०मी० भाग का विकास करना शामिल है। जिसपर 12 करोड़ रु० खर्च होंगे।

(ख) **सामरिक सड़कें :** इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 900 कि० मी० तक सड़कों और 32 पुलों आदि के निर्माण की योजना बनाई गई है जिसकी लागत 29 करोड़ रु० है।

(ग) **सीमावर्ती सड़कें :** इस कार्यक्रम के अधीन 511 कि० मी० की सड़कों की योजना बनाई गई है जिसकी लागत लगभग 18 करोड़ रु० है। हाल ही में मेघालय बांगल देश सीमा के साथ-साथ बीच में छूटी हुई 4 छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण इस योजना के अधीन अनुमोदित किया गया है जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रु० है।

(घ) **उत्तर पूर्वी परिषद् स्कीमें :** छटी योजना में 149 करोड़ रु० की खर्च की व्यवस्था की गई है। तेजपुर के निकट ब्रह्मपुत्र पर पुल के निर्माण के अलावा 2600 कि० मी० तक नयी सड़कें बनाने की व्यवस्था है।

(ङ) **सीमा सड़क विकास मण्डल स्कीमें** : इसके तहत 7311 कि०मी० तक सडकों का सुधार/निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसमें से 6060 कि०मी० तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकि भाग में निर्माण कार्य जारी है। वर्ष 1980 तक 300 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं।

(2) रेलवे परियोजना

210 कि०मी० लम्बी 6 नयी रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया गया है जिसकी लागत लगभग 53 करोड़ रु० है। इसके अलावा 54 करोड़ रु० की लागत से नये ब्रह्मपुत्र गुवाहाटा खंड (157 कि०मी०) और 100 करोड़ रु० लागत से गुवाहाटी, डिब्रूगड़ (580 कि०मी०) खंड को बदलने की भी योजना बनाई गई है।

(ग) नये रेलवे लाइनों का ब्योरा इस प्रकार है :

1. गुवाहाटी वर्नोहट
2. भर्मनगर कुभेरघाट
3. बलोपाडा भातुकगड़
4. सिलचर जिरीवानी
5. अंगूरी तुली
6. लालघाट भैरवी

(घ) और (ङ) जी हां, ब्योरा इस प्रकार है।

(1) उत्तर पूर्वी परिषद् कार्यक्रम के अधीन तेजपुर के पास 68 करोड़ रु० लागत के एक पुल का निर्माण किया जा रहा है।

(2) उत्तर पूर्वी परिषद् कार्यक्रम के अधीन डिब्रूगढ़ के पास एक दूसरा पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अधीन 40 करोड़ रु० की लागत से जोगीगोया के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है।

(4) छटी योजना में ब्रह्मपुत्र की सीयांग नामक मुख्य सहायक नदी पर पासी घाट के निकट एक पुल के निर्माण कार्य को भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं का उपचार

3081. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पतालों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं का आम जनता की तरह उपचार किया जाता है जबकि इन लोगों के प्रति विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं को देखने में दो घंटे लग जाते हैं और एक्सरे, दन्त चिकित्सा, ई० सी० जी० आदि में बहुत अधिक समय लगता है;

(ग) क्या सभी अस्पतालों में लम्बी-लम्बी कतारें देखी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो अस्पताल के कार्यकरण में गिरावट को रोकने, भीड़-भाड़ को कम करने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं को शीघ्र देखे जाने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को इस योजना के विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी देखते हैं जिनका अस्पतालों में अलग विंग बना हुआ है।

(ख) आपाती रोगियों के अलावा अन्य रोगियों को पहले पाये सिद्धान्त के आधार पर देखा जाता है। चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए एक्स-रे, दन्त चिकित्सा और ई० सी० जी० कराने की अलग सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए इन लाभार्थियों को ये सुविधाएं आप लोगों के साथ ही प्राप्त करनी होती है।

(ग) जी हां, कभी-कभी।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उन सभी लाभार्थियों को देखा जाता है जो विभिन्न औषधालयों द्वारा भेजे जाते हैं। अस्पतालों के काम-काज में सुधार करने तथा काउण्टरों पर भीड़ को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यात्री गाड़ियों का असंतोषजनक रखरखाव

3082. **श्री राम अवध :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश यात्री गाड़ियों का रखरखाव बहुत ही असंतोषजनक है;

(ख) क्या अनेक डिब्बों में खिडकियां बन्द नहीं की जा सकती तथा उनके बाथरूम बहुत ही बुरी हालत में होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। रेलें सवारी डिब्बों के समुचित अनुरक्षण और उनकी सफाई की ओर बराबर ध्यान देती रही हैं। सभी टर्मिनलों और अनुरक्षण डिपुओं में सभी सवारी डिब्बों की गहरी जांच की जाती है और उनका आवश्यक अनुरक्षण किया जाता है। उनकी धुलाई भी की जाती है, शौचालयों को रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है और ऊपरी टंकियों में पानी भरा जाता है। सवारी डिब्बों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए मध्यवर्ती स्टेशनों पर सफाई वालों को भी तैनात किया गया है। नामित स्टेशनों पर सवारी डिब्बों में डियोडोरेंट का छिड़काव भी किया जाता है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ गाड़ियों के कक्षों की खिड़कियां काम न करती हों, लेकिन ऐसा, समय विशेष पर, मौसम की हालत के कारण हो सकता है। बहरहाल, यदि किसी विशिष्ट शिकायत की ओर रेल प्रशासन का ध्यान दिलाया जाय, तो उसकी जांच की जा सकती है और चूक के लिए जिम्मेदारी ठहरायी जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की पदोन्नति और भर्ती

3083. **श्री नगीना राय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निर्माण अनुभाग में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की पदोन्नति और भर्ती के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाहर से विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये, विभागीय कर्मचारियों में से पदोन्नत किए गए अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निर्माण विभाग के इंजीनियरी स्टाफ की भर्ती/प्रोन्नति, संस्थान की संविधियों में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार की जाती है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	पदों की श्रेणी	मंजूर स्टाफ की संख्या	भरे गए पदों की संख्या				कैफियत
			आन्तरिक अभ्यर्थियों में से चयन द्वारा	बाहरी अभ्यर्थियों में से चयन द्वारा		प्रतिनियुक्ति पर	
				1979 से पहले	1979 से आज तक		
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) अस्थाई पद							
1.	संस्थान इंजीनियरी	1	—	—	—	1	आन्तरिक रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था जिसे अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आवासीय इंजीनियर (विद्युत)	1	—	—	1	—	
3.	आवासीत इंजीनियर (बागवानी)	1	1	—	—	—	
4.	सहायक आवासीय इंजीनियरी	6	6	—	—	—	
5.	जूनियर इंजीनियर	8	1	2	4	—	एक पद खाली है
6.	सहायक कार्य सर्वेक्षण	1	—	—	—	1	आन्तरिक रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। जिसे अपेक्षित अर्हता और अनुभव प्राप्त हो।
		18	8	2	5	2	
(ख) अस्थाई पद							
1.	आवासीय इंजीनियर (सिविल)	2	2	—	—	—	आन्तरिक रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था जिसे अपेक्षित अर्हता और वास्तविक अनुभव प्राप्त हो।
2.	सहायक आवासीय इंजीनियर	5	4	—	—	1	
3.	जूनियर इंजीनियर	8	—	—	4	4	
		15	6	—	4	5	

पश्चिम बंगाल में प्राचीन अवशेष की खुदाई

3084. **श्री रेणुपद दास :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्त, पालन, और से वंशों के अवशेष पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के बल्लाल सेन टीले के नीचे छिपे हुए हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग को उक्त प्राचीन अवशेषों को निकालने के लिए खुदाई कार्य करने को कहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे यह कार्य करने के लिए कब कहा जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बल्लाल-ढिपी नामक टीले के सतही अन्वेषण से यह स्थल पाल-काल से सम्बन्धित प्रतीत होता है और इसका पूर्ववृत इससे भी प्राचीनतर हो सकता है।

(ख) और (ग) पुरातत्व सर्वेक्षण ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जिस बल्लाल-ढिपी प्राचीन स्थल के उत्खनन-प्रस्ताव को कार्यकालीन मौसम 19-9-80 के लिए अनुमादित किया था, उसका उत्खनन उस विश्वविद्यालय ने अब तक नहीं कराया है। यदि वह विश्वविद्यालय अगले वर्ष के दौरान उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं कराता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उस टीले के उत्खनन कराने के प्रश्न पर विचार करेगा।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना पीड़ितों को दी गई सहायता

3085. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस डी० टी० सी० गेवनो एड टू एक्सीडेंट विक्टिम्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है और दुर्घटना-पीड़ितों को दिल्ली परिवहन निगम के कितनी सहायता दी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देहरादून जाती हुई दिल्ली परिवहन निगम की बस नं० डी० एच० पी० 3378 सेना की एक ट्रक नं० वी० डी० 38977 से छुटमलपुर से एक किलोमीटर की दूरी पर 15/16-9-81 की रात को टकरा गयी। ड्राइवर-सहित पांच व्यक्ति हताहत हुए और कण्डक्टर सहित 36 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं।

प्रत्येक घायल व्यक्ति को अनुग्रह के रूप में 250 रु० मंजूर किए गए। मृत व्यक्तियों के कानूनी वारिसों को उनके द्वारा मुआवजे के संबंध में दावा किए जाने पर तुरंत भुगतान कर दिया जायेगा। दिल्ली परिवहन निगम ने समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोपों का खंडन किया है। ये खंडन इंडियन एक्सप्रेस में 22 सितम्बर, 1981 में प्रकाशित हुआ था।

मेघालय और आसाम में परिवहन सुविधाएं

3086. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम घाटी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नारियल, सेब और अखरोट जैसे विभिन्न प्रकार के फल उगाये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेघालय और आसाम में अनानास संतरा और सिट्रस की कुछ महत्वपूर्ण किस्में भी पैदा होती हैं परन्तु परिवहन सुविधाओं के अभाव में इनके खरीददार नहीं नहीं मिल पाते हैं; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उत्तरपूर्वी क्षेत्र में फल-फूल की अनेके फसलें उगाई जाती हैं। फलों की बिक्री में सुविधा पहुँचाने और इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सड़कें निर्माणाधीन हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में सड़कों पर असम और मेघालय के लिए क्रमशः 84 करोड़ और 40 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों का दुरुपयोग

3087. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र और राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का उत्तर प्रदेश राज्य में अत्याधिक दुरुपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इसमें जो संगठन अन्तर्गस्त हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे मे उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ङ) सरकार को उत्तर प्रदेश के 5 स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनको दिए गए अनुदानों के तथाकथित दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक मामले में स्वतन्त्र शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राशि के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध नहीं हुए। अन्य चार मामले जांच के लिए राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। इनके अलावा, राज्य सरकार को 9 अन्य संगठनों के सम्बन्ध में सीधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक मामले में राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। बाकी 8 मामलों की राज्य सरकार जांच कर रही है। आगे की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

'पैलेस आन व्हील्स' नामक गाड़ी के लिये बुकिंग

3088. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय के कुछ व्यक्तियों ने 'पैलेस आन व्हीस' नामक गाड़ी के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने तथा बुकिंग करने के लिए विदेशों की यात्रा की थी या रेलवे ने विदेशों में अपना कार्यालय खोला था; और

(ख) क्या रेल मन्त्रालय का विचार ऐसी और गाड़ियां चलाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जनवरी, 1982 से राजस्थान में शुरू की जाने वाली पायलट परियोजना मे प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार, अन्य राज्यों में विशेष पर्यटक गाड़ियां चलाने के बारे में, पर्यटक विभाग और सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार करेगी ।

दुर्गापुर और कलकत्ता को नौचालन के लिए मिलाने वाली नहर

3089. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नहर है जो दुर्गापुर और कलकत्ता को मिलाती है और जो इस क्षेत्र से कलकत्ता के लिए कोयले और अन्य इस्पात उत्पादों की ढुलाई के लिए अच्छा परिवहन मार्ग बन सकती है;

(ख) क्या भगवती समिति ने नौचालन के लिए नहर के विकास का भी सुझाव दियाहै।

(ग) यदि हां, तो क्या इस समय इस नहर का उपयोग नहीं हो रहा तथा इसमें से तत्काल मिट्टी निकाले जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे पर भारी यातायात में कमी करने के लिए इस नहर का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस समय इस कनाल में नौचालन का काम नहीं होता है । इसमें निर्माण और अन्य कार्य किए जाने की जरूरत है जैसे लांक गेटों' कनाल पर रास्ते आदि की मरम्मत ।

(घ) चूंकि ऊर्जा मंत्रालय ने इस कनाल से कोयले का यायायात करने की इच्छा व्यक्त की है इसलिए इस कनाल का तकनीकी व आर्थिक अध्ययन करने का सुझाव है । इस अध्ययन में कनाल के लिए पानी की गहराई उपयुयक्त जलयानों की किस्म आदि वातों पर विचार किया जाएगा । इस अध्ययन के विचारार्थ विषय तय किये जा रहे हैं । इस अध्ययन के पूरे हो जाने पर इसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता का पता लग सकेगा ।

मध्य प्रदेश में अवर-स्नातक विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सीटें बढ़ाना

3090. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में अवर-स्नातक विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के प्रवेश हेतु सीटों की भारी कमी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने अवर-स्नातक विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए कालेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति हेतु केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष में और 1982-83 शैक्षिक वर्ष के लिए कितनी और सीटों की मंजूरी दी जाएगी तथा ये मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों में दी जाएगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयो तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मध्य प्रदेश से विज्ञान में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए स्थानों की कमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० द्वारा रिश्वत लिया जाना

3091. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० की तैनाती किस प्रयोजन के लिये की जाती है;

(ख) क्या 1977-79 के दौरान रेलों में घटी डकैतियों/लूटों की घटनाओं के लिये प्रभावित क्षेत्रों के रेलवे पुलिस बल को उत्तरदायी ठहराया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यात्रियों की सहायता के लिये तैनात किये आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के कर्मचारी अनुचित लाभ लेकर आरक्षित सीटों पर बलपूर्वक अन्य यात्रियों को बिठाते हैं; और

(घ) रेलवे में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल को दो विशेष उद्देश्यों के लिए तैनात किया जाता है—रेल सुरक्षा बल को रेलवे की सम्पत्ति और बुक किये गये परेषणों की सुरक्षा के लिए और राजकीय रेलवे पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाये रखने और साथ ही रेलों पर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए।

(ख) जब अपराधों (गाड़ियों में डकैती/लूटपाट) से बचाव/पता लगाने में राजकीय रेलवे पुलिस/रेल सुरक्षा बल कर्मियों की विफलता का पता चलता है तो जिम्मेदारी निर्धारित की जाती

है। ऐसा, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा सम्बन्धित मामले की जांच के दौरान किया जाता है।

(ग) जहां कहीं इस प्रकार की शिकायत मिलती है, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कारंवाई की जाती है और उन्हें प्रचलित नियमों के अधीन दण्ड दिया जाता है।

(घ) राजकीय रेलवे पुलिस, जो गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, रेलों पर अपराध (गाड़ियों में लूटपाट और डकैती सहित) को नियन्त्रित करने के लिए गाड़ियों पर मार्ग-रक्षी चलाकर, अपराधियों की निगरानी करके गिरफ्तार कर और विशिष्ट मामलों में उन पर मुकदमा चलाकर अपना भरसक प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में रेल सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता कर रही है।

काम के घंटे सम्बन्धी विनियम

3092. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर रेल परिवहन में काम के घंटे सम्बन्धी विनियम, कारखाना अधिनियम में हुए संशोधन के अनुरूप नहीं है साथ ही यह कार्य करने के घंटों में कमी के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुरूप भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या मजदूर संघों के साथ कोई बातचीत चल रही है;

(घ) यदि हां, किस समय से; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेल अधिनियम के अध्याय 6-क के अधीन बनाये गये कार्य घंटा विनियम, रेलवे श्रम अधिकरण द्वारा को गयी सिफारिशों के अनुरूप आशोधित किये गये हैं, जिसने कारखाना अधिनियम सहित सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परम्परा और भारतीय श्रम नियमों के लिये बनायी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी प्रचार माध्यमों द्वारा भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की उपेक्षा

3093. **श्री के० पी० चौधरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी प्रचार-माध्यमों ने भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की उपेक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। पश्चिमी प्रचार-माध्यमों में भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक उपलब्धियों को अनदेखा करने और उसे कम करके दिखाने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे पश्चिम यूरोप और उत्तर अमरीका के उन्नत औद्योगिक देशों में इन उपलब्धियों को मुद्रित और दृश्य-श्रव्य, दोनों माध्यमों में अपर्याप्त स्थान मिलता है।

(ख) इस सिलसिले में सुधार की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भारत की आर्थिक और औद्योगिक उपलब्धियों पर निरन्तर विशेष परिशिष्ट निकलवाना।

(2) हमारे मिशनों द्वारा डाक्यूमेंटरी फिल्मों, चित्रों, टी० वी० साक्षात्कारों और स्लाइड शो के जरिए दृश्य-श्रव्य प्रचार किया जाता है।

(3) विदेश मंत्रालय और हमारे मिशन पत्र-पत्रिकाएं, प्रैस विज्ञप्तियां और समाचार बुलैटिन निकालते हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है।

(4) हमारे मिशन विदेशी पत्रकारों को भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में नियमित रूप से बताते रहते हैं।

(5) विदेश मंत्रालय और अन्य सबधित मंत्रालय और विभाग भारत में रहने वाले विदेशी पत्रकारों को भारत की सामयिक वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की जानकारी नियमित रूप से देते हैं। इन पत्रकारों को समय-समय पर औद्योगिक बस्तियों, प्रयोगशालाओं, अनुसन्धान केन्द्रों और औद्योगिक एवं तकनीकी परियोजनाओं को दिखाने के लिए भी ले जाया जाता है जिससे उन्हें इन उपलब्धियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके। विदेश मंत्रालय और अन्य मन्त्रालय पत्रकारों, व्यवसायियों और तकनीकतन्त्रियों को भारत बुलाते हैं और उन्हें ऊपर (4) में बताए अनुसार जानकारी देते हैं।

(6) भारत की तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक और औद्योगिक उपलब्धियों के विदेशों में व्यापक प्रचार के लिए विदेश मंत्रालय आंकड़े, प्रकाशन, ब्रोशर और फिल्में जारी करने में अन्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों से सहयोग करता है। विदेशों में जाने वाले भारतियों अधिकारियों और गैर-सरकारी शिष्टमंडलों को नियमित रूप से बताया जाता है कि वे अपने विचार-विमर्शों और बातचीत के दौरान इन क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों का प्रचार करें।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में निदेशक की नियुक्ति

3094. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में निदेशक का पद रिक्त पड़ा है और यदि हां, तो उसके लिये कितनी बार साक्षात्कार का आयोजन किया गया और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या राष्ट्रीय संस्थान की देखरेख पूर्णकालिक या अंशकालिक निदेशक द्वारा की जा रही है और यदि अंशकालिक निदेशक द्वारा की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं और अब तक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की देखरेख 16-11-81 से एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा की जा रही है।

रद्द किये गये पास न सौंपना और "चैक पास" जारी करना

3095. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री मोहन लाल पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के 466 निःशुल्क मानार्थ पास, जिन्हें रद्द करने के आदेश दिये गये हैं, अभी तक रेलवे बोर्ड को नहीं सौंपे गये हैं;

(ख) "चैक पास" जिन्हें केवल कर्मचारियों को जारी किया जाता है, अब मानार्थ पास के रूप में जारी किये जा रहे हैं;

(ग) इन "चैक पास" धारियों द्वारा प्रथम श्रेणी में आरम्भ से बहुत सी यात्राएं की गई हैं हालांकि वे केवल इकतरफी यात्रा के लिए अभिप्रेत हैं जिसके परिणामस्वरूप किराया अदा कर रहे यात्रियों को आरक्षण से वंचित होना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक कार्ड पास क्यों नहीं सौंपे गये हैं और वे परिस्थितियां क्या हैं जिनके अन्तर्गत "चैक पास" जारी किये गये हैं और इससे रेलवे को कितनी राशि की हानि हुई ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेलों से संबंधित समितियों के सदस्यों को जारी किये गये पासों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों/संगठनों को जारी किये गये 466 अखिल भारतीय मानार्थ कार्ड पास 13-8-1981 से रद्द कर दिये गये हैं। इन पासधारियों को ऐसे रद्द किये गये कार्ड पासों को इस कार्यालय में उन्हें लौटाने तथा उन पर कोई भी यात्रा न करने के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनुरोध किया गया था। रेलों को भी इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये गये थे। अब तक इस कार्यालय को 261 कार्ड पास लौटाये जा चुके हैं।

अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों को मानार्थ चैक पास रेल मंत्री जी के व्यक्तिगत अनुमोदन से निर्धारित मार्ग निदेशों को ध्यान में रखते हुए जारी किये जाते हैं। चैक पास पर यात्रा केवल दो स्टेशनों के बीच ही जैसा भी मामला हो, की जा सकती है।

झांसी-मुगलसराय-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस ट्रेन के लिये अधिक सवारी डिब्बे

3096. **श्री रामनाथ दुबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी-मुगलसराय-बुन्देलखंड एक्सप्रेस ट्रेन में सबारी डिब्बों को निर्धारित संख्या जोड़ने के बजाए केवल पांच अथवा छ: सवारी डिब्बे जोड़े जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कोचिंग स्टाक को अत्यधिक कमी के कारण, झांसी-मुगलसराय बुन्देलखंड एक्सप्रेस गाड़ी में निर्धारित संख्या से कम डिब्बे लगाये जा रहे हैं।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक की पदोन्नति

3097. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिये पदोन्नति के कम अवसर होने की भारी समस्या का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की योजना बना रही है; और

(ख) क्या सरकार निर्धारित सेवा वर्षों के बाद प्रत्येक शिक्षक को कम से कम एक पदोन्नति देने पर विचार करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में सभी स्तरों पर अध्यापकों की भर्ती, सीधी भर्ती तथा चयन के माध्यम से की जाती है। इन संस्थाओं में पदोन्नति पद्धति का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है।

खगराघाट रेल स्टेशन की समस्यायें

3098. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बक लूप लाइन में खगराघाट रेलवे स्टेशन की समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां पर कोई उचित प्रतीक्षालय नहीं है, कोई नल और मूत्रालय नहीं है तथा प्लेटफार्म पर कोई शेड नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या यात्रियों को कठिनाइयों को देखते हुए सरकार इस स्टेशन की समस्याओं को हल करने के लिए कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) खगराघाट रेलवे स्टेशन पर प्राप्त होने वाले यात्री यातायात के लिए कई आवश्यक सुविधाओं, जैसे प्रतीक्षालय, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा गृह, हैंड पम्प, संडास (पुरुष और महिलाओं, प्रत्येक के लिए दो-दो), इस स्टेशन के 2580 वर्गफुट लम्बे प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था, पहले से विद्यमान हैं, जो फिलहाल पर्याप्त समझी जाती है।

पिथौरागढ़ में लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस में अधिक बोगियां आरक्षित करना

3099. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिलें के लोगों की सुविधा के लिए लखनऊ काठगोगाम एक्सप्रेस ट्रेन में पिथौरागढ़ में आउट एजेंसी से बुक की जाने वाली 3-टायर द्वितीय श्रेणी के स्लीपर की एक और बोगी तथा प्रथम श्रेणी को एक बोगी आरक्षित करने के लिए कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) पिथौरागढ़ में वर्तमान यातायात के लिए 7/8 नैनीताल एक्सप्रेस और मेल लेने वाली 147/148 पैसेंजर गाड़ियों के साथ लखनऊ और टनकपुर के बीच पहले से ही चल रहा दूसरे दर्जे का 3-टियर शयनयान पर्याप्त समझा जाता है। पिथौरागढ़ आउट एजेंसी यात्री यातायात के लिए खुली नहीं है।

अपंग व्यक्तियों की मूल समस्यायें और उनका समाधान

3100 **श्री अमर राय प्रधान :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपंग व्यक्तियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो अपंग व्यक्तियों की मूल समस्याएं क्या हैं और अपंग व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 में उनकी मूल समस्याओं को सरकार ने कहां तक हल किया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार दृष्टिहीनता, बधिरता और अपंगता के क्षेत्र में पूर्ण विकलांगता का मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत नमूना सर्वेक्षण कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों की मूल समस्याओं का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है,

तो भी उनकी समस्याएं मूलतया विकलांगता की रोकथाम, उसका शीघ्र पता लगाने, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, रोजगार और समाज के साथ एकीकरण से सम्बन्धित है।

इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं; जैसे कि दृष्टिहीनता के निवारण और नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, विस्तृत रोग निरोधन कार्यक्रम विभिन्न मैडिकल संस्थाओं में चिकित्सा सुविधाएं. विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, विकलांग छात्रों को छात्र-वृत्तियां, ऋणों पर विभिन्नात्मक दर पर ब्याज, रियायती दर पर पेट्रोल, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में "ग" और "घ" श्रेणियों के पदों में आरक्षण, विशेष रोजगार कार्यालय, विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा की योजना, विकलांग कर्मचारियों/नियोक्ताओं और रोजगार अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार, विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र उपकरण प्रदान करना, इत्यादि।

जैसप्स एण्ड बर्न स्टैंडर्ड का सवारी डिब्बा (कोच) निर्माण लक्ष्य

3101. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसप्स एन्ड बर्न स्टैंडर्ड और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कम पूंजी निवेश से प्रतिवर्ष 400 अतिरिक्त सवारी डिब्बों को लक्ष्य की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों कारखानों का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसर्स बर्न स्टैन्डर्ड रेलों के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैसर्स जैसप्स की संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 350 सवारी डिब्बों के निर्माण की है, किन्तु वास्तव में इस क्षमता से काफी कम निर्माण करते हैं।

(ख) और (ग) मैसर्स जैसप्स की क्षमता का उस सीमा तक उपयोग किया जाता है जिस सीमा तक कि वे रेलों के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कर सकने में समर्थ हों।

कटिहार जोगबानी सेक्शन में रेलवे स्टेशन का अनुरक्षण

3102. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-सीमांत रेलवे के कटिहार और जोगबानी तथा कटिहार और गालगलिया के बीच रेलवे स्टेशनों के अनुरक्षण और मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) कटिहार-जोगबानी (उत्तर-सीमांत रेलवे) के बीच सभी स्टेशनों को अलग-अलग प्रत्येक स्टेशन को माल, पार्सल और कोचिंग से हुई राजस्व की आय की कुल राशि कितनी है और तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-10-80 से 30-9-81 तक कटिहार और जोगबानी तथा कटिहार और गलगालिया के बीच रेलने स्टेशनों के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर क्रमशः 1.70 लाख और 2.0 लाख रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान कटिहार और जोगबानी खंड के बीच के स्टेशनों से प्राप्त राजस्व की राशि नीचे अलग-अलग दिखाई गई है :

स्टेशन का नाम	**प्राप्त राजस्व**
दालन	0.20 लाख
राउत्तरा	0.26 लाख
रानीपात्रा	0.46 लाख
पूर्णिया जं०	98.54 लाख
कसबा	12.32 लाख
गढ़बनैली	3.40 लाख
जलालगढ़	4.41 लाख
कुसियारगांव	0.76 लाख
अरारिया	2.84 लाख
अरारिया कोर्ट	6.63 लाख
हल्दिया बिहार	0.23 लाख
सिमराहा	1.10 लाख
फारगन्ज जं०	88·21 लाख
वथनाहा	5.32 लाख
जोगबनी	104.33 लाख

स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या और प्राथमिक पाठशालाओं की कमी

3103. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या क्या है और कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं जो वर्तमान आवश्यकता पूरी नहीं करते हैं; और

(ख) यह आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (30 सितम्बर,

1978) के अनुसार, प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V) पर 6-11 आयु-वर्ग के दाखिल न हुए बच्चों की संख्या वर्ष 1978-79 के दौरान 315 लाख थी। फिर, चौथे सर्वेक्षण के अनुसार कुल 9,64,664 बस्तियों में से 93.05% में प्राथमिक स्कूल/सैक्शन 1 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत थे। बिना स्कूल वाली बस्तियों को 300 तथा अधिक, 200 से 299 तक और 200 से कम वाले जनसंख्या के तीन स्लैबों में समूहबद्ध किया जा सकता है।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए छठी योजना तैयार करने की मार्गदर्शी रूपरेखाओं में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सुझाव दिया गया है कि वे 300 या अधिक जनसंख्या वाली बिना स्कूल वाली बस्तियों को छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान प्राथमिक स्कूलों/सैक्शनों में शामिल करें।

मौसमी टिकट किराया

3104. **डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे सब सैक्शन में बम्बई वी० टी० और थाणे तथा मलंद और बम्बई वी०टी० के बीच मौसमी टिकट किराया समान है;

(ख) क्या यह सच है कि मलंद में ही थाणे के लिए मौसमी टिकट जारी करने हेतु मलंद के यात्रियों से भारी मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बम्बई वी० टी और थाणे के बीच सीजन टिकटों का किराया उतना ही है जितना बम्बई वी० टी और मुलन्द के बीच है। सीजन टिकट या तो प्रारम्भिक स्टेशनों से या गंतव्य स्टेशनों से जारी किये जाते हैं, मध्यवर्ती स्टेशनों से नहीं।

आरक्षित रेलवे डिब्बों पर लेबी चार्ज

3105. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आरक्षित रेलवे डिब्बों पर 'लेबी चार्ज' में वृद्धि के बारे में वेस्ट बंगाल टूअर आर्गेनाइजर एसोसियेशन, कलकत्ता से दिनांक 30 अगस्त, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ज्ञापन आरक्षित सवारी डिब्बों, पर्यटक कारों/सैलूनों और विशेष गाड़ियों के मामले में ग्राह्य दरों और अन्य प्रभारों में संशोधन के सम्बन्ध में है। रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर इन दरों में 1-6-1981 से संशोधन किया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता

3106. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर)

3107. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खजरी (प्रोसोपिस) और पोहिदा (टेकोमेल्ला; के द्रुत वृद्धि पर ऊतक संवर्धन अनुसंधान के प्रभाव क्या है; और

(ख) इस विषय पर राजस्थान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में किए गए अनुसंधान, के परिणाम क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तकनीक के रूप में "वनस्पति ऊतक संवर्धन" संबंधी अनुसंधान के लिए गत दो-तीन वर्षों से जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालयों और राजस्थान के कुछ कालेजों को भी सहायता प्रदान करता रहा है। किए गए कार्य का अब तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क रेल पुल

3108. **श्री अजय विश्वास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगीघोपा पंचरत्न में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सड़क तथा रेल पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हा, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अब यह विनिश्चय किया गया है कि फिलहाल केवल एक सड़क पुल का निर्माण किया जाय। जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय इस मामले में आगे कार्रवाई कर रहा है।

भागलपुर-बीहपुर स्टीमर रेल सेवा

3109. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भागलपुर-बीहपुर स्टीमर रेल सेवा को स्थगित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो चार दैनिक सेवाओं के स्थान पर एक नौका सेवा चलाने और रेल-गाड़ियों के स्थगन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्राइवेट स्टीमर कम्पनियों के मालिक सरकारी सेवा बंद करने के लिये षड़यंत्र कर रहे हैं ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार को प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भागलपुर-बीहपुर स्टीमर रेल सेवा को बंद करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) रेलवे का बेड़ा बहुत पुराना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के अधीन प्राइवेट फेरी सेवा चलाई जा रही है और रेलवे के निर्णयों पर प्राइवेट परिचालकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

पूर्व रेलवे सियालदह डिवीजन में रेलगाड़ी सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना

3110. **श्री मुकुंद मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेलगाड़ी सेवाओं के पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उममंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सियालदह मंडल पर गाड़ी सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं है। चलने के लिए निर्धारित कुल दैनिक गाड़ियों में से लगभग 1% दैनिक सवारी गाड़ियां रद्द हैं। सितंबर, अक्तूबर और नवम्बर, 1981 के दौरान सियालदह मंडल पर उपनगरीय बिजली गाड़ियों को समय पाबंदी क्रमशः 84%, 87.1% और 87.9% थी, तथापि उपनगरीय गाड़ियों को समय पाबंदी पर मुख्यतः शरारती तत्वों की गतिविधियों, बिजली को कटौती शिरोपरि तारों में गड़बड़ी, सिगनल की खराबियों आदि के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा।

(ख) उपनगरीय गाड़ियों के चालन पर नजर रखी जा रही है और परिहार्य रुकावटों के मामले में यथा-आवश्यक कार्रवाई की जाती है। शरारती तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने

के लिए, जो कि समय पाबंदी में हानि पहुंचाने का प्रमुख कारण है, राज्य सरकार के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है।

शारीरिक रूप से विकलांगों को रेल यात्रा किया जाना

3111. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने हेतु बहुत-सी रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) प्रत्येक रेलवे यात्रा के लिए ऐसी रियायतें प्रस्तुत करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को क्या प्रमाण देना पड़ता है; और

(घ) क्या निर्धारित प्रक्रिया विकलांगों द्वारा अपनाए जाने के लिए सुविधाजनक पायी गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विकलांग व्यक्तियों की निम्नलिखित कोटियों को रेल किराये में रियायत अनुमेय है :

(1) नेत्रहीन, जब वह अकेले या सभी यात्राओं के लिए मार्ग-रक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों।

(2) टी० बी० और कैंसर से पीड़ित रोगियों को जब वे भर्ती, बरखास्तगी, डाक्टरी जांच आदि के उद्देश्य से अकेले या मार्ग-रक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जब वे सभी यात्राओं के लिए केवल मार्ग-रक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों।

(4) असंक्रामक कोढ़ियों को जब वे भर्ती, बरखास्तगी, डाक्टरी जांच आदि के लिए यात्रा कर रहे हों।

विकलांग व्यक्ति तथा मार्गरक्षी, जहां कहीं अनुमेय हों, के लिए रियायत 75% है। रियायत का लाभ निर्धारित डाक्टरी प्राधिकारियों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र दिखाकर संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास जाकर उठाया जा सकता है। यह प्रमाण-पत्र दुरुपयोग से बचने तथा जारी किये गये रियायती टिकटों के बदले स्टेशन कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड रखने और लेखा विभाग द्वारा आन्तरिक जांच के लिए आवश्यक है।

रामपुरहाट तक रेलगाड़ी सेवाओं का विस्तार किया जाना

3112. **श्री सरदीश राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दल सोंथिया सैक्शन के यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए रामपुरहाट तक रेलगाड़ी सेवाओं का विस्तार करने और अन्दल-सोंथिया के बीच चल रही वर्तमान रेलगाड़ियों में अधिक यात्री डिब्बे चलाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1-10-81 से, अण्डाल-साइथिया गाड़ियों की एक जोड़ी, अर्थात् 1-ए० एस०/4-ए० एस० को रायपुरहाट तक बढ़ाया जा चुका है। रामपुरहाट तक अधिक गाड़ियों का बढ़ाया जाना और वर्तमान अण्डाल-साइथिया गाड़ियों का गाड़ी-भार बढ़ाना डिब्बों की अत्यन्त कमी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

केरल की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

3113. **श्री स्कारिया थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि केरल की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में संलग्न किये गये सवारी डिब्बे पुराने पड़ गये हैं और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ ठीक रेकों की व्यवस्था की गयी है। मेल और एक्सप्रेस तथा अन्य गाड़ियों की बोगियों की व्यवस्था काफी संतोषजनक है। अनुरक्षण लाइन पर बोगियों की देखभाल की जाती है यदि किसी बोगी में भारी त्रुटि पायी जाती है तो उसकी देखभाल कारखानों में की जाती है। गतायु सवारी डिब्बों का यह देखने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है कि वे रद्द किये जाने के योग्य हैं या नहीं। कारखानों से निकलने वाले दो गलियारेदार नए रेक (पी० ओ० एच०), जिनमें प्रत्येक में 17 सवारी डिब्बे हैं क्रमशः 21-7-81 और 4-9-81 को 29/30 त्रिवेन्द्रम-मंगलोर-मालाबार एक्सप्रेस के साथ लगाये गये हैं। सभी क्षेत्रीय रेलों पर आयु एवं दशा के आधार पर पुराने सवारी डिब्बों को प्रणालीबद्ध आधार पर बदला जाता है।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नये प्रकार के वैगन प्रचलन में लाना

3114. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही नये प्रकार के वैगन प्रचलन में लाए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

(ग) क्या इससे चाल बढ़ेगी; और

(घ) देश में इस प्रकार के कितने वैगनों की आवश्यकता पड़ेगी, तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। देश के बढ़ते हुए यातायात की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए माल डिब्बों के नए और बेहतर डिजाइन तैयार करने की रेलों की नीति के अनुसार कोयले, लौह अयस्क, उर्वरक आदि के थोक परिवहन के लिए डिजाइन किए गए बड़ी लाइन के नयी किस्म के बी० ओ० एक्स० एन० बोगी खुले माल डिब्बों को शीघ्र ही चुनींदा परिपथ खंडों पर चलाने का प्रस्ताव है

(ख) बी० ओ० एक्स एन० माल डिब्बों के प्रमुख आमान तथा अन्य विशिष्टिताओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लम्बाई (भीतरी)	9784 मि० मी०
ढांचे की ऊंचाई (भीतरी)	1950 "
ढांचे की चौड़ाई (भीतरी)	2950 "
वाल्यूम (स्तर)	56,29 एम^3
आयभार	58.8 टन
रेलपथ भार घनत्व	7.59 टन/मी०
55 माल डिब्बों की प्रत्येक गाड़ी का सकल भार	4470.4 टन
प्रत्येक गाड़ी का आय भार (लगभग)	3235 टन

बी० ओ० एक्स० एन० माल डिब्बे की लम्बाई कम होने के कारण मौजूदा लूप लम्बाइयों के अन्तर्गत अधिक माल डिब्बे लगाने की गुंजाइश हो ज़ायेगी। ये माल डिब्बे अधिक क्षमता वाले सेंटर बफर कपलर, ट्विन-पाइप एयर ब्रेक प्रणाली और सुधरे हुए बियरिंगों से युक्त हैं ताकि अधिक भार वाली गाड़िया कर्षित हो सकें।

(ग) संचलन में दो प्रकार से सुधार होने का संभावना है :

1. मौजूदा लूप लाइनों के अन्तर्गत गाड़ियों में अधिक माल डिब्बे लग सकेंगे।

2. डाक/एक्सप्रेस और थ्रू माल गाड़ियों के बीच रफ्तार का अन्तर कम हो जाएगा।

(घ) छठी योजना में 1,00,000 माल डिब्बों में से 50,000 माल डिब्बे (चौपहिए) प्राप्त करने का प्रस्ताव है, बशर्ते धनराशि तथा सामग्री उपलब्ध होती रहे।

त्रिभाषी फार्मूला

3115. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1981 क टाइम्स आफ इण्डिया में "स्प्रिकेट आफ लेंगवेज फार्मूला लेकिंग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिभाषी फार्मूला अपनाये जाने के तेरह वर्ष बाद भी केवल कुछ राज्यों ने ही इस फार्मूले को पूरी तरह से लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो देश के प्रत्येक राज्य में इस फार्मूले की दशा क्या रही है और सरकार द्वारा इस फार्मूले को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गैर सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और यदि अंग्रेजी के अध्ययन को विशेष रूप से मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार, पांडिचेरी संघ शामिल क्षेत्र तथा पांडिचेरी के करैकल क्षेत्र को छोड़कर, जो द्विभाषा सूत्र का पालन करते हैं, त्रिभाषा सूत्र को लगभग सभी राज्यों और संघ शामिल क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। मार्च, 1981 में मेघालय राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय स्कूलों में केवल दो भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3071/81]

त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मूल रूप से राज्य सरकारों की है, जिन्हें उनका ध्यान भारतीय भाषाओं में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की ओर आकर्षित करते हुए सम्बोधित किया गया था और इस सूत्र के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(घ) प्राइवेट/पब्लिक स्कूलों में विषय/भाषाएं पढ़ाने से सम्बन्धित मामले सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शामित प्रशासनों के संबद्ध अधिनियमों/ कानूनों के उपबन्धों के अनुसार नियमित किये जाते हैं। केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद तथा राज्यों के अंग्रेजी भाषा अध्यापन संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ संसाधन कार्मिक अध्यापकों के प्रशिक्षण, अध्यापन सामग्री तैयार करने इत्यादि जैसे कार्यक्रमों पर कार्यरत हैं, ताकि भारत में अंग्रेजी पढ़ाने के स्तर में सुधार किया जा सके।

रेल पर्यटन विकास निगम

3116. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री बी० डी० सिंह :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :
श्री के० लकप्पा :
आचार्य भगवान देव :
श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक रेल पर्यटन विकास निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस निगम के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय कितना है/होने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) देश में पर्यटन के लिए अन्य ऐसे विकल्पों में, जिनमें रेलें अब तक निभायी गयीं अपनी भूमिका से और बड़ी भूमिका निभा सकें, यह प्रस्ताव सामान्य रूप से विचाराधीन है।

मोतियाबिन्द से पीड़ित लोग

3117. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अक्तूबर, 1981 में हुई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित सेमिनार में यह बताया गया है कि भारत में 5 प्रतिशत अंधे व्यक्ति मोतियाबिन्द से पीड़ित हैं और इसमें हर वर्ष 1 मिलियन लोग और शामिल हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के क्या ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम शुरु किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुमानों के अनुसार वैसे देश में इस रोग से कितने लोग पीड़ित हैं इसका सही पता लगाने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे दृष्टिहीनता का फिर से सर्वेक्षण कराएं।

(ख) भारत सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत लोगों के आंखों की देख-रेख की व्यापक जानकारी देने, मोबाइल यूनिटों के जरिये दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आंखों के इलाज की अस्थायी सेवाएं उपलब्ध करने तथा वर्तमान जन स्वास्थ्य सेवा वितरण पद्धति के परिधिस्थ, मध्यवर्ती और केन्द्रीय स्तरों पर नेत्र-चिकित्सा की स्थायी सुविधायें सुलभ कराने की व्यवस्था आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क नेत्र शिविर लगाने के लिए स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

रेल कर्मचारियों तथा नैमित्तक श्रमिकों की संख्या

3118. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1979, 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1781 के श्रेणी-(i) श्रेणी-ii, श्रेणी-iii और श्रेणी-iv के रेल कर्मचारियों की क्रमशः संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त तारीखों को रेलवे में प्राधिकृत वेतनमानों में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ष 1978-79 और 1980-81 में प्रतिदिन औसत कितनी यात्री, एक्सप्रेस, माल, स्थानीय गाड़ियां चलीं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग मे उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कर्मचारियों की समूहवार संख्या निम्नलिखित है—

	31 मार्च, 1978 तक	31 मार्च, 1980 तक
ग्रुप i	5,278	5,397
ग्रुप ii	4,653	5,054
ग्रुप iii	686,859	707,434
ग्रुप iv	828,192	832,511

31 मार्च, 1981 तक के विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की संख्या का संकलन किया जा रहा है और वह अभी तैयार नहीं है ।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 1978-79 और 1980-81 के दौरान चलायी गयी गाड़ियों की संख्या का प्रतिदन का औसत निम्नलिखित है—

	1978-79	1980-81
डाक व एक्सप्रेस गाड़ियां	692	730
पैसेंजर और मिली-जुली गाड़ियां	2780	2849
बिजली की गाड़ियां (स्थानीय गाड़ियां)	2578	2685
माल गाड़ियां	4164	4061

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरा जाना

3119. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने श्रेणी iii और iv में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में मण्डल-वार, प्रगति की गति क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की कार्यवाही त्वरित कार्यक्रम के दौरान प्रगति पर है । 31-10-81 तक की प्रगति की सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता को पासपोर्ट बुकलैट की कम सप्लाई

3120. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**
श्री मतिलाल हसदा :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता की पासपोर्ट बुकलैट की कुल मांग कितनी है;

(ख) 1980 और 1981 में कितनी बुकलैट सप्लाई की गई; और

(ग) कम सप्लाई के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता, में प्रति वर्ष अनुमानतः 36,000 पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आवश्यकता होती है ।

(ख) 1980 में करीब 23,000 पासपोर्ट पुस्तिकाएं सप्लाई की गई थीं क्योंकि वहां पिछले वर्ष की बची हुई बहुत-सी पासापोर्ट पुस्तिकाएं उपलब्ध थीं । वर्ष 1981 के दौरान 18.11.1981 तक 25,5000 पासपोर्ट पुस्तकाएं सप्लाई की जा चुकी थी ।

(ग) गवर्नमेंट प्रेस नासिक रोड द्वारा भेजी गई एक खेप को रास्ते में देर हो गई थी, लेकिन तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पासपोर्ट पुस्तिकाएं भेजने के उद्देश्य से वैकल्पिक प्रबन्ध किये गए ।

उन भारतीयों की संख्या जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है

3121. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में बसे लगभग 2 लाख भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीयों की संख्या कितनी है जिन्हें नागरिकता अभी दी जानी है; और

(ग) क्या उनमें से कुछ को भारत में वापस लौटना होगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । श्रीलंका के प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 अक्तूबर, 1981 तक भारतीय मूल के जिन राज्यहीन व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई थी, उनमें 162,094 'मूल सूचीबद्ध' व्यक्ति हैं और 48,593 उनकी परवर्ती सन्तान ।

(ख) 1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका करारों के अनुसार श्रीलंका को 'मूल सूची' के 3,75,000 व्यक्तियों को उनकी सन्तानों सहित नागरिकता प्रदान करनी है ।

(ग) जिन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है, उनके भारत आने का प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों को विकलांगता पेंशन दिया जाना

3122. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन देगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में इस समय कोई योजना नहीं है। तो भी कुछ राज्य सरकारें वृद्धावस्था पेंशन योजना के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों को भत्ता दे रही हैं।

भारतीय मिशनों में सूचना केन्द्र

3123. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में 137 भारतीय राजनयिक मिशन हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन 137 राजनयिक मिशनों में से केवल 47 मिशनों में ही नियमित सूचना केन्द्र हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राजनयिक मिशनों में भी इस प्रकार के नियमित सूचना केन्द्र खोलने का है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं। विदेशों में हमारे कुल मिलाकर 135 रिहायशी राजनयिक मिशन और केन्द्र हैं जिनका ब्यौरा संलग्न **विवरण-1** दिया गया है।

(ख) जी हां। 135 भारतीय राजनयिक मिशनों में से 47 मिशनों में नियमित सूचना केन्द्र हैं। उन मिशनों और केन्द्रों की सूची **विवरण-2** में संलग्न है जिनके अपने सूचना केन्द्र हैं।

(ग) पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया में 25 भारतीय मिशनों में, जहां आजकल प्रथक सूचना केन्द्र नहीं है, नये सूचना स्कंध खोलने का एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों को तीन से पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण-1

विदेश स्थित भारतीय रिहायशी मिशनों/केन्द्रों की सूची

भाग I—राजदूतावास

1. काबुल
2. अल्जीयर्स
3. बुआनीस आयर्स
4. वियना
5. बहरीन
6. ब्रसल्स
7. थिम्पू
8. ब्राजीलिया
9. सोफिया
10. रंगून
11. नामपेन्ह
12. मानित्यागो
13. पीकिंग
14. बोगोटा
15. हवाना
16. ब्राग
17. कोपनहेगन
18. काहिरा
19. अदीस अबाबा
20. हेलसिंकी
21. पेरिस
22. बर्लिन
23. बॉन
24. एथेन्स
25. कोनाक्री
26. बुडापेस्ट
27. जकार्ता
28. तेहरान
29. बगदाद
30. डबलिक
31. रोम
32. आखिवजपट
33. टोकियो
34. अम्मान
35. प्यांग यांग
36. सीओल
37. कुवैत
38. वियन्त्यान
39. वेरूत
40. त्रिपोली
41. अन्तननरीव
42. माले
43. मेक्सिको सिटी
44. उलन बटोर
45. रबात
46. मपुतो
47. काठमण्डू
48. द हेग
49. ओस्लो
50. मस्कत
51. इस्लामाबाद
52. पनामा सिटी

53. लीमा
54. मनीला
55. वारसा
56. लिस्बन
57. दोहा
58. बुखारेस्ट
59. जेद्दाह
60. डकार
61. मोगाडिशू
62. मैड्रिड
63. खारतूम
64. पारामारीबो
65. स्टाकहोम
66. बर्न
67. दमिश्क
68. बेंगकाक
69. स्यूनिस
70. अंकारा
71. आबू धाबी
72. वाशिंगटन
73. मास्को
74. काराकस
75. हनोई
76. साना
77. अदन
78. बेलग्राद
79. किन्शासा

भाग-II—हाई कमीशन/सहायक हाई कमीशन

80. साल्सबरी
81. कैनबरा
82. ढाका
83. चिटगांव (सहायक हाई कमीशन)
84. राजशाही (सहायक हाई कमीशन)
85. ओटावा
86. निकोशिया
87. सुवा
88. अक्रा
89. जार्जटाऊन
90. किंगस्टन
91. नैरोबी
92. लिलांग्वे
93. कुआलालम्पुर
94. पोर्ट लुई
95. वेलिंगटन
96. लागोह
97. मासे
98. सिंगापुर
99. कोलम्बो
100. केंडी (सहायक हाई कमीशन)
101. दार-ए-सलाम
102. पोर्ट आफ स्पेन
103. कम्पाला
104. लन्दन
105. बरमिंघम (सहायक हाई कमीशन)
106. ग्लासगो (सहायक हाई कमीशन)
107. लिवरपुल (सहायक हाई कमीशन)
108. लुसाका

भाग-III-विशेष मिशन

109. न्यूयार्क (भारत का स्थायी मिशन)
110. जेनेवा (भारत का स्थायी मिशन)

भाग-IV-कमीशन

111. हांगकांग
112. मोम्बासा (सहायक कमीशन)

भाग-V-कौंसलावास और प्रधान कोसलाबास

113. सिडनी
114. वैनकुवर
115. टोरन्टो
116. दुबई
117. पश्चिम बर्लिन (जर्मन संघीय गपरा)
118. फ्रैंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)
119. हैमबर्ग (जर्मन संघीय गणराज्य)
120. मेदान
121. कोबे
122. पोर्ट सईद
123. कराची
124. न्यूयार्क
125. सानफ्रांसिस्को
126. शिकागो
127. ओडेसा
128. जेनेवा
129. जन्जीबार
130. जलालाबाद (कौंसलावास)
131. कन्धार (कौंसलावास)
132. खुटीमशहर (कौंसलावास)
133. जाहीदान (कौंसलावास)
134. बसरा (कौंसलावास)
135. च्यांगमाई (कौंसलावास)

विवरण-2

उन मिशनों/केन्द्रों की सूची जहां अलग सूचना केन्द्र हैं

उत्तर अमरीका

1. ओटावा
2. वाशिंगटन
3. सानफ्रांसिस्को
4. प्रधान कौंसलावास, न्यूयार्क
5. भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क

दक्षिण अमरीका

कोई नहीं है

पश्चिम यूरोप

6. पेरिस
7. बान
8. रोम
9. द हेग
10. वियना
11. ब्रसल्स
12. बर्न
13. स्टाकहोम
14. अंकारा
15. लन्दन

पूर्व यूरोप

16. मास्को
17. बेलग्राद
18. प्राग

पश्चिम एशिया और उत्तर अमरीका

19. बगदाद
20. अम्माक
21. कुवैत
22. रबात
23. जेद्दाह
24. काहिरा
25. ल्यूनिस

अफ्रीका

26. अक्रा
27. अदीस अबाबा
28. नैरोबी
29. पोर्ट लुई
30. लागोस
31. दार-ए-सलाल

एशिया

32. कैनबरा
33. ढाका
34. थिम्पू
35. रंगून
36. पीकिंग
37. हांगकांग
38. टोकियो
39. काठमण्डू
40. कोलम्बो

एसियन

41. जकार्ता
42. कुआलालम्पुर
43. मनीला
44. बेंगकाक

पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान

45. काबुल
46. तेहरान
47. इस्लामाबाद

पूर्वी क्षेत्र आयतित सामान को भिन्न मार्ग से मंगाया जाना

3124. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सामान्य और युक्तियुक्त परिपाटी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाली आयतित सामग्री उस क्षेत्र में स्थित बन्दरगाह से मंगायी जाये;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में आयोग के लिये आयतित सामान को पूर्वी क्षेत्र से बाहर स्थित बन्दरगाहों से मंगाया जाता है;

(ग) यदि हां तो सामान्य प्रक्रिया से हटने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के विपणन ठीक करने के लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) आयातकर्ता पत्तन का चुनाव करते समय साधारणतः पृष्ठक्षेत्र से पत्तन की निकटता, माल के यातायात की सुविधा और पत्तन पर समुद्र की गहराई आदि बातों को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं ।

(ख) से (घ) कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जब पूर्वी क्षेत्र के लिए उपयोग को अभीष्ट माल पूर्वी क्षेत्र से बाहर के किसी पत्तन से आयात किया गया हो लेकिन आयात या निर्यात के लिए पत्तन के चुनाव के बारे में नौवणिक की इच्छा पर नियंत्रण लगाने की सरकार की नीति नहीं है। यह इसलिए भी है कि अधिकांश माल प्राइवेट पार्टियों द्वारा ही आयात या निर्यात किया जाता है। हर जहाज को अपनी पसन्द के पत्तन पर आने का पूरा अधिकार है। फिर भी उर्वरक, कच्चा उर्वरक, इस्पात, खाने के काम आने वाला तेल, अखबारी कागज, सीमेंट आदि जैसे माल के आयात और निर्यात की योजना बनाने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय में युक्तिसंगत माल वितरण स्थायी समिति नामक एक अन्तर्मंत्रालयी समिति बनी हुई है। इस समिति का काम भी माल के आवंटन को आरोपित करना नहीं बल्कि परस्पर सहमति से हल ढूंढ़ निकालना है।

दिल्ली में कुशल बस सेवा के लिए योजना

3125. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली में कुशल मितव्ययी, पर्याप्त और उचित रूप से समन्वित बस सेवा उपलब्ध करने के लिए उत्तरदायी है और दिल्ली में सड़क परिवहन सेवा का भार वहन करने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-क के अन्तर्गत एक योजना बनाई जानी है;

(ख) यदि हां तो योजना न बनाए जाने के क्या कारण हैं और इसके कब तक बन जाने की आशा की जानी चाहिए;

(ग) 27 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 1652 का उत्तर दिए जाने के बाद से दिल्ली में कितनी गैर-सरकारी स्टेज कैरिजों को उनके परमिट की अवधि बढ़ाए जाने से मना कर दिया गया है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के बेड़े में अधिक बसें हो जाने के कारण जैसा कि कुछ समय पूर्व दिल्ली परिवहन निगम की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलाई जा रही कितनी गैर-सरकारी बसों की अवधि को और बढ़ाए जाने से इन्कार कर दिया गया है।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 18 में, उक्त अधिनियम के आधीन बने किसी परिवहन के सामूहिक कार्य निर्धारित किए गये हैं। जहां निगम जनहित में सामूहिक कार्यों में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक समझे कि ऐसे किसी भी क्षेत्र या रूट पर जहां प्राइवेट अपरेटर गाड़ियां चलाते हों, उन्हें पूर्णतया बाहर करके या इन आपरेटरों साथ-साथ ही निगम अपनी गाड़ियां चलाए, तो उसे समय पर यथा संशोधित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-क के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा।

(ख) इस समय ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की, अपनी बस निर्धारित दरों पर देने की ठेका बढ़ाने की किसी भी प्राईवेट अपरेटर की पेशकश अस्वीकार नहीं की गई है, क्योंकि 1980-81 में किराये पर ली गई 1000 प्राईवेट बसों की व्यवस्था की तुलना में 30-11-1981 को प्राईवेट बसों की संख्या केवल 470 रही थी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पुरानी बसों के लिए सर्विसिंग सुविधाएं

3126. **श्री गदाधर साहा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस अथारिटी के पास पुरानी बसों के लिए सर्विसिंग की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के लिए इस द्वीप समूह में इस प्रकार की सुविधाओं का विकास करना बहुत कठिन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कदम उठाने का विचार है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने सूचित किया है कि सरकारी परिवहन वर्कशाप में पुरानी बसों की सर्विसिंग के लिए सुविधाएं हैं। लेकिन बसों की बाड़ी को फिर से बदलने और बसों के अन्य पुर्जों की मरम्मत करने जैसे कामों के लिए जिनका सम्बन्ध मरम्मत और अनुरक्षण से होता है अभी भी सुविधाएं नहीं हैं। मोटर परिवहन वर्कशाप के लिए तकनीकी कर्मचारियों और उपकरण आदि की व्यवस्था कर उसे पुष्ट करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक धनराशि रखी गई है। विभिन्न प्रकार के पुर्जों की सप्लाई करने के लिए चेरन परिवहन निगम के साथ प्रबन्ध किया गया है।

मद्रास सेन्ट्रल जलपान गृह के बैरों और रसोइयों का अभ्यावेदन

3127. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास सेन्ट्रल के रेलवे जलपाल गृह के बैरों और रसोइयों से कोई संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ये समस्याएं क्या हैं; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मद्रास सेंट्रल के रेलवे अल्पाहार गृह के बेयरों से एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अभ्यावेदन वेतन-स्थिरता के कारण वेतनवृद्धि और उच्च श्रेणियों में पदोन्नति देने के सम्बन्ध में है।

(ग) बिल इस्यूअर्स के पदों के सृजन से तथा सहायक मैनेजरों के, 260-430 वेतनमान में 25% से 33⅓% की ग्रुप 'ग' के लिए पदोन्नति कोटा में वृद्धि के कारण बेयरों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है। किस तरह से उन व्यक्तियों को, जो अपने वेतन के अधिकतम वेतनमान में स्थिर हैं, सहायता देने का प्रश्न संयुक्त वार्ता तंत्र योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद के विचाराधीन है।

कर्नाटक में गैर-सरकारी इंजीरियरिंग कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किया जाना

3128. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा 1981-82 और 1982-83 में प्रवेश हेतु लिए गए असामान्य प्रति-व्यक्ति शुल्क के सम्बन्ध में राज्यों, विशेषकर कर्नाटक राज्य को कोई अनुदेश दिए हैं; और

(ख) कर्नाटन के उन गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों के क्या नाम हैं जो प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल कर रहे हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने की अवांछनीयता कर्नाटक राज्य की सरकार सहित राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी है।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कर्नाटक में प्रति व्यक्ति शुल्क लेने वाले प्राइवेट इंजनियरी कालेजों की सूची

1. एम० एस० रमैय्या प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलोर
2. आर० वी० इंजीनियरी कालेज, बंगलोर
3. श्री सिद्धगंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर
4. मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपाल
5. दयानन्द सागर इंजीनियरी कालेज, बंगलोर
6. बंगलोर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलोर
7. इस्लामिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलोर

8. श्री सिद्धार्थ प्रौद्यगिकी संस्थान, टुमकुर
9. बापूजी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, दावनगोर
10. एच० के० इंजीनियरी कालेज, रायचूर
11. बंजुनाथेश्वरा इंजीनियरी कालेज, धारवाड़
12. के० एल० ई० इंजनीयरी कालेज, बेलगांव
13. के० एल० एस० इंजीनियरी कालेज, बेलगांव
14. घांसिया इंजीनियरी कालेज, रामनगरम
15. डा० अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलोर
16. एन० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, शिमोगा
17. ए० डी० आई० चुंबानगरी प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकमंगलूर
18. एस० जे० एम० इंजीनियरी कालेज, चित्रदुर्ग
19. अंजुमन इंजीनियरी कालेज, भटकल
20. विजयनगर इंजीनियरी कालेज, बालेरी
21. के० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, गुलबर्गा
22. गुरूनानक देव इंजीनियरी कालेज, बिदार
23. बी० एल० डी० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, बीजापुर
24. आर० टी० सी० इंजीनियरी कालेज, जुलाकेटी
25. एस० टी० डी० ई० इंजीनियरी कालेज, रांस, बेनूर

मराठवाड़ा क्षेत्र में नए रेलवे मण्डल

3129. **श्री उत्तम राठोड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के लोग खण्डवापुरना, निजामाबाद-मनमाड, मुड़खण्ड-आदिलाबाद और पुरली-परमानी के बीच चलने वाली मीटर गेज गाड़ियों के लिए पुरना में एक मण्डल बनाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सेक्टर में गाड़ियों का चलना अनियमित है और उनका रख-रखाव उचित नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई 1981 से दक्षिण-मध्य रेलवे पर मीटर लाइन की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की समय-पाबन्दी काफी सन्तोषप्रद रही है, जो कि 85% और 90% या इससे अधिक रही है।

अक्तूबर 1981 में मेल/एक्सप्रेस और सवारी दोनों प्रकार की गाड़ियों की समय-पाबन्दी 90% से अधिक थी। सन्तोषजनक कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों दोनों का रख-रखाव कार्यक्रमबद्ध आधार पर किया जाता है।

(ग) सरकार द्वारा एक रेलवे सुधार समिति का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण सहित रेल मंडलों/जोनों के सृजन/समायोजन पर विचार करेगा। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि नये मंडलों के सृजन का गाड़ियों के समय पर चालन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। सवारी गाड़ियों की समय पाबन्दी के कार्य पर प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जाती है और इनमें सुधार लाने के लिए हर समय अपेक्षित उपाय किये जाते हैं।

जाखल-भटिंडा मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाना

3130. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाखल भटिंडा मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) इस खंड पर जितना यातायात आता है, उसे देखते हुए इस खंड में दोहरी लाइन बिछाने की फिलहाल जरूरत नहीं है।

नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन

3131. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले दम्पतियों को आजकल क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं; और

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नसबन्दी करवाने योग्य दम्पतियों को सरकार का और क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन नसबन्दी आपरेशन कराने वालों तथा गर्भासयी गर्भरोधकों का इस्तेमाल करने वालों का आपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए जितने वेतन का नुकसान होता है, उसका मुआवजा दिया जाता है। पहली दिसम्बर, 1981 से पहले नसबन्दी आपरेशन कराने वाले पुरुष/महिला को 70 रुपये दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त आपरेशन करने वाली एजेन्सियों को भी पुरुष नसबन्दी के लिए 50 रुपये तथा महिला नसबन्दी के लिए 30 रुपये की रकम दवाओं, भोजन, परिवहन तथा विविध खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। कुछेक राज्य सरकारे नसबन्दी आपरेशन कराने वालों को अपने-अपने बजट में से अतिरिक्त रकम देती

रही हैं जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग थी। पहली दिसम्बर, 1981 से इस रकम को नीचे बताये अनुसार संशोधित कर दिया गया है :

	महिला नसबन्दी आपरेशन संशोधित रकम (रुपये)	पुरुष नसबन्दी आपरेशन संशोधित रकम (रुपये)	
स्वीकारकर्ता	70	70	कोई परिवर्तन नहीं।
दवा और पट्टियां	25	15	
भोजन	30	10	
परिवहन	15	15	
विविध (प्रेरक की फीस समेत)	30	40	
योग	170	150	

इसके अतिरिक्त कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनों की एक योजना भी 1979 में शुरू की गयी थी। इस योजना के अधीन एक वेतन वृद्धि जो भविष्य में बढ़ने वाले वेतन में समाहित नहीं की जाएगी तथा भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर में आधे प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह योजना कुछेक राज्यों तथा अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा भी अपना ली गई है।

(ख) इस मामले की सामान्य रूप से समीक्षा की जा रही है।

1980 से 2000 तक बाल विकास योजना

3132. **श्री जय नारायण रोट** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1980 से 2000 तक की एक भावी बाल विकास योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना से अब तक कितने बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1980 से 2000 तक की भावी बाल विकास योजना बनाने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है। कार्यदल ने भावी योजना काफी हद तक बना ली है।

अखिल भारतीय सेकेण्डरी अध्यापक संघ की मांगें

3133. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है अखिल भारतीय सेकण्डरी अध्यापक संघ ने अपनी मांगें प्रधान मंत्री के पास भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गाई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री को हाल ही में ऐसी कोई मांगें प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नाइजरियायी रेलवे के प्रबंध सम्बन्धी ठेके की अवधि का बढ़ाया जाना

3134. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को नाइजेरियायी रेलवे के प्रबन्ध का आगे और ठेका पाने में कठिनाई महसूस हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जब तक नाइजीरियन रेलवे निवेदन न करें, तब तक ठेका बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। ज्यों ही निवेदन किया जायेगा, वैसे ही, राइट्स एक प्रस्ताव देगा और यह नाइजीरियन रेलवे पर निर्भर करेगा कि वह ऐसे प्रस्ताव को चुने जो उसकी आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम हो।

नहरुआ रोग के उन्मूलन के उपाय

3135. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नहरुआ रोग, जिसका देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्रकोप है, के उन्मूलन के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस रोग के उन्मूलनार्थ भारत सरकार ने कार्यनीति बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स ने निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं।

1. स्थानिकमारी वाले गांवों/खण्डों/जिलों का सही-सही सीमा निर्धारण करना।

2. पीने के पानी के संक्रमित स्रोतों का पता लगाना।

3. मौजूदा जल स्रोतों में परिवर्तन करके अथवा नये वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था करके साफ पानी उपलब्ध कराना।

4. कार्मिकों को मिनी-कृमि उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण देना तथा लोगों को बिना साफ किए पानी को छान तथा उबालकर पीने की शिक्षा देना।

इन सिफारिशों का कार्यान्वयन विभिन्न स्टेजों पर हो रहा है।

पुनर्वास विभाग के लिए भवन का निर्माण

3136. **श्री डी० पी० यादव :**

श्री धर्मवीर सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के समीप भवन बनाने के प्रस्ताव पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यवाही शुरू की गई थी और इस पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए बजट की व्यवस्था की गई थी;

(ख) निर्माणकार्य शुरू न किये जाने और निधि वापिस लौटाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि पुनर्वास केन्द्र के भवन के निर्माण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में बजट की पुनः व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो काम शुरू करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की अपेक्षाओं तथा नक्शों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ है।

(ग) पुनर्वास केन्द्र की योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और इसके लिए 50 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसमें 33.50 लाख रुपये राजस्व के अन्तर्गत तथा 16.50 रुपये पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत रखे गये हैं। इस पुनर्वास केन्द्र के भवन के स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिए गया है।

दादरा और नागर हवेली में स्कूल

3137. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में जून, 1981 तक कितने गांवों में स्कूल की सुविधा उपलब्ध थी और कितने गांवों में कोई भी स्कूल नहीं था;

(ख) कितने गांवों में स्कूल के भवन पक्के थे;

(ग) शेष गांवों में कब तक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी और विद्यमान स्कूलों के भवन पक्के बनवा दिए जायेंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1975 से 1980 तक की अवधि के दौरान वार्षिक बजटों में शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उसमें से कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लिया जाना

3138. **श्री रशीद मसूद :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रशासनिक अधिकारियों को यू० एन० ई० एस० सी० ओ० यू० एन० आई० सी० ई० एफ० ए० पी० ई० आई० डी० आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित शक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्ति किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कितने व्यक्ति (उनके नाम और पदनामों के उल्लेख सहित) भेजे गये और यदि सरकार ने कोई धनराशि खर्च की है, तो कितनी; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों में भाग लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिनियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं और इस कार्यक्रमों में उनके भाग लेने से सरकार को क्या लाभ होना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आमूल-चूल परिवर्तन करने के बारे में उच्च-स्तरीय पुनरीक्षण समिति का सुझाव

3139. **श्री जयपाल सिंह :**

श्री चतुर्भुज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च-स्तरीय पुनरीक्षण समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आमूल-चूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनरीक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान चण्डीगढ़ दोनों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए गठित की गई पुनरीक्षा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सरकार ने इस पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक शक्तिसम्पन्न समिति का गठन किया है।

कैनकुन शिखर सम्मेलन

3140. **श्री चित्त बसु :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैनकुन शिखर सम्मेलन के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कैनकुन बैठक सार्वभौम न होकर एक सीमित मंच ही था, यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि बैठक में किन्हीं विश्वव्यापी मसलों पर संधि वार्ता नहीं होगी या निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसलिए किसी फैसले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तथापि, सह-अध्यक्षों ने अपने पक्षसार में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास, पण्य, व्यापार तथा औद्योगीकरण, ऊर्जा और आर्थिक तथा वित्तीय मसलों जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों पर, जिनके उपयुक्त मंचों पर उठाये जाने की जरूरत है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास पर विश्वव्यापी वार्ताओं की वांछनीयता पर सहमति का संकेत मिलता है। भारत उपर्युक्त समझौतों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा।

राजस्थान में अलवर जिले के नीलकंठ मंदिर समूह

3141. **श्री दौलतराम सारण : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अलवर जिले में गढ़ी गांव के नीलकंठ मन्दिर-समूह के पुरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने कब सम्भाला था;

(ख) मन्दिरों के संरक्षण पर अब तक अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) इन मन्दिरों के सुरक्षा कर्मचारियों (वाच एण्ड वार्ड स्टाफ) को प्रदान की गई वर्तमान सुविधाएं क्या-क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नीलकंठ मन्दिर समूह को सन् 1951 में केन्द्र द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था।

(ख) अक्तूबर, 1981 तक इन मंदिरों के रख-रखाव तथा परिरक्षण पर लगभग 2,70,000 रुपये खर्च हुए हैं।

(ग) पहरा व निगरानी कर्मचारियों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सुविधाएं, यथा-वर्दियां, जूते तथा टार्चें दी जाती हैं।

टिकट निरीक्षकों के लिए पेनल का बनाया जाना

3142. **श्री सूरजभान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (एन० जी०) 65 पी० एम० आई०/86, दिनांक 13 सितम्बर, 1968 के अनुसार 205-280 रुपये (ए० एस०) के ग्रेड में टिकट निरीक्षकों के लिए 1 अप्रैल, 1966 के बाद और 2 जुलाई, 1970 से पहले बनाये गये पेनल रद्द हो गये क्योंकि 31 मार्च, 1966 को ऐसे सभी व्यक्तियों की 1 अप्रैल, 1966 से 205-280 रुपये (एस०) के ग्रेड में पदोन्नति की गई थी और इन सभी व्यक्तियों की वरीयता 180-240 रुपये (ए० एस०) के ग्रेड के आधार हर निर्धारित की जानी थी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं।

सीजनल मासिक टिकटों का जारी न किया जाना

3143. **श्री धर्मदास शास्त्री : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने इलाहाबाद डिवीजन या उत्तर रेलवे की अन्य किसी डिवीजन में दिल्ली/नई दिल्ली तक के दैनिक यात्रियों के लिए सीजनल मासिक टिकटों को जारी न करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन दैनिक यात्रियों को सीजनल मासिक टिकट देने पर रोक लगाने के भी आदेश जारी किए गए हैं, जो समाप्ति की तारीख के अगले दिन ही अपने टिकटों का नवीकरण नहीं कराते हैं;

(घ) दैनिक यात्रियों की सीजनल मासिक टिकट पुन: जारी करने से संबंधित उत्तर रेलवे द्वारा हाल में जारी किए गए आदेशों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या दैनिक यात्रियों को पहले उपलब्ध सीजन मासिक टिकट संबंधी कुछ सुविधाएं अब समाप्त कर दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ध) कुछ गाड़ियों पर मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों को जारी करना बन्द कर दिया गया है। वर्तमान सीजन टिकटों का उनकी अन्तिम तिथि से एक महीने के अन्दर नवीकरण करवाने की अनुमति दी जा रही है बशर्ते कि पुराने टिकटों को वापिस कर दिया जाए।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रेलवे लाइनें

3144. श्री रणजीत सिंह :

श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता समाप्ति के समय बिहार में कुल कितने किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन बिछी हुई थी और अब स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक बिहार की जनसंख्या बढ़कर दुगनी हो गयी है तथापि रेलवे के मामले में विस्तार की दर नगण्य ही रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य में, विशेष रूप से इसके पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक रेलवे लाइनें बिछाने के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) रेल लाइनों की लम्बाई के राज्यवार आंकड़ों की गणना करने का काम केवल 1955-56 से ही आरम्भ हुआ था। बिहार में सरकारी रेलों की लाइनों कुल मार्ग मिलोमीटर 31 मार्च, 1956 को 4.704 कि० मी० था और 31 मार्च, 1981 को 5,362 कि० मी० था।

(ख) और (ग) रेलवे के जाल तंत्र में वृद्धि करने की योजना राज्यवार अथवा क्षेत्रवार नहीं बनायी जाती, बल्कि राष्ट्रीय आधार पर परिवहन की समग्र आवश्यकताओं के अनुसार बनायी जाती हैं।

(घ) (एक) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत तथा अखिल भारतीय आधार पर आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार, निम्नलिखित नयी लाइनों का निर्माण और आमान परिवर्तन की परियोजनाएं अनुमोदिन परियोजनाएं हैं और वे प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं—

(1) सकरी से हसनपुर तक मीटर लाइन।

(2) बगहा-छितौनी रेल लाइन को फिर से बिछाना।

(3) तालगढ़िया से तुपकाडीह तक बड़े आमान की नयी लाइन।

(4) बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना (अधिकांश भाग बिहार में)।

(5) समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।

(6) बरौनी-कटिहार मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना।

(7) बरौनी-बारसोई-सिलीगुड़ी मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (आंशिक रूप से बिहार में)।

(दो) निम्नलिखित नयी लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य को रेलवे बजट में भी शामिल कर लिया गया है और उत्तरोत्तर उन पर काम आरम्भ किया जा रहा है—

(1) आरा से सासाराम तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(2) देहरी-आन-सोन से अमजरी/बंजान/पिपराडीह तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण।

(3) देवगढ़ से दुमका तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(4) हजारीबाग के रास्ते रांची से गिरिडीह तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(5) माधोपुर से दुमका तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण।

(6) लालमटिया से कहलगांव तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(7) मुजफ्फरपुर-रक्सैल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अद्यतन सर्वेक्षण और सगौली से बगहा तक नवीन सर्वेक्षण।

(8) हाजीपुर से बछवाड़ा तक बड़े आमान की एक समानान्तर लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(9) दरभंगा-सकरी-जयनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण।

(10) दौराम-माधोपुरा से सिंघेश्वर अस्थान तक एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण

(11) मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(12) रांची-लोहारडागा छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने तथा टोरी तक उसका विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण।

जिला-अजायबघर

3145. **श्री रासबिहारी बहेरा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जन-साधारण में अपने प्राचीन अवशेषों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला अजायबघरों की स्थापना करने की योजना बनाई थी।

(ख) अब तक उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) सांस्कृतिक सम्पदा के दुरुपयोग और उसकी तेजी से हो रही क्षति संबंधी समस्या को हल करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में चेतना जगाने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संविधान के अन्तर्गत "संग्रहालय" राज्य का विषय है और जिला संग्रहालय स्थापित करना राज्य सरकार का विषय है।

सरकार ने, "प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" में शामिल न किए गए स्मारकों, स्थलों अथवा ऐतिहासिक/सांस्कृतिक महत्व के अवशेषों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत और समकालीन दोनों प्रकार के दृश्य, निष्पादन, रूपंकर और अन्य कलाओं के सम्बन्ध में, स्कूल शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुस्थापन पाठ्यक्रमों और केन्द्र द्वारा प्रदत्त श्रव्य-दृश्य सामग्री और साहित्य के माध्यम से प्रशिक्षित ये अध्यापक स्कूली बच्चों के बीच प्राचीन विरासत सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करते हैं और उनमें सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में फोटोग्राफी डिपार्टमेन्ट/सेक्शन के कर्मचारी

3146. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार मन्त्री मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में फोटोग्राफी डिपार्टमेंट/सेक्शन के कर्मचारियों के बारे में 16 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकनायक जे० पी० अस्पताल, जी० बी० पन्त अस्पताल और गुरुनानक चक्षु अस्पताल से सम्बन्ध मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में फोटोग्राफी डिपार्टमेंट/सेक्सन के पदों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजन से किन-किन समान पदों के साथ एक ग्रुप में रखा गया है; और

(ख) क्या ग्रु में रखे गए पदों के उल्लेख सहित पारस्परिक वरीयता की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा दिल्ली प्रशासन के अधीन विभिन्न अन्य चिकित्सा संस्थाओं में 260-400 रुपये के वेतनमान में डार्करूम सहायकों के पदों को 425-700 रुपये के वेतनमान में फोटोग्राफर के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में 550-900 रुपये के वेतनमान में सीनियर फोटोग्राफर के पद को 650-1200 रुपए के वेतनमान में फोटो सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए इकटठा कर दिया गया है ।

(ख) डार्क रूम सहायकों और सीनियर फोटोग्राफरों की परस्पर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

कनाडा सरकार का भारतीयों पर प्रतिबन्ध

3147. **श्री भीकूराम जैन :** क्या विदेश मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनेडी सरकार द्वारा हाल में लगाए गए अप्रावासीय प्रतिबंधों के अन्तर्गत भारत से आए यात्रियों को अब आगे बिना वीसा के केनेडा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) यदि हां, तो क्या केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्रमंडल देश है, जिसके मामले में ऐसे प्रतिबंध लगाए गए है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । नाइजीरिया और घना के राष्ट्रिकों के लिए भी कनाडा में प्रवेश के लिए वीजा जरूरी है ।

(ग) भारत सरकार ने कनाडा के अधिकारियों को अपने इस विचार से अवगत करा दिया है कि आगंतुक-वीजा पद्धति के चालू किये जाने से दोनों राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच वैध यात्रा में कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए । कनाडा सरकार ने बताया है कि वीजा पद्धति लागू करते समय वह इस बात को ध्यान में रखेगी। उनसे यह भी सूचित किया है कि वीजा-पद्धति की निरन्तर समीक्षा की जाएगी ।

दिल्ली नगरीय कला आयोग की एशियाड परियोजनाओं के बारे में टिप्पणी

3148. **श्री रामविलास पासवान :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरीय कला आयोग (दिल्ली अर्बन आर्ट कश्मीर) ने अपनी पांचवी रिपोर्ट (1980-81) में एशियाई परियोजनाओं के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। तथापि, दिल्ली नगर कला आयोग ने एशियाई खेल, 1982 के लिए परियोजनाएं शीर्षक में होटलों, फलाई ओवर्स के निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने आदि कार्यों को शामिल किया है जो एशियाई परियोजनाएं नहीं हैं बल्कि ये सम्बन्धित प्राधिकरणों के सामान्य विकास कार्यक्रम की अंग हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में ही प्रगति हुई है ताकि एशियाई खेल, 1982 के समय लाभ प्राप्त हो सके।

(ख) कुछ स्टेडियमों के निर्माण/नवीकरण के बारे में कई उपयोगी सुझाव देने के अलावा आयोग ने निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियां की हैं —

(1) पर्याप्त अध्ययन किए बिना ही कुछ प्रमुख विकास कार्य के प्रस्ताव दिए जा रहे थे।

(2) फलाई-ओवर्स तथा कुछ अन्य ढांचों का निर्माण जिनमें बहुत से पेड़ों का गिराया जाना भी शामिल था।

(3) आवासीय क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित होटल स्वीकार्य नहीं था।

(4) जन्तर-मन्तर के निकट प्रस्तावित होटल स्मारकों के आस-पास एक बहुत ही ऊंची ईमारत बन जायेगी जो शायद एक उचित प्रस्ताव नहीं हो सकता।

(5) एशियाई खेल गांव परिसर की योजना बहुत अच्छी थी।

सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आयोग द्वारा विचार किया गया था तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को प्रस्ताव में सम्मिलित कर लेने के बाद ही इसे अन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया था जहां तक आवासीय क्षेत्र में होटल का सम्बन्ध है, इसे एशियाई खेलों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु अनुमोदित होटलों में शामिल नहीं किया गया है। जहां तक पेड़ों को गिराने का सम्बन्ध है, सम्बन्धित एजेंसियां यथासंभव अधिक से अधिक पेड़ के पौधे फिर से लगा रही है तथा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नए पेड़ लगा रही हैं जिनकी संख्या गिराये जाने वाले पेड़ों की अपेक्षा कई गुना अधिक है।

बच्चों में अन्धेपन को रोकना

3149. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के अन्धेपन को रोकने के लिए 18 करोड़ रुपए की एक योजना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना को सफल बनाने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(घ) इस योजना को कब तक व्यवहार में लाए जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केवल बच्चों के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के शासी निकाय की संरचना

3150. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के शासी निकाय के गठन का ब्यौरा क्या है और क्या देश के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों की उचित और पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) उनके वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं और उनकी अर्हताएं क्या-क्या हैं तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है; और

(ग) योग के विकास के लिए परिषद द्वारा दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) योग और प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् के शासी निकाय का गठन विवरण-1 में दिया गया है । संस्था के ज्ञापन और परिषद् के नियमों तथा विनियमों में सदस्यों को प्रादेशिक आधार पर मनोनीत करने की व्यवस्था नहीं है । शासी निकाय के सदस्य के रूप में मनोनीत करने के लिए व्यक्ति को प्रतिष्ठा तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की प्रगति में उसका योगदान ही मुख्य मानदण्ड है ।

(ख) यह सूचना विवरण-2 में दी गई है ।

(ग) 1980-81 में परिषद् द्वारा दिए गए अनुदानों का ब्यौरा विवरण 3 में दिया गया है ।

विवरण-1

योग और प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की सूची

1. अध्यक्ष	केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री।
2. उपाध्यक्ष	केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री।

सरकारी सदस्य

3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

4. संयुक्त सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रभारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

5. संयुक्त सचिव, (एफ० ए०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

गैर-सरकारी सदस्य

6-9. योग के चार विशेषज्ञों का अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना।

10-13. प्राकृतिक चिकित्सा के चार विशेषज्ञों का अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना।

14. एक सदस्य शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

15-16. आधुनिक चिकित्सा के दो विशेषज्ञों का अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना।

17. निदेशक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का राष्ट्रीय संस्थान (जब खोला गया था)

18. लोक सभा/राज्य सभा का एक सदस्य अथवा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखने वाला एक प्रसिद्ध नागरिक।

19. परिषद का निदेशक—सदस्य सचिव।

विवरण-2

सदस्यों की सूची

1. अध्यक्ष	
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
2. उपाध्यक्ष	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री	श्री निहार रंजन लास्कर
3. सरकारी सदस्य	
सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	श्री एम० एस० सिद्धू

4. संयुक्त सचिव, मारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रभारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	श्री टी० वी० अल्टोनी
5. संयुक्त सचिव (एफ० ए०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	श्री आर० आर० गुप्ता

गैर-सरकारी सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित किये गए योग के चार विशेषज्ञ	अर्हता	योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान
1	2	3
6. स्वामी आदन्दानंद योगिक उपचार व अनुसंधान केन्द्र, बापू नगर, जयपुर	—	योग चिकित्सा का प्रसिद्ध व्याख्याता। योगिक उपचार-व अनुसंधान केन्द्र, जयपुर (राजस्थान) का अध्यक्ष। वह भूतपूर्व डोम्योपैथी और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड (योग) तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित योग मूल्यांकन समिति और योग सिलेबस समिति के सदस्य रहे हैं। वह यह केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर गठित योग की विभिन्न समितियों ले संबंधित रहे हैं।
7. स्वामी चन्द्र मोहन सिद्ध गुफा स्वेन, आगरा, उत्तर प्रदेश	—	एक योगी जिसके सारे देश में काफी अनुयायी हैं। इन्होंने योग-चिकित्सा, योग-दर्शन तथा योग के चिन्तन संबंधी कार्यों के अनेक प्रकाशन निकाले हैं। यह पहले शासी निकाय के सदस्य और योग और प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की योग संवंधी पहलो तकनीकी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं।

1	2	3
8. स्वामी सीताराम सरन, लक्ष्मन किलाधीश, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)	—	संस्कृत और योग दर्शन का विद्वान पिछले तीन वर्षों से लोगों के बीच योगिक-सांस्कृति तथा योगिक-नीति शास्त्र का प्रचार करने में लगे हुये हैं।
9. श्रीमती एस० आर० वाई० राज्य लक्ष्मी, प्रिंसिपल, भारतीय योग अनुसंधान संस्थान तथा संबधित विज्ञान, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।	बी० एस० सी०	इन्हें योग उपचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में तीस वर्षों का अनुभव है।
10. डा० के० आर० दिलकश एम० एस० बी०, डी० एस० एच० पी०, एन० डी०, प्रिंसिपल, राष्ट्रीय प्राकृतिक-चिकित्सा और अनुसंधान कालेज, 1-टीवर बैंक कालोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	डिप्लोमा प्राकृतिक चिकित्सा का डाक्टर	यह प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा हैं जिन्हें इस योग की प्राकृतिक चिकित्सा में तथा शिक्षण और अनुसधान में 50 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में 20 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन्हें कुछ पुरस्कार तथा एक रजत पदक तथा साइंटिफिक एकेडमी आफ इंडिया लखनऊ द्वारा एक प्रशंसा-पत्र मिला है। वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा की मान्यता देने के लिए गठित समिति के सदस्य भी थे।
11. श्री विट्ठलदास मोदी, संस्थापक निदेशक, आरोग्य मंदिर, गोरखपुर।	पूर्व-स्नातक	प्राकृतिक चिकित्सा में 40 वर्षों का अनुभव। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी में कई लेख और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्होंने मासिक "आरोग्य" मैंगजीन का सम्पादन तथा आरोग्य मंदिर, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, गोरखपुर का संचालन भी किया है।
12. श्री एस०. सथियम, संयुक्त सचिव (स्पोटंस) शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय।	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय का प्रतिनिधि	—

1	2	3
13. श्री के० पी० माथुर वरिष्ठ चिकित्सक, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ।	एम० बी० बी० एस०, एम० डी०	आधुनिक कार्य-चिकित्सा का विशेषज्ञ ।
14. डा० के० आर० लोमस	पी० एच० डी०	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रजनन जीव-विज्ञान विभाग का प्रोफेसर और अध्यक्ष ।
15. श्री यशपाल कपूर, 8-ए, बी० पंडारा रोड, नई दिल्ली ।	ग्रेजुएट	यह एक प्रसिद्ध नागरिक है जिनकी योग और प्राकृतिक चिकित्सा में काफी रुचि है।
16. निदेशक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का राष्ट्रीय संस्थान । (जब स्थापित किया गया था)	—	—
17. 18. रिक्त	—	—
19. स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी	—	निदेशक और सदस्य-सचिव, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद। स्वामी जी ने योगासन विज्ञान तथा योगिक सूक्ष्म विज्ञान हिन्दी, अंग्रेजी और जर्मन में प्रकाशित किये थे । इन्होंने स्कूल और कालेजों में योग शुरू करने के लिए सरकार को सहायता प्रदान की । वे पिछले कई सालों से सभी भारतीय दूरदर्शन केन्द्रों में योग का अभ्यास प्रदर्शित करते रहे है तथा जिनका सारे देश में प्रसारण किया जाता है। योग शिक्षा तथा योग चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ विद्वान होने के नाते वे भारत सरकार द्वारा गठित योग की विभिन्न समितियों से सम्बद्ध रहे हैं ।

विवरण-3

1980-81 के दौरान योग और प्राकृतिक चिकित्सा को केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद द्वारा योग संस्थानों को दी जाने वाली सहायता अनुदान का ब्योरा

क्रम सं०	संस्थान का नाम	1980-81
1.	भारतीय योग अनुसंधान संस्थान तथा सम्बद्ध विज्ञान तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश	2,00,000
2.	शिवानंद मठ, यूराचल योगाश्रम, गोहाटी, असम	34,000
3.	जी० वी० पंत अस्पताल, नई दिल्ली	24,000
4.	योगिक उपचार व अनुसंधान केन्द्र, बापू नगर, जयपुर।	17,051
	योग	2,75,051

नोट : योग और विश्वायतन योगाश्रम के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को इस परिषद के माध्यम से योग का विकास करने के लिए 8,73,000 रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में भी दी गई थी।

मन्थर गति से चलने वाली रेलगाड़ियां

3151. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री दौलतराम सारण :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 13 नवम्बर, 1981 को गोदावरी से 40 किलोमीटर दूर नवाबपालम तक पहुंचने में एक सवारी गाड़ी ने साढ़े तीन घंटे लिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की कोई जांच की है, जिसकी वजह से उस सवारी गाड़ी को इतनी अधिक मन्थर गति से चलना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । 435 एलुरू-अनेकापल्लि सवारी गाड़ी रास्ते में रुकी पड़ी रही और गोदावरी 8.46 बजे के बजाय 10.22 बजे पहुंची । इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति को सजा दी गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

3152. **श्री ए० वी० किशोर चन्द्र :**
श्री एस० देव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार विकलांग व्यक्तियों कि सहायता के लिए की गई कार्यवाही का और अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में उसके द्वारा किए गए सहयोग का ब्योरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों मे, जन्म 90 प्रतिशत विकलांक व्यक्ति रह रहे हैं, पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है :

(1) यंत्रों और उपकरणों की एक नई योजना बनाई गई है तथा उसे मार्च, 1981 से इस देश में चलाया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए उन्हें मुफ्त या 50% मूल्य पर सहायक यंत्र और उपकरण दिए जाते हैं । इस योजना के अन्तर्गत यात्रा खर्च, रहने और खाने का खर्च भी दिया जाता है ।

(2) समेकित शिक्षा की योजना का संशोधन किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अब 100% धनराशियां दी जाती हैंजबकि पहले 50% धनराशियां दी जाती थीं । इस योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा को सामान्य बच्चों की शिक्षा पद्धति के साथ एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है ।

(3) कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले संगठनों को सहायता देने हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था की गई है ।

(4) चार राष्ट्रीय संस्थानों की योजना है । राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून में तथा राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता पहले ही चल रहे हैं । बधिरों के लिए राष्ट्रीय

संस्थान बम्बई में तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए संस्थान हैदराबाद में स्थापित किए जा रहे हैं। बधिरों के लिए संस्थान के वास्ते बिल्डिंग प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर लिए गए हैं तथा एक सोसाइटी शीघ्र ही रजिस्टर की जा रही है।

(5) नई दिल्ली स्थित विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान के लिए एक नई भूमिका तैयार की गई है। इस संस्थान के भीतर राष्ट्रीय स्तर का एक सूचना केन्द्र स्थापित करने का तथा उसे इस देश में पुनर्वास कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

(6) इस वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की संख्या 18 से बढ़ा कर 21 कर दी गई है।

(7) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की संख्या 11 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। चालू वर्ष में गोहाटी में एक और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित कराने का भी प्रस्ताव है जिससे उनकी संख्या 13 हो जाएगी।

(8) सरकार के बहुत से विभागों ने विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की है। पेट्रोलियम विभाग ने पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां इत्यादि प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए 15% का आरक्षण किया है। संचार मन्त्रालय ने देश में (31 मार्च, 1982 तक) 891 टेलीफोन बूथ स्थापित करने की योजना बनाई है जिन्हें विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा। इनमें 427 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

(9) केन्द्रीय सरकार के आरक्षण आदेशों को विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए रोस्टर में अब विशिष्ट प्वाइंट नियत करके और मजबूत किया गया है। प्रत्येक मंत्रालय में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा कार्यों की पहचान कर ली गई है।

(10) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देने, विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां देने जैसे चालू कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्धेपन को रोकने तथा कुष्ठ रोग पर नियंत्रण करने के चालू कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करने के लिए की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस वर्ष के दौरान 5 व्यावसायिक केन्द्रों के साथ 11 ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्र संलग्न किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों का पुनर्वास विकलांगता को रोकने, उसका शीघ्र पता लगाने, विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाओं तथा ऊपर (1) से (9) तक बताए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत आता है।

उड़ीसा में कोरापुट जिले के सुनाबेडा में इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना

3153. **श्री गिरिधर गोमांगो** : शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सुनाबेड़ा/कोरापुट में, उड़ीसा के अल्युमीना-अल्युमिनियन संयंत्र की आवश्यकता पर आधारित एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कालेज शुरू करने की कार्यवाही करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा कोरापुट जिले में ऐसे कालेज की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यही की है; और

(घ) क्या संयंत्र में स्थानीय आदि-वासियों को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रशक्षित करने के कोरापुट में एक इंजीनियरिंग एण्ड माइनिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की, सनाबेड़ा, कोरापुट, उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

महिलाओं के गर्भ को समाप्त करने का साधन

3154. **श्री जी० बी० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अक्तूबर, 1981 के "पैट्रीयट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय औषध अनुसधान संस्थान, लखनऊ ने एक ऐसे साधन का विकास किया है जिसमें कोई भी महिला पांच या छ: घन्टे में गर्भ को समाप्त कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने शीघ्र कार्यवाही करने वाला एक सर्विकल डाइरेटर तैयार कर लिया है जिससे एक प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर द्वारा चिकित्सा द्वारा गर्भ को समाप्त करना और अधिक आसान हो जाएगा।

(ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा पहले जिस सर्विकल डाइलेटर आइसेपटेंट (सिलियम-आइसेपटेंट पौध से किकसित) का विकास किया गया था वह 12 से 24 घन्टों में गर्भाशय ग्रीवा को 8-10 एम० एम० तक खोल सकता था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि संस्थान द्वारा अब जिस नया आइसेपटेंट विकास किया गया है वह 4-6 घन्टों में 8-10 एम० एम० विस्तार कर देता है। शीघ्र असर करने वाले इस नये आइसेपटेंट का भारतीय आयुर्विज्ञान

अनुसंधान परिषद में क्लिनिकल परीक्षण किया जा रहा है। इस अध्ययन का विस्तृत विवरण जनवरी, 1982 के अन्त तक मिल जायेगा जब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययनों को अन्तरित विश्लेषण मिल जाएगा। यह गर्भनिरोधक लगवाने तथा बाद में गर्भ समाप्त करवाने के लिये महिलाओं को डाक्टर के पास जाना पड़ता है।

घरेलू काम के लिए रेल कर्मचारी

3155. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों को अन्य किसी रेलवे कर्मचारी की सेवाओं का (उन मामलों को छोड़कर, जहां उन्हें अधिकाधिक रूप से उपलब्ध कराया गया हो) घरेलू काम के लिए प्रयोग की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य रेलवे के बम्बई मण्डल के अनेक अधिकारी/कर्मचारी अपने घरेलू काम के लिए अन्य रेल कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे कदाचार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां

(ख) जी, नही।

(ग) और(घ) 1-1-1980 से 31-1-10-1981 तक की अवधि के दौरान बम्बई मंडल से सम्बन्धित इस तरह की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले में जांच की गयी लेकिन शिकायत से आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

एशियन रेलवे यूनियन

3156. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक एशियन रेलवे यूनियन की स्थापना करने का काई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बेंकाक में एशिया और पेसिसिक के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग की परिवहन और संचार सम्बन्धी विधायी समिति ने यह विनिश्चय किया है कि उनके संरक्षण में सदस्य देशों की रेलों के बीच प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना स्थापित की जाय। सदस्य देशों के लिए एक मंच के रूप में 'इस्कैप' में एक रेलवे सहयोग दल की भी स्थापना की जायेगी।

मुख्य निर्माण तथा माल वाले स्थानों से विभिन्न बन्दरगाहों को विशेष निर्यात रेलगाड़ियों का चलाया जाना

3157. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंजीनियरिंग इडस्ट्री ने मुख्य निर्माण तथा माल वाले स्थानों से विभिन्न बन्दरगाहों को विशेष निर्यात रेल गाड़ियों के चलाये जाने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि ए० आई० ई० आई० ने निर्यात संवर्द्धन के लिए द्रुत परिवहन सेवा तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं हेतु सरकार से प्रस्ताव किया था; और

(ग) ए० आई० ई० आई० के विस्तृत सुझाव क्या हैं तथा उन पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) निर्यात स्पेशल गाड़ियों और क्यू० टी० एस० गाड़ियों के चलाये जाने के विशिष्ट प्रस्ताओं की जांच की गयी है और जहां उचित पाया गया है, ऐसी सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं। उनके द्वारा सुझायी गयी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जैसे क्रेनों की व्यवस्था, माल डिब्बों का आबंटन, अधिक बड़े आकार वाले परेषणों के संचलन के लिए स्वीकृति आदि पर विभिन्न मंचों पर व्यापारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और उपलब्ध यातायात की मात्रा के आधार पर इन सुविधाओं का विकास करने के लिए कार्रवाई की जाती है। रेलें पहले से ही निर्यात यातायात को प्राथमिकता दे रही हैं। कांदला, विजग, परादीप, बम्बई और कादोनाडा बन्दरगाहों के रास्ते पूरे रेकों में निर्यात होने वाले सारे यातायात को वरीयता 'बी' के अन्तर्गत रखा गया है जो कि सेना सम्बन्धी यातायात के बाद सर्वोच्च संचलन वरीयता है। उपर्युक्त बन्दरगाहों के रास्ते होने वाले फुटकर यातायात के निर्यात सहित अन्य बन्दरगाहों के रास्ते होने वाले निर्यात के सारे यातायात और विदेशों की धरती के रास्ते जैसे पाकिस्तान, बंगला देश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के लिए निर्यात यातायात का दर्जा वरीयता 'ग' के अन्तर्गत कर दिया गया है।

तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्र मण्डल निधि

3168. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त धन की कमी के कारण तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमण्डल निधि संकट में पड़ गई है;

(ख) क्या राष्ट्रमंडल देशों की हाल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि इस सदस्य देशों से पूंजी बढ़ाकर तकनीकी सहयोग निधि में वृद्धि की जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग (सी० एफ० टी० सी०) के साधनों का स्रोत स्वैच्छिक अंशदान है। चूंकि 1978-79 में इस स्रोत का स्तर काफी कम हो गया था इसलिए राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों ने मेलबोर्न में अपने हाल ही के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया। वे इस बात पर सहमत थे कि राष्ट्रमंडल के माध्यम से व्यावहारिक सहयोग के तुलनात्मक लाभों को देखते हुए राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग निधि के साधनों को बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार यह सहमति हुई कि 1983-84 तक इसकी गतिविधियों को उस स्तर तक लाया जाए जो इसने 1978-79 में प्राप्त किया था। इस बात पर सन्तोष प्रकट किया गया कि मुख्य और गौण अंशदाताओं से मिले संकेतों से पता चलता है कि ऐसा करना संभव हो सकेगा। शासनाध्यक्षों ने सिद्धान्त रूप से इस सिफारिश का समर्थन किया कि 1983 से प्रत्येक 5 वर्ष में एक विशेष राष्ट्रमंडल स्टैम्प जारी की जाए। इससे लोगों में राष्ट्रमंडल के प्रति अधिक जागरूकता आएगी और साथ ही इससे राष्ट्रमंडल तकनीक सहयोग निधि के आर्थिक स्थायित्व को भी बल मिलेगा।

भारत की नौवहन टन भार क्षमता बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम

3159. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस योजना के दौरान भारत की नौवहन टन भार क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा बढ़ाए जाने की सम्भावना है;

(ख) इसमें कितना पूंजीगत परिव्यय होगा; और

(ग) भारतीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनेमी पोतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में 2.5 मिलियन जी० आर० टी० की निबल वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वास्तव में इसका अर्थ 0.9 मिलियन जी० आर० टी० को हिसाब में लेने के बाद जिसे सक्रैप किए जाने का अनुमान है, 3.4 मिलियन जी० आर० टी० की खरीद करना है। सरकार जहाज खरीदने की स्वीकृति देती है और नौवहन विकास निधि की सिफारिशों की जांच करने के बाद गुण-दोष के आधार पर वित्तीय सहायता देती है।

(ख) अतिरिक्त टनेज की कुल लागत अनुमानतया 1904 करोड़ रु० है।

(ग) तटीय व्यापार अनन्य रूप से राष्ट्रीय जहाजों के लिए आरक्षित है और विदेशी जहाजों को भारतीय तट के साथ-साथ माल की ढुलाई करने की अनुमति नहीं है, सिवा ऐसे मामलों के कि जहां गलती से उतारे गये माल को या माल की अधिकता के कारण, इंडियन कोस्टल कान्फ्रेंस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ढुलाई करनी हो।

प्रमुख बन्दरगाहों पर उतारे-चढ़ाए जाने वाले माल की मात्रा सम्बन्धी अध्ययन

3160. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मुख्य बन्दरगाहों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम स्थिति में चलाये जाने की क्षमता के सम्बन्ध में उतारे चढ़ाए जाने हेतु अपेक्षित माल की मात्रा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कोई अध्ययन शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या पपिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उपभोक्ता मंत्रालयों, विभागों/एजेन्सियों के साथ अन्तर्मन्त्रालयी स्तर पर विचार विमर्श कर यातायात के परिमाण का अनुमान लगाया गया है और तदनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न बड़े पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई गयी है। इस प्रकार जिस क्षमता की योजना बनाई गई है वह विभिन्न पत्तनों पर माल के चढ़ाने उतारने की रीति के साथ-साथ माल की किस्म को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। पत्तन की उपयोगिता वित्तीय दृष्टि से अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे माल और उसकी किस्म और माल के रखने उठाने को सुविधा।

भारत में मुख्य बन्दरगाहों में माल की प्रति टन औसत उतराई-चढ़ाई सम्बन्धी लागत

3161. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में भारत के मुख्य बन्दरगाहों पर माल की प्रति दिन औसत हैण्डलिंग लागत क्या थी; और

(ख) क्या ये दरें अन्य विकसित देशों की तुलना में ज्यादा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) माल के रखने उठाने में बड़े पत्तनों द्वारा किये गये खर्च में विभिन्न प्रभार आते हैं जैसे गोदी श्रम प्रभार, तटीय श्रम प्रभार, क्रेन शुल्क, भंडार प्रभार आदि। यह प्रभार प्रत्येक माल पर अलग-अलग होता है और पत्तनों के माल गोदाम में माल की रखे जाने वाली अवधि के अनुसार होता है। विभिन्न पत्तनों पर माल रखने उठाने की सुविधाएं भी अलग-अलग हैं। कुछ प्रकार का माल मशीनों से और कुछ प्रकार का माल हाथों से रखा उठाया जाता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में प्रति टन माल रखने उठाने की लागत पत्तन द्वारा संकलित नहीं की जाती है क्योंकि इससे विभिन्न पत्तनों पर माल रखने उठाने की लागत का तुलनात्मक ब्योरा का पता ठीक-ठीक नहीं लग सकता।

(ख) अन्य विकसित देशों में चालू दरों के बारे में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

मुख्य बन्दरगाहों पर अयस्क-हैंण्डलिंग और कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों का उपयोग किया जाना

3162. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य बन्दरगाहों पर अयस्क-हैण्डलिंग और कोयला हैण्डलिंग सन्यन्त्रों के उपयोग किए जाने की औसत प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह कार्यनिष्पादिता सन्तोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय महापत्तनों पर ओर हैंडलिंग संयन्त्र

पत्तन	1981-82 में ओर हैंडलिंग संयंत्र का औसत प्रतिशत उपयोग	कार्य (अप्रैल से सितम्बर, 1981 तक)	असन्तोषपद कार्यों के कारण, यदि कोई हो
1	2	3	4
मद्रास	74 प्रतिशत	सन्तोषजनक	कम उपयोग का कारण यह है कि विश्व व्यापार में मन्दा आ गया और इसके फलस्वरूप लोह अयस्क को उठाने के लिए कम संख्या में जहाज निर्मित किए गए।
मामुंगाव	74 प्रतिशत	सन्तोषजनक	प्रश्न नहीं होता।
विशाखापत्तनम	70 प्रतिशत	सन्तोषजनक	यदि लोह अयस्क की वार्षिक आमद अधिक होती तो प्रतिशत उपयोग और अधिक हो सकता था।

1	2	3	5
परादीप	60 प्रतिशत	सन्तोषजनक	अधिक सन्तोषजनक काम इस कारण नहीं हुआ कि वहां जल स्तर कम या और ओर-हैंडलिंग प्लांट ने कम काम किया। स्थिति में सुधार लाने के लिए 8.08 करोड़ रु० की सुधार और आशोधन करने की योजना स्वीकृत की गई थी और पूरी होने को है/चौथा रिकेलमर जिसके लिए माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन को आर्डर दिया हुआ है, जनवरी, 1982 में चालू किए जाने की सम्भावना है पांचवें रिकेल्मर के लिए आशय पत्र अभी हाल ही में जारी किया है जिसमें 15 महीने के अन्दर-अन्दर डिलिवरी करने को कहा गया है।
हल्दिया	0.30	असन्तोषजनक	हल्दिया में आयरन ओर कैरियर जहाजों का उपलब्ध न होना। विदेशी खरीदारों को हल्दिया से आयरन ओर की कम मात्रा में उठाने और बाद में परादीप में ले जाने की अनिच्छा।

महापत्तनों पर कोल हैंडलिंग सन्यन्त्र

पत्तन	कोल-हैंडलिंग सन्यन्त्र के उपयोग का औसत प्रति०	कार्य	असन्तोषपद कार्यों के कारण यदि कोई हो।
1	2	3	4
कलकत्ता	38 प्रतिशत (जून-नवम्बर 1981 में)	सन्तोषजनक	संयंत्र और भी अधिक काम करता यदि— I—माल उठाने के लिए और अधिक जहाज मिल जाते।

1	2	3	4
			II—वैगनों के समय पर और नियमित रूप से न मिलने के कारण सन्यन्त्र पूरी तरह से काम नहीं कर सका । III—नदी में सीमित जल स्तर का होना ।
हल्दिया	52 प्रतिशत	स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है ।	अधिक अच्छा कार्य इस कारण से नहीं हुआ कि कोलियर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही थे और मशीनों ने काम धीमी गति से किया । उपचारात्मक कार्रवाई की गई है और टिपलर पिछले तीन महीनों से सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा हैं । कोयले की ढुलाई के लिए जो कार्यक्रम है, पत्तन अब उन्हें पूरा करने की स्थिति में है बशर्ते कि कोयला और कोलियर जहाज उपलब्ध हों ।

परादीप में शिप बिल्डिग यार्ड की स्थापना

3163. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा के पारादीप में एक शिप बिल्डिग यार्ड की स्थापना के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) परादीप में एक शिप बिल्डिग यार्ड की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वित होने में अनुमानित कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) देश में और अधिक शिप यार्ड बनाने के प्रश्न पर छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के समय विचार किया जाएगा । यह निर्णय उपलब्ध संसाधनों और अपेक्षाकृत

थोड़ी पूंजी से और थोड़ी अवधि में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मौजूदा शिपयार्डों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने और उनका विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया गया है।

कलकत्ता बन्दरगाह पर चोरी की घटनाएं और सुरक्षा पर लागत

3164. **श्री समर मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० आई० एस० एफ० द्वारा कलकत्ता पुलिस तथा अपने निजी सुरक्षा कर्मचारियों के हटाये जाने के बाद से कलकत्ता बन्दरगाहों पर चोरी की घटनाओं तथा सुरक्षा सम्बन्धी लागत दोनों में वृद्धि हुई है; और

(ख) उपरोक्त दो अवधियों के बीच चोरी की घटनाओं तथा सुरक्षा सम्बन्धी लागत के बारे में तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन न्यास में सी० आई० एस० फोर्स कस्टम-वांडेड क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए फरवरी, 1971 में लगाई गई थी। इस क्षेत्र की देख-माल पहले पत्तन पुलिस किया करती थी। 1970 से अक्तूबर, 1981 तक चोरी की वारदातों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	चोरियों की संख्या जो पकड़ी गई
1970	566
1971	466
1972	499
1973	262
1974	262
1975	299
1976	202
1977	205
1978	262
1979	422
1980	577
1981 (अक्तूबर तक)	953

राज्य पुलिस के स्थान पर सी० आई० एस० फोर्स आने के बाद चोरियों की संख्या में काफी कमी हुई और यह स्थिति 1978 तक बनी रही और फिर कस्टम बांडेड क्षेत्रों में चोरियों की संख्या

में तेजी से वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि उस क्षेत्र में ही कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। 1970-71 में सुरक्षा व्यवस्था पर कुल 733 लाख रु० खर्च हुए जबकि 1980-81 में 195.97 लाख रु० खर्च हुए। इसमें से 88.65 लाख रु० सी० आई० एस० एफ० पर खर्चे हुए। खर्चे में वृद्धि इस कारण हुई कि कलकत्ता द्वारा नियुक्त किए सुरक्षा कार्मिकों की कुल संख्या (इसमें सी० आई० एस० एफ० भी शामिल है) जो 1970 में 943 थी, 1981 में बढ़कर लगभग 2200 हो गई। इसके अलावा, खर्च में वृद्धि किसी हद तक इस कारण से भी हुई है कि स्टाफ के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई है।

नाविक रोजगार बोर्ड, कलकत्ता का गठन

3165. **श्री समर मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया द्वारा भारत सरकार द्वारा नाविकों का प्रतिनिधित्व किए जाने हेतु मनोनयन पर विवाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल करने के कारण नाविक रोजगार बोर्ड, कलकत्ता अपनी पिछली अवधि के दौरान कार्य न कर सका और माननीय न्यायालय के अब पिछले आदेश को खारिज कर दिया है क्योंकि उपर्युक्त बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बोर्ड को पुन: कब गठित करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नाविक रोजगार बोर्ड, कलकत्ता का पुनर्गठन विचाराधीन है।

मुख्य बन्दरगाहों पर माल की कंटेनरों में चढ़ाई-उतराई

3166. **श्री समर मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य बंदरगाहों पर कन्टेनरों में माल की चढ़ाई-उतराई को सुविधा देने के लिए अब तक कुल कितनी पूंजीगत खर्च किया गया है;

(ख) कन्टेनरों के जरिए निर्यात शुरू किए जाने से निर्यात के टनभार में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) विभिन्न मुख्य बंदरगाहों पर माल की कंटेनरों में चढ़ाई-उतराई की प्रति टन औसतता क्या है;

(घ) क्या मुख्य बंदरगाहों पर कंटेनरों में माल भेजे जाने के शुरू किए जाने से जहाजों के वापस आने की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अब तक 10.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए है :

हल्दिया	432.37 लाख रुपये
मद्रास	327.42 लाख रुपये
बम्बई	88.00 लाख रुपये
कोचीन	89.46 लाख रुपये
कांडला	65.00 लाख रुपये
	1002.25 लाख रुपये

(ख) कंटेनरों के द्वारा माल के निर्यात में हुई वृद्धि नीचे दिखाई गयी है :

कन्टेनर

पत्तन	1980-81	1981-82
	(अप्रैल से अक्टूबर)	
कलकत्ता	1177	4289
हल्दिया	2106	1148
मद्रास	2240	3500
बम्बई	27490	35368
कोचीन	5950	11900

(ग) पत्तनों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) पत्तन पर जहाज के आने और जाने के समय की गणना, पत्तन पर उसके आने से लेकर माल उतारने या लादने के बाद, पत्तन से बाहर जाने तक में लगने वाले समय के आधार पर की जाती है। इसमें ड्राई-डाक पर मरम्मत के लिए खड़े होने और मरम्मत में लगने वाला समय शामिल नहीं है। ये विभिन्न घटकों के आधार पर निश्चित की जाती है जैसे जहाज को बर्थ तक लाने के लिए अपेक्षित समय, घाट पर खड़े होने से पहले इन्तजार करने का समय, माल का परिणाम और उसकी किस्म, पत्तन पर जहाज के लिए उपलब्ध सुविधाएं, माल उतारने के लिए उपलब्ध कर्मीदल और हुकों की संख्या, बर्थ पर माल उतारने की दर आदि। चूंकि, ये विभिन्न बातें एक ही पत्तन पर प्रत्येक जहाज के संबंध में अलग-अलग देखी जाती हैं इसलिए कंटेनर जहाज और खुला माल लाने वाले अन्य जहाजों के पत्तन पर आने और जाने में लगने वाले

समय के अन्तर को ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। फिर भी, यह एक वास्तविक तथ्य है कि खुला माल लाने वाले जहाजों से माल उतारने और चढ़ाने की दर की अपेक्षा, कंटेनर जहाज से उतारने और चढ़ाने की दर अधिक होती है।

रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियां

3167. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण भारतीय रेलों में क्षेत्रीय तथा मन्डलीय स्तर पर रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों और उनके सदस्यों के बारे में ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त समितियों में संसद सदस्यों को भी मानोनीत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन समितियों में विरोधी दलों के संसद सदस्यों को मनोनीत किये जाने में पक्षपात बरता गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन समितियों में मनोनीत किए गए विरोधी दलों के संसद सदस्यों के बारे में ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3072/81]

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) संसद के दोनों सदनों से सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों और मंडलीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों में नामित किया जाता है। उनमें स्थानीय प्रकृतियों की समितियों के लिए नामित करते समय, उन विशिष्ट इलाकों/क्षेत्रों में रहने वाले अथवा जिनका वहां निर्वाचन क्षेत्र हो या स्थायी पता हो, ऐसे सदस्यों को नामित किया जाता है। क्षे० रे० उ० प० स० और म० रे० उ० प० स० पर नामित विपक्षी सदस्यों की एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3072/81]** सामान्य प्रथा यह है कि संसद सदस्यों को समितियों के लिए नामित करते समय, समितियों में सदस्यों की यथासंभव समान और विस्तृत संख्या सुनिश्चित करने पर इस बात पर ध्यान दिये बिना कि सदस्य किस पार्टी से संबंध रखते हैं, पूरा ध्यान रखा जाये, कि उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव और कार्य क्षमता कितनी है।

तितलागढ़ से तल्चर वाया विजियनगरम नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाया जाना

3168. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को तितलागढ़ से तल्चर वाया विजियनगरम और तल्चर से तितलागढ़ वाया विजियनगरम एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने के बारे में उड़ीसा सरकार और कोरापुट जिले के सामान्य लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस लाइन का यातायात सर्वेक्षण किया है तथा इस लाइन के सामान्य नागरिकों को, जो आर्थिक पहलू से काफी महत्वपूर्ण है उठाई जा रही कठिनाइयों की जांच की है और अपनी रिपोर्ट उनके मंत्रालय को दे दी है;

(ग) उपर्युक्त लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी के शीघ्र चलाए जाने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, टीटलागढ़ विजयनगररम-कटक-तलचेर खंड पर यातायात का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) और (घ) सवारी डिब्बों तथा ट्रमिनल सुविधाओं की कमी होने के कारण यह गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है। उपलब्ध होने वाले यातायात को देखते हुए भी यह औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि रायपुर और कटक के बीच चलने वाला वर्तमान स्लिप कोच का जो टीटलागढ़ और तलचेर के बीच यात्री यातायात के लिए उपलब्ध है, पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

सोरा आदिवासी भाषा

3169. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सर्वेक्षण के दौरान देश की कुछ मुख्य आदिवासी भाषाओं को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सर्वेक्षण में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली सोरा आदिवासी भाषा को किस प्रकार छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् सर्वेक्षण दल/समूह की जानकारी में कोई ऐसी आदिवासी भाषा आई है जिसकी अपनी अलग लिपि है और भावनाओं को लिखित रूप में प्रकट करने के माध्यम के रूप में काम में लाई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी आदिवासी भाषाओं के नाम क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टों में राज्य सर्वेक्षण प्राधिकारियों द्वारा बताई गई देश की भाषाओं तथा बोलियों से संबंधित सूचना दी गई है।

(ख) न तो आन्ध्र प्रदेश ने और न ही उड़ीसा ने यह जानकारी दी कि सोरा एक जनजातीय भाषा/बोली है ।

(ग) तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने उन जनजातीय भाषाओं के संबंध में सूचना एकत्र नहीं की जिनकी अपनी अलग लिपियां हैं। सूचना केवल बोली जाने वाली बोलियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उन बोलियों को बोलने वाले अनुमानित लोगों की संख्या के संबंध में ही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पत्राचार पाठ्यक्रम कालेज, दिल्ली द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति का वापस दिया जाना

3070. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा स्कूल ने उन छात्रों को पुस्तकालय की प्रतिभूति राशि रहीं लौटाई है जिन्होंने 1979 में बी० ए० की परीक्षा पास कर ली थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उन्हें स्कूल किस तिथि तक यह राशि लौटा देगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार छात्रों को पुस्तकालय जमानत की वापसी स्वमेव नहीं होती बल्कि उनके द्वारा कुछ औपचारिकताओं को जैसे कि सदस्यता कार्डों, रीडर्स कार्डों की वापसी और बकाया शुल्क की अदायगी, यदि कोई हो, पूरा करने के बाद होती है । इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद राशि वापस कर दी जाती है ।

अलाभकारी रेल लाइनों का बन्द किया जाना

3171. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अलाभकारी रेल लाइनों को बन्द किया जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिखाया गया तेईस अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द किये जाने योग्य पाया गया था। सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा गया था कि वे या तो इन लाइनों के बन्द किये जाने पर सहमति दें अथवा उनके परिचालन पर रेलों को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति करें।

विवरण

बन्द किए जाने के योग्य पायी गयी 23 अलाभप्रद शाखा लाइनों की सूची

क्र० सं०	शाखा लाइन का नाम	राज्य का नाम
1.	शान्तिपुर-नवद्वीपघाट	पश्चिम बंगाल
2.	लाटागुड़ी जं०-रामशाले	प० बंगाल
3.	बिल्लारी-रायदुर्ग	कर्नाटक
4.	नौवदा-गुनुपुर	उड़ीसा
5.	पुरुलिया-कोटाशिला	बिहार
6.	रांची-लोहारडागा	बिहार
7.	गढ़ी हरसरुफर्रूखनगर	हरियाणा
8.	पिपाड़ रोड-बिलाड़ा	राजस्थान
9.	मकराना-परबतसर	राजस्थान
10.	चिकजाजूर जं०-चित्रदुर्ग	कर्नाटक
11.	पेरलन करेक्कल	कर्नाटक
12.	निडामंगलम-मन्नार गुडी	तमिलनाडु
13.	बेंगलुरु-बंगारपेट्टं	तमिलनाडु
14.	साहिबपुर-कमाल-मुंगेरवाट	बिहार
15.	दुदवा-गोरीफंटा	उत्तर प्रदेश
16.	शाहबाजनगर-कंरुगंज	उत्तर प्रदेश
17.	दुदवा-चन्दन चौकी	उत्तर प्रदेश
18.	मथुरा-वृन्दावन	उत्तर प्रदेश
19.	मंधना-ब्रह्मावर्त	उत्तर प्रदेश
20.	निगाला-गढरा स्वामीनारायण	गुजरात
21.	बोटाड-जसदन	गुजरात
22.	वान-चोटिला	गुजरात
23.	हडमतिया-जोडिया	गुजरात

वैगनों के लदान की दैनिक औसत

3172. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर, और अक्टूबर, 1981 के महीनों के दौरान बड़ी लाइन तथा छोटी लाइनों पर वैगनों के लदान की दैनिक औसत क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1981 की उक्त अवधि में इसमें कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1981 के दौरान प्रारंभिक यातायात से लादे गये बड़ी लाइन और मीटर लाइन के माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गयी है :

महीना	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
अगस्त, 1981	25284	4590
सितम्बर, 1981	25533	4817
अक्तूम्बर, 1981	26069	4825

(ख) जी हां।

(ग) ब्योरे तुलनात्मक आंकड़ों में दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :

महीना	बड़ी लाइन		मीटरी लाइन	
	1980	1981	1980	1981
अगस्त	21514	25284	4390	4590
सितम्बर	22149	25533	4498	4817
अक्तूबर	22361	26069	5000	4825

(घ) मालगाड़ियों के परिचालन में सुधार लाने के लिए रेलों द्वारा जो कदम उठाये गए, वे हैं—परम्परागत किस्म के माल डिब्बों से रोलर बियरिंग और सेंटर बफर कप्लर युक्त माल डिब्बों को अलग करना और अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए उनका रेक बनाना, भारी भरकम वस्तुओं की ढुलाई के लिए जम्बो रैक चलाना, एक ही डीजल या बिजली रेल इंजन से छोर से छोर तक सीधी मालगाड़ियां चलाना, विद्युतीकरण और बिजलीकरण का उत्तरोत्तर विस्तार करना, बन्द परिपथ रेल संचलन करना आदि।

कलकत्ता बन्दरगाह के लिए अतिरिक्त बर्थों का प्रस्ताव

3173. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए माल की उतराई चढ़ाई के लिए कलकत्ता बन्दरगाह में और बर्थ बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किस लागत पर;

(ग) इन्हें चालू करने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नहीं। माल के यातायात में होने वाली वृद्धि के लिए कलकत्ता पत्तन पर माल रखने उठाने के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रोका जाना

3174. **श्री एन० ई० होरो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1981 के दूसरे सप्ताह में महिला पोलोटेकनिक महारानी बाग को कुछ क्रुद्ध छात्राओं द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की अनेक बसों को रोके जाने की कुछ घटनाएं घटित हुई हैं;

(ख) क्या शहर के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वीमेन पालीटेकनीक के छात्रों ने लेडीज स्पेशल चलाए जाने की अपनी मांग को लेकर 6, 9 और 12 नवम्बर, 1981 को बसों को रोक रखा था। छात्रों द्वारा बसों को रोके जाने को अन्य घटनाओं का दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं के परिचालन से प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं था हालांकि कुछ मामलों में छात्रों ने बसों के अनियमित रूप से चलने के बारे में शिकायत की थी।

(घ) सरकार छात्रों द्वारा या समाज के अन्य वर्ग द्वारा बसों के रोके जाने के खिलाफ है क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था की समस्याएं उठ खड़ी होती है/सरकार यात्रियों की वास्तविक कठिनाइयों पर विचार करने और यथासंभव उन्हें दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को वर्दियां

3175. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल विभाग में पिछले तीन वर्षों में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की वर्दियां उनके नाप लेकर दी गई थीं;

(ख) उन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या कितनी है जिन्होंने, अपने नाप की वर्दियां न होने के कारण उन्हें लेने से इनकार कर दिया तथा भारतीय विभाग में डिवीजनवार स्थिति क्या है;

(ग) भारतीय रेल विभाग में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को जनवरी, 1979 से सितम्बर, 1981 के बीच वर्दी न पहनने के कारण दिए गए दण्ड का डिवीजन-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) रेल कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण श्रेणी को, जिनका जनता के साथ सीधा सम्पर्क है, उनके अपने नाप की तथा अच्छे किस्म की वर्दियां न देने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कालेज के शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों तथा लाइब्रेरियनों को सलेक्शन ग्रेड

3176. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में कालेजों के सभी शारीरिक शिक्षा के सभी अध्यापकों तथा लाइब्रेरियनों को सलेक्शन ग्रेड देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उन विश्वविद्यालयों/राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें अभी तक यह लागू किया जाना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक सुनिश्चित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा संशोधन वेतनमानों में कालेजों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और पुस्तकाध्यक्षों के लिए प्रवरण ग्रेडों की व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून-कलासी लाइन

3177. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देहरादून डाक पत्थर-कलसी नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब पूरा हुआ था और सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस लाइन को बिछाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1964-65 में। सर्वेक्षण रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि यह परियोजना अलाभप्रद होगी।

(ग) इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अजन्ता की गुफाएं

3178. **श्री मन्धवराव सिंधिया :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अजन्ता की गुफाओं में विशिष्ट भित्ति चित्रों की स्थिति बहुत बिगड़ जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके परिरक्षण का समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार उन परिरक्षण के लिए क्या करना चाहती है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट समाचार प्रत्र में प्रकाशित हुई है।

(ख) और (ग) अजन्ता गुफाओं को अधिकार में लेने के समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन भित्ति चित्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। भित्ति चित्रों का संरक्षण एक प्रकार की अनवरत प्रक्रिया है। भित्ति चित्रों के चल रहे संरक्षण कार्य में कीटनाशक उपचार, बाहरी पदार्थ को हटाने, रासायनिक सफाई करने, पट्टी बांठने और पलस्तर के सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं।

ओपन स्कूल योजना

3179. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, रोजगार में लगे प्रौढ़ों और गृहणियों को अपने शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने का अवसर देने के लिए केन्द्रीय सैकण्डरी शिक्षा बोर्ड ने सरकार द्वारा परिकल्पित 'ओपन स्कूल' शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रवेश पाने वालों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इन स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम रखे गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यवार नामांकन दर्शाने वाल विवरण संलग्न है ।

(ग) इस समय ओपन स्कूल, नई दिल्ली में माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है । छात्रों को निम्नलिखित विषयों में से पांच विषय चुनने होते हैं :

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. गणित
4. विज्ञान
5. समाज विज्ञान
6. अर्थशास्त्र
7. वाणिज्य
8. गृह विज्ञान
9. टंकण (अंग्रेजी या हिन्दी)

विवरण

ओपन स्कूल, नई दिल्ली में राज्यवार नामांकन

क्र० सं०	राज्य/संघा शासित क्षेत्र का नाम	नामांकन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	असम	144
3.	बिहार	70
4.	गुजरात	4
5.	हरियाणा	26
6.	जम्मू और काश्मीर	6

1	2	3
7.	कर्नाटक	5
8.	केरल	9
9.	मध्य प्रदेश	24
10.	महाराष्ट्र	9
11.	मणिपुर	1
12.	मेघालय	11
13.	नागालैंड	19
14.	उड़ीसा	9
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	446
17.	सिक्किम	293
18.	तमिलनाडु	53
19.	त्रिपुरा	18
20.	उत्तर प्रदेश	20
21.	पश्चिम बंगाल	99
22.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17
23.	अरुणाचल प्रदेश	2
24.	दिल्ली	320
25.	लक्षद्वीप	5
26.	मिजोरम	1

महाराष्ट्र राज्य बोर्ड को देय बिजली प्रभार

3180. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1981 और 1 नवम्बर, 1981 को बिजली प्रभार की कितनी धनराशि रेल विभाग की ओर से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को देय थी;

(ख) भारतीय रेल विभाग ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से 1980 और चालू वर्ष में अब तक कितनी बिजली खरीदी है;

(ग) अब तक अदायगी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अदायगी कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ नहीं।

(ख) 1980 में 1580 लाख इकाइयां।

1981 में 1190 लाख इकाइयां।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली सप्लाई के लिए प्रस्तुत किए गये बिलों का भुगतान रेलवे द्वारा समय पर किया जाता है और अब कोई राशि बकाया नहीं है। तथापि शोलापुर मंडल के नाम 50011.41 रुपये का एक पुराना बकाया बिल जो महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड द्वारा अब प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है, मांगे गए स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर दावे का मिलान करने के बार आवश्यक भुगतान कर दिया जाएगा।

सड़क परिवहन सांख्यिकी और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

3181. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परिवहन सांख्यिकी और अनुसंधान के सम्बन्ध में एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्थान के कार्यकरण तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख) सड़क परिवहन आंड़कों के बारे में हमारे राष्ट्रीय आंकड़े पूरे रखने के लिए परिवहन विकास परिषद ने 25 सितंबर, 1981 की बैठक में राष्ट्रीय सड़क परिवहन सांख्यिकी और अनुसंधान संस्थान गठित करने की सिफारिश की है। इस बारे में ब्योरेवार प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में बुकिंग खिड़कियों का विकेन्द्रीकरण

3182. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंडोबाली, बम्बई का [illegible] जनवरी, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में बुकिंग खिड़कियों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि उपनगरीय टिकटें बेस्ट बस सेवा के प्रारम्भिक स्थलों, हाउसिंग बोर्ड कालोनियों और औद्योगिक एस्टेटों आदि से जारी की जायें।

(ग) बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय यात्रियों को टिकटें बेचने के लिए कोई एक केन्द्रीय स्थान नहीं है। सभी उपनगरीय स्टेशनों पर टिकट बेचने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। जैसा कि अभ्यावेदन में सुझाव दिया गया है विभिन्न स्थलों पर टिकट बांटने की सुविधाओं की व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं है।

भारत तथा बंगला देश के बीच सड़क परिवहन पर मौजूदा समझौता

3183. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने बंगलादेश और भारत के बीच सड़क परिवहन पर भारत ने बंगलादेश को एक मौजूदा/समझौता प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार की प्रति-क्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख) भारत और बांगला देश के बीच आपसी हितों के आधार पर आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए और आपसी लाभ के आधार पर व्यापार का विस्तार और समर्थन करने की संभावनाओं का पता लगाने की नीति के अनुसरण में भारत-बांगला देश परिवहन समन्वय समिति के नई दिल्ली में 9-10 नवम्बर, 1981 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच यातायात के बारे में द्विपक्षीय करार करने के प्रश्न पर विचार किया था। भारतीय पक्ष ने बांगला देश के प्रतिनिधि मंडल को सड़क परिवहन पर करार के मसौदे की एक प्रति दी थी। इस मसौदे में आपसी आधार पर एक देश से दूसरे देश तक वाणिज्यिक मोटर यातायात के परिचालन की व्यवस्था है और यह गाड़ियों को लायसेंस देने, अपेक्षित दस्तावेज आदि में है। बांगला देश के प्रतिनिध मंडल ने इसकी ब्यौरेवार जांच कर यथासमय इसके बारे में अपने विचार भेजने का वायदा किया है।

खड़गपुर डिवीजन के स्टेशनों पर पेयजल आदि की व्यवस्था

3184. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में मरकौना, सबीरा, राजघाट नियागाह-मयूरगंज रोड रेलवे स्टेशनों पर पेय जल सुविधाएं, बिजली ट्रेनें, 'गुडशेड' यात्री रोड. प्लेटफार्म ऊंचा करनें आदि के सम्बन्ध में एक स्थानीय संसद सदस्य और जनता नें रेलवे प्राधिकारियों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन स्टेशनों पर ये अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक कार्य पर कितनी धनिराशि खर्च होगी और जनता को कब तक ये सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) मार्कोना स्टेशन पर पेय जल की सुविधाओं तथा यात्री शेड की व्यवस्था तथा राजघाट में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में स्थानीय माननीय संसद सदस्य के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मार्कोना में पानी की सप्लाई बढ़ाने तथा कर्मचारी क्वार्टरों में अलग-अलग नलों की व्यवस्था करने के लिए 63,000 रु० के अनुमान को पहले ही स्वीकृति दे दी गयी है। यह कार्य मार्च, 1982 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। मार्कोना स्टेशन पर दूसरे यात्री शेड की व्यवस्था करने के लिए प्रश्न की जांच की जा रही है।

राजघाट में यात्रियों को पानी की सप्लाई मिट्टी के घड़ों में पानी भर कर की जाती है। नुआगांव मयूरगंज रोड छोटे यात्री हाल्ट स्टेशन हैं। इन स्टेशनों से होने वाले यात्री यातायात की सबीरा, सुविधा के लिए, पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म, बुकिंग एवं प्रतीक्षा शेड, पानी सप्लाई की व्यवस्था जैसी अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गयी है, जो अल्प यात्री यातायात वाले स्टेशनों के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

बम्बई सेन्ट्रल से गुड शेडों को अन्य स्थान पर ले जाया जाना

3185· **श्री एस० मुलंयन :** क्या रेल मंत्री बम्बई वी० टी० में उपनगरीय टर्मिनल के बारे में 16 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई वी० टी० उपनगरीय टर्मिनल/यार्ड को नया रूप देने की संशोधित योजना जिसमें कनकी बंदर में गुड शेडों को अन्य स्थान पर ले जाने का विचार था, का कार्य शुरू हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब से यह योजना किसी स्थिति में है और यह योजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने में विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) अत्यधिक सार्वजनिक महत्व की इस योजना को शुरू करने तथा इसे शीघ्र पूरा कराने के लिए सरकार क्या रचनात्मक कदम उठाना चाहती है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्वीकृति के लिए अनुमान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इस कार्य की रनिंग यातायात के हालता के अन्तर्गत चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण में, कार्नेक बंदर माल शेड का स्थान बदला जायेगा। कार्नेक बंदर के निकासी एवं अग्रेषण एजेन्टों द्वारा दायर रिट याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश के कारण, यह कार्य रोकना पडा। स्थगन आदेश अब निरस्त हो गया है और यह काम अगले वर्ष के प्रारम्भ में पुन: शुरू हो जायेगा। चूंकि कार्य बहुत ही जटिल किस्म का है जिसमें रनिंग यातायात के हालात के अन्तर्गत उपनगरीय बार्ड के ढांचे में परिवर्तन का काम शमिल है, इसलिए इस चरणों में ही किया जा सकता है और इस काम को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

मीरज-सांगली लाइन

3186. **श्री एस० मुरूगंयन** : क्या रेल मन्त्री मीरज-सांगली लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 17 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 7.77 किलोमीटर लम्बी मीरज-सांगली (महाराष्ट्र) रेल लाइन पुनर्वीकरण की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इस परियोजना के प्राक्कलन की जांच की तथा मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि आयोग ने ने उक्त परियोजना को स्वीकार प्रदान नहीं की है तो रेल प्राधिकारियों ने इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पिछले तीन महीनों में क्या विशेष प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) योजना आयोग को अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा है। चूंकि परियोजना की लागत अत्यधिक बढ़ गयी है, इसलिए यह जरूरी समझा गया कि परियोजना का वित्तीय दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन किया जाय। दक्षिण मध्य रेलवे से वित्तीय दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट मिल जाने के बाद यह निर्णय किया जायेगा कि परियोजना की स्वीकृति के लिए योजना आयोग को लिखा जाय या अनुमान को रेल मन्त्रालय में ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

चेचक के मामलों की संख्या में वृद्धि

3187. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक रोग, जिस देश में समाप्त कर दिया गया था, देश के कुछ भागों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यापक रूप से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में यह फैल रहा है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

3.88. **श्री जर्नादन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी संघ ने प्रबन्धकों को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) क्रम संख्या 1, 3, 6 और 7 पर उल्लिखित मांगें दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड को विचारार्थ भेज दी गई है।

क्रम संख्या 4 और 9 पर उल्लखित मांगों की जांच की जा रही है और गुण दोष के आधार पर इन पर निर्णय लिया जायेगा। क्रम संख्या 5, 8 और 10 पर उल्लखित मांगों के बारे में यूनियन से और अधिक ब्यौरे और औचित्य बताने के लिए कहा गया है। क्रम संख्या 2 पर उल्लखित मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और उपयुक्त कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। क्रम संख्या 11 पर उल्लखित मांग के बारे में दिल्ली परिवहन निगम का प्रशासन यह निर्णय कर चुका है कि इस बैठक का कार्यवृत्त यूनियन को भेज दिया जाय।

विवरण

दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन का मांग पत्र

1. वर्कशाप के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड और वर्कशाप श्रेणियों में 3 स्तरीय प्रणाली को शुरू करना।

2. सेलेक्शन ग्रेड को जो अनुमोदित किया जा चुका है, उस तारीख से कार्यान्वित करना जिस तारीख से भारत सरकार ने इसे शुरू किया है।

3. कुछ मामलों में विषमताओं को दूर करना ।

4. दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के सभी श्रेणियों के लिये प्रोत्साहन स्कीम शुरू करना ।

5. नकदी संभालने के लिये कन्डक्टरों को रोकड़ भत्ता देना ।

6. सेवानिवृत व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा पत्र देना ।

7. 26 दिनों का एक महीना मानकर उपदान की अदायगी ।

8. टी० टी० सी० के रूप में काम करने वाले कंडक्टरों को दूसरी पद संज्ञा देना ।

9. सेवानिवृत होते समय वर्दी की सामानुपातिक लागत जमा करने की इजाजत देना ।

10. कर्मचारियों के आश्रितों के लिये रोजगार की व्यवस्था ।

11. यूनियन के साथ हुई बैठकों के कार्यवृत की प्रति देना ।

दक्षिण रेलवे के स्क्रैप की नीलामी

3189. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में इस्पात ढालने वाले रोलर और व्यापारी दक्षिण रेलवे के स्क्रैप रद्दी माल की नीलामी का बहिष्कार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सम्पत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम के अन्तर्गत, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा नीलाम की वस्तुओं के कुछ खरीददारों के तथाकथित उत्पीड़न के विरोध के रूप में अगस्त और सितम्बर, 1981 में हुई नीलामी की बोली बोलने वालों ने बहिष्कार किया था । एसोसिएशन के प्रतिनिधि, महाप्रबन्धक तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे । उनके द्वारा उठायी गयी समस्याओं को विचार-विमर्श द्वारा सुलझा लिया गया था तथा उन्हें बता दिया गया था कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गयी कार्यवाई वास्तविक और ईमानदार व्यापारियों को किसी प्रकार उत्पीड़ित करने की नहीं थी बल्कि गैर-काननी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी । बाद में, अक्तूबर, 1981 के आगे की नयी नीलामियों में स्टील रोलर्स और ट्रेडरों ने नियमित रूप से भाग लेना शुरू कर दिया ।

जड़ी-बूटियों से बनाई गई औषधि के शांध्य कैंसर के रोगों का इलाज

3190. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रायपुर, मध्य प्रदेश में एक वैद्य ने शांध्य कैंसर के एक रोगी को जड़ी-बूटियों से बनाई गई औषधि से ठीक किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कैंसर की इस औषधि के अधिक प्रयोग के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस दावे के बारे में अन्वेषण कार्य आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा किया जायेगा, जो भारत सरकार के अधीन एक स्वशासी संस्था है और जो आयुर्वेद और सिद्ध के भिन्न-भिन्न पहलुओं के अनुसंधान सम्बन्धी सारे वैज्ञानिक कार्य को समन्वित करती है।

गूटी में स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

3191. **श्री के० ए० राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूटी, दक्षिण मध्य रेलवे में स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर शैय्याओं सहित अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखकर कि गूटी एक प्रमुख केन्द्र है, जिसमें 1500 मजदूर काम करते हैं, क्या सरकार का विचार इस केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) गूटी में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी द्वारा अपने अधिकारियों के बचाव के लिए खर्च की गई धनराशि

3192. **श्री के० ए० राजन :**
डा० बसन्त कुमार पण्डित

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेड क्रास ने अपने भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी और वाइस-चेयरमैन तथा तीन अन्य व्यक्तियों को एक अपराधी मामले तथा अन्य सम्बन्धित मामलों मे बचाव के लिए लगभग 70,000 रुपये खर्च किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लुधियाना-चंडीगढ़ लाइन

3193. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में लुधियाना और चंडीगढ़ को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए फिर कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या रेल लाइन का एक ताजा सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अम्बाला के रास्ते चंडीगढ़ से लुधियाना तक एक रेलवे लाइन पहले से मौजूद है। लेकिन, मोरिंडा के रास्ते चंडीगढ़ से लुधियाना तक एक सीधी लाइन की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण करना, इस समय सम्भव न होगा।

पटना में गंगा पुल

3194. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए बिहार सरकार को किसी प्रकार की सहायता दी है; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। यह स्थिति बिहार सरकार ने सूचित की है जो इस परियोजना से इसके राज्य की सड़क पर पड़ने के कारण संबंधित है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को चौथी योजना में 4.5 करोड़ रुपये का गैर-योजना ऋण दिया था। इसके साथ-साथ पुल के लिए सामग्री प्राप्त करने और उसके लाने ले जाने में केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर बिहार सरकार की सहायता भी की थी। इसके अलावा हाल में भी निर्णय किया है कि 4 लेन का यान मार्ग के रूप

में इस पुल का विस्तार करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार को विशेष सहायता देने पर भी विचार किया जा सकता है जो चुंगी कर की आय को बढ़ाकर अधिक से अधिक 18 करोड़ रुपये तक हो सकती है। चुंगी कर से आय के बारे में अनुमान है कि यह कम से कम 3 करोड़ रुपये तक होगी। लेकिन यह सहायता तभी उपलब्ध हो सकेगी जब राज्य सरकार का छठी योजना का कुल खर्च 3225 करोड़ रुपये से अधिक हो जाय और यह अधिक खर्च इस परियोजना के कारण हो।

रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले रनिंग भत्ते में कटौती

3195. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन, धनबाद डिवीजन, पूर्वी रेलवे के मण्डलीय सचिव द्वारा दिया गया। नवम्बर, 1981 का तार मिला है जिसमें शिकायत की गई है कि रेलवे बोर्ड के आदेश का उल्लघंन करके पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में कोयला क्षेत्रों में कार्य कर रहे रनिंग स्टाफ के 'रनिंग' भत्ते में कटौती कर दी गई है जिसके कारण समाप्त रनिंग स्टाफ में भारी असन्तोष फैल गया है;

(ख) पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में रनिंग स्टाफ को दिए जा रहे भत्ते में की गई कटौती का विरोध करने वाले लोको रनिंग स्टाफ के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोई आदेश और विद्यमान नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। लेकिन, एसोसिएशन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) समझाये-बुझाये जाने के बावजूद भी एक ड्राइवर ने केवल पांच घंटे की ड्यूटी के बाद ही ड्यूटी करने से मना कर दिया और उसने नये रनिंग भत्ता नियमों को लागू किये जाने के विरोध में आन्दोलन कर दिया। जिसके कारण उसे सेवा से हटा दिया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अपराधियों द्वारा किये जाने वाले असामाजिक कार्यों के विरुद्ध रेलों में विशेष अभियान

3196. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने अपराधियों द्वारा किये जाने वाले असामाजिक कार्यों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) आज तक इस तरह असामाजिक कार्यों में लगे इस तरह के कितने अपराधी पकड़े गए और रेलवे द्वारा कौन-सी अवधि के दौरान इस तरह का विशेष अभियान शुरू किया गया था।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जनवरी, 1982 से नवम्बर, 1981 के दौरान भारतीय रेलों के विभिन्न खंडों पर बिना टिकट यात्रा करने, अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप अलग करने, सीटें हथियाने, महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करने, सवारी डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने, टिकटों की चोरबाजारी करने आदि के विरुद्ध भारी अभियान चलाया गया था और बिना टिकट यात्रा करने वालों सहित 51,200 शरारती व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के अध्यापकों की पदोन्नति की योजना

3197. **श्री राम जेठमलानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार राज्य में, विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापकों की पदोन्नति के लिए लागू योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वे शर्तें कौन सी हैं जिनके अन्तर्गत एक व्याख्याता (लेक्चरर) को "रीडर" के पद पर पदोन्नत किया जाता है, और यह योजना कब से लागू है; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है और क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कालेजों तक इस योजना का विस्तार करने का विचार है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा अपनायी गई विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों की पदोन्नति की योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई योजना स्वीकृति अथवा सलाह के लिए भेजी गई थी। बिहार सरकार की इस योजना को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अथवा इनके कालेजों पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए योग्यता के आधार पर पदोन्नति की योजना

3198. **श्री राम जेठमलानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए "योग्यता के आधार पर पदोन्नति करने की योजना" शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस तरह की योजना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों अथवा विश्वविद्यालय के कालेजों द्वारा नियुक्त अध्यापकों पर ही लागू होगी;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में रीडरों के पद रखने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा पेश की गई अध्यापकों की पदोन्नति के अवसरों सम्बन्धी योजना मिली है अथवा उसकी जांच कर ली गई है और क्या इस तरह की कोई योजना दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू की जा सकती है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की "योग्यता के आधार पर पदोन्नति" करने सम्बन्धी कोई विशेष योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आमतौर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की योग्यता के आधार पर पदोन्नति करने की एक योजना तैयार की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेज के शिक्षकों के लिए भी सामान्य तौर पर ऐसी ही एक योजना तैयार करने के प्रश्न की जांच की जा रही है। योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) छठी योजना के दौरान, स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास हेतु कालेजों को सहायता सम्बन्धी आयोग की योजना के अन्तर्गत, कालेज, प्रोफेसरों अथवा रीडरों के वरिष्ठ शैक्षणिक पदों के सृजन के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को दिल्ली के कालेजों में लागू करने के लिए अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने के साथ अनेक मांगें शामिल हैं। (क) और (ख) में संदर्भित सामान्य योजनाओं का अन्तिम रूप दिए जाने तक दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी योजना को लागू करने करने का प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे में श्रमिक सम्बन्ध

3199. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही श्रमिक विरोधी नीतियों के बारे में तिरुनेलवेल्ली-त्रिवेन्द्रम रेल कर्मचारी संघ (सीटू) नागरकोइल से दिनांक 25-9-1981 का पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपर्युक्त रेलवे अधिकारियों की, इस डिवीजन में औद्योगिक शांति के हित में इस तरह की नीतियां न अपनाने की सलाह देते हुए, क्या कदम उठाए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 28-9-1981 को एक पत्र मिला था जिस पर कोई तारीख नहीं लिखी थी।

(ख) पत्र में मुख्य मुद्दा यह उठाया गया है कि एक तरफ तो इस परियोचना में नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की जा रही है जबकि दूसरी ओर तिरुवनन्तपुरम मंडल में नयी भर्ती की जा रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि छंटनी किये गये इन नैमित्तिक श्रमिकों को करुर-डिंडिगुल, तिरुनेलवेल्ली-तूतीकोरिन आदि नयी परियाजनाओं में समाहित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निर्माण परियोजनाओं के नैमित्तिक श्रमिकों को नयी लाइन के चालू हो जाने पर, अनुरक्षण सम्बन्धी काम के लिए यथासम्भव संख्या में समाहित कर लिया जाता है।

तिरुनेलवेल्ली-नागरकोइल खंड के चालू हो जाने पर, 255 नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति के लिए पेनल में रखा गया है अथवा पेनल में रखा जा रहा है। लेकिन, इस परियोजना के सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना अथवा पुनः नियुक्त करना सम्भव नहीं होगा।

रेल रोको और सड़क-रोको आंदोलन का प्रस्ताव

3200. **श्री एच० एन० नन्जे गोड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शेतकारी संगठन द्वारा दिए गए उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि वे देश के विभिन्न भागों में रेल-रोको आंदोलन शुरू करेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सितम्बर-अक्तूबर के महीनों के दौरान तोड़फोड़ और रेलों के पटरियों से उतरने के कारण बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी मामलों में जांच रिपोर्टों से तोड़फोड़ की बात सिद्ध हुई ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं आयी है जिससे यह पता चले कि सितम्बर और अक्तूबर, 1981 में हुई रेल दुर्घटनाओं का उक्त आन्दोलन से कोई सम्बन्ध था।

(ग) जी नहीं।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के संघ की मांगें

3201. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की एशोसिएशनों (ख, ग और घ) के संघ तथा भारत में उनकी इकाइयों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० आर० टी०) को दिए गये मांग-पत्र के निपटान के बारे में मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रा० शै० ज० प्र० प० को संघ से एक मांग-पत्र प्राप्त हुआ है। उनमें उल्लिखित कुछ मांगों को परिषद द्वारा पहले ही मान लिया गया है और तदनुसार संघ को भी सूचित कर दिया गया है। अन्यों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेना संभव नहीं हो सका है क्योंकि उनमें नोति संबंधी विषय शामिल हैं जिनके लिए परिषद में विभिन्न स्तरों पर पराम करना आवश्यक है।

चीन द्वारा मैकमाहोन रेखा को मान्यता

3202. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने मैकमाहोन रेखा को अपनी मान्यता दे दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या चीन सरकार का यह निर्णय भारत चीन सम्बन्धों को सामान्य बनाने में सहायक होगा; यदि हां, तो इस मुद्दे पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) चीनियों की औपचारिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि प्रश्न में कही गयी है।

बिहार के पूर्वी चरम्पारन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 तथा 32

3203. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 32 अत्यन्त बुरी स्थिति में हैं यद्यपि ये मार्ग समूचे उत्तरी भारत और नेपाल से जुड़ते हैं ?

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो मार्ग बिहार में पूर्वी चम्पारन जिले के पिपराकोठी स्थान से शुरू होता है और गोपालगंज आदि से वरास्ता दुतरिया घाट होकर निकलता है और जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, वह बहुत ही संकरा है और इस पर दो ट्रक एक साथ नहीं आ जा सकते;

(ग) क्या सरकार ने इन मार्गों की मरम्मत करने और उन्हें चौड़ा करने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) संभवतः माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 28क से है जो पूर्वी चम्पारन जिले

से होकर जाते हैं। इन सड़कों को अनुरक्षण और मरम्मत अनुदान की उपलब्ध धनराशि से यातायात के योग्य बनाये रखे जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 में पिपरकोठी-उत्तर प्रदेश सीमा खंड को 54 किलोमीटर तक दो लेन की सड़क के रूप में चौड़ा करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 240 लाख रुपये रखे गये हैं। इस निर्माण कार्य के लिए क्रमिक रीति से मंजूरी देने का प्रस्ताव है।

"बेलघोरिया एक्सप्रेस" के लिए धनराशि जारी करना

3204. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय बेलघोरिया एक्सप्रेस वे के लिए धनराशि जारी नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) उन्होंने धनराशि जारी करने के लिये क्या कदम उठाये है ताकि इसमें और आगे विलम्ब न हो और इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) हालांकि बेलघोरिया एक्सप्रेस के लिए भूमि उपलब्ध करने के लिए मंजूरी जनवरी, 1972 में दे दी गई थी लेकिन इसके लिए भूमि पूरी तरह से अभी प्राप्त नहीं की जा सकी है। राज्य सरकार से बाकी जमीन भी प्राप्त करने लेने के लिए कहा गया है। जब तक भूमि प्राप्त कर लेने की समस्या को हल नहीं कर लिया जाता है तब तक बेलघरिया एक्सप्रेस मार्ग को पूरा करने के लिए कोई नया निर्माण कार्य स्वीकृत करना या इसके लिए धन देना ठीक नहीं रहेगा।

डी० वी० सी० नहर के माध्यम से कोयला ले जाना

3205. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन द्वारा बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों से कलकत्ता को कोयला ले जाने के लिये डी० वी० सी० नहर का प्रयोग करने के सरकार के पास विचाराधीन प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इस समय कनाल में नौचालन का काम नहीं होता है। इसमें निकर्षण और अन्य कार्य किये जाने की जरूरत है जैसे लाकगेटी, कनाल पर रास्ते आदि की मरम्मत। चूंकि ऊर्जा मंत्रालय में इस कनाल से कोयले का यातायात करने की इच्छा व्यक्त की है इसलिए इस कनाल का तकनीकी व आर्थिक

अध्ययन करने का सुझाव है। इस अध्ययन में यहां नौचालन के लिए पानी की गहराई, उपयुक्त जलयानों की किस्म आदि बातों पर विचार किया जाएगा। इस अध्ययन के विचारार्थ विषय तय किये जा रहे हैं। इस अध्ययन के पूरे हो जाने पर इसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता का पता लग सकेगा।

दिल्ली और नरौरा के बीच रेल लाइन

3206. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरौरा (उत्तर प्रदेश) को जहां एक आणविक विद्युत केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, अभी तक रेल मार्ग द्वारा दिल्ली के साथ नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली से नरौरा, बरास्ता, बुलन्दशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर तक रेल लाइन बिछाने के लिये व्यवस्था कब तक की जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त रेल मार्ग के लिये एक बार एक सर्वेक्षण भी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से यह लाइन नहीं बिछाई गयी थी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीगढ़ के रास्ते दिल्ली से राजघाट नरौरा तक एक रेलवे लाइन मौजूद है।

(ख) बुलन्दशहर के दिल्ली से नरौरा तक एक नयी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तूतीकोरन और कोलम्बो के बीच पोत सेवा

3207. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तूतीकोरन और कोलम्बो के बीच पोत सेवा शुरू करने के बारे में श्री कोइल पिल्लई की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने विचाराधीन सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट के अनुसार टूटीकोरिन और कोलम्बो के बीच पैसेंजर व माल सेवा आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगी।

पत्तन न्यासों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वले कर्मचारी

3208. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कांडला और मंगलोर के पत्तन न्यासों के सचिव का वेतनमान क्या है;

(ख) इन उपर्युक्त पत्तन न्यासों में से प्रत्येक के ब्यौरे के साथ-साथ इन पत्तन न्यासों में कितने आई० ए० एस० अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) वे कितने समय से इन पत्तन न्यासों में कार्य कर रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इन पोर्ट ट्रस्टों में वेतनमान इस प्रकार है :

पत्तन का नाम	सचिव का वेतन नाम
कलकत्ता	2200-100-2700 रुपये
बम्बई	2200-100-2700 रुपये
मद्रास	1500-55-1810-70-2300-100-2400 रुपये
विशाखापत्तनम	1700-55-1810-70-2300 रुपये
कांडला	1700-55-1810-70-2300 रुपये
न्यू मंगलोर	1300-50-1650-द०अ०-50-1900 रुपये

(ख) और (ग) पोर्ट ट्रस्ट में काम कर रहे आई० ए० एस० अधिकारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1-12-1981 को पोर्ट ट्रस्टों में काम कर रहे आई० ए० ए० अधिकारी

अधिकारी का नाम	पोर्ट ट्रस्ट में नियुक्ति की तारीख
1	2
1. श्री आर० एच० एम० डिसिल्वा अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	30-8-1975 (उपाध्यक्ष के रूप में)
2. श्री एम० के० कर गुप्त, उपाध्यक्ष, हल्दिया डाक कम्प्लेक्स	10-12-1981

1	2
3. श्री टी० सी० दत्त, विशेष कार्य अधिकारी, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	1-11-1981
4. श्री के० के० उप्पल, अध्यक्ष, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट	16-7-1980
5. श्री के० वी० श्रीनिवासन उपाध्यक्ष, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट	19-5-1981
6. श्री पी० वी० राजगोपालन, परियोजना निदेशक, न्हावा शेवा पत्तन परियोजना	14-5-1981
7. श्री वी० सेल्वराज, अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट	13-5-1978 (उपाध्यक्ष के रूप में) 30-6-1980 (अध्यक्ष के रूप में)
8. श्री टी० आर० एन० जयचन्द्रन, अध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	7-5-1981
9. श्री टी० आर० प्रसाद अध्यक्ष, विशाखापत्तन पोर्ट ट्रस्ट	14-10-1977 (उपाध्यक्ष के रूप में) 30-11-1980 (अध्यक्ष के रूप में)
10. श्री एस० एल० वर्मा, अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट	17-9-1977
11. श्री सी० नरोना, अध्यक्ष, मार्मुगाओं पोर्ट ट्रस्ट	14-10-1981
12. श्री के० नलिनाक्षन सचिव, मार्मुगाओं पोर्ट ट्रस्ट	4-2-1981

1	2
13. श्री प्रभाकर कामत, विशेष कार्य अधिकारी मार्मुगाओं पोर्ट ट्रस्ट	24-10-1979 (अध्यक्ष के रूप में) 14-10-1981 (विशेष कार्य अधिकारी के रूप में)
14. श्री एम० वाई० राव अध्यक्ष, परादीप पोर्ट ट्रस्ट,	22-4-1981
15. श्री वी० सुन्दरम, अध्यक्ष, टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	1-6-1978 (प्रशासक के रूप में) 1-4-1979 (अध्यक्ष के रूप में)

मचेदा स्टेशन पर प्रतीक्षालय कक्ष और बुकिंग काउन्टर को दूसरे स्थान पर ले जाना

3209. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे हावड़ा खड़गपुर सेक्शन में मचेदा स्टेशन स्थित प्रतीक्षालय कक्ष तथा बुकिंग काउन्टर को एक उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) प्रस्तावित प्रतीक्षालय कक्ष और बुकिंग काउन्टर का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त स्टेशन के दक्षिणी भाग की ओर ऊपरी पुल (ओवब्रिज) का विस्तार करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) प्रतीक्षाकक्ष और टिकट खिड़की का स्थान बदलने और ऊपरी पैदल पुल के प्रसार को यदि आवश्यक समझा गया तो उसे निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा ।

मचेदा स्टेशन पर नई रेल लाइनें

3210. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के हावड़ा खड़गपुर अनुभाग पर मचेदा स्टेशन पर नई रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) किस तारीख तक उनके पूरे हो जाने की आशा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग मे उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के कोलाघाट ताप बिजलीघर के लिए साइडिंग सुविधाओं के सम्बन्ध में माचदा में अदला-बदली यार्ड का निर्माण-कार्य निक्षेप कार्य के रूप में प्रगति पर है । काम पूरा होने का लक्ष्य 1982 के अन्त तक है बशर्ते कि कोलाघाट ताप बिजलीघर के प्राधिकारियों द्वारा स्थायी सामान की पूर्ति समय पर होती रहे ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जाने वाली ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म

3211. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जंक्शन पर हावड़ा जाने वाली ट्रेनें प्लेटफार्म संख्या 11-13 और 3-5 पर खड़ी होती हैं जहां 5 से 6 बोगियों तक प्लेटफार्म से बाहर रह जाती हैं और इससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है और इनको दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी करने के लिये कार्यवाही अभी तक क्यों शुरू नही की गई है; और

(ख) किन कारणों से हावड़ा जाने वाली लम्बी ट्रेनों को दिल्ली जंक्शन पर उस नये लम्बे प्लेटफार्म संख्या 14-ए पर खड़ा नहीं किया जाता है जो बहुत पहले ही पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जंक्शन पर सम्हाली जाने वाली हावड़ा की ओर जाने वाली चार गाड़ियों में से केवल दो गाड़ियों की एक या दो बोगियां उस समय प्लेटफार्म के बाहर रह जाती हैं जब ये गाड़ियां पूरे डिब्बों के साथ चलती हैं । दिल्ली जंक्शन पर सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) दिल्ली-शाहदरा-शामली-सहारनपुर खंड की गाड़ियां खड़ी करने के लिए दिल्ली जं० पर निर्मित प्लेटफार्म नं० 14-ए की लम्बाई लम्बी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

पूर्वी रेलवे में खाद्यान्नों-वैगनों की निकासी

3212. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान पूर्वी रेलवे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न वैगनों की निकासी बहुत धीमी गति से होती रही है; जिससे इसकी आवाजाही में गंभीर कठिनाइयां पैदा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए रेकों का मार्ग बदला गया था/उन्हें पुनः बुक किया गया था ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्व रेलवे में मई, 1981 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्न के लिए प्राप्त किये गये और मुक्त किये गये माल-डिब्बों का महीनेवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

माह	अथशेष	प्राप्त किये गये माल डिब्बों की संख्या	जोड़	मुक्त किये गये माल डिब्बों की संख्या	इतिशेष
मई, 81	12,978	4,384.5	17,362.5	5,948.5	11,414
जून, 81	11,414	4,059	15,473	5,240	10,233
जुलाई, 81	10,233	4,838	15,071	5,600	9,471
अगस्त, 81	9,471	5,149	14,620	5,606	9,014
सितम्बर, 81	9,014	8,086	17,100	7,228	9,872
अक्तूबर, 81	9,872	7,152	17,024	5,987.5	11,036.5

उपर्युक्त अवधि के दौरान मुख्यतः श्रमिक संबंधी समस्याओं, ट्रकों की अनुपलब्धता आदि के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल-डिब्बों को मुक्त करने की गति धीमी रही है ।

भारतीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान को कलकत्ता से महाबलीपुरम स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

3213. **श्री चित्त बसु :**

प्रो० रूपचन्द पाल :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान को कलकत्ता से महाबलीपुरम तमिलनाडु मे स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन न्यास ने संस्थान के भवनों के निर्माण के लिये उपयुक्त जमीन मुफ्त दी थी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि संस्थान में सुधार करने के लिये सरकार ने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह संस्था इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन चलाती है व इसका खर्च भी यह एसोसिएशन वहन करती है, इसलिए सरकार ने इसके लिए कोई धनराशि नहीं नियत की है।

नेशनल हारबर बोर्ड की मंगलौर में बैठक

3214. **श्री चित्त बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नेशनल हारबर बोर्ड की एक बैठक मंगलौर में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या बैठक में कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की समस्याओं पर विचार किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड पत्तन प्रबंध और पत्तन विकास के संबंध में सामान्य नीति संबंधी मामलों पर सलाह देने वाली संस्था है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया जाता है और उसके सुझाव परामर्श-मात्र होते हैं। इस बैठक में जिसमें महत्वपूर्ण मदों पर विचार हुआ उनमें से कुछ का संबंध विभिन्न बड़े पत्ततों पर विकास कार्यक्रमों, इन पत्तनों पर यातायात के जमाव, छोटे पत्तनों की समस्याओं पाल पोत उद्योग की समस्याओं और पत्तन और गोदी कर्मचारियों के कल्याण से है।

(ग) जी, हां।

(घ) कलकत्ता में निकर्षण की समस्या, कलकत्ता पत्तन की ओर अधिक यातायात आकृष्ट करना, कलकत्ता को हल्दिया से अलग करना और कलकत्ता एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था।

वैगनों से गेहूं की चोरी

3215. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैगनों से बहुत बड़ी मात्रा में हो रही गेहू की चोरी के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। मालडिब्बों से गेहूं की उठाईगीरी के कुछ मामले ध्यान में आये हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं थे।

(ख) बुक किये गये परेषणों, जिनमें गेहूं भी शामिल है, की चोरी तथा उठाईगीरी को रोकने के लिए, निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

1. जहां तक सम्भव हो, कीमती वस्तुएं ले जाने वाली मालगाड़ियों के साथ रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी मार्गरक्षी के रूप में चलते हैं।

2. रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा सभी महत्वपूर्ण वार्डों, मालशेडों, पार्सल कार्यालयों, यानान्तरण स्थलों आदि की चौबीसों घंटे चौकीदारी की जाती है।

3. इंजीनियरी दृष्टि से लगाये गये प्रतिबन्धों, भेदय आउटर सिगनलों, उत्प्रवणता जहां गाड़ियां सामान्यतः धीमी हो जाती हैं, पर से गाड़ियों को गुजारने के लिए भी रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाती है।

4. अपराध आसूचना कर्मचारी अपराधियों तथा रेल कर्मचारियों में से उनके सहयोगियों की गतिविधियों तथा कारनामों के बारे में आसूचना एकत्रित करते हैं और उनको गिरफ्तार करने तथा चुराई गयी सम्पति को बरामद करने के लिये छापे मारते हैं।

5. कुख्यात अपराधियों तथा चुराई गयी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के अधीन पकड़ा जा रहा है।

चिनसुराह में स्थानीय रेलगाड़ी को रोकने की व्यवस्था करना

3216. **प्रो० रूपचन्द्र पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिनसुराह रेलवे यात्री ऐसोसियेशन का दिनांक 26 जुलाई, 1981 का एक अभ्यावेदन कटवा स्थानीय रेल गाड़ी को चिनसुराह में रोकने की व्यवस्था करने के बारे में मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग मे उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां। चिनसुराह रेलवे पैसेंजर्स एसोसियेशन की ओर से के-1, के-3 और के-6 कटवा लोकल गाड़ियों को चुचुड़ा पर ठहराने के संबंध में 24-7-81 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। कटवा और हावड़ा के बीच चलने वाली 6 कटवा लोकल गाड़ियों में से 3 गाड़ियां अर्थात् के-2, के-4 और के-5 पहले से ही चुचुड़ा स्टेशन पर ठहरती हैं। चूंकि इन कटवा लोकल गाड़ियों को मूलतः हावड़ा और बंडेल-कटवा खण्ड के स्टेशनों के बीच यातायात के लिये चलाया गया है, इसलिए बंडेल-हावड़ा खण्ड पर इन (लोकल गाड़ियों) के ठहरावों को निम्नतम रखा गया है। इसलिए चुचुड़ा पर अधिक कटवा लोकल गाड़ियों को ठहराना वांछनीय नहीं है, विशेष रूप से जबकि बंडेल-कटवा खण्ड के कार्यालयों की ओर से कटवा लोकल गाड़ियों को बंडेल-हावड़ा खण्ड पर अतिरिक्त ठहरावों के विरुद्ध कई बार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय लघु पत्तन सर्वेक्षण कर्मचारियों की एसोसिएशन की मान्यता देने के लिए अभ्यावेदन

3217. **श्री समर मुखर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय लघु पत्तन सर्वेक्षण के कर्मचारियों की ओर से उनकी एसोसियेशन को मान्यता दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन कर्मचारी और श्रमिक एसोसिएशन ने लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन, बम्बई को एक पत्र मान्यता प्रदान किये जाने के लिए भेजा है;

(ग) लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन, बम्बई से उसकी सिफारिश प्राप्त होने कर उक्त प्रार्थना के बारे में आवश्यक कारवाई की जाएगी।

जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (जेड० आर० यू० सी० सी०) और डिवीजन रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (डी० आर० यू० सी० सी०)

3218. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे में जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति और डिवीजनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति जैसी समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन डिवीजनों के क्या नाम हैं जिनके लिए इन समितियों का गठन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इलाहाबाद, बीकानेर, दिल्ली, फिरोजपुर, जोधपुर, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की कमी के कारण जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में रद्द की गई रेल गाड़ियां

3219. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में कोयले की कमी के कारण कितनी रेल-गाड़ियां रद्द की गई;

(ख) क्या पिछले दो सालों के दौरान इन दो डिवीजनों में कोयले की लगातार कमी रोकने की चोरी होने के कारण हुई या अन्य किसी और कारण से;

(ग) सरकार ने यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में रेलगाड़ियों को रद्द न करने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोयले की कमी के कारण जोधपुर तथा बीकानेर मंडलों पर चल रही 15 गाड़ियों में कुल 50 सवारी गाड़ियां अक्तूबर तथा नवम्बर, 1981 के प्रत्येक महीने के दौरान अलग-अलग अवधियों के लिए रद्द की गयी थीं।

(ख) कोयले की कमी कम इंजन कोयला प्राप्त होने के कारण हुई, न कि कोयले की उठाईगीरी के कारण।

(ग) और (घ) पिछले कुछ समय से देश में रेलवे तथा उद्योगों की संयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाप कोयले की उपलब्धता पर्याप्त नहीं रही है और इसके परिणामस्वरूप उद्योगों का संचालन बरकरार रखने के लिए रेलों को मजबूरन कुछ कम महत्वपूर्ण गाड़ियों को समय-समय पर रद्द करना पड़ा है। गाड़ियां रद्द करते समय वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था करने का ध्यान रखा जा रहा है ताकि यात्री जनता को कम से कम असुविधा हो। भाप कोयले की वृद्धि करने के लिए कोयला उत्पादन प्राधिकरणों तथा कोयला विभाग से निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है। संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप रेलों पर इंजन कोयला स्टाक में सुधार हुआ है और रद्द की गयी गाड़ियों को धीरे-धीरे फिर से चलाया जा रहा है।

पिछले तीन महीनों में लूटी गई रेलगाड़ियां और उन स्थानों के नाम

3220. **श्री अशोक गहलोत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में कौन-कौन सी रेलगाड़ियां कहां-कहां लूटी गयीं ?

'**रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन गाड़ियों के नाम तथा स्टेशनों के नाम दिये गये हैं जहां पिछले तीन महीनों, अर्थात् सितम्बर से नवम्बर, 1981 तक के दौरान डकैती की घटनाएं हुईं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3037/81]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का छात्र असन्तोष के कारण बन्द होना

3221. **श्री सी० चिन्नास्वामी :**

श्री चित महाटा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय छात्र असन्तोष के कारण अनिश्चित काल के लिये कितने समय तक बन्द रहे;

(ख) प्रत्येक मामले में बन्द रहने के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार इस प्रकार के छात्र असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बंद रहने की अवधि और उनके बन्द रहने के कारणों का विवरण निम्नलिखित है :

(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय :

छात्रों तथा कुछ रेल यात्रियों के बीच हुई मुठभेड़ (दादरी घटना) की वजह से हुई गड़बड़ी के कारण विश्वविद्यालय सन् 1979 में 5 मई से 1 जुलाई तक बन्द रहा; एक प्रोफेसर द्वारा एक प्रेस इन्टरव्यू की रिपोर्ट के फलस्वरूप छात्रों द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन के परिणामस्वरूप सन् 1981 में विश्वविद्यालय 31 जनवरी से 8 मार्च तक बन्द रहा और छात्रों के आन्दोलन के कारण ही फिर 12 से 21 मई तक (बाद में 16-8-1981 तक गर्मियों की छुट्टियां होने से) बन्द रहा।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय :

चिकित्सा तथा गैर-चिकित्सा छात्रों के बीच हुई झड़पों के फलस्वरूप हुई गड़बड़ी के कारण विश्वविद्यालय सन् 1981 में 1 से 22 अप्रैल, तक (बाद में 21 जून तक गर्मियों की होने से) बन्द रहा।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय :

एक प्रोफेसर के कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में हुए आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय सन् 1981 में 10 से 29 फरवरी तक बन्द रहा।

(चार) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय :

एक छात्र के विश्वविद्यालय से निष्कासित किए जाने के विरोध में छात्रों द्वारा किए गए आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय 16 नवम्बर, 1980 से 2 दिसम्बर, 1980 तक (बाद में 2 जनवरी, 1981 तक शीतकालीन छुट्टियां होने से) बन्द रहा

(ग) इन सभी मामलों में विश्वविद्यालयों के बन्द रहने के कारण मूल रूप से स्थानीय थे। यह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे जैसी भी स्थिति की मांग हो वैसी कार्यवाही करें और उन्होंने ऐसा ही किया।

उप-कुलपतियों का सम्मेलन

3222. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों ने 30 मार्च, 1980 को नई दिल्ली में उप-कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित करने में कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) व्यय का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 30 मार्च, 1980 को ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। तथापि, 30 मई, 1981 को नई दिल्ली में कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था। यद्यपि स्थानीय परिवहन, सम्मेलन प्रबन्ध और अन्य आकस्मिक खर्च सहित आयोजन सम्बन्धी खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया गया था, सम्मेलन में भाग लेने वाले कुलपतियों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया गया। आयोग द्वारा किया गया खर्च और जिसे सम्मेलन के साथ जोड़ा जा सकता है, वह लगभग 15,000 रुपए बनता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर किया गया सही खर्च उपलब्ध नहीं है।

(ग) सम्मेलन ने छटी योजना के दौरान उच्च शिक्षा में प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की नीति पर विचार करने और विश्वविद्यालयों में विकास सम्बन्धी समस्याओं अर कुलपतियों के साथ विचार विनिमय का अवसर दिया ।

ब्रिटेन में पारपत्रों की जांच

3223. **श्री कमल नाथ :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में रंग भेद के आधार पर पार-पत्रों की जांच में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) क्या बहुत समय से ब्रिटेन में रह रहे सहित अनभिज्ञ लोगों के घरों और कार्यशालाओं में भी छापे मारे गए जिसके दौरान उन्हें नजरबन्द किया गया और उनसे पूचताछ की गई और उन्हें अपनी अनभिज्ञता साबित करनी पड़ी;

(ग) क्या पार-पत्र की जांच के बहाने किसी भारतीय मूल के आदमी को परेशान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हाल के महीनों में ब्रिटेन में पासपोर्टों की जांच काफी बढ़ गई है ।

(ख) इस प्रकार की खबरों की सरकार को जानकारी है ।

(ग) और (घ) ऐसी घटनाओं पर सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है जिनका ब्रिटेन के आप्रवासी समुदाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । लेकिन भारतीय मूल के प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

निःशुल्क पासों को पुन: जारी करना

3224. **श्री कमल नाथ :**

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री मोहनलाल पटेल :

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :

श्री दौलतराम सारण :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को पुनः नि:शुल्क पास जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई नये मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो अधिकतम कितने पास जारी किए जाएंगे और मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अन्य-पूरक बातें क्या हैं; और

(घ) नया निर्णय कब तक क्रियान्वित होगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों को मानार्थ पास रेल मन्त्री जी के निजी अनुमोदन से जारी किये जाते हैं। वृहद मार्ग-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और मौजूदा मार्ग-निर्देश इस प्रकार हैं :

(1) सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यक, खेल-कूद तथा शैक्षणिक कार्यों में लगी संस्थाएं और संगठन, जिनका कार्य अखिल भारतीय स्तर का है।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ी जातियों, उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, अन्धों तथा विकलांगों, आदि के कल्याण में लगे संगठन।

(3) राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगे सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जिसके लिए उन्हें बारम्बार यात्राएं करनी पड़ती हों।

प्रधान मंत्री की चीन यात्रा

3225. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनकुन में चीन के प्रधान मन्त्री झाओजिआंग द्वारा दिये गये निमंत्रण पर प्रधान मन्त्री चीन यात्रा करने पर सहमत हो गई हैं,

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री यह यात्रा कब तक करेंगी ?

विदेश मंत्री (श्री नरसिंह राव) : (क) प्रधान मन्त्री ने चीन यात्रा का निमंत्रण सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

चीन के प्रधान मन्त्री की ओर से वहां के विदेश मन्त्री हुआंग हुआ, ने इस वर्ष जून में अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री को यह निमन्त्रण दिया था। प्रधान मन्त्री को चीन के प्रधान मन्त्री ने स्वयं भी अक्तूबर में केनकुन की मुलाकात के समय चीन की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था।

(ख) इस यात्रा का समय अभी तय किया जाना है।

नामीबिया की स्वतंत्रता

3226. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका शासन से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राजनैतिक स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मंच तथा अन्य स्रोतों से क्या कार्यवाही की; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या सफलता मिली है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 3 सितम्बर से 11 सितम्बर, 1981 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन अधिवेशन में नामीबिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया था। इस अधिवेशन के अन्त में दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत ने एक संकल्प पेश किया था जिसमें कहा गया था कि संकल्प सं० 435 (1978) पर बिना किसी संशोधन के दिसम्बर, 1981 तक कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाना चाहिए। मुलबोर्न में 30 सितम्बर से 7 अक्तूबर तक आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में इन शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की कि नामीबिया की आजादी की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में उन्होंने अपने इस संकल्प की पुनः पुष्टि की कि वे इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि नामीबिया के लोगों को अविलम्ब आत्म-निर्णय और स्वतंत्रता के अपने अधिकार मिलें। पांच सदस्यीय पश्चिमी संपर्क ग्रुप की भूमिका की ओर से सजग इन शासनाध्यक्षों ने इस ग्रुप से अनुरोध किया कि वह संकल्प स० 435 को, उसमें किसी प्रकार के संशोधन के बिना या उसको किसी भी तरह से शिथिल किए बिना 1982 में जितनी भी जल्दी हो सके कार्यान्वित करवाने का प्रयत्न करें। इस विचार-विमर्श में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

(ख) चूंकि नामीबिया को शीघ्र स्वतंत्र कराने की दिशा में अभी भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसलिए अभी इस बात का मूल्यांकन करना समयोचित नहीं होगा कि भारत सरकार ने और समान विचारधारा वाले अन्य देशों ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं, वे कहां तक सफल हुए हैं।

राष्ट्रीयकृत कोल कम्पनियों के लिए वैगन

3227. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों की वैगनों की कितनी मांग थी और पिछले साल तथा इस साल अक्तूबर तक उन्हें प्रतिमाह कितने वैगन सप्लाई किये गए;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1981 में अब तक कोल कम्पनियों ने रेलवे विभाग को वैगनों को रोके रखने के लिए कितना बिलम्ब शुल्क भुगतान किया है;

(ग) क्या उनका (रेल मंत्री का) ध्यान वेस्टर कोल्ड फील्ड लिमिटेड की इस टिप्पणी की तरफ आकर्षित किया गया है कि विलासपुर डिवीजन में वैगनों का रुकना नाममात्र था और रेलवे विभाग द्वारा सामान्य तौर पर दिये जा रहे 8 घंटे के समय से कम समय यानि 5 घंटे की अल्पावधि के लिए भी विलम्ब शुल्क लिया गया है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980 (जनवरी-अक्तूबर)

*मांग	10453
आपूर्ति	8823

1981 (जनवरी-अतूबर)

*मांग	11355
आपूर्ति	9842

*पुनश्च-मांग के आंकड़े आमतौर पर वास्तविक गाड़ी-भार क्षमता से 10-15 प्रतिशत अधिक होते हैं।

(ख) माल डिब्बों की रुकौनी के लिए यू० सी० रेलवे से इतर कोयला कम्पनियों द्वारा रेलों को भुगतान किया गया बिलम्ब-शुल्क निम्नलिखित है :

1979	रु० 1.40 करोड़
1980	रु० 1.63 करोड़
1981	रु० 0.58 करोड़ (अक्तूबर तक)

(ग) और (घ) विलम्ब-शुल्क प्रभार कोयला खदानों द्वारा माल-डिब्बों का सामान्य नि:शुल्क अवधि से अधिक रुकौनी पर लगाये जाते हैं। यह अवधि भिन्न-भिन्न कोयला खदानों पर 5 से 24 घंटे तक भिन्न-भिन्न होती है जो कि उनकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। जब कभी परिस्थितिवश आवश्यक होता है, विलम्ब शुल्क को माफ़ कर दिये जाने के बारे में भी विचार किया जाता है।

कोन्ढ़ाईपुर में रेलवे स्टेशन

3228. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें (रेल मंत्री को) पश्चिम बंगाल के पारज ग्राम पंचायत और अन्य लोगों की ओर से पूर्वी रेलवे के कोन्ढ़ाईपुर में रेलवे स्टेशन बनाये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त है;

(ख) क्या उन्हें उपर्युक्त मामले में किसी संसद सदस्य की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि 20 साल पहले कोन्ढ़ाईपुर के नजदीक एक हाल्ट स्टेशन था;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने वहां पर स्टेशन बनाये जाने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) मानकर और पाराज स्टेशनों के बीच कोंडईपुर में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और इस संबंध में अन्तिम निर्णय यथासमय लिया जायेगा ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को किराये में दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में आयु सीमा हटाना

3229. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्तमान रेलवे के नियमों के अन्तर्गत दी जा रही यात्रा किराये में छूट 25 वर्ष की सीमा हटाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सामान्य विद्यार्थियों के लिए यात्रा में रियायत दिये जाने की आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 27 वर्ष कर दी गयी है ।

अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, हैदराबाद

3230. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों में वर्ष-वार हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान पर कितनी सार्वजनिक धनराशि खर्च की गई; और

(ख) भारत के सैकेण्ड्री स्कूलों में कितने अंग्रेजी पढ़ाने वाले दक्षता प्राप्त अध्यापक हैं जिन्हें संस्थान ने उपयुक्त अवधि में वर्षवार प्रशिक्षित किया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद उच्च अध्ययन की एक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम चलाती है । माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों तथा राज्य

और क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों की है। तथापि, हैदराबाद संस्थान ने उन विभिन्न राज्यों द्वारा प्रायोजित संसाधन व्यक्तियों को तथा उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के चुनिन्दा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें अंग्रेजी भाषा शिक्षण का कोई संस्थान नहीं है।

संस्थान द्वारा किए गए व्यय की स्थिति तथा माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित किए गए अंग्रेजी के अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	कुल व्यय (लाख रुपये में)	प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों की संख्या
1976-77	46.[illegible]8	243
1977-78	50.50	252
1978-79	47.36	225
1979-80	64.70	599
1980-81	61.32	552

जहाज दुर्घटनाएं

3231. **श्री राम अवध :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में कितने जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की जानें गई; और

(ग) इन दुर्घटनाओं से हुई आर्थिक हानि का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त जहाजों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

1979	22
1980	24
1981	19

(ख) इन दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों (जिसमें लापता व्यक्ति शामिल हैं) की संख्या इस प्रकार है :

1979	54
1980	6
1981	2

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण आर्थिक क्षति का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

विदेशों को सप्लाई किए गए यात्री जहाजों तथा मालवाहक जहाजों की संख्या

3232. **श्री राम अवध** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विदेशों को सप्लाई किए गए यात्री जहाजों तथा मालवाहक जहाजों की संख्या कितनी है तथा उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है तथा इस संबंध में पूरा ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मंझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई द्वारा पिछले तीन वर्षों में मालवाही तीन जहाज और पानी ले जाने वाले दो जहाज क्रमशः यू० के० और ईरान को निर्यात किये गए। उक्त अवधि में कोई भी पैसेंजर जहाज किसी भी देश को सप्लाई नहीं किया गया। इन जहाजों से लगभग 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

गाड़ियों के डिब्बों में यात्रियों की आरक्षण सूची को प्रदर्शित किया जाना

3233. **श्री राम अवध** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई बार यह देखा गया है कि गाड़ियों के पहुंचने के काफी समय बाद भी डिब्बों में यात्रियों की आरक्षण सूची का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यात्रियों को अपने आरक्षण का पता लगाने में काफी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जब ऐसे मामले रेल प्रशासन के ध्यान में लाये जाते हैं, तब उनकी जांच की जाती है और उन पर यथोचित कार्रवाई की जाती है।

हस्पतालों के "कैजुअल्टी वार्डों" में आवश्यक दवाइयों की भारी कमी

3234. **श्री राम अवध** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली के अधिकांश हस्पतालों के "कैजुअल्टी वार्डों" में आवश्यक दवाइयों की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जी नहीं।

रूपसा-बांगिरिपोशी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3235. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि में उड़ीसा की रूपसा-बांगिरिपोशी सकरी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में शुरू किए जाने की आशा है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। लेकिन, रूपसा-बांगिरिपोशी छोटी लाइन को बड़ी लाइन मे बदलने और उसका खड़गपुर-टाटानगर पर गुरुमाहीसनी तक या किसी सुविधाजनक स्थान तक विस्तार करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद और नौवतपुर के बीच "जी० टी० रोड" की टूटी फूटी हालत

3236. **श्री जैनुल बशर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से नौवतपुर के बीच का जी० टी० रोड कई वर्षों से प्रायः टूटा फूटा है;

(ख) क्या इसका कारण इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार अभिकरण की ओर से की जा रही उपेक्षा तथा उनके द्वारा किए जाने वाला घटिया कार्य है अथवा इसके कुछ अन्य कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली जी० टी० रोड से कम से कम उतनी अच्छी हो जितनी कि वह हरियाणा, दिल्ली तथा बिहार में है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गाजियाबाद से कानपुर तक की जी० टी० रोड एक राज्य सड़क है, इसलिए इसका संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है। जहां तक जी० टी० रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अर्थात् यू० पी० बार्डर पर नौवतपुर से कानपुर तक की सड़क के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी का प्रश्न है, सड़क को यातायात योग्य बनाये रखने के लिए इसका अनुरक्षण किया जा रहा है। इसलिए सड़क के घटिया

स्तर का और लापरवाही बरतने का प्रश्न नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्ग बरसात के कारण अक्सर कहीं-कहीं खराब हो जाते हैं। सड़क को यातायात के योग्य बनाए रखने के लिए सामान्य मरम्मतें नियमित रूप से की जाती हैं।

(ग) यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, चौथी योजना काल से सड़कों को मजबूत करने और उनमें सुधार करने के लगभग 27 करोड़ रु० की लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें इलाहाबाद में गंगा नदी के उपर का पुल भी शामिल है। इनमें से अधिकांश कार्य किए जा चुके हैं और कुछ किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में स्वीकृत करके 12.70 करोड़ करोड़ रु० के सुधार कार्य शामिल किये गये हैं। इसलिए सड़क की मरम्मत के और सुधार के कार्य किए जा रहे हैं ताकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सभी राज्यों में जी० टी० रोड को यातायात के योग्य कायम रखा जा सके।

कलकत्ता में 'मेट्रो कोचेज' का परीक्षण के तौर पर चलाया जाना

3237. **श्री रेणुपद दास :**

श्री नारायण चौबे :

श्री चिरन्जीलाल शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 28 सितम्बर को कलकत्ता में 'मेट्रो कोचेज' को परीक्षण के तौर पर चलाए जाने के क्या परिणाम हुए; और

(ख) डमडम से बेलगाचिया तक का प्रथम चरण जनता के लिये कब तक तैयार हो जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चार सवारी डिब्बों के प्रोटो टाइप यूनिटों के प्रथम रेक का परीक्षण 29.9.1981 को किया गया है। अभिकल्प प्राकालों (डिजाइनों पैरामीटर्स) की व्यवस्था करने के लिए यह परीक्षण लगभग दो वर्षों तक किया जाता रहेगा और परीक्षण की अवधि पूरी हो जाने के बाद ही परिणाम का पता चलेगा।

(ख) मार्च, 1985 तक।

जोनल रोड पर राव तुलाराम मार्ग से बाहरी रिंग रोड तक गति-अवरोधकों का बनाया जाना

3238. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री दक्षिण दिल्ली की कलोनिनों में गति अवरोधक बनाए जाने के संबंध में दिनांक 5 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 2201 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित माउण्ट कारमल स्कूल के बिल्कुल सामने स्ट्रीट नं० 6 शान्तिनिकेतन नई दिल्ली पर, तथा इस सड़क के जी आर० के० पुरम को दूसरी दक्षिणी मोती बाग और नानकपुरा कालोनियों को जाती है के, इन्टर सैक्शन पर गति-अवरोध हाल में बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राव तुलाराम मार्ग से बाहरी रिंग रोड तक जोनल रोड पर जिसका उल्लेख मूल प्रश्न में किया गया है, गति अवरोधक न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यस्तता के घंटों में इस जोनल रोड पर यातायात की अधिकता का अध्ययन करने तथा गति अवरोधक बनाए जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पानी के जमाव, विशेषकर उन स्थानों पर जहां जमीन का स्तर नीचा है, को रोकने हेतु सड़कों के नालों में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी हां। स्ट्रीट नं० 6 अन्दर की सड़क है।

(ख) से (घ) सामान्यतः जोनल सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनसे यातायात के मुक्त प्रवाह में रुकावट आती है और गाड़ियों को नुकसान हो जाता है। विचाराधीन सड़क भी जोनल सड़क है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस जोनल सड़क पर यातायात के परिमाण के बारे में सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस जोनल सड़क पर सरकारी रिहायशी मकानों की ओर गन्दे पानी का नाला है जिसमें पानी लगातार चलता है। इस नाले की हमेशा देखरेख की जाती है जिससे पानी इकट्ठा न हो। मानसून के पिछले मौसम में यह सुनिश्चित किया गया था कि पानी कहीं भी नहीं रुके।

पुलों और राजमार्गों के निर्माण में बिलम्ब लागत में वृद्धि के कारण

3239. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर काशेली क्रीक पुल, केरल में कुम्बालम अरोॅर के बीच पुल के निर्माण में कर्नाटक में कालन्दी पुल परियोजना उत्तर प्रदेश में इटावा बाईपास और सीतापुर बाईपास, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का मजबूत किए जाने और केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के चौडा किए जाने तथा मजबूत किए जाने में विलंब तथा लागत में वृद्धि के कारणों का अध्ययन और अनुमान है;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी और 30 अक्तूबर, 1981 तक लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूर करने का है जिन पर विलंब होने की संभावना नहीं है तथा जो सभी प्रकार से सक्षम और व्यवहार्य हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाएं पूरी होने की तागीख और लागतों में जो वृद्धि हुई वह संलग्न विवरण में दी गयी है ?

(ग) सरकार केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए ही स्वीकृति देती है जो आर्थिक तौर पर सभी तग्ह से सशक्त हों। परियोजनाएं पूरी करने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं और जहां तक संभव हो, यह आशा की जाती है कि परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्य के अन्दर ही पूरी होंगी।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	पूरी होने की संभावित तारीख	31.10.81 के अनुसार परियोजना पूरी करने के संभावित वृद्धि सहित जो लागत आयेगी (मई-जून, 1981 में मूल्यांकन के अनुसार)
1.	रा० रा० 3 पर कशेली क्रीक का पुल	जून, 1982	435.00 (लाख रु०)
2.	केरल में कुम्बालम-अरूर के बीच पुल	मार्च, 1984	230.00
3.	कर्नाटक में कानी नदी का पुल	जून, 1983	300.00
4.	उत्तर प्रदेश में इटावा बाईपास का पुल	जून, 1983	100.00
5.	उत्तर प्रदेश में सीतापुर बाईपास (केवल भूमि अधिग्रहण करना)	दिस०, 1982	6.34 लाख रु० की स्वीकृत लागत में अभी तक वृद्धि की कोई संभावना नहीं है।
6.	उत्तर प्रदेश में रा० रा० 2 को मजबूत करना	लगभग 1170 लाख रु० की स्वीकृत लागत के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। वे जून, 1983 तक पूरे हो जाने की संभावना है।	
7.	केरल में रा० रा० 47 को चौड़ा और मजबूत करना।	मार्च, 1984	1202.00

एक इंजीनियरिंग स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्र पर औसत व्यय

3240. **श्री राजेश पाइलट** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग कालेजों और आई० आई० टी० में एक स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र पर कितना औसत व्यय आता है;

(ख) गत दो वर्षों में कि ने इंजीनियर बाहर गये;

(ग) सरकार ने इसे रोकने तथा भारी हानि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार नियुक्ति के समय बाहर जाने वाले इंजीनियरों से कोई बांड भराने या कोई अन्य दायित्व डालने का विचार कर रही है जिससे उन पर हुए व्यय की कम से कम आंशिक वसूली सुनिश्चित हो सके ।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किये गए अध्ययनों के अनुसार, 1971-72 में इंजीनियरी कालेजों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इंजीनियरी स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्र पर औसत खर्चे का प्राक्कलन नीचे दिया गया है:

	स्नातक	स्नातकोत्तर
इंजीनियरी कालेज	2635	9832
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	6794	10643

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्प्रवासी इंजीनियरों की संख्या से सम्बन्धित सही सूचना का पता नहीं है । तथापि, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा रखे जा रहे "विदेश में भारतीय सम्बन्धी रजिस्टर' के ब्यौरों के अनुसार जून, 1979 से जून, 1981 तक पंजीकृत इंजीनियरों की संख्या 112 है ।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

अन्य देशों में इंजीनियरों के उत्प्रवास को रोकने के सम्बन्ध में किए गये उपाय

1. वै० औ० परि०, वि० अ० आ०, भा चि० अ० परि० इत्यादि द्वारा दी जा रही अनुसंधान शिक्षावृत्तियां/एसोसियेटशिप ।

2. विभिन्न एजेन्सियों द्वारा विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं की अनुसंधान योजनाओं के लिए वित की व्यवस्था की जाती है, जिससे रोजगार और वैज्ञानिक कार्य के लिए उपयुक्त संतोषजनक अवसर मिलते हैं ।

3. वै० औ० परि० द्वारा संचालित वैज्ञानिक पुल योजना में उच्च शैक्षिक रिकार्ड वाले वैज्ञानिकों, शिल्प विज्ञानियों, डाक्टरों इत्यादि की अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था है, जब वे स्थायी रोजगार की तलाश करते हैं।

4. वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिल्प विज्ञानियों को अपने निजी उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. बेरोजगार उद्यमी व्यक्तियों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

6. विशिष्ट परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिल्प विज्ञानियों इत्यादि द्वारा निर्मित औद्योगिक सहकारी समितियां, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी की तीन गुणा पूंजी तक सरकार की बराबर की पूंजी के योगदान के लिए हकदार है। इसके अलावा राज्य सरकारें अवस्थापना, उपयुक्त मामलों में किराये के लिए आर्थिक सहायता जैसी सुविधाओं, बिक्री शुल्क, चुंगी, बिजली शुल्क इत्यादि से किसी अवधि के लिए छूट जैसी प्रोत्साहनों की व्यवस्था भी करती हैं।

7. वि० अ० आ० ने अध्यापन व्यवसाय की ओर उच्च बौद्धिक योग्यता वाले पर्याप्त अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं, वेतनमानों और कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

8. 1974-75 से 1978-79 की अवधि के लिए 1809 करोड़ रुपये की तुलना में छठी योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कुल परिव्यय 3367 करोड़ रुपये है (योजनागत और योजनेत्तर)। बढ़े हुए विनिधान से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए अधिक रोजगार अवसर सुलभ होने की सम्भावना है।

9. छटी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को तेज करने युवा पेशावरों के ग्रामीण विनिकायों का गठन, कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं, महिलाओं और युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष कार्यक्रम, व्यवसायिक और वैज्ञानिक निकायों में विशेषज्ञता का उपयोग, विचार और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषदें और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए सूचना प्रणाली स्थापित करने जैसे अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है।

10. उच्च अर्हता वाले वैज्ञानिकों तथा शिल्प विज्ञानियों को शीघ्र खपाने के लिए कुछ विभागों में अधिसंख्या पदों की योजना लागू है।

11. निर्वासित राष्ट्रिकों (टोकटन) के माध्यम से जानकारी हस्तान्तरित करने की योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत उन पेशावर पुरुषों और महिलाओं को, जिन्होंने अपने क्षेत्रों के उत्कृष्टता प्राप्त की है और विदेश में बस गए हैं, चुनिन्दा संस्थाओं में जानकारी के हस्तान्तरण के लिए लघु तकनीकी कार्यों के वास्ते स्वैच्छिक आधार पर आमंत्रित किया जा रहा है।

12. वैज्ञानिक कार्मिकों के रोजगार तथा जनशक्ति नियोजन के प्रश्न की मंत्रिमंडल संबंधी विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा जांच की जा रही है।

बंगलादेश को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने एन्कलेवों में जाने की अनुमति दिया जाना

3242. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर बंगलादेश के एन्कलेव दाहग्राम के चारों तरफ तथा तीन बीघा एवं कुचतीबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में व्याप्त असन्तोष के बावजूद बंगलादेश प्राधिकारियों की 15 नवम्बर, 1981 की हुई राष्ट्रपतीय चुनाव आयोजित करने के लिए वहां आने-जाने की सुविधा दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) और (ख) बंगलादेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने बंगलादेश के सरकारी कर्मचारियों को दाहग्राम में जाने की सुविधा दे दी थी ताकि वे 15 नवम्बर, 1981 को दाहग्राम और अंगरपोटा बस्तियों में राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी काम कर सकें। 16 मई, 1974 को भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीचभूसीमी को अंकित करने के सम्बन्ध में जो करार हुआ था और जिसको प्रति 22 जुलाई, 1974 को सदन को मेज पर रख दी गई थी, उसमें दाहग्राम और अंगरपोटा को छोड़कर बंगलादेश की सभी भारतीय बस्तियों को भारत को, और भारत में बंगलादेश की बस्तियों को बंगलादेश से अदल-बदल लेने की व्यवस्था है। जहां तक दाहग्राम और अंगरपोटा का प्रश्न है, ये दोनों बस्तियां बंगलादेश के पास ही रहेंगे और इसके बदले में बेरूबारी का दक्षिण अर्धभाग और उसके पास की चार बस्तियां भारत के पास रहेगी। दक्षिण बेरूबारी और उसको निकटवर्ती चार बस्तियों पर भारत का कारगर नियंत्रण है। इस समझौते में यह व्यवस्था भी है कि तीन बीघा के पास 178 × 85 मीटर का क्षेत्र जो दाहग्राम को बंगलादेश में पनबाड़ी मौजा (थाना पातग्राम) से जोड़ना है, बंगलादेश के पास अनंतकालीन पट्टे पर रहेगा। जब तक इस पट्टे की शर्तें तय नहीं हो जातीं, जिन पर अभी बातचीत चल रही है तब तक के लिए हमने सामान्य प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कई मौकों पर बंगलादेश को अपनो बस्तियों तक जाने के लिए रास्ते का इस्तेमाल करने की अस्थायी सुविधा प्रदान की है।

सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए विशेष वेतन

3243. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंजूरी भुगतान अधिनियम (श्रम न्यायालय) विक्लोन के अन्तर्गत प्राधिकृत न्यायालय में माननीय न्यायाधीश श्री एम० राघवन ने 3 अक्तूबर, 1981 को मजूरी भुगतान के आवेदन पत्र संख्या 2/80 में सहायक स्टेशन मास्टरों को केवल 10 रुपये के विशेष वेतन के आदेश पारित किये थे;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय रेलों के सभी सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए उक्त श्रम न्यायालय के आदेशों को नीति और सिद्धान्त के रूप में क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस फैसले के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा रही है।

अल्प अवधि चिकित्सा पाठ्यक्रम, कोल्हापुर के छात्रों से अभ्यावेदन

3244. **श्री एस० मुरुगयन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री अल्प अवधि चिकित्सा पाठ्यक्रम, कोल्हापुर के छात्रों से अभ्यावेदन के बारे में 17 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4603 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प अवधि चिकित्सा पाठ्यक्रम, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के छात्रों के दिनांक 6 मई, 1981 के अभ्यावेदन को महाराष्ट्र सरकार के पास कब भेजा गया था;

(ख) क्या भारत सरकार ने उक्त अभ्यावेदन भेजते समय कोई शिफारिशें की थीं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की शिफारिशों के मजमून का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने क्या उत्तर भेजा; और

(ङ) यदि महाराष्ट्र सरकार का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) चार जून, 1981 को भेजा गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वह इस मामले पर विचार कर रही है।

तेल डीलरशिप में विकलांगों के लिए आरक्षण

3245. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तेल डीलरशिप में विकलांगों के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भी संस्थागत सेवाओं का विस्तार करने के स्थान पर विकलांगों को समुदाय का अंग बताने की आवश्यकता पर विचार किया है अथवा जोर दिया है;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई संस्थागत सेवाएं महंगी होने के अलावा काफी असंतोषजनक सिद्ध हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा छोटे विकलांग बच्चों के अभिभावकों को रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा, ताकि उनको सम्मानपूर्ण नागरिक बनाने के लिए उनका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके; और

(ङ) क्या सरकार कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान इस पर गम्भीर रूप से विचार करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विकलांग व्यक्तियों, युद्ध में अपंग हुए जवानों तथा युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को 15 प्रतिशत तेल डीलरशिप आरक्षित किए गए हैं ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को जीवन की सामान्य धारा के साथ समेकित होने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(ग) संस्थागत सेवाएं महंगी हैं तथा वे पारिवारिक देखभाल का स्थान नहीं ले सकती ।

(घ) और (ङ) विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों को रोजगार देकर उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता । शिक्षा अथवा व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विकलांग बच्चों को छात्रवृतियां देने जैसी सुविधाएं दी जाती हैं । चुने हुए सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए समेकित शिक्षा की एक योजना चलाई जा रही है । उनका तथा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों जैसे कि 3 प्रतिशत पद आरक्षित करना, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करना तथा विशेष रोजगार कार्यालयों को चलाने, इत्यादि का उद्देश्य विकलांग बच्चों को सामान्य इज्जतदार नागरिक बनने में मदद करना है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों के अध्यापकों को मंजूर किए गये आवास ऋण

3246. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विश्वविद्यालय तथा उनके कालेजों के अध्यापकों को वित्त वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितने राशि के आवास ऋण मंजूर किये; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने वाले अध्यापकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए उक्त राशि में काफी वृद्धि की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय को ग्रावर्ती निधि के सृजन के लिए निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किये गये थे जिनमें से वह अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण संस्वीकृत कर सके।

1979-80	10.0 लाख रुपग
1980-81	28.0 लाख रुपए
1981-82	10·0 लाख रुपए

(ख) इस प्रयोजन के लिए आवर्ती निधि के रूप में व्यवस्था की जाती है जिसमें कुछ अवधि के बाद काफी संख्या में कर्मचारियों को शामिल किये जाने की आशा की जा सके। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पास उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस निधि में वार्षिक अंशदान दिए जाते हैं।

हानिकर ग्रौषधों को औषधवर्ग से हटाना

3247. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित खुराक मिश्रण के उन 15 औषध वर्गों के क्या नाम हैं जिन्हें औषध सलाहकार समिति की उप-समिति ने वर्ग से तुरन्त बाहर निकाल देने की सिफारिश की है क्योंकि वे मानव के लिए हानिकर हैं और उन सात वर्गों को भी एक वशिष्ट अवधि के भीतर औषध वर्गों से हटा देने की सिफारिश की है;

(ख) इन हानिकर औषधों के उपयोग की अनुमति कैसे दे दी गई थी और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है तथा शेष हानिकर औषधों का पता लगाने और उनका उत्पादन बन्द कर देने में समय लगेगा; और

(ग) भविष्य के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सही संख्या 16 है न कि 15। औषधि परामर्शदात्री समिति को उप-समिति ने निर्धारित खुराक योगों वाली औषधियों के जिन 16 वर्गों को तत्काल छंटाई करने की सिफारिश की है उनके नाम इस प्रकार हैं :

1. स्टेरायड के निर्धारित खुराक वाले योग।
2. एमी-डोपाइराइन के निर्धारित खुराक वाले योग।
3. क्लोरेमफैनिकाल के निर्धारित खुराक वाले योग।

4. एर्गाट के निर्धारित खुराक वाले योग ।

5. दर्द निवारक तथा प्रशांतक युक्त विटामिनों के निर्धारित खुराक वाले योग ।

6. ज्वर-रोधी तथा दर्द-रोधी दवाइयों में एन्ट्रोपाइन के निर्धारित खुराक वाले योग ।

7. एनलजिन के निर्धारित खुराक वाले योग ।

8. योहिम्बाइन तथा स्ट्रिचनाइन और टेस्टोस्टोरोन एवं विटामिनों के निर्धारित खुराक वाले योग ।

9. स्ट्रिचनाइन, आर्सेनिक योहिम्बाइन युक्त लोह के निर्धारित खुराक वाले योग ।

10. सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट तथा अन्य औषधियों के निर्धारित खुराक वाले योग ।

11. टेट्रासाइक्लिन, एनलजिन तथा विटामिन सी के निर्धारित खुराक वाले योग ।

12. आयुर्वेदिक औषधियो तथा आधुनिक औषधियों के निर्धारिक खुराक वाले योग ।

13. फीनेसिटिन के निर्धारित खुराक वाले योग ।

14. क्लोरेमफेनिकॉल तथा स्ट्रोटोमाइसिन के निर्धारित खुराक वाले योग ।

15. पेन्सिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निर्धारित खुराक के योग ।

16. एकाधिक एण्टी-हिस्टामिनिक दवाइयों के निर्धारित खुराक के योग ।

जिन सात अन्य औषधि वर्गों की निर्दिष्ट समय में छंटनी की जानी हैं वे इस प्रकार हैं :

1. एण्टी-हिस्टामीनिकों तथा अतिसार-रोधी दवाइयों के निर्धारित खुराक के योग ।

2. पेन्सिलिन तथा सल्फोनामाइडों के निर्धारित खुराक के योग ।

3. एण्टी-हिस्टामीनिकों तथा प्रशांतकों के निर्धारित खुराक वाले योग ।

4. प्रशांतक, एण्टी हिस्टामिनिकों तथा दर्द निवारक दवाइयों के निर्धारित खुराक वाले योग ।

5. विटामिनों तथा दर्द-निवारक दवाइयों के निर्धारित खुराक के योग ।

6. पैरासीटामोल तथा एण्टी-हिस्टामिनिकों एवं प्रशांतकों के निर्धारित खुराक के योग ।

7. क्षय रोग रोधी औषधियों तथा रोगनिरोधक विटामिनों के निर्धारित खुराक के योग ।

(ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण तथा बिक्री का नियंत्रण राज्य औषधि नियन्त्रण राज्य औषधि नियन्त्रण प्राधिकारी करते हैं । राज्य औषधि नियंत्रक औषधियों के निर्माण के लिये लाइसेंसिग प्राधिकारी होते हैं । जब देश में निर्धारित खुराक वाले योगों की बिक्री की अनुमति दी गई थी उस समय संभवतया उपचारात्मक सुविधा के लिये मेडिकल प्रैक्ट्रीशनरों की ओर से ऐसे योगों की मांग थी और उस समय बहुत-सी वैकल्पिक दवाइयां भी उपलब्ध नहीं थीं । कुछेक औषधियों की विषाक्तता अथवा उनकी असंगतता के बारे में पर्याप्त

ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। वैसे, समय के बीतने के साथ-साथ इनमें से कुछ औषधियों की हानिकारक प्रतिक्रियाओं के बारे में रिपोर्टें मिलीं और सुरक्षा तथा संगतता के पहलू से इनकी जांच करने की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसे योगों की जांच के दौरान पता चला कि कुछ दवाइयां अलग-अलग देने पर किसी एक रोग के लिये तो ठीक हो सकती हैं किन्तु जब उन्हें दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर कई दूसरी बीमारियों के लिये दिया जाता है तो ऐसे योगों के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल की संभावना होती है जिससे आम उपभोक्ता को नुकसान पहुँच सकता है। कुछेक मामलों में यह महसूस किया गया कि व्यापक प्रभाव (स्पैक्ट्रम) वाली दवाइयां उपलब्ध होने के कारण निर्धारित मात्रा वाले ऐसे योगों की जरूरत नहीं है जिनसे व्यापक प्रभाव पड़ता है। कुछेक योगों के बारे में यह अनुभव किया गया कि यद्यपि वे निश्चित रूप से हानिकारक नहीं हैं, तथापि उनकी उपयुक्तता के बारे में भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। कतिपय दवाओं की प्रतिकूल प्रक्रिया के बारे में केवल तभी पता चल पाता है जब वे दवाइयां कई वर्षों तक लगातार बाजार में बिकती रहती हैं और व्यक्ति उनके हानिकारक होने के बारे में तब तक नहीं सोच सकता जब तक वे वर्षों तक बाजार में नहीं बिकतीं। असंगत योगों के छंटनी करने के काम को निरन्तर किया जाता रहना है और औषध परामर्शदात्री समिति, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, ने सिफारिश की है कि एक स्थायी उप-समिति गठित की जाए जो बाजार में बिकने वाले उन मिश्रणों की छंटनी करने के बारे में जांच करेगी जिन्हें आधुनिक ज्ञान के अनुसार असंगत और हानिकारक समझा जाता है।

(ग) औषध नियन्त्रक (भारत) ने राज्यों के औषध नियन्त्रण प्राधिकारियों को वे मानदण्ड भेज दिए हैं जिनको योग के लिए लायसेंस देने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। उस मानदण्ड में जो सुझाव दिए गये हैं वे इस प्रकार हैं :

1. नकली निकल प्रलेखन एक साथ एक से अधिक औषधियों के उपयोग को न्यायोचित ठहराता है;

2. प्रत्येक दवा के प्रभाव की अपेक्षा योग में उपचारी प्रभाव अधिक होता है।

3. अलग-अलग दवाओं की अपेक्षा योग की कीमत कम होती है।

4. रोगी द्वारा विधि अनुसार दवा लेने के अवसर बढ़ जाते हैं।

5. खुराकों के समायोजन की सुविधा के लिए ऐसे पर्याप्त अनुपात में औषधियां दी जाती हैं जो अधिकांश लोगों के लिए लाभदायक होती है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये स्वयसेवी संगठनों की सहायता

3248. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने देश में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को 1 अप्रैल, 1980 से 30 सितम्बर, 1981 तक संगठन-वार कितनी सहायता दी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : अपेक्षित सूचना राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से, जो स्वैच्छिक संगठनों को अधिकतर वित्तीय सहायता देते हैं, एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय चिकित्सा सेवा

3249. **डा० ए० कलानिधि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्टरों की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मूलतः चिकित्सा पदों पर भर्ती के लिये "संयुक्त परीक्षाओं" जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा रेलवे के डाक्टर भी शामिल थे, के लिये दिये गये विज्ञापन को बदलकर "संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षायें" कर देने का क्या महत्व है;

(ख) क्या ऐसा करना एक भारतीय चिकित्सा सेवा आरम्भ करने की भूमिका है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा सेवा कब शुरू हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का नाम बदल दिया है क्योंकि टिप्पणियों और पत्रों आदि में लिखे जाने के लिए पहला नाम काफी लम्बा और असुविधाजनक था।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

डिलीवरी आफ सोशल सर्विसेज टू सेल्फ एम्पलाइड वीमेन पायलट स्कीम के अधीन महिलाओं को रोजगार

3250. **श्री केयूर भूषण :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी निधि ने "डिलीवरी आफ सोशल सर्विसेज टू सेल्फ एम्पलाइड वीमेन पायलट स्कीम" के अधीन मध्य प्रदेश में एक महिला विकास एजेन्सी स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन गत वर्ष कितनी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह परियोजना जनवरी, 1981 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रशिक्षण, कच्चामाल, ऋण और मार्किटिंग के लिए वर्तमान सरकारी और अन्य

एजेन्सियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करके महिलाओं द्वारा अपना रोजगार चलाए जाने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना है। चालू वर्ष के लिए 50 गांवों को इस परियोजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है, जहां सर्वेक्षण किया जा रहा है। 20 गांवों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से आर्थिक गतिविधियों के लिए अब तक 56 महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में सहायता दी गई है।

————

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैंने एक…

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : दिल्ली में एशियाई खेलों के नाम पर मजदूर मारे जा रहे हैं। …(**व्यवधान**)…

अध्यक्ष महोदय : आप सारे एक साथ बोल रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : दो बार ऐसी घटना हो चुकी है।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह मेरे चुनाव-क्षेत्र का मामला है। यह मेरी कांस्टीटुयेन्सी है। …(**व्यवधान**)…

अध्यक्ष महोदय : आप सभी एक साथ क्यों बोल रहे हैं ? क्या हो गया है ? क्या यह तरीका है ?

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आपने हमसे एक-एक करके अपनी बात कहने को कहा है।

श्री रामविलास पासवान : एक-एक करके बुलाइये।

अध्यक्ष महोदय : कितनों को बुलाऊं, 50 आदमी बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वे बोले जा रहे हैं, वे बोले जा रहे हैं। वे बोले जा रहे हैं। इससे कोई फायदा है।

(**व्यवधान**)

रोज हम डिस्कस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से मेरी अनुमति के बिना बोले जा रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच-बिहार) : यह कोई साफ बात नहीं है…

अध्यक्ष महोदय : साफ क्या है ? क्या आपने बोलने के लिये मेरी अनुमति प्राप्त की है ?

(**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : वे देश को लूट रहे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें इस प्रकार देखना होगा। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं यह मानता हूं कि वे महत्वपूर्ण बातें हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : एक हजार करोड़ रुपये···

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह लीजिये उसके बाद मैं कहूंगा। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप इस सभा में एक समय किसी बात पर विचार विमर्श कर सकते हैं और मैं आप लोगों की सहमति से ही उन बातों को ग्रहण करता हूं। यदि ये सभी 50 व्यक्ति आज ही सारी बातें कहना चाहें तो मैं समझता हूं उस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इन्क्लूड नहीं, ध्यान खींचना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप चर्चा करते हैं तो ध्यान भी आकर्षित करते हैं। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कालिंग एटेंशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहां आयेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं केवल प्राथमिकता निर्धारित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं उससे पहले भी हमने चर्चा की थी। हम इस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं लेकिन आप उसे मेरे लिये छोड़ दीजिये, मैं उसकी अनुमति दूंगा। किन्तु कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो अभी बाकी पड़ी हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : जैसे कि ?

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि आपकी बात। मुझे उस पट्टी का पता है। मैं उसे महसूस करता हूं। कुछ अन्य बातें भी हैं। किन्तु यह प्रश्न केवल समय की उपलब्धि का है। यदि आप इस प्रकार एक समय बोलकर समय नष्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा। किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैंने आपको आश्वासन दिलाया था कि जो अधिक महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर उनकी प्राथमिकता के आधार पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : ये एशियाड···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एशियाड भी है लेकिन रोज पुल गिर जाएंगे, तो क्या रोज डिस्कशन होगा।

(व्यवधान)

अटल बिहारी वाजपेयी : रोज कैसे गिरेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने का मतलब यह है कि रोज अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो क्या रोज डिस्कस करते रहेंगे। ...(व्यवधान)...आप बैठिये, सारा आपका करवा देंगे। ...(व्यवधान)...वी विल डिस्कस इट।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पैट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगम) : मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पैट्रोलियम (चौथा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हू, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 884 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3040/81]

नमक उपकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगम) : मैं श्री चरणजीत चानना की और से नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नमक उपकर (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2586 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3041/81]

श्री मनीराम बागड़ी : रोज पुल गिरेंगे और रोज मजदूर मरेंगे, तो रोज पार्लियामेंट में हल्ला होगा।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं उसको करवा दूंगा। सारी बातों को देखेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा काम-रोको प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : काम-रोको प्रस्ताव मैंने एलाऊ नहीं किया है। यह तो वही बात हुई जैसे कहते हैं कि सारी रात रोई और मरा एक भी नहीं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सारे हाउस ने आपके साथ हमदर्दी जाहिर की है। अब आप इसको खराब क्यों करना चाहते हैं।

आप अपने ही मामले को बिगाड़ने का यत्न कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : कैसे खराब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : सारा हाउस इस बात पर एकमत है।

आप सारे वातावरण को खराब कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : चौधरी छोटूराम के होते हुए पाकिस्तान नहीं हो सकता था।

अब आप इसको खराब करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ? चौधरी छोटूराम से नाराज होंगे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन नाराज होता है चौधरी छोटू राम से ?

वह कार्य ही ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं कहता हूं कि सारा हाउस सहमत है। सारा हाउस यह कहता है कि ठीक बात है।

अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : कब कराओगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार की ओर से उत्तर नहीं दूंगा।

अब मैं कैसे कह दूं, गवर्नमेंट बैठी हुई है।

कृपया बैठ जाइये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैंने बिलरज और दिल्ली रिकार्डर के श्री आर० के० करंजिया और श्री राजपाल सिंह चौधरी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कर रहा हूं

श्री सतीश अग्रवाल : यह आक्षेप नितांत जाली है। यह 21 नवम्बर के बिल्टज में प्रकाशित हुआ है जिसका आशय है "क्या अग्रवाल ने संसद में झूठ बोला।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके···की ओर ध्यान दिया है···

श्री सतीश अग्रवाल : संसद में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसका ध्यान है।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने उसे देखा है तथा आपने उस पर राय मांगी है (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। श्री हरिकेश बहादुर जी, मैंने आपको नहीं, डा० कुलनदई वेलु को अनुमति दी है।

डा० वी० कुलनदई वेलु (चिदम्बरम) : मैंने सरकारी अधिकारियों की वर्तमान असुरक्षित स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

डा० वी० कुलनदई वेलु : यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। गम्भीर ही नहीं बल्कि एक जीवन समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

डा० वी० कुलनदई वेलु : मैं जानता हूं। श्री सुब्रह्मण्यम् पिल्लई, वेरीधिकेशन आफिसर, तिरुचेन्दूर देवस्थानम की मृत्यु के बारे में पौल कमीशन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद तथा

श्री सदाशिवम को तंग और परेशान किये जाने के समाचार के बाद ए० आई० डी० एम० के० शासन में तमिलनाडु में सरकारी अधिकारियों और जनता की सुरक्षा नहीं रही है। जनता के हित में तथा अनेक अबोध सरकारी अधिकारियों का जीवन बचाने के लिये हमारे नेता डा० के० करुणानिधि ने रिपोर्ट रिलीज की थी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। बूटा सिंह।

सभा पटल पर रखे गये पत्र---जारी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत करार

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच 9 सितम्बर, 1981 को हुए करार की अनुसूची में उल्लिखित योजक सड़कों के विकास और अनुरक्षण के सम्बन्ध में करार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3042/81]**

(2) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(3) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3043/81]

भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 की समीक्षा के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3044/81]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1981 क भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 621 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन, नियम, 1981 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 622 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3045/81]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का संशोधन करने वाली अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 627 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं जिसके द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1971 की अधिसूचना संख्या 46/71-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि शुल्क प्रदत्त कागज/गत्ते से बनाये गये गत्ते की छूट दी जा सके।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3046/81]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव की ओर से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 7 दिसम्बर, 1981 की अपनी बैठक में पारित इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1981 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) सशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) सशोधक विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धो समिति

32वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिबेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अहमदाबाद में 6 दिसम्बर, 1981 को हुए अग्निकांड, जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मुझे बड़े खेद और भारी दिल के साथ गुजरात में अहमदाबाद के श्रमिक नगर असरवा में 6 दिसम्बर, 1981 को घटी दुखद घटना

के बारे में इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है। जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कि असरवा अहमदाबाद के नीलकंड अखाड़े ने 27 नवम्बर, 1981 से 29 नवम्बर, 1981 तक अपने परिसर में अनारकुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 1981 तक हिमालय दर्शन का आयोजन किया। लकड़ी और कपड़े की लगभग 60 फुट ऊंची अस्थाई संरचना बनाई गई जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जैसे विभिन्न धार्मिक स्थानों के साथ हिमालय की झांकी दर्शाई गयी थी। इसमें प्रवेश के लिए शुल्क रखा गया था। 6 दिसम्बर, 1981 को सायंकाल लगभग 5 बजकर 40 मिनट पर इस अस्थाई संरचना में अचानक आग लग गई, जिससे 46 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिनमें से अब तक 18 शवों की पहचान हो गई है। 2 व्यक्तियों का अभी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अधीन इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करने के के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जांच शुरू कर दी है और गुजरात सरकार द्वारा कानून के अधीन यथा अपेक्षित आगे कार्रवाई की जाएगी। आग लगने के कारण का भी पता लगाना है। गुजरात सरकार शोक-संतप्त-परिवारों को मुआवजा देने की कार्रवाई कर रही है।

भास्कर-2 छोड़े जाने तथा उसका उपयोग आरम्भ होने के बारे में वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) 1. मैं सदन को यह सूचित करते हुए गौरवान्वित हूं कि भू-संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए भास्कर-II नामक दूसरे प्रायोगिक उपग्रह को सोवियत अन्तरिक्ष अड्डे से भारतीय समयानुसार 14.00 बजकर 32 सैकन्ड पर 20 नवम्बर, 1981 को छोड़ा गया। लगभग 440 कि० ग्रा० भार के बहु-फलकीय आकार के उपग्रह को 51 डिग्री के झुकाव पर और 525 कि० मी० की ऊंचाई पर लगभग वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया और गह प्रत्येक 95 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह का, श्री हरिकोटा, अहमदाबाद, बंगलोर स्थित भू केन्द्रों से तथा सोवियत संघ में भास्को के निकट बीयर्स लेक से भी निरन्तर मानीटरन किया जा रहा है। उपग्रह अच्छी तरह कार्य कर रहा है तथा अन्तरिक्ष यान की सभी प्रणालियां संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही हैं।

2. भास्कर-II उपग्रह अपने पूर्ववर्ती भास्कर-I उपग्रह, जिसे जून 7, 1979 का छोड़ा गया था, का एक संशोधित रूपांतर है। भास्कर-II का अन्तरिक्ष खण्ड वस्तुतः भास्कर-I के ही समान है और इसे एक वर्ष के सामान्य मिशन काल के लिए बनाया गया है। भास्कर-II में दो प्राथमिक नीतभार हैं, अर्थात् टी० वी० कैमरा प्रणाली और 19-22 तथा 31 गीगा हर्त्स (जी० हर्त्स) पर प्रचालित उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटर (समीर)। इन नीतभारों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भू-संसाधन तथा मौसम विज्ञानीय उपयोगों से संबंधित विविध अध्ययनों के लिए किया जाना है। उपग्रह में आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म, (डी० सी० पी०) परीक्षण, सौर सैल तथा तापीय पेंट परी-

क्षण जैसी गौण नीतभार प्रणालियां भी रखी गई हैं। आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म में देश के विभिन्न भागों में स्थापित उपस्थिति निर्पेक्ष प्लेटफार्मों द्वारा एकत्र किए जाने वाले मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों को रिले करने की व्यवस्था की गई है। सौर सैल तथा ताप पेंट सम्बन्धी परीक्षण निरंतर प्रयास हैं, जो भास्कर-I में प्रारंभ किए गए स्वदेशी रूप में विकसित सौर सैलों तथा ताप पेंटों की अर्हता के लिये हैं।

3. 20 नवम्बर को छोड़े जाने के बाद विभिन्न उप प्रणालियों की क्रमबद्ध रूप में जांच की गयी है। 22 नवम्बर को उपग्रह को घुमाया गया तथा आदेशों को भेजने के लिए भूमि से अन्तरिक्ष यान का संचार सम्पर्क स्थापित किया गया। अन्तरिक्षयान के जीवन के तीसरे दिन अर्थात् नवम्बर 23, 1981 को उपग्रह में रखे टेप रिकार्डर तथा तीन में से दो माइक्रोवेव रेडियोमीटरों को चालू किया गया। तृतीय रेडियोमीटर अगले दिन चालू किया गया। दो टेलीविजन कैमरों में से प्रत्यक्ष वेण्ड में परिचालित एक कैमरे को 106 वीं परिक्रमा के दौरान श्री हरिकोटा से नवम्बर 27, 1981 को चालू किया गया। इस कैमरे के चालू होने के बाद पाँच मिनट में ही छह चित्र प्राप्त किये गए। 121वीं परिक्रमा के दौरान नवम्बर 28, 1981 को दूसरे कैमरे को चालू किया किया गया तथा भारत के ऊपर के चित्र लिए गये। साथ-साथ प्रचालनों के लिए 136वीं परिक्रमा के दौरान श्री हरिकोटा से 29 नवम्बर को दोनों कैमरे चालू किए गये। दो कैमरों, जो स्पेक्ट्रमी बैन्डों में 341 कि० मी० X 341 कि० मी० के क्षेत्र को आवर्त्त करने वाले उसी भू-दृश्य का चित्र लेने के लिए संरेखित किये गए हैं, के प्रचालन की इस प्रणाली से बहु-स्पेक्ट्रमी प्रतिबिंबिकी को प्राप्त करना संभव हुआ है। इन दोनों बैण्डों में कल 12 चित्र प्राप्त किए गए तथा इनमें से चार चित्र अपेक्षाकृत मेघमुक्त थे। उपग्रह में रखी सभी प्रणालियों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया। टी० वी० कैमरों और उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटरों (समीर) से आंकड़े एकत्र किए गए। प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि इन आंकड़ा उत्पादों की क्वालिटी अच्छी हैं। संबंधित प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ परामर्श करके इस सूचना के क्रमबद्ध प्रयोग के लिए पहले ही एक योजना तैयार की गई है। टी० वी० आंकड़े वानिकी, भू-प्रयोग, हिम आच्छादन सम्बन्धी अध्ययनों, बाढ़ और भू-विज्ञानीय मानचित्रण के लिए उपयोगी होंगे। समीर आंकड़े समुद्र की अवस्था, समुद्री सतह के तापमान और जल वाष्प तथा समुद्री क्षेत्रों पर वायुमण्डल में द्रव जल के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करेंगे।

4. भास्कर-II परियोजना पर खर्च की गयी कुल राशि लगभग 1.6 करोड़ रु० है। जबकि कुछ अन्तरिक्ष-अर्ह इलेक्ट्रोनिकी उपकरणों का आयात किया गया है, इसके उप प्रणाली डिजाइन, इंजीनियरी विकास तथा जांच से संबंधित सभी कार्य देश मे ही किये गए हैं। सोवियत संघ ने विज्ञान अकादमी के माध्यम से प्रमोचक राकेट तथा प्रमोचन एवं अनुवर्तन सहायता निःशुल्क प्रदान की है। इसके अलावा, कुछ उप-प्रणालियां जैसे सौर पैनलों, प्रचक्रण उप प्रणाली के भागों, रासायनिक बैटरी तथा चुम्बकीय टेप रिकार्डर भी सोवियत संघ ने निःशुल्क प्रदान किए हैं। डी० एफ० वी० एल० आर० नामक जर्मन अन्तरिक्ष एजेंसी तथा सी० एन० ई० एस० नामक फ्रेंच एजेंसी से भी अतिरिक्त अनुवर्तन सहायता प्राप्त की गयी है।

5. भास्कर-II प्रायोगिक प्रणाली के प्रथम चरण को समाप्त करेगा तथा उपग्रह आधारित सुदूर संवेदित आंकड़ों के निर्माण तथा उपयोग की अर्ध प्रचालनात्मक प्रणाली को अग्रसर करेगा; इस चरण का एक महत्वपूर्ण घटक भारतीत सुदूर संवेदन उपग्रह परियोजना होगी, जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त प्रयोक्ता समन्वय तथा अभिकल्प संबंधी गतिविधि की गयी है और परियोजना संबंधी क्रियाकलाप चालू होने वाले हैं।

6. आर्यभट और भास्कर-I के बाद भास्कर-II ने अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में चल रहे भारत सोवियत सहयोग में एक अन्य महत्वपूर्ण मील स्तंभ स्थापित किया है।

7. सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने उन वैज्ञानिकों, शिल्पविज्ञानियों, इंजीनियरों और कार्यकर्त्ताओं के योगदानों तथा उपलब्धियों पर गर्व है, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाया है तथा मुझे आशा है कि यह महान् सदन उन्हें बधाई देने में मेरा साथ देगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगनभाई बरोट) : मैं श्री आर० वेंकटरामन की ओर से वर्ष 1981-82 के लिए बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी विवरण, प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1979-80

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगनभाई बरोट) : मैं श्री आर० वेंकटरामन की ओर से वर्ष 1979-80 के लिए बजट (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगनभाई बरोट) : मैं श्री आर० वेंकटरामन की ओर से वर्ष 1981-82 के लिए असम राज्य सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1981-82

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : महोदय, मैं वर्ष 1981-82 के लिए बजट (रेल) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1979-80

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए बजट (रेल) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश के भीतरी भागों का उद्योगीकरण

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : देश में औद्योगीकरण का भारी तादाद में विस्तार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिमाचल में कई करोड़ के उद्योगों की स्थापना पोटा साहब, परवानु, बरोटीवाला, वालागढ़ महतपुर, इन्दौरा इत्यादि स्थानों पर की जा रही है। कई उद्योग इस प्रकार के हैं जो अब उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु अब अधिक उद्योगों का फैलाव करने से सीमा क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश का है, उसी का विकास हो रहा है और जो वहां पर मैदानी क्षेत्र की भूमि है वह काफी उपजाऊ है और उसका अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे वहां के लोगों में परेशानी उत्पन्न हो रही है और दूसरी ओर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें यह भावना पैदा होती जा रही है कि उद्योगों की स्थापना हिमाचल के भीतरी भाग में होनी चाहिए ताकि हिमाचल की समस्त जनता इससे लाभान्वित हो सके और जो वहां के युवक और युवतियां हैं, इस वक्त बेरोजगारी की जटिल समस्या में फसे हुए हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। इस वक्त देखने में ऐसा आ रहा है कि जो जो उद्योग सीमा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं उनमें उस क्षेत्र के लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार को इस मामले में मार्गनिर्देश जारी किए जायें कि हिमाचल के लोगों के उत्थान के लिए जिला सिरमौर, शिमला, सोलन के उन क्षेत्रों में उद्योग बस्तियां कायम करें जहां भूमि उजाड़ पड़ी है, न कि उपजाऊ भूमि में। मुझे नालागढ़ क्षेत्र के बहुत से गांव के लोगों की तरफ से मांग आई है कि उनकी जमीन पर क्रय-विक्रय की पाबन्दी लगाई जा रही है और उन्हें वहां से बेदखल होना पड़ेगा। उनकी भूमि सुरक्षित रखी जाए और बेदखल होने से बचाया जाए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सीमा क्षेत्र में पंजाब का क्षेत्र पड़ता है जिसमें कई किस्म की समस्याएं हैं और पहाड़ी क्षेत्र के लोग अमन पसन्द होते हैं उनके लिए कानूनी तौर पर अपना-अपना कार्य करने के लिए कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

अत: मंत्री महोदय हिमाचल के भीतरी भाग में उद्योग लगाने हेतु फौरन ध्यान दें। जब उद्योगों की स्थापना हो जाए तो इन दूरदराज के इलाकों में स्थापित हुए उद्योगों की पैदावार को बाजार में पहुँचाने हेतु परिवहन सुविधाएं और माल के ढुलान पर जो बाजार तक पहुंचना आवश्यक होगा, सुब्सिडी अनुदान के रूप में देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि जेना। अनुपस्थित। श्री लक्ष्मण मलिक

(दो) उड़ीसा में बांसपानी-बारहिल क्षेत्र में खानों के मुहानो और रेल हैंडों पर लौह-अयस्क के जमा हुए भण्डार की निकासी

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : विभिन्न मुहानों और पटरी के अन्तिम स्थानों में 6 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 15 लाख टन लौह अयस्क इकट्ठा हो जाने के कारण उड़ीसा में खनिजों के उत्पादन को काफी धक्का पहुंचा है। गत दो महीनों में 15 लौड-अयस्क और दो क्रोमाइट अयस्क खानें बारबिल बांसपानी सेक्टर में बन्द हो गई हैं, इसके परिणामस्वरूप 15,000 श्रमिकों की छटनी हो गई है जिनमें अधिकांश आदिवासी और हरिजन हैं।

नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में इस्पात कारखानों में 100 करोड़ रुपए के मूल्य का 60 लाख टन से अधिक लौह अयस्क जमा पड़ा है। दूसरी ओर लौह अयस्क का निर्यात बहुत कम हो गया है। इन दो कारणों से उड़ीसा में खनन कार्य ठप्प हो गया है। राज्य का लौह अयस्क का निर्यात 1975-76 में 30 लाख टन से कम होकर 1980-81 में 19.6 लाख टन रह गया है। चालू वर्ष में स्थिति और भी बिगड़ गई है क्योंकि पहले 6 महीनों में लौह अयस्क का निर्यात कम होकर केवल 50,000 टन रह गया है जबकि इस वर्ष का लक्ष्य 25 लाख टन निर्धारित किया गया था।

समीक्षा के अनुसार, जबकि देश का खनिज उत्पादन वर्ष 1975 में लगभग 1690 लाख टन से बढ़कर गत वर्ष 1850 लाख टन हो गया था, राज्य का उत्पादन उपरोक्त अवधि में 140 लाख टन प्रतिवर्ष पर रुका सा रहा।

यदि खनिज तथा धातु व्यापार निगम उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात नहीं बढ़ाता तो राज्य में अनेक अन्य खानें बन्द हो सकती हैं। इसलिए मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मुहानों तथा रेल पटरियों के अन्तिम स्थान पर बड़ी मात्रा में जमा पड़े लौह अयस्क की ढुलाई करने की व्यवस्था करने हेतु नौवहन और परिवहन मंत्री से तुरन्त सम्पर्क करें। बांसपानी बारबिल क्षेत्रों में बन्द हुई खानों में पुन: काम चालू करके और गत दो महीना में छटनी किये गये 15,000 श्रमिकों को बहाल करके लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिये, उड़ीसा से लोहे का निर्यात तेजी से किया जाना चाहिए।

(तीन) मैसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा का राष्ट्रीयकरण

श्री सत्संसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार व श्रमिक संघ द्वारा उद्योग मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन भेजे गये हैं। इस प्रमुख जहाज निर्माण उद्योग को कुछ प्रकार के जहाज निर्माण जहाज मरम्मत करने और सामान्य इंजीनियरिंग सम्बन्धी कुछ विशेषताएं हैं जो इस शिपयार्ड में अत्यन्त मितव्ययी हैं और अन्य स्थानों से कारीगरी बेहतर है। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस यार्ड के आधुनकीकरण के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप इसमें स्थान व्यवस्था, सामान उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी सुविधाएं निर्माण सम्बन्धी मशीनें सभी पुरानी किस्म की हैं। दूसरे "टग" के आरम्भिक समारोह के समय 9 मार्च, 1981 को कांडला पत्तन न्यास के चेयरमैन के भाषण में यह बात स्पष्ट है। चूंकि कम्पनी समय पर मजूरी और वेतन नहीं दे सकती और धन के अभाव के कारण उत्पादन के लिए अपेक्षित माल खरीदने में विलम्ब होता है, इससे जन घण्टों को हानि होती है, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और माल के वितरण का काम समयानुसार नहीं होता। इन बाधाओं के बावजूद, यह बात प्रशंसनीय है कि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के उच्च योग्यता प्राप्त श्रमिकों और इंजीनियरों तथा डिजाइनरों का योग्य दल देश के अत्यन्त आधुनिक जहाज बनाने वाले कारखानों की तुलना कर सकने योग्य निर्धारित अवधि के भीतर आधुनिकतम जहाज का डिजाइन और निर्माण के भीतर कर सका है और विभिन्न पत्तन न्यासो को सप्लाई कर सका है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा पर्याप्त कार्यकारी पूंजी ऋण से निश्चय ही कम खर्च के साथ उत्पादन बढ़ेगा और अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंचेगा और इससे पर्याप्त अतिरिक्त उत्पादन भी हो सकेगा जिससे यह कम्पनी सक्षम बनी रहे। चूंकि हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकांश ग्राहक सरकारी उपक्रम और सरकारी एजेंसियां हैं सरकार द्वारा इस कम्पनी बिना विलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाना आवश्यक है।

(चार) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा-विवाद

श्री वापूसाहिब पुरुलेकर (रत्नागिरि) : श्रीमन, नियम 377 के अधीन मैं उल्लेखनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद विगत कई वर्षों से लम्बित पड़ा है। पिछले चुनावों ने लोगों की इच्छा को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

पांचवी लोक सभा में सरकार ने आश्वासन दिया था कि छठी लोक सभा के लिए चुनावों से पहले ही उक्त सीमा-विवाद हल कर दिया जायेगा।

जनता पार्टी के शासन में तत्कालीन केन्द्रीय ग्रह मंत्री ने इस विवाद को हल करने के लिए कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक निश्चित कर दी थी। परन्तु इस बीच ही वह सरकार गिर गई थी।

कर्नाटक विधान सभा में 'महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पांच सदस्यों ने गत अगस्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर अपनी अनिश्चित काल की हड़ताल समाप्त कर दी थी कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलेंगे या मामलों पर विचार-विमर्श करेंगे। अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कर्नाटक-महाराष्ट्री सीमा विवाद को, जो कि विगत 45 वर्षों में लम्बित पड़ा है तथा दोनों राज्यों में तनाव पैदा कर रहा है, हल करने के लिए शीघ्रतापूर्वक कदम उठाए और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्र की मुख्य राजनैतिक धारा में आने को प्रोत्साहित किया जाए।

(पांच) पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया आदि जिलों में रवी को फसल की सिंचाई के लिए कृषि यन्त्रों में प्रयोग करने हेतु डीजल का भीषण अभाव हो गया है। डीजल पम्पों पर किसान कई दिनों तक डीजल के लिये लाइन लगाकर पड़े रहते हैं। डीजल के अतिरिक्त मिट्टी के तेल की भी बहुत कमी हो गयी है। ग्रामीण जनता को डीजल और मिट्टी का तेल दोनों ही नहीं मिल पा रहा है जिससे आम जनता और किसान दोनों ही अत्यधिक परेशान हैं। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में डीजल और मिट्टी के तेल के अभाव को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें ताकि जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

(छ:) समाचार-पत्र उद्योग मे इलैक्ट्रानिक कम्पयूटर प्रोद्योगिकी लागू करने का प्रस्ताव

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, समाचार पत्र उद्योग में इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी के शुरू होने से एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति पैदा दो गई है। कुछ समाचार पत्रों के विभिन्न स्तरों पर एक उन्नत प्रोद्योगिकीय प्रणाली शुरू कर दी है और समूचे तौर पर यह उद्योग बहुत जल्द ही बड़े पैमाने पर इस प्रोद्योगिकी को अपनाने जा रहा है।

इस नई घटना से कर्मचारियों तथा उद्योग के प्रबन्धकों के लिए एक अनपेक्षित ओद्योगिक तनातनी पैदा होगी जिनके बीच इस समय न्यूयार्क के सोहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध हैं।

"द हिन्दू" पत्र तो उक्त: पद्धति को पहले ही शुरू कर चुका है टाइस आफ इण्डिया बम्बई, कलकत्ता के आनन्द बाजार पत्रिका तथा अमृत बाजार पत्रिका तथा इण्डियन एक्सप्रेस जैसे कुछ पत्रों ने विभिन्न स्तरों पर यह प्रोद्योगिकी शुरू कर दी है। स्टैट्समैन तथा अन्य पत्रों में भी उन्नत प्रोद्योगिकी को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इण्डियम एक्सप्रेस, दिल्ली तथा परियाट, दिल्ली कथित रहे समाचार पत्रों ने अपने कर्मचारियों को कुछ काम में ही नई एक प्रोद्योगिकी आरम्भ किए जाने के नोटिस जारी कर दिए हैं।

इन घटनाओं के फलस्वरूप इस उद्योग में बड़े पैमाने पर छटनी और नौकरियों के अवसर प्रतिबंधित होने का सीधा खतरा पैदा हो गया है।

इस समय उक्त मशीनरी के आयात की अनुमति अपने जनरल लायसेंस के अधीन दी जाती है और समाचार पत्र प्रबंधक उसके लिये दबादब क्रयादेश दे रहे हैं। एक ऐसे देश में जहां रोजगार की स्थिति पहले ही इतनी खराब हो वहां उक्त मोड़ से उत्पन्न खतरनाक परिणामों को अनुभव करते हुए सरकार को इस मशीनरी का आयात करने पर तब पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए जब तक कि इस मामले में सरकार, कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच कोई भरपूर चर्चा न हो जाये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समाचार पत्रों को कहे कि वे इस मशीनरी को लगाने से बाज रहें तथा अपने कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में धमकी भरे पत्र तथा नोटिस जारी न करें जब तक कि इस मामले में कोई अन्तिम करार न हो जाये।

(सात) ग्वालियर के पटाखे बनाने वाले कारखाने में गत सप्ताह हुए विस्फोट की जांच

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : अध्यक्ष की आरमात से मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि ग्वालियर समते पटाखों के एक कारखाने में गत सप्ताह हुए विस्फोट के कारण अब तक 21 जानें जा चुकी हैं और एक दर्जन से भी अधिक व्यक्ति अभी भी आरमात में अत्यंत गंभीर दशा में पड़े हैं। इस दुर्घटना में शिकार हुए लोग अधिकतर महिलाएं तथा बच्चे हैं, आधे से अधिक संख्या बच्चों की ही है। उक्त कारखाना बहुत ही समीप **निम्बाजी की खो** नामक श्रमिक बस्ती के पास है। जीवन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गये थे। कारखाने में न कोई अग्नि-शामक उपकरण था और यहां तक कि रेत की बोरियां भी नहीं थीं। और विस्फोटक पदार्थ प्राधिकारियों की भारी लापरवाही है तथा सांठ-गांठ के बल पर ऐसी अवैध गतिविधियां चल रही थीं। इसमें इतनी बड़ी संख्या में जानें चली गईं। कुछ परिवार तो पूरी तरह बर्बाद हो गये। एक परिवार के तो चार बच्चे और सभी कमाने वाले मारे गये। यदि डालते समय पर आवश्यक सावधानी बरती जाती तो यह दुर्घटना टल सकती थी। मैं इस मामले निस्पक्ष जांच तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की मांग करता हूं। मैं यह भी मांग करता हूं कि कुप्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए।

(आठ) केरल में इलायची की फसलको बचाने के लिए एक रसायन बे-5072-70% का आयात करने की आवश्यकता

श्री कुम्बुम एन० नटराजन (पेरियाकुलम) : केरल राज्य में 1,17.174 एकड़ भूमि में इलायची बोई जाती है और इन बागान में लगभग 80,000 कामक लगे हुए हैं। इलायची मसालों की रानी है और भारत विश्वभर में इसकी सप्लाई करता है। भारतीय इलायची को उच्चतम मूल्य मिलते हैं। वस्तुत: इलायची के निर्यात से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।

इलायची बोर्ड इलायची के उत्पादकों को विश्व मडी से लाभप्रद मूल्य दिलाने में सहायता करता है। बोडीनयाकानू के इलायची उत्पादक संघ, जिसके 1000 से अधिक सदस्य हैं उत्पादकों को निर्यात मूल्यो पर कीटनाशक दवाएं तथा उर्वरक सप्लाई कर रहा है।

अब भारी वर्षा की प्राकृतिक विपदा के अतिरिक्त, उत्पादक के सामने अनुकूल अर्थात फसल-सड़ जाने की बीमारी का अत्यधिक खतरा है। यदि इस बीमारी को समाप्त नहीं किया गया तो भारी राशि की विदेशी मुद्रा की हानि होने के साथ-साथ 80,000 श्रमिकों का रोजगार भी खत्म हो जाए इस संक्रामक रोग के समर्थ 1,17,174 एकड़ भूमि में फैल जाने के भी आसार हैं जिनका कोई इलाज न हो सकेगा। यह कल्पना कर लेना मुश्किल नहीं कि भारत मसालों की रानी इलायची यदि इस बीमारी को फैलने दिया गया तो भारत इस मसालों की रानी इलायची से हमेशा के लिये वन्चित हो जाएगा तथा यह भूमि इलायची की उपज के लिये अयोग्य हो जाएगी। विगत दस वर्षों के दौरान इस बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं।

इस रोग को समाप्त करने का एकमात्र उपाय यही था कि बीमारी के प्रारंभिक आक्रमण के समय बोर्डिमोक्स मिक्सचर डाला जाता। अब अनुकूल बीमारी न केवल संक्रामक हो चुकी है बल्कि गत दस वर्षों में उग्र रूप भी धारण कर चुकी है। अब वे 5072-70% डब्लू० पी० इसे नियन्त्रित करेगा। इस उत्पादन को बेयर कम्पनी बनाया करती थी परन्तु इस मिश्रण को तैयार करने के लिए अपेक्षित मूल रसायन का जर्मनी से आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि बोर्डिओक्स मिक्सचर को प्रयोग करना उत्पादकों के लिये दुष्कर था, वे-5072-70% को उत्पादक भली प्रकार समझते हैं।

इलायची के निर्यात द्वारा मूल्यवान विदेशी मुद्रा आयात करने के हित में, 80,000 श्रमिकों की जीविका बनाये रखने के हित में क्या हजारों उत्पादकों के हित में, सरकार को इइलायची उत्पादक संघ बोडिनायानुकूल तमिलनाडु को अथवा इलायची बोर्ड को, उत्पादकों के मध्य विचारार्थ इस रसायने बे-5072-70% को आयात करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि इस भयानक बीमारी को रोका जा सके जोकि अन्यथा समूचे बागान को नष्ट कर देगी।

(नौ) मराठवाडा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय करने की मांग

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुख की बात है कि सदन में बार-बार मांग करने के बाद भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नहीं रखा गया है, जबकि 1978 में ही महाराष्ट्र असेम्बली ने सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि उसका नाम डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखा जाए। डा० अम्बेडकर हिन्दुस्तान के करोड़ों अनुसूचित जाति, पिछड़े दलित एवं शोषित लोगों के नेता एवं प्रेरणा-स्रोत हैं। इन समुदायों का भावनात्मक सम्बन्ध डा० अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है।

ऐसी स्थिति में अभी तक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामान्तरण न करना करोड़ों शोषित प्रीत के मन को चोट पहुंचाना है। विश्वविद्यालय का नाम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार निर्णय ले लिए जाने के बाद नामान्तरण न करना इस बात का द्योतक है कि सरकार की नीयत दलित समुदायों के प्रति क्या है। क्या अभी भी डा० अम्बेडकर जैसे महापुरुष का नाम हिन्दुस्तान के गले के नीचे नहीं उतर सकता, यह मेरे जैसे लोग सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह कोई एक राज्य का मामला नहीं रह गया है। आम शोषित प्रीत समुदाय के मन में इस बात को लेकर आक्रोश है।

अत: केन्द्र सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह महाराष्ट्र विधान सभा के निर्णय का आदर करते हुए शीघ्र ही मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन कर के डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय करे।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री पी० वी० नरसिम्हा राव द्वारा 18 सितम्बर, 1981 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी अर्थात,

"यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करती है।"

श्री सत्यसाधन बोल रहे थे कि चर्चा जारी रखेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं इस बात पर बल देता हूं। आज हमारे सामने एक गम्भीर समस्या है। समस्या यह है कि विश्व में युद्ध के बादल छा रहे हैं और आज विश्व के सामने परमाणु युद्ध का वास्तविक खतरा है।

सभा मेरे साथ इस बात से सहमत होगी कि हमें न केवल भारत में शांति की आवश्यकता है अपितु हमें विश्व भर में इसकी आवश्यकता है। शांति के बिना विकास नहीं हो सकता। यह भावना जाति के बने रहने का प्रश्न है। भारत में हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्यों कि शांति के वातावरण के बिना हम आर्थिक विकास नहीं ला सकते। परन्तु साम्राज्यवादी विश्व में हाल के युद्ध विकासों के कारण शान्ति को खतरा है अमरीका आज खुले रूप से सीमित परमाणु युद्ध की बात कर रहा है और युद्ध के लिए तैयारी कर रहे है। वे यह कहकर लोगों को धोखा दे रहे है कि यह सीमित युद्ध एक क्षेत्र विशेष

तक सीमित रहेगा। परन्तु इस प्रकार का भावी युद्ध ऐसा नहीं रह सकता, प्रत्येक परमाणु युद्ध, अपनी प्रकृति के अनुसार एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह सकता। एक ही झटके में यह सारे विश्व को अपने में समा लेगा और अन्ततः भी नवजाति के विनाश का कारण बनेगा। अब प्रश्न यह है कि युद्ध के इस प्रकोप का अथवा इस युद्ध प्रचार का क्या कारण है। इस सशस्त्र होड को तेज करने के क्या कारण हैं ? ऐसे भी लोग हैं जो यह तर्क देते हैं कि युद्ध मनुष्य के खून में है ! इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण युद्ध होते हैं। मैं "फादर आफ दी अमेरिकन न्यूट्रान बाम्ब" से उद्धरण देता हूं। उन्होंने कहा है :

"सभी व्यक्ति शैतान हैं। उनकी पुत्री ने, जो उस समय वहां उपस्थित थी पूछा : तब क्या आप भी शैतान हैं ? उन्होंने उत्तर दिया हां मैं शैतान हूं और कहा कि युद्ध मनुष्य की प्रवृति में हैं। युद्धघृणा मनोविज्ञान का यह ज्वलन्त उदाहरण है।"

इस प्रकार के घृणा मनोविज्ञान का उन लोगों द्वारा प्रचार किया जाता है जिन्होंने न्यूट्रान बम बनाया है जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि यह मानव सभ्यता का निर्मूल विनाश करने के सक्षम है। परन्तु क्या यह सच है कि युद्ध मानव रक्त में है, नहीं युद्ध का कारण क्या है। हमें जनता की भौतिक स्थिति पर विचार करना होगा। युद्ध के मूल कारण स्वयं आर्थिक पद्धति में विद्यमान हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने अनुमान के भाषण में जो कुछ कहा, मैं उसका उदाहरण दे सकती हूं। उन्होंने कहा :

"हमें बताया जाता है कि विश्व की अर्थ व्यवस्था बिगड़ी हालत में है सबसे अधिक समद्ध राष्ट्रों को भी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और वे भी मन्दी तथा विकास धीमी गति का सामना कर रहे हैं।

"अर्द्ध शताब्दी पूर्व औद्योगिकृत राष्ट्रों ने अपने आप को लगभग इसी प्रकार की स्थिति में पाया था। अपने-भीतर देखने की कीर्तियां तथा संरक्षणवाद, वरीयता खण्डों करेन्सी ह्रास तथा इस प्रकार के अन्य उपायों द्वारा इन समस्याओं के हल करने में उनके प्रयासों ने विश्व को सबसे अधिक दुष्कर मन्त्री की स्थिति में धकेल दिया जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।"

दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे ? इसका कारण इन विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी। उनकी नीति थी, "अपने अस्तित्व के लिए अपने पड़ोसी को भिखारी बनाओ।" इस प्रकार यह साम्राज्यवादी विश्व की प्रतिस्पर्धा तथा उनके सम्पूर्ण विश्व का शोषण करने एवं अपना एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास को जिन्होंने विश्व को दूसरे विश्व युद्ध में धकेला।

आज भी उसी प्रकार के हालात हैं। ये साम्राज्यवादी देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और उनको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है।

संकट की गहराई को समझने के लिए मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। मैं ग्रोथ रेट आफ दी एग्रीमेंट प्रोडक्शन आफ कोमोडिटीज एण्ड सर्विसेज परसेन्टेज आफ दी केपिटलिस्टिक कन्ट्रीज से उद्धरण दे रहा हूँ। विकसित पंजीवादी देशों का 1961-72 का वार्षिक औसत 5.0 प्रतिशत था। 1973-79 में यह 2.3 प्रतिशन था। 1980 में यह 1.5 प्रतिशत है। अब उनको बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अमरीका में मोटे तौर पर 80-90 लाख लोग बेरोजगार है। इंगलैण्ड में 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। आप देखेंगे कि सभी विकसित औद्योगिक पूंजीवादी देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और मन्दी है। इससे बचने का रास्ता क्या है। उनके अनुसार इसका रास्ता है शस्त्रों पर अधिक से अधिक निर्भरता तथा युद्ध के लिए तैयारी।

यदि आप अमरीका के बजट को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा। युद्ध की तैयारी पर उनके व्यय के आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। अमरीका में एक शक्तिशाली सैनिक उद्योग समूह हैं। वह इस कारण से युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उनके लिए युद्ध खतरनाक नहीं है परन्तु यह लाभ की बात है। इसी कारण वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से वे अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारना तथा अपने आर्थिक विकास को बनाए रखना चाहते हैं। यही मूल कारण है कि हम देखते हैं कि युद्ध के सम्बन्ध में आज इतनी तैयारियां हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वे क्या कहते हैं? वे यह कहते हैं कि यह युद्ध केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगा। बहुत ही कष्टदायी बातचीत के बाद जो दिदांत स्थापित हुआ था उसे वे अस्थिर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय नाटो शक्तियां और वार्सा शक्तियों के बीच कच्चे तौर पर समता है

अमरीका इस दिदांत को एकपक्षीय रूप से तोड़ने के प्रयास कर रहा है। वे खुले रूप से यह कह रहा है कि वे ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें वे समाजवादी विश्व के साथ बातचीत कर सकें। वे खुले रूप से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उनको शक्ति का ऐसा स्थान प्राप्त होना चाहिए जहां से वे अपनी बात को मना पाने की स्थिति में हों। वे सैनिक श्रेष्ठता चाहते हैं जिससे वे विश्व के अन्य भागों पर अपने विचार थोप सकें।

यह आज की स्थिति है। यह पूंजीवाद का आंतरिक संकट है। यह साम्राज्यवादी विश्व की मन्दी है जो उनको युद्ध की तैयारी की ओर धकेल रही है, जो उनका दिदांत भी तोड़ने को बाध्य कर रही है, और जो विश्व को युद्ध के भाग की ओर ले जा रही है तथा निराश होकर वे कह रहे हैं कि वे बड़े पैमाने पर प्रतिकार के पक्ष में हैं और वे युद्ध के खतरे पर भी महत्वपूर्ण हितों के समर्थक हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमरीकी नेता मिस्टर हैग ने क्या कहा। वे युद्ध और शांति की बात करते हैं। एक साक्षात्कार में मिस्टर एलैक्जेन्डर हैग ने कहा था कि ऐसी अन्य बातें हैं जो शान्ति से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार शांति महत्वपूर्ण नही है परन्तु अन्य बातें महत्वपूर्ण हैं। वे अन्य बातें क्या हैं? 31 जनवरी, 1981 को मिस्टर हैग ने अपने एक साक्षात्कार में यह कहा।

"मैं यह कहूंगा कि आज 'स्वतन्त्र विश्व' में मुख्य खतरा तथा धुन अन्तर्राष्ट्रीय आतकवाद का पनपना तथा गैर-कानूनी हस्तक्षेप के सम्बद्ध मामले अर्थात तथाकथित राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध हैं।

अमरीकी प्रशासन खुले तौर पर यह कह रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। यह राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध है। जब जनता अल सेल्वेडोर में स्वाधीनता के लिए जूझ रहे हैं तो यह अन्तर्राट्रीय आतंकवाद है। अंगोला में जब जनता स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। जब अफ्रीकी एशियाई देशों लोग अपने देशों के प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपने अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं तो यह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। संयुक्त राज्य अमरीका इससे लड़ना चाहता है युद्ध के लिए तैयारी करना चाहता है और स्वाधीनता सेनानियों को सैनिक बल पर दबाना चाहता है। अमरीका द्वारा यह नीति अपनाई जा रही है।

11 मार्च, 1981 को मिस्टर हैग ने अपने साक्षात्कार में जो कुछ कहा मैं फिर उसका उद्धरण देता हूँ।

"पश्चिमी औद्योगिक समाज मध्य पूर्व क्षेत्र के तेल संसाधनों पर अधिकतर निर्भर हैं और उस तेल तक पहुंच को खतरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित को गंभीर खतरा होगा। उसका अवश्य सामना किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो शक्ति का प्रयोग करने से भी नहीं रहना होगा। कौन यह कह रहा है? मिस्टर हैग एक उत्तरदायी व्यक्ति जिस पर नीति निर्णय करने और उसे पालन करने भर है। अमरीका के महत्वपूर्ण हित क्या हैं। अमरीकी महत्वपूर्ण तेल के कुओं तथा उन तक पहुंच के इच्छुक हैं। अत: तेल के कुएं जिन देशों में स्थित हैं उनक नहीं है। परन्तु वे अमरीका के हैं। यदि उस सरकार की नीति के कारण उनको खतरा है—खनिन संसाधनों तथा अन्य ससाधन जो उनके देश में हैं—अमरीका खुले तौर पर तलवार से उनको धमका रहा है वह तलवार परमाणु हथियारों की है और कह रहा है "हम शक्ति का उपयोग करेंगे यह हमारे हितों को खतरा है। और उसके लिए वे युद्ध के लिए तैयार हैं और यदि वह युद्ध परमाणु युद्ध भी हो तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि युद्ध मनुष्य के खून में है और मनुष्य शैतान हैं। अत: यह लोगों को मारने को, इस आसमान के नीचे विभिन्न लोगों को समाप्त करने की हिटलरवादी विचारधारा है। उन्होंने कहा है कि अमरीका के हित सार्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। 28 अप्रैल, 1981 को मि० कौपर वेनवेरगर ने जो कि उत्तरी अमरीका के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ तथा राजदूत हैं, इस प्रकार कहा :

"ऊर्जा के लिए हमें जिन अधिकतर संसाधनों की आवश्यकता होती है और दहुत से आवश्यक सामरिक महत्व के खनिज हमारे तटों से हजारों मील दूर मिलते हैं···यदि हमें अपनी पहुंच को और स्वतन्त्र विश्व की इन संसाधनों तक पहुंच को सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी सैनिक तथा नौसैनिक शक्ति बढ़ानी होगी।"

स्वतन्त्र विश्व की यह वास्तविक प्रकृति है! स्वतन्त्र विश्व की अपने तटों से हजारों मील दूर स्थित संसाधनों तक अवश्य पहुंच होनी चाहिए। यही कारण है कि युद्ध की तैयारी है; यही

कारण है कि साम्राज्यवादी, नाटो शक्तियां तथा अमरीका युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण के अधीन ला रहे है । यह स्थिति है और यही आज साम्राज्यवादी कर रहे हैं और उसके लिए वे इन क्षेत्रों में दिक्कतें पैदा करने के लिए अस्थिरता पैदा कर रहे हैं । यदि यही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, यदि युद्ध का खतरा है, शास्त्र होड का खतरा है, साल्ट-ii समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से इन्कार है और युरोप में मध्यम पूरी के प्रक्षेपाशास्त्र भेजने के लिए सभी पहल की जा चुकी है तो इस स्थिति में भारत अपने को कहां पर पाता है ।

हम शांति के पक्षपाती हैं क्योंकि शांति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और शांति के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता । परन्तु हम अपने को किस स्थिति में पाते हैं । आज हम देखते हैं कि हमारे चहुं ओर हमारे विरोधी राज्यों का घेरा है और यह कारीगरी संयुक्त राज्य अमरीका की है ।

अमरीका की नीति दक्षिणी क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न करना है और यही कारण है कि वे पाकिस्तान को अपने सामरिक मतैक्य में खींच रहे हैं; वे पाकिस्तान को खूब हथियार दे रहे हैं । और पाकिस्तान क्या करता है ? पाकिस्तान कहता है कि यह हथियार उनकी रक्षा के लिए हैं । इस बारे में मैं केवल पेपर का और उसमें जो कुछ कहा गया है, उल्लेख करना चाहता हूं । यह अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, सैनिक संतुलन प्रतिवेदन, 1980-81 का है । इस अध्ययन में बिना किसी संदेह के प्रदर्शित किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार की थोड़ी सी समानता, सैनिक समानता है । किसी श्रेष्ठता का कोई मामला नहीं है । इसका क्या कारण है कि पकिस्तान अमरीका से एफ० 16 विमानों सहित आधुनिकतम हथियार, आधुनिकतम सैनिक साज-सामान क्यों लेने का प्रयास कर रहा है ? क्या यह अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए है । मैं इसको गलत नहीं मानता और पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का अधिकार है लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है । पाकिस्तान क्या कहता है और अमरीका क्या कहता है ? वे कहते हैं कि यह सोवियत संघ द्वारा किये जाने वाले संभावित हमले का मुकाबला करना है जो उनके अनुसार विस्तारवादी है और इसका कारण अफगानिस्तान में विद्यमान स्थिति है । लेकिन क्या यह सच है ? श्री आगा शाही, जो राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, ने हथियारों को भेजने के प्रति सोवियत प्रतिक्रिया की आशंका का उत्तर देते हुए कहा :

"सोवियत संघ द्वारा आक्रमण के खतरे के बारे में आपके मन में इस डर को दूर किया जाना चाहिए । और सोवियत संघ ने स्पष्ट रूप से हमें आश्वासन दिया है और ब्रेजनेव ने कई बार यह कहा है कि हम इस संभावना की ओर ध्यान न दें । किसी अन्य हमले का सामना करने के लिये, वास्तव में सही कारण यही है, हम हथियारों को शीघ्रता से लेना चाहते हैं ।’

यह ‘कोई अन्य हमला’ क्या है ? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान तो एक प्रतिनिधि है और यह अमरीका है जो इसके पीछे है और अमरीका की नीति है—अस्थिरीकरण—जो इसके पीछे हैं । वास्तव में इससे हमारे देश में शीत युद्ध आ गया है । इससे हथियारों की प्रतियोगिता, हथियारों की दौड़ में वृद्धि होगी और यह पूरे क्षेत्र के लिए स्पष्ट खतरा है ।

बंगलादेश में क्या किया जा रहा है ? अमरीकी समर्थक सेनायें मजबूत हो गई हैं और बातचीत चल रही है कि अमरीका के लिए चटगांव में एक नौसैनिक अड्डा होना चाहिये। इसमे पहले श्रीलंका ने अमरीका को इसके उपयोग के लिए अपने नौसैनिक अड्डे की पेशकश की है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : यह सच नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : स्थिति यही है। चाहे वे जो कुछ कहते हैं। खुले रूप से ऐसी बात कोई नहीं कहेगा क्योंकि ऐसे सभी काले कारनामे छुपकर किये जाते हैं और दिन के उजाले में नहीं।

अब स्थिति यही है। ऐसी स्थिति के प्रति भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है ? कुछ मामलों के बारे में हम ठीक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। लेकिन हम सदैव अनिश्चय की स्थिति में रहे हैं। हमारी नीति भी ढुलमुल की नीति है। अब हम सैनिक खतरे, युद्ध की तैयारियों की बात करते हैं लेकिन बाद में हम बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता की बात करते हैं। हम युद्ध की तैयारियों की बात करते हैं और इसके बाद अपने समस्त विचार को महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता में लपेट देते हैं : क्या यह सच है अथवा नहीं ? क्या हम वास्तव में आक्रामक देशों और रक्षक देशों को एक ही रास्ते में नहीं रख रहे हैं ? इसका क्या कारण है कि हम संतुलन रख रहे हैं। हमें संतुलन नहीं रखना चाहिए। हमें अपने स्वय के अनुभव से इतना साहसी होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन विश्व शांति को खतरा पहुचा रहा है, युद्ध के लिए कौन तैयारी कर रहा है और हमें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि यह सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी विश्व है जो वास्तव में किसी प्रकार की सूझ-बूझ, तनाव शैथिल्य, शांति और स्थायी शांति के लिए प्रयास कर रहा है। हम वास्तव में बराबर मानने और महाशक्तियों को प्रतिद्वन्द्विता कहने की बात, देश के लोगों और विश्व के लोगों को धोखा देने का प्रयास न करें।

उत्तर-दक्षिण में वार्ता हुई है। श्रीमती गांधी बाहर जाती हैं और कहती हैं कि हम बहुत गरीब हैं और आप संरक्षणवाद को सिखा रहे हैं, सहयोग होना चाहिए। किस प्रकार का सहयोग हमारा शोषण करके वे समृद्ध होते हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूं कि किस प्रकार तीसरे विश्व के देश ऋण पर ऋण ले रहे हैं और हमें किस प्रकार अपने निर्यात में बाध्य होकर वृद्धि करनी पड़ रही है जो हमारे आर्थिक विकास के लिए नहीं है, अपितु ऋणों और सेवा के लिए अदा करना पड़ता है। और बहुराष्ट्रिक कम्पनियां इन तीसरे विश्व के देशों को लूट रही हैं। हम बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था को लूटने की अनुमति दे रहे हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं और अपने घुटनों को झुका रहे हैं और शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे। क्या हम अपने पैरों को सुदृढ़ बना रहे हैं ? क्या हमारी आर्थिक नीति हमारी आत्म-निर्भरता के अनुरूप है ? क्योंकि गुट-निरपेक्ष की नीति पूरी तरह से आर्थिक आत्म-निर्भरता पर आश्रित है। हमारी अर्थव्यवस्था को साम्राज्यवादी देशों के पास बंधक बना करके क्या हम एक वास्तविक गुट-निरपेक्ष नीति की आशा कर सकते हैं, एक ऐसी नीति जो किसी की शत्रु नहीं है, एक ऐसी नीति जो वास्तव में भारतीय लोगों के हितों से निकलती

है, एक ऐसी नीति जो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद के खिलाफ है। हम यह नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमाण दिल्ली में गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है। मैं आपको कहूंगा कि इस दस्तावेज पर विचार करें। हमने वहां पर क्या विचार-विमर्श किया था ? हमें बाध्य होकर उन मामलों पर विचार-विमर्श करना पड़ा था जो मुख्यतः अमरीका के मित्रों द्वारा आदेश दी गयी थीं, हम दिआगो गार्शिया का उल्लेख नहीं कर सके क्योंकि अमरीका नाराज हो जायेगा। हमारा रवैया बहुत नरम रहा था। हमने मेलबोर्न के राष्ट्रमंडल सम्मेलन में कम्पुचिया, अफगानिस्तान के बारे में क्या विचार-विमर्श किया था ? हम हिन्द महासागर पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते, साम्राज्यवादी क्या कर रहे हैं, उस पर हम विचार-विमर्श नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्थिक नीति कमजोर है और हमारी ढुलमुल की नीति है।

हम भूल जाते हैं कि हमारी गुट-निरपेक्ष की नीति मूल रूप से किसी प्रकार अथवा किसी रंगभेद की उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद, विरोधी है। यह स्थिति है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार को बताना चाहूंगा : जी हां, एक खतरा है। अमरीका और पश्चिम के अन्य देश तथा साम्राज्यवादी देश हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। वे अलगाववादी ताकतों की सहायता कर रहे हैं। वे हमारे देश में सुधार विरोधी शक्तियों की सहायता कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर न बनें। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

भारत में सत्तारूढ़ दल पृथकतावादी शक्तियों का साथ दे रहा है। लोगों का आह्वान करने की बजाए कि यह संकट की घड़ी है और लोगों को अपने देश की सुरक्षा के लिए मिल जाना चाहिए क्योंकि युद्ध का भारी खतरा है और साम्राज्यवादियों का विघटन करने और अस्थिर करने का इरादा है—इस बारे मे आप क्या कर रहे हैं ? आप आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम द्वारा लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर हमारी अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे देश को लूटने के लिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ अधिक से अधिक ठेके करके अस्थिरीकरण की शक्तियों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्म-निर्भरता कहां है ? यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, यदि आप आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हैं यदि आप व्यापार, तकनीकी जानकारी और आयातित प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों पर आश्रित हैं तो आप गुट-निरपेक्षता के बारे में उपदेश देते जा सकते हैं लेकिन राष्ट्रों को सौजन्य में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकते हैं।

यह ऐसी स्थिति है जहां वर्तमान सत्तारूढ़ दल देश को ले आया है। वे दोरंगी बात करते हैं। वे उत्तर द्वारा दक्षिण का शोषण किये जाने की बात करते हैं और फिर झुककर प्रार्थना करते हैं 'हमें सहायता दें।' यह क्या है ? क्या इससे प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है ? वे महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता की बात करते हैं और प्राय: आंशिक रूप से आक्रामक, तिकड़मी, युद्ध पोषक, उग्र

राष्ट्रवादी, ऐसे लोगों, जो विश्व को आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं जिसमे पूरी मानव जाति समाप्त हो जायेगी, को सरक्षण दे रहे हैं।

यही कारण है जिससे मैंने सरकार को अनुरोध किया है कि वह स्थिति को समझे, युद्ध के खतरे और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के खतरे को देखे और यह समझे कि किस प्रकार जब पूरी साम्राज्यवादी अर्थ-व्यवस्था संकट में है और वे युद्ध की तैयारियों पर अरबों डालर खर्च कर रहे हैं क्योंकि ये मौत के सौदागर हैं। वे तोप-चोर के रूप में लोगों का उपयोग करते हैं। वियतनाम युद्ध में उन्होंने जीव-विज्ञान सम्बन्धी और रसायन युद्ध के प्रयोग किए थे। अब वे यूरोप अथवा तीसरे विश्व के देशों में न्यूट्रान बम का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इतनी साहसी हो और कहे कि हम इसके खिलाफ हैं। केवल यही नहीं वे लोगों को तैयार करे और उन्हें नेतृत्व प्रदान करे और यह कहे कि इन युद्ध की तैयारियों के खिलाफ किसी प्रकार का आन्दोलन चलाया जाये। एक गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत सरकार इन युद्ध की तैयारियो इस युद्ध उन्माद और शस्त्रों की होड़ को समान्य करने के खिलाफ समाजवादी देशों के साथ विश्व के शांतिप्रिय लोगों का नेतृत्व करे। इसके अतिरिक्त आंतरिक तौर पर सरकार को आत्म-निर्भरता की नीति का अनुसरण करना चाहिये और आवश्यक संस्थागत और सामाजिक परिवर्तन को लाना चाहिये ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और हमें वाशिंगटन और लन्दन के पास भीख मांगने और यह कहने के लिये न जाना पड़े : 'हमें सहायता दें, हमें डालर दें यह दें और वह दें, और तब अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में दहाड़कर कहें : "हम गुट-निरपेक्ष हैं, स्वतंत्र हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं।" कृपया इन बातों को न करें। अपनी ढुलमुल नीति को छोड़ दें। भारत की जनता अपने देश की रक्षा करने और आत्मनिर्भरता बनाये रखने के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार है।

ये मामले हैं और मुझे विश्वास है कि भारत के लोग साम्राज्यवाद और युद्ध के खतरों का मुकाबला करने के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। इन शब्दो के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधवराज सिंधिया

श्री जी० एम० बनातवाला : एक अच्छा मार्क्सवादी भाषण।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पूरी तरह से इस्लामिक नहो हैं। इस्लामिक भाषणों के लिए मैं उन पर निर्भर करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक मार्क्सवादी हैं। आप उनसे किसी अन्य बात की आशा नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप बुरा न मानें तो मैं उनकी जानकारी के लिये आगा शाही के अन्य उद्धरण दे सकता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि वह मुझे उकसाते हैं तो मैं कह दूंगा । आगाशाही कहते हैं··· (व्यवधान)

उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए भी दायित्व लिया है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने तीन मिनट और ले लिये हैं ।

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़े विकट समय में रह रहे हैं; यह समय पूरी तरह से तनाव और अनिश्चितता से भरा हुआ है । हम मानव इतिहास को उस चरण में आ पहुंचे हैं, जहां दुनिया भर में वैमनस्य और दुख फैला हुआ है; और दुनिया के भविष्य के प्रति इस व्यापक मानव-परिवार की सामान्य चिन्ता में साझेदार होने के बावजूद बिल्कुल उलट बात यह है कि मनुष्य की अविष्कार करने की प्रवृत्ति ने मानवता को बचाने और इसकी प्रगति की आशा जगाने की बजाय अब भी खतरे की स्थिति पैदा करने में लगी हुई है ।

महाशक्तियों में भीषण छोड़ लगी हुई है और जैसा कि मेरे साथी, मेरे मित्र ने अभी-अभी बताया है, उनके द्वारा अपने आणविक जखीरे में लगातार वृद्धि करना आग में डालन के समान है, आणविक बम जैसे हथियारों का विकास करना एक अनिष्टसूचक बन गया है चूंकि इससे एक नए खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हो जाता है, जिसके आधार पर आणविक संघर्ष शुरू करने के द्वारा सभी के लिए खुल जाते हैं और जिससे आणविक युद्ध सीमित और नेय बन जाता हैं, और इसलिए वह स्वीकार्य बन जाता है । अल्बर्ट आंइस्टिन ने यह कहा था, आगामी युद्ध के बाद होने वाले युद्ध में लोग तीर-कमानों से लड़ेंगे ।" इसी से आणविक संघर्ष के परिणामों का पता चल जाता है । सीमित आणविक युद्ध और विशेष प्रयोजनों वाले परमाणु शस्त्रों से लगता है कि यूरोप में परमाणु अस्त्र मुक्त रूप से छोड़े जायेंगे और उनका प्रयोग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किया जायेगा । राष्ट्रपति रीगन ने अपने सहज भाव से यह मत व्यक्त किया है कि यह जरूरी नहीं कि केवल यूरोप में आणविक केन्द्र से ही सोवियत रूस के विरुद्ध अमरीका की सामरिक नीति में ढिलाई आ जाएगी । यह लगभग सभी ने स्वीकार किया है और क्रेमलिन का भी यह दृष्टिकोण है कि मास्को और वाशिंगटन के बीच आम सामरिक आणविक युद्ध केवल तब ही हो सकता है जब सोवियत रूस के नगर उसमें शामिल हों अथवा नष्ट हो जाएं । ऐसा लगता है कि महाशक्तियों के न केवल आणविक हथियारों के जखीरों की तुलना होती है बल्कि इससे अधिक अनर्थकारी बात तो यह है कि उनके आणविक युद्ध के सिद्धान्त की तुलना भी होती है । भारत को जो एक विकासशील देश है या तीसरी दुनिया का एक प्रमुख सदस्य है, महाशक्तियों पर विश्व का दबाव बनाये रखने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिये । इसके लिए यूरोप में जो वर्तमान निःशस्त्रीकरण आन्दोलन जोर पकड़ रहा है, वह पारस्परिक ब्लाकों और सन्धियों के आधारहीन सन्तुलन को पूर्णतः समाप्त कर सकता है । हम तब इस सक्षम गठजोड के अपने भाग में महा-शक्तियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध और हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ के हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के समर्थन में उपयोग कर सकते हैं ।

भयानक आणविक होड़ तथा एकपक्षीय सीमित आणविक युद्ध सिद्धान्तों के अतिरिक्त, महा-शक्तियों द्वारा एशिया और अफ्रीका के युद्ध-प्रवण क्षेत्रों को परम्परागत हथियारों की अप्रतिबन्धित बिक्री की तनाव में वृद्धि कर रही है। इस सन्दर्भ में, अमरीका ने पाकिस्तान को जो उसकी रक्षा के लिए वास्तविक आवश्यकता से कोई अधिक मात्रा में आधुनिक लड़ाकू विमानों की सप्लाई करने का निर्णय लिया है, उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इससे इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में हथियार इकठ्ठे हो गए हैं और एक नया तनाव पैदा हो गया है। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अमरीका द्वारा दिये गए इस औचित्य पर, पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं कि अफगानिस्तान की ओर से सोवियत खतरे के विरुद्ध पाकिस्तान की सुरक्षा की गारन्टी के लिए ऐसा करना आवश्यक है और दूसरे यह इसलिए आवश्यक है कि सोवियत रूस के संकट का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान उनकी दक्षिण क्षेत्र में नाकेबन्दी की योजना में प्रमुख स्थान रखता है और 'रेपिड डेपलामेंट फोर्स के लिए भविष्य में आधार बनने की या आपातकालीन सुविधाएं मुहय्या कराने की सम्भावना रखता है। नकले ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि पाकिस्तान का फारस की खाड़ी की सुरक्षा के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्व है। इन सब बातों से हमारा प्रत्यक्ष निजी हित जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान जब कभी यदि इस प्रकार का कोई अवसर उत्पन्न हो जाए, तो सोवियत रूस का मुकाबला करने का स्वप्न देख सकता है ? इस सम्बन्ध में वाशिंगटन की अपेक्षा इस्लामाबाद में कहीं कम गलतफहमी है कि पाकिस्तान सोवियत संघ से टक्कर ले सकता है या प्रभावी ढंग से उसका मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा यह बात भी है कि सप्लाई किए जा रहे हथियार पहाड़ी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सामरिक दृष्टि से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस्लामाबाद के सैनिक नेता यह भली प्रकार समझते हैं कि अमरीकी हथियार अफगानिस्तान या रूस से रक्षा के लिए प्राप्त नहीं किये जा रहे, बल्कि भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए वे लाये जा रहे हैं। श्री आगाशाही का वक्तव्य इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। दोनों देशों के बीच पीछे हुई तीन लड़ाइयों से साफ जाहिर है कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, सैनिक तैयारी और आक्रमण में थोड़ा भी अन्तर रहता है। पाकिस्तान को पुन: हथियार देने से उसे भारत पर हमला करने के लिये शह ही मिलेगी।

अनेक अवसरों पर पाकिस्तान के एक के बाद एक शासकों ने भारत की आक्रमण मंशा का पारस्परिक हव्वा खड़ा किया है। दोनों देशों में सुपरिचित लोकमत यह समझता है कि युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर उसका कितना भयंकर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि कई बार हमारे माननीय विदेश मंत्री ने कहा है, भारत तो यही चाहता है कि पाकिस्तान सुदृढ़ और स्थायी बने। कमजोर पाकिस्तान हमारे लिए नई समस्यायें पैदा कर सकता है। एक कमजोर पाकिस्तान से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में काफी मुश्किल पेश आ सकती है। ऐसी स्थिति में कौन सा देश आराम से बैठ सकता है, जहां अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध संभावी क्षेत्र के पास हम बैठे हैं पाकिस्तान की जनता इस बात को अवश्य ही भली भांति समझती होगी।

विध्वंसम हथियारों ने भारत को खतरे के सामने खड़ा कर दिया है। और यह बड़ी हैरानी की बात है कि श्री मोरारजी देसाई और श्री जगजीवन राम जैसे वरिष्ठ नेता तथा मेरे युवा उत्त-

जित दोस्त डा० स्वामी मिलाकर एक आवाज में फरमा रहे हैं कि हमारे देश को पाकिस्तान से वास्तविक रूप से कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह बहुत छोटा है । उनके द्वारा कही जा रही इन बातों के पीछे देश की राजनीति के दांव-पेच हो सकते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से भी अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं ।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने काश्मीर में नियन्त्रण रेखा को स्वीकार करने के बारे में सन्देह व्यक्त किया है और इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय पुट देने का प्रयास किया है । यह बात शिमला समझौते के बिल्कुल विरुद्ध जाती है । वास्तव में उन्होंने शिमला-समझौते की भावना को नष्ट करने का प्रयास किया है । इसी कारण से जनरल जिया द्वारा पेश किए गए कथित 'युद्ध न करने का प्रस्ताव" पर हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए । जनरल जिया ने आठ महीने पहले यह घोषित किया था कि 'युद्ध न करने के समझौते की उतनी कीमत भी नहीं होगी, जितनी की उस कागज की होगी, जिस पर यह लिखा जाएगा, यह एक कूटनीतिज्ञ जैसा रवैया था जिसने शिमला-समझौते की वास्तविक भावना को उजागर किया था । इसमें युद्ध न करने की भावना भी निहित है । विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में संसद में दिए गए इस सुबोध और विस्तृत वक्तव्य के लिए मुझे उन्हें बधाई देनी चाहिए, जिसमें उन्होंने इस पेशकश के प्रति भारत के सकारात्मक रवैये की इस आधार पर स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि यह 'युद्ध न करने' के समझौते की भारत की उस पेशकश की पहली बार स्वीकारोक्ति है, जो वर्ष 1949 से बनी हुई है और शिमला समझौते ने इस भावना को और आगे बढ़ाया है । अतः हमें इस समझौते का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित ही नहीं करना चाहिए अपितु इसकी भावना को भी बनाये रखना चाहिए ।

जहां तक अमरीकी रवैये का सम्बन्ध है, इसको विध्वंसक और महान् गलती' ही कहा जा सकता है । अमरीका ऐसी नीति अपना रहा है, जो इस उप-महाद्वीप में उसके अपने हितों के विरुद्ध है । सेलिग हैरिशलस के शब्दों में यह एक ऐतिहासिक, स्वयं को हराने वाली भूल है और इससे दोनों ही देशों में अमरीका-विरोधी ज्वाला को प्रचंडता ही मिलेगी । हम यह कभी नहीं भूल सकते कि सोवियत संघ ने 1971 में हमारी कितनी सहायता की थी । और भौगोलिक-सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमारे साथ उनके सम्बन्ध प्रगाढ़ और मधुर हों । उन्होंने हमारी, अनेक क्षेत्रों में बार-बार मदद की है । लेकिन महोदय, दुनिया जानती है कि हम किसी के पिट्ठू नहीं हैं और यदि इस क्षेत्र में संतुलन बिगड़ता है, तो इसका जिम्मेदार केवल अमरीका ही होगा । इस समय भारत एक ऐसे भीष्मकाय संघर्ष से जूझ रहा है, जो अन्य सभी संघर्षों से ऊपर है— यह संघर्ष है गरीबी के खिलाफ । क्या अमरीका इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारी मदद कर रहा है ? क्या हम इस बात की उपेक्षा कर सकते हैं कि अमरीका ने हमारे बिजली उत्पादन को तारापुर समझौता रद्द करके, किस प्रकार हमें क्षति पहुंचाई है ? क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा निभाई गई भूमिका को भूल सकते हैं ? इस ऋण से हमें तेल के बढ़ते हुए मूल्यों जैसी हमारे नियन्त्रण से बाहर की कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिल सकती थी । क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कि पाकिस्तान के मामले में सिलिमंटन संशोधन को समाप्त कर दिया गया है, जिससे उसे हथियारों की

सप्लाई पुन: मिलनी शुरू हो सके ? क्या हम इसे अन्देखा कर सकते हैं कि अमरीका पाकिस्तान को हथियारों से लैस करने में लगा हुआ है, जबकि हम तेल के बढ़ते मूल्यों पर नियन्त्रण पाने के लिए और विकास सम्बन्धी कठिनाइयों पर काबू पाने में लगे हुए हैं। यदि अमरीका रचनात्मक रवैया अपना कर हमारे साथ सहयोग का हाथ बढ़ाता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि बदलने में उसे शान्ति की भारतीय परम्परा के अनुसार हमारी सच्ची मित्रता का हाथ ही मिलेगा।

यह पक्की बात है कि चीन भी, जो उस समय पहले से चल रही अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने में तथा तनाव समस्या को सुलझाने का प्रयास करने में लगा हुआ है, इस क्षेत्र में विदेशी शक्तियों और प्रभावों से तटस्थ नहीं रह सकता। दोनों देशों ने जो शुरूआत की है, हम सब उसका स्वागत करते हैं और सच्चे मन से यह आशा करते हैं कि एशिया के सन्दर्भ में चीन शान्तिपूर्ण आपसी सम्बन्धों का महत्व सहयोग तथा महान् राजनीतिक ताकतों से संसार को होने वाले लाभ को महत्व देगा।

जहां तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है, भारत ने किसी भी देश में बाहरी सभी शक्तियों के हस्तक्षेप के प्रति बार-बार अपनी असहमति प्रकट की है। लेकिन अफगानिस्तान में राजनीतिक हल तभी निकल सकता है, जब सभी विश्व के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में एक दूसरे को समझने का और आपसी विश्वास का वातावरण हो। यह महा-शक्तियों के हित की बात है कि वे ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दें। अन्यथा, वे राष्ट्रों को एक ऐसे अन्तिम युद्ध की ओर धकेलने में ही सफल होंगे, जिसमें वे स्वयं भी समाप्त हो जाएंगे।

जहां तक विश्व की सुरक्षा का सम्बन्ध है, यह केवल सैनिक के उपयोग से नहीं हो सकती फालतू कच्चे माल और ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में आर्थिक सुरक्षा और संसार की संपदा के वितरण के मामले में ये मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में समस्याये बन कर खड़े हो गए हैं।

नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कार्यक्रम को लागू करने के दस वर्ष बाद विशाल देशों और विकासोन्मुख देशों के बीच बढ़ते हुए अन्तर और विकासोन्मुख देशों की दरिद्रता अत्यन्त शोचनीय स्थिति में पहुंच गई है। मानव के इतिहास में इससे पहले कभी अविकसित देशों को इस सीमा तक शोषण, आर्थिक तंगी और गरीबी का शिकार नहीं होना पड़ा था जबकि निर्वाह-अर्थ व्यवस्था की अपेक्षा करने वाले कुछ देशों का स्वप्न भी साकार नहीं हो सका है।

आंकड़े बताते हैं कि सभी उत्पादित वस्तुओं का 40 प्रतिशत भाग संसार के केवल 6 प्र० श० व्यक्ति उपयोग करते हैं और विकास स्तर के प्रथम और अंतिम देशों की अर्थ सम्बन्धी अन्तर का समानुपात 1 : 200 का है। विश्व में केवल 5 प्र० श० विकासशील देश हैं किन्तु संसार के सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 83 प्र० श० भाग उनके अधिकार में है। वे कुल उत्पादित ऊर्जा का 75 प्र० श० भाग का उपयोग करते हैं। उत्पादित अनाज का 70 प्र० श० का उपभोग करते हैं। उनके पास संसार के 90% उद्योग हैं। सारे प्रोद्योगिकी साधनों को 95% भाग उनका पास है। वे विश्व शिक्षा व्यय का 89% का उपयोग करते हैं और जब सरकार राष्ट्रीय

उत्पादन से विकसित देशों के प्रति व्यक्ति की आय में एक डालर की वृद्धि होती है तब विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति आय में 20 डॉलर की नियोजित वृद्धि हो जाती है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुमान के आधार पर अगले 20 वर्षों में अविकसित देशों के प्रत्येक चार व्यक्तियों में एक व्यक्ति को भूखा रहना पड़ेगा। चिकित्सा क्षेत्र मे विकासशील देशों में 500 व्यक्तियों पर एक डाक्टर का अनुपात है जबकि अविकसित देशों में इसका अनुपात 10,000 व्यक्तियों पर एक डाक्टर का है।

वर्त्तमान स्थिति में 2000 ईस्वी में अविकसित देशों में संसार के प्रत्येक पांच व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों की यह स्थिति होगी कि खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 570 करोड़ व्यक्ति अपोषण और भूख से पीड़ित होंगे, 80 करोड़ प्रौढ़ व्यक्ति आशिक्षित होंगे, 1.5 अरब व्यक्ति चिकित्सा सुविधा से पूर्णतः वंचित रहेंगे, 1.3 अरब व्यक्तियों की वार्षिक आय 90 डालर से कम होगी, 60 वर्ष की संभावित आयु से भी कम जीवित रहने वालों की सख्या 1.7 अरब होगी, एक अरब व्यक्तियों को अनुपयुक्त घरों में रहना पड़ेगा, 25 करोड़ बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तथा 1.1 अरब व्यक्ति बेरोजगार होंगे।

क्या ये आंकड़े चौंकाने वाले नही हैं—क्या ये आंकड़े आत्मा को झकझोरने वाले नहीं है? लोग हर्षक विस्फोटन के बिना क्या यह सब कुछ चलता रहेगा? जब तक विकसित देशों द्वारा अखिल विश्व निःशस्त्रीकरण तथा इस तथ्य को कि आज का युग एक पारस्परिक आर्थिक पराश्रयता का हैं, के दो सिद्धातों को नहीं स्वीकार कर लिया जाता, तब तक विश्व शांति और उसके माध्यम से होने वाली प्रगति को बड़ा भारी खतरा बना रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में उलझन और टकराव पैदा करने वाली तनावपूर्ण स्थिति, पारस्परिक विरोध और राजनैतिक मतभेद की समस्या का कदापि समाधान नहीं हो सकता जब तक कि पारस्परिक पराश्रयता के सिद्धांत को स्वीकार करने के आधार पर एक स्वस्थ भागीदारी की भावना के साथ नयी अर्थ व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती।

इस पृष्ठभूमि में कानकुन में किये गये प्रयास से नयी चेतना के अविर्भाव का संकेत मिला है। उत्तर और दक्षिण में एक नये संवाद का सूत्रपात हुआ है तथा इससे इसकी आवश्यकता का पता चलता है। जैसा हमारी प्रधान मन्त्री ने उचित ही कहा है कि—"यदि यह एक छलांग नहीं है तो कानकुन निश्चित रूप से एक कदम है।"

इससे एक नये कार्य का सूत्रपात हुआ है। भारत को संसाधनों के अन्तरण, विश्व के वित्तीय तथा आर्थिक तंत्र की पुनर्रचना करने और तकनीकी ज्ञान के अंतरण जैसे मामलों में अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिये।

नये बाजार के प्रति आशावान् पश्चिमी योरूप का कानकुन के प्रति जो रूझान हुआ है वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यह यूरोप और एशियाई देशों के बीच बढ़ते हुए सम्बन्ध का द्योतन है जो अत्याधिक आवश्यक है तथा जिसके विश्व की ताकतों को एक दूसरों को समझने का अवसर मिलेगा। श्रीमती गाधी का यूरोप का यह अत्यधिक सफल दौरा इसके महत्व को

बढ़ाता है और विश्व के लोगों के साथ गहरे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये इसके महत्व को सदा ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

अभी हाल ही में, मुझे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्यूबा में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था । जो कुछ मैंने अनुभव किया, वह एक गौरव का विषय है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज में भारत का तेज फैल रहा है और इस तथ्य की घोषणा कर सकता हूं कि अपने पिता के समान श्रीमती इन्दिरा गांधी भी एक ऐसी नेता हैं, जो केवल अपने देश में ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय्य क्षेत्र में भी मान्य हैं और आदरणीय हैं । उनके व्यक्तित्व और शक्ति सम्पन्नता से आर्थिक क्षेत्र में भारत की संभावनायें, गांधी और नेहरू के युग से चले आ रहे नैतिक मूल्य, विश्व शांति के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । किन्तु उस स्थिति को बनाये रखने के लिये हमें अपने देश की व्यवस्था सुधारनी होगी । देश में ही कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो बाहरी ताकतों से प्रेरणा प्राप्त कर पूर्व नियोतित ढंग से इस देश में मतभेद पैदा कर रहे है । आज सभी चीजें दांव र लगी हुई हैं । हम लोगों को एकजुट होकर निर्माण का महान कार्य करना चाहिये तथा निराशा और शून्यता को त्याग कर आशापूर्ण और दृढ़ सकल्प हो जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें ।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं अब समाप्त करूंगा ।

मानव समाज में पहली बार मानव इन प्रजातान्त्रिक पद्धति का विरोध कर रहा है । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हमारे लिये मूल्यवान सभी बातें और हमारे पुर्खों द्वारा सजोये गये सभी सपनों को मिटाये जाने का खतरा पैदा हो गया है ।

भारत का राजनयिक कौशल एक परीक्षा से गुजर रहा है । देश की सुरक्षा को एक बहुत जटिल और कठिन वातावरण से गुजरना पड़ रहा है और साथ ही उसे गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित रहना है । इससे पहले शांति और गुट-निरपेक्षता बनाये रखने के लिये उसका अपने ही हित का पूर्ण संपात नहीं हुआ था ।

इतिहास की इस विषय स्थिति को हम देख रहे हैं, हम उसके अभिनेता भी और उसके साझीदार भी हैं । आज की इसी पीढ़ी को स्वयं अपने लिये यह निर्णय लेना होगा कि मानवता की विजय हो अथवा मानव जाति विश्व-विघटन के विस्फोट से नष्ट हो जाय । स्थिति के जटिल होने के बावजूद मेरा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में और विदेश नीति के मामले में श्री नरसिंह राव के मार्ग-दर्शन में हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करेंगे और अन्ततः अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । धन्यवाद ।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) : महोदय, मेरे विचार से आज विश्व शांति वास्तव में खतरे में है । मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है । मानव ने कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उनके सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

मानव इतिहास में आज दुर्भाग्य का यह एक ऐसा समय है जब विज्ञान और प्रोद्योगिकी के ज्ञान को मानव के विनाश के लिये प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारे समक्ष जो घातक अस्त्र, राकेट, बम और युद्ध के अन्य साधन उपलब्ध, वे मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गये थे। आज जिन देशो के पास ये हथियार उपलब्ध हैं और यदि वे वास्तव में उनका प्रयोग करने पर उतारू हो जायें, तो वास्तब में प्रलय हो जायेगी, मानव जाति का विनाश हो जायगा। किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा।

मेरा विचार है कि आज विश्व के सभी लोग, जिन्हें स्वयं से प्यार है, जिन्हें मानव उपलब्धियों से प्रेम है, जिन्हें अपने बच्चों से प्यार है, जो सृजन में विश्वास रखते हैं और जो एक बेहतर समाज, अपने हित में एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं; उन्हें इससे भारी चिन्ता है जो आज विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है। यह सर्वविदित है कि कुछ देश अपने देश के लोगों के विकास की परवाह न करते हुए आधुनिक हथियार बनाने में अधिकतम राशि व्यय कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? आज सभी के सामने यह प्रश्न है और इसका सीधा सा उत्तर यह है कि अब भी विश्व में ऐसी शक्तियां हैं जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में विश्वास रखती हैं और मानव-जाति पर उसे सौंपना चाहती हैं। ये शक्तियां मिट नहीं पाई हालांकि विश्व में मुक्ति में शक्तिशाली आन्दोलन हुए हैं और विश्व में जनसाधारण में नई जागृति आई है। एक या दो देशों को छोड़कर आज ससार के सभी देश राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हैं तथा स्वतंत्र देश हैं। फिर भी सीमायें बनी हुई है। वे सीमा में हैं—गरीबी की सीमा, साधनों की सीमा, विज्ञान और प्रोद्योगिकी के ज्ञान की सीमा और वे सीमायें है जो इतिहास में उनपर लाद रखी हैं। सदियों से ये ताकतें उनका शोषण करती रही हैं। शोषक उन देशों के साधनों का शोषण करने में सफल रहे हैं और, इसीलिये विश्व का तीन चौथाई भाग आज भी पिछड़ा हुआ है और अविकसित है। आज, वे देश अपने लिये बेहतर समाज बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं किन्तु ये शक्तियां आज भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमें पराधीन बनाने में विश्वास रखती हैं, वे आज भी अपने साम्राज्यवाद में विश्वास रखती हैं, जो वास्तव में लोगों को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं होने देना चाहती हैं और वे ही इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रही हैं।

यह सर्वविदित है कि आज अमरीका और सोवियत संघ दो बड़ी शक्तियां हैं। ये महा शक्तियां कही जाती हैं। किन्तु हम समान रूप से इन दोनों ही शक्तियों को दोष देते हैं। क्या ये दोनों शक्तियां वर्त्तमान स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं और विश्व शांति के लिये जिम्मेदार हैं और विश्व शांति के लिये घातक हैं। कोई भी, जो अकिंचन मात्र भी ईमानदार है और जो विवेकशील है, वह इस बात से सहमत होगा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की सामान्य सभा के माध्यम से, विश्व सम्मेलनों के माध्यम से, युरोपीय देशों के सम्मेलनों के माध्यम से पिछले अनेकों से सोवियत संघ और कम्यूनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ के अध्यक्ष, श्री ब्रेजनेव ने एक बार नहीं अपितु अनेकों बार इस बात का प्रयास किया है। कि संपूर्ण निशस्त्रीकरण किया जाये। उन्होंने विश्व को इस बात से अवगत करा दिया है कि वे सदा ही अगुआ ही रहेंगे चाहे अन्य देश हथियारों के एकत्रीकरण में

उनकी होड़ कर लें अथवा वे संपूर्ण निशस्त्रीकरण लागू करने के लिये सहमत हो जायें। किन्तु हमने देखा है कि अमरीका, चाहे जाहिर तौर पर शांति की बात करता है, अपने मानवीय दायित्व में असफल रहा है।

अमरीका आज भी साम्राज्य वाद और उपनिवेशवाद की विचारधारा में विश्वास रखता है और यही मुख्य कारण आज विश्व शांति के लिये ख़तरा बना हुआ है। मैं निश्चित रूप से अमरीका के वर्त्तमान प्रशासन, श्री रीगन को दोषी ठहराऊंगा। उनके प्रशासन में आने के बाद न केवल विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया, अपितु, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं आज सम्पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को खतरा हो गया है।

एक ओर तो वह शांति की बात करते हैं और दूसरी ओर न्यूट्रान बम बना रहे हैं। कैसा है न्यूट्रान बम ? अमरीका प्रशासन इस बम को साफ और स्वच्छ बम कहता है। इस बम को वह साफ और स्वच्छ क्यों कहते हैं ? वे इसे साफ और स्वच्छ बम कहते हैं क्योंकि यदि बम किसी स्कूल पर गिराया जाता है तो स्कूल का भवन ठीकठाक रहता है, नष्ट नहीं होता। लेकिन सुन्दर भोले बच्चे मर जाएंगे। अतएव, यह साफ और स्वच्छ बम है क्योंकि इससे कूड़ा-करकट उत्पन्न नहीं होगा। यदि इसे किसी कारखाने पर गिराया जाता है तो परिश्रमी श्रमिक, ईमानदार कामगार मर जाएंगे। लेकिन कारखाना, ईंटें, पत्थर तथा सीमेंट ठीक-ठाक रहेंगे। कितनी अमानवीय धारणा है।

मुझे एक बार महान अमरीकन लोगों की भूमि बोस्टन में बोलने का मौका मिला था। मैंने वहां कहा था, कितनी गिरावट आ गई है कि जिस देश ने अब्राहीम लिंकनको पैदा किया, जिस देश ने रुसवैल्ट को पैदा किया, जिस देश ने महान संगीतकारों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को पैदा किया, अब उस देश के नेताओं ने उस प्रशासन के नेताओं न न्यूट्रान बम बनाया है और उसे साफ और स्वच्छ बम कहते हैं। मैं यह जानता हूं कि रूस तथा अन्य कई देश, यहां तक कि भारत भी, उस कारण से उस स्थिति तक अपनी सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं जिस तक हम वास्तव में दीवार से भी टक्कर लेते हैं। यह स्थिति बड़ी ताकतों द्वारा उत्पन्न की जा रही है जब एक शक्ति बहुत ही खतरनाक हथियारों का बड़े ही गलत सिद्धान्त के साथ निर्माण करती जा रही है जो कि साम्राज्यवाद का सिद्धान्त है, जो कि दासता का सिद्धान्त है, जो कि उपनिवेशवाद का सिद्धान्त है हम यह देख रहे हैं कि अमरीकन हथियारों का कैसे प्रयोग किया गया है, अमरीकन प्रशासन का किस प्रकार प्रयोग किया गया है और अमरीकन संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया गया है। यदि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अमरीका की लड़ाई की तैयारी के बराबर लड़ाई की तैयारी कर सकें तब पुनः विश्व की स्वतन्त्रता की समस्त प्रक्रिया को एक धक्का लगने की संभावना हो सकती है। शायद अधिकांश देशों को व्यवहारिक रूप मे पुनः दास बनाया जा सकता है यदि राजनैतिक रूप में नहीं तो आर्थिक रूप से और अंततोगत्वा राजनैतिक रूप में भी।

अतएव मैं यह कहूंगा कि यह सही समय है जब हमें अवश्य अपने लोगों को शिक्षा देनी चाहिए हमें व्यापक रूप से शिक्षा देनी है, हमें विश्व जनमत तैयार करने की आवश्यकता है और

हम जानते हैं कि सरकार के अतिरिक्त विश्व जनमत का ही कोई प्रभाव हो सकता है । अतएव, यदि हम यह भ्रम पैदा करते रहे कि यह सब महाशक्तियों के बीच की बात है और हम एक मध्यस्थ की तरह ऐसा कर रहे हैं, तो हम अपने राष्ट्र के प्रति अथवा विश्व के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं । यह पूर्णतया एक गलत सिद्धान्त है, यह पूर्णतया एक गलत धारणा है । यह सही समय है जब विश्व में इस प्रकार की लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं, जब स्थिति प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है, तब हम अपने देश के लोगों तथा समस्त विश्व के लोगों को सच बता दें ।

मुझे आशा है कि हमारी सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी । अब मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने उचित रूप से अपनी भूमिका निभाई है अथवा वह असफल रही है ।

मैं पिछले 2 या 3 महीनों से इस देश में यह आलोचना सुनता आ रहा हूं कि भारत के प्रधान मंत्री तथा भारत के विदेश मंत्री विश्व के दौरे पर हैं और सम्मेलन में भाग ले रहे हैं जबकि यहां देश निम्नतम गरीबी, बेरोजगारी तथा देशों के न जाने कितने संकटों का सामना कर रहा है । तब प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के समस्त विश्व का दौरा करने तथा धर्मोपदेश देने का क्या लाभ है ? मेरे विचार में जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से आलोचना कर रहे हैं वे विश्व की स्थिति से परिचित नहीं हैं ।

भारत एक छोटा-सा देश नहीं है । भारत एक बड़ा देश है, इसमें रहने वाले व्यक्ति महान हैं । भारत और भारतीय लोग यह जानते हैं कि जो कुछ आज कल हो रहा है उसमें अपनी भूमिका किस प्रकार निभानी है । हमारी सभ्यता धरती पर सबसे पुरानी सभ्यता है । विश्व के लोग मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देखते हैं । विश्व के लोगों ने तब भी भारत की ओर देखा था जब वियतनाम पर आक्रमण किया जा रहा था और भारतीय जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया था और भारत वियतनाम की जनता के साथ था । जब अरब के देशों पर इसरायलियों द्वारा हमला किया जा रहा है । अरब के देशों ने भी भारत की ओर सहायता तथा समर्थन के लिए देखा था ।

(व्यवधान)

अतएव, मैं यह कह रहा हूं कि विश्व के लोग सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देखते हैं । अफ्रीका की जनता इस बात को कभी भी नहीं भूल सकेगी कि यह वह भारत भूमि ही थी जहां पर महात्मा गाधी के नाम से एक व्यक्ति पैदा हुआ था और यही वह पहला व्यक्ति था जो वहां गया और तब अफ्रीका के अन्धकार में अपनी आवाज उठाई जब वे अपनी नई जिन्दगी के लिए लड़ रहे थे । वह भारत का ही योगदान था । अतएव, इस नीति पर आक्रमण करना, इसकी आलोचना करना न केवल भारत की भूमिका को हानि पहुंचाना होगा बल्कि समस्त विश्व की जटिल स्थिति को न समझना भी होगा ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभानी चाहिए भारत पंचशील का प्रमुख प्रणेता है जिसे हमने आजाद होने के तुरन्त बाद विश्व को दिया । भारत वह देश है जिसने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को अपना मूल्यवान योगदान दिया है और हमारी गरीबी के बावजूद भारत की आवाज सुनी जा रही है । हम जानते हैं कि हमारा देश अभी भी गरीब है । हमारे देश में बहुत-सी समस्याएं हैं । लेकिन भारत की आवाज समस्त विश्व में सुनी जाती रही है क्योंकि भारत में 68 करोड़ व्यक्ति रहते हैं और वे भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका निभाते हैं ।

मुझे यह कहना चाहिए कि मैं भी उनमें से एक था जो पिछले 4 अथवा 5 वर्षों में निराश रहे हैं । भारत की भूमिका उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी कि होनी चाहिए । यह दुर्भाग्य की ही बात है कि जनता पार्टी के शासन काल में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका बिल्कुल ही कम ही गई थी और भारत अपनी भूमिका बिल्कुल नहीं निभा रहा था । लेकिन भारत ने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी समझदारी के साथ तथा अविलम्बनीयता की भावना के साथ विश्व में पुन: अपना स्थान बना लिया है और मुझे यह कहना चाहिए कि प्रधान मंत्री के कानकुल अथवा मेलबोर्न तथा यूरोपियन देशों के दौरे से भारत पर्याप्त रूप से विश्व मंच पर पुन: उभरकर सामने आया है और भारत के योगदान की विश्व-भर में सराहना की गई है । मैं यह चाहूंगा कि प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को अवश्य यह भूमिका निभानी चाहिए । मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा । आज जब विश्व वास्तव में खतरे में है, जब विश्व शांति के लिए खतरा पैदा हो रहा है, यद्यपि भारत कभी कभी विलग रहता है, फिर भी उसके सम्बन्ध में उसकी युक्तियुक्त और सच्चाई की आवाज विश्व भर में गूंजती है । कभी ऐसा समय भी आ सकता है जब हमारी आवाज एक अलग आवाज, केवल अकेली आवाज होगी और हो सकता है लोग उसे न सुनें । लेकिन हम जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं, वह विश्व शांति के हित में है और मानव जाति के हित में है ।

मैं इस बात को बहुत ही चाहूंगा कि सदन को न्यूट्रान बम बनाने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसका विरोध करने के लिए एकमत से एक प्रस्ताव पास कर लेना चाहिये, इसकी निन्दा करने की आवश्यकता है, विशेषरूप से उस समय जब कि विश्व की जनता शांति की इच्छुक है उस समय जब सभी यूरोपियन देशों के करोड़ों लोग—वित्तीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार ही हो रहा है—सडकों पर आ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहा है । वे कौन हैं ? वे महिलाएं हैं, वे युवा व्यक्ति हैं, वे बच्चे हैं, वे कामगार हैं, वे किसान हैं, वे बुद्धिजीवी हैं, समुदाय के सभी वर्ग विद्यमान अमरीकी, प्रशासन की गलत तथा बिल्कुल विनाशकारी नीति के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं, जबकि वे कहते हैं कि वे यूरोप में एक सीमित आण्विक (न्यूक्लीयर) युद्ध लड़ सकते हैं । शायद रूस तथा अमरीका यह सोचते हैं कि वे अपना बचाव कर सकते हैं । लेकिन यह एक सीमित लड़ाई नहीं हो सकती है । सोवियत नेताओं ने यह ठीक ही कहा है कि यह एक सीमित युद्ध नहीं हो सकता है, जब एक बार आण्विक युद्ध छिड़ जाता है, तो वह एक सीमिति युद्ध नहीं रह सकता है, इससे न केवल यूरोप का ही विनाश होगा बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगा । अतएव, मेरा विचार है कि अभी यह समय है कि हम इन बड़ी ताकतों को बड़ी ताकतों के नाम से तुलना न करें । हमें यह अवश्य कहना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत ।

अफगानिस्तान की भूमि पर रूसी फौजों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। हम जानते हैं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह अच्छा होता यदि रूसी सेना वापस बुला ली गई होती। लेकिन स्थिति क्या थी? अमरीकी वहां प्रवेश कर रहे थे और रूसी सीमा पर रुकावट डालने तथा हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे अमरीकी वहां आ रहे थे और हिन्द महासागर में अपना आणविक अड्डा स्थापित कर रहे थे। क्या रूस के लिए यह न्यायोचित नहीं था कि वे अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए? आज यदि पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं, यदि अमरीका पाकिस्तान को अधिक से अधिक हथियार दे रहा है, यदि वे उन्हें अत्याधुनिक हथियार अधुनातनत लड़ाकू हवाई जहाज तथा अन्य हथियार दे रहे हैं, तो हमें अपनी सीमा की चिन्ता क्यों हो रही है, मैं यह नहीं जानता कि वे उन्हें अपने आयुधागार से क्या देने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह निर्णय कर लिया है कि सभी नियमों एवं विनियमनों में छूट देकर, सभी रियायतें देकर उन्हें सब कुछ दिया जाए। क्या पाकिस्तान रूस का सामना करने जा रहा है? श्री जिया-उल-हक ने क्या कहा "रूस के लिए कोई खतरा नहीं है, हम रूस से नहीं लड़ सकते हैं, हम रूस के विरुद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकते तब किसके विरुद्ध? यह सब भारत के विरुद्ध है। यह अमरीका की सार्वभौतिक नीति का एक अंग है, और मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के वर्तमान शासक इस प्रकार की स्थिति पैदा करने के लिए अमरीका की उपयुक्त विश्वव्यापी नीति के जाल में फंस गए हैं। इसलिए, इस सरकार को देश के प्रति दायित्व निभाने के लिये अपनी प्रभुसत्ता, अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। मुझे खेद है कि हम भारत सरकार पर, भारत के प्रधान मंत्री पर पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये दोष लगाने की कई बातें सुनते हैं। क्या भारत ने किसी समय स्वतन्त्रता के बाद किसी देश पर आक्रमण किया है? क्या भारत ने, सम्पूर्ण इतिहास में, किसी देश पर आक्रमण किया है? अतएव, कतिपय राजनैतिक लाभ के लिये समस्त प्रकरण को गलत परिप्रेक्ष्य में रखने से देश के प्रति हमारे कर्त्तव्य पर आघात पहुंचेगा। मेरे विचार से यह बात है जिसे इस देश के लोग माफ नहीं करेंगे। इस देश के लोग स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं। मैं यह कहूंगा कि आज एक महत्वपूर्ण कारक यह है सामान्य आदमी में अधिक चेतना, जाग्रति आ रही है और अतएव, लोग इन खतरों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं।

विश्व जनमत एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए, मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि उन सभी संगठनों, बैठकों और सम्मेलनों को जो शस्त्रास्त्रों के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, जो शान्ति के लिए कदम उठा रहे हैं, जो गुट-निरपेक्षता की शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहे है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिनमें वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

इस संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए प्रयास किया गया है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि भारत और चीन, विश्व के दो सबसे बड़े देश और पड़ोसी, सौहार्दपूर्ण, भाईचारे और मैत्रीपूर्ण वातावरण में रहें। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार की स्थिति के लिए, भारत और चीन के बीच इस प्रकार की उत्पन्न की गई स्थिति के लिए चीन का

नेतृत्व जिम्मेदार था। उन्होंने हम पर हमला किया। उन्होंने हमें साम्राज्यवादियों का पिछलग्गू कहकर पुकारा। उन्होंने ही हमारे नेतृत्व पर उन्हें उचित रूप से न समझने का दोष लगाया। परन्तु अब कुछ शुरुआत की गई है और मेरे विचार से हम इन कार्यवाहियों का स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सम्बन्ध सुधरें। परन्तु मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से चीन की वर्तमान सरकार भी, जिस तरह से विश्व की स्थिति पर प्रतिक्रिया दर्शा रही है और उन देशों का जिनकी स्वतन्त्रता को खतरा पहुँचाया जा रहा है, का समर्थन करने की बजाय साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थन करने की कोशिश कर रही है, अमरीका का, जब वे विश्व के विभिन्न भागों में सैनिक अड्डे स्थापित करने की कोशिश करते हैं, का समर्थन करने की कोशिश कर रही हैं, मेरे विचार से यह विश्व के सभी शान्ति-प्रिय लोगों के विचारों के विरुद्ध है। यहां तक चीन के लोग, मुझे विश्वास है, दिल से इसे पसन्द नहीं करते हैं—साम्राज्यवादी ताकतों के प्रति चीन सरकार का व्यवहार जिसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है—उनका एक महान इतिहास है और वे स्वयं भी साम्राज्यवादी ताकतों के शिकार रहे हैं। मुझे विश्वास है कि चीन के लोग भी अपनी आवाज बुलन्द करेंगे और चीन की वर्तमान सरकार देखेगी कि सम्पूर्ण विश्व में समस्त समाज, नए विकासशील देश, स्वतन्त्र हुए नए देश, सभी खतरा महसूस करते हैं जब चीन अमरीकी प्रशासन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जब वे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वे इतिहास से शिक्षा लेंगे और वे स्थिति में सुधार करेंगे।

मैं एक दूसरी बात कहूंगा और अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मेरे विचार से भारत को विशेष प्रयास करने चाहिएं। प्रयास किए जा रहें हैं, परन्तु मैं कहता हूं कि हमें अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत और पड़ोसी देशों में मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। हम जानते हैं कि यदि पाकिस्तान में आज लोकप्रिय सरकार हो—इसके लिए पाकिस्तान के नागरिकों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए--वे लोग जो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ सम्पर्क में आते हैं, जानते हैं कि उनकी यह महान् इच्छा है कि पाकिस्तान और भारत के लोग भाई-बहनों की तरह रहें क्योंकि करोड़ों लोग जो भारत में हैं उनके सगे संबंधी पाकिस्तान में हैं और करोड़ों पाकिस्तानी लोगों के सगे सम्बन्धी भारत में हैं। इसलिए, हमारी ओर से यह प्रयास समझ-बूझ और, मैं यह कहूंगा, कि सहनशीलता के साथ जारी रहने चाहिए। परन्तु, इसके साथ ही, हमें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं बैठ जाना चाहिए। परन्तु मैं विदेश मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि पाकिस्तान द्वारा जिस अनाक्रमण संधि की पहल की गई है, के मामले—वे इसे पहल कहते हैं, परन्तु आपने ठीक ही कहा है कि यह भारत की पहल है न कि पाकिस्तान की—उन्होंने किसी तरह से कुछ हंगामा उत्पन्न किया है और सम्पूर्ण विश्व में कुछ भ्रांतियां हैं और इसके लिए प्रभावी अभियान की आवश्यकता है। हमारे विचार को अन्य देशों तक उचित रूप से पहुँचाया जाना चाहिए और विश्व के लोगों को पता लगे कि किस प्रकार पाकिस्तान वास्तव में एक अन्तर्राष्ट्रीय चाल खेल रहा है, यह एक गम्भीर प्रस्ताव नहीं है और यह भारत की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए है। इन सभी के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

अन्तिम प्वाइंट मैं यह कहना चाहूंगा कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध काफी हद तक हमारी आर्थिक मजबूती पर निर्भर करते हैं। व्यापार और वाणिज्य, देश की आर्थिक मजबूती और देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति आज के विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई देश जिनका गुट-निरपेक्षता में पूर्ण विश्वास है, जिनका शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में पूर्ण विश्वास है और जो शान्ति की ताकतों की सहायता करना चाहते हैं, आज, अपनी निर्धनता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में और कई अन्य क्षेत्रों में अपने पिछड़ेपन के कारण ऐसी भूमिका निभाने के लिए प्रलोभित किया जा रहा जो अभी अपनी अकांक्षों के अनुरूप नहीं है। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर भी ध्यान दें। महोदय 50 प्रतिशत से अधिक हमारे लोग निर्धन हैं।

आज के अखबार में हमने पढ़ा कि एक दूसरे देश के एक सज्जन ने मानव अधिकार-सम्मेलन में बड़ी उपयुक्त बात कही थी। उसने कहा कि हम मानव अधिकार की बातें करते हैं जब तक भारत में 55 प्रतिशत लोग गरीब हैं। मानव अधिकार क्या है? उसने कहा कि मैंने इस प्रकार की गरीबी न चीन में देखी और न लेटिन अमेरिका के देश में। हमें यहां भी ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी। जब तक सामाजिक असमानता जारी हैं हम इस प्रकार की स्थिति को बढ़ावा देते रहेंगे। जब तक हम सहायता के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फलाते रहेंगे, खतरा हमेशा बना रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि शायद हम अपने राष्ट्रीय सम्मान और नीतियों के बीच समझौता कर लेंगे। शायद कुछ कारणों से हमें चुप रहना पड़े या हम अपनी बात पर दृढ़ न रहें या हम अपने दृष्टिकोण को जोरदार ढंग से पेश न कर पाएं। यह एक खतरनाक स्थिति होगी और इससे हम राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में हमारे बीच अनेक सामाजिक और आर्थिक नीतियों में मतभेद के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार जो भूमिका निभा रही है, विश्व शांति को मजबूत बनाने के लिए आज भारत सरकार जो भूमिका अदा कर रही है, और अनेक क्षेत्रों तथा देशों की गम्भीर समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने जो भूमिका अदा की है इसके लिए वह बधाई की पात्र है। यह बधाई क योग्य हैं। इतना ही नहीं आज इसे राष्ट्रीय समर्थन की भी आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और भी बड़ी और प्रशंसनीय भूमिका अदा करेगी ताकि भारत के लोग सारे संसार के लोगों की तरह शान्तिपूर्वक रह सकें।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो !

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चरनजीत यादव ने बड़ी शक्तियों के मतभेदों के कारण सारे विश्व के वातावरण के दूषित होने और शांति के खतरे का जो उल्लेख किया, सभी पूर्व वक्ताओं ने भी उस सम्बन्ध में सही बातों का उल्लेख किया। यह सच

है कि मेरे और इस तरफ के लोगों के बीच तथा सदन के अन्य दलों के बीच और उनमें भी आपस में विचारों मे भिन्नता हो सकती है कि इसक लिए दोषी कौन है । मेरे विचार से इस बात पर चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं है कि वर्तमान स्थिति में दोषारोपण किस पर किया जाय, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है ।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि देश में चारों ओर सुरक्षा का वातावरण बिगड़ता जा रहा है । यह गम्भीर समस्या केवल राजनीतिज्ञों या विद्वानों की चर्चा का ही विषय नहीं है, इसका सम्बन्ध तो देश के प्रत्येक पुरुष और महिला तथा नागरिक से है । भारत के लिए सुरक्षा की समस्या विशेष रूप से गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है । इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है । इसलिए इस देश के लोगों के लिए, इस देश क प्रत्येक नागरिक के लिए, इसके चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव जानना जरूरी हो गया है । हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसका उल्लेख करते हुए हम इस चर्चा का आरम्भ कर सकते हैं । विशेष रूप से अमेरिकी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए जाने से आज हमारे सामने एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । पाकिस्तान बहुत खतरनाक हथियार खरीद रहा है । पाकिस्तान एफ-16 विमानों का प्रयोग करने लगा है । नाटो में शामिल न होने वाले देशों इजराइल और दक्षिण कोरिया के बाद पाकिस्तान ऐसा तीसरा देश है जिसे एफ-16 विमान मिले हैं ।

इसरायल ने इराकी प्रतिष्ठानों पर हमले किये । यह एक सच्चाई है । महोदय, अब ये हथियार पड़ोसी देशों को दिए जा रहे हैं । इससे हमारी सुरक्षा का गम्भीर खतरा है । हमारे विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अन्य सरकारों की तरह पाकिस्तान को भी अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त हथियार रखने का हक है । ऐसा ही देश का हर सही सोचने वाला व्यक्ति भी महसूस करता है । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये हथियार पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हैं ? किसके विरुद्ध सुरक्षा ? क्या अफगानिस्तान के खतरे के विरुद्ध ? क्या रूसी खतरे के विरुद्ध ? या भारत के विरुद्ध ? महोदय, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में हाल में अमेरिकी सीनेट की उन समितियों में कुछ सुनवाइयां हुई थी । इन सुनवाइयों से जो जानकारी प्राप्त हुई है वह बड़ी दिलचस्प है । वहां पर जिन अमरीकी स्रोतों का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार अफगानिस्तान में रूसी सेना के 85,000 लोग हैं । ये काफी समय से वहां पर तैनात हैं । इसके बावजूद गोरिल्ला गतिविधियों न तो बबरक करमाल की सरकार कम कर पाई और न रूसी सेना । वास्तव में गोरिल्लाओं की गतिविधियां बढ़ रही हैं लेकिन अफगानिस्तान में रूसी सेना की संख्या लगभग स्थिर है । यहां तक कि ये लोग गोरिल्लाओं को पीछे भी नहीं हटा सके । अमेरिका की सीनेट के प्रतिरक्षा की उप समिति में समक्ष जैसा उल्लेख किया गया है उसके अनुसार ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि ये सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करें । और महोदय, इस बात का बार-बार उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के हथियार अफगानिस्तानी प्रदेश के विरुद्ध प्रयोग करने के उपयुक्त नहीं हैं । इससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है और हर आदमी बहुत स्पष्ट रूप से

यह समझ सकता है कि यदि इन हथियारों का प्रयोग किया गया, और ये हथियार प्रयोग करने के लिए हैं, उसी तरह से उसी प्रकार से और उसी देश के विरुद्ध प्रयोग मे लाए जाएंगे जिस प्रकार पाकिस्तान को पहले सप्लाई किए गए हथियार प्रयोग में लाये गए, वह देश भारत ही है।

सीनेट की उप समितियों के सामने इस बात का उल्लेख किया गया था कि इस समय अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के केवल दो डिवीजन तैनात हैं जबकि भारतीय सीमा पर 14 डिवीजन तैनात हैं और वे आगे भी तैनात रहेंगे।

इसलिए यह पाकिस्तान में शुरू किए गए हथियारों के स्तर की किस्म का अन्तर है। हमें यह विचार करना चाहिए कि ये हथियार भारत के विरुद्ध प्रयोग मे लाये जायेंगे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान में जिस प्रकार का शासन चल रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार एक सैनिक अधिनायक की सरकार है जिसमें सर्वत्र राजनैतिक सूझबूझ की कमी है। हमें मालूम है कि सेना के अधिनायक चाहे पाकिस्तान में हों या कहीं और उन सबकी मनोवृत्ति ऐसी ही होती है। पाकिस्तान में तो इतिहास इसका साक्षी है। ऐसे अधिनायक पाकिस्तान में हों या कहीं और उनका इस प्रकार की सैनिक गतिविधियों की तरफ की रूझान रहता है और उसके बाद वे युद्ध के परिणामों की कोई चिन्ता नहीं करते। वे केवल मौके की तलाश में रहते हैं। महोदय, इसलिए इस देश और सदन के सभी पक्षों में इसी बात का डर है इस बात को सरकार गम्भीरता से ध्यान में रखे।

हमने हमेशा शांति की बातें की हैं। यह तर्कसंगत है। इसके अलावा यह बात बिल्कुल पागलपन होगी कि कोई विकासशील देश युद्ध या युद्ध छेड़ने के बारे में चर्चा करें। लेकिन जब हम शांति की बातें करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य को भी समझना होगा। शासन और शासकों को शासितों के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा और देश की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने दायित्वों को समझना होगा।

महोदय, अतीत में हमने कभी हमला करने में पहल नहीं की। लेकिन हम एक बार असावधान पाए गए, उस वक्त हम चौकन्ने नहीं थे, जब दुश्मन ने हम पर हमला किया। हम आराम-सुख में सोए थे। उस हमले के भयंकर परिणाम निकले।

महोदय, इस पाकिस्तान में हो रही सैनिक तैयारियों के बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

भले ही पाकिस्तान का हमसे बहुत सम्बन्ध है, लेकिन केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सारे हिन्द महासागर का हमसें सम्बन्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है। लेकिन वहां पर महाशक्तियों और अन्य ताकतों का सैनिक जमाव हुआ है—वहां पर ब्रिटेन हैं; फ्रांस की नौ सेना है; जर्मन है; यहां तक कि आस्ट्रेलियाई भी वहां पर जमा हो रहे हैं। वास्तव में यह युद्ध क्षेत्र है और महोदय, हम देख रहे हैं कि इन बड़ी शक्तियों के झगड़ों के कारण छोटे-छोटे गणतन्त्र भी इनके भयानक हमलों से अछूते नहीं हैं।

हमारी जानकारी में कुछ दिन पहले एक छोटे से देश सिचिल्स में एयर इण्डिया के जहाज का अपहरण किया गया। वास्तविक स्थिति क्या थी ? वास्तव में यह राष्ट्रपति रेने को सत्ता से हटाने के लिये सैनिक विद्रोह का प्रयत्न था जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह कुछ पश्चिमी राष्ट्रों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं।

अब राष्ट्रपति रेने सत्ताच्युत किये जा चुके हैं। श्री मेनचम का झुकाव पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ है और भाड़े के टट्टू गोरे वहां आ रहे हैं और उस छोटे से गणतंत्र को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अधिक गम्भीर बात यह है कि जब ये भाड़े के टट्टू दक्षिणी अफ्रीका लौटे तो दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने क्या किया ? इस बारे में हवाई जहाज अपहरण के विरुद्ध जो अपेक्षित कार्यवाही पूरी गम्भीरता से करनी चाहिए थी, नहीं की गई और अपहरणकर्ताओं को कठोर दण्ड देने के स्थान पर, सरकार ने अधिकांश अपहरणकर्त्ताओं को छोड़ दिया और यहां तक कि अपहरणकर्त्ताओं के नाम भी नहीं बताये गए। दक्षिणी अफ्रीका उपनिवेशवाद का अशिष्ट, अमानवीय, असभ्य ढंग का आखिरी उदाहरण है। जहां तक यहां की बहुसंख्या जनता का प्रश्न है दक्षिणी अफ्रीका की सरकार अत्यधिक निर्मम प्रकार की उपनिवेशवादी सरकार है।

रंगभेद की नीति से आदमी का दिमाग शैतान बन जाता है। नामीबिया के बारे में मंजूर किए गए अनेक प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं किए गए। नामीबिया अभी भी स्वतन्त्र नहीं हुआ। इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका हाल ही में स्वतंत्र हुए अपने पड़ोसी देश नामीबिया पर लगातार आक्रमण कर रहा है।

भारत ने न केवल नामीबिया की परिषद में बल्कि ऐसे मामले में हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतन्त्रता के आंदोलनों में विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में भारत हमेशा अग्रणी रहा है। इसलिए मैं सरकार से साउथ वेस्ट अफ्रिकन पीपुल्स आरगेनाइजेशन्स (एस० डब्लु० पी० ओ०) की सहायता करने और अंगोला के लोगों को केवल नैतिक समर्थन ही नहीं बल्कि आर्थिक सहायता देने, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है, अधिक से अधिक सम्भव आर्थिक सहायता देने का अनुरोध करता हूं।

गुट निरपेक्ष देशों में से एक देश साइप्रस की दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

साइप्रस सदैव भारत इन्डोनेशिया और मिश्र के साथ रहा है तथा वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। पन्डित नेहरू, राष्ट्रपति नासर और राष्ट्रपति सुकार्णो के साथ राष्ट्रपति मेकेरियोस इस आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। परन्तु 1974 में साइप्रस में क्या बीता ? तुर्की ने व्यापक सैनिक बलों से साइप्रस पर आक्रमण किया और उसके लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र को अधिग्रहीत कर लिया। इससे लोगों को भारी कष्ट हुआ। लगभग दो हजार साइप्रस, वासियों को अपनी भूमि खाली करनी पड़ी और देश के दक्षिण भाग में जाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र

के संकल्प कि तुर्की सेनाओं को साइप्रस खाली कर देना चाहिए, के बावजूद अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, तुर्की सेनाएं अभी भी वहां हैं। भारत उन 5 देशों में से है जो मिलकर कन्टैक्ट ग्रुप बनते हैं तथा जो इस आन्दोलन के सदैव अग्रणी रहे हैं। इसके इस मामले पर सयुक्त राष्ट्र के संकल्प का सदैव समर्थन किया है। मैं सरकार तथा सभा से अनुरोध करूंगा कि वे साइप्रस में हो रही घटनाओं के प्रति सजग रहें ताकि उस देश में सामान्य स्थिति आ सके एवं एक ऐसी मजबूत सरकार की स्थापना हो जो उस देश की अखंडता बनाए रख सके तथा ग्रीक सिप्रियों और तुर्की सिप्रियों दोनों समुदायों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों को क्रियान्वित करना है और इस सभा को संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों की जानकारी होनी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक दृढ़ संकल्प उत्पन्न की जाये ताकि तुर्की आक्रमण को समाप्त किया जा सके तथा साइप्रस के लोगों को एक बार फिर शांति से रहने दिया जाए।

राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में उपनिवेशवाद प्रायः समाप्त हो गया है। परन्तु उपनिवेशवाद तब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होगा जब तक कि उपनिवेशवाद के दिनों में बने आर्थिक सम्बन्ध, जो वस्तुतः उपनिवेशवाद के होने का कारण था, समाप्त न किए जाए। उनको सस्ता कच्चा माल प्रदान करने तथा तैयार माल के लिए मन्डियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मुख्यतया और अधिकतर उपनिवेश बने हुए थे। जब से उपनिवेशन की शुरूआत हुई है गत 30-40 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है? मुश्किल से कोई परिवर्तन हुआ होगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था औपनिवेशिक दिनों में बनाई गई थी, जो कुछ गिने-चुने विशेषाधिकार प्राप्त देशों के पक्ष में रही है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए बाधक रही है, अभी भी जारी है।

मैं यह कहूंगा कि आज जो पहले वक्ता बोले उन्होंने यह बात ठीक नहीं कही है कि हमारी प्रधान मंत्री कानपुर गई थीं और कहा कि हम गरीब है वथा दक्षिण के हम लोगों तथा उत्तर के लोगों को सहयोग करना चाहिए। प्रधान मंत्री के भाषण में ऐसा नहीं हैं मुझे यह पता नहीं है कि यह बात उनको कहां से मालूम हुई। प्रधान मंत्री ने वस्तुतः यह कहा था कि हमने अत्यधिक प्रयास किए हैं, हमने वह उपलब्धि प्राप्त की है जिसे हम अपने भाग में 'हरित क्रांति' कहते हैं; यह कि हमें अधिक सहायता की आवशकता नहीं है परन्तु ऐसे अनेक अन्य देश हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। प्रधान मंत्री ने जो विचार व्यक्त किया था कि वह यह था कि इस देश की छवि न केवल इसके राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करने वाले के रूप में ही है अपितु सभी कमजोर और कम सुविधा-प्राप्त लोगों, उन सभी लोगों जो स्वय की रक्षा नहीं कर सकते, जिन्हें कहीं कोई ऐसा आश्रम नहीं मिला है, जिसके वे हकदार हैं उन सभी के हितों की रक्षा करने वाले के रूप में इस देश की छवि है। और ये कुछ ऐसी महान् उपलब्धियां हैं जो प्रधान मंत्री को नैरोबी, मेलबोर्न, कानकुन तथा अन्य देशों की यात्राओं से मिली हैं।

इस सभा में अनेक विषयों पर हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी एक बात के लिए एक मत हैं कि यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में शानदार भूमिका निभा रही है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र संघ में प्रधान मंत्री ने जो उदात्त छवि प्रस्तुत की है उस पर यह सभा जरा भी संदेह करती हो।

जैसा कि यहां उद्धृत किया गया है कि कानकुन शिखर-सम्मेलन के माध्यम से यह कदम बढ़ाया गया है परन्तु बिलकुल न चलने से तो एक कदम कहीं अच्छा है। उत्तर-दक्षिण वार्ता पर सभी संकेतों से कोई अधिक आशा तो नहीं कर सकता परन्तु टकराव की प्रवृति से हो, जैसा कि पहले वक्ता ने हमसे चाहा है, किसी को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। वस्तुत: हर आदमी इस बात के लिए सहमत है कि उत्तरी और दक्षिणी देशों को परस्पर सहयोग करना चाहिए, यदि कोई भला होने वाला है तो वह मात्र सहयोग से होगा न कि टकराव से परन्तु सहयोग सशक्त देश की ओर से किया जाना होगा। अत: यह महत्वपूर्ण है कि सभी विकासशील देश सहयोग करें।

लोग इस समय तृतीय विश्व के मजदूर संघवाद की बात करते हैं। वस्तुत: यह आवश्यक है कि विकासशील देशों की सरकारें, अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक बाधाओं के बावजूद—हालांकि समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं और उनकी अलग-अलग प्रणालियों और अलग-अलग शासन हैं—सभी को एकजुट होना चाहिये तथा विकसित देशों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार करना चाहिए। इस प्रकार वे अपनी सौदेबाजी की स्थिति सुधार लेंगे और न्याय पाने की अपनी योग्यता बढ़ा लेंगे तथा एक उचित और समान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित कर पायेंगे।

मैं उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए जोरदार दलील दूंगा जिसका सरकारें अनुसरण कर रही हैं, अर्थात् सामूहिक आत्म-निर्भरता। यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील देश अपनी पूंजी, अपनी प्रौद्योगिकी, अपने कच्चे माल की निजी रूप से परस्पर आदान-प्रदान करें और एक-दूसरे की सहायता करें तथा साथ ही एक संयुक्त मोर्चा, एक संयुक्त आधार तैयार करें तथा अपने मत-भेदो को दूर करने की कोशिश करें ताकि वे उन सब वस्तुओं तथा जो उनको देय है उसको प्राप्त करने की श्रेष्ठतर और दृढ़तर स्थिति में आ सकें।

अब, मैं प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री की हाल की विदेश-यात्राओं के जोरदार प्रभाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मुझे यह कहते हुए खेद है कि सभा में गणपूर्ति नही है जबकि इतने अधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्यान्ह भोजन काल में भी बैठते रहे हैं। सामान्यतया मध्यान्ह योजन काल में गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : मध्यान्ह योजना काल के बाद थोड़ा ही समय हुआ है; 2 बजकर 15 मिनट।

श्री हरिकेश बहादुर : जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है तो गणपूर्ति होनी ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। घंटी बजाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। श्री एडुआर्डो फलीरो अपना भाषण जारी रखें।

श्री एडुआर्डो फलेरो : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री की यात्राओं के महत्व के बारे में बोल रहा था । मैं थोड़े समय पहले मानीला में था और यह हमारे प्रधान मंत्री की पहली यात्रा थी जो हमारे देश से किसी प्रधान मंत्री या अतिविशिष्ट व्यक्ति की फिलीपीन की पहली यात्रा थी । मुझे पता चला है कि इस यात्रा के एक महीने के बाद इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । न केवल संचार माध्यमों, टेलीविजन और रेडियो के प्रात: तथा सायंकालीन प्रसारणों में समाचार थे अपितु राष्ट्रपति मारकोस तथा उनकी पत्नी उनका स्वागत करने आये जो परिपाटी से हटकर बात थी । वहां का आम नागरिक पहली बार भारत के बारे में जान सका और इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में जान सका तथा उस क्षेत्र के सभी देशों के लिए भारत जो मैत्री और स्नेह रखता है उसके बारे में जान पाया । वे हमारे पड़ोसी हैं तथा हमारी और उनकी बहुत हद तक एक जैसी संस्कृति है ।

महोदय, हम सभी ने वर्तमान स्थिति का बहुत ही गंभीर चित्र प्रस्तुत किया हैं परन्तु कोई भी सदैव यह चाहता है तथा यह विश्वास करता है कि सभी निराशाजनक बातों में कोई न कोई आशाजनक बात छिपी होती है इसलिये आज पूरे विश्व में आशा की किरण को देखिए । सैन्यवादी देश भी शांति की बात करते दिखाई देते हैं, शांति के लिये कार्य करते और शांति के लिये आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं । बोन में हाल ही में शांति, निस्त्रीकरण के लिये अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया और उसका प्रदर्शन सत्तारूढ़ दल के चेयरमैन, श्री विली ब्रांट द्वारा किया गया । यह सौभाग्य और संयोग की बात है कि इसी व्यक्ति ने उत्तर-दक्षिण वार्ता के विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की अध्यक्षता की थी । यह इस बात का द्योतक है कि दोनों ही मामले कितनेजाटिल हैं । मार्ग से परे एम्सटर्डम शहर जैसे छोटे शहर में, जो अपेक्षकृत उग्र तथा रूढ़िवादी शहर है, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें हजारों लोग शांति के बारे में बात कर रहे थे, शांति के लिये शोर मचा रहे थे तथा शांति के लिये आगे बढ़ रहे थे तथा परमाणु शस्त्रों के जमाव के विरुद्ध और दो शक्तियों के बीच बढ़े हुए टकराव के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे थे । अतः यह आशाजनक बात है और हम आशा कर सकते हैं कि सद्भाव वाले लोगों, इस सामर्थ के लोगों, हमारी अपनी सरकार में होने वाले लोगों के साथ अनेक अन्य सरकारों में पूर्व तथा पश्चिम के देशों में अन्ततोगत्वा बादल छंट जायेंगे और शांति स्थापित होगी तथा सभी की समृद्धि में वृद्धि होगी ।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं कामना करता हूं कि सरकारी बेंचों की ओर से प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भारत की विदेश नीति की जो प्रशंसा की है उसमें मैं भी भागीदार होता ।

यह कुछ खेद की बात है तथा यह न केवल इस सरकार अपितु शायद सभी सरकारों की असफलता है कि किसी सरकार की विदेश-नीति के आलोचक सदैव घोर आक्षेप और गलत प्रतिनिधित्व के शिकार होते हैं । उस प्रवृत्ति की पूरी जोखिम उठाते हुए भी मैं गंभीरतापूर्वक विरोध करता हूं कि स्थिति का दूसरा पहलू भी है जो पूर्णतया नजरअन्दाज कर दिया गया है । जहां सरकारी बेंचों के अधिकांश सदस्य समझते हैं कि हमारी विदेश-नीति का संचालन निष्पाप है,

कि आज देश की छवि जो पहले कभी भी उसकी अपेक्षा अधिक उज्ज्वल है और यह कि विदेशों में प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, वहां मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि वे अपनी सरकारों की विदेश-नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना विनम्र भावना से सुनें तो उनका आत्म-मूल्यांकन काल्पनिक से वास्तविक हो जायेगा।

मुझे अभी-अभी किसी पत्रकार का एक लेख दिया गया 10 नवम्बर, 1981 को प्रकाशित हुआ है तथा जिस पत्रकार के बारे में यह विदित है कि वह सत्तारूढ़ दल और सरकार का पक्ष लेता है और वह इतना अधिक पक्ष लेता है कि प्रायः उसके लेखों के बारे में मेरे गंभीर मतभेद हो जाते हैं और फिर भी उसे एक लेख लिखना पड़ा जिसका शीर्षक है "इंडियाज लाउजी इमेज एब्रोड" (विदेशों में भारत की छिनौनी छवि); और उसने जो कुछ कहा है उसे मैं इस सभा को अपने निवेदन के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं तथा मुझे आशा है कि हमारे विदेश कार्यों के प्रभारी मंत्री तथा अन्ततोगत्वा प्रधान मंत्री इस ओर कुछ ध्यान देंगे। इस लेख में वह कहता है—

"यह हास्यास्पद बात है कि भारत की अपनी छवि अत्यधिक विषमता में घिनौनी है। गांधी तथा नेहरू के देश और उसकी महान अहिंसक क्रांति के रूप में भारत के लिये गत वर्षों का सम्मान और प्रशंसा क्षीण हो गई है। भारत को अब स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के महान् समर्थन के रूप में और अधिक नहीं देखा जाता है। आज इसे ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जिसने अपने मौलिक मूल्यों के साथ समझौता किया हो और राष्ट्रमंडल के किन्हीं टिप्पणीकारों को उद्धृत किया जाये तो इसे "सोवियत रूस के अत्यधिक प्रभाव" मे आये हुए देश के रूप में देखा जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि 'एसियान' देशों में भारत को न केवल रूस का मित्र अपितु "रूस के चापलूस" के रूप में देखा जाता है।"

इसके अनुरूप मुझे तीन आरोप लगाने हैं—मैं उन्हें आरोप कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यही सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है। (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र वैसी ही शांति और सम्मान से हमारी बात सुनेंगे जैसी शांति से हमने उनके भाषण सुने हैं। मुझे आशा है कि···

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्री इन्द्रजीत ने प्रधान मंत्री को बधाई दी है।

श्री राम जेठमलानी : श्री फैलीरो, मैं यह बात की अपने क्षेत्र से कहूंगा—श्री इन्द्रजीत को छोड़िए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप-कुछ अंश उद्धृत कर रहे हैं। इनको पूरी तरह उद्धृत कीजिए।

श्री राम जेठमलानी : मैं हर चीज उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। मैं भारत की घिनौती छवि के बारे में उद्धृत करना चाहता हूं।

सरकार पर मेरा पहला आरोप यह है कि—इसके विदेश-नीति के संचालन से हमारो विदेश-नीति का समूचा नैतिक तत्व समाप्त हो गया व अर्थात् पुराने गांधीवादी विचार तथा

नेहरू के प्रारंभिक दिनों के विचार समाप्त हो गये हैं, और आज हमारी विदेश-नीति अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में निकृष्ट अवसरवादिता की एक नीति बनकर रह गई है।

मेरा दूसरा आरोप यह है कि हमने अपने राष्ट्रीय आत्म-सम्मान के साथ बुरी तरह समझौता किया है। मेरा तीसरा आरोप यह है कि हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बुरी तरह क्षीण किया है। हमने इसे खतरे में डाल दिया है। हम एक ऐसी धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास और यहां तक कि वतर्मान गतिविधियों, अर्थात, स्थायी मित्र हैं या स्थायी शत्रु, में कोई आधारशिला नहीं है। आज के मित्र अपने बदले हुए राष्ट्रीय हितों के अनुसार कल के शत्रु बन सकते हैं और मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमने सभी सुरक्षा साधनों को सोवियत रूस के पास दांव पर लगा दिया है तथा स्वयं को सोवियत रूस का पूरी तरह स्थायी आश्रित बना लिया है।

मैं विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में इन तीनों आरोपों पर प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं अत्यधिक महत्व के पड़ोसी देश, पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में बोलूंगा। जब हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को समझते हुए और औचित्य की भावना दर्शाते हुए हुए पाकिस्तान गये थे तब पाकिस्तान में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि पाकिस्तान को हथियार प्राप्त करने का अधिकार है। महोदय, चाहे हम इस बात पर सहमत हों कि किसी संप्रभु देश को हथियार प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे हम इस बात पर सहमत हों कि विदेश मंत्री जब संप्रभु पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त करने की बात कह रहे थे तो जो कुछ वह कह रहे थे वह एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून की बात थी परन्तु हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान का अधिकार संगत नहीं है; जो कुछ संगत है वह पाकिस्तानी कार्यवाही की समझ है। यद्यपि हम पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त किये जाने की उसकी कार्यवाही की समझ के कटु आलोचक हैं तथा यद्यपि हम अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने की समझ के समान रूप से उतने ही कटु आलोचक हैं तथापि हमें इस तथ्य से मुंह नहीं फेर लेना चाहिये कि हमने यह स्थिति उत्पन्न की है। यह स्थिति सच्चाई का सामना करने से हमारी अनिच्छा के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुई है, सच बोलने से हमारी अनिच्छा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता के अनुसार हमारे तथाकथित मित्रों को असुविधाजनक बात कहने से हमारी अनिच्छा के कारण एसा हुआ है।

रूस के प्रसार के विरुद्ध अमरीका द्वारा पाकिस्तान की रक्षा और रूस द्वारा संभावित हस्क्षेतप और आक्रमण वैध है। हमें इस बात को समझना होगा, तथा उसके बाद पाकिस्तान और विशेष रूप से अमरीका को सलाह देनी चाहिये कि अमरीका गत इतिहास से सबक सीखे। गत इतिहास का सबक यह है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई का विपरीत प्रभाव पड़ा और उस देश की अलोकतांत्रिक शक्तियां अपने ही देश वासियों के विरुद्ध सशक्त हो गई और उन्होंने निस्संदेह विवादों, संघर्षों, टकराव तथा अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध तक को बढ़ाने में योगदान दिया है और फिर भी यह आपत्ति आज हमारे द्वारा बुरी बताई जाती है क्योंकि हमने सच बोलने के अपने कर्त्तव्य के समय नैतिक कायरता का स्पष्ट परिचय दिया।

युद्ध एक गंभीर बात है, निष्कर्ष या परिणाम पर निर्भर करते हुए युद्ध के उद्देश्यों से किसी न किसी देश को लाभ हो सकते हैं, परन्तु युद्ध इसका परिणाम नहीं है। युद्ध का अर्थ है, हजारों, लाखों सिपाहियों का विनाश, इसका अर्थ है—हजारों स्त्रियों का विधवा होना, युद्ध का मतलब है—हजारों बच्चों का अनाथ हो जाना, युद्ध का अर्थ है—लाखों लोगों का और यदि इसका और भी गंभीर अर्थ लिया जाये तो और अधिक लाखों लोगों का जीवन भर अपंग हो जाना है। युद्ध एक अपराधिक खेल है और मैं कहता हूं कि जब कभी कोई अवसर आता है और शांति स्थापित करने, एक होने तथा युद्ध टालने का जो लोग अवसर चूक जाते हैं, वे भी समान रूप से इस अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक खेल में भागीदार होते हैं।

और पाकिस्तान द्वारा की गई युद्ध-वर्जन समझौते की पेशकश के प्रति हमारे दृष्टिकोण को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिये। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि समझौता शांति के लिये अंतिम गारंटी है। हिटलर ने अनेकानेक समझौते किये, उसने उन सभी समझौतों को तिलांजलि दे दी और युद्ध में कूद पड़ा। परन्तु, महोदय, कोई किसी समझौते और किसी युद्ध-वर्जन समझौते का एक परिणाम निकलना अवश्यम्भावी है और वह यह है कि पाकिस्तान किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच में विगत के किन्ही विवादों विचाराधीन, आसन्न या भविष्य में होने वाले किन्हीं विवादों के होने का संदर्भ देकर युद्ध के अपने कार्य को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता है। कम से कम इसके बाद पाकिस्तान किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच में जाकर यह नहीं कह सकेगा कि, "अब हम युद्ध में कूद पड़े हैं, हमारे सिपाही काश्मीर में आगे बढ़ गये हैं, हमारे सिपाही कच्छ में आगे बढ़ गये है, या हमारे सिपाही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं।''

क्योंकि काश्मीर में हमारे लाखों देशवासियों का भाग्य आज विवादास्पद है और कम से कम यह तर्क तो समाप्त हो जायेगा। यदि इस सरकार में जरा भी समझ होती, यदि यह सरकार जानती कि पाकिस्तान को किस प्रकार उलझन में डाला जाये तो हमें पाकिस्तान को एक ही बात कहनी चाहिये थी कि, "कृपया यह स्पष्ट कीजिए कि भविष्य में आप किसी भी कारण से काश्मीर के प्रश्न को लेकर युद्ध नहीं करेंगे। काश्मीर क प्रश्न पर चाहे हम अपने ड्राइंग रूमों मे, सान्ध्य भोजन के समय या अपने सम्मेलन कक्षों में—जब कभी हमारे मंत्रियों की बैठक हों—बात करें परन्तु दोनों देशों के बीच भविष्य में किसी संघर्ष के लिये कभी भी हमारा यह बहाना नहीं होगा।''

इस सम्बन्ध में हमारी सारी आलोचना अमरीका पर लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने अरब मित्रों के सम्मुख आते हैं तो हमारी आवाज जो सामान्यतया बुलन्द होती है वह फुसफुसाहट होकर रह जाती है तथा वस्तुत: आवाज ही नहीं रह जाती? हमने सऊदी अरब की भर्त्सना क्यों नहीं की जिसने पाकिस्तान की परमाणु शक्ति बनाने में अपने भौतिक संसाधनों को गिरवी रख दिया है? यह दोहरी नीति क्यों है, जिससे इस आरोप की पुष्टि होती है कि हमारी विदेश नीति में कोई नैतिक तत्त्व नहीं रहा है? हमारा अपने मित्र के लिये एक कानून है, तटस्थ के लिये दूसरा और शत्रुओं के लिये तीसरा। कह कहने का, कि गांधीवादी स्वरूप

समाप्त हो गया है तथा किसी प्रकार की घोर, निकृष्ट अवसरवादिता घर कर गई है, वास्तव में यही तात्पर्य है।

अफगानिस्तान एक अलग प्रश्न है। एक प्रकार से यह नूतन प्रश्न नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे अब दो वर्ष हो गये हैं। हमारे विद्वान मित्र बैठे हुए हैं जो अफगानिस्तान के बारे में हमारी नीति को उचित ठहराते हैं। परन्तु मैं इस गरिमायुक्त सभा को स्मरण करा दूं कि सितम्बर में दिल्ली में हुई क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल की बैठक में राष्ट्रमंडल की आवाज, राष्ट्रमंडल के अन्तःकरण की आवाज विश्व की जागरूक अन्तरात्मा की आवाज को प्रधान मंत्री को हमारी द्वारा नहीं उठाया गया अपितु एक बहुत ही छोटे से राज्य सिंगापुर जिसकी आबादी शायद दिल्ली शहर से भी कम है, के माननीय प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री, श्री लीकुअन यू द्वारा उठाई गई। उन्होंने अपने दो देशों—सोवियत रूस और वीएतनाम—जो दोनों ही अपने पड़ोसी देशों को दबाने तथा उनपर कब्जा करने के दोषी हैं, पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने जोरदार भर्त्सना की—ऐसा उन्होंने शब्दों द्वारा नहीं कहा; राजनैतिक कूटनीति यह अपेक्षा करती है कि जब आप बहुत ही अप्रिय बात कहना चाहें तो भी सराहना के शब्द कहें—उन्होने हमारे प्रधान मंत्री के लिये प्रशंसा भरे शब्द कहे परन्तु अगले ही क्षण उन्होंने सोवियत रूस की कार्यवाही को वैधता प्रदान करने के प्रयासों की निन्दा की। अन्ततोगत्वा, जब विज्ञप्ति प्रस्तुत की जाने लगी तो वह हमारे दावे का खंडन थी।

यह तो हमारी नीति में स नैतिक तत्व का छोड़ दिया जाना है क्योंकि सम्मेलन के बाद प्रधान मन्त्री ने भी एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि सभी इस बात पर सहमत हो गए थे कि सोवियत रूस को अफगानिस्तान से हट जाना चाहिए। यह एक ऐसी बात थी जिसे श्रीमती इन्दिरा गांधी स्पष्ट शब्दों में कहना नहीं चाहती थीं। अन्ततः उन्हें यह उन देशों के जो हमारी तुलना में बहुत छोटे हैं प्रभाव में आकर कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने सच बोला था। जब मैंने सिघापुर के प्रतिष्ठित प्रधान मन्त्री का उल्लेख किया तब मेरे विद्वान मित्र इस बात पर हंस पड़े थे। परन्तु वह एक ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिसने अपने एक मन्त्री पर, जिसने एक व्यापारी से निशुल्क यात्रा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, मुकदमा चलने दिया और परिणामतः उस मंत्री को 7 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। देश में नैतिकता का जो स्तर है, वह विदेशों के साथ हमारे सम्बन्धों में अवश्य परिलक्षित होता है। अतः हमें छोटे देशों के प्रधान मन्त्रियों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन की इस विज्ञप्ति के रूप में जब हमारे मुंह पर करारा तमाचा लगा, तब प्रधान मन्त्री से पूछा गया : आपके क्या विचार हैं ? उन्होंने उत्तर दिया : वस्तुतः हम सभी इस बात से सहमत हैं कि सोवियत रूस को वहां से हट जाना चाहिए। यहां तक की सोवियत रूस भी इस पर सहमत हैं कि उसे वहां से हट जाना चाहिए, परन्तु वह वहां से अपनी शर्तों के अनुसार हटना चाहता है। उनमें से एक शर्त यह है कि अफगानिस्तान में रूस द्वारा बैठायी गई शर्त द्वारा इस आशय का अनुरोध किये जाने पर ही रूस अफगानिस्तान से हटेगा और यह एक ऐसी शर्त है

जो कभी भी पूरी न होगी। अब श्रीमती इन्दिरा गांधी यह चाहती हैं कि हम अफगानिस्तान सरकार को इस बात के लिए राजी करें कि वह रूस से अपने यहां से हट जाने के लिए कहे। मैं विदेश मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी कूटनीति क्या है ? सरकार ने गुप्त रूप से या अन्यथा ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिसमें रूस वहां से हट जाये। आप उन निर्णयों को किस प्रकार से लागू कर रहे हैं और क्या कदम उठा रहे है ? सोवियत रूस कब तक हट जायेगा ?

हमारे मित्र देश, सोवियत रूस की इस मामले में निन्दा करने हेतु एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो सोवियत रूस के साथ मैत्री को अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और हमारी उन मैत्री भविष्य में भी बनी रहनी चाहिए। मेरा मतभेद सिर्फ उन लोगों से है जो इस मित्रता को दूसरे देशों के साथ हमारी मित्रता की कीमत पर भी बनाये रखना चाहते हैं। वास्तव मे यह मित्रता सार्वजनिक व्यवहार और नैतिकता की कीमत पर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी आयकर को बेचकर नहीं बनाई रखी या बढ़ाई जा सकती। हम पोलैंड के उन निर्धन श्रमिकों की सहानुभूति में एक भी शब्द नहीं कह सके हैं जो आज सोवियत रूस के चंगुल में फंसे हैं। हेलसिंकी समझौता भी इस मामले में तनाव कम करने में कोई सहायता न कर सका। दूसरी ओर लोग प्रधान मन्त्री की छवि की बात करते हैं। प्रधान मंत्री की छवि तो तभी निखरेगी जबकि आप सच बोलेंगे। यदि आप सच बोलेंगे तो आपकी बात में प्रबुद्ध मानवता की आत्मा प्रतिबिम्बित होगी।

पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में मुझे एक गम्भीर शिकायत है। मैं प्रेजिडेंट सहायता के संबंध में बात कर रहा हूं। जब इतिहास बनाने वाले इस महान व्यक्ति का निधन हुआ, तब हमारी प्रतिक्रिया शिथिल थी। श्री सादात अपने समय के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं, उन्होंने समय की चुनौती का स्वीकारा, परिस्थितियों एवं वातावरण का मुकाबला किया तथा जो विषय और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहे। उस समय श्रद्धांजली देते हुए जो वक्तव्य जारी किया उससे भी स्पष्ट होता है कि श्रद्धांजली भी हमने कितनी उपेक्षा से दी। मिश्र सभी अरब देशों में सबसे बड़ा है। वह इस्लामी ज्ञान और विचारों का केन्द्र है। यह एक ऐसा देश है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्व-शान्ति के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे देश के साथ भी हमारा व्यवहार रूखा रहे, उपेक्षापूर्ण रहे, यह हमारे देश विशाल, देश के लिए, जिसमें गांधी और नेहरू जैसे महान नेता हुए हैं, शोभा नहीं देता।

यह उपयुक्त समय है जबकि पश्चिम एशिया के प्रति हमारी नीति समानता पर आधारित होनी चाहिए। यह सच है कि हमें फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रति न केवल सम्मान प्रदर्शित करना है बल्कि उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए वास्तव में कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमें दो कार्य करने होंगे। पहला यह है कि हमें उनके अधिकार परिभाषित करने होंगे। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि फिलिस्तिनियों के अधिकारों में यह अधिकार सम्मिलित नहीं है कि विद्यमान इसराइल देश को नष्ट कर दिया जाये। पश्चिमी एशिया के प्रति हमारी जो नीति हो

उसमें उस क्षेत्र के सभी राज्यों के अस्तित्व में बने रहने के अधिकार को मान्यता अवश्य होनी चाहिए और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 242 के एकदम अनुरूप होगा। इस सम्बन्ध में सऊदी अरब सरकार द्वारा की गई पहल का हमें स्वागत करना चाहिए। इस बारे में भी हमने एक भी शब्द नहीं सुना है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमने तो इस बारे में बोला है आपने सुना नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : चूंकि आपने बहुत ही धीमी आवाज में कहा होगा इसलिए मैंने नहीं सुना।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपकी सुनने की शक्ति ठीक नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : मेरे सबसे बुरे शत्रु ने भी मुझ पर कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया है।

अब मैं मेक्सिको में हुए सम्मेलन, जिसमें हम भाग लेने गये थे, के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी या अन्य किसी प्रतिनिधि ने, जो उनके साथ वहां गये थे, 'ओपेक' की नृशंसता के विरुद्ध अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई। हमने यह प्रस्ताव किया था कि एक 'वर्ल्ड बेंक एनर्जी एफिलिएट' बनाया जाये जिसका अधिकांशत: 'ओपेक' देश वित्तपोषण करें। उस प्रस्ताव को सफलता नहीं मिली, इससे इस बात का पता लगता है कि अरब देशों, 'ओपेक' देशों के साथ हमारी मित्रता कितनी उपयोगी है। हमने कभी भी सच नहीं बोला, परन्तु हमें ऐसा मान लिया गया। हमें उनसे तनिक सा भी लाभ नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे विदेश मंत्री इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि आज भारत जिस नैतिक और आर्थिक संकट में पड़ा है और आज भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो विपुल राशि का ऋण लेना पड़ा है, उसका कारण यह है कि 'ओपेक' देशों ने हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।

इन देशों के पास ऊर्जा के स्रोत हैं और उनके पास ऐसा फालतू धन है जिसका वे भारत सहित तीसरे विश्व में पूंजीनिवेश करके उपयोग कर सकते हैं। हमारा उनसे इतना मोह हो गया है कि हमने यह सच्चाई भी उनको कभी नहीं बताई। वे हमारी परवाह नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि भारत सरकार हमारा बिना सोचे-समझे अनुसरण करती जायेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी विदेश नीति एक दम असफल हो गई है।

हां, एक बात के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चीन के साथ शान्ति स्थापित करने के लिए पहल की है। मैं आशा करता हूं कि चीन के साथ शान्ति वार्ता करते समय हमारे विदेश मंत्री उन लोगों के दबाव में नहीं आयेंगे जो झील का क्षेत्र लेने के लिए चीन से सौदा करना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान रखा जाये। हमारे विदेश मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि चीन से शान्ति वार्ता करते समय हमारे मन में इस प्रकार का कोई समझौता नहीं है।

अन्त में, मैं श्री लंका के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जहां कि तमिलभाषियों की अल्पसंख्यक होने के नाते सरकार से कुछ उचित शिकायतें हैं। इस मामले में श्री लंका सरकार के व्यव-

हार में काफी सुधार की गुंजाइश है। यदि हमारे प्रधान मन्त्री की छवि इतनी प्रकाशित होती जैसी की यहां सभा में चित्रित की गई है, तो वह अपने एक इशारे मात्र से श्री लंका में रह रहे अल्पसंख्यक तमिलभाषियों को राहत दिला सकती थीं। इससे स्पष्ट है कि पड़ोसी राष्ट्र भी हमारी परवाह नहीं करते हैं और आज हमारी प्रतिष्ठा निम्नतम स्तर पर है। यही कारण है कि श्री लंका जैसा लघु देश भी हमारी ओर अंगुली उठाता है और उस अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करता है जिसके हित हमें प्रिय हैं।

आज इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने मित्र बनाने चाहिए तथा पड़ोसी देशों से प्रेम और स्नेह करना चाहिए। तभी आप दूसरों को अपनी आवाज का अहसास दिला सकते हैं। अब हमें गांधी और 1950 के नेहरू पर बाद वाले नेहरू पर नहीं, पुनः विचार करना चाहिए। भारत की छवि को उज्जवल करने का यही एक तरीका है, इस प्रकार की चाटुकारिता, इकतरफायन विदेश नीति के दोषों पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा।

श्री ए० नीललोहियादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री मनीराम बागड़ी अभी-अभी गिरफ्तार कर लिये गये हैं··· (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : नियम 229 में यह उपबन्ध है :

"जब कोई सदस्य बन्दी किया जाये तो यथास्थिति, दंड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी यथास्थिति बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्ध के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित समय पर हो जाएगा। यह सही है कि यह उचित समय पर हो जाएगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री हरिकेश बहादुर : सदस्य को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। वह गढवाल के कुछ व्यक्तियों को लेकर संसद में आना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जब किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी सूचना समय पर पहुंचनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : सदस्य को गिरफ्तार किया गया है और इसकी सूचना सदन को नहीं दी गई है। सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप सदन को सूचित कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं सदन को सूचना देने वाला कौन होता हूं। महोदय, आपको सदन को सूचित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जैनुल बशर बोलें ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री जेठमलानी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि जनता अपनी नीतियों का पालन बड़ी अच्छी तरह कर रही थी परन्तु इसका परिणाम आपके सामने है। जब हमारा दल सत्तारूढ़ हुआ, हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कुछ वायदे किए थे : जहां तक हमारे दल का संबंध है वह अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील रहा है फिर भी हमने जो विदेशी मामलों में सफलता प्राप्त की है वह महत्वपूर्ण है। जब हमने जनता तथा लोकदल सरकार से कार्य-भार लिया था तो उस समय हमारी विदेशी मामलों में प्रतिष्ठा बहुत गिरी हुई थी। उस समय हमारे नेताओं, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और विदेशों का दौरा करने वाले हमारे अन्य सरकारी प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी और कुछ देशों, विशेषकर अरब देश जिनके बारे में श्री जेठमलानी ने बहुत कुछ कहा है, ने हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था। इसके परिणामस्वरूप इन देशों से तेल का आयात लगभग समाप्त हो गया था और उस समय हमारा देश तेल के गंभीर संकट से गुजर रहा था। मुझे आशा है कि आपको 1980 के वे दिन याद होंगे, जब हमने इस सदन में प्रवेश किया था, किसान कष्ट उठा रहे थे, उद्योगों में हानि हो रही थी, ट्रांस्पोर्टरों को नुकसान हो रहा था क्योंकि उस समय तेल उपलब्ध नहीं था, उन दिनों में जनता पार्टी और लोकदल की नीतियों के लिए धन्यवाद। परन्तु जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आईं तो हमारे अरब मित्रों ने हमारी ओर से प्रयास किए बिना ही तेल देना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वे हमारी सरकार में, श्रीमती इन्दिरा गांधी में विश्वास करते हैं क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमेशा अरब देशों का साथ दिया है और भविष्य में भी वे ऐसा करती रहेंगी। जहां तक अरब देशों का संबंध है जनता पार्टी और लोकदल के शासन में जो विश्वास समाप्त हो गया था उसे पुन: प्राप्त किया गया। महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका यह सबूत है कि पिछले दो वर्षों से विकसित, विकासशील, एशियाई, अफ्रीकी, यूरोपीय देशों से तथा सारे विश्व से हमारे यहां निरतर मेहमान आ रहे हैं। मुश्किल से दो या तीन ही दिन गुजरते होंगे कि कोई न कोई विदेशी उच्चपदाधिकारी हमारे देश में आता रहता है। इससे पता चलता है कि उनका श्रीमती इन्दिरा गांधी में बहुत अधिक विश्वास है। वे उनसे बातचीत करने आते हैं, महत्त्वपूर्ण मुद्दों और विश्व की बड़ी-बड़ी समस्याओं पर उनकी सलाह लेते हैं। इन दो वर्षों में हमारा प्रधान मंत्री को विभिन्न देशों से निमंत्रण प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष उन्होंने काफी देशों का दौरा किया है। मैं समझता हूं कि यह एक रिकार्ड है—प्रत्येक देश में जिस ढ़ंग से उनका स्वागत किया गया है, प्रत्येक सम्मेलन में जिस ढंग से उनका स्वागत किया गया है, चाहे वह राष्ट्रसंघ सम्मेलनहो या शिखर सम्मेलन, जहां भी वे गईं उन्हें प्रतिष्ठा मिली उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके दिलों में हमारे देश, हमारे प्रधान मंत्री के लिए कितनी इज्जत है और हमारे विदेश मंत्री को आज कल कितनी इज्जत मिल रही है। क्या यह नीतियों की सफलता नहीं है ? वास्तव में यह नीतियों की सफलता है। इसके लिए मैं अपनी प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और उन विदेशी मिशनों को बधाई देता हूं जो हमारी नीतियों का सारे विश्व में अनुसरण कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या प्रधान मंत्री द्वारा जिस विदेश नीति का अनुसरण किया जा रहा है वह एक अच्छी नीति है ?

श्री जैनुल बशर : वे एक बहुत अच्छी विदेश नीति का अनुसरण कर रही हैं । हमारे मित्र नैतिक मूल्यों की बात करते है । मैं समझता हूं कि नैतिकता को हमारी नीति में हमेशा प्रमुख स्थान मिला है—चाहे वह घरेलू नीति हो या वह विदेश नीति हो । अफगानिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा जा रहा है । हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था और स्थिति को स्पष्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई । श्री जेठमलानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपने मामलों में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें समाचार-पत्र और हमारे प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री का वक्तव्य पढ़ने का समय ही नहीं मिलता । मैं जानता हूं कि वे हवाई अड्डे से सीधे सदन में आ रहे हैं । यह उनकी मजबूरी है । वे समाचार-पत्र पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल सकते । सरकार ने हमेशा यही घोषणा की है कि हमारी नीति यह है कि किसी भी देश की सेना को विदेशी भूमि से हट जाना चाहिए, सरकार ने रूस की सेना की अफगानिस्तान में मौजूदगी का कभी भी स्वागत नहीं किया है । हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान से रूप को अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिए । हम यह स्वीकार करते हैं की रूस कि फौज अफगानिस्तान में हैं । यदि हम यह कहें कि उन्हें अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिएं तो क्या वे फौज वापस बुला लेंगे ? किसी बात के परिणामों पर पूर्ण विचार किए बिना हम कुछ कहें यह सही मनोवृत्ति नहीं है । हम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे रूस पर फौज वापस बुलाने के लिएं दबाव डाला जा सके । जब तक बातचीत द्वारा कोई समझौता नहीं हो जाता अफगानिस्तान स रूस की फौज नहीं हटाई जा सकतीं । मैं भी उन व्यक्तियों में से एक हूं जिनका यह मत है कि रूस ने अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजकर बहुत गलत काम किया है । परन्तु केवल यह कह देने से कि "अपनी फौज वापस बुला लो" रूस फौज वापस नहीं बुलाएगा । यदि रूस के विरुद्ध युद्ध जीता जाए तो फौज वापस हो सकती हैं । क्या वे रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़कर युद्ध जीत सकते हैं ? परन्तु रूस की फौज शांतिपूर्वक ढंग से तभी वापस बुलाई जा सकती है जब कोई समझौता हो जाए मुझे आशा है कि हमारी सरकार विशेषकर हमारे विदेश मंत्री, समस्या समाधान का तरीका खोज रहे हैं । यदि हम अफगानिस्तान के मसले का, जिसमें रूसी फौज को वापस बुलाने की समस्या पैदा हो गई है, समाधान करने में सफल हो जाते हैं तो यह हमारे देश, हमारी प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के लिए बड़े गौरव की बात होगी ।

अब मैं पाकिस्तान के बारे म कुछ कहना चाहचा हूं । आजकल पाकिस्तान का अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव चर्चा का विषय है । पाकिस्तान के अनाक्रमण संधि के प्रस्ताव के बारे में हम रोजाना समाचार-पत्रों में खबर पढ़ते हैं । पहले यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव भारत सरकार को औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ और पाकिस्तान इस बात पर बल दे रहा था कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है । अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि इस प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा । वास्तविकता कुछ भी हो, मैं यह कहूंगा कि इस अनाक्रमण संधि के प्रस्ताव पर विचार न किया जाए । ऐसा मैं

सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं कह रहा हूं और केवल यह मेरा विचार हैं। हमें और बेवकूफ नहीं बनना चाहिए और इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव किसकी ओर से आया है? यह पाकिस्तान के एक सैनिक तानाशाह की ओर से आया है। यह पाकिस्तान की वैधानिक सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है। यह हमारा अनुभव रहा है कि जब भी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाही पर मुसीबत पड़ी है उन्होंने भारत के विरुद्ध मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया है। 1965 में जब अय्यूब खां सैनिक तानाशाह थे तो युद्ध हुआ। 1971 में जब याहिया खां सैनिक तानाशाही थे तो युद्ध हुआ जब भी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे है, यद्यपि उनमें कुछ रुकावटें थीं। मोहम्मद अली या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

श्री जेठामलानी जैसे व्यक्ति से अनाक्रमण संधि की बात सुनकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। जब श्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई उनका दल सत्तारूढ़ था। केवल भुट्टो को ही फांसी नहीं दी गई बल्कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र को ही फांसी लगा दी गई। उनकी सरकार ने या प्रधान मंत्री ने इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई?

एक ऐसे पड़ोसी देश में प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। जब भुट्टो को फांसी लगाने के विरुद्ध कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जनता ने आवाज उठाई तो आप चुप क्यों थे?

हम पाकिस्तान का विश्वास कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही हैं जिसके लिए उस देश के संविधान में कोई स्थान नहीं है। अनाक्रमण संधि के प्रति उनके दिल में क्या सम्मान है। उनके लिए यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। यह एक राजनैतिक चाल है। एक तरफ तो वे अमरीका से आधुनिक हथियार ले रहे हैं दूसरी ओर अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव भेज रहे हैं। यह उन्हें अच्छी तरह पता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान रूस के विरुद्ध नहीं लड़ सकता और रूस भी पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। जहां सैनिक तानाशाही है, वहां सरकार बदलना बहुत आसान है। एक दिन प्रातः हमें समाचार पत्र में यह पढ़ने को मिले कि पाकिस्तान में रूस के समर्थक एक जनरल ने सत्ता संभाल ली है और करांची, लाहौर और इस्लामाबाद की गलियों में रूस की फौजें गश्त लगा रही हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस देश में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई, जहां सैनिक जनरल नीति निर्धारण करते हैं वहां ऐसा होना बहुत आसान है।

अमरीका से प्राप्त आधुनिक हथियारों को पाकिस्तान रूस के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हथियार पाकिस्तान में उनके अपने ही लोगों के विरुद्ध तथा भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाएंगे। जब सैनिक तानाशाह मुसीबत में फंसता है, जब वह यह देखता है कि उसकी सत्ता छिन

रही है, वह भारत पाक सीमा पर तनाव पैदा कर देता है और अपने आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए इस देश के विरुद्ध झगड़े शुरू कर देता है। जब तक पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार नहीं बन जाती तब तक पाकिस्तान की बात पर गंभीर रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए।

उस देश में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उस देश में लोकतांत्रिक परम्पराओं की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि वह यह देखे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रित आन्दोलन मजबूत हो। भारत के लोग पाकिस्तान में होने वाले किसी भी लोकतांत्रिक आन्दोलन को अपना नैतिक समर्थन दें जिससे कि पाकिस्तान में अपनी एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार बन सके। यदि उस सरकार से हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो हमें उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग तथा पाकिस्तान के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। वे शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं; वे भाई-भाई बनकर रहना चाहते हैं और वे परम्परागत तरीके से, जैसा कि वे अनन्त काल से रहते चले आ रहे है, रहना चाहते हैं।

इस बारे में महोदय, मैं आपके माध्यम से, विदेश मंत्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। वे इसे जानते हैं; उन्होंने मुझे प्रश्न काल के दौरान तथा हमारे पत्रकार के द्वारा यह बताया भी है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान दूतावास भारतीयों को आपातकालिक वीसों पर भी पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं देते हैं। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी माताएं भाई और सम्बन्धी पाकिस्तान में हैं। जब कभी वे बीमार होते हैं, जब कभी परिवार में कोई शादी-विवाह होता है अथवा जब कभी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता हैं, ऐसे मौकों पर भी उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और यदि पति को अनुमति दी जाती है तो पत्नी को अनुमति नहीं दी जाती, और यदि पत्नी को अनुमति दी जाती है, तो पति को अनुमति नहीं दी जाती है। हमारी सरकार पाकिस्तान के प्रति उपयुक्त रुख अपना रही है। हमारा दूतावास प्रत्येक उस व्यक्ति को मानवीय आधार पर अनुमति दे रहा है जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है। परन्तु पाकिस्तानी हमारे नागरिकों को मानवीय आधार पर भी पाकिस्तान का दौरा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और में विदेश मंत्रालय का ध्यान उस तिरस्कार की ओर दिलाना चाहूंगा जो हमारे नागरिकों को पाकिस्तानी दूतावास के द्वारा सहन करना पड़ता है। उन्हें गालियां दी जाती हैं। उन्हें कभी-कभी पाकिस्तानी दूतावास में अहाते में पीटा जाता है। उनके कर्मचारी भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कृपया इस समस्या का कोई समाधान निकालें। हमारे भारतीय नागरिक बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। परन्तु इस देश के साथ तुच्छ पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा जो यह भी नहीं जानते कि सभ्यता क्या है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वे यह नहीं जानते कि विदेशी नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय। कृपया इस मामले पर कोई कार्यवाही करें। मैं पिछले दो वर्षों से इस सम्बन्ध में अनुरोध करता चला आ रहा हूँ। कृपया यह देखें कि कम से कम भारतीय नागरिकों का पाकिस्तानी दूतावास के द्वार पर पाकिस्तानी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपमान न हो।

जहां तक चीन की सम्बन्ध है, हमारी सरकार ने चीन सरकार से बातचीत आरम्भ कर दी है। यह हमारी सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार हमारी प्रधान मंत्री और विदेश मत्री के नेतृत्व में, सरकार से कोई चूक नहीं हुई है।

वाजपेयी जी बिना किसी तैयारी के चीन गए। चीन सरकार से निमन्त्रण मिलने पर वे इतने भाव-विभोर हो गए कि, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर बिना विचार किए वे चीन गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि न केवल वाजपेयी जी का ही तिरस्कार किया गया अपितु, हमारे सारे देश का, सारे राष्ट्र का चीन में तिरस्कार किया गया।

हमें कम से कम चीन के कदमों की जानकारी होनी चाहिए। हमें उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए, क्या भारत के प्रति चीन के रुख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है अथवा नहीं। हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए।

अधिकारी-स्तर का एक दल पीकिंग में स्थिति का अध्ययन करने गया है, और यदि चीन के रुख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, मेरे विचार से एशिया की इन महान शक्तियों को बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं विदेश मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस बातचीत के दौरान हमारे राष्ट्रीय हितों को सदैव ध्यान में रखा जाए।

चीन ने हमारी भूमि छीनी है। जिस भूमि पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उसे वापिस लेने के लिए इस महान सदन ने एक संकल्प पारित किया था, यह भूमि वापिस ली जानी चाहिए। जहां तक भारत-चीन सम्बन्धों का सम्बन्ध है उस समस्त भूमि को वापिस लिए बिना, कोई भी लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री लंका के बारे में, हम सभी जानते हैं और मैं श्री जेठमलानी की इस बात से सहमत हूं कि श्री लंका में भारतीय तमिलभाषी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथी ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारी सरकार को इस मामले पर बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। केवल इससे ही काम नहीं चलेगा कि हम अपना रोष श्री लंका तक पहुंचा दें। अपितु कुटनीतिक मार्ग से अथवा बातचीत से अथवा किसी भी अन्य तरीके से हमारी सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए कि श्री लंका में बसे भारतीय तमिलभाषियो को कोई नुकसान न हो।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को उनकी विदेश नीति के लिए बधाई देता हूं जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : महोदय, कई वर्षों से इस देश में यह आम धारणा है— मेरे विचार से कुछ एक को छोड़कर जो कि बहके हुए हैं—भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रहीं विदेश नीति के समर्थन में देश में मतैक्य है, और इस नीति के पक्ष में जाने वाले पहलुओं के समर्थन में मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इससे सभी भली-भांति परिचित हैं और जो,

मेरे विचार से, इस देश के हित में ही है और जिनका समर्थन करने में हमने कभी संकोच नहीं किया है। परन्तु, मेरे विचार से, आज विश्व की स्थिति, जिसमें हमारे पड़ोसी देशों में विधान स्थिति भी शामिल है, बहुत ही गम्भीर है, बहुत ही खतरनाक है, हमारी सरकार को किसी भी प्रकार की ढुलमुल या अस्पष्ट नीति नहीं अपनानी चाहिए। खतरे की सीमा और परमाणु युद्धारम्भ के बारे में यहां पर दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा काफी कुछ कहा जा चुका है, और मैं उस पर समय नहीं गंवाना चाहता। यह एक ऐसी बात नहीं है जो केवल शब्दों तक ही सीमित है अपितु यह एक ऐसी चीज है जो कि अब वास्तव में एक कटु सत्य बन चुकी है, जैसा कि प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है, यह पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देशों में करोड़ों लोगों को सड़कों पर अभूतपूर्व प्रदर्शनों के लिए ले आई है, अर्थात् इन देशों में लोग जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से गुजर चुके हैं और जो यह जानते हैं कि अपने शहरों और घरों को बर्बाद करने का क्या अर्थ है। इन में से एक देश, यद्यपि यह पश्चिमी यूरोप का नहीं है—परन्तु इसे आसानी से याद रखा जा सकता है—सोवियत संघ है, जिसके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 करोड़ व्यक्ति मारे गए। और कोई अन्य देश नहीं है जो इस सीमा तक भारी विनाश और नुकसान उठा सकता जितना कि 1941 से लेकर 1944 तक सोवियत संघ को उठाना पड़ा है। सौभाग्य से—मैं 'सौभाग्य से' इस लिए कह रहा हूं क्योंकि उनका बहुत बड़ा दुश्मन भी उनका इतना बड़ा नुकसान नही चाहेगा—अमरीका के लोगों को भी अपने घर में और अपने सिर पर सीधे उस प्रकार के युद्ध की प्राथमिक विभीषिका अनुभव करने का कोई अवसर नहीं मिला है। इसलिए, जब हम शान्ति के लिए कार्य कर रही कुछ ताकतों तथा कुछ ऐसी ताकतों जो युद्ध जैसा वातावरण बनाने युद्ध में अधिक रुचि रखती है, दो बात करते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिमी यूरोप का एक आम आदमी, उसकी कूटनीतिक विचार-धारा कोई भी हो, उसका दल अथवा वह किसी धर्म को मानने वाला हो, कम से कम अब पश्चिमी यूरोप की प्रत्येक राजधानी में प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। श्री रीगन के अनुसार, यदि वे अपना प्रथम परमाणू अस्त्र छोड़ें, तो सोवियत संघ का सफाया किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि इन शब्दों से पश्चिमी यूरोप के लोगों को क्या प्रसन्नता मिलती है क्योंकि वे जानते हैं कि, परमाणु युद्ध के आरम्भ होने पर, सोवियत संघ का चाहे कुछ भी हो, अथवा सोवियत संघ के विभिन्न नगरों में कुछ भी हो, पश्चिमी यूरोप के प्रमुख नगरों की जो दशा होगी, उनका यह लोग अनुमान भी नहीं लगाना चाहेंगे। यह एक खतरनाक वातावरण है, एक खतरनाक स्थिति, उत्पन्न हो गई है। अपनी सरकार की मैं यह आलोचना करता हूं कि, कई बार, वे इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि वे अपने आपको सम्पूर्ण विश्व में जो संकट उभरा है और हमारे अपने सुरक्षा वातावरण में जो कुछ घटित हुआ है उससे, विश्व की जो नीतियां लागू की जा रही हैं, उससे अलग कर रहे हों—जैसे कि इसका उनसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। मैं नहीं सोचता कि इन समस्याओं पर विचार करने के लिए यह बहुत ही उचित तरीका है और बहुत ही समेकित तरीका है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : हम दूसरा पक्ष भूले नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन मसलों पर आज हमारी नीति बहुत ही स्पष्ट और स्वतन्त्र रूप से घोषित की जानी चाहिए।

इससे पहले कि उनमें से एक या दो पर मैं बात शुरू करूं, हाल ही में एक घटना घटी है। केवल एक यही कारण है यद्यपि यह एक विश्वव्यापी तत्व नहीं है, परन्तु यह भारत में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, हाल की वह घटना जिसका मैं यह दिखाने के लिए उल्लेख करना चाहता था कि किस तरह से यह ढुल-मुल, संकोच और अस्पष्ट नीति हमारी सरकार के पक्ष को प्रभावित करती है। एयर इण्डिया के एक विमान सैशल्स से अपहरण कर उसे वापिस सैशल्स लाया गया। फिर बाद में इस बात का पता चला कि सशस्त्र भाड़े के सैनिक जो दक्षिणी अफ्रीका से आए थे और जिनकी भर्ती दक्षिणी अफ्रीका में की गई थी, सैशल्स सरकार के विरुद्ध बगावत करने का प्रयत्न कर रहे थे। वह बगावत, यद्यपि, असफल हो गई, यह प्रारम्भिक थी। विमान को उड़ाकर दक्षिणी अफ्रीका डर्बन ले जाया गया, बाद में उस विमान को मुक्त किया गया और यात्री तथा विमान के कर्मचारी हमारे देश में सकुशल आ सके। यदि आप हमारे समाचार माध्यमों के महत्वपूर्ण भाग में इसकी प्रतिक्रिया देखें, न केवल गैर-सरकारी माध्यम क्योंकि शायद उस पर मंत्री जी का कोई नियन्त्रण नहीं है. यहां तक सरकारी माध्यमों में भी सैशल्स, जो कि हिन्द-महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है और जिसके साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध हैं, की सरकार का भाड़े के कुछ सैनिकों द्वारा तख्ता पलटने की इस कोशिश के खिलाफ भर्त्सना का एक भी शब्द नहीं कहा गया। उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है माध्यमों में रेडियो पर, और दूरदर्शन पर विमान और विमान कर्मचारियों तथा यात्रियों को इतनी शीघ्र मुक्त करके दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने जो सद्भावना प्रदर्शित की है उन समाचारों की भरमार थी—जैसे कि हम पर उन्होंने कोई एहसान किया है। वास्तव में वे कुछ और नहीं कर सकते थे क्योंकि ये भाड़े के उनके अपने सैनिक थे, उनके अपने देश मे भाड़े के सैनिक भर्ती किए गए थे और जिन्हें वहां पर सैनिक बगावत करने के लिए भेजा गया था। उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

मैं माननीय मंत्री जी को उनके ध्यान के लिए यह स्मरण करवाना चाहूंगा कि 8 जनवरी, 1982 को साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका दिल्ली में भी एक कार्यालय है, अपनी संस्थापना की 70वीं जयंती मनाने जा रहा है। केवल दक्षिणी अफ्रीका के लोग ही नहीं अपितु अन्य सभी अफ्रीकी देशों के लोग जो कि सदैव भारत की ओर समर्थन तथा नेतृत्व के लिए देखते रहे हैं, उनमें से अधिकांश-को, यह आश्चर्य हो रहा है और मुझे बताया गया है कि दिल्ली स्थिति कई अफ्रीकी कूटनीतिज्ञों ने इस आश्चर्य व्यक्त किया है कि दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने हमारे विमान को रिहा कर जो कुछ किया है उसके बारे में हमारे माध्यमों में केवल इस प्रकार के ही समाचार क्यों दिये। एयर इण्डिया के चेयरमेन, श्री रघुराज ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहा है कि वे इस बात से इतने प्रसन्न हैं कि ये भाड़े के सैनिक जिन्होंने विमान के भण्डार ग्रह से शराब आदि बाहर निकाली है और अपनी सहायता की है, को वास्तव में इस शराब की कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने अंग्रेजों की पुरानी पक्के साहिब वाली परम्परा में एक वक्तव्य दिया है। परन्तु इस सारे कांड के बारे में जो हिन्द महासागर में होने जा रहा था, एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में हो रहे सम्पूर्ण आंदोलन के साथ हमारे लम्बी अवधि के, पारम्परिक और एतिहासिक सम्बन्ध हैं। ऐसे मौकों पर हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए।

मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं है और मैं नहीं जानता कि अन्य सदस्य इस बारे में क्या सोचते हैं। किन बातों के कारण हमारी सरकार ने अन्ततः उन क्रिकेट खिलाड़ियों को यहां आने की अमुमति दी है जो यहां पर आए हैं तथा जिनको दक्षिण अफ्रीका में खेलने के कारण काली सूची में रखा गया था ? यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है और लोग कहते हैं कि इन बातों से खेलकूद में नही आने देना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि अफ्रीकियों के लिये बहुत ही नाजुक मामले हैं और इस मामले पर कई दिन से यहां पर विचार किया जा रहा था कि क्या इन क्रिकेट खिलाड़ियों को—मिस्टर बायकाट तथा मिस्टर गूच को अपनी टीम के साथ यहां पर आन की मंजूरी दी जाये अथवा नहीं। अन्त में मंजूरी दी गई। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार दी गई—इससे कम मुझे नहीं पता। एक अस्पष्ट सी बात कही गई कि किसी ने एक वक्तव्य जारी किया था, कुछ खिलाड़ियों न एक वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया कि वे रंगभेद से घृणा करते हैं तथा इस प्रकार की अन्य बातें। मैं नहीं जानता कि क्या इससे वे भविष्य में वहां जाने तथा क्रिकेट खेल कर पैसा कमाने से मना किये जा सकेंगे। परन्तु यह एक अलग मामला है। मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। मेरी बात तो केवल इतनी है कि हमारे अपने हित में दक्षिण अफ्रीकी लोगों तथा अफ्रीका के अन्य लोगों की आंखों के सामने हमारी छवि किसी प्रकार से कलुषित नहीं होनी चाहिये। शैराल्स की यह सारी घटना, सत्ता पर अधिकार का कथित प्रयास तथा जिस तरीके से हमें इससे प्रसन्नता हुई तथा दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा विमान में उनको पेय अपने खर्चे पर देने के बाद बहुत सी अच्छे ढंग से हमारे विमान तथा हमारे यात्रियों एवं हमारे विमान कर्मचारियों को छोड़ा गया तथा उनके अपहरणकर्त्ताओं को छोडा गया—क्या वे हमसे इस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा करते हैं। मैं नहीं जानता।

मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन बातों पर विचार करें तथा भविष्य में दो परस्पर विरोधी बातों से सतर्क रहें। बहुत मास पूर्व हम इस सदन में रंगभेद विरोधी विधेयक पर विचार कर रहे थे और मैं पहला व्यक्ति था जिसने यह प्रश्न उठाया था। क्रिकेट की टीम को आना है। कृपया इस पर अभी से विचार किया जाये कि आप इस बारे में क्या करने वाले हैं। खैर हमारा काम करने का अपना तरीका है। जो कुछ हो गया, हो गया।

अब इस प्रश्न के बारे में जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तार में अनेक बातें उठाई गई हैं अर्थात पाकिस्तान को शस्त्र दिया जाना तथा पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को बढ़ाया जाना, मुझे वास्तव में अधिक कुछ नहीं कहना क्योंकि श्री जेठमलानी के अतिरिक्त यहां पर उपस्थित सभी लोगों का यह विचार है कि ये शस्त्र, आक्रमक शस्त्र भारत के अतिरिक्त अन्य किसी और के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाये जा सकते। उन्होंने उस बारे में कथित अनाक्रमण समझौते की बात की। यद्यपि मैं सरकार के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि यह एक धोखा है। इस बारे में कोई शक नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप एक ओर सैनिक बल बढ़ाते जाएं और उसके साथ ही साथ अनाक्रमण समझौते की बात करें। मैं यह समझता हूं कि इस देश में जनमत को पर्याप्त शिक्षित नहीं किया गया और हमारे पक्ष के बारे में जागरूक नहीं किया गया क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग यह कहते हैं कि यदि वे आक्रमण समझौते की बात करते हैं तो इसमें गल्त बात क्या है।

सरकार इसकी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करे। यदि हम वास्तव में अनाक्रमण समझौता कर लें तो उसमें क्या नुकसान है। प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रधान मंत्री अथवा श्री नरसिम्हा राव की तरह कुशाग्र बुद्धि नहीं हैं। इस देश में आम लोगों में बहुत बड़ी मुसलमान जनसंख्या है और मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत से मुसलमानों में यह प्रचार किया जा रहा है कि जिया-उल-हक का अनाक्रमण की पेशकश है और श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह सरकार यह कहकर कि दोनों देशों के बीच झगड़ा होगा, उस प्रकार की स्थिति पैदा कर रही है। लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इसके पीछे जो बातें हैं जनता को वह बताये। मुझे प्रसन्नता है कि हाल ही में सरकार ने कहा है कि वह अपनी मूल पेशकश पर स्थिर है जो बहुत समय पूर्व की गई थी। परन्तु विवादों को द्विपक्षीय रूप से निपटाये जाने के आधार पर, शिमला समझौते के समय इस बात पर चर्चा की गई थी। कश्मीर का प्रश्न और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से उठाये जाने की आवश्यकता नहीं है। मामला निपटाया जा सकता था। परन्तु जहां तक हमारी सशस्त्र सैनिकों से दृढ़ करने की बात है, मुझे प्रसन्नता है कि कुछ अन्य सदस्यों ने भी देखा होगा कि जनरल हकने ने स्वयं यह कहा था कि सोवियत सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि उनके पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कुविचार नहीं हैं। जनरल जिया ने कहा था कि उनको इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। तब सैन्य-बल बढ़ाने की क्या आवश्यकता? मैं संक्षेप में यह उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना हमेशा ठीक रहता है। मैं दो-तीन उद्धरण दे रहा हूं जो पहले से ही प्रकाशित हैं। ये अमरीकी एकादस द्वारा प्रचारित औपचारिक तथ्य हैं। वे इस बारे में बहुत कुशल हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वे ब्यौरे में यह बात हमें बताते हैं। 31 जुलाई को अमरीका के विदेश मंत्री मिस्टर एलैग्जेंडर हैग ने सीने आर्म्स सर्विसेज कमेटी के समक्ष गवाही देते हुए कहा था कि एक बात यह कही। मैं उसका उद्धरण दे रहा हूं :

हम दक्षिण-पश्चिम एशिया में अपने मित्रों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हम विश्वसनीय तथा योग्य साझेदार हैं और उनके क्षेत्र में उनकी साझेदारी में अपने हितों की रक्षा के प्रति गंभीर हैं।

हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक विद्यमानता, पकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंध सुधारने के हमारे प्रयास और दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिये प्रायः बढ़ी हुई सुरक्षा सहायता बजट के लिये अनुरोध इसके उदाहरण हैं।

अतः अमरीकन जिस ढंग से उसे देख रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। 26 अगस्त को इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में भारत आगमन पर मैं अमरीकी राजदूत जीन जे० किरक-पैट्रिक ने अपना भाषण दिया। जो कुछ उन्होंने कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनके भाषण का उद्धरण देता हूं :

"हमारा विश्वास है और अब हम जानते हैं कि पिछले भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की अवधि में भारत के सैनिक बल में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है और भारत आज विश्व की एक प्रमुख सैनिक शक्ति है। मेरा विचार है कि यह अनुमान है कि भारत विश्व में सैनिक बल की

दृष्टि से चौथे स्थान पर है। हमारा यह अनुमान है कि हम पाकिस्तान को जो भी हथियार बेचेंगे तो उससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और इसी कारण इस नीति का पालन कर रहे हैं। वास्तव में हम समझते हैं कि हम अस्थिरता के स्थान पर स्थिरता पैदा कर रहे हैं। यह हमारी नीति की कल्पना है।"

अतः इसके लिए वे पाकिस्तान को शस्त्र दे रहे हैं क्योंकि उनका विचार है कि आज असन्तुलन है। स्पष्ट है कि वे जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि आज यहां पर सैनिक असन्तुलन है। पश्चिम यूरोप में वे असन्तुलन की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि रूसी शक्ति सर्वोच्च है और इसके लिए उन्हें इसे सुदृढ़ करना है। सुझाव यह है कि भारत पाकिस्तान से बहुत प्रवर स्थिति में है। इसलिए पाकिस्तान को शस्त्र देकर इस असन्तुलन को दूर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : जनरल जिया भी यही बात कर रहे हैं...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्वाभाविक है। इससे उनको सहायता मिल रही है। यह बात उनके हित की है जिससे उन्हें वे वस्तुएं मिल रही हैं जो उनको अन्यथा न मिल पातीं।

उसी प्रेस सम्मेलन में श्रीमती किरकपैट्रिक ने यह कहा है कि मेरा विचार है कि किसी ने उसका यह उल्लेख किया था। हमने इतनी लम्बी अवधि के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ 5000 करोड़ के ऋण का समझौता किया है। परन्तु मिसेज किरकपैट्रिक के अनुसार जो भारत को कुछ "लोकतांत्रिक सफलता कहानियां" सीखनी चाहियें, किन की कहानियां—सिंगापुर, ताईवान दक्षिण कोरिया, हांगकांग, हमें उनसे सीखना चाहिए। और हमें क्या सीखना चाहिये। मैं उद्धृत करता हूं :

"उन देशों का बहुत तेजी से विकास हुआ है और उन्होंने जो विकास प्राप्त किया है वह स्वयं उनको बनाए रखने के लिए काफी है। उन्होंने औद्योगीकृत पश्चिम के साथ सहयोग किया और निकट सहयोग तथा आपसी लाभ पर आधारित साझेदारी की। बन्दी लोगों पर आदेशात्मक अर्थव्यवस्था लागू करने के स्थान पर उन्होंने बाजार शक्तियों, स्वतन्त्र व्यापार तथा वैयक्तिक पहल पर बल दिया। जबकि उन्होंने राज्य को···

अर्थात हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की तरह—आर्थिक विकास का वाहन बनाना चाहा, उन्होंने निगमों तथा व्यक्तियों, दोनों को कर रियायतों के द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया"।

इस प्रकार यह दर्शन शास्त्र जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का भी दर्शनवाद है, उसको हमने अब 5000 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए दान किया है। मैं अंत में एक और उद्धरण देना चाहता हूं। यह उद्धरण जेम्स जे० बकले, अन्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट फार सिक्योरिटी असिटेन्स का है। वह अमरीकी कांग्रेस की एक ओर समिति के सामने 16 सितम्बर को बोल रहे थे। कुछ आलोचकों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की प्रस्तावित विक्री के कारण इस उप-महाद्वीप में आरंभ शस्त्र दौड़ आरंभ होने की संभावना व्यक्त किये जाने का उल्लेख किये जाने पर उन्होंने कहा:

"ये संभावनाएं विश्लेषण पर ठीक नहीं उतरतीं। भारत के पास बहुत बड़ी, बहुत सुसज्जित, प्रशिक्षित सेना है जो इसे वायु तथा थल पर पाकिस्तान से निश्चित रूप से अग्रणी बनाती है भारत के पास इस समय बड़ी संख्या में जो सुधरे विमान हैं तथा इसे जो अमरीका एवं ब्रिटेन से प्राप्त होने हैं उनके साथ 6 वर्ष बाद यह पाकिस्तान से फिर भी आगे ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान को 40 एफ-16 विमान प्राप्त भी हो जायें। वास्तव में, आधुनिक लड़ाकू विमानों की वृद्धि में यह देश 6 से 1 की तुलना में पाकिस्तान से आगे होगा।

यह कठोर तथ्य इसकी संभावना को दूर करने के लिए प्रर्याप्त होना चाहिए कि हम जो उपकरण पाकिस्तान को देंगे उनसे उप-महाद्वीप पर शक्ति सन्तुलन अस्थिर हो जाएगा।

हमारे मित्र, एलैग्जेन्डर हैग ने जो 4-5 दिन में इस देश के दौरे पर आने वाले हैं, अमरीकी विदेश नीति लक्षयों के बारे में अपनी गवाही में कहा है :

"पाकिस्तान का जो रूस और खाडी के बीच स्थित है, सुरक्षा सहायता हमेशा महत्वपूर्ण रही है। अफगानिस्तान के आक्रमण ने पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा की अगली पंक्ति पर ला दिया है। इन दवाबों के बावजूद पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा इस्लामी सम्मेलन में हमले की हिम्मत के साथ निन्दा करने में पीछे नहीं रहा है। न पाकिस्तान इसके कारण अमरीकी के साथ नए सम्बन्ध बनाने में रुका है। वास्तव में, राष्ट्रपति जिया अपने वश में अमरीकी के साथ गए सिरे से सम्बन्ध बनाने का जन आन्दोलन स्वयं तेजी से चलाया है। हमें यह दिखना होगा कि यह विश्वास गल्त नहीं है।

मैं समझता हूं कि यह उद्धरण पर्याप्त है। मैं इस बात को दिखाने के लिए अन्य अनेक उद्धरण दे सकता हूं कि इस देश में चिंता निराधार नहीं है। पाकिस्तान सरकार जो करने को चुने हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वह सैनिक शासन है परन्तु यह नितान्त स्पष्ट है कि अमरीकी वहां पर क्या चाहते हैं और उन्होंने यह सिद्धान्त बनाया है कि भारत सैनिक मामलों में पाकिस्तान से पहले ही आगे है इसलिए सन्तुलन को ठीक किया जाना चाहिए और पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह रूसियों के विरुद्ध लड़ने अथवा अफगानिस्तान के बचाव की कोशिश का प्रश्न नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा नहीं चाहता। मैं इस बारे में आपको आश्वासन दे सकता हूं। पिछले महीने मैं कुछ दिन के लिए वहां पर था और मुझे अनेकों अफगान नेताओं और सरकार के लोगों से बात करने का अवसर मिला था और मैंने उनसे पूछा "क्या आप यह नहीं समझते कि स्वयं आपकी समस्त सेनाएं, अफगानी समस्त सेनाएं और सशस्त्र मिलिशिया—उनके कारखानों, गावों आदि में अब सशस्त्र मिलिशिया है, सीमा पर के घुसपैठियों का सामना करने में समर्थ हैं, और उन्होंने मुझे बताया था और श्री करमाल, जिनके साथ मैंने कुछ मिनट बातचीत की थी, ने भी मुझे बताया था जी हां, हम उनके साथ निपटने में समर्थ हैं। इस पर मैंने कहा, "ऐसी स्थिति में आप अपने सोवियत मित्रों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आप उनसे छोड़ने के लिए कह सकते हैं।" और उन्होंने कहा, "जी हां, हम उन्हें छोड़ने के लिए कह सकते हैं और उन्होंने कहा, "निजी तौर पर यदि आप पूछते हैं तो मेरे विचार से वे छोड़ने पर बहुत प्रसन्न

होंगे क्योंकि उनकी सहायता नहीं की जा रही है। यह श्री जिया-उल-हक की सहायता कर रही है, यह अमरीकी वासियों और अन्य लोगों की सहायता कर रही है जिसके पास अच्छा प्रचार का लाभ है। और इस प्रचार लाभ के कारण वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं और वे चाहते हैं कि वे रुके रहें ताकि वे इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार को करते रहें। लेकिन उन्होंने कहा—"मान लीजिए हम उनसे अनुरोध करते हैं और वे चले जाते हैं तो हमें कौन गारंटी देगा कि इसके बाद हमारे देश पर बमबारी और आक्रमण नहीं किया जायेगा। सीमा के पार 80 प्रशिक्षण शिविर हैं। हमें जलालबाद के निकट पर्वत की चोटी से इन्हें दर्शाया गया था और आप नदी की दूसरी ओर पर इन शिविरों को देख सकते हैं और गुलाबुद्दीन जैसे व्यक्ति जो काफी अर्से से अफगानिस्तान से भाग गए हैं और अब पेशावर में रह रहे हैं तथा नायट क्लबों में जाते हैं और अमरीका की बड़ी गाड़ियों में सैर-सपाटा करते हैं और धन को लटाते हैं तथा जिन्हें कथाकथित विद्रोहियों का नेता माना गया है उन्होंने कहा—यदि हमला होता है तो क्या होगा ? यदि हम पर बमबारी होती है तो क्या होगा ? हमें सोवियत संघ की सेनाओं को दोबारा बुलाना पड़ेगा और वापस लौट जाने के बाद उन्हें दोबारा वापस आना पड़ेगा और तब युद्ध होगा। यह ऐसी बात है जिस पर हमें लगभग बीस बार विचार करना पड़ेगा। अतः जो कुछ कहा जा रहा है, बिलकुल ठीक है। इस बारे में समझौता होना चाहिए। निश्चित रूप से इन सेनाओं का हटा लेना चाहिए, इन्हें हटाना पड़ेगा और इन्हें अवश्य हटाना चाहिए जिस प्रकार हमारी सेनाओं को बंगलादेश से हटाना पड़ा था। हम वहां पर पूर्णतया अच्छे उद्देश्य से गये थे लेकिन आप जानते हैं कि बाद में वहां पर लोगों का स्वागत किस प्रकार हुआ था। हम वहां पर सरकार के अनुरोध पर गये थे, एक ऐसी सरकार जो उस समय बंगलादेश की धरती पर बिलकुल आधारित नहीं थी और यह बंगलादेश से बाहर कहीं आधारित थी लेकिन हम वहां पर गये थे क्योंकि यह एक अच्छा कारण था लेकिन हमें अपनी सेनायें हटानी पड़ी थीं और हमने इन्हें हटाया था। अतः इन्हें भी हटाना पड़ेगा, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए स्थितियां पैदा करनी पड़ेगी और मेरे विचार से हमारी सरकार और प्रधान मंत्री ने इस बारे में एक उचित दृष्टिकोण अपनाया था क्योंकि ज्यादा सयय पूर्व नहीं जब अफगान के विदेश मंत्री दोस्त मुहम्मद द्वारा दिल्ली में प्रस्ताव लाये गये थे। जिसमें उन्होंने कहा था—हम संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईरान, पाकिस्तान और किसी भी अन्य देश के साथ किसी समय बैठने और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें मिलकर बैठना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि किस प्रकार ऐसी स्थितियां पैदा की जा सकती हैं ताकि सोवियत संघ की सेनाओं को हटाया जा सके।

कोई भी उनमें नहीं चाहता कि वे वहां पर रहें। हम और आप भी यह नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान की जनता और सरकार दोनों ही हमारे देश के प्रति मित्रता रखते हैं। यह विरोधी अफगानिस्तान नहीं है और न ही पाकिस्तान के समान एक अन्य सैनिक अड्डा है जिस भारत के खिलाफ निर्देश दिया गया है। हम नहीं चाहते कि ऐसा देश किसी विदेशी आक्रमण के खतरे पर छोड़ दिया जाये। इस बारे में हमें संतुलित रवैया अपनाना चाहिए। सरकार को अन्य मसलों के बारे में, जो पूरी तरह से स्पष्ट हैं, ढुलमुल नीति नहीं अपनानी चाहिए। वे महाशक्तियों को प्रति-

द्वन्द्विता के बारे में बातचीत करते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि उस प्रस्ताव को, जिससे हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाया जाना था, किसने बेकार कर दिया था ? इस वर्ष के प्रारम्भ में श्रीलंका में आयोजित होने वाले सम्मेलन को किसने निष्फल बना दिया था ? क्या यह सोवियत संघ था ? आज के समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा था कि श्री राव ने कलमिस्र के विदेश मत्री को आश्वासन दिया है कि भारत पूरी तरह से अरब के पक्ष का समर्थन करता है और इस क्षेत्र में कभी भी स्थायी शांति नहीं हो सकती है जब तक कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जाता है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन क्या अमरीका इसके लिए राजी है अथवा क्या सोवियत संघ ने फिलिस्तीनी मुक्त संगठन के पक्ष का निरन्तर समर्थन किया है उनके लिए कौन समर्थन करता है ?

इन दिनों हमारे विदेश मंत्रालय से एक नये सिद्धांत का प्रचार किया जा रहा है कि अब विश्व में कई शक्ति केन्द्र हैं और इसलिये भारत को तीसरे विश्व का मार्ग निकालना चाहिये। इसका कुछ लोगों ने यह अर्थ लगाया है कि विश्व के सामने जो भी खतरे हैं उनके बारे में भारत तटस्थ रहे और शान्ति के लिए तथा युद्ध के लिये काम कर रही दोनों ही शक्तियों को विश्व की समस्याओं के लिये जिम्मेदार ठहराये।

सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत अर्थात उनकी संसद ने हमारी संसद सहित विश्व की सभी संसदों से एक अपील की है। मैं नहीं जानता कि इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई है और क्या हम कोई प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। इस समय सोवियत संसद का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में आया हुआ है और वह शीघ्र हमारे संसद सदस्यों को मिलेगा। उन्होंने कुछ ठोस प्रस्तावों के आधार पर समस्त विश्व और पूरे विश्व की संसदों से अपील की है। ये प्रस्ताव बार-बार राष्ट्रपति ब्रेझनेव द्वारा भी किये गये हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ वे कहते हैं, हम उनकी प्रत्येक बात को आवश्यक रूप से स्वीकार करें। क्या यह शांति के प्रति पहल नहीं है ? क्या श्रीमती गांधी ने, कल जब वे श्री कुजनेटसोव का स्वागत कर रही थीं, उनसे नहीं कहा था, जैसा कि आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, कि वह श्री ब्रेझनेव द्वारा उठाये गये शांति के प्रस्तावों को बहुत अधिक महत्व देती हैं और वे पूरी तरह से भारत सरकार की विचारधारा के अनुरूप हैं ? यह उन्होंने श्री कुजनेटसोव से कहा है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय और इसके सभी सरकारी दस्तावेज और वक्तव्य दो बड़ी शक्तियों के बारे में बातचीत करते जायेंगे जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो अत्यन्त खतरनाक है। इस प्रकार की दोतरफा बातचीत का क्या लाभ है ? इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। आपको आशंका है कि यदि आप कुछ ऐसी बात कहते हैं तो आप पर भी श्री राम जेठमलानी और उनके मित्रों द्वारा आरोप लगाया जायेगा कि आप सोवियत संघ की कठपुतली बन गये हैं। किसी भी स्थिति में यदि आप यह दोतरफा बातचीत नहीं करते हैं तो भी आप पर इस बात का आरोप लगाया जायेगा। वह और उनके मित्र आपको दोषी ठहरायेंगे लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिये। आपको केवल इस बात की चिंता करनी चाहिये कि हमारे देश के हित में, हमारी सुरक्षा के हित में और उन देशों के साथ, जो हमारे साथ रहे हैं और सदैव हमारी सहायता की है, हमारी मित्रता के हित मे क्या ठीक है।

आपको उन लोगों को मान्यता देने में भय नहीं होना चाहिये जो ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे देश के हित में नहीं हैं।

अतः मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि सामान्य तौर पर हम सरकार की विदेश नीति का समर्थन करते हैं लेकिन यदा-कदा ये उभयभावी और परिवर्तनशील हैं। जब श्रीमती गांधी पेरिस में गई थीं और श्री मितरां से मिली थीं तो अचानक उन्होंने विभिन्न शिविरों के बीच तटस्थ रहने के मार्ग के इस सिद्धांत को विकसित किया।

कोई नहीं चाहता कि आप किसी के शिविर के अनुयायी बनें। हमें निश्चय ही पहले अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने चाहिये और उनको मद्देनजर रखकर हमें यह हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि किसके कार्यों में हमें सहायता मिल रही है और किसके कार्यों से हमें नुकसान पहुंच रहा है। यह आवश्यक है इसके बिना हम अपनी प्रतिष्ठा को वास्तव में पुनः स्थापित नहीं कर सकेंगे जो मेरे विचार से कुछ वर्ष पूर्व हमें मिली हुई थी। और मैं उनसे अपील करके अपना भाषण समाप्त करता हूं कि सोवियत संघ अथवा अमरीका की तुलना में आस-पास के बहुत छोटे देशों के लोग हमारी ओर देख रहे हैं विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप के अश्वेत लोग। यहां और वहां पर इस प्रकार की लापरवाही वाली थोड़ी सी भावुक कार्यवाही से इस प्रकार उन्हें यदा-कदा भुला नहीं देना है। वे इन मामलों के प्रति बहुत सवेदनशील लोग हैं। 8 जनवरी को दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस की 70वीं जयन्ती पर कम से कम वे अपने संघर्ष के पीछे समर्थन भारत के और भाईचारे का हार्दिक उत्साह महसूस करें। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे भविष्य में अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में अधिक संगत होंगे जो सामान्य तौर पर बिलकुल ठीक हैं और जिसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख): सभापति जी, अब से पहले बहुत सारे मोअज्जिज मेम्बरों ने इन्टरनेशनल सिचुएशन पर अपने ख्यालात जाहिर किए। आज दुनिया कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है कि लगता है कि जल्दी ही कुछ होने वाला है। एटम बम और हाइड्रोजन बम को पीछे छोड़कर आज न्यूट्रान बम की बात चल रही है। इसी का नतीजा है, मैं समझता हूं कि आज योरोप के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जो कि नाटो के एलाइज हैं, लोग खुद-ब-खुद अपने घरों से बाहर आकर, उनको बुलाने वाला कोई नहीं है, उनको भड़काने वाला कोई नहीं है, इस सबके वगैर, आने वाले खतरात के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं।

ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को महसूस हो रहा है कि जब भी कहीं कोई जंग छिड़ेगी तो शायद सबसे पहले तबाही जो होगी वह योरोप में होगी, उसके बाद फिर दूसरे कांटीनेंट में वह फैलेगी। इसी तरह से दूसरे खतरात इंडियन ओसन में बढ़ रहे हैं और हरेक सुपर पावर और उनके एलाइड द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं इंडियन ओसन में उन्हें कोई बेस मिल जाए। कोई अड्डा बनाने का बेस मिल जाए। उसी के साथ साथ वेस्ट एशिया भी जुड़ा हुआ है।

आज जो कुछ हो रहा है वह सब आपके सामने है। इसी कंटेक्स्ट में हमारे सारे कांटीनेंट्स में जंग का खतरा बढ़ रहा है। इसी कांटेक्स्ट में, जैसा कि दूसरे मोअज्जिज मेम्बरों ने भी कहा कि पाकिस्तान आज हर तरह के खतरनाक हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एफ-16 का आपने बहुत कुछ सुना। इसके अलावा और बहुत सारे खतरनाक हथियार वह हासिल कर चुका है। कहा जाता है कि वह जल्दी ही एटम बम भी एक्सप्लोड करने वाला है। यों तो जब एफ-16 हवाई जहाज उनके हाथ में आने से वे कंवीन्स हो गए तब जनरल जिया साहब ने नो-वार पेक्ट का भी ऑफर कर दिया।

लगता यों है कि हाथ में तलवार लेकर कहता है कि हमारी यह ओफर है। वह कन्विस है, एफ-16 भी आ रहे हैं, एटम बम भी जल्द बनाने वाले हैं और हथियार भी बनाने वाले हैं। लगता है कि भारत को किसी भी वक्त अपने काबू में करने या हमें नीचा दिखाने के काबिल हो गये हैं।

इस तरह बहाना तो यह किया जा रहा है कि उन्हें अफगानिस्तान से खतरा है. जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, बहुत सारे मुअज्जिज साथियों ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने का मतलब यही है कि वह सोवियत एशिया के खिलाफ लड़ाई होगी। इसका मतलब कोई भी यह नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान इस काबिल हो गया होगा कि एशिया के खिलाफ एक दिन की भी लड़ाई वह लड़ पाएगा। इसलिये जो भी हथियार, वह जिस ढंग से हासिल कर रहा है, वह साफ अयां है कि वह भारत के खिलाफ हासिल कर रहा है। इससे पहले की तवारीख हमारे सामने समाहित है कि 3 बार पाकिस्तान ने हमारे मुल्क पर हमला किया और हर दफा इसके बावजूद भी कि अमेरिकन हथियार जो उन्होंने हासिल किये, उनके साथ कुछ स्ट्रिंग और एग्रीमैंट है कि वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तेमाल किये।

अब जो एफ-16 और दूसरे हथियार हासिल किये जा रहे हैं, उसके साथ कोई स्ट्रिंग या एग्रीमैंट अटैच नहीं, लिहाजा जब भी उनकी मर्जी आये, वह हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।

इस कांटेक्स्ट में, मैं समझता हूं कि उनका "नो-वार पैक्ट" का जो आफर है, जब वह कंविन्स हो गये कि हम इस काबिल हैं कि भारत के साथ लड़ सकेंगे, तो यह नो-वार पैक्ट ओफर हो रहा है।

मैं जनाब फारेन मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने टाइम एन्ड अगेन, यह साफ कर दिया कि जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, वह शिमला एग्रीमैंट के जो उसूल हैं, उसके मुताबिक होगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेस रिपोर्ट भी हैं कि पाकिस्तान में जो अफगान रिफ्यूजीज हैं, पता नहीं कितने लाख हैं, उनके और लोकल बलोच के दरम्यान शायद काफी अनबन हो गई है क्योंकि जो रिफ्यूजीज वहां पर आ गये हैं तो लोकल लोगों की जो फैसिलिटीज हैं, बाजार में चीजें मंहगी हो गई हैं, खाने-पीने का सामान नहीं मिल रहा है तो उनके दरम्यान जो अनबन हो गई है, कहना है कि कई बार क्लैश भी हो गये हैं तो अब हालत

ऐसे हो गये हैं, सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो गई है कि वहां के लोकल रिजेंटमैंट और लोकल लोगों की तरफ से तवज्जह हटाने के लिये पाकिस्तान कभी भी हमारे खिलाफ कोई एडवेंचर कर सकता है। ऐसी सूरत में मैं जम्मू-काश्मीर का बाशिन्दा होने के नाते, मुझे यह खदशात लग रहे हैं, कि जब भी वह लड़ाई करेंगे, काश्मीर में शुरू करेंगे, जैसे कि अब तक 3 बार पहले कर चुके हैं।

इस सूरत में काश्मीर स्टेट में हालात का नार्मल हो बहुत जरूरी है। आज उस स्टेट के अंदरूनी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वहां पर जितनी भी कम्युनल फोर्सिज हैं, वे एक हो गई हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दि एनिमी आफ दि एनिमी बिकम्ज एक फ्रेंड, वहां पर जितने भी फिर्कापरस्त लोग हैं, जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वे एक होकर वहां के डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सैकुलर पैटर्न को डिसटर्ब करने और वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ताक में बैठा हुआ है। वह हमारी तरह एक पालियामेंटरी डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां एक व्यक्ति की या शख्सी हुकूमत है। जब भी जी चाहे, वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां के हालात को सुधारने की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है। अगर हम ऐसे अंदरूनी अनासिर का वक्त पर नहीं दबाएंगे, जो दबे लफ्जों में अलहदगी की बातें फैला रहे हैं, तो वहां की हालात कभी खराब हो सकती है।

चीन के साथ जो बातचीत चल रही है, उसको हम वेलकम करते हैं। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इन्दिरा गांधी, और हमारे फारेन मिनिस्टर साहब की कदायत में हमारी फारेन पालिसी बहुत कामयाब ढंग से चल रही है। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं—इस उम्मीद पर कि चाइना के साथ बातचीत में, जो आज शुरू हो चुकी होगी, एक रीलेलस्टिक एपरोच अख्त्यार की जाएगी। जो हमारे इलाकों का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस वक्त उस मोजूअ पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। जब एक अच्छे माहौल में यह बातचीत चल रही है, तो हमें उम्मीद है कि एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्टर साहब जल्द ही हमें इस बारे में आगाह करेंगे।

चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन्ज और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में भी बातचीत चल रही है। सेन्चरीज से लद्दाख का तिब्बत और चाइना के साथ बार्डर ट्रेड और बार्टर सिस्टम पर एक्सचेंज होना रहा है। उसके बन्द होने से उनको भी नुकसान हुआ है और भी हमें नुकसान हुआ है। अगर एक अच्छा माहौल पैदा हो जाये, तो कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ एक दो पांयटस के बजाए लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक के सारे बार्डर पर ट्रेड का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए।

पिछले कई महीनों में हमारे दो तीन ग्रुप कैलाश यात्रा करके वहां होकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि यह आइन्दा के लिए भी चालू रहेगा। एक सुझाव मेरा यह भी है कि हमारा जो लद्दाख बार्डर है वहां से भी ऐसे जो यात्री हैं लद्दाख के रहने वाले बौद्धिस्ठ लोग वह भी कैलाश और मानसरोवर को मानते हैं, उनके लिए वहां से बार्डर खोल दिया जाय या यह भी हो सकता

है कि बहुत से हमारे भारत के यात्री लद्दाख के रास्ते भी वहां भेजे जा सकते हैं। उसमें एक बात होगी कि वहां से वेसिकुलर रोड मौजूद है। यहां से बार्डर तक हमारी और उस तरह से उनकी सड़क राइट अप टु कैलाश और मांनसरोवर है जिस पर उनकी गाड़ियां चलती हैं। इस तरह से दस पन्द्रह दिन की जो स्ट्रेनुअस जर्नी है उसको को अवायड किया जा सकता है।

इन चन्द शब्दों के साथ जो फारेन पालिसी हमारी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की लीडरशिप में अपनायी गई है उसका मैं समर्थन करता हूं, वह बहुत कामयाब रही है और हमें ऐसी उम्मीद है कि आइन्दा भी जो बातचीत चल रही है और मौजूदा बातचीत जो खसूसी तौर पर चीन के साथ चल रही है वह कामयाबी के साथ कान्क्लूड होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय हालात पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में हमारे देश की विदेश नीति जो है उसके सम्बन्ध में चर्चा चल रही है है। यह भगवान बुद्ध का देश है जिसने दुनिया को अहिंसा का पैगाम दिया, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और हमें याद आती है पंडित जवाहर लाल नेहरू की उस नीति की कि किसी गुट के साथ हमें नही रहना है, उस नीति और पिछले दिनों के उसके इतिहास की व्याख्या करते हुए अपनी नीति पर हमें गौर करना है, उसे सोचना है। शांति की बात करने वाले, अहिंसा के पुजारी और गुट निरपेक्ष नीति की बात करने वाले इस देश को तीन युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और चौथे युद्ध की बात कभी कभी जब आती है तो हमें यह नजर आता है कि इस देश में हमारी जो विनेश नीति है उस में कहीं न कहीं कोई कमी रही है। उसे अच्छी तरह से या तो हम चला नहीं पाये हैं या समझ नहीं पाये हैं या कोई ऐसा वातावरण तैयार नहीं कर पाये हैं जिसमें हम सफल हो सकें। यहां पर बैठकर हम अपनी विदेश नीति की चर्चा करें और उसमें केवल प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की तारीफ कर दें, केवल इतना कर के हम वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। वास्तविकता कुछ और है। आज इस देश में जो पंडित नेहरू की विदेश नीति थी उसमें और आज की नीति में जमीन आसमान का अन्तर आ गया है। हम अपने को करते हैं कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। लेकिन अगर युद्ध की बात आती है तो हमें मजबूरन बंधना पड़ता है सोवियत यूनियन के साथ और आर्थिक मामलों की बात आती है तो हमें बंधना पड़ता है अमेरिका के साथ हम अपने को स्वतंत्र नहीं पाते। पंडित नेहरू का स्वप्न था, महात्मा गांधी भी चाहते थे और डाक्टर लोहिया ने भी उसकी बहुत लम्बी व्याख्या की थी कि इस देश को ऐसी तटस्थ नीति चाहिए जिससे इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके और हम दुनिया में ऊंचा से ऊंचा आदर पा सकें। लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो सकेगा। आज की स्थिति में जो हमारी विदेश नीति होनी चाहिए थी उस में हम पूर्णतया असफल रहे हैं। हम दुनिया में सनद लेने के लिए और सार्टिफिकेट पाने के लिए घूमें, दौरे करें।

उससे हमारी विदेश नीति की कोई सफलता की घंटी नहीं बजती, कोई ढिंढोरा नहीं पिटता। हमें वास्तविक रूप से सफल नीति चाहिये। क्या हम इतने दिनों में अपने पड़ोसी देशों के

साथ ऐसा मित्रता का हाथ बढ़ा सके हैं जिससे हम गौरव के साथ कह सकें कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसे सम्बन्ध कायम कर रहे हैं ताकि हमारी सुरक्षा को कोई आघात न लगे ? जब पड़ोसियों से सम्बन्ध अच्छे होते हैं तब हमेशा ही शांतिमय जीवन जीने का मौका मिलता है। हमारा पड़ोसी देश जो हमारे ही हिस्से से बना, हमारे ही भाई वहां गये और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान भी बना, लेकिन दुर्भाग्य से उससे दो युद्ध लड़ने पड़े और तीसरा युद्ध करने की भी बात सोचते हैं। आज सरकार को कोई हिचक नहीं होनी चाहिये इसमें अगर पाकिस्तान आज इस बात के लिये हमसे गारन्टी चाहता है और अगर दोनों देश मिलकर गारन्टी दे दें कि हम एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि एशिया के देशों के लिये एक गौरव की बात ही नहीं होगी, बल्कि जो शक्तियां हमको आपस में लड़ाना चाहती हैं उनकी इस कुचेष्टा को असफल करने में हम बहुत हद तक कामयाब होंगे। अत: हमको इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। केवल पाकिस्तान से ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात नहीं है, चाहे चीन, बांगलादेश, लंका, या बर्मा हो या नेपाल हो, इन सारे देशों के साथ अपनी गहरी-से-गहरी दोस्ती बढ़ानी चाहिये और एक दूसरे के सुख-दुख में साथ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी विदेश नीति की सफलता नहीं होगी और हमारे ऊपर युद्ध के हालात बराबर दूसरे देशों की ओर से थोपे जाएंगे। और अंजाम वही होगा कि कभी हम युद्ध के लिए हथियार खरीदेंगे तो कभी दूसरे देश खरीदेंगे। और इन बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों को तो युद्ध ही चाहिए। अमरीका चाहता है कि युद्ध तो हो, लेकिन उसके देश की सीमा से हजारों मील दूर हो। रूस भी यही चाहता है कि युद्ध दूसरे देश की धरती पर लड़ा जाए। दुनिया के सारे देश यह चाहते हैं कि एशिया के यह देश, जो किसी भी समय आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया का नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं, उनको युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया जाए ताकि इनका भविष्य हमेशा के लिये अंधकारमय हो जाए। एशिया युद्ध का अड्डा न बन सके ऐसा हमें वातावरण बनाना चाहिये। यहां शांति रहे। एशिया को बड़ी-बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ीं। आज अफगानिस्तान में विदेशी सेनाएं हैं इस बारे में हमको दृढ़ आवाज से कहना चाहिए कि उन्हें वहां से हटना चाहिए। एशिया का हर देश स्वतंत्र है, उसकी प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा कहना चाहिए किसी देश में चाहे, किसी अन्य देश की सेनाएं हों, उनको तुरन्त वहां से वापस चला जाना चाहिए। ऐसी हमारी नीति दृढ़ता के साथ होनी चाहिए तभी हमारी विदेश नीति सफल हो सकती है।

जब तक हमारी प्रभावशाली सक्रिय तटस्थता की विदेश नीति नहीं होगी उस समय तक इस देश को और एशिया को युद्ध की भयंकर ज्वाला से नहीं बचा पाएंगे। माना, सम्मान की आप बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन आप देखें कि इंगलैंड में हमारे नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। जो लोग यहां से जाते हैं बीजा, पासपोर्ट पर, उनको कितनी बेइज्जती उठानी पड़ती है, यहां तक कि हमारी माताओं और बहनों को अपमानित किया जाता है। तमिल मूल के लोगों की समस्या का समाधान आज तक श्रीलंका में हम नहीं सुलझा पाए। यह हमारी नीति की असफलता का द्योतक है। हम भारतीयों को जो बाहर रह रहे हैं उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से अरब देशों में भारतीयों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है ? रोज ही इस बारे में अखबारों में हम पढ़ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री को इस पर एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनानी चाहिए। आज हिन्दुस्तान के लोगों को भर्ती

किया जाता है कि उनको वहां काम दिलाया जाएगा, हमारी स्त्रियों, माताओं और बहनों को यहां से झूठे वायदे करके ले जाते हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक होता है, किस तरह से वे अपमानित होते हैं, वहां पर वे किस तरह से रहते हैं, कैसे जिन्दगी बिताते हैं। हो सकता है कि उनको बाहर कुछ जाब्स मिल जाते हों, लेकिन बहुत-सी कम्पनीज ऐसी हैं जो लोगों से पैसा लेकर उनको बाहर भेजने का वायदा तो करती हैं और बाहर ले जाकर छोड़ देती हैं तथा उनका पैसा हजम कर लेती हैं। हमें इस पर भी विशेष रूप से देखना चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों की पासपोर्ट की नीतियां हैं, हमें उनको सुलभ बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं पाकिस्तान के बारे में कह सकता हूं कि यदि एक भाई हिन्दुस्तान में है, तो दूसरा भाई पाकिस्तान में है और बेटी हिन्दुस्तान में है तो बाप पाकिस्तान में है। दोनों के मिलन की बात जब आती है, यदि कोई शादी-विवाह होता है या कोई और उत्सव होता है, तो प्रक्रिया इतनी परेशान करने वाली है, पासपोर्ट-बीजा प्राप्त करने में काफी दिक्कत होती है जिसकी वजह से भाई से भाई का मिलन, बाप से बेटी का मिलन नहीं हो पाता है। कितनी बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, इसलिए हम लोगों के लिए उदार नीति बनानी चाहिए।

जहां तक हमारी अर्थ-व्यवस्था के प्रभाव की बात है, विदेशों की बड़ी शक्तियों के प्रभाव की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि हम स्वीडन की पनडुब्बियां, जो कि सबसे अच्छी पनडुब्बियां मानी जाती हैं, न खरीदकर हम जर्मन से पनडुब्बियां खरीद रहे हैं। यह हमारे राष्ट्र की नीति को दर्शाता है कि हम आजाद नहीं हैं और हम अपनी सुरक्षा के साधन भी अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकते हैं और यहां तक भी सुनने में आया है कि जर्मन से कुछ कमीशन तय करने की बात आई थी। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है, लेकिन ऐसी बात आई थी। इस पर भी सरकार को विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए।

जहां तक हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, हम अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करें कि हम अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल भयमुक्त हो जाएं और इसके लिए भारत को अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ मजबूत मधुर संबंध कायम करने चाहिए। इसके अलावा हम सम्मान की बात करते हैं। पिछले दिनों इण्डोनेशिया से जब हमारी प्रधान मंत्री गुजर रही थीं, तो हमारे साथ क्या सलूक हुआ, कौन-सा सम्मान हमको दिया गया। अमरीका के राष्ट्रपति के साथ हमारे देश की प्रधान मंत्री जाती हैं, तो सेंसर किया जाता है, यह पूरे राष्ट्र का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और हम उसकी बड़े शब्दों में निन्दा भी नहीं कर सकते हैं। हमारी हिम्मत भी नहीं है। आज यू० एन० ओ०, संयुक्त राष्ट्र संघ और लीग आफ नेशन्स ने सोचा था कि दुनिया की एक ऐसी पंचायत होगी, जिसमें सारे मामले आपस में तय होंगे। युद्ध की ज्वाला से हम बच सकेंगे, लेकिन यू० एन० ओ०, जिस पर हमें आशाएं थीं, उसका महत्व बराबर धीरे-धीरे घटता जा रहा है, प्रभाव घटता जा रहा है। जिनको हिन्द महासागर में आना है, अपने अड्डे बनाने है, यू० एन० ओ० कुछ नहीं कर सकता है। दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन यू० एन० ओ० और सिक्योरिटी काउन्सिल कुछ नहीं कर पाता है। हमको यू० एन० ओ०, संयुक्त राष्ट्र संघ और सिक्योरिटी काउन्सिल को मजबूत बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के

लिए, एक्टिव प्रयास करने चाहिए वरना जितना यू० एन० ओ० और सिक्योरिटी काउन्सिल कमजोर होता जाएगा, दुनिया की हालात उतनी ही बिगड़ती जाएगी और दुनिया की शान उतनी की नष्ट होती जाएगी।

अभी आई० एम० एफ० से लोन यानी कर्जे की बात आई, तो हमें बगलें झांकनी पड़ीं कि कहीं अमरीका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल न कर दे, हमें इतना बड़ा कर्जा न मिल पाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो भारत जैसे बड़े देश को भी वीटो पावर का अधिकार मिलना चाहिए और यदि नहीं मिलता है तो हमें पहल करनी चाहिए कि सारे बड़े देशों से वीटो पावर समाप्त हो जाए।

हमें यू० एन० ओ० के अन्दर अपनी भाषा हिन्दी तथा जो हमारी अन्य प्रान्तीय भाषाएं हैं उनके लिए मांग करनी चाहिए। यदि इन भाषाओं के अन्दर भी यू० एन० ओ० की कार्यवाही हो सके, तो हम अपने राष्ट्र को मान-सम्मान दिलवा सकेंगे।

हमारे दूतावासों की स्थिति यह है कि या तो कहीं पर यथेष्ट कर्मचारी या आफिसर्स नहीं हैं और यदि कहीं पर हैं तो मशीनरी ऐसी हैं कि सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता है। कहीं-कहीं तो इतनी कमजोरी दिखलाते है कि देश की नीति का सही रूप में प्रचार ही नहीं कर पाते हैं। नेपाल जैसे देश में हमारा जो दूतावास है उसके बारे में पता चला कि वहां पार्टीबन्दी है। हमारे विदेश मंत्रालय को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दूतावास अधिक सक्रिय हो सकें और ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सकें।

सभापति महोदय, हमारी विदेश नीति तटस्थता के साथ-साथ प्रभावशाली ढंग से, सक्रिय रूप से, इस देश के मान-सम्मान की रक्षा कर सके तथा जो बड़े शक्तिशाली देश हैं हम उनके चंगुल से मुक्त हो सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिये। हम कमजोर देशों के साथ अच्छे से अच्छे सम्बन्ध बनाकर दुनिया के तमाम तटस्थ राष्ट्रों का नेतृत्व कर सकें ताकि हमारा वह प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में विशेष रूप में अंकुश का काम कर सक—ऐसा प्रयास करना चाहिये। मैंने आपकी विदेश नीति की असफलता का उल्लेख करने का प्रयास किया है, जिसके लिए आप दुनिया में सर्टिफिकेट पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सर्टिफिकेट आपको बाहर भले ही मिल जाए, लेकिन देश के हर क्षेत्र में जिस तरह से आप नाकामयाब रहे है, उसी तरह से आपकी विदेश नीति भी असफल रही है।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, आज के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मुख्य आवश्यकता भोजन की है, मानव की भूख को शान्त करने की है, उसको न्यूट्रोन बम नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन् 1980 में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि विकासशील देशों के करीब 80 करोड़ मानव आज भी विषम परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, जहां एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से खाने के लिए भी नहीं मिलता है और 60 करोड़ मानव जो

विकासशील देशों में हैं वे अनपढ़ हैं, प्रौढ़ हैं लेकिन अनपढ़ हैं। आज विश्व के विकसित देशों में, जिनकी आबादी सारे विश्व की आबादी का 15 प्रतिशत हैं वे लोग आज सारे विश्व की 75 प्रतिशत सम्पदा का अकेले उपभोग कर रहे हैं। यही कारण है कि आज विश्व में आर्थिक विषमता छाई हुई है, उसके कारण ही आज विश्व के बहुत से देशों में तनाव है। उस तनाव को दूर करने का यदि कोई साधन हो सकता है तो जैसा विश्व के अर्थ-शास्त्रियों ने अब तक खोजा है—विश्व को एक सूत्र में बांधने के सिर्फ तीन आधार हैं—पहला—व्यापार, दूसरा—ऊर्जा और तीसरा पूंजी-प्रसारण (कैपिटल-इन-फ्लो)। इन तीनों मुद्दों पर यदि विश्व के देश गहराई से नहीं सोचेंगे तो इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। आज विश्व के विभिन्न देशों को तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है—विकसित देश, विकासशील देश और अर्ध-विकसित देश। इस वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए एक नए एप्रोच की जरूरत है, एक नई पहल की जरूरत है और वह है—इन्टरनेशनल इकानामिक आर्डर।

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धन्यवाद देता हूं—उन्होंने विश्व को सबसे पहला सन्देश यह दिया कि आज की आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट-इन-ह्यूमन-बींग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट-इन-फ्यूल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट-इन-आर्म्ज की आवश्यकता नहीं है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यू० एन० ओ० में जितने भी देश थे, वे सारे देश दो वर्ष तक इस आइटम को एजेन्डा पर नहीं रख सके, इस पर सहमत नहीं हो सके कि वास्तव में विकसित देश किस प्रकार से विकासशील देशों की मदद करें। वहां की असफलता के कारण ही, एक सबसे बड़ा प्रयत्न जो नार्थसाऊथ के डाइलोग से जाना जाता है, केनकुन में हुआ और उसमें विश्व के 22 मुल्क इस नतीजे पर आए कि हम आगे चलकर ऐसे कदम उठाएं, जिनसे विकसित देशों को इस बात के लिए मजबूर किया जा कि वे विकासशील देशों को अधिक से अधिक मदद हर क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में कैसे दें, जिससे एक आर्थिक सन्तुलन कायम हो सके। इसके लिए भारत की प्रधान मंत्री, हमारे देश की नेता और हमारी पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी धन्यवाद की पात्र हैं कि जो मसला यू० एन० ओ० में हल नहीं हो सका, उस मसले पर केनकुन कांफ्रेन्स में कुछ सफलता हासिल की, जिसको उन्होंने एक स्टेप फारवर्ड की संज्ञा दी और इस तरह से एक पहल की है। यह आशा की जाती है कि आने वाले यू० एन० ओ० के सेशन में एजेन्डा आइटम पर इस सम्बन्ध हैं कुछ हो सकेगा।

जैसा मैंने पहले कहा है कि एशिया के देशों में जो आर्थिक विषमता है उस आर्थिक विषमता के कारण कुछ ऐसे मुल्क हैं, जो सुपर पावर्स या जो महान् शक्तियां हैं, उनके इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं और उनकी कृपा के लिए लालायित रहते हैं। कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो हमारे पड़ोस में हैं, जहां पर राजनीतिक स्थिरता न होने के कारण और आम आदमियों के वोटों पर सरकार न बनने के कारण येन-केन-प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं और वे अपने देश के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सशक्त हैं, बहुत शक्तिशाली है और इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो एफ-16 पाकिस्तान को देने के लिए पहल की है और जिसके बारे में अभी यह सूचना आई है कि अगले अक्तूबर में

इस तरह के उनको फाइटर्स मिल जाएंगे, उससे एशिया में खासतौर से और विशेष-रूप से हिन्दुस्तान के आम आदमी के दिल व दिमाग में एक भय है, एक आशंका है कि जिस तरह का पिछला इतिहास रहा है, उसी तरह से इन हथियारों का, सेफिस्टीकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हिन्दुस्तान के खिलाफ किया जा सकता है। यह आशंका हिन्दुस्तान के आम आदमी के दिमाग में है और यह आशंका निराधार नहीं है, निर्मूल नहीं है। इसका कुछ आधार है और इस संबंध में मैं अमेरिका के हाऊस रेप्रजेन्टेटिव की तीन सदस्यीय समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसका कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को कहा है कि हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग में जो आशंका है, वह सही है और उसका उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने इस बात को कहा है हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज जो स्थिति पैदा हो गई है, उसका मुख्य कारण हथियार सप्लाई करना है। उन्होंने यह कहा है :

"हाऊस आफ रिप्रेजेन्टिव की विदेशी मामलों संबंधी समिति ने तीन सदस्यों वाला जो दल भेजा था, उसने अपनी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने संबंधी अमरीका के निर्णय से भारत और पाकिस्तान में तनाव में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि भारत को बोध हुआ है कि सामान्य बनाने की इस ढुलमुल प्रक्रिया को अमरीका की एफ-16 संबंधी सैनिक सहायता से ठेस पहुँची है।

अध्ययन दल के अनुसार भारत और पाकिस्तान के संबंधों में इससे जो बिगाड़ आया है, वह सम्भवत: कई वर्ष तक अपना प्रभाव रखेगा।"

हाऊस आफ रेप्रेजेन्टेटिव्ज के मेम्बर यह कहते हैं कि एफ-16 या सोफ़िस्टीकेटेड वेपन्स देने से न केवल आज की स्थिति में बल्कि आने वाले सालों में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे के प्रति बुरी भावना पैदा होने वाली है और हो रही है। उस आशंका को, उस भय को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है।

खुद पाकिस्तान के यहां जो कमेटी फोर डेमोक्रेसी बनी हुई है, उस कमेटी ने भी हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग में जो आशंका है, और सरकार में जो आशंका है, उसका समर्थन किया है और उन्होंने भी यह कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा जो आर्म्स सप्लाई किए जा रहे हैं, उनसे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है और मजबूत नहीं हो रहा है और उसके कारण हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संबंध मधुर नहीं रह सकेंगे। 51 पृष्ठों की जो उनकी रिपोर्ट है, उस रिपोट में इस बात को व्यक्त किया गया है।

"अमरीका के साथ प्रगाढ़ सैनिक संबंध पाकिस्तान में लोकतन्त्र और न्याय की बहाली को रोकेंगे और इससे देश की अखंडता को भी खतरा पैदा हो सकता है"—ये शब्द पाकिस्तान में लोकतन्त्र और न्याय के संबंध में गठित समिति ने 51 पृष्ठ की अपनी उस रिपोर्ट में कही है, जो पाकिस्तान में सैनिक शासन के परिणामस्वरूप मानवीय अधिकारों के कथित हनन से सम्बन्धित है।

"रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सैनिक सहायता ते सशस्त्र सेनाओं के आकार, शक्ति और प्राधिकारों में वृद्धि की है और इसे देश में सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था बना दिया है।

अमरीका द्वारा दिए गए सैनिक प्रशिक्षण ने विशेषज्ञों में किसी भी सामाजिक समस्या के राजनीतिक हल ढूंढने की अभिरुची को समाप्त कर दिया है।"

मैं श्रीमन् यह अर्ज कर रहा था कि केवल हिन्दुस्तान के नागरिकों या लोगों के दिमाग में ही यह बात नहीं है, अमेरिका के लोगों की भी यही धारणा है। इस तरह से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध मधुर बनने की जो संभावना थी वह संभावना अब खत्म होती जा रही है।

श्रीमन् यह खतरा अमेरिका की नीति के कारण पैदा हो रहा है। अमेरिका जो एशिया के अन्य देशों के साथ आज पेक्ट कर रहा है, उससे भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इजराईल तथा दूसरे अन्य मुल्कों के साथ उसने पेक्ट कर रखे हैं और उन्हें हथियार सप्लाई करने से एशिया में शांति को खतरा पैदा होने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्रीमन्, आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और साऊथ एशिया की बाण्डुंग कांफ्रेंस में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके सारे राष्ट्र और संसार को शांति का एक मंत्र दिया था, एक नयी दिशा दी थी। यही नहीं उन्होंने मिश्र के कर्नल नासर और युगोस्लोवाकिया के प्रेजीडेंट टीटो के साथ जिस तरह से संबंध बनाये, जिस तरह की विदेश नीति का सूत्रपात किया, उससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् को एक नयी दिशा मिली।

हिन्दुस्तान हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और शांति एवं अमन के पक्ष में रहा है। आज भी हिन्दुस्तान का सफल नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही हैं। उन्होंने संसार को एक ही संदेश दिया है और वह संदेश यह है कि आज विश्व का मानव भूखा है, वह युद्ध नहीं चाहता है, शांति और अमन चाहता है, वह विकास, तरक्की चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है और इस संबंध में हमारे सभी प्रयत्न होने चाहिएं। अभी हमारे जेठमलानी जी ने पाकिस्तान के हमारे संबंधों के बारे में कहा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रिटेन के इतिहास ने हमें बताया है कि पालिसी आफ अपीजमेंट, जिसे तुष्टीकरण की नीति कहते हैं, उससे कभी भी विदेश नीति कामयाब नहीं होती है। इसलिए हिन्दुस्तान के नागरिकों, लोगों ने कभी भी इस तुष्टीकरण की नीति को पसन्द नहीं किया है। हम भ्रातृभाव चाहते हैं, बराबर का दर्जा चाहते हैं। यह हम केवल एक देश से ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सभी से चाहते हैं। सभी से दोस्ताना ताल्लुक चाहते हैं।

हमारे मौजूदा विदेश मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो पहल की है उनकी जो वार्ता चल रही है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। चीन के साथ हमारा जो व्यवहार रहा है, उसका इतिहास

बताता है कि पंडित नेहरू ने चीन को यू० एन० ओ० में प्रवेश दिलाने के लिए सतत प्रयत्न किये हैं और चीन की मूमेंट का समर्थन किया है। हमारा पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि चीन के साथ हमारे संबंध मधुर हो सकेंगे। दूसरे जो और देश हैं उनके साथ भी हम मधुर संबंध कायम करना चाहते हैं।

हम नान-एलाइनमेंट की, गुटनिरपेक्षता की नीति के सहारे चलते हुए उस नीति को आधार मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस नीति ने यह साबित कर दिया है कि हम विदेश नीति में कितने सफल रहे हैं। यह नीति हमारे देश के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए भी सफल रही है।

आज विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि हम दूसरे देशों के स्टूज हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने जो भी काम किया है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने जो भी कार्य किया है, वह अपने स्वाभिमान को सामने रखते हुए किया है और कोई भी ऐसा कार्य हमने नहीं किया जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में हमारी प्रतिष्ठा में गिरावट आयी हो। हमारी जो विदेश नीति कामयाब है उसके लिए मैं अपनी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और अपने विदेश मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, इस तरफ के माननीय सदस्यों ने हमारी विदेश नीति की दक्षतापूर्ण देखभाल का अत्यधिक गुणगान किया है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि कोई क्षेत्र है, जहां राष्ट्रीय वक्तव्य हो सकता है और जहां यह दो बातों के लिए एकमत है भी, वे हैं देश की सुरक्षा और देश की विदेश नीति।

हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी विदेश-नीति का आधार ठोस है, स्वतन्त्रता की लड़ाई के दौरान और उसके बाद वर्ष प्रतिवर्ष विदेश-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किए जाते रहे हैं। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे विचारों को एक दिशा दी और अपने विदेश-सम्बन्धों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को तैयार करने में एक महान् शुरूआत की। यह तब की बात है, जब हम स्वतन्त्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी कि वे चीन के लिए लड़े और उन्होंने एशिया तथा अफ्रीका के देशों की स्वतन्त्रता के लिए आवाज बुलन्द की। हमारे दिमागों की उलझनों को दूर करने में यह बात अत्याधिक सहायक हुई। जब भारत आजाद हुआ, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ मूलभूल मानदंड, तटस्थता की नीति, दो महाशक्तियों के गुटों के साथ हमारे सम्बन्धों का निर्धारण किया। और जिस ढंग से उन्होंने यह सब व्यक्त किया, उससे वे केवल देश में, बल्कि पूरे विश्व में प्रशंसा के पात्र बने।

इससे भी बढ़कर यह बात थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मे विश्व-शांति की, देशों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द उत्पन्न करने का प्रबल इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने 'पंचशील' नामक

कुछ मूल सिद्धान्तों की उद्घोषणा की इन सिद्धान्तों को एशिया के देशों तथा अन्य देशों ने पर्याप्त समर्थन प्रदान किया ।

इस पृष्ठभूमि पर नज़र रखते हुए हमें यह देखना है कि क्या भारत अपनी विदेश-नीति के सम्बन्ध में आज भी वही रुख अपनाए हुए है । क्या हम पूर्णत: स्वतन्त्र विदेश-नीति का पालन कर रहे हैं ? क्या हम सभी को समान दूरी पर रखने की नीति पर चल रहे हैं ? क्या हम वही रुख अपनाए हुए हैं या केवल उन्हीं शक्तियों अथवा घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, जो पहले घटित होती हैं । यहां मैं पहले कुछ मूलभूत मानदण्डों की बात कर रहा हूं, और इसके बाद मैं कुछ विशेष घटनाओं का जिक्र करूंगा ।

भारत के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भारतीय विदेश नीति में तीन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा । वे प्राथमिकतायें क्या हैं ? ये प्राथमिकतायें हैं : (एक) आन्तरिक प्रगति, (दो) क्षेत्रीय स्थायित्व और (तीन) विश्व शांति तथा शक्तिशाली और पिछड़े देशों के बीच एक ढंग के सम्बन्धों की स्थापना । ये तत्व भारत की विदेश-नीति के मूल मंत्र बने ।

स्पष्टतया, भारतीय विदेश-नीति का बनाना व्यापक रूप से इस बात का निर्धारण करना है कि इन तीन प्रकार के उद्देश्यों के सम्बन्ध में उस समय किस पर कितना बल दिया जाता है, जब देश की विदेश नीति पर विरोधी-दबाव पड़ते हैं । सामान्य रूप से भारतीय विदेश नीति के निर्धारण सम्बन्धी समस्यायों का अध्ययन करने के लिए यह एक उपयोगी वृहत विश्लेषणात्मक ढांचा है । यदि अधिक नहीं, तो यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय विदेश-नीति बनाने संबंधी प्रक्रिया को व्यावहारिक आकार प्रदान किया जाए । बाह्य नसलों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण प्रक्रिया में हमारी विदेश-नीति बनाने वाले लोगों का सुझाव कैसा रहा है, चाहे इसके लिए हमारे देश के गत आचरण को देखते हुए हमारे विकल्प सीमित ही क्यों न हों, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने पहल करने में कितनी ही तेजी क्यों न दिखाई हो, चाहे हम निष्क्रिय और शिथिल रहे हों, चाहे हमने घटित हुए मामलों के सम्बन्ध में नाम-पात्र की ही प्रतिक्रिया क्यों न दिखाई हो ।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय हित में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल सिद्धान्त निम्नलिखित होने चाहिए :

दोनों बड़ी ताकतों के साथ बराबर की दोस्ती, सुरक्षा और विकास के मामले में आत्मनिर्भरता की लम्बे समय तक चलने वाली नीति; और

अपने पड़ोसी देशों के साथ, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की सम्भावनाओं पर विचार ।

यद्यपि यह प्रक्रिया सरल नहीं है और चीन के रवैये को भांपने की कठिनाई को तथा उनके विरोधी दृष्टिकोण को देखते हुए यह आसान काम नहीं है, फिर भी इस समस्यों से घिरे होने पर भी हमने कम्पूचिया के बारे में हमने प्रयास किए और ये सब समस्यायें मार्ग में आईं ।

हमें कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ नए सम्बन्ध जोड़ने के अवसर खोजने चाहिए।

हमें अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की न केवल सुरक्षा क्षमता अपितु निवारक क्षमता बनानी चाहिए।

ये कुछ ऐसी समस्यायें हैं, जो मैंने यहां उठाई हैं और हमें इन समस्याओं के सम्बन्ध में स्वयं चिन्तन करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धित समस्यायों पर विचार करते समय मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बड़ी ताकतों के मुकाबले में हमारी क्या स्थिति है।

आज हम बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा के बीच धकेले जा रहे हैं। हम इसे चाहें अथवा नहीं, हमें धकेला जाता है और वह प्रतिस्पर्धा ऐसी दो महा-शक्तियों के बीच में है, जो एक-दूसरे की दुश्मन हैं।

राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आने के बाद, अमरीकी प्रशासन की नीति से कुछ समस्यायें पैदा हुई हैं। हमें सब बातें नए सिरे से सोचनी हैं। अमरीका की क्या नीति रहती है? वर्तमान सन्दर्भ में इसे 'नियो-कन्टेन्मेंट' नीति के रूप में जाना जाता है। रीगन प्रशासन की विश्व-नीति के लिए आजकल 'नियो-कन्टेनमेंट' नामक पद का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हमे यह बात समझनी होगी कि अमरीका जैसे देश से, जो लोकतन्त्र में विश्वास रखता है और हम भी लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रति समर्पित हैं, हमारे देश के साथ कैसे मन-मुटाव पैदा हो गया। यह एक दु:खद बात है। ऐसा क्यों हुआ? अब, इस समय रीगन प्रशासन का दिमाग 'नियो-कन्टेनमेंट' के बारे में अनुकूल है। अब रीगन प्रशासन की विश्व सम्बन्धी 'नियो-कन्टेनमेंट' नीति यह है कि सोवियत ब्लाक के चारों ओर फोजें रखकर सोवियत यूनियन को सीमित रखा जाए और यह बात उनकी विदेश नीति और सैनिक नीति का केन्द्र बिन्दु हैं। अपने चुनाव अनियान में राष्ट्रपति रीगन ने अमरीका की सैनिक शक्ति को सर्वोच्च बनाने और सोवियत रूस को सीमित रखने की बात कही थी और वह चुनाव जीत गया। हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए। हाल में शिकागो में दिए अपने भाषण में राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत रूस को शस्त्रों की होड़ के बारे में चुनौती दी है। उसने रूस से शस्त्रों पर नियन्त्रण सम्बन्धी समझौतों या अमरीका के साथ शस्त्रों की होड़ में से एक को चुन लेने की बात कही है।

दूसरी ओर, सोवियत संघ ने अस्त्र नियन्त्रण चर्चा के अंश के रूप में दोनों ओर परमाणु अस्त्रों पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव रखा है।

युद्धनीतिक समुदाय के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक फ़्रांसिसी विद्वान ने इस ओर संकेत किया था कि सोवियत संघ की नई विश्व नीति के प्रति अमरीका ने जो विरोधी रवैया अपनाया है उसे ध्यान में रखते हुए अमरीका की वर्तमान नीति विद्रूपति होती जा रही है। उनके कथनानुसार सोवियत संघ से भी बड़ा है और यदि अमरीका की नीति विश्व को घोषित करने की नीति है, तो रीगन प्रशासन को यह सुझाव पुनः देना होगा कि यूरोप और विकासशील देशों के साथ संबंध बनाये रखने लिए उसे किस प्रकार का व्यवहार करना होगा।

वह पाकिस्तान को इस आधार पर हथियार दे रहा है कि सोवियत संघ वहां प्रवेश न पा ले और इसलिए पाकिस्तान की सहायता करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें जिनका हमें सामना करना है।

अमरीका में भारत के बारे में बहुत अधिक भ्रम व्याप्त है। मेरा ऐसा मत है। दो घटनायें जो प्रकाश में आई हैं, इस तथ्य पर प्रकाश डालेंगी। भारत की नीति और सोवियत संघ के साथ उसके संबंध के बारे में यह भ्रम है। इसके बारे में अमरीका और अन्य देशों में बहुत बड़ी भ्रांति है। यह कहा जाता है कि अमरीकी प्रशासन में रहने वाले व्यक्ति रण संबंधी आयुधों और पूर्व-पश्चिमी के संबंधों के विशेषज्ञ हैं और विकासोन्मुख देशों के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो। मुझे मालूम नहीं है किन्तु भ्रम और अविश्वास की एक खाड़ी है जिसे भरना होगा भारत के यह भ्रम इसीलिये है कि मई, 1980 में भारत और रूस के बीच जो हथियारों का समझौता हुआ है, उसके कारण क्योंकि अमरीका समझता है कि हम रूस पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे हैं, इसलिए उनके मस्तिष्क में एक प्रकार की पूर्वाग्रह उत्पन्न हो गया है। वास्तव में, यह पूर्वाग्रह श्री वी० के० कृष्णा मेनन के समय से पनपती रही है, जबकि आये दिन वे अमरीका पर आघात कर रहे हैं। मैं इस बात को उचित अथवा अनुचित नहीं ठहराता क्योंकि इसके बारे में कहने का अवसर नहीं है किन्तु मैं इस बारे में स्पष्ट हूँ अनेकों बार उनका प्रहार अनुचित था। प्रारम्भ से इस प्रकार का पूर्वाग्रह पनपता होता रहा और कालान्तर में वह दृढ़ हो गया···

श्री रामसिंह यादव : उस समय माननीय सदस्य उसी पार्टी से संबंधित थे जिसमें श्री कृष्णा मेनन थे।

श्री रतनसिंह राजदा : चीन के आक्रमण के समय में मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से चर्चा की थी और उनके समक्ष मैंने श्री कृष्णा मेनन का विरोध किया था। मेरे विद्वान मित्र को शायद पता न हो कि उस समय क्या हो रहा था, किन्तु यह सच है और मुझे इसका गर्व है।

मैं भ्रम के बारे में बात कर रहा था। उनके मस्तिष्क में यह भ्रम बहुत दृढ़ है, यह अविश्वास बहुत दृढ़ है और यह पूर्वानुग्रह बहुत दृढ है कि हम लोग एक शक्ति गुट, अर्थात् सोवियत संघ के भारी समर्थक हैं। मुझे नहीं ज्ञात है, किन्तु वर्तमान प्रशासन इसे सराहने में असमर्थ रहा है अथवा इसकी ठीक-ठीक समालोचना अथवा मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा है। यही बात है जो मैं कहना चाहता था। वास्तव में, इस सन्दर्भ में हमारा भी थोडा बहुत योगदान रहा है क्योंकि हमारी विदेश-नीति बहुत ढील मिल रही है। जब अफगानिस्तान में रूस के सैनिकों ने प्रवेश किया तब हमारी बहुत हल्की थी। उसे समय यह बात नहीं थी कि हमने रूस का साथ दिय. किन्तु बहुत बाद में हमारी प्रधान मंत्री और हमारे विदेश मंत्री ने उस खिलाफ कुछ कहा। वास्तव में, अब उन्हें इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हम किसी भी विदेशी भूमि पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहते। हमारे राष्ट्रपति ने भोज पर दिये गये अपने भाषण में राष्ट्रपति ब्रेझनेव से कहा कि "किसी भी विदेशी भूमि पर निरंतर विदेशी

सैनिकों की उपस्थिति भारत का स्वीकार नहीं।" यह स्पष्ट कर दिया गया है। किन्तु मेरा आरोप ही कि हमारी प्रतिक्रिया बहुत बाद में होती है। हम सहनशील व्यक्ति हैं, हमारा विरोध जोरदार और तत्काल मौके पर नहीं होता है। वास्तव में, हमें अपने मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर बदलती हुई दुनिया में अपनी प्रतिक्रिया तत्काल देनी चाहिये। हमारा कार्य नीरवता में नहीं हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और भी ताकतें और विरोधी ताकतें कार्य कर रही हैं। विदेश नीति के सफल नियंत्रण के रूप से हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम सदा सतर्क रहें और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार हमें अपने विचार व्यक्त करने चाहिये। दुनिया के किसी भी भाग में जब कभी किसी देश ने किसी दूसरे देश पर हमला किया या विदेशी सैनिकों ने किसी देश में हस्तक्षेप किया है तो हमने हमेशा इसकी निंदा की है परंतु अफगानिस्तान के मामले में शुरू में बहुत ही हल्की प्रतिक्रिया थी। इससे यह धारणा बनी कि हम रूस को खुलकर कोई बात कहने में संकोच कर रहे हैं। ऐसी ही चूकों के कारण सदा भ्रम पैदा होता है। किन्तु मुझे हर्ष है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारी प्रधान मंत्री और हमारे विदेश मंत्री, श्री नरसिंह राव ने इसे पूर्णतः स्पष्ट किया···

प्रो० एन० जी० रंगा : बार-बार।

श्री रतनसिंह राजदा : अब वह बात बार-बार कही गई किन्तु आरंभ में नहीं कहा गया। मैंने एक प्रश्न पूछा था···

सभापति महोदय : हो सकता है कि आरंभ में स्थिति उलझनपूर्ण रही हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : उस समय हम सत्तारूढ़ नहीं थे। कुछ और लोग सत्तारूढ़ थे।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं इस सरकार की चूकों की बात कर रहा हूं जब कि वह सत्तारूढ़ हो चुकी थी।

सभापति महोदय : आपकी अपनी राय और हल हो सकते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं वही कर रहा हूं। हम लोगों को चाहिये कि मामले को और अधिक न उलझायें।

यहां यह होता है कि हमारी विदेश नीति में ठहराव आ जाता है। मेरा आरोप यही है। अभी हाल में श्री नरसिंह राव ने बहुत ही स्पष्ट रूप से करांची मे कहा था कि पाकिस्तान के साथ आपके स्थायी और पृथकतावादी नीति अपनाये जाने में भारत का निहित हित है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, जब सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था तब मैंने सदन के समक्ष एक अनुपूरक प्रश्न रखा था। जब उन्होंने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था तब मैंने प्रश्न उठाया था और सरकार से कहा था कि इस बदले हुए परिवेश में पाकिस्तान के लोग हमारे देश के साथ मैत्री चाहते है। आपको इस बात की जानकारी है कि मैं हमेशा पाकिस्तान तथा चीन सहित अपने समस्त पड़ोसियों के साथ अच्छे संबधों का समर्थक रहा हूँ। इस विचार से मैंने कहा था कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर से लेकर पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान के

लोगों में, पाकिस्तान की आम जनता में यह चर्चा हो रही है और यह आशंका व्याप्त हो रही है—मैं वहां के सत्तारूढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं—कि क्या उनका बड़ा भाई भारत पाकिस्तान पर हमला होने की स्थिति में उनका साथ देगा। उस समय वहीं की आम जनता को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बातें आगे बढ़ीं, इसके बाद और भी बातें हुईं। मैंने एक और भी प्रश्न पूछा था क्योंकि श्री मोरारजी देसाई ने एक वक्तव्य में यह कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को हथियारों से लैस होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान पर व्यर्थ का आर्थिक भार बढ़ेगा और इससे इस उपद्वीप के लिए बहुत सारी उलझनें पैदा होंगी और पूरी योजनायें ही अस्त्र-व्यस्त्र हो जायेंगी। श्री देसाई ने ऐसा कहा था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विदेश मंत्री से पुन: पूछा था और उस समय वह मेरी बात से सहमत थे। उन्होंने सदन एक बार पुन: कहा था कि इस संबध में भारत पाकिस्तान को विश्वास दिलाने को तैयार है। अब जो गतिरोध हुआ है उससे शंका उत्पन्न हुई है और उससे छवि बिगड़ी है। हालांकि हम ठीक दिशा में कार्य कर रहे हैं किन्तु हमारा कार्य उचित और उपयुक्त समय पर नहीं होता है, इससे हमें हानि होती है। मैं यही कहना चाहाता था।

सभापति महोदय : कृपया मुझे यह बतायें कि क्या हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार अथवा सरकार के ऊपर पाकिस्तान की जनता के बारे में विचार-विमर्श करेगी।

श्री रतनसिंह राजदा : कम से कम आप मुझे तो ऐसा करने का मौका दीजिये। मैंने यह कहा था कि पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की जनता में यह भावना व्याप्त हो रही है। यह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। मैं उसे केवल अपने तर्क का आधार बता रहा था। यहां तक सत्तारूढ़ व्यक्तियों में भी कुछ लोगों ने सोवियत संघ की दखलन्दाजी के बारे में यही आशंका व्यक्त की थी। यह एक सच्चाई है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि आम जनता के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। कितने हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि गरीबी और आन्तरिक समस्याओं के कारण पाकिस्तान के सत्ताधारियों की भी कुछ समस्यायें हैं और इसलिए वे जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं और भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं। इतना कह देने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए।

महोदय, जिस प्रकार राष्ट्रपति विश्व पर छा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसकी यह नीति असन्तोष की नीति कही जाती है। इसी प्रकार, चीन भी अपना नीति का सार्वभौमिक प्रसार तेजी से कर रहा है। अब चीन और अमरीका एक दूसरे के बहुत निकट हैं। यह भी समस्या का कारण है। एशियाई देशों में भी अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए चीन भारत से अलग है। हमने कभी अपनी श्रेष्ठता नहीं जताई। भारत ने किसी भी अन्य देश के सीमांत प्रदेशों को नही दबाया। भारत की पृष्ठभूमि यह रही है।

सभापति महोदय : आप कितना और समय लेंगे ?

श्री रतनसिंह राजदा : मुझे कम से कम 15 मिनट और चाहिये।

सभापति महोदय : आप बीस मिनट ले चुके हैं। इसलिए, आप पांच मिनट के अन्दर आपका भाषण समाप्त कर दें।

श्री रतनसिंह राजदा : यह तो जरा कठिन होगा। मैंने तो अभी आरंभ किया है।

सभापति महोदय : मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। आप कृपया समाप्त करें।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं यथा संभव सक्षेप में कहूंगा। मैं केवल अपने वक्तव्य को समाहित करने की चेष्टा करूंगा। जहा तक चीन का सम्बन्ध है, अपनी सभ्यता, संस्कृति आदि के कारण भारत और चीन मित्र रहे हैं। हाल में एक संसदीय शिष्ट मंडल के साथ मैं जब चीन गया था तो मैंने वहां पर देखा कि वहां के लोगों के मन में हमारे देश के लिए काफी सद्भावना है।

चीन का सामान्य आदमी इस देश से दोस्ती चाहता है। चीन को वर्तमान नेता वैसे नहीं हैं जो पुराने सिद्धान्तों पर चलते हों। वे सिद्धान्तों के अन्धे अनुयायी नहीं है। लेकिन आज वे व्यवहार कुशल हो गये हैं। निजी स्वामित्व के लिए कम्यून प्रणाली से जमीन मुक्त की जा रही है। इसलिए उत्पादन बढ़ा है। ये नये दृष्टिकोण हमने पाए हैं और मेरे खयाल से चीन के वर्तमान नेता सामान्य सम्बन्ध बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा सरकारी दल पहले से ही चीन में है, सीमा की समस्या एक बहुत नाजुक समस्या है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, एशियाई देशों के लिए यह बहुत शुभ होगा यदि भारत और चीन मिलकर विश्व शान्ति की ताकतों को मजबूत करने के प्रयास करें। मैं चीन के बारे में कुछ कहना चाहता था और विस्तार से बहस करना चाहता था लेकिन आपने कहा है कि समय बहुत कम है इसलिए मैं अपने वक्तव्य को छोटा करके सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा, जहां तक हमारे पड़ौसियों का सवाल है, हाल में नेपाल ने कुछ परेशानी पैदा की थी. नेपाल ने नेपाल को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने के बारे में बातें करना शुरू किया था। विदेश मंत्री को नेपाल जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि वहां पर नये विकास हो रहे हैं इसलिए हमें सचेत रहना होगा, मेरा कहना तो यह है कि एशियाई देशों में हमें सदैव सचेत रहना होगा। हमारा दृष्टिकोण उत्साही होना चाहिए और हमारी प्रेरणा को भी बहुत उत्साहजनक होना चाहिए। नेपाल को शांति क्षेत्र बनाने के बारे में नेपाल का एक पुराना प्रस्ताव था। इसके पीछे कोई कारण है। क्यों? हम नेपाल के भय को दूर कर सकते हैं या नहीं? हम सफलतापूर्वक उसके भय को दूर कर रहे हैं या नहीं? कुछ लोग नेपाल और भारत के बीच समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सांस्कृतिक और दोस्ती के सम्बन्धों को देखते हुए भारत और नेपाल के बीच न कोई समस्या होनी चाहिए और न है। इसके बावजूद नेपाल के दिमांग में कुछ गलतफहमी है जिसे हमें दूर करना होगा।

अब वे हिमालयन शांति योजना की बात करते हैं, महोदय, हिमालयन शांति योजना के प्रस्ताव को रखने के पीछे जो कारण हैं, हमे उन्हें समझना होगा। क्या यह नेपाल के लोगों या शासकों द्वारा रखी गई मूल योजना है? नहीं, श्रीमान, हम सभी को मालूम है कि नेपाल और भारत के बीच एक मैत्री संधि है, वे मांग कर रहे हैं कि नेपाल को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाय

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, विदेश मंत्री ने हाल में नेपाल को सचेत किया है और कहा है कि कृपया भारत को कमजोर बनाने की कोशिश न करें। यह सकेत या चेतावनी सही दिशा में दी गई है। नेपाल के मामले में हमारे विदेश मंत्री ने जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं।

इतना कहने के बाद मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ विदेश मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज सुबह मैंने नई दिल्ली में स्थित इरानी दूतावास के काम करने के बारे में जिस ढंग से दीवालों इत्यादि में जो लिखे गए हैं, एक पूरक प्रश्न रखा था ऐसे कुछ सिद्धान्त होते हैं, कुछ शिष्टाचार होता है और व्यवहार करने का तरीका होता है जिसके अनुसार विदेशीदूतावासों और विदेशीराजनयिकों को काम करना होता है भारत में इरानी दूतावास किस ढंग से का कर रहा है मैंने दूसरा उल्लेख किया है। इससे हमारे लिए समस्याएं खडी होती हैं। अब मैं श्रीनगर से प्रकाशित होने वाले उर्दू दैनिक इकबाल को पढ़ना चाहता हूं इसमें कहा गया है :

"नई दिल्ली स्थित इरानी दूतावास पिछले कई महीनों से काश्मीर घाटी में विशेष रूप से श्रीनगर में सन्देहास्पद गतिविधियों में लगा है। इस दूतावास द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री इस क्षेत्र की सड़कों में मुफ्त बांटी जा रही है और दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इनमें जो सामग्री है वह देश के आन्तरिक मामलों में स्पष्ट हस्तक्षेप है।

इरानी दूतावास की ऐसी गतिविधियों के पीछे इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है कि यहां के मुसलमान इरान के विरुद्ध इराक की लड़ाई में इरानी दृष्टिकोण से सहमत हों, इस दृष्टिकोण से इरान का अतिवादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है।

मैं यह सारा नही पढ़ रहा हूं। लेकिन यह श्रीनगर से प्रकाशित उर्दू दैनिक इकबाल का अंश है।

अब मैं इंडिया टुडे के सन्दर्भ में सन्दर्भ देना चाहता हूं जिसने पिछले अंक में कुछ कहा है। इण्डिया टुडे के इस अंक के मुख पृष्ठ पर हमारे वित्त मंत्री की एक सुन्दर तस्वीर है। इस अंक में एक बहुत परेशान करने वाली बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ विदेशी दूतावास तस्करी की गतिविधियों में लगे हैं। यदि यह सच है तो यह एक बहुत परेशान करने वाला समाचार है। हमारे विदेश मंत्री को इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। इण्डिया टुडे में कहा गया है कि रूसी दूतावास से संबधित कुछ राजनयिक इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हैं। जब मैंने यह समाचार पढ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। रूस हमारा मित्र है। मैं भी उनमें एक हूं जो रूस की मैत्री पर विश्वास करते हैं। लेकिन जानबूझकर या अनजाने ऐसा कुछ किया गया है तो इससे हमारे लिए अनेक मुसीबतें पैदा हो जाएंगी, मैंने आज सुबह इरानी दूतावास के बारे में प्रश्न किया था। यदि इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहती हैं तो इससे हमारे लिए और मुसी-

बतें खड़ी होंगी, हमें इन्हें दबाना होगा। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में ये आवश्यक तनाव पैदा करेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं कि यद्यपि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हमारे काम करने और पहले करने में कमी आ गई है और हम केवल संसार के दूसरे भागों में घट रही एक के बाद दूसरी घटना के अनुसार काम कर रहे हैं। अब भी यदि हम अपने काम करने के ढंग में सुधार लाएं और उत्साहपूर्वक काम करें और पंडित नेहरू के दिनों की तरह पहल करें तो मेरे विचार से राष्ट्रों की मैत्री में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और विश्व शांति की ताकतों को मजबूत करने में सक्षम होंगे।

प्रोफेसर नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : महोदय, आज हमारे सामने एक बहुत जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है और .9 सितम्बर से 7 अक्तूबर, 1981 तक हुए मेलबोर्न सम्मेलन की विज्ञप्ति का उल्लेख करने से सही स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं इस विज्ञप्ति का एक वाक्य पढ़ूंगा।

"उनका मुख्य तात्पर्य तनाव शैथिल्या से मतभेदों में परिवर्तन या, बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव और आणविक हथियारों का जमाव मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है।

यह वक्तव्य का महत्वपूर्ण भाग है और जिन नेताओं ने मेलबोर्न सम्मेलन में भाग लिया था इससे मालूम पड़ता है कि उनका इससे कितना सम्बन्ध है भले ही सारे यूरोप में शांति के प्रयास हो रहे हैं और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों में "हिरोशिमा जैसे स्थान अब और कहीं नहीं" जैसे नारे पश्चिमी यूरोप के वायुमडल में गूंज रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शान्ति की कोई इच्छा नहीं है, यह बड़ी ताकतों की रणनीति और राजनैतिक चालों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। रूस पश्चिमी जर्मनी में एक और पोलेण्ड की तलाश कर रहा है इन प्रयास के कारण पश्चिम जर्मनी में धीरे-धीरे एक ऐसी हवा चल रही है कि वे यह महसूस करने लगे हैं कि आस्ट्रिया के किस्म की तटस्थता नाटो सन्धि के प्रति गहरी आस्था रखने से बेहतर है। इसलिए इसने नाटो के बढ़े खर्चों में 3% का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है। इसी सन्दर्भ में साइबेरिया से पश्चिम जर्मनी तक एक गैस की पाइप लाइन बिछाने की एक दिलचस्प योजना चलाई जा रही है। जहां पश्चिम जर्मनी के चांसलर अमेरिका पर बड़े उद्योगों द्वारा बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं वहीं इस बारे में रूस पश्चिम जर्मनी को रोजगार देने में आगे आ रहा है। इसलिए शांति के लिए खतरा बनकर रूसी राष्ट्रपति भी वहां पर हैं। इसी प्रकार का एक प्रयास राष्ट्रपति रीगन ने भी किया है। पिछले दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में उन्होंने 4 सूत्री योजना जो पहले यह एम० ए० एल० टी० थी परन्तु अब इसे एस० टी० ए० आर० टी० हथियारों को कम करने की वार्ता के लिए रणनीति कहा जाता है। यह बहुत दिलचस्प बात है कि उसने बहुत महत्वपूर्ण हथियारों को कम करने का प्रस्ताव किया है यदि दूसरी तरफ रूस भी सहयोग करने को तैयार हो। शांति की इच्छा से शांति के आन्दोलन की शुरूआत का न होना इस समस्या के लिए अतिशय संकट बन जाती है। तनाव

शैथिल्य का आन्दोलन मतभेदों को दूर करने की इच्छा से प्रारम्भ नहीं किया गया। मतभेदों के कारण शांति के लिए चिल्लाना स्थिति का विरोधाभास है। और हमें दूसरे सन्दर्भ में भी इसे समझना है।

पिछले साल कुछ छोटे राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र में शांति के लिए एक विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया था, प्रस्ताव पेश तो किया गया परन्तु रूस और दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका ने इसे मंजूर नहीं किया। इन गुट निरपेक्ष देशों के 45 देशों के प्रतिनिधियों ने बहुमत से जोरदार समर्थन से संयुक्त रूप से प्रस्ताव पास किया था। इसलिए दोनों तरफ शांति की उचित इच्छा का अभाव है। और मुझे राष्ट्रपति रीगन के चुनाव के दिन याद आ रहे हैं जब वे कहा करते थे "यदि आप चाहते हैं कि अमेरिका सबसे आगे रहे तो मुझे वोट दें और यदि आप चाहते हो कि अमेरिका दूसरे नम्बर पर रहे तो कार्टर को वोट दें" इसलिए राष्ट्रपति रीगन की पहली इच्छा सैनिक प्रमुत्व की है इसलिए पश्चिमी योरोप के कुछ भागों में प्रसारित शांति योजना, जो मास्को को भेजी गई के पीछे यही उद्देश्य है।

मास्को का पश्चिमी भूमि पर अधिक से अधिक शांति रैलियां करने का प्रयत्न करने का प्रयास उसी वस्तु के लिए दूसरा प्रयास है। हमें स्थिति में पकड़ा जाना ही चाहिए। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने नब्ज को ठीक ढंग से पकड़ा है और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बड़े ही जटिल मामले के रूप में वर्णन किया है; स्थिति धीरे-धीरे सामने आई है और इस तनाव को कम करने के लिये कोई भी गम्भीरता से प्रयास नहीं कर रहा है। हम अपनी स्थिति को समझें। विश्व के राजनीतिज्ञ शांति के लिए दिए गए भारत के योगदान को स्वीकार कर रहे हैं। पिछले वर्ष 'कोस्टा रिका' में शान्ति के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का सह-प्रायोजन करने वालों में भारत भी शामिल था जबकि बड़ी शक्तियां उसमें शामिल नहीं थीं। दूसरी तरफ से पूर्ण सहयोग नहीं मिला था।

पाकिस्तान क्या कर रहा है? दूसरी ओर हमारे साथियों द्वारा इसकी युद्ध-वर्जन सन्धि के बारे में काफी कुछ कहा है। इसे उपयुक्त ढंग से देखा जाना है और इसका क्या तात्पर्य है? पाकिस्तान का प्रस्ताव पहली बार 15 सितम्बर को आया था; यह प्रस्ताव केवल उतावलेपन में किया गया था; इसे राजनयिकों के माध्यम से नहीं भेजा गया था जबकि इसे राजनयिकों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए था। यह पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक प्रयास मात्र था। मैं राष्ट्रपति जिया उल-हक के अक्टूबर, 1979 के राष्ट्रपतीय आदेश का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने मजलिस सूरा, जो बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परामर्शदात्री परिषद होगी, एक परामर्शदात्री परिषद बनाने के वचन की घोषणा की थी। इस परिषद में 200 बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना जाएगा और इस परिषद को उन्हें महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर परामर्श देने के लिए बनाया जाएगा ताकि वह पाकिस्तान रूपी जहाज को भविष्य का मार्ग-दर्शन कर सके। लेकिन उसका क्या हुआ? 13 नवम्बर को, जब एक संवाददाता ने उनसे पूछा, "आपकी 'मजलिस सूरा' कहां है; उसके बारे में क्या समाचार है?"

राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने जवाब दिया, "यदि आपको इसका कोई समाचार नहीं मिला है तो समाचार ठीक है ।" स्पष्टतया, वे उस परिषद का गठन नहीं कर पाए; वे पाकिस्तान में अपने चुने हुए अनुयायियों अथवा बुद्धिजीवियों में से यहां तक कि 200 आदमी भी नहीं खोज सके जो उन्हें परामर्श दे सकें । इसी प्रकार प्रजातन्त्र की बहाली का आन्दोलन, एम० आर० डी० जिया उल-हक के दिमाग को परेशान कर रहा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि वे परेशान हैं । इसके लिए 8 पार्टियों ने गठबन्धन कर लिया है; चार पार्टी इसमें शामिल नहीं हुईं और वे प्रजातन्त्र की बहाली के आन्दोलन में शामिल नहीं हैं । इन पार्टियों ने उन्हें खुले रूप मे समर्थन देने से इन्कार कर दिया है । अब पाकिस्तान की जनता धीरे-धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि भारत पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है; रूस पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है; यदि पाकिस्तान की जनता के लिए किसी से खतरा है तो जनरल की सरकार से खतरा है, जिया-उल-हक की सरकार से खतरा है । वे धीरे-धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि उन्हें अब तक राष्ट्रपति, जिया-उल-हक के मिलटरी शासन द्वारा भ्रमित किया गया है और धोखा दिया गया है । उन्होंने प्रजातन्त्र की बहाली के लिए वचन दिया है, लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

हमें पाकिस्तान द्वारा चलाए गए प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिए । भारत आक्रमण न करने के अपने प्रस्ताव पर दृढ़ है । वह खण्ड शिमला समझौते में निहित है । पाकिस्तान उसका आदर क्यों नहीं करता है ? जैसा कि बताया गया है आप उन व्यक्तियों की संख्या का हिसाब लगाएं जिन्हें पाकिस्तान के दौरे के लिए भारत द्वारा प्रवेश पत्र दिए गए हैं और इसको उन लोगों की संख्या से तुलना करें जिन्हें भारत के दौरे के लिए पाकिस्तान द्वारा अनुमति दी गई है, और जिन्हें भारत के दौरे के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रवेश पत्र देने के लिए इन्कार किया गया है । आप अपनी बुद्धि से इस बात का निर्णय ले सकेंगे कि पाकिस्तान इस सम्बन्ध में भी भारत के साथ उदार नहीं रहा है । उन्होंने लोगों को पाकिस्तान आने के लिए भी अनुमति नहीं दी है । नाजुक आधार पर प्रवेश पत्र देने से इन्कार किया गया है, क्योंकि उन्हें इस बात की शंका है कि जो लोग पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे वे पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति से अवगत हो जाएंगे ।

इस समय पाकिस्तान बारूद के एक बहुत ही खतरनाक ढेर पर बैठा है और आगे नहीं हिल सकता । एक ओर पाकिस्तान अफगानिस्तान का हौआ खड़ा कर रहा है । निस्सन्देह हम अफगानिस्तान की भूमि पर रूसी फौजों की उपस्थिति के हक में नहीं हैं; हम चाहते हैं कि वे फौजें वापस बुला ली जाएं और इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है । दूसरी ओर हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका समाधान सैनिक कार्रवाई नहीं है जिससे समस्या हल हो जाएगी; अन्ततोगत्वा केवल राजनयिक एवं राजनीतिक निर्णय के द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकेगा । हर दिन राष्ट्रपति जिया-उल-हक चिल्लाते हैं कि वे मुजाहीद्दीन का समर्थन करेंगे और गुरिल्ला लड़ाइयों का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को कोई सहायता मिलेगी ? क्या इससे अफगानिस्तान को कोई सहायता मिलेगी ? इससे किसी को भी सहायता नहीं मिलेगी । राष्ट्रपति जिया-उल-हक कहते हैं कि रूस की नजर खाड़ी के गर्म देशों पर टिकी हुई है और वह

उन पर अधिकार करना चाहता है। ये ही तो वे कह रहे हैं। उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी यह एक बहुत बडी समस्या है। इसलिए एकमात्र आक्रमण एक राजनयिक आक्रमण, एक राजनीतिक समाधान होना चाहिए, और वह केवल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से ही आना है। जितना शीघ्र पाकिस्तान इस बात को महसूस करता है उतना ही यह प्रजातन्त्र के लिए, सुरक्षा के लिए तथा पाकिस्तान की स्थिरता के लिए अच्छा होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी सैनिक कार्रवाई के माध्यम से समाधान का कोई अवसर नहीं रहेगा।

दूसरे, मैं भारतीय उप-महाद्वीप के पडोसी देशों का उल्लेख करूंगा। ये सात देश हैं। हमें खुशी है कि चीन और भारत के बीच पुनर्मित्रता, पुनर्मिलन तथा दोस्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। इन दो देशों के बीच की दोस्ती से न केवल एशिया के लिए बल्कि समस्त विश्व के भविष्य के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। इस कारण से मुझे खुशी है कि हमारा सरकारी दल इस समय बैंजिग के दौरे पर है और उनकी ओर के नेता भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अपनी ओर से हमें इस विचार से शांति बनाए रखना चाहेंगे ताकि यदि वे शांति बनाए रखना चाहते हैं तो वे भी हमारी ओर गाढ़ी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जहां हम विश्व के सभी देशों के साथ दोस्ती के लिए वचनबद्ध हैं और जहां हमने संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए चीन के मामले में पहल की है. तो हम इस बात पर भी दृढ़ हैं कि भारत अपने पांव पर खड़ा हो और अपनी एक इंच भूमि भी न छोड़े तथा अपना आत्म-सम्मान बनाए रखे। इन चर्चाओं के फलस्वरूप भारत एशिया अथवा विश्व का नेतृत्व करने का इच्छुक नहीं है। चीन इसके लिए इच्छुक है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन भारत चीन के साथ मैत्री का इच्छुक है और वह भी शांति चाहने वाली ताकतों के लाभ के लिए तथा एशिया की एकता के लिए होनी चाहिए जिसके लिए हम चिल्ला रहे हैं।

हमें खुशी है कि राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी काठमान्डु का दौरा करके वापस आ गए हैं। उनका वहां भव्य स्वागत हुआ है और नेपाल की जनता उनके आगमान का इन्तजार कर रही थी।

एक और उपलब्धि यह है कि भूटान ने हमारे साथ प्रगाढ़ मैत्री के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की है और हाल ही में भूटान नरेश ने आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि भूटान सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे हित तथा भूटान के हित परस्पर सहायक हैं।

इसी प्रकार बांग्ला देश तथा अन्य देशों के साथ भी हम मित्रता चाहेंगे। श्री लंका इत्यादि में जो कुछ थोड़ा बहुत क्षोभ है, जिसका हमें पता चला है और जिसके बारे में दूसरे पक्ष की ओर से मेरे मित्रों द्वारा उल्लेख किया गया है, उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है।

इसलिए हमारी प्रजातन्त्र की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा विदेश मन्त्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा इस बारे में एक प्रयास किया गया है कि आज के अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति प्रयासों

के माध्यम से, मित्रतापूर्वक की गई संधियों के माध्यम से, विरोधी प्रवृत्तियों को तोड़कर, मौहार्द तथा मित्रता का हाथ बढ़ाकर तथा दोस्ती के सम्बन्धों को बढ़ाने में एक दिशा देकर विश्व की कठिन समस्याओं का कोई हल ढूंढा जाए, । यही सब कुछ नहीं है । केवल राजनीतिक चर्चाओं से ही इसमें सहायता नहीं मिलेगी। अतएव, इसका आर्थिक हल भी ढूंढा जाना है । आज विश्व जान फास्टर डुल्लास तथा अन्यों की मूल स्थिति से काफी आगे बढ़ गया है । मुझे इस बात की सूचना देते हुए खुशी है कि बर्मा जैसा देश भी वियतनाम की आलोचना नहीं कर रहा है । जबकि हमने कम्पूचिया को मान्यया दे दी है । बर्मा भी मान्यता दे सकता है, यदि नहीं, तो कम से कम वियतनाम में हो रही कार्रवाई अथवा अन्य बातों की आलोचना करने मे तो विमुख है और इस प्रकार वह भी इस सम्बन्ध में सहायक है ।

मैं नए सूत्रपातों की बात कर रहा हूं और काननून सम्मेलन इस दिशा में एक सही कदम है । 11 देशों ने इस सम्मेलन को पहले प्रायोजित किया । 22 देश इसके इच्छुक थे और उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया । और हमारे प्रधान मंत्री जी भी वहां मौजूद थे । यह वह क्षेत्र है जहां आपसी सूझबूझ तथा परस्पर निर्भरता के बारे में शुरूआत की जा सकती है ।

अब एक ब्लाक दूसरे ब्लाक को लांघ नहीं सकता है और पश्चिमी ब्लाक कम्युनिस्ट ब्लाक की अवहेलना नहीं कर सकता । हमें इस बात का पता लगाना है कि तीसरे विश्व के हितों की रक्षा की जाती है और उनकी रक्षा करनी है यदि तीसरे विश्व, जिसके पास विश्व के अधिकांश संसाधन खनिज तथा कच्चा माल दोनों हैं, की वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाता है । ये दो ब्लाक तो केवल तैयार वस्तुएं ही सप्लाई करते हैं । हम यह समझते हैं कि कानकुन सम्मेलन में हुई विश्व स्तर की बातचीत में सोवियत रूस को भी आमंत्रित नहीं किया गया था । लेकिन यदि हमें स्पष्ट कहना पड़े तो सोवियत रूस से सम्मेलन में भाग नहीं लिया था । वास्तव में सोवियत रूस की मित्रता की हमारे लिए बहुत कीमत है । लेकिन इसके द्वारा शामिल न होने के जो कारण बताए गए हैं वे विश्वासप्रद नहीं हैं लेकिन उन्होंने विश्व स्तर की बातचीत के दौरान इसके कारण यह बताए हैं कि वे विश्व का उपनिवेशिक शोषण किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं । अतएव, वे इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं । लेकिन आजकल के संदर्भ में, जबकि विश्व की आर्थिक स्थिति तीव्रता से एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता की ओर बढ़ रही है, विश्व के प्रत्येक देश को नए उपनिवेशिक आर्थिक क्रम की ओर अपना ध्यान तथा सहयोग देना चाहिए जिसमें गरीब देशों को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने का एक मौका है यदि उन्नति करने का कोई मौका नहीं है तो एक दूसरे के सहयोग से प्रत्येक देश को आगे बढ़ना है । हम केवल एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं । यदि आप वर्तमान स्थिति को पश्चिमी देशों से लेकर सुदूर उत्तर तक देखें तो हमें ऐसी स्थिति दिखाई देती है जो स्वभाव से ही विस्फोटक है । हमारे सामने एक विस्फोटक स्थिति है जिसमें तबाही हो सकती है परन्तु व्यवस्थित ढंग से और योग्य नेतृत्व व सहकारिता की भावना और समायोजन हे हमारी सरकार इसका हल निकालने का प्रयत्न कर रही है और देश का आगे बढ़ाने और विदेशों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास कर रही है । हमें प्रसन्नता है कि जबकि पाकिस्तान में जनता एक परामर्शदात्री परिषद भी

प्राप्त नहीं कर सकी, वहां पर संसद काम कर कर रही है, राज्य विधान सभा भी है जो लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त्र कर रही है। हमारा लक्ष्य विश्व शांति और जनसाधारण की खुशहाली है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री व विदेश मंत्री का विश्व शांति स्थापित करने परस्पर समझदारी बढ़ाने और नये अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्न करने के लिये धन्यवाद करता हूं।

श्री रतनसिंह राजदा : मैंने अभी 'फ्राम रशिया विद लव' के बारे में उल्लेख किया है जो 'इण्डिया टु-डे' में प्रकाशित हुआ है। उस समय हमारे मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित नहीं थे। में उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत गम्भीर अरोप है। रूसी दूतावास के कुछ सदस्य तस्करी के काम में लगे हैं। आपने शायद इसे पढ़ा हो। मैं यह नहीं कहता कि यह ठीक है या गलत। मैं इसे आपको दे देता हूं।

श्री गिरधारीलाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेआली, मेरा कोई लम्बी तकरीर करने का का इरादा नहीं है। मैं दो तीन बातें हाउस और फारेन मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं।

पिछले दिनों मुझे स्कैंडेनेवियन कन्ट्रीज, लंदन और मास्को जाने का मौका मिला। मैं वहां गैर-सरकारी तौर पर गया था। वहां पर मैं आम लोगों से मिला। हमारे जो दोस्त हमारी पालिसीज की नुक्ता-चीनी और मुखालिफत करते रहे हैं, अगर वे मेरे साथ होते, तो उन्हें पता चल जाता कि दुनिया के आम लोग कितनी तरक्की रखते हैं हमारे मुल्क से, हमारी लीडर, मिसेज इन्दिरा गांधी से और हमारे फारेन मिनिस्टर साहब से। वे समझते हैं कि हिन्दुस्तान ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है और वह हमारी मदद करेगा। उनको मालूम है कि जग क्या बला है, जंग कितनी खतरनाक है। उन्होंने दूसरी जंगे-अजीम के मजालिम देखे हैं और उन्हें मालूम है कि अगर फिर जंग हुई, तो वह ज्यादा खतरनाक होगी, जिसमें शायद इन्सान इस कुराए-अर्ज से, इस जमीन से, नेस्तोनाबूद ही हो जाए। इसलिए वे बहुत घबराए हुए हैं और हमारे मुल्क की तरफ देख रहे हैं।

मुझे नहीं मालूम कि कैसे हमारी पालिसीज की तनकीद, नुक्ता-चीनी और मुखालिफत की जा सकती है। जहां तक वर्ल्ड पीस का सवाल है, पीस तो इनडिविजवल है, वह पार्टियों में और मुख्तलिफ मुल्कों मे तकसीम नहीं हो सकती। वार करने वाली जंगजू ताकतें लड़ाई चाहती हैं, मगर अवाम अमन चाहते हैं। डेवेलपिंग कन्ट्रीज के लोग अमन चाहते हैं, क्योंकि वगैर अमन के वे तरक्की नहीं कर सकते। डेवेलप्ड कन्ट्रीज में कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने डेवेलपिंग कन्ट्रीज की नाकाबंदी ही नहीं की है, बल्कि वहां ऐसे अनासिर भी पैदा कर दिए हैं, जो अमन की पालिसी की मुखालिफत करते हैं।

आज दुनिया के अवाम वह समझते हैं कि हमारी पालिसी ही दुरुस्त पालिसी हैं। वे समझते हैं कि हिन्दुस्तान एक मुल्क के तौर पर ऐसे अनासिर की सफ में खड़ा है, जो अमन चाहते

हैं, और वह अमन की आवाज को तक्रबियत दे रहा है। हमारे मुल्क, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फारेन मिनिस्टर की खूबी है कि उन्होंने कभी लीडरशिप का दावा नहीं किया है। वे सब मुल्कों को साथ लेकर अमन की आवाज में जोर पैदा करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में अमन कायम हो और सब मुल्क तरक्की करें।

आज जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, यह नुक्ताचीनी की गई है कि कभी कभी हम लरज जाते हैं, कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ झुक जाते हैं। नान-एलाइनमेंट का मतलब यह है कि किसी के साथ हमारी कोई गुटवंदी नहीं है। हम किसी की पालिसी को फालो नहीं करेंगे और हर मसले पर हम अपना ही फैसला करेंगे। जितने हमारे नान-एलाइन्ड देश हैं उनमें आपस में किसी मसले पर इख्तिलाफ भी हो जाय, उस सूरत में किसी को कोई बात पसंद न आए, मुमकिन है कि उसकी दलील में कोई वजन हो और हमारी दलील में भी वजन हो, दोनों की दलीलें एक न हो सकती हो तो उससे यह प्रयास करना कि हम कोई एक तरफ झुक रहे हैं या दूसरी तरफ झुक रहे हैं या हम न्यूट्रल बन रहे हैं ऐसी बात नहीं है। यह हमारे फारेन मिनिस्टर साहिबा ने आम तौर पर बात साफकर दी है कि नान-एलाइन्ड का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है। नान-एलाइन्ड का मतलब है कि सही तरीके पर हर मसले में दखल देना।

जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है बात उसमें हुई। शुरू से बात कही गई, मौके मौके पर बात साफ की गई। मगर एक बात हमारे दोस्त भूल जाते हैं। एक माहौल जो वहां पैदा हुआ जिसमें अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन की फौज बुलानी पड़ी, उसकी जगह आप वह माहौल पैदा करने में मदद करें जिनसे वह वापस जायं। यह मैं इस सिलसिले में कहना चाहता था।

वियतनाम जाने के बाद मुझे यह मालूम हुआ, जब मैंने वह इलाका देखा और इंडोचाइना को देखा तो मालूम हुआ कि हमारी पालिसी कम्पूचिया में, लाओस में किस कदर दुरूस्त है। नार्थ वियतनाम में देखा कि कमिटेड नेशन किस तरह खुशी के साथ तमाम दिक्कतों को बर्दाश्त करता है और आगे बढ़ता है। किस तरह वह अपने मुल्क के लिए कुर्बानी करता है। वह स्पिरिट जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले थी वह मैं ने वहां गवर्नमेंट बन जाने के बाद भी देखी। आज मैंने उनको वहां गवर्नमेंट बनाए हुए भी देखा। साउथ वियतनाम में आप जायं और वहां जाकर देखें तो कहां वह लोग जो पहले कब्जा बनाए हुए थे सारे मीन्स आफ प्रोडक्शन पर, जब वहां कम्यूनिज्म आया और वहां पर एकता हो गई, सारा देश एक हो गया तो वह भाग रहे हैं। वह रेफ्यूजी बनकर जा रहे हैं। जो दूसरे देशों के लोग वहां पर थे वे वहां से वापस हो गए। क्योंकि जो अपने आपको उस आइडियालाजी के साथ, देश की तरक्की के लिए जो उनका सोचने का ढंग है उसके साथ जिनकी मुताबिकत नहीं आती वह वहां से भाग रहे हैं। मगर जहां तक हमारी पालिसी का ताल्लुक है, मुझे वहां जाकर खुशी हुई कि हमारी पालिसी सिर्फ वहां नहीं, वियतनाम में ही नहीं, कम्पूचिया में भी और लाओस में भी बिलकुल दुरुस्त है और हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

पाकिस्तान के मुतालिलक जो बातें कही गईं जिसने मुझे इस पर बोलने के लिए रागिब किया उस सिलसिले में मैं यह कहूंगा, यहां कहा गया कि नो वार पैक्ट का आफर हुआ लेकिन ये हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, ये भूल जाते हैं कि पहले तो प्रेस में बात कही गई जहां तक मुझे इल्म है और प्रेस स्टेटमेंट को फिर यहां कहा गया। उस वक्त तक तो यहां हमारी गवर्नमेंट को कहा ही नहीं था। तो यह कौन सा तरीका है कि प्रेस स्टेटमेंट एक दे दे और वह प्रेस स्टेटमेंट भी किसलिए दिया गया—क्योंकि इन्हें जो नया आर्मामेंट और जहाज लेना था वह किस्सा शायद यू० एस० ए० की कांग्रेस में जा रहा था तो उसके लिए स्टेटमेंट दे दिया और उसको कहा नो वार पैक्ट का आफर और उसी को लेकर हमारे दोस्त यहां यह कहते हैं मगर वह भूल गए उस बात को, हमारे फारेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि पंडित नेहरू के जमाने में हमने वह आफर किया था, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। कई गवर्नमेंट्स बदलीं, एक मिलिट्री रिजीम दूसरी मिलिट्री रिजीम, तीसरी मिलिट्री रिजीम आई और कुछ नहीं हुआ और वह यह भी भूल जाते हैं कि शिमला ऐग्रीमेंट क्या था? आप उससे नयी बात क्या करना चाहते हैं? राम जेठमलानी जी कह रहे थे कि उनको बांधना था इस बात के लिए कि काश्मीर के मसले को और बाकी हर मसले को वह सिर्फ बातचीत मे ही तय करेंगे, उसमें किसी किस्म की आर्म्ड मदाखलत नहीं करेंगे, तो उसमें शिमला पैक्ट में क्या है? भुट्टो साहब जब तक हमसे लडते थे तो दुनिया के सबसे बड़े सियासतदां माने जाते थे। सब लोग उनको उछालते थे, उनकी फौज और जंगबाज ताकतें उछालती थीं लेकिन शिमला में आकर उनको इस बात का एहसास हुआ कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अपनी अपनी जगह आराम से रहना चाहिए और अपने अपने लोगों की तरक्की करनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ? उन पर केस चलाए गए। केस चला और उनको फांसी पर लटकाया गया। जुर्म क्या था? बड़ा अफसोस है, हमने जंग देखी हैं, जनरल स्पैरो साहब यहां नहीं हैं, हमने 1947 1965 और 1971 की लड़ाइयां देखी हैं। हम सरहदों पर चलते रहे। जंग जो होने वाली है वह काफी खतरनाक होगी, लेकिन जो पहले जंग हो चुकी हैं उसमे भी लोगों को काफी तबाही हुई। और उसका असर सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी पड़ा और वहां के लोग अभी तक परेशान हैं। और फिर हम उसी ट्रैप में जाना चाहते हैं। नये सिरे से कश्मीर इशू को वह ओपिन करना चाहते हैं। यह हमारी आवाज नहीं है, किसी और की आवाज है। कौन आवाज देता है यह सबको मालूम हो और सरकार को भी मालूम होगा। हमारी सरकार बड़ी के साथ उनसे बात कर रही है और इस मसले पर हमारी फोरेन पोलिसी और डिफेंस को होशियार रहना होगा और देखना होगा वहां के ऐवान हमारे भाई हैं, हमारा ही खून है, हम एक ही मुल्क के थे और उसके दो हिस्से किये गये। वह अपने घर में आबाद रहें और हम अपने यहां आबाद रहें। इस वक्त जो वहां हो रहा है, वहां की सरकार ने 50 बातें यहां के लोगों को कहीं, 50 बातें दूसरों ने कहीं और हर बात में चालाकी और चालबाजी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनकी किसी जाल में फंस जायें तो ठीक नहीं है।

चीन से भी हमारी बातचीत हो रही है। अच्छी बात है। बातचीत होनी चाहिये। हमारी स्टेट एक चौथाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और काफी हिस्सा स्टेट का और देश का चीन

के कब्जे में है, जब आप उनसे बात करेंगे तो सरहदी तनाजा की एक बड़ी बात है, इकोनामी के अलावा हमारी मजहबी कुछ जियारतें हैं, खास करके बौद्ध लोग काफी तिब्बत में हैं। तो इन मसलों को लेकर, मजबी इदारे का मसला और हमारे एक लामा लद्दाख में जो गोम्पा है उसके लामा अभी तक उन्हीं के कब्जे में है। पता नहीं उसकी क्या हालत है। उसको उन्होंने भेजा नहीं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कम से कम एक लिमिट हो जाय और उनसे पूछा जाय कि वह आना चाहते हैं कि नहीं ? अगर आना चाहते हैं तो आ सकें। यह कुछ बातें हैं जिनकी तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

इसी तरह लंका में देखें वहां क्या हो रहा है ? वहां हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और हमारे कुछ लोग हमें मिसरिप्रजेन्ट करते हैं। वेस्ट जर्मनी में मुझे पता चला कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। कैनाडा में इन्डियन हमें मिसरिप्रजेन्ट करते हैं इसलिये आपको वहां की सरकार को कहना चाहिये। इसी तरह आपकी ऐम्बेसीज के मुताल्लिक शिकायतें की गयीं। सिवाय लन्दन के, बाकी सब जगह अच्छा काम है, और अन्डर स्टाफ भी हैं। इसी तरह से वियतनाम में आपकी ऐम्बेसी अन्डरस्टाफड है। जो हमारे आदमी वहां काम करते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का अच्छा इन्तजाम नहीं है। अगर वह बीमार हो जायें उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उस मुल्क में नहीं मिलती, मेडिकल फेसिलिटी वहां कुछ ऐडवांस तरीके की नहीं है। रूडीमेंटरी तरीके की है, और न हमको वह सूट करती है। अगर कोई बीमार हो जाय फेमिली का तो एक आदमी तीन महीने में बैंगकाक जा सकता है। अब अगर मियां, बीवी, माता पिता बीमार हो जायं तो फैसला करना पड़ेगा कि उनमें से कौन एक आदमी इलाज के लिये जा सकता है। तो उस तरफ भी आपको सोचना चाहिये और तवज्जह देनी चाहिये।

आखिर में अपने तजुर्बे के आधार पर, और जो हमने देखा है, आपको मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से, मजबूती के साथ आप अपनी फौरेन पौलिसी चला रहे हैं। पता नहीं हमारे अपोजीशन के लोग टी० वी० देखते हैं कि नहीं, हमारी प्रधान मंत्री की जो बाहर प्रेस कानफ्रेंस हुई हैं उसी से मालूम हो जाता है कि उनकी कितनी इम्पोर्टन्स है। लोगों की प्रेस कान्फरेंस में कोई आता नहीं था। लेकिन हमारी प्रधान मन्त्री की प्रेस कानफरेंसेज वैल अटेंडेड रहीं। जो प्रेस कान्फ्रेंस होती थी, उसमें बैठने तक को जगह नहीं मिलती थी और किस खूबी के साथ जवाब दिए गए, यह कहने की बात नहीं है। जब इस तरह से हम अदालत के सामने नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के विरोध में हम देखते हैं कि हमारे देश की सीमाओं पर चीन, पाकिस्तान और बंगला देश मिलकर एक ट्रायंगिल बना रहे हैं। बंगलादेश में वहां के राष्ट्रपति की हत्या के बाद जिस ढंग से वहां के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर हत्यायें हो रही हैं, उससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत के खिलाफ एक गहरा षड्यन्त्र हमारी सीमाओं पर चल रहा है। जब से चीन और अमरीका के सैनिक

संबंध सुधरे हैं, तब से अमरीका दियागोगार्शिया में बैठकर ट्रांधगिल में परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील दिखता है। इस ढंग से जो सुपर पावर्स हैं, वे इस कोशिश में लगी हुई हैं कि आने वाला महायुद्ध एशिया की जमीन पर लड़ा जाए। यह कोशिश कर रहे हैं कि यह जो आने वाला युद्ध है, चाहे यह आणविक युद्ध हो या किसी ढंग का युद्ध हो, वह उनके देश की सीमाओं पर न लडा जाए, बल्कि बहुत दूर उनके देश की सीमाओं से होकर लडा जाए। पाकिस्तान, अमरीका और चीन—ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ तीनों मिलकर कोई कदम उठायें, परन्तु मेरी स्वयं की यह मान्यता है कि न तो सीधा रूप से अमरीका कोई रूस के विरोध में कोई कार्यवाही कर रहा है और न रूस यह चाहता है कि अमरीका से सीधे-सीधे कोई लड़ाई लड़ी जाए। इस प्रकार ये तीनों सुपर पावर्स यह कोशिश कर रही हैं कि ये छोटे-छोटे मध्यम आकार के जो देश हैं, वे हमारे आसपास चक्कर लगाते रहें। ये देश केवल डर दिखाकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी महत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार वे कोशिश कर रहे हैं कि एक ओर उनके हथियारों की बिक्री हो और दूसरी ओर उनका पैसा अण्डर-डवेलप्ड कन्ट्रीज में लगे और उनका प्रभुत्व उन पर कायम रहे। इस प्रकार की कोशिश आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देखने को मिल रही है।

1962 से 1975 तक हमारे देश पर युद्ध के बादल छाए रहे, तब अमरीका ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा है कि वह कभी भी हमको चीन के विरोध में किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाएगा और इसलिए विवश होकर हमको बार-बार रूस की ओर देखना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमको घबराकर या हमको किसी भी प्रकार जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम किसी एक शक्ति के जाल में चले जायें और जैसा कि अभी श्री राजदा जी ने हम पर आरोप लगाया कि हमने बहुत देर कर दी अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं का विरोध करने में। मगर बहुत से ऐसे नाजुक प्रश्न होते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत से ऐसे नाजुक अवसर आते हैं, जिन पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना उचित नहीं होता है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है—हमारी प्रधान मंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी बहुत ही लायक हैं और जिस ढंग से तथा जिस समय पर जो कदम उठाना चाहिए, वे लगातार उठाते जा रहे हैं। मैं अपने इन भावों को इस शेर में प्रकट करना चाहता हूं—

लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर
　　मर्द वह हैं जो जमाने को बदल देते हैं।

जमाने को बदलने के लिए हमारे विदेश मंत्री और हमारी प्रधान मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व की जो समस्या है, अण्डर-डवेलप्ड कन्ट्रीज की जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, जो विकसित राष्ट्र अपने पैसों के बल पर, अपने शस्त्रों के बल पर आज दबाने की कोशिश करते हैं—ऐसी नाजुक और विकट परिस्थितियों में किस ढंग से सामना किया जाय, इसके लिए हमारी प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमको गर्व है कि ऐसा सुन्दर और सशक्त नेतृत्व हमारे देश को मिला है।

अभी बहुत से प्रश्न हमारी सीमाओं के सम्बन्ध में हमारे अनेक विद्वान साथियों ने उठाये हैं। मैं भी बहुत संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, वहां पर एक सैनिक-शासन कर रहा है और आज जितने भी लोकतन्त्र हैं या जो इस्लामिक कन्ट्रीज हैं आप उनके पिछले इतिहास को उठाकर देखें, वहां अभी तक स्थायित्व कायम नहीं हो पाया है। एक सत्ता आती है, फिर एक भाई दूसरे भाई को मारकर दूसरी सत्ता स्थापित हो जाती है, जन-जीवन के लिए हमेशा संकट बना रहता है। आज विश्व के लोग भारत की डेमोक्रेसी को देखकर गर्व करते हैं, उनके मन में एक प्रकार से आश्चर्य होता है कि हिन्दुस्तान जैसे 68 करोड़ आबादी वाले देश में किस ढंग से, कितनी सफलतापूर्वक, लोकतन्त्र फल-फूल रहा है। आज दुनिया के उन देशों में जहां सैनिक सत्ता शासन कर रही है वहां हमको अस्थिरता नजर आती है। अभी बहुत से साथियों ने और विशेषकर श्री जयपाल सिंह कश्यप ने कहा कि हमारे लोगों को वीजा की बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है—चूंकि मेरे अपने क्षेत्र में 40 प्रतिशत मुसलमान लोग रहते हैं—वीजा की जितनी तकलीफ पाकिस्तान एम्बेशी में हिन्दुस्तान से पाकिस्कान जाने वाले निवासियों को होती है, उतनी तकलीफ पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आने वालों को नहीं है। बल्कि वे तो यह कहते हैं कि हम लोग सुबह एप्लीकेशन देते हैं और शाम तक वीजा मिल जाता है, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के लोगों को एक शक की निगाह से देखा जाता है।

मेरे बहुत से साथी वकालत कर रहे थे कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जो पहले भाई-भाई थे, अब उनको नो-वार पैक्ट को मान लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, दो अवसर हमारे राष्ट्र पर संकट के ऐसे आये जब पाकिस्तान की ओर से हम पर आक्रमण किया गया। पाकिस्तान के शासकों ने अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, हमेशा ऐसे प्रयास किये हैं, युद्ध का माध्यम अपनाया है, जिससे वे शासन करते रहे। लेकिन जो नो-वार-पैक्ट की बात है, जिस समय शिमला समझौता किया गया, जैसा अभी डोगरा जी बतला रहे थे, भुट्टो जब-जब हमारे देश से लड़ते रहे उनकी तारीफ होती रही, लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो उन पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाने लगे। उस व्यक्ति ने जब यह महसूस किया—भले ही देर आयद, दुरुस्त आयद—कि भारत के साथ ठीक ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिये तो वहां पर जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे, उनको वह सहन नही हुआ और उनको हटा दिया गया। आज अमरीका की ओर से एफ०-16 हवाई जहाजों की सप्लाई की बात हो रही है—इसको लेकर कोई भी इस वात को नहीं मानेगा कि इससे पाकिस्तान का शासन मजबूत हो रहा है, लेकिन वे इसका प्रचार कर रहे हैं और दूसरी ओर हिन्दुस्तान के साथ शान्ति की बात करते हैं—यह तो वैसा ही हुआ जैसे मुंह में राम, बगल में छुरी की बात है।

मैं नहीं मानता कि इस प्रस्ताव से हमको सहमत होना चाहिए मगर साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय विदेश मंत्री जी से कि हमारे देश का प्रचार और प्रसार बहुत कमजोर है। अभी भी हमारा जो बोर्डर है, उससे लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अमृतसर और दूसरे पंजाब के इलाके, वहां के लोग पाकिस्तान के टेलीविजन की बड़ी तारीफ करते हैं कि वह बहुत अच्छा कार्यक्रम देता है। एक प्रकार से हमारे देश के विरोध में पाकिस्तान रेडियो और

पाकिस्तान टेलीविजन लगातार जहर उगलता रहता है परन्तु हमारे यहां का जो रेडियो या टेलीविजन हैं, उनसे कोई ऐसी बात नहीं सुनाई देती है। यदि हमारे ऊपर विदेशियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं चाहे वह पाकिस्तान हो, बंगला देश हो, चीन हो या अमेरिका हो, हमारे जो प्रचार के माध्यम हैं, उनके द्वारा उस ढंग का जनमत तैयार नहीं किया जाता है। हमारे देश में भी इसी तरह का जनमत तैयार किया जाना चाहिए।

एक भाई पहले कह भी रहे थे और शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे कि हमारे यहां यह एक बड़ी कमजोरी है कि हमारे देश में जो मुसलमान रहते हैं, उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न यह उठता है कि यदि पाकिस्तान की ओर से नो-वार पैक्ट आता है, तो भारत क्यों नहीं उसको मान लेता परन्तु हमको उनको यह समझाना चाहिये कि वास्तविकता क्या है और किस ढंग से यह प्रस्ताव जो आया है, उसके पीछे भावना क्या है। जब तक हम अपने जनमत को नहीं समझायेंगे, नहीं तैयार करेंगे, तब तक हम विदेशों में अपना पक्ष सही रूप में, स्पष्ट रूप मे नहीं रख सकेंगे और तब तक हमारी विदेश नीति कामयाब नहीं होगी।

मुझे खुशी है कि दो-तीन माह से हमारे विदेश मंत्री जी और हमारी प्रधान मंत्री जी बहुत से देशों का दौरा कर रही हैं और इसके साथ-साथ 1980 के चुनावों के बाद और विशेषकर जनता पार्टी की असफल विदेश नीति के बाद जब हमारी पार्टी ने सत्ता संभाली, तब से लगातार विदेशी डिगनेटरीज पूरी दुनिया की हमारे यहां आ रही हैं और हमारे नेता दूसरे देशों में जा जा कर अपना पक्ष रख रहे हैं। इस तरह से विश्व में भारत का पक्ष और स्पष्ट होता जा रहा है, हमारी नीति और स्पष्ट होती जा रही है।

चीन के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि गोनसाल्वेज महोदय के नेतृत्व में हमारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल वहां पर चर्चा कर रहा है लेकिन मैं उस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमको सावधानीपूर्वक बात करनी चाहिए और हमारा जो एरिया चीन ने छीना हुआ है, उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मित्रता के साथ, बजाय इसके कि हम लड़ें, दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाएं।

इस अवसर पर फिर से अपनी ओर से हार्दिक बधाई विदेश मंत्री जी को देना चाहता हूँ और प्रधान मन्त्री जी को देना चाहता हूं और इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अमरीका ने हमारे पडोसी देश पाकिस्तान को 32,000 लाख डालर की सैनिक आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। फिर अमरीका ने एफ०-16 लड़ाकू बम्बारी करने वाले विमानों सहित नवीनतम व आधुनिकतम हथियार पाकिस्तान को देने का भी निर्णय किया है। फिर अमरीका ने अग्रिम चेतावनी तथा नियंत्रण व्यवस्था वाले विमान साऊदी अरब को सप्लाई किये हैं और यह भी उल्लेखनीय है कि साऊदी अरब के रक्षा मन्त्री ने घोषणा की है कि साऊदी अरब युद्ध अथवा शक्ति की स्थिति में पाकिस्तान का

साथ देगा। और जैसाकि हम सबको पता है कि चीन ने अमरीका के साथ गठबंधन कर लिया है और उसने भी सैनिक साज सामान, गोलाबारूद और एफ०-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सप्लाई किये हैं। चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को चीन में सिक्यांग के साथ मिलाने वाला कोराकोरम राजमार्ग का भी निर्माण किया है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान, अमरीका, साऊदी अरब और साम्यवादी चीन के बीच एक सैनिक गठबंधन है जिसकी घोषणा नहीं की गई है। इस अघोषित गठबंधन से हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है।

गत अक्टूबर में प्रधान मन्त्री कानकुन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैक्सिको गई थीं। उन्होंने अमरीका राष्ट्रपति रीगन को बताया था कि भारत की सुरक्षा और दक्षिणपूर्व एशिया में भी शान्ति को खतरा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को दी गई आधुनिकतम सैनिक सहायता का प्रयोग भारत के खिलाफ किया जायेगा जैसाकि पहले किया जाता रहा है। इस पर राष्ट्रपति रीगन ने स्पष्ट किया कि अमरीका ने यह निर्णय इसलिए किया है कि अमरीका को अफगानिस्तान में रूसी सेना की उपस्थिति के बारे में चिन्ता हो गई है। राष्ट्रपति के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमरीका को रैंड कारपोरेशन की रिपोर्ट की जानकारी है कि अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं की उपस्थिति के बावजूद पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु नं० 1 मानता है। रूसी सेनाओं के अफगानिस्तान के घुस आने के तुरन्त बाद पाकिस्तान ने अमरीका के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था कि वह अपनी पश्चिमी सीमा से उत्पन्न साम्यवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना तैनात करे। आज भी पाकिस्तान सेना के 6 कोर में से केवल एक कोर को अफगानिस्तान के निकट रखा है। परन्तु पाकिस्तान सेना के पांच कोर भारतीय सीमा के निकट हैं। इस प्रकार पाकिस्तान की लगभग सारी सेना भारतीय सीमा पर तैनात है। वह पाकिस्तानी सीमा पर तैनात नहीं है। इसलिए अमरीका के राष्ट्रपति को भारी गलतफहमी है अथवा यदि वह सोचते हैं कि पाकिस्तान सेना की एक कोर साम्यवाद की आंधी को रोकने में समर्थ होगी तो वह वैसी ही कल्पना है जैसे वह अभिनेता के रूप में हालीवुड में प्रतीकात्मक लड़ाइयां लड़ते रहे हैं।

फिर अमरीका पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया द्वारा भारत को कुछ दिनों पूर्व की गई अनाक्रमण समझौते की पेशकश की प्रशंसा कर रहा है और जोर दे रहा है जैसा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई चाहता हो। परन्तु यह अनाक्रमण समझौता अमरीका और पाकिस्तान के बीच एक षडयंत्र का परिणाम है जो पाकिस्तान को एफ०-16 लड़ाकू बम्बार विमानों सहित नवीनतम और आधुनिकतम हथियार देने और पाकिस्तान को, जहां तक हथियारों का सम्बन्ध है, भारत से दस वर्ष आगे कर देने का बहाना मात्र है।

मिस्र के राष्ट्रपति श्री सादात की हत्या कर दिये जाने के बाद साऊदी अरब के प्रिंस खालिद अरब देशों का नेता बनाना चाहता है। साऊदी अरब ने अमरीका बैंकों में असंख्य पैट्रो डालर जमा करा रखे हैं। अब अमरीका आधुनिकतम इलैक्ट्रानिक कमांड प्रणाली से लहस सेना बनाने के लिए साऊदी अरब की सहायता करना चाहता है ताकि साऊदी अरब अमरीकी सेनाओं

का अड्डा बन जाये । वे उस राष्ट्र के लिए लड़ने का बहाना बनाकर साऊदी अरब में ही ठहरेंगे । अमरीका द्वारा पांच अग्रिम चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली वाले विमानों की साऊदी अरब का बिक्री अमरीका के इरादे का प्रमाण है । अब साऊदी अरब का इरादा भी स्पष्ट है । यह दोहरा है । एक तो यह है कि साऊदी अरब अपने देश में विद्रोहियों से निपटाना चाहता है । दूसरे साऊदी अरब फारस की खाड़ी और हिन्द महासागर के सम्बन्ध में अमरीका की शस्त्र नीति के बारे में अमरीका के साथ सहयोग करना चाहता है । जहां तक इस सामरिक नीति का सम्बन्ध है इसका मूल खाड़ी के तेल क्षेत्रों की खतरे की स्थिति में प्रयोग हेतु सेनाओं के शीघ्र तैनात किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में है । ये सभी बातें महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय हैं क्योंकि जैसाकि मैंने पहले कहा है, कुछ दिन पूर्व साऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि साऊदी अरब युद्ध और शान्ति की स्थिति में पाकिस्तान के साथ रहेगा । फिर पाकिस्तान साऊदी अरब से कुछ पैट्रो-डालरों का ऋण ले रहा है ।

उत्तर में हमारा पड़ोसी देश चीन सोचता है, जिसने वर्ष 1962 में हम पर आक्रमण किया था, कि वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का स्वाभाविक नेता है और भारत को अपना प्रतिद्वन्द्वी समझता है । वास्तव में भारत ने कभी भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का नेता नहीं बनना चाहा और न वह ऐसा अब चाहता है । भारत उन सबको अपना मित्र समझता है । परन्तु इसके बावजूद चीन अमरीका के साथ गठबधन कर रहा है और पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दे रहा है, जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा था हमारे विदेश सचिव, श्री गोनसाल्वेज ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु पहले ही पीकिंग पहुंच गये जिसमें चीन के साथ सीमा विवाद सहित कुछ समस्याओं को निपटाया जा सके । इन समस्याओं में सीमा विवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । जहां तक चीन के रवैये का सम्बन्ध है, मैं अपने बजट सत्र में दिये गये अपने पहले भाषण से उद्धरण देना चाहूंगा, क्योंकि चीन के साथ वार्ता-व्यवहार करते समय हमें बड़ा ही सावधान रहना है ।

"चीन हमेशा दुहरी चाल चलता है । यह निर्लज्जतापूर्वक एक साथ ही आपसे शान्ति की बात और युद्ध की तैयारी कर सकता है । यदि एक ओर वह आपसे मुस्कराता हुआ वार्ता कर सकता है तो दूसरी ओर वह आपके लिए सुरंगें बिछा सकता है जिसमें आप थोड़ा सा अवसाधन रहते ही नष्ट हो सकते हैं ।"

अत: मैं आशा करता हूं कि हमारा शिष्टमंडल, जो अब वहां गया हुआ है, चीन में अपने समकक्ष अधिकारियों से वार्ता करते समय बहुत ही सावधान रहेगा । संयुक्त राष्ट्र के हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने सम्बन्धी संकल्प का घोर उल्लंघन करके अमरीका में आधुनिकतम और नवीनतम आणिवक शस्त्र 'डियगो गार्सिया' महाद्वीप में एकत्र करता जा रहा है और इसे एक सुदृढ़ सैनिक अड्डा बना रहा है जहां से भारत को खतरा पैदा हो सकता है और जहां से भारत को खतरा पैदा हो सकता है और जहां से भारत पर आक्रमण किया जा सकता है । इस वर्ष 3 मार्च को पेंटागोन ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि अमरीका डियगो गार्सिया महाद्वीप स्थित हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना चाहता है ताकि वह वहां बी-52 युद्ध का विमान रख सके जो

कि अमरीका के शस्त्रों में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इस महाद्वीप में स्थित सुदृढ़ सैनिक हवाई अड्डे से भारत पर कभी भी आक्रमण किया जा सकता है। अतः निष्कर्ष यह है कि डियगो गार्सिया में सैनिकों का जमाव भारत की प्रभुसत्ता के लिए निरन्तर खतरा बन गया है।

सौभाग्य से, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को भली भांति समझती हैं और जो कूटनीति निपुण हैं। वास्तव में, इन सभी गुणों के आधार पर वह एक विश्व नेता बन गई हैं। हाल ही में उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की थी और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ अपनी व्यक्तिगत बैठकों में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में भारत की नीति को काफी हद तक स्पष्ट किया है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इस बात की परवाह किये बिना कि किसी देश विशेष में क्या राजनीतिक विचारधारा है या कैसी सरकार है, भारत का यह पक्ष उनके सामने रखा कि वह हमेशा शांति चाहता है। शांति बनाये रखने के लिए साथ सहयोग करने को तैयार है। उन्होने यह भी कहा कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने में विश्वास करता है, बल-प्रयोग में नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी तटस्थता की नीति कमजोरी या भ्रम पर आधारित नहीं है। उसने मुक्त कंठ से घोषणा की कि गत 30 वर्षों में भारत पर पांच बार आक्रमण किये गये और इसीलिए अब भारत यह नहीं चाहता कि उसे पुनः इस मामले में चकित होना पड़े या निद्रावस्था में उस पर कोई आक्रमण करे भारत के लोग अब प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल के साथ हमारी मैत्री हजारों वर्ष पुरानी है। हम नेपाल की सदस्यता भी कर रहे हैं। अब नेपाल ने यह प्रस्ताव किया है कि नेपाल को शांति-क्षेत्र बनाया जाय और इस सम्बन्ध में दो बड़ी शक्तियों और चीन तथा भारत गारन्टी दें। ऐसा करने का सीधा मतलब है भारत और नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों में दो बड़ी शक्तियों को जानबूझकर आमंत्रित करना। नेपाल के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व हमें न केवल दो बार बल्कि कई बार सोचना चाहिए।

हमारी तटस्थता नीति को अमरीका जैसे कई राष्ट्र पसन्द नहीं करते। हमारे अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नीति की आलोचना करते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इसी नीति के कारण भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बुलन्दी पर पहुच सका है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का झुकाव रूस की ओर है। यह कहना गलत है। हाल ही की अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने यह स्पष्टतः घोषित किया है कि भारत न तो रूस-समर्थक है और नहीं अमरीका विरोधी-प्रधान मंत्री ने विदेशी संवाददाताओं को बताया कि वह रूसी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से तथा स्पष्ट भाषा में यह बता चुकी हैं कि सोवियत रूस को अफगानिस्तान को खाली कर देना चाहिए। हमें याद है कि हालांकि रूस ने 1971 में बंगला देश युद्ध के समय हमारी सहायता की थी परन्तु फिर भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रेजीडेंट ब्रेझनेव के एशियाई सुरक्षा की संकल्पना को नहीं माना था और साम्यवादी चीन के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित किये थे। इससे सिद्ध होता है कि हमारी तटस्थता की नीति ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अजीतसिंह दाभी : श्री जवाहरलाल ने कहा था कि भारत तटस्थता की नीति का अनुसरण करता रहेगा चाहे कोई भी राष्ट्र हमारा साथ न दे और चाहे हमें अकेले ही चलना पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की जो सूची मेरे सामने है, उसमें कोई भी माननीय सदस्य शेष नही रहा है । अब माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने दो सत्रों में चली इस चर्चा में भाग लिया । यह चर्चा गत सत्र में शुरू हुई थी और आज समाप्त हुई है । इससे पता लगता है माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में कितनी अधिक रुचि से भाग लिया है और व ऐसी चर्चा के लिए कितने अधिक इच्छुक थे । मुझे इससे प्रसन्नता हुई है क्योंकि इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है ।

अनेक सदस्यों ने और मैंने भी कई अवसरों पर यह कहा है कि हम इस देश से विदेशी मामलों के सम्बन्ध मतैक्य रखने की स्वस्थ परम्परा को बनाए हुए हैं । यदि संसद में मतैक्य है तो पूरे देश में मतैक्य हो जाता है । अत: मैं उन तर्कों को पुन: दोहराने में सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा जो सरकार की नीतियों के समर्थन में पहले ही दिये जा चुके हैं । यह आवश्यक भी नहीं है ।

मैं केवल कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करूंगा जैसी कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहीं हैं । मैं इन बातों पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगा क्योंकि इनके लिए इतना ही पर्याप्त है ।

जहां तक नीति का पक्ष लेने का संबंध है, मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने विश्व के सामने आज विद्यमान खतरों का, विनाश के खतरे का और परमाणु शस्त्रास्त्रों से होने वाले विनाश का स्पष्ट चित्र खींचा है । माननीय सदस्यों ने निरस्त्रीकरण को जो महत्ता दी है वह पूर्णत: तर्कसंगत है और भारत ने सदा ही निरस्त्रीकरण का पक्ष लिया है । हमने एक प्रकार के परमाणु हथियारों और दूसरी प्रकार के परमाणु हथियारों में कोई अन्तर नहीं किया है । इन शस्त्रों के बारे में हमने कभी भी द्वयर्थक भाषा नहीं बोली है । इनके बारे में हमारा रुख स्पष्ट है । क्या न्यूट्रान बम अच्छा है या बुरा है, क्या न्यूट्रान बम किसी अन्य बम की तुलना में स्वीकार्य है चूंकि वह कम खतरनाक है, हमने कभी भी इस तरह से विचार नहीं किया है । आरम्भ से ही हमारा यह रुख रहा है कि पूर्ण निरस्त्रीकरण होना चाहिए, चूंकि पूर्ण विनाश के इन परमाणु शस्त्रों को हम मानवता के प्रति अपराध मानते हैं । अत: हम शस्त्र और शस्त्र में अन्तर नहीं करते हैं और चाहते हैं कि सभी प्रकार के शस्त्रों को पूर्णत: नष्ट कर दिया जाना चाहिए । भारत का हमेशा ही यह पक्ष रहा है और हम उससे डिगे नही है ।

विभिन्न अवसरों पर विभिन्न देश विभिन्न प्रस्ताव लेकर हमारे पास आये । यह सम्भव है कि इनमें से कोई प्रस्ताव ऊपर से हमारे अनुकूल प्रतीत हो और हमें आकर्षित करें परन्तु उस पर

गम्भीरता से विचार करने से मालूम होगा कि उसमें कहीं न कहीं ऐसा अवश्य छिपा है जो हमारे हितों के प्रतिकूल है, हमारे दृष्टिकाण के अनुरूप नहीं है। हम ऐसे प्रस्तावों को मानने से लगातार मना करते रहे हैं और अपने इस मूल दृष्टिकोण पर दृढ़ रहे हैं कि सभी प्रकार के परमाणु हथियारों को नष्ट किया जाना चाहिए और हम चाहते हैं कि पूर्ण निरस्त्रीकरण हो।

हालांकि यह अब अव्यावहारिक प्रतीत होता है। लोगों ने हमें बताया है कि हमने ऐसा लक्ष्य स्थिर किया है जिसे थोड़े समय में प्राप्त करना सम्भव नहीं है। हमने उनसे उल्टा प्रश्न पूछा कि क्या उनके प्रस्तावों से वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्षत: वे इस दिशा में सफल नहीं हो सकेंगे। अत: हमें अपने दृष्टिकोण से हटने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारा विचार है कि परमाणु शस्त्रों से होने वाले युद्ध में किसी पक्ष की जीत नहीं होगी। हम यह समझते हैं कि कोई भी युद्ध किसी क्षेत्र विशेष में या किसी शस्त्र विशेष तक या किसी देश विशेष तक या मानवता के किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहेगा। हम उनके द्वारा पेश किये गए किन्हीं भी सिद्धान्तों का समर्थन नहीं करते हैं। इसी दृष्टि से हमारा यह कहना है कि सभी प्रकार के परमाणु शस्त्रों को समाप्त किया जाना चाहिए और पूर्ण निरस्त्रीकरण होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण यह है और मैं प्रसन्न हूं कि सदस्यों ने इस रुख का पुन: समर्थन किया है।

यह मूलत: तटस्थता का रुख है। सभी तटस्थ राष्ट्रों ने और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिकांश ने न्यूनाधिक रूप से हमारे रुख से सहमति व्यक्त की है और परिणामत: हमारे साथ बहुत से राष्ट्र हैं। हम इस स्थिति को बदलना नहीं चाहते और हम इसे बनाये रखना चाहते हैं। आज हमारे लिए जो और भी अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि निरस्त्रीकरण और विकास परस्पर सम्बद्ध होने चाहिए। अब वह समय आ गया है जबकि मानवता को शस्त्रीकरण और विकास में से किसी एक को चुनना होगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। आप या वे लोग, जिनके पास शस्त्रों का भंडार है, दिल से शस्त्रीकरण का समर्थन नहीं कर सकते। हम उन शस्त्रों को किसी भी कीमत पर चाहते ही नहीं। हम ही नहीं, बल्कि बिसरे विश्व के सभी देश उन्हें नहीं चाहते।

किसी कारण से, चाहे वे कुछ भी हो, जो उन्हें चाहते हैं उन्हें इन दो के बीच चुनना पड़ेगा। वह समय आ गया है। वह स्थिति आ गई है। हमने देखा है कि अत्यन्त समृद्ध देशों को अब सभी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयां दुख पहुंचा रही हैं। वहां पर मुद्रा-स्फीति और बेरोजगारी है और वे अपने बजट को संतुलित करने में असमर्थ हैं। यदि एक बार उनके रक्षा व्यय में वृद्धि हो जाती है और यदि राजनीतिक कारणों से उन्होंने जान-बूझकर इस आशा में यह वृद्धि करने के बारे में निर्णय किया है कि वे फिर भी बजट में संतुलन कर सकेंगे और फिर भी यह आशा करते हैं कि बे बन्दूक और मक्खन दोनों को रखेंगे तो वे विवश होकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं क्योंकि यह उनके लिए भी संभव नहीं है। मैं विकासशील देशों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं विकसित देशों की बात कर रहा हूं और वे भी बन्दूक और मक्खन दोनों को नहीं रख सकते हैं। स्पष्ट रूप से, विकासशील देशों के बारे में बहुत कम कहना है।

अतः यदि एक दूसरे पर निर्भरता का सिद्धांत है, जिसे आजकल अधिकाधिक देशों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, तो विकास कैसे होना है ? विकास के लिए धनराशि कहां से आती है ? स्पष्ट रूप से वह धनराशि कहीं और से नहीं आ सकती है क्योंकि समृद्ध और विकसित देश दी गई धनराशि की एक विशेष मात्रा और शस्त्रीकरणों पर परिव्यय की मात्रा से अपने स्वयं के विकास के लिए धनराशि का पता लगाने की स्थिति में नहीं हैं । अतः स्पष्ट रूप से यह धनराशि शस्त्रीकरण के लिए निर्धारित की गई राशि से आएगी । शस्त्रीकरण पर कटौती करनी पड़ेगी । केवल तब ही यह राशि अन्य दिशा में प्रवाहित होगी । अतः इन दो अर्थात् एक ओर विकास और दूसरी ओर शस्त्रीकरण और विनाश के बीच चुनाव है । आज प्रत्येक देश के सामने और मानवता के सामने वास्तविक चुनाव यही है और यही कारण है कि जब हम कानकुन के लिए तैयार हुए थे और कानकुन गए थे तो हम अपने मन में पूरी तरह स्पष्ट थे । गत एक वर्ष से यह तैयारी चल रही थी । बहुत सी आशंकाएं की गई थीं । बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हम अपना समय और शक्ति बर्बादी कर रहे थे और यह होने नहीं जा रहा था । विकसित और विकासशील देशों के लिए एक साथ मिलना और विश्व के आर्थिक ढांचे के बारे में किसी समझौते पर पहुंचना संभव नहीं था । लेकिन हम अपने इरादों पर कायम रहे और यह कहा कि किसी न किसी समय यह होना ही है । हम दो अलग-अलग और बेमेल दिशाओं में सदा के लिए नहीं जा सकते हैं । उन्हें किसी न किसी समय मिलना ही होगा । हमने ये प्रारंभिक बैठकें की थीं और अन्त में यह कार्यकारी फार्मूला निकाला था जिससे 22 शासनाध्यक्ष मिल सके थे—इनमें से कुछ विकसित, कुछ विकासशील और शायद उनमें से कुछ बीच के थे जो पूरी तरह विकसित और न पूरी तरह विकासशील थे । अतः विकास के सभी विशिष्ट प्रकार के स्तर इन देशों में पाए जाएंगे । उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने एक दूसरे पर निर्भरता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था । एक दूसरे पर इस निर्भरता से हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब आगे भी वार्ता करना सम्भव हुआ है ।

गत वर्ष जब हम 11वें विशेष सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र में थे तो हमने पाया कि हम कोई प्रगति नहीं कर सकते—न तो समय सीमा के बारे में और न कार्यसूची के बारे में और न उत्तर-दक्षिण वार्ता के बारे में कुछ कर सकते हैं । इस वर्ष स्थिति बहुत बेहतर नहीं है लेकिन थोड़ी-सी बेहतर है और हम आशा करते हैं कि कानकुन का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र की महासभा की भावी कार्यवाही में अभी अन्य बैठकों की भावी कार्यवाही में महसूस किया जाएगा । इस प्रकार हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं जहां सभी ओर से एक दूसरे पर वास्तविक निर्भरता महसूस की जाती है । कागज पर सिद्धांत रूप से एक दूसरे पर निर्भरता को स्वीकार करना बहुत सरल है । लेकिन इसका आशय क्या है ? एक विकसित देश के लोगों के अर्थों में एक दूसरे पर निर्भरता का वास्तविक आशय है कि उन्हें केवल विकासशील देशों की नहीं, दीर्घावधि में स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ बलिदान करना पड़ेगा । वे कोई भीख नहीं दे रहे हैं । लेकिन उन्हें स्वयं लाभ पहुंच रहा है और वे दूसरे को लाभ पहुँचा रहे हैं क्योंकि ये हित एक दूसरे पर निर्भर हैं । ऐसा न केवल सरकारी स्तर पर अपितु लोगों के स्तर पर महसूस किया गया है । जैसा मैंने एक बार कहा है यदि एक विकसित देश में ऐसा एक परिवार है जो दूसरी

कार अपने लिए खरीदना चाहता है यदि उसके पास पहले से दो कारें हैं और यह परिवार तीसरी कार खरीदना चाहता है तो इस परिवार को समझना चाहिए कि इसकी अगली कार लेने की सभावना किसी अन्य देश में आगामी भोजन प्राप्त करने की संभावना पर निर्भर करेगा। अतः एक दूसरे पर निर्भरता का वास्तव में यह आशय है। यह महसूस किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हम वास्तव में इस दिशा की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन बहुत धीरे-धीरे हम इसको पूरी तरह से प्राप्त करने को अग्रसर हो रहे हैं। इसमें समय लगेगा। लेकिन यह आएगी और इसे आना पड़ेगा तथा इसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

मैं शांति के मामले का उल्लेख कर चुका हूं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई देश एक तटस्थ रास्ता अपनाता है तो कम से कम दोनों पक्षों की ओर से उसकी कुछ न कुछ तो आलोचना अवश्य होगी क्योंकि यह रास्ता दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा और इसलिए किसी न किसी प्रकार की आलोचना हल्की अथवा कड़ी अवश्य होगी जो मामले पर निर्भर करती है।

लेकिन आजकल हमें यह महसूस करना है कि इस प्रकार का द्विभाजन, दो पक्षों, दो गुटों के बीच इस प्रकार का पूर्ण अलगाव सदा के लिये बना नहीं रह सकता है क्योंकि हम पाते हैं कि वास्तव में कई मुद्दों और कई मामलों पर यह होता है। एक ओर आपके. गुट-निरपेक्ष देश हैं और यदि आप अन्य देशों के एक साथ लते हैं तो आप उन्हें गुट-निरपेक्ष के व्यापक नाम से पुकार सकते हैं। और इन दो पक्षों के बीच अनेक मामलों पर सहमति है। यह किस प्रकार है कि यूरोप के कुछ देश आज भारत के रास्ते अथवा गुट-निरपेक्षता के रास्ते के काफी नजदीक हैं जैसा कि नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य-पूर्व, उत्तर-दक्षिण, कानकुन आदि के मामलो से से स्पष्ट है। यह किस प्रकार हैं कि वे अपनी प्रवृत्तियों में अधिक आगे हैं और अधिक उदार हैं अथवा गुट-निरपेक्ष देशों की प्रवृत्तियों के अधिक निकट हैं। वास्तव में सच यह है कि पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित करना बिल्कुल संभव नहीं है और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक भाग में इसके स्वयं के ऐसे पूरे देश हों जो अन्य कोई दृष्टिकोण न अपना सकें। विभागों में दरार पड़ रही है। और भारत का तथा तटस्थ राष्ट्रों का प्रयास यह रहा है कि हम इस गुट निरपेक्ष आन्दोलन से बाहर के देशों यथासंभव अपना मित्र बनाएं। विश्व का भविष्य केवल गुट-निरपेक्ष देशों पर नहीं अपितु गुट-निरपेक्ष आंदोलन से बाहर के देशों पर अधिक निर्भर करता है क्योंकि विनाश की शक्ति हमारे हाथ में नहीं है और यह उन लोगों के हाथ में है जो इस आंदोलन से बाहर हैं। हम इसका सामना करें। और इसलिये यह विश्व और विश्व शांति के हित में होगा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन इस आन्दोलन के बाहर यथासंभव अधिक से अधिक मित्र बनाए। हम यही कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य देशों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। हमारा प्रौद्योगिकीय आधार है और हमें इन विकसित देशों से प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में सहयोग मिल रहा है। इसका कारण यह है कि भारत किसी भी विकसित देश द्वारा दी गई किसी प्रकार की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को खपाने की स्थिति में है।

इस प्रकार भारत की स्थिति को मान्यता दी गई है और इसे स्वीकार किया गया है और

इसे ऐसे देश के रूप में लिया गया है जहां सर्वोच्च प्रौद्योगिकी को आसानी से खपाया जा सकता है। और इसलिए अन्य देश हमारे निकट आ रहे हैं। यह दोबारा एक दूसरे पर निर्भरता का एक उदाहरण है। वे पाते हैं कि उन देशों के भीतर विभिन्न कारणों से उनके कुछ उद्योगों को लाभ नहीं होता है जबकि वे उद्योग इसी प्रौद्योगिकी से भारत में पनप सकते हैं क्योंकि भारत में बेहतर और अधिक अनुकूल स्थितियां हैं। यह दोबारा प्रत्येक दूसरे देश की स्थितियों को समझने इस स्थिति में से पूरा लाभ उठाने का प्रयास करने का मामला है। अतः हम ऐसा कर रहे हैं।

जहां तक हिन्द महासागर का संबंध है, हमने इस विचार का समर्थन किया है। हम सह-आयोजक हैं और आरम्भ से हमने एक ही दृष्टिकोण अपनाया है। मैंने हिन्द महासागर पर दोनों सभाओं में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त को एक ही प्रश्न परेशान करता रहा है और वह है यह प्रतिद्वन्द्वता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे परेशान नहीं कर रहा...

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपको परेशान कर रहा है। मैंने आपको यह मामला उठाते सुना है। मुझे पता नहीं, कितनी बार परन्तु बहुत बार मैं आपकी सुन चुका हूं। महोदय, इसका उत्तर बहुत सीधा है जो गम्भीरतापूर्वक देना चाहता हूं। वास्तव में इन दिनों प्रतिद्वन्द्वता के शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, इसमें मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक संकल्प पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिसके बारे में हम सबने शपथ ली है और यह संकल्प 1971 का है—हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने संबंधी संकल्प की क्रियान्विति। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प है। जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में है :

"महान् देशों की प्रतिद्वन्द्वता के सदर्भ में महान् शक्तियां की सैनिक उपस्थिति के बढ़ाए जाने पर, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, गम्भीर रूप से चिन्तित।"

अतः मैंने उस शब्द को नहीं बनाया है। यह संकल्प में ही है क्योंकि इन गलतफहमियों के कारण, जो कि पैदा हो जाती हैं, हम कहते हैं कि हमें हैं। हम उपस्थिति नहीं चाहते। हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपकी दृष्टि से इससे बेहतर होता है तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। परन्तु बात नई है। यहां पर एक की दूसरे के साथ तुलना करने का प्रश्न नहीं है। बराबरी करने का कोई प्रश्न नहीं है। बात यह है कि हम किसी को नहीं चाहते। हम इस क्षेत्र को इन शक्तियों और उनकी उपस्थिति से मुक्त रखना चाहते हैं। अब इस बात का निर्णय कौन करेगा कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया। पहला क्यों आया और दूसरा क्यों आया। इसलिए ऐसी बातों से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। बात सीधीसादी है। हम इसे शान्ति का क्षेत्र चाहते हैं और इसीलिए यह बात संकल्प में शामिल की गई है और अब भी मूल संकल्प है। हम इसका प्रयोग करते रहे हैं परन्तु इसका इससे कोई अन्य भिन्न अर्थ नहीं जो मैंने स्पष्ट किया है। हमें पता है कि हमारे मित्र कौन हैं, और किस देश ने हमारी सहायता की है, हम इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। परन्तु इस संदर्भ में यह तर्क ठीक बैठता है। यहां पर प्रश्न यह है कि क्या आप इस क्षेत्र

को शान्ति का क्षेत्र चाहते हैं । आप एक ओर होकर शान्ति का क्षेत्र नहीं बना सकते । इसीलिए हम न एक ओर जाते हैं न दूसरी ओर । और केवल दो पक्ष नहीं हैं 5 या 6 पक्ष हैं । क्योंकि इसमें दो देश नहीं बल्कि 3, 4 या 5 देश हैं । उनकी भी किसी न किसी रूप में उपस्थिति है । हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी इस क्षेत्र में न रहे । यह बात बहुत सीधीसादी है और हमारा यही पक्ष है । अतः जब हम हिन्द महासागर का प्रश्न उठाते हैं, तो बराबरी करने प्रश्न का बार-बार नहीं उठाया जाना चाहिए । कुछ सदस्यों ने सामूहिक आत्मनिर्भरता का भी उल्लेख किया है । सभा को पता है कि भारत ने सामूहिक आत्मनिर्भरता, कार्यक्रमों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो भारत अन्य विकासशील देशों के साथ चलाने हैं और जो अन्य किसी भी देश की तुलना में संख्या, गहनता और व्यापकता की दृष्टि से बहुत अधिक हैं । चूंकि हम कच्चे माल को भेजने की स्थिति में ही नहीं—वास्तव में हम कम से कम कच्चा माल भेज रहे हैं और अधिक से अधिक इंटरमीडिएट वस्तुएं बल्कि आधुनिकतम मशीनरी भी भेज रहे हैं । हम सामूहिक आत्मनिर्भरता के इस सिद्धान्त को बेहतर ढंग से कार्यरूप दे सकते हैं । जैसे वर्ष बीतते जाएंगे, हम विकसित देशों के साथ भी प्रतियोगिता के योग्य हो जाएंगे । परन्तु यहां पर प्रतियोगिता की कोई बात नहीं है जब यह तीसरे विश्व के हित में है; हमें अपनी विशिष्ट जानकारी का अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर प्रयोग करना है । हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, हमने गत 30 वर्षों में अनेक गलतियां की हों, हम कुछ पहलुओं में असफल रहे हों, परन्तु हमने गलतियों से सीखा है और अन्य देशों की उन सब प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए काफी संख्या में देश इसका लाभ कमा रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि ऐसा हो रहा है ।

अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहा गया है । मैं उन सब बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जो समय समय पर होती रही हैं या नहीं होती रहीं, अगर मैं अधिक सही ढंग से कहूं । परन्तु मैं इतना कहना चाहूंगा कि गत वर्ष मास्को से लौटने के तुरन्त बाद, मैंने संसद के दोनों में वक्तव्य दिया था । फिर कुछ लोगों ने अपत्ति की परन्तु मैंने कहा कि हमारें विचार में तो ठीक स्थिति है वही हमने सभा को, जनता को और राष्ट्र को बतानी है । हमने महसूस किया कि अफगानिस्तान में कुछ अवांछनीय घटनाएं हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप हमारे विचार से उनको अपनी उपस्थिति बढ़ाने का बहाना मिल जाएगा, जिनकी उपस्थिति ठीक नहीं समझी जाएगी जो अपनी उपस्थिति अन्यथा नहीं बढ़ा सके हैं । इस बात को हमने स्पष्ट ढंग से कहा है और यही हुआ है ।

आज चाहे यह जितना भी अशिष्ट प्रतीत हो, आपको निश्चित रूप से इस बात का पता लगाना होगा कि कौन चाहता है कि रूसी सेनाएं अफगानिस्तान से हट जायें । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस स्थिति का लाभ उठा रहा है । ऐसा क्यों हुआ । ऐसा क्यों होना चाहिए था ? ऐसा क्यों होने दिया गया ? भारत का दृष्टिकोण बहुत सही रहा है कि हम अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति नहीं चाहते जैसे कि हम किसी अन्य देश में नहीं चाहते । जैसाकि मैंने एक बार कहा था, कुछ लोग फर्क करते हैं, हम नहीं करते । सभी देशों, सभी विदेशी सेनाओं आदि के सम्बन्ध में हमारे सिद्धान्त समान है । इसको गलती समझा गया, छल समझा गया और उसे

अधमना वक्तव्य समझा गया । हमने इन सब बातों का सामना किया है, परन्तु हम अपने दृष्टिकोण और सिद्धांतों पर अड़े रहे । परन्तु आज क्या हो रहा है । क्षेत्रीय रूप से समाधान ढूंढने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया । श्री इन्द्रजीत गुप्त का कहना है कि हम विश्वव्यापी और क्षेत्रीय पहलुओं में अन्तर नहीं समझ पाये और इसलिए हमने दो बातों को मिला दिया है । उनकी बात को मैंने इसी रूप में समझा है, जी हां, जानबूझकर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में लड़ाई हो जाए और वह विश्वव्यापी हो जाए तो वे कभी भी उससे निकल नहीं पाएंगे । वर्ष 1980 के समूचे वर्ष में हमारा प्रयत्न यही रहा है कि हम कोई तटस्थ सूत्र बना सकें जिससे उसका कोई राजनीतिक समाधान मिल जाए । इस विश्व में हमारे सामने कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं को निकालने के लिए अपनी सेनाएं भेज दें । अत: यह स्पष्ट है कि इसका कोई सैनिक समाधान नहीं मिल सकता । राजनीतिक समाधान ही निकालना होगा । हम राजनीतिक समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तो राजनीतिक समाधान कैसे निकाला जा सकता है ? यही बात हम सीधे और सरल ढंग से दोनों देशों/पक्षों को बतलाते रहे हैं जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं । ऐसा नहीं हुआ है । बात करने के लिए इकट्ठे हुए, सहमत होने के लिए नहीं, बल्कि बात करने के लिए । ऐसा नहीं हुआ है । कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है कि वह दूसरे देश के साथ बात भी न करे और लाखों शरणार्थियों की समस्या का सामना करता रहे ? क्या यह बात समझ में आती है ? ऐसा नहीं । कोई और बात होनी चाहिए जो सामने नहीं है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है ।

यह एसी स्थिति है जिससे हम इन देशों को निकालना चाहते हैं ताकि कुछ समाधान निकल सके । उदाहरण के लिए कम्पूचिका लीजिए । वहां कुछ घटनाएं हुई हैं । अन्त में, आज प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत है कि हमें इस समस्या को बिना बाहरी हस्तक्षेप के क्षेत्रीय आधार पर समाधान निकालना चाहते हैं । अब यह कैसे होगा, कोई नहीं जानता वे अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु वास्तव में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली । परन्तु अन्ततोगत्वा दक्षिण पूर्वी देशों में भी जो इस मामले पर हमारे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, आज स्वीकार करते हैं कि सम्बन्धित देशों को निना बाहरी हस्तक्षेप के आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा । हमारा सदा ही यह दृष्टिकोण रहा है । आज यह महसूस किया जा रहा है कि केवल यही रास्ता है, यह बात नहीं कि ऐसा कल हो जाएगा परन्तु जब भी कभी होगा, यही होगा क्योंकि यही एक रास्ता है । फिर यदि यह मामला विश्वव्यापी बन जाता है तो इसका समाधान पूर्व-पश्चिम संघर्ष से होगा । प्रश्न यह है कि क्या देश संघर्ष का बोझ सहन कर सकते हैं, क्या वियतनाम इसे बर्दाश्त कर सकता है ? क्या कम्पूचिया बर्दाश्त कर सकता है ? कम्पूचिया की जनता के बारे में कौन विचार कर रहा है ? हम केवल तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं । अनेक देश देख रहे हैं कि कम्पूचिया को मान्यता दी जाती है या नहीं, क्या हैग सामारिन की सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं । इस मामले के उठाने वाले अनेक मित्रों से मैंने पूछा है कि यदि वे हे समारिन को मान्यता नहीं देते तो किसको मान्यता देते हैं ? क्या वे पोल पाट को मान्यता देते हैं । वे तत्काल कहते हैं कि नहीं, नहीं हम पोल पाट के पक्ष में नहीं हैं । तो फिर वे किसके पक्ष में है ।

परमात्मा, शैतान, किसके ? अतः तथ्य यह है कि हम इस मामले पर व्यावहारिक रूप में विचार नहीं कर रहे हैं ।

पड़ोसियों के बारे में बात करने से पूर्व मैं एक छोटी सी और बात कहता चाहता हूँ, यह इतनी छोटी भी नहीं परन्तु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिन्द महासागर के ठीक मध्य में है—सेशल्स के बारे में ।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जिस दिन यह विमान अपहरण हुआ था, इस सभा तथा दूसरी सभा में स्थिति देखने वाली विश्वास करने वाली थी । प्रत्येक सदस्य खड़ा हो गया था और एयर इण्डिया विमान के यात्रियों/भारतीय यात्रियों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक था । सरकार सारा दिन विमान में सवार यात्रियों की हालत का पता लगाने में व्यस्त रही कि वास्तव में क्या हुआ । किसी को कुछ पता न था कि क्या हुआ । अपदस्थ किये जाने के बारे ब्योरा और अन्य कहानियों का लेखा-जोखा एक दिन बाद में मिला था । अतः उस दिन हमारा एक ही काम था कि हम अपने साथियों को जो वहां गये थे किस प्रकार सुरक्षित वापस लायें । हमें यह भी नहीं पता था कि वे दक्षिण अफ्रीका से हैं जहां विमान का उदाहरण करके ले जाया गया था । कुछ समय तक मह पूछताछ करते रहे और जब पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका ही था तो हमें एक अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ा । दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । अतः इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अन्य मित्र देशों की सहायता प्राप्त करने के बारे में विचार करना था । मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने कुछ प्रयत्न किया और हमारी सहायता की । हम उनके अहसानमंद हैं । परन्तु हमें इसी काम में लगे रहे विमान यात्रियों और कर्मी दल को किस प्रकार सुरक्षित वापस लाया जाए । उसके बाद हमने तथ्यों का पता लगाया । जैसे ही तथ्यों का पता चला, हमने तथ्यों को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा में सैशल्स के प्रतिनिधि के कथन का समर्थन भी किया । पता नहीं इस सम्बन्ध में हम और कौन-सा दृष्टिकोण अपना सकते थे । हमें तथ्यों से पूरी तरह अवगत होना चाहिए । हम समाचार पत्रों पर निर्भर नहीं रह सकते तथा केवल अयुक्त समाचारों पर नहीं जी सकते । मैं समाचार पत्रों के विरुद्ध नहीं परन्तु मुद्दा यह है कि जब तक सरकारी क्षेत्रों से पुष्टि न हो जाए तब तक हम अधिकारिक रूप से कोई रुख नहीं अपना सकने ।

जहां तक पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों की बात है राष्ट्रपति आज जो मध्याह्न पश्चात ही नेपाल से वापस लौटे हैं । लगभग एक सप्ताह पूर्व मैं वहां पर था । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कुछ वर्षों से पूर्व ही स्थिति की तुलना में अब नेपाल के साथ सहयोग की अधिक भावनाएं हैं । दोनों पक्ष इस बात को समझ रहे हैं कि दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जनसंख्या की दृष्टि से इतने अन्तः सम्बद्ध हैं और उनके सास्कृतिक संबंध इतते सुदृढ़ हैं कि दोनों के लिए अलग रास्ते अपनाना संभव नहीं है । यह समझ लिया गया है । दोनों देश स्वतन्त्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न देश हैं । आपस में इतनी समानताओं के साथ दोनों को स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न पड़ोसियों के रूप में रहना है । यह एक ऐसा संबंध है जिसकी स्थापना करना आसान नहीं है और यदि इसे स्थापित

कर भी लिया जाए तो आज के युग में इसे चलाना मुश्किल है। परन्तु हमें ऐसा कहना है और मुझे विश्वास है कि वहां के नेताओं के साथ मेरी बातचीत के बाद मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देशों का यह दृष्टिकोण होगा।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति की उस देश की यात्रा के साथ इस विचार की पुष्टि हुई है। मुझे विश्वास है कि मुझे उनसे ब्यौरे मिलेंगे और मेरा विश्वास है कि अधिकतर प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ये प्रश्न पड़ोसी देशों के बीच ही पैदा हो सकते हैं। ये दूरस्थ देशों के बीच पैदा नहीं हो सकते। चाहे वह पानी का मामला हो अथवा अन्य समस्याएं हों हम इनके बारे में ठोस रुख अपनाते रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले एक वर्ष में, विशेष रूप से 1981 में इनमें से अधिकतर मामलों के सम्बन्ध में बहुत प्रगति हुई है जिनके बारे में कुछ वर्षों से कोई प्रगति हुई थी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि दोनों पक्षों ने इस बात को समझ लिया है और हम आने वाले महीनों में तेज गति से प्रगति की आशा है।

उदाहरण के रूप में जल संसाधनों के बारे में मेरी बातचीत के कारण पता चला कि प्रगति का न हो पाना बहुत छोटी-छोटी बातों के कारण था जिनको आपसी बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता था। परन्तु न कोई दल यहां से वहां गया और न कोई दल वहां से यहां पर आया। पहली बैठक जनवरी, 1981 में हुई। इसमें अनेक बातें निपटाई गईं और तेजी से प्रगति हुई। अब कुछ मामलों पर विचार किया जाना है। एक बार फिर से एक दल आ रहा है। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इनको निपटाया जाएगा।

जहां तक औद्योगिक बातें हैं, अनेक ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं। अनेक परियोजनाएं हैं जिनमें हम पहले से सहयोगी हैं। मुझे उनमें से कुछ को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पाया है कि दक्षता, तत्परता तथा समय पर कार्य किये जाने के बारे में दूसरे पक्ष में पूरी तरह सन्तुष्टि है। अतः यह एक अच्छी बात है। यह एक ऐसी अच्छी संभावना है जो हमने नेपाल में देखी है।

कुछ महीने पूर्व मैं भूटान में गया था। मैंने पाया कि भूटान में वही भावना है। मुझे ब्यौरों में जाने की आवश्यकता नही सिवाय इसके कि यह कहा जाए कि भूटान के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। केवल सहयोग और वास्तव में सहयोग को गति देने का तथा सहयोग के अधिक क्षेत्रों का पता लगाने का प्रश्न है। ऐसा किया जा रहा है।

बंगला देश के साथ आपको याद होगा कि हमें नवपूर द्वीप समूह के बारे में थोड़ी दिक्कत हुई थी। कुछ दिन के लिए बड़ी तरीका पूर्ण स्थिति रही। कुछ उत्सुकता की घड़ियां थीं। राष्ट्रपति जिआउर्रहमान की हत्या के बाद उस देश की स्थिति को देखते हुए किसी समय कुछ भी हो सकता था। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि दोनों पक्षों की समझदारी के साथ और इस निश्चय के कारण कि स्थिति को नियन्त्रण से नहीं निकलने दिया जाएगा हम न केवल द्वीप के संबंध में परन्तु

सीमा को रेखांकित करने के प्रश्न पर भी स्थिति को तनाव रहित कर सके। वास्तव में इसमें कुछ और प्राप्ति भी हो सकती थी। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श के साथ पुर्नविचार करना चाहते थे। अच्छी प्रगति हुई है और हमें आशा है कि शीघ्र ही इस प्रश्न को निपटा लिया जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि बंगला देश ने चिरागांव के निकट एक छोटे द्वीप पर अमरीकी सैनिक अड्डे के निर्माण की अनुमति दी है। क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी है। यह समाचार प्रकाशित हुआ है···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। यह द्विपक्षीय नहीं है। मैं मित्रों, अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों की बात कर रहा हूं। यह दूसरा मसला है।

अब अन्त में जहां तक पाकिस्तान की बात है मैंने "अनाक्रमण समझौते" के बारे में एक वक्तव्य दिया। जानबूझकर ऐसी कोशिश की गई है, चाहे वह गंभीरता से न हो, यह दिखाया जा रहा है कि उस बारे में ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे। यह···

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसके द्वारा जानबूझकर कोशिश ?

श्री माननीय सदस्य : श्री वाजपेयी द्वारा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा अथवा पाकिस्तान द्वारा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इससे कोई अन्तर नहीं आता कि यह कोशिश किसके द्वारा की जा रही है। एक कोशिश की गई है। वह सफल नहीं हुई है। वह सफल होगी भी नहीं। यह आसान मामला नहीं है। मैं सदन के सामने दो दृष्टान्त पेश करूंगा।

15 सितम्बर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया द्वारा 'अनाक्रमण समझौते' की पेशकश की गई। अत: सारा मामला 15 सितम्बर 1981 को आरम्भ होना है। यह एक दृष्टान्त है। भारत को क्या कहना है ? ' क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ? क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते ? क्या आप इसे किन्हीं शर्तों के साथ स्वीकार करने हैं ?" तत्काल यह सभी प्रश्न हमारे सामने आते हैं। मैं इस दृष्टान्त को समझ सकता हूँ।

दूसरे दृष्टान्त को देखें। भारत द्वारा 1949 में 'अनाक्रमण समझौते' की पेशकश की गई। 31 वर्षों के बाद कोई उसकी कोई बात नहीं करता। इसके पक्ष द्वारा लगातार इसे मानने से इनकार किया गया और दूसरे पक्ष द्वारा अचानक यह पेशकश करके हमसे कहा गया है। आपको क्या कहना है ? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ? क्या आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे ? यह उचित नहीं है ? आप 31 वर्ष के इतिहास को नजरंदाज नहीं कर सकते। मैंने सदन को पूरे ब्यौरे

देते हुए एक वक्तव्य दिया जिसमें बताया कि किसने कब, क्या तथा किस संदर्भ में क्या कहा। मैंने इसे गैर-गंभीरता से नहीं कहा। मुझे इस सदन को बताना है। अपने लोगों को बताना है कि इस पृष्ठभूमि में हमें यह कथित प्रस्ताव प्राप्त हो रहा है और सरकार अपने को इस स्थिति में पाती है। अतः मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि शिमला समझौते ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच संबंधों को द्वि-पक्षीय रूप दिया। वे भी इससे सहमत हैं हम भी इससे सहमत है क्योंकि उन्होंने कहा, "शिमला समझौते की भावना में।" हमने पेशकश की थी। क्या यह संभव है कि हम उस पेशकश को, अपनी पेशकश को, नजरंदाज कर दें ? यदि हम ऐसा करें, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि प्रस्ताव का बाधापूर्ण इतिहास है, कि बार-बार इसको अस्वीकार किया गया, तो क्या यह ठीक होगा ? अचानक दूसरे पक्ष द्वारा पेशकश की गई और हम पृष्ठभूमि के ब्यौरों पर विचार किए बिना यह कहें, हम इसे स्वीकार करते हैं तो क्या यह उचित होगा, क्या यह देश के हित में है, क्या किसी उत्तरदायी सरकार को इस प्रकार करना चाहिए ? स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी कारण मैंने सारी पृष्ठभूमि सदन के सामने रखी और अब मैंने कहा कि मैं यह जानना चाहूंगा—मैंने यह भी नहीं कहा—मैं यह जानना चाहूंगा—मैंने कहा मेरी प्रतिक्रिया इस आधार पर ठोस होगी कि पाकिस्तान द्वारा अब की गई 'पेशकश' हमारी पेशकश की, जो पिछले 31 वर्षों से लम्बित है, स्वीकारोक्ति होगी। मैंने किस कारण से ऐसा कहा ?

प्रो एन० जी० रंगा : यह पेशकश बार-बार की गई है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने किस कारण ऐसा कहा ? मैंने इसे हल्के रूप से नहीं कहा है। मैं इस बारे में गंभीर हूं क्योंकि मैंने 31 वर्ष पूर्व यह पेशकश की थी। उस पेशकश के बारे में आपत्तियां उठाई गईं थीं। कई कारणों से उस पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया था और जब मैं यह कहता हूं कि इस आधार पर मेरी प्रतिक्रिया ठोस होगी तो आज यह पिछले 31 वर्षों के इतिहास के विरुद्ध होगा, इसकी पेचीदगियां हैं और इन पेचीदगियों पर विचार किया जाना होगा और इसी कारण जो कुछ मैंने कहा है वह कहना उचित है। हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है। हमने इसे अस्वीकार नहीं किया है ?

हमने सारे संसार का ध्यान इस सच्चाई की ओर आकर्षित किया है, ऐसा 31 वर्षों से हो रहा। या उस कारण से इसके लिए इन्कार किया गया है। अब उस आधार पर क्या होगा ? मैंने प्रश्न नहीं पूछे हैं मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि इस आधार पर मैं सहमत हूं। इसके अलावा दूसरी बात नहीं कही जा सकती। यह बहुत सद्भावनापूर्ण है। इससे परे कुछ नहीं कहा जा सकता यह बहुत स्पष्ट है, इसलिए एक अनाक्रमण सन्धि में यह होना चाहिये :

(क) शिमला समझौते को प्रोत्साहित करना होगा क्योंकि शिमला समझौते में शांति का प्रयोग करने की धमकी को त्यागने पर दोनों तरफ से जानबूझकर सहमति हुई थी, इसलिए शिमला समझौते में जो कुछ कहा गया है उसको ही आगे बढ़ाने से अनाक्रमण सन्धि हो सकती है।

(ख) उस समझौते में द्विपक्षीय शर्तों पर विचार किया गया था।

(ग) जैसाकि पहले भी कहा गया है कि भारत ने 1949 में जो अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव किया था, पाकिस्तान के प्रस्ताव में उसे स्वीकार किया गया है। यह वे बाते हैं जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए सरकार पर सोर्य रहने या प्रत्युत्तर न देने या अतिवादी होने के आरोप लगाने के कोई कामोचित कारण नहीं है हमने एफ-16 या किसी और चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा हमने केवल इतना कहा है कि जब यह प्रस्ताव रखा जा रहा था तो अमेरिका की कांग्रेस में कुछ हो रहा था क्या हमें ऐसा नहीं कहना था? क्या यह इतनी अमहत्वपूर्ण बात थी? यह इतनी मामूली बात नही थी। मैंने उसका भी बिना किसी टिप्पणी के उल्लेख किया। आज हमारी स्थिति ऐसी है। आगे कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमने जो वादा किया था हम उस पर डटे रहेंगे यही हमारी प्रतिक्रिया है। यह सब मैं कहना चाहता हूं।

लंका के बारे में मुझे केवल यह सूचित करना है कि वहां पर हमारी समस्या भारतीय मूल के बकाया लोगों की है। मैं दूसरी ओर के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, दूसरे तमिल लोग जो श्रीलंका निवासी हैं वे वहां के नागरिक हैं। हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन जहां तक ऐसे भारतीय मूल के निवासियों का प्रश्न है जो कहीं के भी नागरिक नहीं हैं उनमें से कुछ को हम अपने यहां बसायेंगे और कुछ लोगों को उन्हें अपने यहां बसाना होगा। पिछले मास एक समझौता हुआ है अब हम उन लोगों को लेंगे जिन्होंने हमारे यहां रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस आधार पर यह समस्या हल की जायेगी।

हमने चीन के बारे में जानबूझकर इस वार्ता के दौरान कोई चर्चा नहीं की क्योंकि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अनेक मामलों में चीनी प्रतिनिधि-मंडल से वार्ता करने के लिए गया है। इसलिए जब वहां से लौट जायेंगे तब हमें इस बारे में पता लगेगा कि कितनी प्रगति हुई है। किसी भी बारे में अन्दाजा लगाना उचित नहीं होगा। इसलिए इस मामले में जानबूझकर सीधे से मैंने कुछ नहीं कहा। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले में अधिक प्रश्न नहीं किए। मुझे इतना ही कहना है कि मेरे विचार से श्री गुप्ता की भाषा में बहकाए गए लोगों के सभी प्रश्नों पर मैंने प्रकाश डाल दिया है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा हमारी कार्यवाही के प्रति सहमति प्रकट करने और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए उनका आभारी हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने बहकाए गए लोग कहा या पागल लोग ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : केवल बहकाए गए लोग। क्या आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्षमहोदय : श्री रामावतार शास्त्री और श्री बी० वी० देसाई ने स्थानापन्न प्रस्ताव रखे हैं, मैं उन्हें एक साथ रखूं या एक के बाद दूसरा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि सदन सहमत हो तो मैं श्री वी० बी० देसाई के स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहूंगा। यह काफी रचनात्मक है। इसमें कहा गया है "यह सभा

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्संबंधी भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से निपटने हेतु गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के लिए भारत सरकार की दृढ़ निष्ठा का हार्दिक समर्थन करती है।" इसलिए इसका विरोध करना असंगत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री के स्थानापन्न प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बी० वी० देसाई का स्थानापन्न प्रस्ताव रखता हूं प्रश्न यह है "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय अर्थात: "यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्संबंधी भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात्, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से निपटने हेतु गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के लिए भारत सरकार की दृढ निष्ठा का हार्दिक समर्थन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

23 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होता है।

6.45 म० पू०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 11 दिसम्बर, 1981/20 अग्रहायण, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मोजपुर, दिल्ली-153